INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल

उ. प्र. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड (UPPRPB)

भाग – 2

भूगोल + इतिहास + राजव्यवस्था + अर्थव्यवस्था + उ. प्र. GK + विविध

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा**" में पूर्ण संभव मदद करेंगें /*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

225, OKAY PLUS SPACES, मालवीयनगर इंडस्ट्रियल एरिया, नियर अपेक्स सर्किल, जयपुर, 302017 (RAJASTHAN)

मूल्य : ₹ 500

संस्करण : नवीनतम (2023)

सामान्य ज्ञान

• संविधान

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
2. संविधान सभा	3
3. संविधान की विशेषताएं	6
4. संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र	10
5. भारतीय नागरिकता	11
6. मौलिक अधिकार	13
7. नीति निदेशक तत्व	18
8. राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति	21
9. भारतीय संसद	27
10. प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद	35
11. उच्चतम न्यायालय	36
12. राज्य कार्यपालिका (राज्यपाल)	38
13. मुख्यमंत्री, राज्य महाधिवक्ता, राज्य विधानमण्डल	39
14. उच्च न्यायालय	46
15. पंचायती राज	49
16. निर्वाचन आयोग	54
17. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	55
18. नीति आयोग	56
19. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	57
20. संविधान संशोधन	58

• भारत का भूगोल

1. सामान्य परिचय 61
2. भौतिक विभाजन 63
3. नदियाँ एवं झीलें 70
4. जलवायु 77
5. कृषि एवं पशुपालन 79
6. मृदा / मिट्टी 83
7. प्राकृतिक वनस्पतियाँ 86
8. प्रमुख खनिज एवं ऊर्जा संसाधन 88
9. भारतीय उद्योग 93
10. परिवहन तंत्र 97

विश्व भूगोल

- ब्रह्माण्ड एवं सौरमंडल, 102
- **महत्वपूर्ण वनलाइनर तथ्य ,** 111
- पृथ्वी, महाद्वीप एवं महत्वपूर्ण स्थान 117
- झीलें, पर्वत, पठार, महासागर , महाद्वीप इत्यादि

भारत का इतिहास

• प्राचीन भारत का इतिहास

1. सिन्धु घाटी सभ्यता 149
2. वैदिक काल 152
3. बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म 156
4. महाजनपद काल 161
5. मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल 162

6. गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल 165

- कुषाण वंश एवं सातवाहन राजवंश 168

मध्यकालीन भारत

1. अरबों का सिन्ध पर आक्रमण 170

2. दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश 172
   - गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश तक

3. भक्ति एवं सूफी आंदोलन 182

4. बहमनी एवं विजय नगर साम्राज्य 186

5. मुग़ल साम्राज्य (1526 - 1707) 189
   - बाबर से लेकर औरंगजेब तक

• आधुनिक भारत का इतिहास

1. यूरोपीय कम्पनियों का आगमन 198

2. मराठा साम्राज्य 203

3. अंग्रेजों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ 206
   - प्लासी के युद्ध से लेकर बंगाल और कांग्रेस के विभाजन तक

4. 1857 की क्रांति से पूर्व के जन आंदोलन 213

5. भारत में राष्ट्रीय जागरण या आंदोलन 217

6. गाँधी युग और असहयोग आंदोलन 222

7. क्रांतिकारी आंदोलन से आजादी तक 228

भारतीय संस्कृति

1. संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण विषय 236

2. भारतीय चित्रकला 238
3. भारतीय नृत्य कलाएँ 240
4. मुगलकालीन प्रमुख इमारतें इत्यादि 243

भारतीय अर्थव्यवस्था

1. अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएँ 247
2. राष्ट्रीय आय और उत्पाद 249
3. मुद्रा एवं बैंकिंग 250
4. बजट एवं बजट निर्माण 253
5. वस्तु एवं सेवा कर 263
6. केंद्र सरकार की योजनाएँ 267
7. उद्योग 275
8. गरीबी एवं बेरोजगारी 275

उ. प्र. सामान्य ज्ञान (GK)

- उत्तर प्रदेश राज्य का सामान्य परिचय, 279
- संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक व्यवहार, लोक नृत्य
- पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल
- राजव्यवस्था (राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इत्यादि .)
- भौगोलिक स्थिति, नदियाँ, वन्य जीव अभ्यारण
- उ.प्र. के महत्वपूर्ण व्यक्ति
- उ. प्र. का इतिहास, अन्य विविध ज्ञान इत्यादि

विविध

- महत्वपूर्ण दिन 333
- देश / राजधानियाँ / मुद्राएँ
- खोज और अनुसंधान पुस्तकें और उनके लेखक , आदि
- पुरुस्कार एवं सम्मान
- भारत में प्रथम
- वे क्षेत्र जिन पर भारत पहले स्थान पर है
- विश्व में सबसे बड़ा एवं छोटा
- भारत में प्रथम महिला
- खेल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन
- राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण इत्यादि

अन्य विभिन्न टॉपिक

1. जनसंख्या और पर्यावरण 392
2. मानव अधिकार 407
3. उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था 413
4. साइबर क्राइम 417
5. विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव 421
6. सूचना एवं संचार, सोशल मीडिया 423

संविधान

अध्याय – 1

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कम्पनी का शासन् [1773 से 1858 तक]

- भारत में ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने आये।
- महारानी एलिजावेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे ।

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

- इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल कहा।
- इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर 'बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गये ।
- इसके अन्तर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
- इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का 'कोर्ट आफ डायरेक्टर्स' के माध्यम से कम्पनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया ।
- बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लार्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।
- कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश 'एलिजा इम्पे' थे।

1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

- इस एक्ट को एक्ट ऑफ सैटलमेण्ट के नाम से भी जाना जाता है।
- इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन् का आरम्भ हुआ ।
- बोर्ड ऑफ़ डायेक्टर्स –व्यापारिक मामलों के लिए ।
- बोर्ड ऑफ़ कंट्रोलर –राजनीतिक मामलों के लिए ।
- ब्रिटिश सरकार को भारत में कम्पनी के कार्यो और इसके प्रशासन् पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया ।

1793 ई. का चार्टर अधिनियम

- इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गयी ।

1813 ई. का चार्टर अधिनियम

- कम्पनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षो के लिए बढ़ा दिया गया ।
- कम्पनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया ।

1833 का चार्टर अधिनियम

- इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
- इसने मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों को विधायिका सबंधी शक्ति से वंचित कर दिया ।
- लार्ड विलियम वेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ।
- इस अधिनियम के तहत कम्पनी के व्यापरिक अधिकार पूर्णतय समाप्त कर दिये गए ।
- भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस आयोग के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी
- 1834 ई. में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया ।

1853 का चार्टर अधिनियम

- 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किये गये चार्टर अधिनियम के श्रृंखला में अधिनियम अन्तिम था ।
- इसने पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यो को अलग कर दिया ।
- इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारम्भ कर दिया।

ताज का शासन् [1858 से 1947 तक]

- 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम ।
- भारत शासन् अधिनियम, 1919
- भारत शासन् अधिनियम, 1935
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

1858 का भारत शासन् अधिनियम

- भारत का शासन् कम्पनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया इसके तहत भारत का शासन् सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया ।
- भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गयी
- पंद्रह सदस्यों की भारत परिषद् का सृजन हुआ । मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया ।
- भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया ।
- इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया ।
- भारत के गवर्नर जनरल का नम बदलकर वायसराय कर दिया गया ।
- अत: इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैंनिग अन्तिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए ।

- एक नए पद 'भारत के राज्य सचिव' का सृजन किया गया ।

1861 के भारत परिषद् अधिनियम

- 1862 में लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद् में मनोनीत किया ।
- इस अधिनियम में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुन: देकर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की ।
- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार किया गया
- विभागीय प्रणाली का प्रारम्भ हुआ ।

1873 ई. को अधिनियम

- इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्ध किया गया की ईस्ट इंडिया कम्पनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है ।
- 1 जनवरी 1884 ई. को ईस्ट इंडिया कम्पनी को ओपचारिक रूप से भंग कर दिया गया ।

1876 शाही उपाधि अधिनियम

- इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केन्द्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण का कार्य सौंपा गया ।
- 28 अप्रैल 1876 ई. को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया ।

1892 ई. का भारत परिषद् अधिनियम

- इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदो में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई ।
- इसने विधान परिषदो के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत किया।

1909 के अधिनियम

- इस अधिनियम को मार्ले मिन्टो सुधार के नाम से जाना जाता है ।
- इसने केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की परिषदों की संख्या 16 से 60 हो गई ।
- इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया ।
- सतेन्द्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने ।
- इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया।

भारत शासन् अधिनियम 1919

- इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया -हस्तान्तरित और आरक्षित ।
- इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरम्भ की ।
- इसके अनुसार कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक है।
- इससे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ।
- इसने पहली बार केन्द्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग कर दिया
- इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया ।

भारत सरकार अधिनियम 1935

- इसमें 321 धारा व 10 अनुसूचियां थी।
- इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की
- इस अधिनियम में केन्द्र एवं इकाइयों के बीच तीन सूचियों संघीय सूची (59 विषय), राज्य सूची (54 विषय), और समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषय) के आधार पर शक्तियों का बटवारा किया
- इसने केन्द्र में द्वैध शासन् प्रणाली का शुभारंभ किया और प्रान्तों में द्वैध शासन् व्यवस्था समाप्त कर दी
- प्रांतीय शासन् के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गयी ।
- इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारम्भ की।
- इसने भारत शासन् अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया ।
- इसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई ।
- इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई ।

भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947

- इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया, 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं सम्प्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया ।
- इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया।
- इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया ।
- इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभु को समाप्ति की घोषणा की ।
- इसने शाही उपाधि से 'भारत का सम्राट' शब्द समाप्त कर दिया।
- 1935 के भारत शासन् अधिनियम द्वारा शासन् जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नही किया जाता तब तक उस समय 1935 के

भारतीय शासन् अधिनियम के द्वारा ही शासन् किया जायेगा ।

- देशी रियासतों पर से ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया ।

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रीमण्डल (1947)

जवाहर लाल नेहरू - प्रधानमंत्री, राष्ट्रमण्डल तथा विदेशी मामलो

सरदार वल्लभभाई पटेल - गृह, सुचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद - खाद्य एवं कृषि

मौलाना अबुल कलाम आजाद - शिक्षा

डॉ. जॉन मथाई - रेलवे एवं परिवहन

आर. के. षणमुगम शेट्टी - वित्त

डॉ. बी. आर. अंबेडकर - विधि

जगजीवन राम - श्रम

सरदार बलदेव सिंह - रक्षा

राजकुमारी अमृत कौर - स्वास्थ्य

सी. एच. भाभा - वाणिज्य

रफी अहमद किदवई - संचार

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी - उद्योग एवं आपूर्ति

वी. एन. गाडगिल - कार्य, खान एवं उर्जा

अध्याय – 2
संविधान सभा

- भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम० एन. रॉय ने रखा ।
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की ।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा । नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है।
- क्रिप्स मिशन 1946 में भारत आया ।

क्रिप्स मिशन

- लार्ड सर पैथिक लारेंस (अध्यक्ष)
- ए० वी. अलेक्जेंडर
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
- 1946 ई. को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री एटली ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन सदस्य (सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ,लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए.वी.अलेक्जेंडर)को भारत भेजा जिसे कबिनेट मिशन कहा गया ।
- कैबिनेट का मुख्य कार्य संविधान सभा का गठन कर भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने का कार्य करना था ।
- भारत में जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कैबनेट मिशन योजना के तहत किया गया था । अंतरिम मंत्रिमंडल अंग इस प्रकार था ।

अंतरिम सरकार

जवाहर लाल नेहरू - स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)

सरदार वल्लभभाई पटेल - गृह, सूचना एवं प्रसारण

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद - खाद्य एवं कृषि

जॉन मथाई - उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति

जगजीवन राम - श्रम

सरदार बलदेव सिंह - रक्षा

सी. एच. भाभा - कार्य, खान एवं उर्जा

लियाकत अली खां - वित्त

अब्दुर रब निश्तार - डाक एवं वायु

आसफ अली - रेलवे एवं परिवहन
सी. राजगोपालाचारी - शिक्षा एवं कला
आई. आई. चुंद्रीगर - वाणिज्य
गजनफर अली खान - स्वास्थ्य
जोगेंद्र नाथ मंडल - विधि

- कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ | मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना था –
- सविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी | इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी ।
- हर ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी | आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था ।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था | यह तीन समुदाय थे :- मुस्लिम्स, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर) |
- देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासत के प्रमुखो द्वारा किया जाना था |
- कैबिनेट योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए ।
- इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें मिली ।
- महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दे तो सभा में उस समय के भारत के सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल थे ।
- 9 दिसम्बर 1946 ई. को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमे मुस्लिम लीग ने भाग नही लिया ।
- संविधान सभा का अधिवेसन् 9 दिसम्बर 1946 को कन्द्रीय कक्ष में संपन्न हुआ । डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सर्व सम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया ।
- 11 दिसम्बर 1946 ई. को कांग्रेस के नेता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया । जो की अन्त तक इसके अध्यक्ष बने रहे ।

उद्देश्य प्रस्ताव :-

- 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई । मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कियाऔर अलग पाकिस्तान की मांग उठाई ।
- सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया ।
- 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थाई अध्यक्ष बनाया गया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया । संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :-
- भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए ।
- भारत के समस्त नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, संस्था बनाने, कोई व्यवसाय करने, किसी भी धर्म को मानने या न मानने कि स्वतंत्रता होगी ।
- अल्पसंख्यकों,अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त रक्षॉ के उपाय किए जाएंगे ।
- देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा ।
- यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया ।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

अस्थायी अध्यक्ष - सच्चिदानन्द सिन्हा
अध्यक्ष - डा० राजेन्द्र प्रसाद
उपाध्यक्ष - डा. एच. सी मुखर्जी, व वी०टी० कृष्णामाचारी

संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया ।
- 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना ।
- 2वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 11 बैठके हुई, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया ।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई।

संविधान सभा की समितियां

संघ शक्ति समिति - पजवाहरलालनेहरू
संघीय संविधान समिति - जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति - सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रारूप समिति - डॉ. बी. आर. अंबेडकर
मौलिकअधिकारी,अल्पसंख्यको एवं जनजातियो तथा बहिष्कृत क्षेत्रो के लिए सलाहकार समिति - सरदार पटेल
प्रक्रिया नियम समिति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

राज्यों के लिए समिति - जवाहरलाल नेहरू
संचालन समिति - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

प्रारूप समिति

- अंबेडकर (अध्यक्ष)
- एन गोपालस्वामी आयंगार
- अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
- डॉ. के.एम मुंशी
- सैयद मोहहमद सादुल्ला
- एन. माधव राव (बी. एल. मिल की जगह)
- टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी खेतान की जगह)
- 4 नवम्बर 1948 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अन्तिम प्रारूप पेश किया गया । इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया ।
- संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया।
- 26 नवम्बर 1949 को अपनाए गये संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसुचियां थी।

संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

1. हिन्दू (163)
2. मुस्लिम (80)
3. अनुसूचित जाति (31)
4. भारतीय ईसाई (6)
5. पिछड़ी जनजातियां (6)
6. सिख (4)
7. एन्ग्लो इंडियन (3)
8. पारसी (3)

भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता

- मद्रास (49)
- बॉम्बे (21)
- पश्चिम बंगाल (19)
- संयुक्त प्रांत (55)
- पूर्वी पंजाब (12)
- बिहार (36)
- मध्य प्रांत एवं बरार (17)
- असम (8)
- उड़ीसा (9)
- दिल्ली (1)
- संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया ।
- सर वी० एन. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

संविधान निर्माण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्ति

- एच. वी. आर अय्यंगार (सचिव)
- एल.एन. मुखर्जी (चीफ ड्राफ्टमैन)
- प्रेम बिहारी नारायण (सुलेखक)
- मंदलाल बोस और बिउहर (मूल संस्करण का सजावट और सौन्दर्यीकरण)
- संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ ।

अध्याय – 3
संविधान की विशेषताएं

(1) **सबसे लम्बा लिखित संविधान** - मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 465 अनुच्छेद 25 भाग 12 अनुसूचियां हैं।

संविधान
- लिखित (अमेरिका)का सबसे छोटा संविधान है ।
- अलिखित (ब्रिटेन)

संविधान के विस्तृत होने का कारण
- भौगोलिक विस्तार व विविधता
- ऐतिहासिक (1935 अधिनियम)
- जम्मू कश्मीर का अलग संविधान
- संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व

(2) विभिन्न स्त्रोतों से विहित
- ढांचागत हिस्सा (1935 अधिनियम से)
- संविधान का दार्शनिक भाग

a) मौलिक अधिकार (अमेरिका)
b) निति निर्देशक तत्व (आयरलैंण्ड से)

(3) नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय
- नम्य (ब्रिटेन)
- नम्य + अनम्य (भारत)
- अनम्य (अमेरिका)

(4) एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था ।
- भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता हैं ।
- भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है।
- भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया ।
- भारत का उल्लेख 'राज्यों का संघ' के रूप में किया गया है।

(5) सरकार का संसदीय रुप
- भारत में संसदीय प्रणाली लागू है। जो ब्रिटेन से ली गई है।
- अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली लागू है।

(6) संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय

(इंग्लैण्ड में)   (अमेरिका में)

- अमेरिका में 'विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान हैं जबकि भारतीय संविधान में " विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है ।

(7) एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका
- भारत की न्यायपालिका एकीकृत एवं स्वतंत्र है।
- सुप्रीम कोर्ट (SC)
- 25 हाइकोर्ट (HC)
- अधीनस्थ कोर्ट (DC)

(8) मौलिक अधिकार
- समानता का अधिकार (Art- 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (Art 19-22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Art 23-24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Art 25-28)
- सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार (Art 29-30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Art 32)
- अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी अधिकार आपात काल में स्थापित हो जाते हैं।

(9) राज्य के नीति निदेशक तत्व
- यह तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

a) सामाजिक
b) गांधीवादी
c) उदार बौद्धिक

- उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना ।
- मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नीव मौलिक अधिकारो, नीति निदेशक सिद्धान्तों के संतुलन पर रखी गई है।

(10) मौलिक कर्तव्य
- मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था
- स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संशोधन में जोड़ा गया ।
- 11वां कर्तव्य 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया ।

(11) एक धर्मनिरपेक्ष राज्य
- भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है।
- प्रस्तावना में यह शब्द 42 वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया ।

(12) सार्वभौम वयस्क मताधिकार
- 1989 में 61वें संविधान संशोधन में 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई।

(13) एकल नागरिकता

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- भारतीय संविधान फ़ेडरल हैं और दो लक्षणो (एकल व संघीय) का प्रतिनिधित्व करता है। मगर इसमें केवल एक नागरिकता का प्राविधान है।
- अमेरिका में द्वि नागरिकता की व्यवस्था है।

(14) स्वतंत्र निकाय

- E.C (निर्वाचन आयोग)
- CAG
- UPSC
- SPSC

(15) आपातकालीन प्रबन्ध

- राष्ट्रीय आपात काल (Art - 352)
- राज्य में आपातकाल (Art - 356 या 65)
- वित्तीय आपातकाल (Art-360)
- आपातकाल के दौरान सत्ता केन्द्र के हाथ में होती है।

(16) विस्तरी सरकार

- केन्द्र
- राज्य
- पंचायत
- भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज व्यवस्था थी ।
- 1992 में 73वें 74वें संविधान संशोधन में तीन त्रिस्तरीय सरकार का प्राविधान किया ।

उद्देशिका (प्रस्तावना)

- सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में संविधान प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था ।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाये गये 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है।
- 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गये ।
- एन. ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा ।

संविधान की प्रस्तावना के विषय वस्तु

- " हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्पित होकर
- अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

प्रस्तावना के तत्व

- अधिकार का स्त्रोत भारत की जनता होगी।
- भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है।
- न्याय स्वतंत्रता व समता या समानता संविधान के उद्देश्य है।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया

प्रस्तावना के मुख्य शब्द

1. **सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न** – भारत की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व राज्य घोषित किया गया है। प्रभुत्व राज्य से आशय है की राज्य के आंतरिक व बाह्य मामले में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं होगा ।

राजनीतिक प्रणाली में निम्नलिखित प्रकार की संप्रभुता देखने को मिलती है ।

(a) वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता
(b) नाममात्र की संप्रभुता तथा वास्तविक संप्रभुता
(c) लोकप्रिय संप्रभुता
(d) नाममात्र की तथा तथ्यात्मक संप्रभुता

2 . समाजवादी :-

- समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था । 42 वें सविधान संशोधन के माध्यम से इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया ।
- भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को अपनाया गया जोकि गाँधीवादी समाजवाद से प्रभावित है न कि कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद अवधारणा को अपनाया गया ।

3. **पंथनिरपेक्ष** –

- पंथनिरपेक्ष शब्द भी मूल प्रस्तावना में शामिल नही था । 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया ।
- पंथनिरक्षेप राज्य से आशय हैं (भारत के सन्दर्भ में) राज्य का अपना कोई धर्म नही होगा और राज्य सभी धर्मो का समान रूप से आदर करेगा ।
- पंथनिरपेक्षता राज्य के आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार की होती है –

(1) नकारात्मक पंथनिरक्षेपता –

- 1917 में रुस में हुई बोल्शेविक क्रांति के बाद नकारात्मक पंथनिरक्षेपता को अपनाया गया और चर्च को समाप्त कर दिया गया । अधिकांश साम्यवादी देशों में इस प्रकार की पंथनिरपेक्षता पर ही बल दिया गया ।

(2) सकारात्मक

- पंथनिरपेक्षता – सकारात्मक पंथनिरपेक्षता ऐसी स्थिति को कहा जाता है। जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नही

होता है लेकिन राज्य अपने नागरिकों के धार्मिक क्रियाकलापों में होने वाली समस्याओं एवं बाधाओं को दूर करने का प्रयास भी करता है |

- प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया क्योकि भारत में धर्म का आशय नेतिक संहिता भी होता है |
- स्वयं गाँधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह कहा था कि एक धर्मविहिन राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती|

4. **लोकतंत्रात्मक** – यह दो प्रकार का होता हैं –

(1) प्रत्यक्ष लोकतंत्र (जनता प्रत्यक्ष रूप से नीति-निर्माण में भागीदारी करती है)	(२)अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन् का संचालन करते है)

5. **गणराज्य** –

- गणराज्य से आशय है ऐसी व्यवस्था जिसमे राष्ट्राध्यक्ष अथवा राष्ट्र का प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित होता हैं न कि वंशानुगत |
- राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन निम्नलिखित दो प्रकार से किया जा सकता हैं |

(i) **प्रत्यक्ष निर्वाचन** – इसके अंतर्गत जनता के द्वारा मत देकर राष्ट्राध्यक्ष को चुना जाता है | संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस में यही व्यवस्था है |

(ii)**अप्रत्यक्ष निर्वाचन** – इसके तहत जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं |जैसे – भारत में राज्यों की विधानसभाओ एवं संसद के निर्वाचित सदस्य मिलकर भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं |

ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान जैसे देश लोकतंत्र तो हैं लेकिन गणतन्त्र नहीं है | क्योकि इनका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है |

<u>राज्य के उद्देश्य</u> – संविधान की प्रस्तावना में राज्य के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं |

(1) **न्याय की स्थापना करना** – प्रस्तावना में निम्नलिखित 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है |

I. **सामाजिक न्याय** - सामाजिक न्याय से आशय हैं | व्यक्ति के मध्य धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति आदि के आधार पर भेदभाव की समाप्ति |

II. **आर्थिक न्याय** – आर्थिक न्याय से आशय आर्थिक समानता नहीं है | आर्थिक न्याय का अर्थ है | प्रत्येक व्यक्ति के पास इतने आर्थिक संसाधन होने चाहिए की वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति कर सके |

III. **राजनीतिक न्याय** – राजनीतिक न्याय से आशय हैं देश के प्रत्येक नागरिक की राजनीति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित है | उदाहरण – सार्वभोमिक वयस्क मताधिकार व्यवस्था तथा लोकसभा एवम राज्य की विधान सभाओ में SC व ST के लिए स्थानों का आरक्षण इसका उदाहरण है |

(2) **स्वतंत्रता प्रदान करना** –

(i) विचार
(ii) अभिव्यक्ति
(iii) विश्वास
(iv) धर्म
(v) उपासना

(3) **समता/समानता** –

संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता का प्रावधान किया गया है |

निजी एवं सरकारी क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र) में कार्य करने के समान अवसर प्राप्त होंगे | हालांकि सरकारी क्षेत्र के निर्वाचन में वंचित शोषित वर्ग को अतिरिक्त अवसर दिए जा सकते है|

(4) **बंधुता/ भाईचारे की स्थापना** – संविधान की प्रस्तावना में बंधुता/भाईचारा को भी राज्य के उद्देश्य के रूप में अपनाया गया है | प्रस्तावना में निम्नलिखित दो प्रकार के बंधुता को अपनाया गया है –

<u>राज्य की शक्ति का स्त्रोत</u> –

संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से आरम्भ होती है | जिससे यह पता चलता है | कि शासन् व्यवस्था अथवा राज्य की शक्ति का स्त्रोत भारत की जनता है |

संविधान की प्रस्तावना से संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित करने की तिथि का भी पता चलता है | जो कि 26 नवम्बर 1949 (तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी) हैं |

प्रस्तावना में संशोधन

बेरुबाड़ी संघ भारत संघवाद (1960) प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं हैं । संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है ।	केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद आधारभूत ढांचे की अवधारणा का विकास प्रस्तावना संविधान का अंग है । संसद इसमें संशोधन कर सकती है ।

केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है । लेकिन संसद को आधारभूत ढांचे में संशोधन करने का अधिकार नहीं है ।

इसके बाद संसद में 42 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया और निम्नलिखित शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा –

1. समाजवादी
2. पंथनिरपेक्ष
3. राष्ट्र की अखंडता

प्रस्तावना का महत्व

- प्रस्तावना उस आधार भूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं।
- सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा 'संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनो का विचार हैं।'
- के. एम मुंशी ने कहा 'प्रस्तावना' हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल हैं।
- ठाकुर नाथ भार्गव ने कहा "प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग हैं।"

संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना

- बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना ।
- केशवानन्द भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग माना
- LIC ऑफ इण्डिया मामला 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा बताया ।

प्रस्तावना से सम्बन्धित दो उल्लेखनीय बातें

- प्रस्तावना न तो विधायिका के शक्ति का स्त्रोत है न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने वाला ।
- यह गैर न्यायिक है।

प्रस्तावना में संशोधन की संभावना

- प्रस्तावना में केवल एक बार 42 वें संविधान के तहत 1976 में संशोधन किया ।

मुख्य तथ्य

- संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है ।
- प्रस्तावना संविधान का आरम्भिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नही माना जाता है ।
- प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्रबिंदु अथवा स्त्रोत भारत के लोग ही हैं ।
- प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पण करते हैं । लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है ।
- भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है । यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है ।
- भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है । भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त कर्ता हैं ।
- भारत के संविधान में संघीय शासन् शब्द का प्रयोग कहीं भी नही किया गया है । संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है।
- भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा ।

अध्याय – 4

संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र

- भारत राज्यों का संघ जिसमें सम्प्रति 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश है । (दादर नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के पश्चात राजधानी दमन)
- **अनुच्छेद -1** में कहा गया इण्डिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के 'राज्यों का संघ' होगा। यह दो बातों को स्पष्ट करता है।
  - एक देश का नाम
  - दूसरी राज पद्यति का प्रकार
- अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण है।

(i) भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिकी संघ । (ii) राज्यों को संघ में विभक्त होने का अधिकार नहीं है।

भारतीय क्षेत्र

- राज्यों के क्षेत्र
- संघ क्षेत्र
- ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया जा सकता है ।
- भाग 21 के अन्तर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबन्ध हैं।
- महाराष्ट्र
- गुजरात
- नागालैंड
- असम
- मणिपुर
- आन्ध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- सिक्किम
- मिजोरम
- अरुणांचल प्रदेश
- गोवा
- कर्नाटक
- **अनुच्छेद-2** में संसद को यह शक्ति दी गयी है कि संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों और शर्तों पर जो ठीक समझे, संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सके ।
- **अनुच्छेद-3** संसद के पास शक्ति है राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन करना या नये राज्य का निर्माण करना ।
- **अनुच्छेद-3** में दो शर्तों का उल्लेख किया गया है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद -4** इसमें नये राज्यों का प्रवेश या गठन, नये राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्रो व नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जायेगा ।

केंद्रशासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव

- **देशी रियासतो का एकीकरण**
- देशी रियासतों को तीन विकल्प दिये ।

(i)भारत में शामिल

(ii) पाकिस्तान में शामिल

(iii) या स्वतंत्र रहे ।

- 549 रियासतें भारत में शामिल हुई। बची तीन रियासते अन्य प्रक्रिया से सम्मिलित हुई ।

तीन रियासत

- हैदराबाद (पुलिस कार्यवाही द्वारा)
- जूनागढ़ (जनमत द्वारा)
- कश्मीर (विलय पत्र द्वारा)

1950 में भारतीय संघ के राज्य के प्रकार

- भाग क (गवर्नर का शासन)
- भाग ख (शाही शासन)
- भाग ग (मुख्य आयुक्त एवं कुछ में शाही)
- भाग घ (अंडमान निकोबार)

धर आयोग और जेवीपी समिति

- जून 1948 में भारत सरकार ने एस. के. धर की अध्यक्षता में भाषायी प्रांत आयोग की नियुक्ति की ।
- आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1948 में पेश की।
- इसके अनुसार राज्यों का पुनर्गठन भाषायी कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए ।
- जेवीपी समिति में नेहरु, पटेल,पट्टाभिसीतारमैया शामिल थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की। इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होनी चाहिए।

फजल अली आयोग (दिसम्बर 1953)

- फजल अली (अध्यक्ष)
- के एम पणिक्कर
- एच. एस कुंजरु
- इस आयोग ने रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया की राज्य के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए

। लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा को अस्वीकार कर दिया ।

- 1 नवम्बर 1956 को 14 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया ।

14 राज्य

1.आन्ध्रप्रदेश
2. असम
3. मुंबई
4. बिहार
5. जम्मू कश्मीर
6. केरल
7. मध्य प्रदेश
8. मैसूर
9. मद्रास
10. उड़ीसा
11. पंजाब
12. राजस्थान
13. उत्तर प्रदेश
14. पश्चिम बंगाल

संघ शासित क्षेत्र

दिल्ली
हिमाचल प्रदेश
मणिपुर
त्रिपुरा
अण्डमान निकोबार
लंका द्वीप मीनिकाय, अमीनदीवी द्वीप समूह

1. 2 जून 2014 में आन्ध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बना ।
2. भाषा के आधार पर आन्ध्र प्रदेश पहला राज्य बना।
3. भाषा तेलगू, राजधानी कुरनूल, गुंटूर में हाइकोर्ट स्थापित हुआ ।
4. 2014 में भारत में 28 राज्य 8 केन्द्र शासित प्रदेश है ।

अध्याय – 5
भारतीय नागरिकता

अर्थ एवं महत्व

भारत में दो तरह के लोग रहते हैं।

1. नागरिक (भारतीय राज्य के पूर्व सदस्य, राजनैतिक अधिकार प्राप्त)
2. विदेशी (ये अन्य राज्य के नागरिक होते हैं।)

विदेशी

- मित्र (रूस) (भारत के साथ सकारात्मक सम्बन्ध)
- शत्रु (पाक) (जिनसे भारत का युद्ध चल रहा हो ।)
- विदेशी गिरफ्तारी व नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते (Art- 22)

भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं -

1. धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार (Art-15)
2. लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार (Art-16)
3. वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता (Art - 19)
4. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Art 29 व 30)।
5. लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार ।
6. संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार ।
7. सार्वजनिक पदों, जैसे- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायलय के न्यायधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार ।

संवैधानिक उपबन्ध

- संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया जिसका 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2015 में संशोधन किया गया ।
- संविधान के अनुसार चार श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने –

1. एक व्यक्ति, जो भारत का मूल निवासी है और तीन में से कोई भी एक शर्त पूरी करता है। ये शर्ते है- यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता-पिता में से किसी भी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के पांच वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो ।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

2. एक व्यक्ति, जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है- यदि वह 19 जुलाई, 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवसन् की तिथि से उसने समान्यत: भारत में निवास किया हो; और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में अवसन् किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए छः माह तक भारत में निवास आवश्यक है। (Art - 6)

3. एक व्यक्ति, जो 1 मार्च, 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आये तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद छह माह तक रहना होगा (Art - 7)
4. एक व्यक्ति, जिसके माता पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो। फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कूटनीनिज्ञ तरीके से पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सके (Art-8)

नागरिकता का अर्जन

- जन्म से
- वंश के आधार पर
- पंजीकरण द्वारा
- प्राकृतिक रूप से
- क्षेत्र समाविष्ट द्वारा

नागरिकता की समाप्ति

- स्वैच्छिक त्याग
- बर्खास्तगी के द्वारा
- वंचित करने द्वारा

स्वैच्छिक त्याग :- एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो। ऐसी घोषणा के उपरान्त वह भारत का नागरिक नहीं रहता। अपनी नागरिकता त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केन्द्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती हैं। व्यक्ति के साथ प्रत्येक नाबालिक बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं रहता यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने पर भारतीय नागरिक बन सकता है।

बर्खास्तगी के द्वारा : यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसको भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जायेगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो।

वंचित करने द्वारा :- केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि
(i) यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गयी हो।
(ii) यदि नागरिक के प्रति अनादर जताया हो ।
(iii) यदि नागरिक में युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्रविरोधी सूचना दी हो।
(iv) पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के पांच वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में दो वर्ष की कैद हुई हो।
(v) नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर सात वर्षों से रह रहा हो।

एकल नागरिकता

- भारत में एकल नागरिकता है।
- भारतीय संविधान संघीय है और दोहरी राज पद्धति को अपनाया लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था है।
- लगातार 7 साल बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है।
- नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय संसद है।

नोट:- माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है।

अध्याय – 6
मौलिक अधिकार

- भारत के संविधान के भाग तीन में अनु. 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधान है।
- मौलिक अधिकारों की अवधारणा को U.S.A(अमेरिका) से अपनाया गया है। भारत की व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित महत्व हैं ।

1. मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अ प्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भागीदारी कर सकता है और प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रशासन् का हिस्सा बन सकता है।

2. मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार की तानाशाही अथवा व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है।
3. मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा स्थापित होती है ।
4. मौलिक अधिकारों के माध्यम से विधी के शासन् की स्थापना होती है।
5. मौलिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्ग को सुरक्षा प्राप्त होती है।
6. मौलिक अधिकारों के माध्यम से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को सुरक्षा प्राप्त होती हैं और इसको बढ़ावा मिलता है।
7. मौलिक अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय यात्रा की स्थापना करते हैं।
8. मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा होती है।
9. मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते है।

- मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं । अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(1) समता का अधिकार :- (अनु० 14-18)

विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण-

- संविधान के अनु० 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान हैं । विधी के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से प्रभावित हैं । विधी के समक्ष समता से आशय हैं, विधी सर्वोच्च होगी। और कोई भी विधिक व्यक्ति विधी से ऊपर नही होगा।

विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के भारत के संबंध में निम्नलिखित अपवाद है।

I. भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्यों के राज्यपाल पर पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नही चलाया जाएगा।
II. राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के इन पदों पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जायेगा ।
III. संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही के आरम्भ होने के 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में न्यायलय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नही किया जायेगा ।
IV. विदेशी राजनयिक अथवा कूटनीतिज्ञ फोजदारी मामलो एवं दीवानी मामलो से मुक्त होंगे ।
V. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे – UNO, ADB, WB, IMF आदि के अधिकारी एवं कर्मचारी दीवानी एवं फौजदारी मामलो से मुक्त होंगे ।

कुछ आधारो पर विभेद का प्रतिषेद

अनु. 15 में यह प्रावधान हैं कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नही करेगा । यह व्यवस्था राज्य और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं ।

लोक नियोजन के सम्बन्ध में अवसर की समता (अनु०- 16)

अनु. 16 में यह प्रावधान कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अवसर की समता होगी। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

लेकिन निम्नलिखित मामलो में अवसर की समता के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा सकता है –

1. संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवासी की शर्त शामिल कर सकती है। इसी प्रावधान के तहत अनेक राज्यों में राज्य के मूल निवासियों की विशेषाधिकर प्रदान किए गए है।
2. किसी धर्म से संबंधित नियुक्ति के मामले में धर्म विशेष के होने की सीमा लगाई जा सकती है।
3. विशेष वर्ग के लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है। जैसे- SC, ST, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा कुछ राज्यों में महिलाओ के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान है।

अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनु.-17)

संविधान के अनु० 17 में यह प्रावधान है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में अस्पृश्यता को बढ़ावा देना दण्डनीय अपराध होगा। इसके संबंध में दंड वह होगा ही संसद विधी द्वारा निर्धारित करें। संविधान में अस्पर्शता के संबंध में विशेष व्यवस्था नही की गई ।

उपाधियों का अंत (अनु. 18)-

संविधान के अनु. 18 में उपाधियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान है –

(a) राज्य सेवा एवं विद्या को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नही करेगा ।

(b) भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से भी किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त नही करेगा।

(c) यदि कोई विदेशी नागरिक राज्य के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत हैं तो उसे विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी।

(d) राज्य के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार अथवा उपलब्धी प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी।

- 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि पद्म पुरस्कार उपाधि नही हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करने वाला व्यक्ति इनका प्रयोग अपने नाम में उपसर्ग अथवा प्रत्यय के रूप में नही कर सकता।

(2) स्वतन्त्रता का अधिकार

- अनु० 19 (1) में प्रावधान हैं कि राज्य अपने नागरिकों को निम्न स्वतंत्रताए प्रदान करता है ।

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :- (अनु. 19(1) A)

इसके अन्तर्गत बोलने एवं किसी भी रूप में अपने विचारो को अभिव्यक्त करना शामिल हैं। जैसे –

(a) सरकार के कार्य की प्रसंशा करना ।

(b) सरकार के कार्यो की आलोचना करना ।

(c) समाचार पत्र का प्रकाशन करना।

(d) दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि पत्रिकाएं निकालना।

(e) न्यूज चैनल चलाना।

(f) फिल्म का प्रसारण करना ।

(g) अपने उत्पाद का विज्ञापन करना ।

(h) किसी प्रकार के राजीतिक बंद अथवा किसी संगठन द्वारा आयोजित बंद का विरोध करना ।

(i) सोशल मीडिया।

शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)B) :-

- किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतीपूर्ण तरीके से संगठित होने व सम्मलेन करने का अधिकार है।
- इसके तहत नागरिक सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं और बैठको में भाग ले सकते हैं।
- लेकिन किसी निजी स्थल पर सम्मेलन का अधिकार नहीं है।

संगम या संघ बनाने का अधिकार –अनु.19 । (c)

- नागरिको को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार का संघ अथवा सहकारी समिती बना सकता है।
- इसमें राजनीतिक दल, कम्पनी, साझा क्लब, व्यापार संगठन आदि का निर्माण कर सकते है। और अपने उद्देश्यो को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते है ।
- लेकिन संघ बनाने के इस अधिकार पर भी निम्न आधारो पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं –

(a) भारत की एकता व सम्प्रभुता ।

(b) लोक व्यवस्था ।

(c) सदाचार अथवा नैतिकता ।

भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)d) :-

- इसके तहत नागरिक को अधिकार हैं कि वह भारत के किसी भी भू-भाग में अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम सकता है। अथवा संचरण कर सकता हैं ।
- यह अधिकार व्यावहारिक रूप में राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढावा देता है ।
- एक राज्य के निवासी को दुसरे राज्य में संचरण करने का अधिकार देने से नागरिकों के अन्दर भारतीयता की भावना उत्पन्न होती हैं ।

इस अधिकार पर निम्न आधारो पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता हैं –

- अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा एवं उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों को संरक्षण
- लोक व्यवस्था - इसके सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर वैश्यावृति में लिप्त, व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता हैं।

भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने अथवा बसने की स्वतंत्रताः अनु. 19 । (e)

- देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह देश के किसी भी भाग में स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बस सकता है ।
- पेशेवर अपराधी एवं वैश्यावृति के मामलों में भी इस पर रोक लगाई जा सकती है।

किसी भी प्रकार के व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनु.19(1)G) –

- सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वे अपनी इच्छा एवं योग्यता के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपना सकते हैं। लेकिन निम्नलिखित मामलो में इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

(i) ऐसा व्यवसाय करना जो गैर क़ानूनी हो अथवा विधी के द्वारा अस्वीकृत हो ।

(ii) समुचित सरकार को यह अधिकार है कि किसी व्यवसाय विशेष के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया जा सकता है।

(iv) सरकार को यह भी अधिकार है कि किसी समूह अथवा उत्पादक वर्ग अथवा व्यवसायी वर्ग के अधिकारो की सुरक्षा हेतु निश्चित नियम बना सकती है।

अनु. -20 - अपराधो के सम्बन्ध में अथवा दोष सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण

इसमें प्रावधान है कि –

(i) किसी व्यक्ति को तब तक किसी अपराध के सम्बन्ध में दोषी नही ठहराया जायेगा जब तक उसने किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन नही किया हो ।

(ii) किसी व्यक्ति को वही दण्ड दिया जायेगा जो अपराध करते समय लागू। अर्थात बाद में बनाई गई विधी के अनुसार व्यक्ति को दण्डित नही किया जायेगा । लेकिन ये केवल आपराधिक मामलों पर ही लागू होता है। सिविल मामलो के संबंध में अपराध के बाद बनाई गई विधि के अनुसार व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता।

(कर चोरी, दिवालिया होना या किसी प्रकार के दिवानी से सम्बंधित प्रावधान)

(iii) किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दण्डित किया जायेगा।

(iv) किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति की स्वयं के विरुद्ध साझी होने के बाध्य नही किया जाएगा।

अनु० 21 :-

- इसमे प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता से विधी के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।
- सर्वोच्च न्यायालय में अनु. 21 को समय-समय पर अधिक से अधिक प्रसारित किया। वर्तमान समय में इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हो चुके है –

1. नीजता का अधिकार।
2. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार।
3. मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार।
4. दुर्घटना के समय प्राथमिक उपचार का अधिकार ।
5. नि: शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार ।
6. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार ।
7. सूचना का अधिकार ।
8. कारावास में अकेले बंद करने के विरुद्ध अधिकार ।
9. देरी से फांसी के विरुद्ध अधिकार ।
10. फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार ।
11. विदेश यात्रा की अधिकार
12. नींद का अधिकार

शिक्षा का अधिकार :- (अनु.21-क)

- 86 वे संविधान संशोधन अधि. - 2002 के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि राज्य 6-14 आयु वर्ग के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा।
- इसके संबंध राज्य विधी बनाकर शिक्षा की व्यवस्था करेगा । इसी प्रावधान के तहत नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया । जिसे । अप्रैल 2010 को लागू किया गया।

अनु० 22 :- निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण :-इसके तहत व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं –

- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा ।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को यह अधिकार हैं कि वह अपनी पसंद के वकील से परामर्श ले सकता है।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायिक अधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सामने प्रस्तुत करना होगा। इन 24 घंटो में यात्रा का समय शामिल नही होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोध के तहत की जाती है तो उपर्युक्त अधिकार प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति तीन माह तक मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत की आवश्यकता नहीं है।
- अनु.22 से सम्बंधित अधिकार किसी विदेशी को भी प्राप्त नही होते ।

(3) मानव व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबन्ध (अनु. 23)

- मानव दुर्व्यव्यापार से आशय है। महिला पुरुष बच्चो की वस्तुओं के समान खरीद अथवा बिक्री करना।
- इसमें देह व्यापार के लिए क्रय विक्रय अथवा शरीर के अंगो के क्रय विक्रय आदि को भी शामिल किया जाता हैं ।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति से बलात श्रम नही करवाया जा सकता । बलात श्रम से आशय हैं, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य करवाना।

बाल श्रम का प्रतिषेध (अनु. 24)

- इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कार्य में नियोजित नही किया जा सकता।
- लेकिन SC ने यह निर्णय दिया हैं कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक अपने माता-पिता अथवा अभिभावक के ऐसे कार्य में सहयोग कर सकता है जिसमें जोखिम ना हो, तथा उसकी शिक्षा एवं खेल पर नकारात्मक प्रभाव नही पड़ता हो। इसी प्रकार 14 से 18 वर्ष की आयु के किसी बालक को जोखिम वाले कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। 2006 में केन्द्र सरकार के द्वारा यह नियम बनाया गया कि कोई भी बालक होटल, चाय की दुकान, अन्य सामान्य दुकान आदि में नियोजित नही किया जायेगा । ऐसा करना दण्डनीय अपराध होगा। जिसमें आर्थिक जुर्माना तथा कारावास दोनों शामिल हैं ।

(4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28):-

अनु. 25 – इसमें प्रावधान हैं कि –

- प्रत्येक व्यक्ति को अन्तः करण की स्वतंत्रता होगी अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने आराध्य को अपने तरीके से मानने अथवा अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ।
- प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को बिना किसी भय के मानने की स्वतंत्रता रखता है।
- प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों का प्रचार कर सकता है। लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, एवं स्वास्थ के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- इसी प्रकार राज्य को यह अधिकार है कि हिन्दुओं से सम्बंधित धार्मिक संस्थाओ को हिन्दुओ के सभी वर्गों के लिए खोला जा सकता है।
- अनु. 25 में यह भी प्रावधान हैं कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का मुख्य अंग माना जाएगा।

अनु० 26 :- धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता

प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को यह अधिकार होगा कि

(a) धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्थाओ की स्थापना करे एवं उनका संचालन करे

(b) अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंध करें।

(c) जंगम/चल या स्थावर/अचल सम्पत्ती का अर्जन करें। और उस पर स्वामित्व स्थापित करे ।

(d) उपर्युक्त संपत्ती का विधी के अनुसार प्रबंधन करने का अधिकार ।

- अनु. 26 संबंधित अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और प्रचलित विधी के दायरे में आते हैं ।
- अनु. 25 जहा व्यक्तिगत अधिकार से सम्बंधित हैं । जबकि अनु. 26 समूह से सम्बंधित हैं ।

अनु. 27 – धर्म से सम्बंधित अथवा किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के सम्बन्ध में करो के संदाथ अथवा करो के देने की स्वतंत्रता

- इसमें प्रावधान हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के उद्देश्य से कर देने के लिए बाध्य नही किया जा सकता ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इसके सम्बन्ध में निर्णय दिया हैं कि राज्य कर की राशि को किसी एक धर्म या सप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए खर्च नही कर सकता ।

अनु० 28 :- शिक्षण संस्थाओ में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता:

निम्नलिखित प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में प्रावधान है कि-

अनु. 28 के अनुसार राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नही किया जा सकेगा ।

(5) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनु. 29 व 30):-

- **अनु० 29** में यह प्रावधान कि भारत के किसी क्षेत्र के किसी निवासी नागरिको अथवा इसके किसी भाग की जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है। तो उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।
- अनु. 29 धार्मिक अल्पसंख्यको से सम्बंधित नहीं है। यह भाषा लिपि अथवा संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यको की बात करता हैं । यह व्यवहारिक रूप में सभी धर्मो एवं सभी नागरिकों पर लागु होता हैं । लेकिन ऐसे नागरिकों को अधिकार नही देता, जो नागरिक तो हैं लेकिन निवासी नही हैं ।

अनु. 30 :- के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गो को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओ की संस्थापना तथा उनके प्रशासन् का अधिकार होगा । राज्य आर्थिक सहायता देने में एसी संस्थाओ के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नही करेगा ।

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है ।

सशस्त्र एवं बलों के मौलिक अधिकारो के सम्बन्ध में प्रावधान

संसद को यह अधिकार हैं कि भाग 3 के द्वारा प्राप्त अधिकारी को निम्नलिखित के लिए सीमित कर सकती हैं –

(i) सशस्त्र बलों के सदस्यों

(ii) लोक व्यवस्था बनाये रखने वाले सदस्यों

(iii) सूचना संगठनों के सदस्यों

उपर्युक्त के सम्बन्ध में इनको सहयोग देने वाले नाइ, मोची, मेकेनिक, ड्राईवर, बावर्ची आदि पर भी प्रतिबन्ध लागु होंगे । यदि ये उपर्युक्त को सेवा प्रदान करते हैं ।

मार्शल लॉ अथवा सैनिक शासन् के क्षेत्र में मौलिक अधिकार पर प्रतिबन्ध (अनु.34)

(1) **अधित्यजन का सिद्धांत** – इससे आशय हैं कि जिन नागरिकों अथवा व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं । वे मौलिक अधिकारों का त्याग नही कर सकते ।

उदा. अनु. 21 प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता हैं । लेकिन इससे यह आशय नही हैं कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का अधिकार रखता है ।

(2)**प्रथक्करेणीयता का सिद्धांत** – संसद अथवा राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई कोई विधि मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की सीमा तक ही शून्य होगी । अर्थात उस विधि के केवल उन प्रावधानों को ही शून्य माना जायेगा । जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हो ।

(3) **आच्छादन का सिद्धांत** – यह सिद्धांत तय करता हैं कि संविधान के लागु होने से पूर्व की कोई विधि यदि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं तो ऐसी विधि सक्रीय नही रहेगी । अर्थात विधि शून्य नही होगी । लेकिन उसका प्रभाव समाप्त हो जायेगा ।

इस मामले की सम्पूर्ण विधि प्रभावहीन नही होगी । विधि का केवल वह भाग ही प्रभावहीन होगा । जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता हैं ।

(4) **भावी प्रवर्तन का सिद्धांत** – इससे आशय हैं । व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा उस दिन या उसके बाद से प्राप्त होगी । जिस दिन से मौलिक अधिकार प्रभावी हुए ।

(5) **न्यायिक पुनरवलोकन का सिद्धांत**- केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया । इसमें व्यवस्था की गई कि संसद के द्वारा बनाई गई ऐसी कोई भी विधि जो मूल ढाचे का अतिक्रमण करती है । अथवा संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो तो सर्वोच्च न्यायालय को उस विधि को शून्य घोषित करने का अधिकार हैं ।

रिट के प्रकार

- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश
- प्रतिषेध
- उत्प्रेषण
- अधिकार पृच्छा

बंदी प्रत्यक्षीकरण

यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है । यह समझता है की उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है । इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है की वह बंदी बनाये गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अन्दर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाये जाने के कारणों पर विचार कर सके ।

यह रिट तब जारी नहीं की जा सकती जब

(i) हिरासत कानून सम्मत है।

(ii) कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो।

(iii) न्यायालय द्वारा हिरासत

(iv) हिरासत न्यायालय के न्यायक्षेत्र से बाहर हुई हो।

परमादेश

(अर्थ हम आदेश देते हैं।)

परमादेश का लेख उस समय जारी किए जाता है । जब कोई पधाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नही करता है इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पधाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है ।

प्रतिषेध

प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्थ - न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध हो जारी किये जा सकते हैं।

उत्प्रेषण

अर्थ (प्रमाणित होना था सूचना देना)

इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है की वे अपने पास लम्बित मुकद्दमो के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे ।

अधिकार पृच्छा

अर्थ (प्राधिकृत या वारेन्ट के द्वारा)

- इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार करने को रोकता है।
  - इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता।
  - अन्य चार रिटो से हटकर इसे भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा ।
  - इन रिटो को अंग्रेजी कानून से लिया गया है। जहाँ इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा गया है। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था।

अध्याय – 7
नीति निदेशक तत्व (DIRECTIVE PRINCIPLES)
भाग - 4 अनुच्छेद (36-51)

नीति निदेशक तत्वो का वर्गीकरण-

- सामान्य जनता को आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने वाले निदेशक तत्व
- सामान्य जनता को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने वाले निदेशक तत्व
- राजनीतिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी निदेशक तत्व
- अंतर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा सम्बन्धित नीति निदेशक तत्व
- **अनु. 36**-राज्य की परिभाषा/ राज्य को परिभाषित किया गया है ।
- अनु. 37-न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है किन्तु देश के शासन् में मूलभूत है, अतः नीति बनाते समय इन तत्वो को लागू करना राज्य का कर्तव्य है।
- अनु. 38- (i) राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने मे जिससे लोक कल्याण में वृद्धि हो सके।

(ii) राज्य आय की असमानता समाप्त करने का प्रयास करे तथा अवसर की असमानता समान करने की व्यवस्था ।

अनु०39 -

(a) स्त्री-पुरुष कर्म कारो को जीविकोपार्जन के साधन प्रदान करना।

नरेगा लागु – 2 Feb 2008

बेरोजगारी भत्ते का कोई उल्लेख नही है।

(b) समुदाय के भौतिक संसाधनो का स्वामित्व एवं नियंत्रण उस प्रकार से हो जिससे सर्वसाधारण का हित हो सके।

जमीदारी प्रथा का उन्मूलन -1951

(c) आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण एव संचालन इस प्रकार किया जाए जिससे धन एव उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो सके।

1969 में – 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण

(d) स्त्री-पुरुष कर्मकारों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना।

Que:- कौन से नीति निदेशक तत्व हैं जिन्हें मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है।

Ans:-अनुच्छेद 39(b), (c)

अनु० 39(A):- समान न्याय एव निशुल्क विधिक सहायता

अनु० 40 (A):- ग्राम पंचायतों का गठन –

- सामुदायिक विकास कार्यक्रम – 2 oct 1952 (असफल)
- राष्ट्रीय प्रसार सेवा – 2 Oct 1953 (असफल)
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के कारणों की जाँच करने के लिए बलवन्त राम मेहता समिति 1957 बनाया गया
- जनता को हर स्तर पर शामिल करने की धारणा ही सहभागीमुलक लोकतंत्र कहलाया।
- त्रिस्तरीय पंचायत का गठन
- जिला पंचायत
- खण्ड
- ग्राम
- **बलवन्त राय मेहता समिति (1952):-** सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा के असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति (ग्रामोधार समिति का गठन किया गया इसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता ने की। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू किया (i) जिला पंचायत (ii) खण्ड (iii) ग्राम
- मेहता समिति की सिफारिशो को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया
- इस समिति द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान की विधानसभा ने 2 Sep 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया।
- इस अधिनियम के प्रावधानो के आधार पर 2 oct 1959 राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उत्थान किया गया।

अशोक मेहता समिति (1977):- बलवंत राय मेहता समिति की कमियों को दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया।

- इस समिति में 13 सदस्य थे
- इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी जिसमें कुल 132 सिफारिश की गई थी।
- इस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को खत्म करने की सिफारिश की गई परन्तु इसे अपर्याप्त मानकर नामंजूर कर दिया गया।

डी.पी.वी.के. राव समिति (1885):-1885 में डा. पीबी के राव. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके उसे यह कार्य सोपा गया कि वह ग्रामीण विकास तथा गरीबी को दुर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करे।

पी के शुगल समिति (1988):- 1988 में पी. के शुगल समिति का गठन पंचायती संस्थाओ पर विचार करने के लिये किया गया।

- इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि पंचायती राज संस्थाओ को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए।
- पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भाग-9 व 11वी अनुसूचि में है तथा इसमें कुल 29 विषय है।
- जिन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नही की गई हैं।

(i) दिल्ली
(ii) जम्मू कश्मीर
(iii) मेघालय
(iv) मिजोरम
(v) नागालैण्ड

पंचायती राज व्यवस्था लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पर आधारित है ।

पंचायत व्यवस्था से सम्बंधित प्रावधान:

- पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होगी इसमें एक या एक से अधिक गाँव शामिल किये जा सकते हैं। ग्राम सभा कि शक्तियों के सम्बन्ध में राज्य विधानमन्डल द्वारा कानून बनाया जाएगा।
- जिन पंचायतों की जनसंख्या 20 लाख से कम उनमे दो स्तरीय पंचायत अर्थात-जिला स्तर व गाँव स्तर पर, का गठन किया जाएगा और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में पचायत की स्थापना की जाएगी।
- सभी स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओ द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष बाद किया जाता है जिला पंचायतो के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष ,गाँव स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व इसका अध्यक्ष प्रधान व सदस्य Ward member होता है तथा खण्ड का चुनाव अप्रत्यक्ष द्वारा होता है तथा इसका अगर Black Head कहलाता है तथा इसके सदस्य B.D.C होते हैं।
- सभी स्तर की पंचायतो का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा लेकिन इसका विघटन पाँच वर्ष से पहले भी किया जा सकता है किन्तु विघटन की दशा में 6 मास के अन्तर्गत चुनाव कराना आवश्यक होगा।

अनु० 243(घ) - स्थानों का आरक्षण

- SC/ST के लिए जनसंख्या अनुपात में 30% का आरक्षण प्राप्त होगा।

- SC/ST की महिलाओ को 30% का 1/3 तथा अन्य महिलाओ को शेष का 1/31% आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- OBCs को जितना विधानमण्डल निर्धारित करेगी उतना आरक्षण मिलेगा।

अनु० 243(ट)- पंचायतो के लिए निर्वाचन आयोग ।

अनु० 143(स)- वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन ।

अनु० 41 - कुछ दशाओ में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करना

अनु० 42- काम की न्यायोचित, मानवोचित दशा का होना तथा प्रसूति सहायता प्रदान करना।

अनु० 43 – कर्मकारों को जीवन निर्वाह (मजदूरी)

अनु० 43 (A) - 42वां सं. स. अधिनियम 1976-उधोगो के प्रबन्ध में मजदूरी की भागीदारी।

अनु० 44 - सभी नागरिको के लिए एक समान आचार संहिता

- 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना (अनु. 21(A) 86 वां 2002)

अनु० 46- अनुसुचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के दुर्बल वर्ग की शिक्षा प्रदान करना तथा उनके अर्थसम्बन्धी हितो का पक्षपोषण करना।

अनु० 47- पोषाहार स्तर, जीवन स्तर में वृद्धि करना तथा लोक व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास करना।

अनु० 48- कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक ढंग से एव वैज्ञानिक ढंग से विकास करना ।

- भारत का प्रथम अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय M.P. में
- उड़ीसा सर्वाधिक कुपोषणग्रस्त

अनु०48 (A) – 42वां सं. स. अ. 1976- पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना।

अनु०49 - प्राचीन महत्व के स्मारको वस्तुओं व स्थानों की रक्षा करना।

अनु०50 - लोकसेवा (कार्यपालिका) से न्यायपालिका को पृथक करना

अनु० 51-अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सुरक्षा की अभिवृद्ध का प्रयास करना आपसी विवादो का शान्तिपूर्ण समाधान करना।

मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्व में अन्तर:

- मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। जब कि निदेशक तत्व न्यायालय के द्वारा लागू कराया नहीं जा सकता अर्थात- यह अपरिवर्तनीय है।

मूल अधिकार अधिकांशत: नकारात्मक हैं जो राज्य को कुछ करने से।

- मना करता है जब कि निदेशक तत्व **अधिकांशित** सकारात्मक हैं जो राज्य को कुछ करने का निर्देश देता है।

- **मूल** अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता जैसे जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है जब की तत्वो का त्याग किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनु. 20 व 72 को रोककर मूल अधिकार को निलम्बित किया जा सकता है किन्तु निदेशक तत्वो को किसी भी दशा में निलम्बित नहीं किया जा सकता।
- मूल अधिकारी का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना जब कि निदेशक तत्वो का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रसस्थ करना है।

मूल कर्तव्य

- मूल भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों से सम्बंधित भाग को सम्मिलित नहीं किया गया था। 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नए भाग IV-A और इसके अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 51(a) जोड़ा गया । इसके द्वारा इस भाग में 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। 11वें मूल कर्तव्य को 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया । इन्हें नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया हैं ।
- इनकी प्रेरणा भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण की गयी । मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को विश्व के अन्य प्रमुख लोकतान्त्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाड़ा, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया आदि ने नहीं अपनाया गया हैं ।

स्वर्ण सिंह समिति :-

- देश में आपातकाल लागू किये जाने के तुरंत पश्चात् इंदिरा गांधी द्वारा सदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गयी । इस समिति का उद्देश्य अतीत के अनुभवों के आलोक में संविधान संशोधन से सम्बंधित प्रश्नों का अध्ययन करना और संशोधनों की सिफारिश करना था ।
- सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 जिसे "मिनी कॉन्सटीट्यूशन" भी कहा जाता हैं, को पारित किया

गया । इसके तहत, विभिन्न अनुच्छेदों और यहाँ तक की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया ।

- सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 मूल कर्तव्यों को जोडे जाने और इनक अनुपालन न किये जाने पर दंड़ के प्रावधान की सिफारिश की गयी थी ।

अध्याय – 8

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति पद अर्हताएँ अनुच्छेद 58

- भारत का नागरिक हो ।
- न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो ।
- वह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो ।
- वह की लाभ के पद पर कार्यरत न हो ।
- वह पागल या दिवालिया न हो

राष्ट्रपति का निर्वाचन

- भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से (आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है ।

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने वाले सदस्य –

- राज्य सभा, लोक सभा और राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं ।
- भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम 50 निर्वाचको द्वारा होता है ।
- भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है ।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नही होगा यदि वह विधान मण्डल में उच्च सदन का सदस्य हो ।

राज्यों की विधान सभायें राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नही लेता है ।

संसद अथवा विधान सभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परन्तु उस पर कुछ शर्ते होती है-

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोडनी पड़ती है ।

संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है ।

राष्ट्रपति की पदावधि (Term of Office)

- **अनु. 56** के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि, उसके पद धारण करने की तिथि से पांच वर्ष तक होती हैं ।
- संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पदमुक्त किया जा सकता हैं ।
- अनु. 61(1) के तहत, महाभियोग हेतु एकमात्र आधार 'संविधान का अतिक्रमण' उल्लिखित हैं ।

- यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन् अथवा किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति, नये राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति, का पद रिक्त हों, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (और यदि यह भी पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
- पद रिक्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना आवश्यक हैं। वर्तमान या भूतपूर्व राष्ट्रपति, संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।
- पद- धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकि अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के संम्मुख शपथ लेनी पड़ती है।

नोट- अनुच्छेद-77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका करवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई रखी जाएगी। और अनु. 77 (3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिए और मंत्रिओं में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।

राष्ट्रपति से सम्बंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद
अनु.52 : भारत का राष्ट्रपति
अनु.53 : संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनु.54 : राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल
अनु.55 : राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
अनु.56 : राष्ट्रपति की पदावधि
अनु.57 : पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
अनु.58 : राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ
अनु.59 : राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते
अनु.60 : राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनु.61 : राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनु.62 : राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
अनु.72 : क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
अनु.73 : संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

राष्ट्रपति निम्न दशाओं में पांच वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है।

- उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जायेगा जो इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को देगा। अनु. 56 (2)
- महाभियोग द्वारा हटाये जाने पर अनु 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो अनु. 61 (1) में उल्लेखित है वह है संविधान का अतिक्रमण।

राष्ट्रपति पर महाभियोग अनु. 61 :-

- महाभियोग संसद मे संपन्न होने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया हैं। राष्ट्रपति को 'संविधान का अतिक्रमण' करने पर उसके पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता हैं। हालाँकि संविधान, 'संविधान का अतिक्रमण' वाक्यांश के अर्थ को परिभाषित नहीं करता।
- राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता हैं। एक सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाए जाने पर दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा करवाएगा।
- राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। आरोप एक प्रस्थापना के रूप में होगा और प्रस्थापना संकल्प में हागी। संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होंगक। इस हेतु 14 दिनों की अग्रिम सूचना देना आवश्यक हैं। संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
- जब एक सदन द्वारा इस प्रकार आरोप लगाया जाता हैं तो दूसरे सदन द्वारा उसका अन्वेषण होगा। राष्ट्रपति को ऐसे अन्वेषण में उपस्थिति होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार होगा, अर्थात् राष्ट्रपति के प्रतिनिधित के रूप में कोई अधिवक्ता या अन्य व्यक्ति उपस्थिति हो सकता हैं। सदन अन्वेषण का काम किसी न्यायालय या अधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता हैं। यदि अन्वेषण के पश्चात् सदन दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर देता हैं कि आरोप सिद्ध हो गया है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके पारित किए
- जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसने पद से हटाना होगा।

- अमरीका में सीनेट को महाभियोग के विचारण का अधिकार है, कांग्रेस को नहीं । विचारण की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता हैं । हटाए जाने का संकल्प विचारण में उपस्थिति सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होता हैं
- चूँकि संविधान राष्ट्रपति को हटाने का आधार और तरीका प्रदान करता हैं, अतः अनुच्छेद 56 और 61 की शर्तों के अनुरूप महाभियोग के अतिरिक्त उसे और किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता हैं ।
- स्पष्टीकरण
- 'महाभियोग' इतना असाधरण शब्द है कि इसको गलत समझा जा सकता हैं । एक सामान्य गलत अवधारणा यह है कि इसे 'पद से जबरन हटाना' समझा जाता हैं ।
- 'महाभियोग' शब्द ब्रिटिश परम्परा से उत्पन्न हुआ हैं, जिसका अर्थ किसी सरकारी अधिकारी को बिना किसी सरकारी अनुबंध के तथा महाभियोग द्वारा दोषसिद्ध हो जाने पर उसके पद से हटाना हैं । भारत में, यह एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया हैं और केवल राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता हैं ।
- संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, महाभियोग में भाग ले सकते हैं ।

अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाचन अनु. 70

- जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनु.-70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबन्ध करता है । इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है । इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, 1969 ई. पारित किया । जो यह उपबंधित करता है की यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नही है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नही रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्टतम न्यायाधीश, जो उस समय उपलब्ध हो, राष्ट्रपति के कृत्यों को सम्पादित करेगा ।

राष्ट्रपति के वेतन भत्ते :-

- राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है ।
- राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है ।
- राष्ट्रपति को नि:शुल्क निवास-स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं ।
- राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नही की जा सकती हैं ।
- राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है ।

राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1 नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार :-

- भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है
- प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है ।
- सर्वोच्य न्यायालयों एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति ।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति ।
- राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति ।
- मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त ।
- भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ।
- राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अन्तर्राज्यीय परिसद के सदस्य ।
- संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों ।
- संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ।
- वित्त आयोग के सदस्यों ।
- भाषा आयोग के सदस्यों ।
- पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों ।
- अल्प संख्यक आयोग के सदस्यों ।
- भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों
- अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन् के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि ।

2 विधायी शक्तियां :- राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है । इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त होती है ।

- संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार प्राप्त है ।
- संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति ।
- लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति ।
- संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है ।
- संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है । (A) नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक । (B)**धन विधेयक अनु.110** (C)संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक

अनु.117 (3) (D)ऐसे काराधान पर, जिसमें राज्य-हित जुड़े हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयक (E) राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन लगाने वाले विधेयक **अनु.-304**

- यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है **अनु.108** के तहत ।

नोटः- किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नही **अनु.113**

3 संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकारः-

- जब राष्ट्रपति को यह लगे की लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नही है,तब वह समुदाय के दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है **अनु.331** के तहत ।
- इसी प्रकार वह कला, साहित्य पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में प्रयाप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्य सभा में नामजद कर सकता है **अनु.80 (3)** के तहत

4. अध्यादेश जारी करने की शक्ति :-

- संसद के स्थगन के समय **अनु. 123** के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है । जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है । इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के छह सप्ताह तक रहता है । परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नही जारी कर सकता , जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब, राष्ट्रपति को यह शक्ति नही होती है ।

5. सैनिक शक्ति :-

- सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है । किन्तु इसका वास्तविक प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है ।

6. राजनैतिक शक्ति :-

- दूसरे देशो के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है । राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है ।

7. क्षमादान की शक्ति :-

- संविधान के अनु.-72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराये गए किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है । क्षमा में दण्ड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है । तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है । लघुकरण में दण्ड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है । जैसे मृत्युदंडका लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तन करना । परिहार में दण्ड की प्रकृति में परिवर्तन किये बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है । जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना । प्रविलंबन में किसी दण्ड पर (विशेषकर मृत्युदंड)रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके । विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है । जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना ।

नोटः- जब क्षमा की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो, तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती ।

8. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां :-

- आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग -18 के **अनु.-352से 360** के अंतर्गत मिलता है । मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति तीन प्रकार के आपात लागू कर सकती है ।
- (A)- युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात **(अनु.-352)**
- (B)- राज्यों में संविधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात **अनु.-356 अर्थात राष्ट्रपति शासन् ।**
- **(C)**-वित्तीयआपात**अनु.-360** (न्यूनतम अवधि- दो माह)

9. राष्ट्रपति किसी सार्वजानिक महत्व के प्रशन पर उच्चतम न्यायालय से **अनुच्छेद 143** के अधीन परामर्श ले सकता है । लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नही है ।

10. राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने के निर्णय लेने की सीमा का आभाव होने के कारण राष्ट्रपति **जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है ।** क्योंकि **अनु.-111** केवल यह कहता है की यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है, तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किये जाने के बाद यथा शीघ्र लौटा देगा । **जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है, 1986 ई. में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय**

नही किया । तीन वर्ष पश्चात् 1989 ई. में अगले राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया ।

- भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों नियंत्रक –महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है ।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे । वे लगातार दो बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ।
- डॉ. एस. राधाकृष्णन लागातार दो बार उपराष्ट्रपति तथा एक बार राष्ट्रपति रहे ।
- केवल वी.वी. गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी ।
- केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हर गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ।
- भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं ।

भारत के राष्ट्रपति		
क्र.स.	नाम	कार्यकाल
1	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	26.01.1950 से 13.05.1962
2	डॉ.एस.राधाकृष्णन	13.05.1962 से 13.05.1967
3	डॉ.जाकिर हुसैन	13.05.1967 से 03.05.1969
4	वी. वी. गिरि	24.08.1969 से 24.08.1974
5	फखरुद्दीन अली अहमद	24.08.1974 से 11.02.1977
6	नीलम संजीव रेड्डी	25.07.1977 से 25.07.1982
7	ज्ञानी जेल सिंह	25.07.1982 से 25.07.1987
8	आर. वेंकटरमण	25.07.1987 से 25.07.1992
9	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	25.07.1992 से 25.07.1997
10	के. आर. नारायण	25.07.1997 से 25.07.2002
11	डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम	25.07.2002 से 25.07.2007
12	प्रतिभा पाटिल	25.07.2007 से 25.07.2012
13	प्रणव मुखर्जी	25.07.2012 से 25.07.2017
14	राम नाथ कोविंद	25.07.2017 से ---

वी.वी. गिरि 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ई. तक न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ई. तक एवं बी. डी.जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ई. तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे ।

उप राष्ट्रपति (अनुच्छेद-63)

- संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया ग्रहण किया गया है ।
- भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है । (अनु.-64 एवं अनु -89)
- उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सदस्य नही होता है । अत: इसे मतदान का अधिकार नही है किन्तु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है ।
- **योग्यता :-** कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा, जब वह –
- भारत का नागरिक हो ।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चूका हो ।
- राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो ।

- निर्वाचन के समय की लाभ के पद पर कार्यरत न हो ।
- वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नही हो सकता और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जायेगा की उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है ।

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल अनु.- 66

- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है । और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है ।
- उपराष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी का नाम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना आवश्यक है । साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा रुपये 15000 की जमानत राशी जमा करना आवश्यक होता है ।
- **नोट :-** संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचकगण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते है ।
- उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है ।

उपराष्ट्रपति की पदावधि अनु.- 67 :-

- उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा परन्तु
- (A) उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा । **(अनु.-67 क)**
- (B) उपराष्ट्रपति राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोक सभा सहमत है । किन्तु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नही किया जायेगा जब तक की उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दी गई हो । **(अनु.-67 ख)**
- **(C)** उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नही कर लेता है **अनु :-67 (ग)**
- उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है । निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किये गए कार्य अवैध नही होते है ।
- राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है **(अनु-65)** उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अवधि अधिकतम 6 महीने की होती है । इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है । राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों उन्मुक्तियों उपलब्धियों, भत्तो और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होता होगा ।
- **नोट:-**जिस किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्य सभा के सभापति के पद के कार्यों को नही करेगा और **अनु.-97** के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नही होगा ।

भारत के उप राष्ट्रपति		
क्र.स.	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ. एस. राधाकृष्णन	1952–1962
2.	डॉ. जाकिर हुसैन	1962-1967
3.	वी. वी. गिरि	1967-1969
4.	गोपाल स्वरूप पाठक	1969-1974
5.	बी. डी. जत्ती	1974-1979
6.	न्यायमूर्ति मो.हिदायतुल्ला	1979-1984
7.	आर. वेंकटरमण	1984-1987
8.	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	1987- 1992
9.	के. आर. नारायण	1992- 1997
10.	कृष्णकांत	1997- 2002
11.	भैरो सिंह शेखावत	2002- 10.08.2007
12.	हामिद अंसारी	11.08.2007- 11.08.2017
13.	एम. वेंकैया नायडू	11.08.2017---

उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉ. एस. राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे ।

अध्याय – 9

भारतीय संसद

संघीय विधानमंडल (संसद)

- भारतीय संविधान के अनु. 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे।
- राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसी प्रकार लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन कहते हैं।
- राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहने का कारण उसमें चुनकर आने वाले सदस्यों की तुलनात्मक योग्यता है।

लोकसभा

- प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था। लोकसभा के गठन के सम्बन्ध में संविधान के दो अनच्छेद, यथा 81 तथा 331 में प्रावधान किया गया है।
- लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन है । इसे 'लोकप्रिय सदन' भी कहा जाता है क्योंकि, इसके सभी सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ।
- लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं । लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाते हैं जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ।
- लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 से इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
- 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 सन् 2026 तक बनी रहेगी।
- परिसीमन अधिनियम 1952 के अनुसार त्रिसदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है ।
- लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक होती है।
- **लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक हैं:**

1. वह भारत का नागरिक हो ।
2. उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो ।
3. वह संघ सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो (सरकारी नौकरी में न हो)
4. वह पागल / दिवालिया न हो ।

- नवगठित लोकसभा अपने अध्यक्ष (स्पीकर) तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है । लोकसभा - अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, किन्तु अपने पद से वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है अथवा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है।
- 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नागरिक लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए वयस्क माना जाएगा।
- लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 मास से अधिक नहीं रह सकती।
- लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से पाँच वर्ष के लिए होता है।
- लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है।
- क्योंकि लोकसभा के दो बैठकों के बीच का समयान्तराल 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए।
- लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती है।
- आपात उद्घोषणा की समाप्ति के बाद 6 माह के अन्दर लोकसभा का सामान्य चुनाव कराकर उसका गठन आवश्यक है।

अधिवेशन

- लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए
- लोकसभा के पिछले अधिवेशन की अन्तिम बैठक की तिथि तथा आगामी अधिवेशन के प्रथम बैठक की तिथि के बीच 6 मास से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अन्तराल 6 माह से अधिक का तब हो सकता है, जब आगामी अधिवेशन के पहले ही लोकसभा का विघटन कर दिया जाए।
- अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा को आहुत
- करने, उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा का विघटन करने का अधिकार प्राप्त है।

विशेष अधिवेशन

- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को नामंजूर करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब बुलाया जा सकता है। जब लोकसभा के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में कम से कम 110 सदस्य राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाने के लिए लिखित सूचना दें या जब

अधिवेशन चल रहा हो, तब लोकसभा को इस आशय की लिखित सूचना दें। ऐसी लिखित सूचना अधिवेशन बुलाने की तिथि के 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है। ऐसी सूचना पर राष्ट्रपति या लोकसभाध्यक्ष अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य हैं।

लोकसभा अध्यक्ष - लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है और लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है -

- लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
- लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति निश्चित करता है।
- लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है।
- लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है।
- कार्यकारी अध्यक्ष जो लोकसभा में सबसे अधिक उम्र का सदस्य होता है।
- आगामी लोकसभा चुनाव के गठन के बाद उसके प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। लोकसभाध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है।
- लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।
- लोकसभाध्यक्ष का कार्य एवं शक्तियाँ लोकसभा के सम्बन्ध में काफ़ी अधिक है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है-

राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या

1. उत्तर प्रदेश	80
2. महाराष्ट्र	48
3. पश्चिम बंगाल	42
4. बिहार	40
5. तमिलनाडु	39
6. मध्य प्रदेश	29
7. कर्नाटक	28
8. गुजरात	26
9. राजस्थान	25
10. आंध्र प्रदेश	25
11. ओडिशा	21
12.केरल	20
13. तेलंगाना	17
14. असम	14
15. झारखण्ड	14
16. पंजाब	13
17. छत्तीसगढ़	11
18. हरियाणा	10
19. जम्मू / कश्मीर	6
20. उत्तराखण्ड	5
21. हिमाचल प्रदेश	4
22.आंध्रप्रदेश	2
23. गोवा	2
24. मणिपुर	2
25. मेघालय	2
26. त्रिपुरा	2
27. मिजोरम	1
28. नागालैंड	1
29. सिक्किम	1

केन्द्रशासित प्रदेशलोकसभा सदस्यों की संख्या

1. दिल्ली	7
2. अंडमान निकोबार	1
3.चण्डीगढ़	1
4. दादरा / नागर हवेली	1
5. दमन एवं दीव	1
6. लक्षद्वीप	1
7. पुदुचेरी	1

राज्यसभा -

- संसद के दो सदन हैं - लोक सभा और राज्यसभा । राज्यसभा संसद का उच्च और द्वितीय सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ।

- इसके सदस्य विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते है। यह एक स्थाई सदन है और कभी भंग नहीं होता, किन्तु इसके 1/3 सदस्य प्रति दो वर्ष के बाद स्थान खाली कर देते हैं, जिनकी पूर्ति नए सदस्यों से होती है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

  राज्यसभा में अधिक-से-अधिक 250 सदस्य हो सकते है। इनमें 238 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों से निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला सामजिक सेवा इत्यादि का विशेष ज्ञान होता है।

राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 में , राज्यों से 233 तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं।

राज्यों के प्रतिनिधि - सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है। राज्यों के प्रतिनिधि अपने राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्दति से तथा एकल संक्रमणीय मत विधि के अनुसार होता है।

भारत में राज्यसभा के गठन के विषय में एक ओर दक्षिण अफ्रीका की अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और दूसरी ओर आयरलैंड की मनोनयन प्रणाली को अपनाया गया है। राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की गई है।

राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएँ

1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए
2. उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो
3. भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद न ग्रहण करे
4. पागल या दिवालिया न हो

राज्यसभा के अधिकार और कार्य

- धन तथा वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सदन में जाते हैं।
- धन विधेयक राज्यसभा में केवल 14 दिन के लिए भेजा जाता है यदि राज्यसभा द्वारा इसे 14 दिन में पारित न किया जाए तो इसे स्वतः पारित मान लिया जाता है।
- वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा ही नहीं जाता है।
- यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत से जो भी निर्णय हो जाए, वही अंतिम निर्णय समझा जायेगा
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
- राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री नियुक्त हो सकते हैं।
- आपातकालीन उद्घोषणा का अनुमोदन लोक सभा के साथ-ही-साथ राज्यसभा द्वारा भी होना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति / उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग (Impeachment) लगाने का अधिकार लोक सभा के सामान राज्य सभा को भी है।

राज्यों में राज्य सभा सदस्यों की संख्या

1. उत्तर प्रदेश	31
2. महाराष्ट्र	19
3. तमिलनाडु	18
4. पश्चिम बंगाल	16
5. बिहार	16
6. कर्नाटक	12
7. मध्य प्रदेश	11
8. आंध्र प्रदेश	11
9. गुजरात	11
10.ओडिशा	10
11. राजस्थान	10
12.केरल	9
13. पंजाब	7
14. तेलंगाना	7
15.झारखण्ड	6
16.हरियाणा	5
17.छत्तीसगढ़	5
18.जम्मू-कश्मीर	4
19.हिमाचल प्रदेश	3
20.उत्तराखण्ड 3	
21. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3
22.असम	1
23.गोवा	1
24.मणिपुर	1
25.मेघालय	1
26.मिजोरम	1
27.नागालैंड	1
28.पुदुचेरी	29
29. सिक्किम	1
30.त्रिपुरा	1
31.अरुणाचल प्रदेश	1

संसद में नेता

लोकसभा का अध्यक्ष एवं अन्य (अनुच्छेद 93) 11वीं लोकसभा से सदन में ऐसी परंपरा बन गई है कि लोकसभा का अध्यक्ष सत्ताधारी दल से संबंधित अपना होता हैं और उपाध्यक्ष विपक्षी दल से संबंधित होता हैं	राज्यसभा का उप-सभापति एवं अन्य (अनुच्छेद 89) राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को त्यागपत्र सौंपता है।
उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के अध्यक्ष के बाद होता है।	राज्यसभा का सभापति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है।

- इनका निर्वाचन संबंधित सदन के सदस्यों में से किया जाता है और निर्वाचन की तिथि का निर्धारण अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है।
- इन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भते प्रदान किए जाते हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
- पद मुक्ति की प्रक्रिया अध्यक्ष एवं सभापति के ही समान होती है।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। (अनुच्छेद 108)।
- यदि इसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो यह स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है।

लोकसभा के सभापतियों/ राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका:

- इनका नामांकन अध्यक्ष/ सभापति द्वारा किया जाता है।
- इसमें 10 से अधिक सदस्य शामिल नहीं होते हैं।
- इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का पीठासीन अधिकारी हो सकता है।
- जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो सभापति द्वारा निर्धारित तानिका के सदस्य द्वारा सदन की अध्यक्षता नहीं की जा सकती है। इस समय राष्ट्रपति द्वारा सदन के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है।
- इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है और यह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं ।

सदन का नेता : सदन के नियमों के अंतर्गत (अर्थात लोकसभा या राज्यसभा) (संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है), सदन के नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री (जिसका वह सदस्य है)है,या प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो सदन का सदस्य हो (अर्थात लोकसभा और राज्यसभा) ।

विपक्ष का नेता : संसदीय नियमों के अनुसार (संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है) सदन की ऐसी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जिसके सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम दसवें हिस्से के बराबर हो उसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिलती है। उसे कैबिनेट मंत्री के सुविधाए प्रदान की जाती हैं। सबसे पहली बार 1969 में विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई थी। 1977 में इसे सांविधिक मान्यता प्राप्त हुई। आईवर जेनिंग ने इसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री की संज्ञा दी है।

- 1952, 63, 73, 2003. में परिसीमन किया जा चुका है।
- 2026 तक राज्य वार लोकसभा सीटों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी ।
- वर्तमान में तेलंगाना की "मलकांन गिरी" सर्वाधिक मतदाताओं वाली लोकसभा सीट है।
- लक्षद्वीप में न्यूनतम मतदाता हैं।

राज्यसभा	लोकसभा
(1) "अनुच्छेद 19 के अनुसार राज्यसभा को नयी "अखिल भारतीय योजना के गठन का अधिकार है।	मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
(2) अनुच्छेद 249 के अनुसार 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीयता महत्वता घोषित कर सकती हैं इस स्थिति में उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल सकता है	धन विधेयक, वित्त विधेयक लोकसभा में पुनः गठित के अनुसार किये जाते हैं।

संयुक्त बैठक अनुच्छेद- 108

- कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब दोनों सदनो द्वारा पारित कर दिया जाए।
- " किसी भी विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है। (धन विधेयक को छोड़कर)

- यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित करने के बाद दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जायें अथवा 6 माह तक रोक लिया जाये तो इस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलायी जा सकती हैं। संयुक्त बैठक में वह विधेयक साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता हैं।
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती हैं। उसकी अनुपस्थिती में लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति अथवा किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जा सकती हैं। परन्तु उपराष्ट्रपति किसी भी स्थिति में इसकी अध्यक्षता नहीं करता

संसदो की निरर्हता

- अनुच्छेद- 102 में संसदों की निरर्हता का उल्लेख हैं । इस सन्दर्भ में कोई भी मुकदमा सबसे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता हैं।
- अनुच्छेद- 103 में संसदो की निरर्हता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता हैं।
- अनुच्छेद- 101 यदि कोई सदस्य लगातार 60 बैठकों से अनुपस्थिति रहता हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती हैं।
- सुब्रमन्यम स्वामी की सदस्यता आपातकाल इसी के तहत समाप्त की गयी थी।
- 1954 में H.G. बुड्गतल ने रिश्वत लेने के आधार पर लोकसभा से इस्तीफा लिया था ।
- ऑपरेशन चक्रव्यूह व ऑपरेशन दुर्योधन के दौरान भी लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।

सांसदों के विशेषाधिकार (Act-105)

अनुच्छेद - 105 के तहत सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं । सांसदों को संसद में या उसकी बैठकों में अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता दी गयी हैं। संसद तथा संसदीय बैठकों में कही गई कोई बात पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता हैं।

- सत्र के 40 दिन पूर्व या 40 दिन पश्चात् दीवानी मसलो पर सांसदों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ।
- सत्र के दौरान आपराधिक मसलो में भी स्पीकर की अनुमति के बगैर सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ।

कोरम – किसी भी सदन की बैठक उस स्थिति में संचालित अनु. 100 (iii) की जा सकती हैं, जब सदन की कुल संदस्य संख्या का 10% उपस्थित हों। यही कोरम हैं।

विपक्ष का नेता

प्रत्येक सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल को जिसे कम से कम 10% सीटे प्राप्त हों, विपक्ष का नेता घोषित किया जाता हैं ।

- 1977 से विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था ।
- 1966 में सर्वप्रथम संगठन कांग्रेस के राम सुमद्र सिंह को विपक्ष का नेता घोषित किया था।
- 1977 में लोकसभा में y-B-Chavan तथा राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी को विपक्ष का नेता घोषित किया गया।

संचेतक/Whip- प्रत्येक दल, सम्बन्धित सदन में अपने दो पदाधिकारी की घोषणा करता हैं

(1) संसदीय दल का नेता

(2) संचेतक (Whip)

- संचेतक का मुख्य कार्य अपने दल में अनुशासन् बनाये रखना हैं। दल-बदल विरोधी कानून उसी निर्देशो पर आधारित होती हैं।
- संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अवकाश हो सकता हैं।
- संसद की वर्ष में 90 दिन बैठक होनी चाहिए ।

[संसद की कार्यवाही]

संसद का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना हैं। संसद की कार्यवाही को 3 भागों में बाटा जा सकता हैं।

(1) प्रश्नकाल – (11-12 बजे)

(2) शून्यकाल (12-1 बजे)

(3) मुख्य कार्यवाही (2-6 बजे)

(1) प्रश्नकाल – प्रश्नकाल 11 से 12 बजे के मध्य आयोजित किया जाता हैं । इसमें सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 10-20 दिन के मध्य दिया जाता हैं।

प्रश्न दो प्रकार के होते हैं।

i. तारांकित प्रश्न

ii. अतारांकित प्रश्न

i. तारांकित प्रश्न - तारांकित प्रश्नो के उत्तर मोखिक रूप में भी दिया जाता हैं । तारांकित प्रश्नो के साथ पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं ।

1 दिन में 1 सदस्य ऐसा 1 प्रश्न ही पूछ सकता हैं ।

तारांकित प्रश्नो की 1 दिन में अधिकतम संख्या 20 होती हैं।

ii. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न के उत्तर सिर्फ लिखित रूप में दिए जाते हैं ।

एक सदस्य एक दिन में ऐसे 5 प्रश्न पूछ सकता हैं, ऐसे प्रश्नो के एक दिन में अधिकतम संख्या 230 होती हैं ।

प्रश्नकाल के द्वारा प्रशासन् पर संसद का नियंत्रण बना रहता हैं ।

(2) शून्यकाल यह संसदीय व्यवस्था को भारत की देन हैं 1963 से इसे प्रारम्भ किया गया। इसमें महत्वपूर्ण विषयों पर सांसदों द्वारा विचार व्यक्त किया जाता हैं।

(3) मुख्य : कार्यवाही :- मुख्य:कार्यवाही में विधेयकों पर विचार किया जाता है। संसद की कार्यवाही संचालित करने के लिये, कोरम का पूरा होना आवश्यक हैं। किसी सदन के कुल सदस्यों की 10% (1/10) भाग उपस्थिति ही कोरम कहलाती है।

- भारत में विधेयकों को मंत्रियों द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता हैं, जो विधेयक सांसदो द्वारा प्रस्तुत किया जाता हैं । निजी विधेयक कहा जाता हैं ।
- कोई भी विधेयक प्रत्येक सदन में तीन वाचनो से गुजरता हैं।

(1) प्रथम वाचन- इसमें सदन की अनुमति से मंत्री द्वारा बिल प्रस्तुत किया जाता है।

(2) द्वितीय वाचक - इसमें विधेयक पर विस्तृत विचार-विमर्श होता हैं । प्रत्येक बिन्दु पर बहस एवं मतदान कराया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर विधेयक प्रबड़ या संयुक्त संसदीय समिती को सौंपा जा सकता हैं ।

प्रबड़ समिति में स्पीकर चेयरमैन द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं -

संयुक्त संसदीय समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं ।

कभी-कभी विधेयक को जनमत संग्रह के लिए भेज दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर गिलोटिन व कंगारू सत्र का प्रयोग किया जाता है।

गिलोटिन- इसके तहत किसी विधेयक पर मतदान का समय पहले ही तय कर लिया जाता हैं तथा समय समाप्त होते ही मतदान करा लिया जाता हैं। भले ही बहस अधूरी हो।

कंगारू सत्र- इसके तहत किसी विधेयक के महत्वपूर्ण हिस्सों पर ही बहस एवं मतदान कराया जाता है ।

Ø यदि कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित हैं, परन्तु राज्यसभा में विचारधीन हैं, तथा राज्यसभा भंग हो गयी हों, तो विधेयक व्यपगत (समाप्त) हो जाता है

Ø यदि बिल राज्य सभा में विचारधीन हो, राज्यसभा द्वारा पारित होकर लोकसभा में विचारधीन हो तथा लोकसभा भंग हो जाती हैं। तो विधेयक व्यपगत नहीं होता।

Ø यदि विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये भेज दिया गया हैं, तथा इन दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हैं, तथा लोकसभा भंग हो जाती हैं। तो विधेयक व्यपगत नहीं होता।

Ø यदि विधेयक दोनों सदनों में मतभेद हों, परन्तु संयुक्त बैठक बुला ली गयी हो तो विधेयक व्यपगत नहीं होता, भले ही लोकसभा भंग हो जाये

संसद में प्रस्तुत होने वाले प्रमुख प्रस्ताव

- अनुच्छेद 75 (iii) के अनुसार विश्वास-मत का जन्म हुआ। इस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा में रखा जाता है।

अब तक 3 प्रधानमंत्री विश्वास मत हासिल न करने के आधार पर अपदस्थ हो चुके हैं।

(i) V-P Singh (1990)

(ii) HD देवगौड़ा (1997)

(ii) अटल बिहारी बाजपेयी (1997)

- सर्वप्रथम चरण सिंह (1979) को विश्वास मत साबित करने की कहा गया।
- इसके पूर्व राष्ट्रपति को अभिभाषण प्रस्ताव को ही विश्वास मत मान लिया जाता है।

अविश्वास प्रस्ताव - "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (iii) के आधार पर इसका जन्म हुआ । यह विपक्ष (विरोधी पार्टी) द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता हैं।

विपक्ष, इसके लिए कुल सदस्यो का कम से कम 10% प्रस्ताव रखते हैं ।

अविश्वास प्रस्ताव 19 दिन के नोटिस पर ही प्रस्तुत किया जा सकता हैं ।

- 1963 में पहला अविश्वास प्रस्ताव JB-कृपलानी द्वारा रखा गया था ।
- अब तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित नही किया जा सका ।
- विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव के मध्य कम से कम 6 माह का अन्तर जरूर होना चाहिए।

निन्दा- प्रस्ताव –

निंदा प्रस्ताव भी अनुच्छेद 75 (iii) से प्रेरित हैं, यह विपक्ष द्वारा लोकसभा में रखा जाता हैं, किसी एक मंत्री के निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सम्पूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता हैं ।

ध्यान- आकर्षण प्रस्ताव -

यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसके तहत किसी विशेष मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता हैं ।

कामरोको प्रस्ताव

"इस प्रस्ताव के मध्य चल रही कार्यवाही को रोककर किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाती है, यह दोनों सदनों में लाया जा सकता हैं ।

विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव -

- जब मंत्री द्वारा किसी तथ्य को छिपाया अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता हैं।
- विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जा सकता हैं ।

संसदीय समितियाँ

संसद में दो प्रकार की समितियाँ अस्तित्व में होती हैं।

1. तदर्थ समिति
2. स्थायी समिति

1. तदर्थ समितियाँ किसी विशेष मुद्दे पर बनामी जाती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं।
   (1) प्रबड समिति के सदस्य स्पीकर द्वारा चुने जाते हैं।
   (2) संयुक्त संसदीय समिति में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं ।

स्थायी समितियाँ वर्ष भर अस्तित्व में रहती है। जिन में दो समितियाँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

(1) लोक लेखा समिति

(2) अनुमान समित

(1) लोक लेखा समिति -

- इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं।
- 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से
- इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता हैं (30 अप्रैल से 31 मई)
- इसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई वरिष्ठ नेता होता हैं To April to 1 margd
- इस समिति का मुख्य कार्य C.A.G. 'रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक लेखको की जाँच करना होता हैं। समिति का कोरम 1/3 सदस्यों से पूरा होता हैं

(2) अनुमान समिति **|** आकलन / प्राकलन समिति

- यह लोकसभा की समिति हैं।
- इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं।
- इस समिति का कार्य बचते के उपाय सुझाना हैं।
- इसका अध्यक्ष सत्तादल का वरिष्ठ नेता होता हैं।
- समिति का कार्यकाल 1 मई से 30 अप्रैल (1 साल) का होता हैं ।
- कोरम 1/3 सदस्यों से पूरा होता है ।
- इसे अधिकारियो की मित्र- समिति भी कहते हैं ।

सार्वजनिक उपक्रम समिति

- "इसमें सदस्यों की कुल संख्या 15 होती है। 10 लोकसभा व 5 राज्यसभा से
- यह समिति व सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में सुधार के सुझाव देती हैं।

कार्य मन्त्रणा समिति

- संसद के दोनों सदनों की अपनी – अपनी कार्य-मंत्रणा समितिया होती हैं । जिनका अध्यक्ष स्पीकर/चेयरमैन होता हैं ।
- इस समिति में 10- सदस्य होते हैं, प्रमुख दलों के संसदीय दल के नेता होते हैं, इस समिति का मुख्य दायित्व सदन की कार्य-सूची का निर्धारण करना होता हैं।

Lame Duck -

यह अमेरिकी (U.S.A) अवधारणा हैं, इस अवधारणा के तहत संसद की बैठक में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अमेरिका में कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही संसदीय चुनाव करा लिया जाता हैं। जबकि जिन सदस्यों का कार्यकाल शेष हैं, उनकी आखरी बैठक इसके बाद होती है। इस बैठक में कामचलाऊ मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। यहीं Lame Duck Session हैं ।

बजट - वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद-112)

भूमिका

संचित निधि (अनुच्छेद - 266)

- संचित निधि केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा गठित की जाती हैं।
- सरकार को प्राप्त समस्त आय (राजस्व, उधार) इस निधि का हिस्सा होती हैं।
- संसद (विधायिका) के अनुमति के बगैर इस निधि से धन व्यय नहीं किया जा सकता ।

आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद - 267)

- आकस्मिक निधि का गठन (अनुच्छेद -267) के तहत किया जाता हैं।
- इस निधि का प्रयोग आपदा राहत के लिये किया जाता हैं ।

- यह निधि राष्ट्रपति/राज्यपाल के नाम से रखी जाती हैं।
- व्यय के बाद विधायिका की अनुमति प्राप्त कर ली जाती हैं।
- बजट वास्तव में सरकार द्वारा संसद से की गयी धन की मांग हैं।
- सर्वप्रथम 1733 में रॉबर्ट वॉलपोल ने पहला बजट प्रस्तुत किया।
- भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 में जेम्स-विलसन् द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- 1921 में एक्टवर्म कमेटी का गठन हुआ ।
- जिसकी सिफारिशों के आधार पर रेल-बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। (1924-25)
- आजादी के बाद पहला बजट आर. के. षड्मुखम् चेट्टी (26 Nov 1947) द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- सर्वाधिक (8+2) बजट मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किये गये। बजट 1 वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता हैं (1 April- 31 manch)
- 1967 के पूर्व वित्त वर्ष 1 मई से आरम्भ होता था ।
- 1999 से बजट दिन में (11.00 क्लॉक) प्रस्तुत किया जा रहा हैं ।
- H.I. बहुगुणा तथा के.सी. नियोगी, डॉ. मनमोहन सिंह वित्त मन्त्री होने के बावजूद बजट प्रस्तुत नहीं कर पाये।
- बजट वित्त-मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता हैं। बजट फरवरी के अन्तिम दिन प्रस्तुत किया जाता हैं।

बजट का प्रस्तुतीकरण

- "बजट निर्माण की तैयारी (August - September) से ही प्रारंभ हो जाता हैं ।
- फरवरी के अन्तिम कार्य दिवस को वित्तमंत्री द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता हैं ।
- तत्पश्चात मंत्री द्वारा स्वम अपने विभागों की अनुमान माँगे प्रस्तुत की जाती हैं।
- अनुदान मांगो पर बहस व मतदान के लिये 26 दिन का समय निर्धारित किया जाता हैं, विपक्ष अनुदान मांगों के विरुद्ध कटौती- प्रस्ताव ला सकता हैं ।

यह कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं ।

(1) सांकेतिक कटौती प्रस्ताव
(2) नीतिगत कटौती प्रस्ताव
(3) मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव

(1) सांकेतिक कटौती प्रस्ताव - इसके तहत किसी अनुदान-मांग से 100 रु. घटाने का प्रस्ताव रखा जाता हैं।

(2) नीतिगत कटौती प्रस्ताव - इसके तहत किसी अनुदान मांग को घटाकर 1 रु. करने का प्रस्ताव रखा जाता हैं ।

(3) मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव - इसके तहत किसी अनुदान माँग से निश्चित धनराशि घटाने का प्रस्ताव रखा रखा जाता हैं ।

"कटौती प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता हैं।

धन-विधेयक (अनुच्छेद- 110)

धन विधेयक पारित होने पर सरकार को धन एकत्र करने की अनुमति मिलती हैं ।

- धन विधेयक में 6 बिन्दु होते हैं - कर की दर बढ़ाया, घटाना, संचित निधि से धन निकालना या जमा करना, संचित निधि का लेखा एवं लेखा परीक्षण ।
- धन विधेयक पर लोकसभा का विशेषाधिकार होता है, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती हैं। यदि किसी विधेयक में उपरोक्त 6 बातों के अतिरिक्त कुछ और भी होता है, तो उसे वित्त विधेयक कहा जाता है वित्त विधेयक पर राज्य सभा का समान अधिकार होता है।
- विनियोग विधेयक - विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती हैं।

- अनुपूरक माँगे - यह माँगे वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व संसद में रखी जाती है।

  (ii) अतिरिक्त मांगे - यह माँगे वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद संसद में रखी जाती है।

  (iii) अपवाद माँगे - यह माँगे विशेष प्रयोजन के लिये संसद में रखी जाती हैं।

अध्याय – 10
प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

- संविधान के **अनु. 74** के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन व सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है ।
- संविधान के **अनु-75** के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा । मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नही होगी (91 वां संविधान संशोधन अधिनियम -2003)
- **अनु.-75** (2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे और **अनु.-75 (3)** के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।
- पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है । (अनु.-75 (4))।
- मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है की व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नही हो तो उसे 6 माह के अन्दर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है । नही तो उसे अपना पद छोड़ना होगा । **अनु-75 (5)**
- यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करें अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है ।
- **मंत्री तीन प्रकार के होते है-**
- **कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री**
- कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं ।
- प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है ।
- प्रधान मंत्री लोकसभा का नेता होता है । वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है । वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है ।
- प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है ।
- प्रधानमंत्री निति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय एकता परिषद अन्तर्राज्जीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है ।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रेपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है **(अनु- 78)**
- **प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों, जैसे –**
- भारत के महान्यायवादी,
- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
- संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों
- चुनाव आयुक्तों
- वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है ।
- प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है । वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है । तथा अपने पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है ।
- **नोटः**-प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नही कर सकते ।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 11

उच्चतम न्यायालय

भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया गया है। न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की होती है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय माध्यमिक स्तर पर उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर जिला अदालत अदालत होती है।

- 1793 में कार्नवालिस के शासनकाल में निचली अदालतों का गठन किया गया।
- 1861 में इंडियन काउंसलिंग एक्ट के अनुसार पहली तीन उच्च न्यायालय का गठन किया गया।
- 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट का गठन किया गया। यही वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है। इन अदालतों की दंड प्रणाली एवं कार्य प्रणाली ब्रिटिश काल में ही निर्मित हो गई थी
- 1860 में आईपीसी इंडियन पैनल कोर्ट का गठन हुआ। 1862 में से लागू कर दिया गया।
- 1908 में सिविल प्रोसेशन कोर्ट अस्तित्व में है।
- 1973 में क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेशन कोर्ट अस्तित्व में आई।
- भारत में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। (सर्वोच्च न्यायालय)
- सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है।
- भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति सांसद की है।
- भारतीय न्यायपालिका को स्थिति U.S.A. एवं U.K. के मध्य में है।
- U.S.A. में न्याय सर्वोच्चता की स्थिति है।
- फेडरल कोर्ट संसद से अधिक शक्तिशाली है।
- U.K. में संसदीय संप्रभुता की स्थिति है। संसद, न्यायपालिका की स्थिति में श्रेष्ठ है। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्याय व्यवस्था के मध्य की स्थिति को अपनाया गया।
- संविधान के दायरे में दोनों ही शक्तिशाली है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (आर्टिकल –124)

- 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, परंतु वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट 1935 के फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में है।
- मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीश है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। परंतु 1993 से ही सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम निर्णायक भूमिका निभा रहा है।
- इस कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के साथ चार वरिष्ठतम न्यायाधीश है।
- राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है तथा यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकते।
- [जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश (मेंडमस) कहते हैं।]

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता (योग्यता)

- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।
- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।
- राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता रहा हो।
- H. J. Kania सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
- K. N. Singh मात्र 18 दिन तक ही मुख्य न्यायाधीश रहे।
- राजेंद्र बाबू मात्र 23 दिन तक ही मुख्य न्यायाधीश रहे।
- Y. V. Chandchurn भारत के सबसे अधिक समय तक सीजीआई थे।
- 1973 में ए. एन. राय को वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करते हुए सीजेआई बनाया गया।
- फातिमा बीवी पहली महिला न्यायाधीश थी। (सुप्रीम कोर्ट)
- अन्य महिला न्यायाधीश है - सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान - सुधा – मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई।
- अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहीयों की जांच ना किया जाना, का प्रावधान है।

- [महान्यायवादी, इसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन वोट डालने का नहीं।]
- [महान्यायवादी, जो संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है।]

- [महान्यायवादी को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।]

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और कार्यकाल के बीच से केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है।
- तदाचार एवं शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता के आधार पर भी हटाया जा सकता है।
- किसी भी सदन द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। परंतु इसके लिए लोकसभा के कम से कम 100 अथवा राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा लिखित प्रस्ताव देना होता है। इस प्रस्ताव के बाद संबंधित सदन में सभापति के सदस्यों द्वारा 3 सदस्यी समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा एक विधिवेत्ता (कानून विशेषज्ञ) शामिल होता है। समिति की रिपोर्ट के बाद सभापति द्वारा एक सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव रखा जाता है।
- यह प्रस्ताव एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। इस प्रस्ताव को प्रत्येक सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित करता है। दूसरे सदन के न्यायाधीशों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर न्यायाधीश को पद मुक्त कर दिया जाता है। अभी तक हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों के प्रति यह प्रस्ताव लाया जा चुका है, परंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।

1. 90 के दशक में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश सी वी रामास्वामी के विरुद्ध प्रस्ताव लोक सभा में गिर गया था।
2. हाई कोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ प्रस्ताव राज्य सभा ने पारित कर दिया व उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।
3. हाई कोर्ट के ही न्यायाधीश S. Dinkaran ने समिति की रिपोर्ट आने के बाद त्याग पत्र दे दिया।

- राष्ट्रपति की सहमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

- सुप्रीम कोर्ट अपील की सबसे बड़ी अदालत है।
- हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, परंतु इसके लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।
- कोर्ट मार्शल वालों अदालतों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती।
- **प्रारंभिक अपील** - निम्न स्थितियों में पहली अपील सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है।

I. मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले। (आर्टिकल - 266)
II. यदि किसी मुकदमे में एक पक्ष भारत सरकार का हो।
III. जब दो राज्यों के मध्य विवाद हो।
IV. राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में।

राष्ट्रपति का सलाहकार

- सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 138 व 143 के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक सलाह प्रदान करता है।

[आर्टिकल 138 के तहत दी गई सलाह एक बाध्यकारी होती है, तथा आर्टिकल 143 के तहत दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होती।]

अध्याय – 12
राज्य कार्यपालिका
राज्यपाल

- संविधान के भाग-6 में राज्य शासन् के लिए प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य में एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के संघीय मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है लेकिन सातवें संशोधन (1956) के अनुसार एक ही राज्यपाल को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल की योग्यता - राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएँ होना अनिवार्य है-

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) । वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो । (3) किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। (4) वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ।

- राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परन्तु यह राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करता है।
- राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। ।
- अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की सभी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती हैं।

राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार

(1) वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।

(2) राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती है।

(3) जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।

(4) राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात् उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाही करने से पहले उसे दो मास पूर्व सूचना देनी पड़ती हैं।

राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य

कार्यपालिका संबंधी कार्य

(अ) अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम के किए जाते हैं।

(ब) राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।

(स) राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों, जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।

(द) राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन् के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करें।

(य) जब राज्य का प्रशासन् संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन् की सिफारिश करता है।

(र) राष्ट्रपति शासन् के समय राज्यपाल केन्द्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन् चलाता है। (ल) राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है।

विधायी अधिकार

(अ) राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग है।

(ब) राज्यपाल विधान मंडल का सत्राहान करता है, उसका सत्रावसान करता है, तथा उसका विघटन करता है, राज्यपाल विधान सभा के अधिवेशन अथवा । दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। (स) वह राज्य विधान परिषद् की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज-सेवा, सहकारी । आन्दोलन आदि से रहता है।

(द) राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है।

(य) राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है।

(र) यदि विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है, तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को । विधान सभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है।

(ल) अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल जब विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे वही स्थान प्राप्त

है, जो विधान मंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम हैं। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधान मंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है, तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है।

वित्तीय अधिकार

(अ) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्तमंत्री को विधान मंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है।

(ब) विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है।

(स) ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, उस समय तक विधान मंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता हैं जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे।

(द) राज्यपाल की संस्तति के बिना अनुदान की किसी माँग को विधान मंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता।

(य) राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधान मंडल के पास भेज सकता है, परन्तु राज्य विधान मंडल द्वारा इसे दुबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है।

न्यायिक अधिकार

अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष, किसी व्यक्ति को दण्ड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने या । लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये गए किसी व्यक्ति के दंड को, क्षमा, उसका प्रविलबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है।

उपराज्यपाल-दिल्ली, दमन तथा दीव, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासक-दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप।

अध्याय – 13
मुख्यमंत्री, राज्य महाधिवक्ता, राज्य विधानमण्डल

मुख्यमंत्री

राज्य क मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा (अनुच्छेद 164)।

योग्यताएँ

मुख्यमंत्री बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए

- वह भारत का नागरिक हो।
- 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- विधानमण्डल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो।
- इसके अतिरिक्त एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधान-मण्डल का सदस्य नहीं भी हो, छः माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा।

अवधि

मुख्यमंत्री की अवधि निश्चित नहीं है, उसका कार्यकाल विधानसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। राज्यपाल ने अपने विवेकाधिकार के दुरुपयोग के आधार पर अनेक बार बहुमत होने के बावजूद मुख्यमंत्री को पदच्युत किया है, जिसका न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में आलोचना की है। उदाहरण क लिए; वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भण्डारा बारा कल्याण सिंह को अपदस्थ कर जगदम्बिका पाल नियुक्ति किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध माना।

मुख्यमंत्री के कार्य

मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान होता है। राज्य के प्रशासन् का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर हो। उसकी महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ अग्र प्रकार है ।

1. **मंत्रिपरिषद का निर्माण** :- मंत्रिपरिषद केमंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राजा द्वारा की जाती है। यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का ही कार्य है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री, किसको राज्यमंत्री तथा किसको उप-मंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद् का विस्तार करने का भी अधिकारी है।

2. **विभागों का विभाजन** :- संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री विभागों का विभाजन करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि जो संविधान द्वारा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है किंतु व्यवहार में वह सदस्यों की योग्यताओ और राजनीतिक महत्त्व को दृष्टि में रखकर ही विभागों का बँटवारा करता है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है।

3. **मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन** :- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन भी कर सकता है। यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की नीति से सहमत नहीं है तो मुख्यमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है और यदि मंत्री त्यागपत्र देने से इंकार करता है तो मुख्यमंत्री उसे अपदस्थ करवा सकता है।

4. मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद्का अध्यक्ष होता है। वह मंत्रिपरिषद् के अधिवेशनो की अध्यक्षता करता है, अधिवेशनों की तिथि तय करना तथा उसके लिए कार्य सूची बनाना भी मुख्यमंत्री का ही अधिकार है।

5. **राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के मध्य कड़ी** :- मंत्रिपरिषद् के निर्णयों की राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है (अनुच्छेद 167)। यदि राज्यपाल को किसी प्रशासकीय विभाग के प्रति कोई सूचना प्राप्त करनी है तो वह केवल मुख्यमंत्री के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। अतः मुख्यमंत्री दोनों के बीच कड़ी का कार्य करता है।

6. **राज्य विधानमंडल का नेता** :- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् का ही नहीं बल्कि राज्य विधानमण्डल का भी नेता माना जाता है। मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण विधानमंडल उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता। विधानमंडल में महत्त्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष के साथ मिलकर विधानसभा का कार्यक्रम निश्चित करता है विधानसभा को स्थगित और भग किये जाने का निर्णय भी मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है।

7. **राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता** :- मुख्यमंत्री राज्यपाल को शासन् संबंधी प्रत्येक मामले में परामर्श देता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल उस समय मुख्यमंत्री का परामर्श नहीं लेता जब वह केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अन्य स्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करता है।

8. **नियुक्तियाँ** :- राज्य में सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। अतः मुख्यमंत्री ही राज्य का वास्तविक शासक होता है।

राज्य महाधिवक्ता

- राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा (अनुच्छेद 165)।
- महाधिवक्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि सम्बन्धी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे, जो राज्यपाल समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे, जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों।
- उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो राज्यपाल निर्धारित करे।
- राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा (Legislative Assembly) में या विधानपरिषद् वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा (अनुच्छेद 177)।

राज्य विधानमण्डल

- संरचना संविधान के अनुच्छेद 168 (अध्याय-III) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है।
- इसी अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान-मंडल में राज्यपाल के अतिरिक्त विधानमंडल के एक या दोनों सदन शामिल हैं।
- वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्वि-सदनीय विधानमंडल और शेष राज्यों में एकसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है।
- जम्मू-कश्मीर राज्य में भी विधान परिषद् है परंतु इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा नहीं, जम्मू-कश्मीर राज्य के अपने संविधान द्वारा की गई है।
- जिन राज्यों में दो सदन हैं वहाँ एक को विधानसभा तथा दूसरे को विधान परिषद् कहते हैं। जिन राज्यों में एक सदन हे उसका नाम विधानसभा है।

राज्य व्यवस्थापिका की भूमिका -

राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य व्यवस्थापिका (State Legislature) की केन्द्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से

212 तक राज्य विधानमण्डल का संगठन, कार्यकाल, अधिकारियों, शक्तियों एवं विशेषाधिकार आदि के बारे में बताया गया है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप हैं, फिर भी इनमें कुछ अन्तर पाया जाता है। जहाँ दो सदन हैं वहाँ का उच्च सदन विधानपरिषद् और निम्न सदन विधानसभा कहलाती है। वर्तमान में केवल सात राज्यों- कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश व जम्मू-कश्मीर में विधानपरिषद् है।

विधान परिषद् -

संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक और किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती । भारतीय संसद कानून द्वारा विधान परिषद् की रचना के संबंध में संशोधन कर सकती है।

राज्य विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से

(i) सदस्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इन स्थानीय संस्थाओं में नगरपालिका, जिला बोर्ड और राज्य की अन्य संस्थाएँ सम्मिलित हैं जो संसद कानून द्वारा निश्चित करती है।

(ii) सदस्य राज्य के ऐसे स्नातक मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं जिनको भारत के किसी विश्वविद्यालय से कम-से-कम तीन वर्ष पहले डिग्री मिल चुकी हो।

(iii) सदस्य राज्य के हायर सेकण्डरी या इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में काम कर रहे ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जो गत तीन वर्षों से वहाँ पढ़ा रहे हों।

(iv) सदस्य संबंधित राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं जो राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।

(v)शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिनको विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा के क्षेत्र में विशष शार अनुभव हो।

विधानपरिषद् के सदस्यों की योग्यताएँ -

अनुच्छेद 173 के अनुसार, विधानपरिषद् के सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं।

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. संसद द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएँ रखता हो।
3. 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
4. किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न घोषित किया गया हो।
5. संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार विधानसभा के लिए अयोग्य न हो। साथ ही राज्य विधानमण्डल का सदस्य होने की पात्रता हेतु उसका नाम राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में होना चाहिए।

अवधि -

विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात् 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु या त्याग-पत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है, तो वह उस व्यक्ति या सदस्य की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

राज्य विधानमण्डल

साधारण

- अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमण्डलों का गठन
- अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन एवं सृजन
- अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना
- अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना
- अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमण्डलों की अवधि
- अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमण्डल की सदस्यता के लिए अर्हता
- अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमण्डल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
- अनुच्छेद 175 सदन या सदनो में अभिभाषण का और उनको सन्देश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
- अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
- अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मन्त्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

राज्य के विधानमण्डल के अधिकारी

- अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 179 अध्यक्ष आर उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना पदत्याग और पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
- अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- अनुच्छेद 182 विधानपरिषद का सभापति व उपसभापति
- अनुच्छेद 183 सभापति आर उपसभापति का पद रिक्त होना पदत्याग और पद से हटाया जाना ।
- अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
- अनुच्छेद 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तबउसका पीठासीन न होना ।
- अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते ।
- अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमण्डल का सचिवालय कार्य-संचालन
- अनुच्छेद 188 सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति एवं गणपूर्ति

सदस्यों की निरर्हताएँ -

- अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना
- अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
- अनुच्छेद 192 सदस्यों की निरहर्ताओं से सम्बन्धित प्रश्नों पर विनिश्चय
- अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरहित । किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति ।

राज्यों के विधानमण्डलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ।

- अनुच्छेद 194 विधानमण्डलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार आदि
- अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधायी प्रक्रिया

- अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनःस्थापन और पारित किए जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध
- अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निबंधन अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया
- अनुच्छेद 199 "धन विधेयक" की परिभाषा
- अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति
- अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया
- अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद
- अनुच्छेद 203 विधानमण्डल में प्राक्कलनों के सम्बन्ध में प्रक्रिया
- अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक अनुच्छेद
- अनुच्छेद 205 अनुपरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
- अनुच्छेद 206 लेखानदान, प्रत्ययानूदान और अपवादानुदान
- अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबन्ध

साधारण प्रक्रिया

- अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम
- अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमण्डल में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
- अनुच्छेद 210 विधानमण्डल में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- अनुच्छेद 211 विधानमण्डल में चर्चा पर निबंधन
- अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमण्डल की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना
- अनुच्छेद 213 विधानमण्डल के विश्रान्ति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

राज्य विधानमण्डलों की शक्तियों पर प्रतिबन्ध

राज्य के विधानमण्डलों पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध संविधान ने आरोपित किए हैं ।

- राज्य सूची के कुछ विषयों पर राज्यों के विधानमण्डल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना कानून नहीं बना सकते ।
- कुछ विषयों से जुडे हुए कानून राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित कानून सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् ही यह कानून प्रवर्तनीय होगा।
- आपातकालीन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने के लिए स्वतन्त्र हैं। किन्हीं कारणों में राज्य में संवैधानिक तन्त्र विफल होने की स्थिति (Failure of Constitutional Machinery in States) में राष्ट्रपति उक्त राज्य को विधानसभा को भंग कर सकता है, ताकि वहाँ नए चुनाव कराए जा सके।

विधानपरिषद एवं विधानसभा तुलनात्मक अध्ययन विधानपरिषद -

विधानपरिषद	विधानसभा
विधानपरिषद राज्य विधानमंडल का उच्च या द्वितीय सदन होता हैं	विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न अथवा प्रथम सदन होता हैं
विधानपरिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता हैं	विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की मत प्रणाली के आधार पर होता हैं।
विधानपरिषद एक स्थायी निकाय हैं, जिसका विघटन नही किया जा सकता, परन्तु एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा इनके स्थान पर नये सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता हैं	विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता हैं । परन्तु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता हैं ।
विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य के विधानसभा के सदस्यों के संख्या के एक तिहाई होती है, परन्तु वह 40 से कम किसी अवस्था में नही हो सकती (अपवाद जम्मू-कश्मीर 36 सीट)	विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 तथा कम-से-कम 60 हो सकती हैं । (अपवाद –गोवा-40, मिजोरम-40, सिक्किम-32, पुदुचेरी-30)
विधानपरिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हैं	विधानसभा राज्य के समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं ।
राज्य के मंत्रीपरिषद विधानपरिषद के प्रति उत्तरदायी नही होती	राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं ।
विधानपरिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नही किया जा सकता । वह मंत्रिपरिषद के कार्यों की जाँच, आलोचना ही कर सकती हैं जो प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछकर तथा स्थगन प्रस्ताव द्वारा किया जाता हैं ।	विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकती हैं
धन विधेयक विधानपरिषद में प्रस्तावित नही किया जा सकता ।	धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता हैं ।
विधानपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मण्डल के सदस्य नही होते हैं अर्थात विधानपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नही ले सकते ।	विधानसभा के सभी निर्वाचित (मनोनीत नही) सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मण्डल के सदस्य होते हैं अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं ।

वेतन एवं भत्ते

विधानपरिषद के सदस्यों को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं, जो राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा निर्धारित करता हैं।

सत्र, सत्रावसान एवं विघटन

अनुच्छेद 174 में सत्र, सत्रावसान व विघटन (Senion, Primestion and Dissolution) सम्बन्धी प्रावधान हैं। राज्य को विधानपरिषद के संसद की भांति 3 सत्र होते हैं । एक सत्र को अन्तिम बैठक और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होगा। विधानपरिषद का विघटन नहीं होता है ।

राज्यों में विधानसभा एवं विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या

राज्य	विधानसभा	विधानपरिषद्
आंध्रप्रदेश	175 (+1)	58
अरुणाचल प्रदेश	60	
असम	243	75

छत्तीसगढ़	90		
गोवा	40		
गुजरात	182		
हरियाणा	90		
हिमाचलप्रदेश	68		
झारखण्ड	81		
जम्मू-कश्मीर	87		36
कर्नाटक	224		75
केरल	140		(+1)
मध्य प्रदेश	230		(+1)
महाराष्ट्र	288		78
मणिपुर	60		
मेघालय	60		
मिजोरम	40		
नागालैंड	60		
ओडिशा	147		
पंजाब	117		
राजस्थान	200		
सिक्किम	32		
तमिलनाडु	236		
त्रिपुरा	60		
उत्तर प्रदेश	403	(+1)	100
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	
चंडीगढ़	-	-	
दादरा एवं नगर हवेली	-	-	
दमन एवं दीव	-	-	
लक्षद्वीप	-	-	
पुदुच्चेरी	30	-	
दिल्ली	70	-	

गणपूर्ति

- अनुच्छेद 189(3) के अनुसार, जब तक राज्य का विधानमण्डल अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी।
- गणपूर्ति के अभाव में स्पीकर सदन को स्थगित कर देगा या अधिवेशन को तब तक निलम्बित कर देगा, जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है।

विधानपरिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ

- विधानपरिषद् धन विधेयक (Money, Bill) को केवल 14 दिन तक रोक सकती है।
- सामान्य विधेयक को विधानपरिषद् में पेश किया जा सकता है, परन्तु सामान्य विधेयक (Ordinary Bill पर अन्तिम शक्ति विधानसभा के पास है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार में विधानपरिषद् माह तक रोक सकती है। यदि तीन माह बाद विधानसभा पुनः विधेयक को पारित कर दे, तो सामान्य विधेयक को विधानपरिषद एक माह तक और रोक सकती है। इस प्रकार विधानपरिषद् किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है।
- जिन संशोधन विधेयक में राज्य विधानमण्डल का समर्थन आवश्यक है, उनमें विधानपरिषद् भी भाग लेती है।

विधानपरिषद् के अधिकारी

सभापति

विधानपरिषद सदस्य अपने बीच में से हो सभापति (Chairman) सुनते है। सभापति निम्न तीन मामलों में पद छोड़ सकता है ।

- उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए
- उपसभापति को लिखित त्याग-पत्र दे।
- यदि विधानपरिषद् में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दे। इस तरह का प्रस्ताव 14 दिनों की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है।

पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद् के सभापति के कार्य एवं शक्तियाँ विधानसभा अध्यक्ष के समान होती हैं (अपवाद-वित विभयक)। सभापति का वेतन एवं मते विधानमण्डल तय करता है।

उपसभापति

उपसभापति (Deputy Chairman) की भी सदस्य अपने बीच में से ही चुनते हैं। उपसभापति निम्नलिखित मामलों में अपना पद छोड़ सकता है

1. यदि वह सभापति को लिखित त्याग-पत्र दे।
2. यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए।
3. यदि विधानपरिषद् में उपस्थित सत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दे। इस तरह का प्रस्ताव 14 दिनों की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है।

उपसभापति, यदि सभापति अनुपस्थित हो तो बैठको की अध्यक्षता करता है। पीठासीन होने पर उपसभापति की शक्तियों सभापति के समतुल्य होती हैं ।

विधानसभा

विधानसभा की संरचना :

राज्य विधामण्डल के निचले सदन को विधानसभा (Angislative Assembly) कहा जाता है, इस सदन के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अनुच्छेद 170 के अनुसार, अनुच्छेद 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य को विधानसभा के अधिक-से-अधिक 500 और कम-से-कम 60 सदस्य हो सकते है। राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। विधानसभाओं के सदस्यों को संख्या निर्धारित करते समय जनसंख्या के आंकड़े लिए जाते है, जो पिछली जनगणना में प्रकाशित किए गए थे। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होती है।

प्रत्येक जनगणना के पश्चात् परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) नियुक्त किया जाता है। यह आयोग जनसंख्या के नए आंकड़ों के अनुसार चुनाव क्षेत्रों का गए रूप में विभाजन करता हैं अनुच्छेद 170 (3) 42वे संविधान संशोधन, 1976 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2000 के पश्चात् होने वाली प्रथम जनगणना तक प्रत्येक राज्य के चुनावों क्षेत्रो के विभाजन के लिए वही आंकड़े प्रामाणिक होगे, जो वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चित और प्रामाणिक हो। इसी प्रकार विधानसभाओ मे जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए भी वर्ष 2000 के पश्चात् होने वाली पहली जनगणना तक यही आंकडे लिए जाएंगे, जो वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चि और प्रकाशित हो चुके है।

84वें संशोधन अधिनियम, 2001 में सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि विधानसभा क्षेत्रों के तुलनात्मक पुनर्निर्धारण को वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाए।

उसके पश्चात् साये संशोधन अधिनियम, 2009 में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण वर्ष 2001 की जनसंख्या के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई।

यद्यपि यह पुनर्निर्धारण प्रत्येक राज्य में विधानसभा की कुल सीटों के अनुसार ही सम्भव है, किन्तु सदस्यों की संख्या वर्ष 2020 तक उत्तमी ही बनी रहेगी, जितनी है। एंग्लो-इण्डियन जाति को यदि किसी राज्य के चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, तो राज्यपाल स्वेच्छा से उस जाति को प्रतिनिधित्व देने के लिए उस जाति के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है (अनुच्छेद 333)

अनुच्छेद 191(1) और (2) के अन्तर्गत उपबंध है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमण्डल का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के अन्तर्गत अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चिय अन्तिम होगा।

44वे संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्यपाल ऐसे प्रश्न पर निर्वाचन आयोग (Election Commission) की सलाह लेगा और आयोग की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी है (अनुच्छेद 192)

सदस्यों की योग्यताएँ

अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत विधानसभा सदस्य के लिए निम्नलिखित योग्यताएं (Qualifiestions) निर्धारित की गई है

- वह भारत का नागरिक हो।
- 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न घोषित किया गया हो।
- संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार विधानसभा के लिए अयोग्य न हो।

सदस्यों की निरर्हताएँ

अनुच्छेद 190 के अन्तर्गत सदस्यता समाप्त हो सकती है –

- यदि कोई सदस्य संसद तथा विधानसभा दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है।
- दो राज्य के विधानमण्डलका सदस्य बन जाता है।
- 60 दिन तक सदन की अनुमति के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसके स्थान को रिक्त पोषित कर सकेगा, परन्तु 60 दिन को उपयुक्त अवधि में किसी ऐसी अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसके दौरान सदन सत्रवासित या निरन्तर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है।

कार्यकाल

संविधान के अनुच्छेद 172 के अन्तर्गत राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस निश्चित समय से पूर्व भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। आपातकालीन स्थिति (Emergency Condition) में संघीय संसद कानुन बनाकर किसी राज्य विधानसभा की अवधि अधिक-से-अधिक एक समय में एक वर्ष तक बढ़ा सकती है। आपात स्थिति की समाप्ति के बाद यह बढाई अवधि केवल 6 माह तक लागू रह सकती है।

अध्याय – 14

उच्च न्यायालय

- भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है जिनका अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के एक समूह होता हैं ।
- वर्तमान समय में पंजाब तथा हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है और असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय है ।
- मुम्बई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा राज्यों तथा दमन और दीव एवं दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों पर है ।
- इसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, मद्रास उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पाण्डिचेरी तथा केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्र पर है ।
- सात संघशासित राज्यों में से केवल दिल्ली ही एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है , जिसका अपना उच्च न्यायालय है ।
- उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, अध्याय 5 वभाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं ।न्यायिक प्रणाली के भाग के रूप में, उच्च न्यायालय राज्य विधायिकाओं और अधिकारी के संस्था से स्वतंत्र हैं ।
- उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के साथ, जो उनके अधीनस्थ होते हैं, राज्य के प्रमुख दीवानी न्यायालय होते हैं ।
- उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबन्धित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती हैं ।
- इसके अलावा, राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

गठन

- प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है ,जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करे।

न्यायाधीशों की योग्यता

- अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब होगा , जब वह
- भारत का नागरिक हो और 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो ।
- कम से कम 10वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो । न्यायिक पद धारण करने की अवधि की गणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी , जिसके दौरान कोई व्यक्ति पदधारण करने के पश्चा त्किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ अथवा राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है , जिसके लिए विधि का विशेषज्ञान अपेक्षित है ।
- किसी उच्च न्यायालय में एक या से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो ।
- किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की गणना करते समय वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चा न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ अथवा राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है, जिसके लिए विधिका विशेष ज्ञान अपेक्षित है ।

न्यायाधीशों की नियुक्त

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्य पाल से तथा सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर के की जाती है ।

इस सम्बन्ध में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजता है और राज्यपाल उस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से परामर्श करके उसे प्रधानमंत्री के माध्य म से राष्ट्रपति के पास भेजता है ।

राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ।

- उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति मख्य न्यायाधीश की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है . लेकिन 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये एक निर्णय के अनसार राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को वरीयता देनी चाहिए ।
- 1999 में उच्चतम न्यायालय के 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के केवल 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेना आवश्यक है किन्तु स्थानान्तरण के मामले में उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्शको अनिवार्य बनाया गया है ।

- साथ ही सम्बन्धित उच्च न्यायालयों जिससे स्थानान्तरण किया गया है और जिसको स्थानान्तरण किया जाना है ,वे मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना भी अनिवार्य होगा ।

मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति

- अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल सेविचार-विमर्श के पश्चात्की जाती है और इस सम्बन्ध में यह आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए, लेकिन ऐसी प्रथा का निर्माण हो गया है कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, हालाँकि इस प्रथा का अनेक बार उल्लंघन किया गया है।
- कुछ समय पूर्व सरकार ने यह नीति निर्धारित की है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इसमें भी वरिष्ठता का उल्लंघन किया जाता है।

कार्यवाह क मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति

- जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि हो जाये और राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए और भी अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है ।
- इसी तरह जब उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है या अनुपस्थिति के कारण अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किये जाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है।

सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

- जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी या उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।
- जब कोई सेवा निवृत्त न्यायाधीश, न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध स्वीकार कर कार्य करता है, तब उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता, शक्ति याँ तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं ।

शपथ ग्रहण

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य, जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है, का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है।

पदावधि

- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपना पद धारण कर सकता है । परन्तु वह किसी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है।
- यदि त्याग पत्र में उस तिथि का उल्लेख किया गया है, जिस तिथि से त्याग पत्र लागू होगा, तो न्यायाधीश किसी भी समय अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है । उदाहरणार्थ-
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र ने मई, 1977 में दिये अपने त्याग पत्र में लिखा था कि उनका त्याग पत्र 1 अगस्त, 1977 से लागू माना जाए, लेकिन वे 31 जुलाई, 1977 से पहले अपना त्याग पत्र वापस ले लिये थे। इसके विरुद्ध विवाद होने पर उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से निर्णय दिया कि त्याग पत्र लागू होने के पूर्व वापस लिया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त न्यायाधीश को साबित कदा चार तथा असमर्थ ता के आधार पर संसद द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है ।

आयु के सम्बन्ध में विवाद

- जब उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के सम्बन्ध में विवाद होता है, तब उसका निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ।
- अब तक उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों, यथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे. पी. मित्र, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. आर. आचार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी.

वी. दीक्षित तथा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भास्करन की आयु के बारे में विवाद उत्पन्न हुआ है।

विधि व्यवसाय पर रोक

- उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, जिस में वह न्यायाधीश रहा है ,के अतिरिक्त अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय नहीं कर सकता।

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

- राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानान्तरण दूसरे न्यायालय में कर सकता है।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

अपीलीय क्षेत्राधिकार

- उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयों, आदेशों तथा डिक्रियों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

- उच्च न्यायालय को राजस्व तथा संग्रह, मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार हैं।

अन्तरण सम्बन्धी क्षेत्राधिकार

- यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लम्बित किसी मामले में संविधान की व्याख्या के बारे में कोई प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है, जिसका उस मामले से सम्बन्ध है, तो वह उस मामले को अपने पास मं गा सकता है और मामले पर निर्णय कर सकता है और निर्णय करके उस मामले को ऐसे प्रश्न पर निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस न्यायालय को, जिससे मामला अन्तरित किया गया था, भेजकर उस निर्णय के अनुसार मामले के निपटारे का आदेश दे सकता है । इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वादको किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को स्थानान्तरित कर सकता है।

लेख जारी करने का अधिकार

- उच्च न्यायालय मूलाधिकारों के उल्लंघन के मामले में बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा लेख जारी कर सकता है।

अधीक्षण क्षेत्राधिकार

- प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अधीनस्थित सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति है, जिसके प्रयोग में वह ऐसे न्यायालयों / अधिकरणों से विवरणी मंगा सकता है,
- उनके अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप निश्चित कर सकता है तथा उनके शुल्कों को नियत कर सकता है।

ई-कोर्ट

- न्यायालय की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से ई-कोर्ट का प्रचलन प्रारम्भ किया गया है । देश में पहला मॉडल ई-कोर्ट गुजरात में अहमदाबाद में अहमदाबाद सिटी सिविल एवंसेशन न्यायालय में स्थापित किया गया है।
- ई-कोर्ट में आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायाधीश के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्शा सकेंगे तथा बयान भी दे सकते हैं। इससे कारागारों से उन्हें न्यायालय तक लाने ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कारागार व पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त फोरेंसिक लेबोरेटरी को भी इस पहले ई-कोर्ट परियोजना में न्यायालय से आनलाइन सम्बद्ध किया गया है।

अध्याय – 15
पंचायती राज

- स्थानीय शासन् 'महात्मा गाँधी' की संकल्पना राम राज्य या ग्राम स्वराज्य का परिष्कृत रूप है। गाँधीजी की इस संकल्पना को फलीभूत करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे, जो 1993 में 73वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप सम्भव हुआ।
- 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत स्थानीय शासन् भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर की सरकार को सामने ला खड़ा किया।
- 'पंचायती राज' और 'नगरपालिका प्रणाली' को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा।
- वर्ष 1956 में गठित बलवन्त राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया साथ ही सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया।
- सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी और उसी दिन इसे सम्पूर्ण राज्य (राजस्थान) में लागू कर दिया गया।
- किन्तु वाँछित सफलता प्राप्ति में कमी ने इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। अनेक समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी सिफारिशों से पंचायती राज को मजबूती प्रदान की।

पंचायती राज व्यवस्था समितियाँ		
1.	बलवंत राय मेहता समिति	1957
2.	अशोक मेहता समिति	1977
3.	जी.वी.के. राव समिति	1985
4.	एल. एम. सिंघवी समिति	1986
5.	संथानम समिति	1962
6.	सादिक अली समिति	1964

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा

- वर्ष, 1989 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली तथा एल. एम. सिंघवी समिति और थुमन समिति की सिफारिशों के आधार पर लोकसभा में 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया लेकिन राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के कारण विधेयक समाप्त हो गया।
- तत्पश्चात्, वर्ष 1992 में पंचायत सम्बन्धी प्रावधान के लिए प्रधानमन्त्री पी. वी. नरसिम्हा राव द्वारा 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 22 एवं 23 दिसम्बर, 1992 को पारित कर दिया।
- 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। 24 अप्रैल, 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया।
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढाँचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया।
- इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद (अनुच्छेद-243 से अनुच्छेद 243 (O) तक) और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएँ, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं।
- ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।
- यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को प्रवर्तित हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस (Panchayat Day) के रूप में मनाया जाता है।

- इस संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सन् 1994 में पंचायत चुनाव आयोजित किए गए थे।
- इस प्रकार, भारत में पंचायती राज शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, प्रशासन् में लोगों की भागीदारी तथा सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है।

11वीं अनुसूची के विषय (अनुच्छेद 243छ)	
1.	कृषि एवं कृषि विस्तार ।
2.	भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास
4.	पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन।
5.	मत्स्य उद्योग।
6.	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी ।
7.	लघु वन उपज ।
8.	लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं।
9.	खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग ।
10.	ग्रामीण आवास ।
11.	पेयजल ।
12.	ईंधन और चारा ।
13.	सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जल-मार्ग, अन्य संचार साधन।
14.	ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण हैं।
15.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत।
16.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ।
17.	शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा ।
18.	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ।
19.	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
20.	पुस्तकालय
21.	सांस्कृतिक क्रिया-कलाप ।
22.	बाजार और मेले ।
23.	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं।
24.	परिवार कल्याण।
25.	महिला एवं बाल विकास ।
26.	समाज कल्याण (विकलांग व मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों सहित) ।
27.	दुर्बल वर्गों (अनुसूचित जातियों व जनजातियों) का कल्याण ।
28.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।
29.	सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ।

अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वायत्त शासन् की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य

बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं।

पंचायतों का गठन और संरचना

- अनुच्छेद 243 (b) भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधन करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिलास्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है, किन्तु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है।
- भारत में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, जहाँ चार स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। वहाँ पंचायतों के चार स्तर यथा ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद् और जिला परिषद् हैं।
- अनुच्छेद 243 (c) में पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य विधानमण्डल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के सम्बन्ध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- परन्तु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या में अनुपात समस्त राज्य में यथा संभव एक ही होगा।
- पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे।
- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार होगा तथा मध्यवर्ती व जिला पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993

- विभिन्न समितियों की सिफारिशों पर मनन चिन्तन के पश्चात् 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1993) अन्ततः विविध विशेषताओं के साथ पारित किया गया और 24 अप्रैल, 1993 से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया
- वर्तमान में इस अधिनियम के तहत पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, पश्चिम बंगाल में चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है।
- पंचायती राज के सम्बन्ध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 में 243 (ण) विशेष उल्लेख करता है। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है।

पंचायती राज का पद्सोपान

- 'जिलापरिषद्' स्थानीय ग्रामीण स्वशासन् में शीर्ष पर स्थित है।
- शीर्ष स्तर पर जिलापरिषद्, मध्य स्तर पर पंचायत समिति, निम्न स्तर पर पंचायत, ग्राम सभा तथा ग्राम कचहरी ।

जिला परिषद्

जिला परिषद् स्थानीय स्वशासन् की शीर्ष संस्था है, जो मध्य स्तर पर तथा ग्रामीण स्तर पर पंचायतों और प्रखण्ड समिति के मध्य समन्वयन स्थापित करता है ।

जिला परिषद् का गठन

- सामान्य तौर पर जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान
- उस जिले के निर्वाचित संसद तथा विधानसभा सदस्य
- जिला विकास अधिकारी
- महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि सदस्य
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि
- सहकारी बैंक का अध्यक्ष, सह सदस्य होते हैं।

पंचायत समिति

- पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना में मध्य स्तर पर पंचायत समिति है। इसे पंचायत समिति, 'क्षेत्र समिति' तथा 'आंचलिक परिषद्' भी कहते हैं।
- पंचायत समिति का गठन सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रमुख कुछ महिला प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि से मिलकर होता है।
- कुछ राज्यों में कुछ सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं।
- पंचायत समिति की अध्यक्षता के लिए 'प्रमुख' का चुनाव किया जाता है। प्रमुख को 'प्रधान' तथा चेयरमैन के नाम से भी जाना जाता है।

कार्य व अधिकार

- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रखण्ड समिति का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होता है। बीडीओ के अधीन सहायक अधिकारी तथा ग्राम विकास कर्मचारी होता हैं जो पंचायत समिति द्वारा नियोजित कार्यों को क्रियान्वित करता है।
- पंचायत समिति, क्षेत्रीय विकास के लिए योजना और कार्यक्रम बनाती हैं तथा राज्य सरकार की सहमति से उसे लागू करती हैं।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करती हैं।
- क्षेत्र में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छता तथा संचार के विकास के लिए कार्य करती है ।

- समिति ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करती है, ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण सुझाव भी देती है।

पंचायती राज से सम्बन्धित समितियाँ

क्र.सं.	पं. समिति का नाम	कार्यकाल	प्रमुख सिफारिशें
1.	बलवन्त राय मेहता समिति (अध्यक्ष बलवन्त राय मेहता)	1956-57	· स्थानीय स्तर पर लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण · त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना (जिला परिषद् प्रखण्ड समिति ग्राम पंचायत)
2.	अशोक मेहता समिति (अध्यक्ष अशोक मेहता)	1977-78	· द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना (मण्डल पंचायत एवं जिला परिषद्) · राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व चार वर्षीय कार्यकाल
3.	एल.एम. सिंघवी समिति (अध्यक्ष लक्ष्मीमल सिंघवी)	1986-87	· पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए · राजनीतिक दलों की सहमति में प्रतिबन्ध
4.	पी. के. थुंगन समिति (अध्यक्ष पी. के. थुंगन)	1988	· पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा · पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा

आय के साधन

पंचायत समिति अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि पर निर्भर है।

ग्राम पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सतही स्तर पर तीन प्रकार की संस्थाएँ होती है

1. ग्राम सभा, 2. पंचायत और 3. न्याय पंचायत

ग्राम सभा

ग्राम सभा एक या अनेक छोटे-छोटे ग्रामों से मिलकर बनी सभा है। गाँव की यह सभा व्यवस्थापिका का कार्य करती है। यह एक स्थायी संस्था है। गाँव का वह प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तथा उसका नाम वहाँ की मतदाता सूची में शामिल है, ग्राम सभा का सदस्य होता है।

- इस अधिनियम द्वारा ग्राम सभा (Gram Sabha) को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली (Voter List) में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गाँव शामिल किए जा सकते हैं।
- अनुच्छेद 24 (क) के अनुसार ग्राम सभा, गाँव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का सम्पादन करेगी, जो राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा उपबन्धित करे।
- ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है।

ग्राम सभा के कार्य

- ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा ग्रामों के लिए नीति बनाती है।
- गाँव के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करती है।
- ग्राम सभा के प्रत्यक्ष मतदान से ग्राम पंचायत का गठन किया जाता पंचायत में एक 'मुखिया' तथा अन्य कुछ पंच होते हैं । है। ग्राम

पंचायत

- पंचायत का गठन 'ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा होता है। 'पंचायत' के प्रमुख का चुनाव ग्राम की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम प्रमुख को मुखिया, सरपंच तथा प्रमुख के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है।
- पंचायत में एक मुखिया या प्रमुख तथा कुछ पंच होते हैं। इन पंचों की संख्या विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। पंचायत के शेष पंचों का चुनाव ग्राम सभा करती है।

पंचायत के कार्य

पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है, जो निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करती है।

नागरिक सम्बन्धी कार्य पंचायत, नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य, जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, आवागमन के साधन, संचार व्यवस्था, शिक्षा इत्यादि के सम्बन्ध में प्रावधान करती है। प्रकाश की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था करती है ।

1. **जन कल्याण कार्य** : पंचायत, कल्याण के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए परिवार नियोजन, जन्म पंजीकरण, मृत्यु पंजीकरण, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, आँगनबाड़ी योजनाएँ, कृषि तथा पशुपालन को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है।
2. **विकास कार्य** : पंचायत ग्रामीण विकास के लिए सड़क, कुआँ, हैण्डपम्प, नालियों, पुलिया, आदि तथा इन्दिरा आवास योजनाओं का क्रियान्वयन करती है।

पंचायत के आय के साधन

- पंचायतें अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करारोपण कर सकती हैं। वह गृहकर, चुँगी कर, वाहन कर, हाट कर, पशु के क्रय-विक्रय पर कर लगाती हैं।
- पंचायतें, पंचायत भवन, तालाब आदि को पट्टे पर देकर धन प्राप्त कर सकती है ।
- पंचायतों को विभिन्न कार्यों व योजनाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान राशि प्राप्त होती है।

न्याय पंचायत

- ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय अपराधों की या समस्याओं के निपटारे के लिए न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई है।
- इसका गठन ग्राम पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर होता है।

कार्य व अधिकार

- स्थानीय स्तर पर समस्याओं को निपटाने का यह प्रमुख न्यायिक मंच है।
- न्याय पंचायत को गाँव के छोटे-छोटे दीवानी तथा फौजदारी मामले में निर्णय देने का अधिकार है।
- न्याय पंचायत ₹500 तक का जुर्माना भी कर सकती है। किन्तु वह कारावास की सजा नहीं सुना सकती है।
- इसके निर्णय के विरुद्ध साधारणतया अपील नहीं होती, किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों में इसे अपील के लिए पेश किया जा सकता है।
- न्याय पंचायत में किसी अधिवक्ता की जरूरत नहीं होती है।

नगरपालिकाएँ

- स्थानीय नगरीय शासन् में नगरपालिका प्रणाली का प्रावधान है, जिसे संवैधानिक वैधता प्राप्त है।
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1933) के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (त) से 243 (य) (छ) के तहत इसका विशेष उल्लेख किया गया है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (य) के अनुसार तीन प्रकार की नगरीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है

1. नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्र के लिए वह क्षेत्र जो ग्रामीण व शहरी दोनों का सम्मिलित रूप है। (10,000-20,000) की जनसंख्या वाले क्षेत्र में
2. नगरपालिका परिषद छोटे-छोटे नगरों के लिए 20,000 से 3 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र में।
3. नगर निगम वृहत नगरों के लिए जहाँ की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है।

- किसी नगर को किस प्रारूप में रखा जाएगा यह निर्णय लेने का अधिकार सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल को है।

नगरपालिका का गठन

- प्रथम नगरपालिका का गठन 1687 में चेन्नई में हुआ था। प्रत्येक नगरपालिका को प्रान्तीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें 'वार्ड' कहते हैं।
- नगरपालिका के सदस्य इन वार्डों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
- राज्य विधानमण्डल की विधि अनुसार,
- राज्य की लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य जो नगरपालिका में मतदाता हैं।
- राज्य की राज्यसभा तथा विधान परिषद् के सदस्य नगरपालिका के मतदाता हैं।

- नगरपालिका प्रशासन् का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति तथा कुछ समितियों के अध्यक्ष को नगरपालिका में प्रतिनिधित्व सदस्यता प्रदान की गई है।

नगरपालिका का कार्यकाल

- नगरपालिका अपने पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक अपने अस्तित्व में बना रहता है।
- किन्तु समय से पूर्व भी इसका विघटन किया जा सकता है। यदि इसका विघटन हो जाता है, तो विघटन की तारीख से 6 माह के अन्दर उसका पुनर्गठन हो जाना चाहिए। पुनर्गठित नगरपालिका विघटित नगरपालिका के शेष कार्यकाल तक कार्य करेगी।

सदस्यों की योग्यताएँ

नगरपालिका का सदस्य होने के लिए अनिवार्य योग्यताएँ हैं

- वह भारतीय नागरिक हो ।
- वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- वह पागल, दिवालिया न हो
- वह सरकारी लाभ के पद पर आसीन न हो।

नगरपालिका का कार्य क्षेत्र

- भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में वर्णित विषयों पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है।
- विविध कार्यों को विविध समितियों के माध्यम से नगरपालिका संचालित करती है।
- वह आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाएँ बनाती हैं तथा उन्हें क्रियान्वित करती हैं।
- वह समाज के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कार्य करती हैं। विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के हितों की रक्षा करती हैं।
- वह नगरीय सुख-सुविधाओं सड़क प्रकाश, पेयजल, सीवरेज इत्यादि की व्यवस्था करती हैं।

वह जनगणना करवाती है ।

अध्याय – 16
निर्वाचन आयोग

संविधान के अनु. 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जितनें राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे।

भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। उन्होंने 21 मार्च, 1950 को पदभार ग्रहण किया और 19 दिसम्बर 1958 तक अपने पद पर बने रहे।

निर्वाचन आयोग का कार्य

अनु. 324 (1) के अनुसार, इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली (मतादाता सूची को बनाना तथा जनता के अवलोकनार्थ प्रकाशित करना) तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन का कार्य निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु कोई भी आदेश-निर्देश जारी कर सकता है। यदि उसे प्रतीत हो कि चुनाव निष्पक्ष या पारदर्शी नहीं हुए हों या चुनाव में धांधली की गई हो, तो वह प्रेक्षकों की रिपोर्ट पर (वे प्रेक्षक जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है) चुनाव को रद्द कर नए चुनाव का आदेश दे सकता है। उप चुनावों को सम्पन्न कराने का दायित्व भी निर्वाचन आयोग का ही है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दलों को मान्यता देना भी उसका कार्य ' चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाने के बाद राजनीतिज्ञों तथा राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाना, राजनीतिक दलों को दूरदर्शन तथा रेडियों द्वारा मतदाताओं के सामने अपनी आवाज पहुंचाने की व्यवस्था करना, राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन के समय व्यय होने वाली राशि का निर्धारण करना, किसी सांसद या विधायक के कतिपय अयोग्यताओं से पीड़ित होने के कारण उसकी सदस्यता समाप्त होने के संबंध में भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल को परामर्श देना तथा चुनाव संबंधी विवादों में सरकार को परामर्श देना आदि निर्वाचन आयोग के कार्य हैं।

वयस्क मताधिकार का सिद्धांत (अनु. 326)

- लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति

जो भारत का । नागरिक है और जिसकी आयु 18 वर्ष (61 वें संविधान संशोधन द्वारा लागू) हो चुकी है वह निर्वाचक नामावली में शामिल हो सकेगा तथा इन चुनावों में मतदान कर सकेगा ।

- बशर्ते इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन अनिवास, पागल, अपराध या भ्रष्ट या कानून विरोधी आचरण के आधार पर उसे अयोग्य न ठहरा दिया गया हो (अनु. 326)।
- वयस्क मताधिकार प्रदान करके संविधान निर्माताओं ने सामान्य भारतीय जन की निर्णयक्षमता पर जो विश्वास व्यक्त किया है वह अद्भुत है। इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता झलकती है।
- अनु. 325 के अनुसार, संसद में प्रत्येक सदन यथा किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए होने वाले निर्वाचन हेतु प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इसमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में शामिल किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा और इन आधारों के कारण कोई व्यक्ति किसी विशेष निर्वाचक नामावली में अपने को शामिल किए जाने की मांग नहीं करेगा।
- विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति (अनु. 327) और किसी राज्य विधानमंडल की शक्ति (अनु. 328)

  अनु. 327 के अनुसार, संसद समय-समय पर संसद व राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के निर्वाचन से जुड़े विषयों पर (जिसके अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार कराना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमतन आयोग और ऐसे सदनों या सदन का सम्यक गठन सुनिश्चित करने हेतु अन्य सभी आवश्यक विषय हैं) कानून बना सकती है।

अध्याय – 17
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र महालेखा परीक्षक की प्रावधान है जो भारत के लेखा-बही का प्रमुख होता है और समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों के आर्थिक क्रियाकलापों की देख-रेख करता है।

नियुक्ति की शर्तें:

1. महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
2. उसका कार्यकाल नियुक्ति से 6 वर्ष तक होता है या वह 65 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो।
3. वह भारत का नागरिक हो तथा बहीं खातों की निगरानी का लंबा अनुभव हो।

स्वतंत्रता :- महालेखा परीक्षक को स्वतंत्र कार्य करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं:

1. इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसको हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है।
2. इसके कार्यकाल के दौरान इसकी सेवा एवं शर्तों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता।
3. वह इस पद को धारण करने के बाद किसी अन्य केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय पद को धारण नहीं कर सकता।
4. इसका वेतन, भत्ता एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। इसका वेतन एवं सुविधाएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समतुल्य होती है।
5. अपने तमाम लेखों के निरक्षण का विवरण वह समय-समय पर राष्ट्रपति को सौंपता है। जिसपर विचार करने के लिए राष्ट्रपति संसद सदस्यों के सामने संसद के पटल पर रखवाता
6. इसको पद से विमुक्त करने के लिए लगभग वहीं प्रावध न है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने का प्रावधान है।

शक्तियां एवं कार्य :- संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत संसद समय-समय पर महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों नियम एवं शर्तों का निर्धारण करती है।

1. उन सभी बहीं खातों का निरक्षण करना जिनमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के खर्चे शामिल होते हैं।
2. महालेखा परीक्षक समय-समय पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के खातों को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है।
3. महालेखा परीक्षक समय-समय पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इस पर विचार करने

के लिए इस रिपोर्ट को संसद के सदस्यों के समक्ष रखवाता है।

4. महालेखा परीक्षक राज्य स्तरीय खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल इस पर विचार के लिए विधानसभा में रखवाता है।

5. यह नये टेक्स के निर्धारण एवं धन उपयोगिता संबंधित सलाह भी देता है।

6. यह संसद के लोक-लेखा समिति के लिए एक मार्गदर्शक मित्र एवं एक दार्शनिक की तरह कार्य करता है।

7. वह राज्य सरकारों के खातों को संकलित एवं नियंत्रित करता है।

अध्याय – 18

नीति आयोग

नीति आयोग(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है | इस संस्थान ने एक जनवरी 2015 से एक कार्य करना प्रारंभ किया है | यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा |

नीति आयोग की संरचना

नीति आयोग की संरचना इस प्रकार है

- भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष |
- गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों (जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है,वहां के मुख्यमंत्री) के उपराज्यपाल शामिल होंगे।
- विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएगी | यह परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी | भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी | और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे (उनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे)
- संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे |
- पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में (प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अलावा) निम्न होंगे

(1). उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त |

(2). सदस्य: पूर्णकालिक

(3). अंशकालिक सदस्य : अग्रणी विश्वविद्यालयों में शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम दो पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य क्रमानुसार होंगे |

(4). पदेन सदस्य : केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम चार सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे | यदि बारी के आधार को प्राथमिकता दी जाती है तो यह नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए होगी |

<u>नीति आयोग के वर्तमान सदस्य</u> :-

पद	**नाम**
अध्यक्ष	श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
उपाध्यक्ष	श्री अरविंद पनगढ़िया, अर्थशास्त्री

मुख्य कार्यकारी	सिंधुश्री खुल्लरअधिकारी (CEO)
पूर्णकालिक सदस्य	श्री विवेक देवराय,अर्थशास्त्री
	डॉ वी.के. सारस्वत, पूर्ण सचिव रक्षा आरएंडी
पदेन सदस्य	श्री राजनाथ सिंह,केंद्रीय मंत्री
	श्री अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री
	श्री सुरेश प्रभु,केंद्रीय मंत्री
	श्री राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री
विशेष आमंत्रित	श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री
	श्री थावर चंद गहलोत,केंद्रीय मंत्री
	मती स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री

अध्याय – 19

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक विधिक निकाय है, क परंतु यह एक संविधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 1953 में मानव सुरक्षा अधिकार कानून के तहत की गई थी। मानवाधिकार की रक्षा करना इस आयोग का प्रमुख कार्य है। भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार दिये गये हैं उसकी रक्षा करना इसका प्रमुख कर्त्तव्य होता है।

आयोग का गठन

1. आयोग बहुसदस्यीय है जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य होते हैं।
2. इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होनी चाहिए।
3. अन्य सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के तथा हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश इसके सदस्य हो सकते हैं।
4. दो ऐसे व्यक्ति जिन्हें मानवाधिकार कानून का व्यवहारिक ज्ञान हो। इसके सदस्य हो सकते हैं।
5. इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, जातिय / जनजातिय आयोगों के अध्यक्ष इसके स्वतः सदस्य होते हैं।
6. अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों पर होता है।
7. इस नियुक्ति कमेटी में लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता और गृह मंत्री शामिल होते है
8. अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। या वह अधि कतम 70 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है।
9. अध्यक्ष एवं सदस्य यह पद धारण करने के बाद केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर अन्य किसी पद को धारण नहीं कर सकते।

आयोग के प्रमुख कार्य

1. मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना खासतौर पर लोकसेवकों एवं पदाधिकारियों की तरफ से।
2. मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में न्याय दिलवाले के उद्देश्य से न्यायालय का सहारा लेना ।
3. समय-समय पर जेलों तथा अन्य स्थानों की छानबीन करना तथा मानवीय अधिकारों को लागू करवाना।

4. मानवाधिकार की रक्षा के लिए संशोधन की सलाह देना ।
5. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौता का मूल्यांकन करना ।
6. मानवाधिकारों से संबंधित शोध पत्रों को जारी करना तथा लागू करवाना।
7. मानवाधिकारों को आम जनता में लोकप्रिय बनाना तथा जन जागरूकता लाना।
8. वे सभी गैर सरकारी संस्थाएं जो मानवाधिकार के लिए कार्य कर रही हैं, को प्रोत्साहित करना ।
9. उन सभी कदमों को उठाना जिसके तहत मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके।

अध्याय – 20
संविधान संशोधन

- भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलावों के माध्यम से और मजबूत करना है। संविधान के भाग XX में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। (अनुच्छेद 368)
- **महत्वपूर्ण निर्णय** : केशवानन्द भारती वाद, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे" में परिवर्तन नहीं कर सकती है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)

विधेयक की प्रस्तुति	संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता
कौन प्रस्तुत कर सकता है ?	इसे मंत्री या किसी भी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
राष्ट्रपति की भूमिका	ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत	विशेष बहुमत सदन के कुल सदस्यों का बहुमत + सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत । (50% + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3)
सदन द्वारा पारित किया जाना	दोनों सदनों द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक।
संयुक्त अधिवेशन (अनुच्छेद 108)	संविधान संशोधन विधेयक पर सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।

संघात्मक प्रावधानों में संशोधन	विशेष बहुमत + आधे राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से संस्तुति
विधेयक को स्वीकृति देने में राष्ट्रपति की भूमिका	24वां संविधान संशोधन- इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह प्रावधान साथ यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित संविधान किया गया कि संसद, संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है। संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है।
संविधान संशोधन में राज्य विधानमंडल की भूमिका	राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

विभिन्न प्रावधान और आवश्यक बहुमत के प्रकार

- नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना (अनुच्छेद 2)
- नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन (अनुच्छेद 3)
- दूसरी अनुसूची (वेतन, भते और विशेषाधिकार)
- राज्यों में विधान परिषद का गठन/उत्सादन (अनुच्छेद 169)
- संसद में गणपूर्ति (अनुच्छेद 100)
- संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता (अनुच्छेद 106)
- संसद की प्रक्रिया के नियम (अनुच्छेद 118)
- संसद में अंग्रेजी का उपयोग
- सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या

साधारण बहुमत

- संसद, उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105)
- सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि (अनुच्छेद 138)
- आधिकारिक भाषा का उपयोग (अनुच्छेद 343)
- नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
- संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव

साधारण बहुमत	**विशेष बहुमत**	**संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति**
प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं सदन के कुल सदस्यों का बहुमत मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत यह एक सामान्य कानून पारित करने के ही समान है। ऐसे संशोधनों को अनुच्छेद 368 के · तहत किया गया संशोधन नहीं माना जाता है। उदाहरण: हाल ही में सर्वोच्च नयायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गयी है।	सदन के कुल सदस्यों का बहुमत (रिक्तिया और अनुपस्थित सहित) और प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत उदाहरण: 103 संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण।	विशेष बहुमत + आधे राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से संस्तुति । ज्यादातर संघीय प्रावधानों इसी प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जाता है। उदाहरण: जीएसटी से संबंधित 101वां संशोधन

- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (अनुच्छेद 82)
- छठवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244)
- केंद्र शासित प्रदेश
- पांचवीं अनुसूची [अनुच्छेद 244 (1)]

विशेष बहुमत

- मूल अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व
- वे सभी प्रावधान जो अन्य 2 प्रकारों में शामिल नहीं हैं।

संसद का विशेष बहुमत आधे + राज्यों की सहमति

- राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की रीति (अनुच्छेद 54, 55)
- केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों में विस्तार
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124 और 214)
- केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण
- सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246)
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 368

हालिया संविधान संशोधन

99वां संशोधन 2014	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
100वां संशोधन 2015	भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा क्षेत्र में कुछ भू-भागों का आदान-प्रदान
101वां संशोधन 2017	1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया जाना
102वां संशोधन 2018	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा
103वां संशोधन 2019	103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछलड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण ।
104वां संशोधन 2020	लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की समय सीमा में वृद्धि

संविधान संशोधन (अनु. 368)

- संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। संविधान संशोधन की तीन विधियों को अपनाया गया है।

1. साधारण बहुमत द्वारा संशोधन
2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन
3. विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य के विधान मंडलों के अनुमोदन द्वारा संशोधन

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

भारत का भूगोल

अध्याय – 1
सामान्य परिचय

- भूगोल (Geography) लैटिन भाषा के शब्द "Geo + graphie" से मिलकर बना है। "Geo" का अर्थ है पृथ्वी तथा "graphie" का अर्थ है वर्णन या व्याख्या करना। सामान्यतः
- इसके अन्तर्गत पृथ्वी और उस पर दिखाई देने वाली सभी बातों या तथ्यों का अध्ययन किया जाता है।
- भौतिक भूगोल के अन्तर्गत सामान्यतः पृथ्वी से संबंधित स्थलमण्डल (Lithosphere), जलमण्डल (Hydrosphere), वायुमण्डल (Atmosphere) तथा पर्यावरण भूगोल (Environmental Geography) का क्रमबद्ध अध्ययन तथा इनके मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।

भारत की स्थिति व सीमाओं से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंदु –

- भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है, जो एशिया के दक्षिणी भाग में हिन्द महासागर के शीर्ष पर तीन ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्द्ध में पड़ता है।
- भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6'उत्तरी अक्षांश तक है।
- भारत का देशान्तर विस्तार 68°7' पूर्वी देशान्तर से 97°25' पूर्वी देशान्तर तक है।
- भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी. है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का सातवाँ स्थान है। यह रूस के क्षेत्रफल का लगभग 1/5,संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 तथा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5 है।
- जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है।
- विश्व का 2.4% भूमि भारत के पास है जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है।
- भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन, दक्षिण में श्रीलंका एवं हिन्द महासागर, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी (Gulf of Mannar) तथा पाक जलडमरूमध्य(Palk Strait) है।
- प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम बिन्दु-कन्याकुमारी है।
- भारत का सुदूर दक्षिणतम बिन्दु - इन्दिरा प्वाइंट (ग्रेटनिकोबार में है)।
- भारत का उत्तरी अन्तिम बिन्दु- इंदिरा कॉल है ।

पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार	
भारत-बांग्लादेश सीमा	4098 किमी.
भारत-चीन	3239किमी.
भारत-पाक सीमा	3310 किमी.
भारत-नेपाल सीमा	1761 किमी.
भारत- म्यांमार सीमा	1643 किमी.
भारत-भूटान सीमा	587 किमी.

मुख्य बिन्दु

- कर्क रेखा (Tropic of Cancer) भारत के बीचों -बीच से गुजरती है।
- भारत को पाँच प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है ।
  - उत्तर का पर्वतीय प्रदेश
  - उत्तर का विशाल मैदान
  - दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार
  - समुद्री तटीय मैदान
  - थार का मरुस्थल
- भारत का मानक समय (Indian Standard Time) इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। जिसका देशान्तर 82°30 पूर्वी देशान्तर है। (वर्तमान में मिर्जापुर) यह ग्रीनविच माध्य समय (GMT) से 5 घण्टे 30 मिनट आगे है।
- भारत की लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 3214 किमी. तथा पूर्व से पश्चिमी तक 2933 किमी. है।
- भारत की समुद्री सीमा 7516.6 किमी. लम्बी है जबकि स्थलीय सीमा की लम्बाई 15,200 किमी. है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा 6,100 किमी. है।

शीर्ष पाँच क्षेत्रफल वाले राज्य	
राज्य	**क्षेत्रफल वर्ग किमी.**
राजस्थान	3422239
मध्यप्रदेश	308245
महाराष्ट्र	307713
आन्ध्र प्रदेश	275069
उत्तर प्रदेश	240928

शीर्ष पाँच भौगोलिक क्षेत्र वाले जिलें भारत में	
जिला	**क्षेत्रफल वर्ग किमी.**
कच्छ	45652
लेह	45110
जैसलमेर	38428
बाड़मेर	28387
बीकानेर	27284

- क्षेत्रफल की दृष्टि से अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केन्द्र-शासित प्रदेश है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केन्द्र-शासित प्रदेश है।
- जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केन्द्र शासित प्रदेश है।

देश की चतुर्दिक सीमा बिन्दु

- दक्षिणतम बिन्दु- इन्दिरा प्वाइंट (ग्रेट निकोबार द्वीप)
- उत्तरी बिन्दु- इन्दिरा कॉल (जम्मू-कश्मीर)
- पश्चिमी बिन्दु- सर क्रीक (गुजरात)
- पूर्वी बिन्दु-वालांगू (अरुणाचल प्रदेश)
- मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा- कन्याकुमारी (तमिलनाडु)

स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य	
पाकिस्तान (4)	गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर
अफगानिस्तान (1)	जम्मू और कश्मीर
चीन (5)	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम,अरुणाचल प्रदेश
नेपाल (5)	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम
भूटान (4)	सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश
बांग्लादेश (5)	पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
म्यांमार (4)	अरुणाचल प्रदेश,नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम

- जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केन्द्र शासित प्रदेश है।
- मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है।
- मध्य प्रदेश में वन (जंगल) सबसे अधिक है।
- भारत में द्वीपों की कुल संख्या 248 है बंगाल की खाड़ी में 223 तथा अरब सागर में 25 द्वीप है।
- भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम इन्दिरा प्वाइंट' है और यह बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार (Great Nicobar) द्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिन्दु इन्दिरा कॉल जम्मू-कश्मीर में स्थित है।
- पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है।
- पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है।
- भारत के जिन राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है वे हैं- गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम ।

- भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा (82°30) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आन्ध्रप्रदेश से गुजरती हैं।
- उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों (8) को छूती हैं- उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं बिहार।]
- भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जबकि मेघालय में सबसे कम नगर हैं।
- भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में है।
- भारत में राष्ट्रीय राज मार्ग की कुल लम्बाई 1,42,126 लगभग किमी. हैं।
- भारत का सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है (3,745 किमी.)।
- भारत में रेलमार्ग की कुल लम्बाई 64,140 किमी. है।
- तिरुअनन्तपुरम एवं कोचीन (केरल) नगरों में मानसून की सर्वप्रथम वर्षा होती है।

प्रमुख चैनल / जलडमरूमध्य	
विभाजित स्थल खण्ड	**चैनल/खाड़ी/स्ट्रेट**
इन्दिरा प्वाइंट-इण्डोनेशिया	ग्रेट चैनल
लघु अंडमान-निकोबार	10°चैनल
मिनीकॉय-लक्षद्वीप	9° चैनल
मालदीव-मिनीकाय	8° चैनल
भारत-श्रीलंका	मन्नार की खाड़ी
पाक की खाड़ी	पाक स्ट्रेट

अध्याय – 2
भौतिक विभाजन

भारत एक विशाल भू – भाग है जिसका निर्माण अलग – अलग भू-गर्भीय काल के दौरान हुआ है भू-गर्भीय निर्माणों के अलावा इस विशाल भूभाग पर अपक्षय अपरदन तथा निक्षेपण का प्रभाव हैं/

भारत की स्थलाकृति को पांच भागों में बाँटा जा सकता हैं/

- उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र
- प्रायद्वीपीय पठार
- मध्यवर्ती विशाल मैदान
- तटवर्ती मैदान
- द्वीप समूह

- **पर्वत**

I. उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय क्षेत्र

यह विश्व की सर्वोच्च पर्वतीय स्थलाकृति है ,जिसका विस्तार भारत के पश्चिम से लेकर पूर्व तक है/ इस पर्वतीय श्रेणी को तीन भागों में बाँटा जा सकता हैं /

1.ट्रांस हिमालय श्रेणी

2.हिमालय पर्वत श्रेणी

3.पूर्वांचल की पहाड़ियों

ट्रांस हिमालय :- ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था इसके अन्तर्गत काराकोरम लद्दाख कैलाश व जास्कर आती है इन श्रेणियों पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है।

(A) काराकोरम श्रेणी - यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है।

- भारत की सबसे ऊंची चोटी k2 या गाडविन ऑस्टिन (8611 m) काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है।
- यह विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है/
- काराकोरम दर्रा एवं इंदिरा कॉल इसी दर्रा में स्थित है
- काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रृंखला स्थित कश्मीर को चीन को जोड़ने वाला संकीर्ण दर्रा है/
- भारत का सबसे लम्बा ग्लेशियर सियाचिन स्थित है
- विश्व का सबसे ऊँचा सैनिक अड्डा (सियाचिन)यहीं अवस्थित है
- काराकोरम श्रेणी पर चार प्रमुख हिमनद (ग्लेशियर) स्थित हैं।

- सियाचिन (72 km)
- बाल्तोरा (58km)
- बैंफो (60 km)
- हिस्पर (61 Km)

(B) **लद्दाख श्रेणी** - विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी पर ही स्थित है ।

- लद्दाख श्रेणी दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित है। यह श्रेणी सिन्धु नदी व इसकी सहायक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है।
- यह भारत का न्यूतम वर्षा वाला क्षेत्र है
- इसका सर्वोच्च शिखर माउंट कैलाश है

(C) जास्कर श्रेणी- यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है

- नंगापर्वत इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी है।
- लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से ही सिन्धु नदी बहती है।

1. **वृहद या हिमाद्रि या महान हिमालय**- इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरुआ पर्वत तक धनुष की आकृति में फैला हुआ है जिसकी कुल लम्बाई 2500 km तक है तथा औसत ऊंचाई 6100 मी॰ तक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी श्रेणी पर पाई जाती है जिसमें प्रमुख है-

- माउंट एवरेस्ट (8848 मी.) विश्व की सबसे ऊंची चोटी
- कंचनजंगा (8598 मी.)
- मकालू (8481 मी.)
- धौलागिरी (8172 मी.)
- अन्नपूर्णा (8076 मी.)
- नंदा देवी (7817 मी.)

- एवरेस्ट को पहले तिब्बत में 'चोमोलुगंमा'के नाम से जाना जाता था जिसका अर्थ 'पर्वतो की रानी'।
- हिमालय का निर्माण भारतीय सह - ऑस्ट्रलियाई प्लेट एवं यूरोशियाई प्लेट की अभिसरण प्रक्रिया से हुआ हैं /
- एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरि, नंगा पर्वत , नामचा बरुआ इसके महत्त्वपूर्ण शिखर है/
- भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊँची चोटी कंचन जंगा यहीं स्थित है/
- यह विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है/

2. **लघु या मध्य हिमालय**-

- महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में इसका विस्तार है। इसकी सामान्य ऊंचाई 3700 से 4500 मी. है/
- इसके अन्तर्गत कई श्रेणियाँ पाई जाती है।
  - पीर पंजाल (जम्मू कश्मीर)
  - धौलाधार (हिमाचल प्रदेश)
  - नागटिब्बा (उत्तराखण्ड)
  - कुमायूँ (उत्तराखण्ड)
  - महाभारत (नेपाल)
- लघु हिमालय तथा महान हिमालय के बीच कई घाटियों का निर्माण हुआ है ।
  - कश्मीर की घाटी (जम्मू कश्मीर)
  - कुल्लु काँगड़ा घाटी (हिमाचल प्रदेश)
  - काठमाण्डु घाटी (नेपाल)
- लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्द है जिसके अन्तर्गत शामिल हैं -
- कुल्लु, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला ,शिमला (हिमाचल प्रदेश)
  अल्मोड़ा, मसूरी, चमोली(उत्तराखण्ड)
- लघु हिमालय की श्रेणियों की ढालों पर शीतोष्ण घास के मैदान पाये जाते है जिन्हे जम्मू-कश्मीर मेंमर्ग (गुलमर्ग,सोनमर्ग) व उत्तराखण्ड में 'बुग्याल व पयार' कहा जाता है।

3. **शिवालिक या बाह्य हिमालय**

- मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय की अवस्थिति को बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं
- यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है।
- शिवालिक को जम्मू कश्मीर में कश्मीर पहाड़ियां तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर व मिश्मी की पहाड़ियो के नाम से जाना जाता है।

चोस- (Chos)

- शिवालिक से पंजाब व हिमाचल प्रदेश में छोटी-छोटी धाराएँ निकलती है जिन्हें स्थानीय भाषा में चोस कहा जाता है।

- ये धाराएँ शिवालिक का अपरदन कर देती हैं एवं शिवालिक को कई भागो बाँट देती हैं ।

करेवा

- पीरपंजाल श्रेणी के निर्माण के समय कश्मीर घाटी में कुछ अस्थायी झीलों का निर्माण हो गया नदियों के द्वारा लेकर आए गए अवसाद के कारण यह झीलें अवसाद से भर गई ।
- ऐसे उपजाऊ क्षेत्रों में जाफरन/केसर की खेती की जाती है जिन्हें करेवा कहा जाता है।

ऋतु प्रवास

- जम्मू और कश्मीर में रहने वाली जनजातियों गुज्जर, बकरवाल, झुकिया, भूटिया इत्यादि मध्य हिमालय में बर्फ के पिछलने के उपरान्त निर्मित होने वाले घास के मैंदानों में अपने पशुओं को चराने के लिए प्रवास करते हैं तथा ये पुनः सर्दियों के दिनों में मैंदानी भागों में आ जाते हैं जिसे ऋतु प्रवास कहा जाता है।

पूर्वांचल की पहाड़ियाँ

- पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हिमालय का ही विस्तार हैं
- नामचा बरुआ के निकट हिमालय अक्ष संधीय मोड़ के कारण दक्षिण की ओर मुड़ जाता है / पटकाई, नागा, मणिपुर, लुशाई, या मिजो पहाड़ी आदि को को हिमालय का विस्तार बन जाता हैं यह पहाड़ियाँ भारत एवं म्यांमार सीमा पर स्थित हैं ।
- नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी माउंट सारमती है ।
- मिजो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंट है ।
- पूर्वांचल की पहाड़ियाँ काफी कटी - फटी हैं ।
- गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी शिलांग के पठार पर अवस्थित हैं/
- पूर्वांचल की पहाड़ियां भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं ।
- इस तरह ये पहाड़ियां जल विभाजक के साथ - साथ जलवायु विभाजक हैं ।

भारत के प्रमुख दर्रे

हिमालय विश्व की सबसे ऊँची पर्वतमाला हैं और इसे पार करना दुष्कर हैं लेकिन इसमें कुछ दर्रे है जिनसे इस दुर्गम पर्वतमाला को पार किया जा सकता हैं/

इन पर्वतमाला की कुछ दर्रे इस प्रकार हैं -

1. पश्चिमी हिमालय के दर्रे
2. पूर्वी हिमालय के दर्रे
3. पश्चिमी घाट के दर्रे

1.पश्चिमी हिमालय के दर्रे : -

काराकोरमः - यह काराकोरम श्रेणी मे अवस्थित भारत की सबसे ऊँची चोटी हैं जो उत्तर में स्थित है/इसकी ऊंचाई 5000 मी. हैं और भारत के लद्दाख को चीन के सिकियंग प्रान्त से मिलाता है/

चांगला : - यह लद्दाख को तिब्बत से मिलाता है यह शीत ऋतु में हिमपाद के लिए बंद रहता है/

बनिहाल : - यह पीरपंजाल श्रृंखला में स्थित हैं / इसी में जवाहर सुरंग स्थित है /

लानकला : -यह जम्मू – कश्मीर के चीन अधिकृत अक्साई चीन में स्थित है / और तिब्बत की राजधानी तथा लद्दाख के बीच सम्पर्क बनाता है /

बरालाचा ला :- यह मनाली और लेह को आपस में जोड़ता हैं इसी से मनाली – लेह सड़क गुज़रता हैं / यह शीत ऋतु बंद रहता हैं

पीर पंजाल : - यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है जम्मू से श्री नगर जाने का मार्ग हैं लेकिन आजादी के बाद इसे बंद कर दिया गया है/

जोजिला : - यह श्री नगर, कारगिल एवं लेह के बीच संपर्क को स्थापित करता है इस के महत्त्व को देखते हुए श्री नगर जोजिला सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है/

खारदुन्गला :- यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रेणी में छः हजार मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है इसी में भारत की सबसे ऊँची सड़क स्थित है /

थांग ला :-इस दर्रे से देश की दूसरी सबसे ऊँची सड़क गुज़रती है

रोहतांग :- यह हिमाचल के लौह और स्पीती के बीच में संपर्क बनाता है /

शिपकी ला : -यह झेलम महाखंड पर छः हजार मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से मिलाता हैं /

लिपु लेख : - यह उत्तराखंड को तिब्बत से मिलाता है /यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिलें में अवस्थित हैं / इसी से कैलाश मानसरोवर की यात्रा सम्पन्न होता है/

माना : -यह भी उत्तराखंड को तिब्बत से मिलाता हैं जो बद्रीनाथ मंदिर से कुछ हि दूर स्थित है

नीति :- यह भी उत्तराखंड और तिब्बत के स्थित है जो नवम्बर से लेकर मई तक बंद रहता है/

2. **पूर्वी हिमालय के दर्रे : -**

नाथू ला : - यह भारत – चीन सीमा पर स्थित है जो लगभग 4310 मी. की ऊंचाई पर हैं/ यह प्राचीन सिल्क मार्ग का अंग था और यहाँ से भारत एवं चीन के बीच व्यापारिक संबंध थे / भारत – चीन युद्ध के

बाद इसे बंद कर दिया गया था /लेकिन वर्ष 2006 को पुनः खोल दिया गया है/

बोमडीला : -यह भारत के पड़ोसी देश भूटान के पूर्व था भारत चीन सीमा के थोडा सा दक्षिण में महान हिमालय में स्थित है

यह अरुणाचल प्रदेश का ल्हासा से सम्पर्क करता है/

जेलेप ला : -यह सिक्किम – भूटान सीमा पर स्थित है और चुम्बी घाटी द्वारा सिक्किम का ल्हासा से जोड़ता है/

दिहांग : - यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग पर स्थित है जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले को जोड़ता है /

दीफू : - यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग पर स्थित है जो और म्यांमार के मांडले को छोटा मार्ग उपलब्ध कराता है जो साल भर यातायात के लिए खुला रहता है/

यांगसान : - यह भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले को जोड़ता है / जो लगभग 4000 हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित है/

3.पश्चिमी घाट के दर्रे :-

भोर घाट : - यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित है जिसकी ऊंचाई 630 मीटर है जो पुणे – कोलकाता के लिए मार्ग प्रस्तुत कराता है/

पाल घाट :- केरल राज्य में स्थित यह दर्रा कोच्चि से कोयम्बटूर के लिए मार्ग प्रदान करता है /

थाल घाट : -यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की 583 मीटर ऊँचा दर्रा है यहाँ से मुंबई व दिल्ली के लिए मार्ग प्रस्तुत होता है/

शेकोट्टा :- ये केरल और तामिलनाडु को आपस में जोड़ता है/

- **मैदान**

2. उत्तर भारत का विशाल मैदान

उत्तरी मैदान का निर्माण इयोसीन काल से हुआ (प्रारंम्भ)

विभिन्न भौगोलिक हल चलो तथा नदियों द्वारा लाएं गए/ अवसाद के कारण टेथिस/टेथिससागर भरने लगा जिसके भरने से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ।

यह मैदान हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है जो 2400 km लम्बा 400 से 90 km चौड़ा है।

यह/इस मैदान में स्थित अवसादों की गहराई 2000 m. तक है।

इस मैदान का ढाल25 cmसे भी कम है वहीं इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 250-300 m. हैं।

उत्तरी मैदान के उपविभाग

भाबर-

- यह हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों के पाद में पाया जाता है। यहाँ नदियाँ अपने साथ कंकड़, पत्थर लेकर आती हैं जिन्हें निक्षेपित कर देती हैं ।

इस क्षेत्र की चौड़ाई 8-26 km होती है यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी नही होता है ।

तराई –

यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में पाया जाता हैं जिसकी चौड़ाई 20-30 km तक होती हैं ।

नदियां उस क्षेत्र में महीन कणों को निर्क्षेपित करती हैं ।

खादर –

नदी के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में व्याप्त नई जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान को खादर कहते हैं ।

इन क्षेत्रो में अत्यधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती हैं।

पंजाब में खादर के मैदान को 'बेट' कहते हैं।

बांगर -

नदीय क्षेत्र में ऐसा उच्च स्थान जिससे/ जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता बांगर कहलाते हैं।

इन्हें पंजाब में 'धाया' कहते है।

रेह –

बांगर प्रदेशों में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि पर एक नमक कि परत बिछ जाती हैं । जिसे रेह तथा कल्लर कहते हैं ।

भूड़ –

बांगर प्रदेशों में जब ऊपर की चिकनी मिट्टी नष्ट हो जाए तथा कंकड़ युक्त मृदा शेष बचे तो ऐसी मृदा को भूड़ कहते है ।

डेल्टा -

जब नदी अपने मुहाने के निकट पहुँचती है तो ढाल कम होने के कारण नदियों का प्रवाह मंद हो जाता है जिससे नदी कई वितरिकाओ मे विभाजित हो जाती हैं, तथा ये वितरिकाएँ अपने साथ लाई गई मृदा को आगे ले जाने में अक्षम होती है।

जिससे समुद्री तटों पर ये मृदा का निक्षेपण करका निर्माण करते हैं।

पुलिन (Beach) : समुद्र के कारण बनते हैं।

- **पठार**

3. प्रायद्वीपीय पठार -

यह विश्व का प्राचीनतम पठार हैं जो 16 लाख वर्ग. कि. मी. क्षेत्र में फैला हुआ है यह आर्कियन चट्टानों से निर्मित पठार हैं अरावली , राजमहल , कैमूर, व

शिलांग की पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत हैं ।

मालवा का पठार – मालवा का पठार उत्तर में अरावली पर्वत,दक्षिण में विन्ध्य श्रेणी व पूर्व में बुन्देलखण्ड से घिरा हुआ है। चम्बल नदी जो यमुना नदी की सहायक नदी है मालवा पठार से ही निकली है।

बुन्देलखण्ड का पठार- इसके उत्तर में यमुना नदी दक्षिण में विन्ध्य श्रेणी उत्तर पश्चिम में चम्बल नदी व दक्षिण पूर्व में बघेलखण्ड पठार स्थित है

इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का बांदा, हमीरपुर ,लालितपुर तथा म० प्र० का दतिया हतरपुर पन्ना जिलें आते हैं।

बघेलखण्ड का पठार -इसके अन्तर्गत म०प्र० का सतना व रीवा जिला शामिल हैं तथा उ० प्र० के मिर्जापुर का कुछ भाग आता है।

छोटानागपुर का पठार - इसका विस्तार मुख्यत: झारखण्ड राज्य में है। राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। महानदी इसकी दक्षिणी व सोन नदी इसके उत्तर पश्चिम से बहती है।

छोटानागपुर का पठार खनिज संसाधन में धनी है।

दण्डकारण्य का पठार- दक्षिण छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के कुछ भाग में इसका विस्तार है ।

दक्कन का लावा पठार -दक्षिण भारत में क्रिटेशियन काल में दरारो से निकले लावा के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है इसका मुख्यत: विस्तार महाराष्ट्र में देखनें को मिलता है।

मेघालय या शिलांग का पठार -यह पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। इस पठार के अन्तर्गत गारो खासी जयन्तियाँ तीन मुख्य पहाड़िया आती है।

प्रायद्वीपीय पठार का महत्त्व

भौगोलिक दृष्टि से दक्कन का पठार लम्बत संचालन करता है यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं . जिससे जलविद्युत का निर्माण हो सकता हैं एवं खण्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता हैं जिससे सिंचाई कार्य संभव है ।

- पठार के अपक्षय व अपरदन से काली मिट्टी का विकास हुआ है ,जो कपास के खेती के लिए उपयुक्त होता है ।
- पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भाग पर लैटेराइट मिट्टी का विकास हुआ है जिन पर चाय कॉफी मसाला की कृषि होती है ।
- पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाहरित वन पाएँ जाते है ।
- प्रायद्वीपीयं पठार भारत के अधिकांश खनिज संसाधनों की पूर्ति करता है ।
- यहाँ की भू गर्भिक संरचना सोना तांबा लौहा कोयला यूरोनियम आदि खनिजों से आबाद है ।
- दामोदर घाटी को भारत का रूर प्रदेश कहते है क्योंकि यह खनिज के बड़ा भण्डार है ।

- **द्वीप**

- भारत में सबसे लंबी तट रेखा (Coast line) गुजरात राज्य की, फिर आन्ध्र प्रदेश राज्य की और फिर महाराष्ट्र राज्य की है।

भारतीय सीमा में निम्नलिखित द्वीप समूह शामिल हैं-

1. प्रमुख द्वीप
   a. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
   b. लक्ष्यद्वीप
2. अन्य द्वीप
   a. श्रीहरिकोटा
   b. पंबन द्वीप
   c. न्यू मूर द्वीप
   d. अब्दुल कलाम द्वीप
   e. माजुली द्वीप (नदी द्वीप)

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

- ✓ यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
- ✓ अण्डमान समूह में 204 द्वीप है, जिनमें मध्य अण्डमान(Middle Andaman)सबसे बड़ा है।
- ✓ उत्तर अण्डमान में स्थित कैंडल पीक (SadalesPeak) सबसे ऊँची (737 मीटर) चोटी है।
- ✓ निकोबार समूह में 19 द्वीप हैं जिनमें ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है।

ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में स्थित है और इण्डोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से केवल 147किमी. दूर है

- ✓ बेरन (Barren) एवं नारकोन्डम (Narcondami)ज्वालामुखीय द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं।
- ✓ डंकन पैसेज (Duncan Passage) दक्षिण अण्डमान एवं लिटिल अण्डमान के बीच है।
- ✓ 10 डिग्री चैनल लिटिल अण्डमान एवं कार निकोबार के बीच है। यह अण्डमान को निकोबार से अलग करता है।

- **लक्ष्यद्वीप समूह**

- ✓ ये द्वीप अरब सागर में स्थित है।
- ✓ इस समूह में 25 द्वीप हैं। ये सभी मूंगे के द्वीप
- ✓ (Coral Islands) हैं एवं प्रवाल भित्तियों (CoralReefs) में घिरे हैं।
- ✓ इनमें तीन द्वीप मुख्य हैं- लक्षद्वीप (उत्तर में),मिनीकॉय (दक्षिण में), कावारत्ती (मध्य में)। 9 डिग्री चैनल कावारत्ती को मिनीकॉय से अलग करती है।
- ✓ 8 डिग्री चैनल मिनीकॉय द्वीप (भारत) को मालदीव से अलग करता है।

- **<u>अन्य द्वीप</u>**

- <u>श्रीहरिकोटा</u>

- ✓ यह आंध्रप्रदेश के तट पर स्थित है
- ✓ इसी द्वीप में भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र 'सतीश धवन अंतरिक्ष' केंद्र स्थित हैं

- **<u>पंबन द्वीप</u>**

- ✓ यह मन्नार की कड़ी में अवस्थित है
- ✓ यह 'आदम ब्रिज अथवा रामसेतु 'का ही भाग है जो भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है
- ✓ यहीं रामेश्वरम् स्थित है

- **<u>न्यू मूर द्वीप</u>**

- ✓ यह बंगाल की खाड़ी में भारत व बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है जिसके कारण दोनों देशों में अधिकार को लेकर विवाद चलने के कारण बाँट लिया गया /

- **<u>अब्दुल कलाम द्वीप</u>**

- ✓ यह ओडिशा के तट पर स्थित है
- ✓ इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परिक्षण के लिए करता है

- **<u>माजुली द्वीप</u>**

- ✓ माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है
- ✓ जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है।
- ✓ यह आपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है।
- ✓ कुछ समय पहले असम ने इसको जिला घोषित किया हैं जिससे यह देश का पहला द्वीपीय जिला बन गया हैं

<u>तटवर्ती मैदान</u>

- भारत में तटीय मैदान पश्चिम घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूर्व में स्थित हैं।
- यह तटों के सहारे- सहारे कच्छ की खाड़ी से लेकर पश्चिम बंगाल तक स्थित हैं।
- भारत के तटीय मैदान लगभग 6000 km. की दूरी में स्थित हैं इनका निर्माण नदियों के द्वारा किया गया हैं।
- पूर्वी तटीय मैंदान पश्चिमी तटीय मैंदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है
- पूर्वी घाट का अधिक चौड़ा होने का कारण नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण करना हैं।
- अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वारनदमुख का निर्माण करती है
- मालाबार तट पर लैगून पाएं जाते है जिन्हें कयाल कहते है

तटीय मैदान को 2 भागो में विभाजित किया जा सकता है/

1. पश्चिमी तटीय मैदान
2. पूर्वी तटीय मैदान

1\. पश्चिमी तटीय मैदान में शामिल मैदान है

(a) गुजरात का तटीय मैदान
(b)कोंकण का तटीय मैदान
(c)कर्नाटक का तटीय मैदान
(d) मालाबार का तटीय मैदान

1. पूर्वी तटीय मैदान में शामिल मैदान है

a. उत्कल का तटीय मैदान
b. आंध्र का तटीय मैदान
c. तमिलनाडु का तटीय मैदान
d. पश्चिमी तटीय मैदान

1\. **पश्चिमी तटीय मैदान –**

- यह मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित हैं जो कि कच्छ प्रायद्वीप से लेकर कन्याकुमारी तक अवस्थित हैं।
- इस मैदान का निर्माण पश्चिम कि ओर बहने वाली नदियों के द्वारा होता हैं जो कि ज्वार नदमुख बनाती हैं।
- इस मैदान कि औसत चौड़ाई 64 km. हैं जो कि उत्तर की ओर 100 km. से दक्षिण कि ओर 50 km. तक हैं।

1\. **कच्छ का मैदान –**

- यह गुजरात राज्य में स्थित हैं। इस क्षेत्र में समुद्रों में आने वाले ज्वारों के आंतरिक धरातल में प्रवेश करने के कारण यह लवणीय हो जाते हैं जो कृषि के लिए अनुपयोगी होते हैं।

2\. **कंठियावाड का मैदान –**

मंडाव की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ हैं, ।
यह मैदान कुछ ही km चौड़ा हैं इसलिए यह कृषि हेतु अनुपयोगी हैं।

3. **गुजरात का मैदान –**
यह मैदान साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदी के कारण निर्मित हैं ।
यह मैदान उपजाऊ होने के कारण कृषि हेतु उपयोग में लिया जा सकता हैं।

4. **कोंकण का मैदान –**
यह मैदान MHA + Goa में स्थित जो कि सकरा व पथरीला हैं।
यहाँ पर नारियल, काजू जैसी फसलें उगाई जाती हैं।

5. **कन्नड़ का मैदान –**
यह मैदान कर्नाटक के तटवर्ती भागों में स्थित हैं।
इस क्षेत्र में बढ़ने वाली साबरमती नदी पर जोग जलप्रपात अथवा गरेसोप्पा स्थित हैं ।

6. **मालाबार का मैदान –**
- केरल में स्थित
- इस भाग में एक विशेष प्रकार की भू-आकृति कयाल पश्च्यजल पाई जाती हैं।

क्याल/ पश्च्य जल-
जब समुद्री जल द्वारा समुंद्र में गिरने वाली नदियों के पानी को पीछे - पीछे कि ओर धकेल दिया जाता हैं तो एक विशेष प्रकार के झील का निर्माण होता हैं, यह भू - आकृति क्याल कहलाती हैं ।
उदाहरण – केरल का पुन्नमादा प्रसिद्ध जिसमें प्रतिवर्ष वल्लम कली नोका दौड़ होती हैं ।

लैंगून –
मालाबार तट पर कुछ लैंगून झीलें भी पाई जाती हैं । ये झीलें लवणीय होती हैं तथा समुद्रों से संलग्न होती हैं ।

2. **पूर्वी तटवर्ती मैदान**
- यह मैदान 100 से 150 km चौड़ाई वाले है ।
- ये स्वर्ण रेखा नदी से/सुवर्ण रेखा से कन्याकुमारी

इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता हैं इसके अन्य उपविभाजन भी किये गए हैं –

1. **उत्कल का मैदान –**
- यह मैदान उड़ीसा में स्थित हैं जो कि भारत कि सबसे बड़ी लवणीय झील हैं ।
- यह मैदान बैतरनी, महानदी, रुसीकुल्या इत्यादि नदियों के डेल्टा से निर्मित हैं ।

2. **आंध्र प्रदेश का मैदान –**
- इस मैदान में कृष्णा, गोदावरी, पन्नेरू इत्यादि नदियां बहती हैं।
- कृष्णा व गोदावरी के मध्य मीठे पानी कि झीलें कोलेरू स्थित हैं ।
- आंध्र प्रदेश के दक्षिण भागों में लैगून झील पुलिकट स्थित हैं
- इस झील में श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित हैं ।

3. **तमिलनाडु का मैदान –**
यह कावेरी नदी द्वारा निर्मित मैदान हैं जिसमें चावल कि खेती की जाती हैं।
यहाँ किलिवेल्ली झील स्थित हैं ।

भारत एवं हिन्द महासागर

- हिन्द महासागर भारत का एक महत्त्वपूर्ण अंग है/ यह भारत के दक्षिण में स्थित है, जिससे इस क्षेत्र में भू - राजनीतिक दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्त्व है /
- यही कारण हैं की यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर रखा गया हैं/
- औद्योगिक दृष्टि से हिन्द महासागर का महत्त्वपूर्ण स्थान रखता हैं / भारत का 95 प्रतिशत व्यापार इसी समुन्द्र मार्ग से होता है इसके अलावा पूर्वी देशों का समुद्री व्यापार मार्ग यहीं से होकर गुज़रता हैं /
- भारत का तट रेखा लगभग 7500 किमी. है तथा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 23 लाख वर्ग किमी. है जो भारत के क्षेत्रफल की तुलना में 2/3 है
- भारत इस महासागर से संसाधनों का लाभ भी प्राप्त करता है यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 41 लाख टन से अधिक समुंद्री मछली का उत्पादन होता हैं /
- हिन्द महासागर में आयोडीन , ब्रोमीन , कैल्शियम ,पोटेशियम मैग्नीशियम जैसे रासानिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं/
- इसके अलावा हिन्द महासागर में धात्विक खनिज भी मिलता हैं / जिसमें लौहा , तांबा , निकेल ,सोना जैसे पदार्थ भारी मात्रा में उपलब्ध हैं/
भारत के जलवायु पर भी हिन्द महासागर का महत्वपूर्ण प्रभाव है /
- भारत की जलवायु बनाने में हिन्द महासागर का विशेष योगदान हैं क्योकिं प्रायद्वीपीय भारत हिन्द महासागर दक्षिण की और प्रविष्ट हैं भारत में आने वाली मानसूनी पवनें अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर वर्षा करवाती हैं/

अध्याय - 3
नदियाँ एवं झीलें

- **नदियाँ**

भारतीय अपवाह तंत्र

अरब सागरीय अपवाह तंत्र

बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र

अपवाह तंत्र

अपवाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से हैं अर्थात् किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियाँ बहाकर ले जाती हैं ।

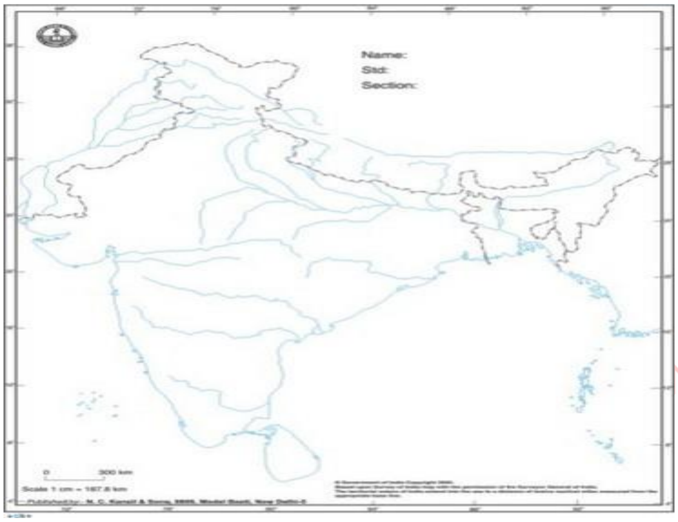

- कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77 प्रतिशत भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं । बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं,
- जबकि 23% भाग जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही व पेरियार नदियाँ शामिल हैं । अपना जल अरब सागर में गिराती हैं ।

भारत में अपवाह तंत्र

भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक स्वरूप के द्वारा होता हैं ।

भारतीय नदियाँ का विभाजन

उद्गम एवं प्रकृति के आधार पर

हिमालयी या उत्तरी भारत का

प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत का

अपवाह तंत्र

यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती हं । क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी हैं । फिर भी यह अपवाह तंत्र के वर्गीकरण का सर्वमान्य आधार हैं ।

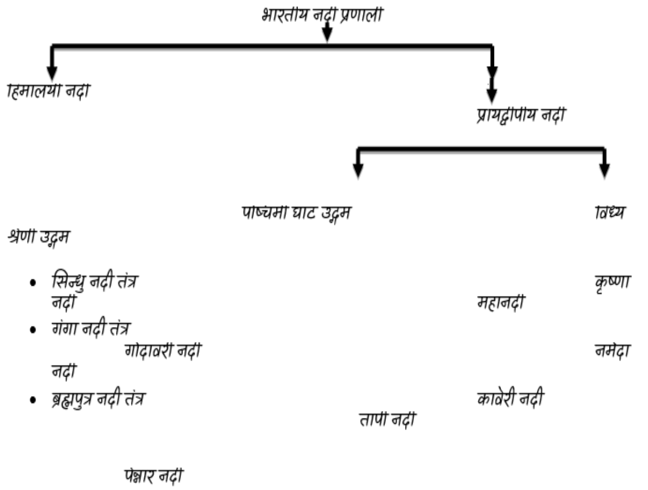

हिमालयी अपवाह तंत्र

उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय का अधिक महत्त्व हैं । ये नदियाँ तीव्र गति से अपनी घाटियों को गहरा कर रही हैं । उत्तरी भारत की नदियाँ अपरदन से प्राप्त मिट्टी को बहाकर ले जाती हैं तथा मैदानी भागों में जल प्रवाह की गति मंद पड़ने पर मैदानों और समुद्रों में जमा कर देती हैं । इन्ही नदियों द्वारा लायी गई मिट्टी से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ हैं।

इंडो ब्रहा नदी:- भू-वैज्ञानिक मानते हैं। कि, मायोसीन कल्प में लगभग 2.5 करोड़ से 50 लाखों वर्ष पहले एक विशाल नदी थी । जिसे शिवालिक या इंडो - ब्रहाा नदी कहा गया हैं ।

इंडो ब्रह नदी के तीन मुख्य अपवाह तंत्र -

1.पश्चिम में सिन्धु और इसकी पाँच सहायक नदियाँ

2.मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ

3.पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ :-

हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ

- सिन्धु नदी तंत्र
- गंगा नदी तंत्र
- ब्रह्मपुत्र नदी

1. सिन्धु नदी तंत्र

सिन्धु जब संधि (1960)

तीन पूर्वी नदियों - व्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत तथा 3 पश्चिमी नदियों सिन्धु, झेलम, चेनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया -

1.व्यास, रावी, सतलुज — 80% पानी भारत, 20% पानी पाकिस्तान

2.सिन्धु, झेलम, चिनाब — 80% पानी पाकिस्तान, 20% पानी भारत

सिंधु नदी तंत्र

यह विश्व की सबसे बड़ी नदी श्रेणियों में से एक हैं, जिसका क्षेत्रफल 11 लाख, 65 हजार वर्ग km हैं। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किमी हैं।

- सिन्धु नदी की कुल लंबाई 2,880 किमी. है। परंतु भारत में इसकी ल. केवल 1,114 km हैं। भारत में यह हिमालय की नदियें में सबसे पश्चिम नदी हैं।
- सिन्धु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी (मानसरोवर झील) में बोखर-चू के निकट एक हिमनद से होता हैं, जो 4,164 मीटर उँचाई पर स्थित हैं। तिब्बत में इसे शेर मुख कहते हैं।
- अंततः यह नदी अटक (पंजाब प्रांत, पाकिस्तान) के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती हैं। जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती हैं।
- यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। पंचनद नाम पंजाब की पाँच मुख्य नदियों सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम को संयुक्त रूप से दिया गया हैं।
- सिन्धु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत का पठार हैं। तिब्बत के पठार से निकलने वाली अन्य नदियाँ - यांग्त्सी - क्यांग, जियांग, हंग-हो, पीत, पीली नदी इरावदी, मेकांग एवं सतलज।
- जास्कर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होता हैं। यह नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। तथा कठोर चट्टानी भागो से होकर बहती हैं। यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहते हुए नेमू के निकट सिन्धु नदी से मिल जाती हैं।

सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ : -

1. सतलज नदी 2. व्यास नदी 3. रावी नदी
4. चिनाब नदी 5. झेलम नदी

सतलज नदी -

- यह एक पूर्ववर्ती नदी हैं जो तिब्बत में 4,555 मीटर की ऊँचाई पर मानसरोवर के निकट राकस ताल झील से निकलती हैं। जहाँ इसे लाँगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता हैं।
- यह उत्तर - पश्चिम दिशा में बहते हुए इंड़ो - तिब्बत सीमा के समीप शिपकील दर्रे के पास भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 km तक सिन्धु नदी के समान्तर बहती हैं।
- यह हिमालय की श्रेणियों (महान हिमालय और जास्कर श्रेणी) को काटकर महाखड्ड का निर्माण करती हैं।

व्यास नदी (विपाशा नदी)

- यह सिन्धु की एक अन्य महत्त्वपूर्ण सहायक नदी हैं। रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड़ से निकलती हैं।
- यह नदी कुल्ली घाटी से गुजरती हैं। तथा धौलाधर श्रेणी में काटी और लारजी में महाखण्ड़ का निर्माण करती हैं।

रावी नदी (परुष्णी नदी या इरावती नदी)

- यह नदी सिंधु की महत्त्वपूर्ण सहायक नदी हैं जो हिमालय की कुल्लु की पहाड़ियों में स्थित रोहतंग

दर्रे के पश्चिम से निकलती हैं तथा चंबा घाटी से होकर बहती हैं ।

- पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले व सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीरपंजाल के दक्षिण-पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच से प्रवाहित होती हैं ।

चिनाब नदी (अस्किनी)

- यह सिन्धु की सबसे बड़ी सहायक नदी हैं । जो चंद्रा और भाग नामक दो सरिताओं के मिलने से बनती हैं ये सरितायें हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांड़ी में आपस में मिलती हैं ।
- इसलिये इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता हैं । पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत में इस नदी का बहाव क्षेत्र 1180 किमी हैं ।

झेलम नदी (वितस्ता)

- यह सिन्धु की सहायक नदी हैं , जो कश्मीर घाटी के दक्षिण-पूर्वी भाग में पीरपंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झरने से निकलती हैं ।
- पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखण्ड से गुजरती हैं ।

गंगा नदी तंत्र

गंगा नदी

- गंगा नदी का उदगम् उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिलें में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से हुआ हैं। जहां यह भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं।
- गंगा नदी की ल. 2525km (उत्तराखंड) में 110 km. उ०प्र० में 1450 km.तथा बिहार में 445 km व पश्चिम बंगाल में520 km) हैं।
- उत्तराखण्ड में देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा नदी से मिलती है तथा इसके बाद यह गंगा कहलाती है
- अलकनंदा नदी का स्त्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से हुआ है।
- भागीरथी से देव प्रयाग में मिलने से पहले अलकनंदा से कई सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं।

स्थान	नदी संगम
विष्णु प्रयाग	धौलीगंगा + अलकनंदा
नंद प्रयाग	मंदाकिनी + अलकनंदा
कर्ण प्रयाग	पिंडार + अलकनंदा
रुद्रप्रयाग	मंदाकिनी + अलकनंदा
देवप्रयाग	भागीरथी + अलकनंदा

- गंगा नदी हरिद्वार(उत्तराखंड) के बाद मैदानी क्षेत्रो में प्रवेश करती है तथा अपने दक्षिण पूर्व में बहते हुए इलाहाबाद (उ० प्र०) में पहुचती है जहां इससे यमुना नदी (गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी) आकर मिलती हैं।
- इसके बाद यह बिहार व प. बंगाल मे प्रवेश करती हैं। प. बंगाल में यह दो वितरिकाओं (धाराओ) में बट जाती हैं। एक धारा हुगली नदी कहलाती है जो प.बं. में चली जाती है तथा मुख्य धारा प.बं. होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं।
- बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इससे ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है जिसके बाद यह पदमा के नाम से जानी जाने लगती है
- अन्त में यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं।

गंगा की प्रमुख सहायक नदियां

यमुना (सबसे लम्बी सहायक नदी),रामगंगा, गोमती , घाघरा , गडक , कोसी , महानंदा , सोन (दाहिनी तरफ से) इत्यादि।

यमुना नदी –

इस नदी का उद्गम उत्तराखण्ड में बदरपूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से हुआ है।

- यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी व सबसे लम्बी नदी है।जो गंगा से इलाहाबाद में आकर मिलती है ।
- प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल सिंध, बेतवा केन इसके दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियां है इसके बाएं तट पर हिंडन रिंद सेगर वरुणा आदि नदियां मिलती है।
- चम्बल नदी म. प्र. के मालवा पठार मेंमहू के निकट निकलती है तथा राजस्थान के कोटा में बहते हुए उ०प्र०में यमुना से आकर मिलती है यह अपनी 'उत्खात भूमि' (Badlond Topography) के लिए प्रसिद्ध है।

रामगंगा नदी- उत्तराखण्ड में गैरसेन के निकटगढवाल की पहाड़ियो से निकलती है तथा कन्नौज उत्तरप्रदेश में गंगा से आकर मिल जाती है ।

गोमती नदी- पीलीभीत जिलें से निकलती है तथा गाजीपुरमे गंगा नदी से मिलती है। लखनऊ व जौनपुर इसी के किनारे बसे हैं ।

घाघरा नदी- तिब्बत के पठार में स्थित'मापचाचुंगोहिमनद से निकलती है तथाबाराबकी जिला में शारदा नदी (काली गंगा)इससे आकर मिलती है।और अन्ततः यह छपरा (बिहार) में गंगा से मिलती है

सोननदी- यह मध्यप्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तथा पटना के पहले गंगा के दायीं तट से इससे मिल जाती हैं ।

गडक नदी -नेपाल से इसका उदगम होता है तथा यह अन्ततःसोनपुर (बिहार) में गंगा से मिल जाती है।

कोसी नदी -इसका स्त्रोत तिब्बत में मा. एवरेस्ट केउत्तर में है जहां से इसकी मुख्य धारा अरुणा निकलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।

महानंदा नदी -महानंदा गंगा के बाएँ तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है।

<u>ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र</u> (The Brahmaputra River System)

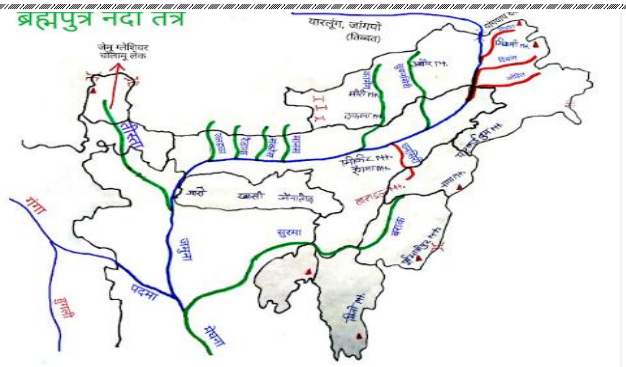

ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमयांगडुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो (Tsangpo) के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा के निकट हिमालय को काटकर तथा "U"टर्न बनाते हुए गहरे गार्ज का निर्माण करती है और दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी अन्य सहायक नदियां धनश्री, सुबनसिरी, मानस, पगलादिया आदि हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लम्बाई 2900 किमी है, जिसमें 916 किमी. भारत में बहती है।

प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र :-

- हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीप नदी तंत्र अधिक पुराना है ।
- पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों व अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच जल विभाजक कार्य करती है ।
- प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की प्रौढावस्था व नदी घाटियों का चौड़ा व उथला होना इसके प्राचीन होने का प्रमाण है ।
- प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है ।
- नर्मदा एवं ताप्ती इनके विपरीत बहती है ।
- हिमालय के उत्थान के साथ नर्मदा व ताप्ती नदियों का भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ है ।

<u>प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ</u>

1. महानदी 2. गोदावरी 3. कृष्णा
4. कावेरी 5. नर्मदा 6. ताप्ती

बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां

<u>महानदी –</u>

- इसकी कुल लम्बाई 851 km है

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिलें में सिहावा के पास से निकलती है
- उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी मे गिरती है
- महानदी की द्रोणी का अपवाह महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ओडिशा झारखण्ड व मध्यप्रदेश में है ।

गोदावरी नदी –

- यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लम्बी नदी (1465 km) है
- इसका अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में सबसे बड़ा है ।
- गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है ।
- तेलगाना व आन्ध्रप्रदेश मे बहते हुए राजमन्दुरी के पास कई धाराओं में विभक्त होकर डेल्टा का निर्माण करती है।
- इसकी द्रोणी का अपवाह महाराष्ट्र ,छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व मध्यप्रदेश में है
- इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है पूर्णा पेनगंगा, वेनंगगा, इन्द्रावती (बाएँ तट से) मंजिरा (दक्षिण तट से)उडीसा से निकलती है व बस्तर के पठार (छत्तीसगढ़) मे बहते हुए गोदावरी से मिलती है।
- **दामोदर नदी** -दामोदर नदी झारखण्ड में स्थित छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा भ्रंश घाटी में बहते हुए पश्चिम बंगाल में बहने वाली हुगली नदी से मिलती है। बराकर दामोदर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है । इससे बंगाल का शोक भी कहते हैं/
- **स्वर्ण रेखा नदी** – यह रांची (झारखण्ड) के दक्षिण पश्चिम से निकलती है तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में बहते हुए यह अपना जल बंगाल की खाड़ी मे गिराती है। जमशेदपुर नगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है।
- **वैतरणी नदी-**यह उड़ीसा के क्योंझर जिलें से गुप्तगंगा पठार से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है।
- **ब्राहमणी नदी** -यह रांची के पास कोयल व शंख दो नदियों के निकलने के बाद राउरकेला में मिलने से ब्राह्मणी नदी कहलाती है।
- **कृष्णा नदी-**

- यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लम्बी नदी (1402km) है।
- यह महाबलेश्वर चोटी से (महाराष्ट्र) से निकलती है
- कर्नाटक, तेलगाना व आन्ध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी मे गिरती है यह भी डेल्टा का निर्माण करती है (विजयवाड़ा के निकट)
- इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है कोयना, पचगंगा ,घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा , मूसीभीमा व तुगभद्रा (तुंगा + भद्रा)
- **पेन्नार नदी** - यह कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है तथा आन्ध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाडी में गिरती है।
- **कावेरी नदी –**

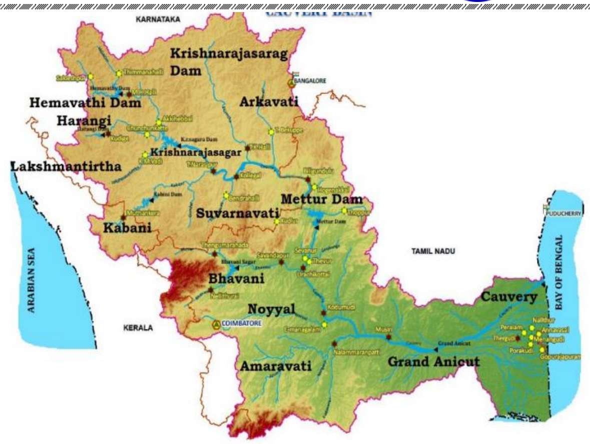

- यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिलें की ब्रहमगिरि की पहाड़ियो से निकलती है
- तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है यह डेल्टा का निर्माण करती है
- इस नदी की कुल लंबाई 800 किमी. है
- इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में 41% कर्नाटक में व 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है।
- कावेरी नदी को "दक्षिण भारत की गंगा" के नाम से भी जाना जाता है।

बैंगा नदी- यह तमिलनाडु के वरशानद पहाड़ी से निकलती तथा मदुरै शहर से बहते और पाक की खाड़ी में गिरती है।

ताम्रपाणी नदी - यह पालनी की पहाड़ियों से निकलती है तथा अपना जल मन्नार की खाड़ी में गिराती है।

<u>अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ</u>

शतरंजी नदी - गुजरात के अमरेली जिलें से निकलती है तथा अपना जल खम्भात की खाड़ी में गिराती है।

<u>नर्मदा नदी</u> –

- यह मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है
- अंत में यह भडोच के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है तथा ज्वार्नाझुख का निर्माण करती है।
- यह अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे लम्बी (1312 km) नदी है
- यह तीन राज्यो मध्यप्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है।

<u>ताप्ती नदी</u> –

- इसकी उत्पत्ति मध्यप्रदेश के महादेव पहाड़ी के पास बेतुल जिलें के मुलताई से निकलती है ।
- सतपुडा श्रेणी व अजंता श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी में बहते हुए सूरत शहर के आगे खम्भात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं।
- इसकी द्रोणी मध्यप्रदेश, गुजरात , महाराष्ट्र है

लूनी नदी -लूनी नदी अजमेर के दक्षिण -पश्चिम मे नाग पहाड़ी (अरावली श्रेणी) से निकलती है तथा कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है।

साबरमती नदी -यह उदयपुर जिलें (राजस्थान) के पास अरावली श्रेणी से निकलती है तथा खम्भात की खाड़ी मे अपना जल गिराती है। गांधीनगर व अहमदाबाद इस नदी के तट पर स्थित हैं।

माही नदी - इसका उद्‌गम म०प्र० में विंध्य श्रेणी के पश्चिम से हुआ है। यह तीन राज्यो में म. प्र., राजस्थान व गुजरात में प्रवाहित होते हुए अपना जल खम्भात की खाडी में गिराती है। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है।

भादर नदी -गुजरात के राजकोट जिलें से निकलती है अपना जल अरब सागर में गिराती है।

वैतरणा नदी -यह नासिक जिलें (महाराष्ट्र) की त्रिंबक की पहाडियों से निकलती है तथा अपना जल अरब सागर में गिराती है।

माण्डवी तथा जुयारी -यह गोवा की दो प्रमुख नदिया है जो अपना जल अरब सागर में गिराती है ।

कालिंदी या काली नदी -यह कर्नाटक के बेलगाँव जिलें से निकलती है तथा अपना जल करवाड़ की खाड़ी में गिराती है ।

शरावती नदी –यह कर्नाटक के शिमोगा जिलें से निकलती है। भारत का सबसे ऊँचा गरसोप्पा (जोग) जल प्रपात इसी नदी पर है ।

पेरिआर नदी – यह केरल की सबसे लम्बी नदी है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा वेंम्बनाद के उत्तर में अपना जल अरब सागर में गिराती है।

भरतपूझा नदी - यह भी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। यह केरल की सबसे बड़ी (जलग्रहण क्षेत्र) नदी है इसे 'पोन्नानी ' के नाम से भी जानते हैं।

<u>भारत की प्रमुख झीलें</u>

भारत में अधिकांश झीलें उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं, परन्तु समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी भारत की कुछ महत्त्वपूर्ण झीलें स्थित हैं। भारत में कई प्राकृतिक एवं मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं। मानव निर्मित झीलें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत बनाए गए जलाशयों के रूप में स्थित हैं । भारत की विभिन्न प्रकार झीलें निम्नलिखित हैं –

1. ***विवर्तनिक झीलें*** - इन झीलों का निर्माण किसी धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। जैसे - कश्मीर में स्थित वूलर झील आदि।
2. ***लैगून झीलें*** - इन झीलों का निर्माण तब होता है, जब तटीय समुद्री जल का कुछ भाग बालू, चट्टान या प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य भूमि से अलग होकर झीलनुमा आकृति बना लेता है। जैसे चिल्का (उड़ीसा), पुलिकट (आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु), बेम्बानाद (केरल), अष्टमुडी (केरल) आदि।
3. ***हिमानी निर्मित झीलें*** - इन झीलों का निर्माण हिमानी या हिमनदों के अपरदन से होता है। जैसे - नैनीताल, राकसताल आदि।
4. ***क्रेटर निर्मित झीलें*** - इन झीलों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के पश्चात् बने क्रेटर में पानी के भरने से होता है। जैसे -महाराष्ट्र के बुलढाना में स्थित लोनार झील आदि।
5. ***वायु निर्मित झीलें*** - मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाया जाता है, वहां ऐसी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें प्लाया झीलें भी कहते हैं। जैसे - राजस्थान की साम्भर, डीडवाना, लूनकरनसर आदि झीलें।
6. ***डेल्टाई झीलें*** - डेल्टाई प्रदेशों में कई वितरिकाओं के मध्य छोटी-बड़ी झीलों का विकास होता है, जो सामान्यत: मीठे जल की होती हैं। जैसे - कृष्णा-गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित कोल्लेरू झील आदि।

<u>प्रमुख जल प्रपात</u>

भारत के अधिकांश जलप्रपात होते हैं और संख्या में भी कम हैं /इनमें से अधिकतर जल प्रपात दक्षिण भारत के पठारी भागों पर ही मिलते हैं भारत की अनेक नदियाँ जल प्रपात का निर्माण करती हैं , जो निम्न हैं :-

जल प्रपात	नदी
गरसोप्पा या जोग जल प्रपात	शरावती नदी
धुआंधार जल प्रपात	नर्मदा नदी
शिव समुन्द्रम जल प्रपात	कावेरी नदी
गोकक जल प्रपात	कृष्णा नदी के सहायक नदी गोकक नदी
हुण्डरू जल प्रपात	स्वर्ण रेखा नदी
कपिल धारा जल प्रपात	नर्मदा नदी
दूध सागर जल प्रपात	माण्डवी नदी
चूलिया जल प्रपात	चम्बल नदी
चित्र कूट जल प्रपात	इन्द्रावती नदी
बिरद्दी जल प्रपात	उत्तराखंड में
येना जल प्रपात	महाबलेश्वर के पास
वसुंधरा जल प्रपात	अलकनंदा नदी
पायकार जल प्रपात	पायकारा नदी
माधर जल प्रपात	नर्मदा नदी
कुंचीकुल जल प्रपात	वारही नदी ((शिमोंग)
बारहपानी जल प्रपात	बुद्ध बालंगा नदी ((मयुरभंज)
थोसेबर जल प्रपात	सताश(महाराष्ट्र)

अध्याय – 9
जलवायु

भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पायी जाती है इस जलवायु के अंतर्गत अधिकतम वर्षा ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होती है।

भारत की जलवायु

1.ऋतुओं के आधार पर

भारतीय मौसम विभाग ने भारत के वर्ष को जलवायु परिस्थितियों के आधार पर 9 प्रमुख ऋतुओं में विभाजित किया है।

शीत ऋतु	ग्रीष्म ऋतु	द.पं. मानसून ऋतु	निवर्तन ऋतु मानसून
दिस.- फर.	मार्च- मई	जुलाई- अगस्त	सितम्बर- नवम्बर

इन ऋतुओं के आधार पर भारत की जलवायु को देखा जा सकता है।

1.शीत ऋतु

नवम्बर के अंत से शुरु होकर दिसम्बर से फरवरी के बीच पायी जाने वाली शीत ऋतु के दौरान दिसम्बर तथा जनवरी सबसे ठंडे महीने होने के साथ द्रांस घाटी क्षेत्र में सबसे कम तापमान पाया जाता है।

2.तापमान

इस ऋतु के दौरान सूर्य के दक्षिण गोलार्द्ध में होने से भारत में तापमान कम पाया जाता है। उत्तर भारत मं 20 डिग्री सेल्सियस से कम तथा दक्षिण भारत में 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पाया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक तापमान पाया जाता है। क्योंकि दक्षिण भारत में समकारी प्रभाव रहने के साथ विषुवत रेखा की निकटता है।

उत्तर भारत में पाले तथा कोहरे की स्थिति का निर्माण होता है। उत्तर भारत में अत्यधिका कम तापमान पाये जाने के निम्नलिखित कारण हैः-

1.उत्तरी भारत मं महाद्वीपीय प्रभाव रहता है।

2.शीत ऋतु के दौरान हिमालय क्षेत्र में होने वाले हिमताप के कारण चलने वाली शीत लहरें उत्तर भारत के तापमान को कम कर देती है।

3.कैस्पियन सागर तथा तुर्कमेनिस्तान से चलने वाली ठंडी पवनों के कारण उत्तरी भारत में शीत लहरें चलना प्रारम्भ होती है जो तापमान को कम कर देती है।

3.दाब

इस ऋतु के दौरान सम्पूर्ण भारत पर उच्च दाब परिस्थितियां पायी जाती है। उत्तरी पश्चिमी भारत में सबसे प्रबल 1019 एम. बी. उच्च दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है। भारत से 1013 एम. बी. से 1019 एम.बी. की उच्च दाब परिस्थितियां पायी जाती है।

4.पवन

इस ऋतु के दौरान पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। यह पवनें स्थल से जल की ओर चलने के कारण शुष्क होती है।

1. वर्षा

शीत ऋतु में सामान्यतः वर्षा नहीं होती परन्तु अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में वर्षा प्राप्त होती है जो निम्न हैः-

1.पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पुर्व भारत में मावठ के रूप में वर्षा प्राप्त होती है। परन्तु अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में वर्षा प्राप्त होती है

हिमालय क्षेत्र में यह वर्षा हिमपात के रूप में होती है।

2.कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्व मानसून पवनों के कारण वर्षा प्राप्त होती है। (बंगाल की खाडी आर्द्रता ग्रहण) (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल व कर्नाटक का दक्षिण पूर्वी भाग)

3.इस ऋतु में अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ वर्षा प्राप्त होती है।

2.ग्रीष्म ऋतु –

मार्च से मई के महीने के बीच पायी जाने वाली ग्रीष्म ऋतु के दौरान सूर्य के उत्तरी गोलार्द्ध की ओर बढने से तापमान के बढने पर उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु प्रखर तथा दक्षिणी भारत में मृदु होती है।

1.तापमान

ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। दक्षिण भारत मे समकारी प्रभाव के कारण अपेक्षाकृत कम तापमान पाया जाता है। उत्तरी भारत मे महाद्वीपीय प्रभाव से अधिक

तापमान पाया जाता है।

2.दाब

इस ऋतु के दौरान भारत पर निम्न दाब परिस्थितियाँ (997-1009 एम. बी.) पायी जाती है। सबसे प्रबल निम्न दाब (997) उत्तरी पश्चिमी भारत में पाया जाता है।

3 पवन

इस ऋतु में पवनें दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इस ऋतु में लू नामक स्थानीय पवनें चलती है

4.लू

ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क स्थानीय पवन लू कहलाती है। जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार में चलती है। यह धूल भरी आंधियां भी लेकर आती है।

5. **वर्षा**

ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः वर्षा प्राप्त नहीं होती परन्तु कुछ क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा प्राप्त होती है।

जैसे- पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र पर होने वाली आम्र वर्षा एवं चेरी ब्लासम (फूलों की वर्षा कहवा फूल खिलाती है) असम तथ पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी शाम को चलने वाली विनाशकारी आर्द्रतायुक्त पवनों द्वारा उत्पन्न होने वाले वज्र तूफान को कहते हैं। (शुष्क गर्म पवन- आर्द्र पवन)

2 **ग्रीष्म ऋतु**

ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान कम दाब की स्थिति के कारण दक्षिण पूर्वी पवनें तथा लू जैसी स्थानीय पवनें चलती है। एवं मानसून पूर्व वर्षा प्राप्त हो।

3.दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु

यह ऋतु जून से अगस्त के बीच पायी जाती है। इस ऋतु के दौरान आई.टी.सी.जेड. भारत पर आकर स्थापित हो जाता है अतः दक्षिणी गोलार्द्ध की व्यापारिक पवनें भारत की ओर बढती है तथा यह पवनें विषुवत रेखा पार करने के बाद दक्षिण पूर्वी दिशा से भारत की ओर बढती है। इस ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है।

1. तापमान

इस ऋतु के दौरान वर्षा के कारण 5-8 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है।

औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है।

2.दाब

इस ऋतु के दौरान प्रबल निम्न दाब की स्थिति (997-1009 एम. बी.) भारत पर पायी जाती है। आई. टी. सी. जेड के रूप में एक निम्न दाब की द्रोणी भारत पर स्थापित होती है। सबसे प्रबल निम्न दाब उत्तर पश्चिम भारत में होता है।

3.पवन:-

इस ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें चलती है। जो मुख्य भू-भाग पर पहुंचने के बाद अपनी दिशा में उच्चावच एवं दाब परिस्थितियों के कारण परिवर्तन करती है।

4.वर्षा

इस ऋतु में दक्षिण पूर्वी मानसून पवनों द्वारा वर्षा प्राप्त होती है यह वर्षा मानसून पवनों की 2 शाखाओं से प्राप्त होती है।

1. अरब सागर 2. बंगाल की खाड़ी की शाखा

1.अरब सागर की शाखा

(A)पश्चिमी घाट शाखा: (दक्षिणी शाखा)

अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती है। इसके बाद यह इसके ढाल के सहारे लगभग 1200 एम. की ऊँचाई तक चढकर के सघन होकर बादल निर्माण करके पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा 250-400 से.मी. करती है। जब यह पवनें पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो यह गर्म व शुष्क होकर सीमित वर्षा करती है।

(B)छोटा नागपुर शाखा (मध्य शाखा)

अरब सागर की यह शाखा नर्मदा तथा तापी घाटी से होते हुए मध्य भारत में वर्षा करती है। यह शाखा बिहार में बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है तथा उस शाखा के साथ यह उत्तर पूर्वी भारत की ओर बढती है।

(C)हिमाचल शाखा (उत्तरी शाखा)

सौराष्ट्र प्रायद्वीप से भारत में प्रवेश करने वाली यह शाखा कच्छ प्रायद्वीप तथा राजस्थान को लांघकर पंजाब तथा हरियाणा तक पहुंचती है।

यह शाखा अरावली के समानान्तर चलती है अतः यह राजस्थान और गुजरात में कम वर्षा करती है। यह पंजाब हरियाणा में बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। तथा यह दोनों शाखाएं प्रबल होकर हिमाचल प्रदेश में स्थित हिमालय पर्वतीय प्रदेश (धर्मशाला) में भारती वर्षा करती है।

अध्याय – 5
कृषि एवं पशुपालन

विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम

एरोपोनिक	पौधों को हवा में उगाना
एपीकल्चर	मधुमक्खी पालन
हॉर्टीकल्चर	बागवानी
फ्लोरीकल्चर	फूल विज्ञान
ओलेरीकल्चर	सब्जी विज्ञान
पोमोलॉजी	फल विज्ञान
विटीकल्चर	अंगूर की खेती
वर्मीकल्चर	केंचुआ पालन
पिसीकल्चर	मत्स्यपालन
सेरीकल्चर	रेशम उद्योग
मोरीकल्चर	रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना

भारत की फसल ऋतुएँ

भारत की भौतिक संरचना, जलवायुविक (Climatic) एवं मृदा सम्बन्धी विभिन्नताएँ ऐसी हैं, जो विभिन्न प्रकार की फसलों की कृषि को प्रोत्साहित करती हैं। देश के उत्तरी एवं आन्तरिक भागों में तीन प्रमुख फसल खरीफ, रबी व जायद के नाम से जानी जाती हैं।

1. खरीफ

ये वर्षा काल की फसलें हैं, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रारम्भ जून-जुलाई होना । के साथ बोई जाती है तथा सितम्बर-अक्टूबर तक काट ली जाती इसमें उष्णकटिबन्धीय फसलें शामिल हैं, जिसके अन्तर्गत चावल, ज्वार बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, सन, तम्बाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि की कृषि की जाती हैं।

2. रबी

ये फसल सामान्यत: अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च में काट ली जाती है। इस समय का कम तापमान शीतोष्ण एवं उपोष्ण कटिबन्धीय फसलों के लिए सहायक होता है। इस ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। इसके अन्तर्गत शामिल प्रमुख फसलें- गेहूँ, जौं, चना, मटर, सरसों, राई आदि हैं।

3. जायद

जायद एक अल्पकालिक एवं ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है, जो रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में अर्थात् अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। इसमें सिंचाई की सहायता से सब्जियों तथा खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला आदि की कृषि की जाती है। मूंग एवं कुल्थी जैसी दलहन फसलें भी इस समय उगाई जाती हैं। यद्यपि इस प्रकार की पृथक् फसल ऋतुएँ देश के दक्षिणी भागों में नहीं पाई जाती । यहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष भर किसी भी उष्णकटिबन्धीय फसल (Tropical Crop) की बुआई में सहायक है, इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए देश के इस भाग में जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक कृषि वर्ष में एक ही फसल तीन बार उगाई जा सकती हैं।

प्रमुख फसलें

भारत में प्रमुख फसलों की कृषि

1.चावल –

- यह प्रेमिनी कुल का एक उष्णकटिबंधीय फसल है एवं भारत की मानसूनी जलवायु में इसको अच्छी कृषि की जाती है। चावल हमारे देश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु की उपयुक्तता के कारण इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है।
- देश में सकल बोई गई भूमि के 23% क्षेत्र में एवं खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में 47% भाग पर चावल की कृषि की जाती है।
- विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाले सर्वाधिक क्षेत्र (28%) भारत में हैं जबकि उत्पादन में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2012 में चावल निर्यात में भारत का विश्व में प्रथम स्थान था।
- भारत में विश्व के कुल चावल उत्पादन का लगभग 21% चावल पैदा होता है।
- कृष्णा-गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के **"चावल के कटोरे"** के नाम से भी जाना जाता है।

1. **गेहूं (Wheat) –**

- यह प्रेमिनी कुल का सदस्य है। विश्व में गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है चावल के बाद देश का दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है।
- देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% एवं कुल बोए गए क्षेत्र के 13% भाग गेहूँ की कृषि की जाती है।
- भारत में विश्व का लगभग 12.5 प्रतिशत गेहूँ का उत्पादन होता है।
- गेहूँ में ग्लूटिन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। गेहूँ के सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश (देश के कुल कल उत्पादन का 30.29 मिलियन टन) पंजाब (17.21 मिलियन सां तथा हरियाणा राणा (12.68 मिलियन टन) हैं।

- मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उत्पादकता प्रथम स्थान पंजाब राज्य का है। आर्थिक समीक्षा 2013-14 में गेहूँ का कुल उत्पादन ९५.८८ मिलियन टन रहा।

- **जौं (Barley) –**
- जो भी देश की एक महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसकी गणना मोटे अनाजों में की जाती है।
- जौं का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश अन्य उत्पादक राज्य है। जो की किस्में हिमानी, ज्योति, कैलाश, C-164 K-24, RDB-1 आदि हैं अनाज है।

4. ज्वार (Jowar) – ज्वार एक मोटा अनाज जिसकी कृषि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के की जाती है। इसलिए उपजाऊ जलोद अथवा चिकनी मिट्टी काफी उपयुक्त होती है। ज्वार की फसल भारत के अधिकांश राज्यों में खरीफ की फसल है। देश में ज्वार तीन-चौथाई से अधिक क्षेत्र मात्र तीन राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में विस्तृत है देश का लगभग 80% ज्वार का उत्पादन भी इन्हीं तीनों राज्यों में होता है। प्रमुख किस्में CSV-1, CSV-7, CSH-1, CSH-8 आदि है।

5. बाजरा (Bajra) – बाजरा की गणना भी मोटे अनाजों में की जाती है और यह वास्तव में, ज्वार से भी शुष्क परिस्थितियों में पैदा किया जाता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा हरियाणा में बाजरे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। प्रमुख किस्में बाबापुरी, मोती, HB-3, HB-4, 7-SS, CO1 आदि हैं।

6. मक्का (Malre) – मक्के की उत्पत्ति पाईकाने से हुई है। यह एक उभयलिंगी पौधा है। हमारे देश अपेक्षाकृत शुष्क भागों में मक्का का उपयोग प्रमुख खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। अन्य धान्य फसलों की अपेक्षा इसमें स्टार्च को मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। देश में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसके बाद आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार एवं उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। मक्के के उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। मक्का की किस्में गंगा , गंगा 101 विजय, जवाहर विक्रम रतन किसान, सोना, एवं रणजीत आदि ।

7. तिलहन (Oil Seeds) – हमारे देश में विलहनी फसलों की कृषि प्रायः अनुपजाऊ मिट्टी एवं वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में ही की जा रही है। रबी एवं खरीफ दोनों फसल समयों में तिलहनों को कृषि की जाती है। सरसों रबी को प्रमुख फसल है जबकि मूंगफली को कृषि खरीफ के समय की जाती है। तिलहनों के उत्पाद में मध्य अग्रणी सूर्यमुखी, सोयाबीन व नारियल तेल के उत्पादन में क्रमशः राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं केरल भारत में प्रथम स्थान रखते हैं।

9. दालें (Pulses) – शाकाहारी भोजन पसंद करने वाली जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन देते हैं। हमारे देश में रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल को कृषि की जाती है। फलीदार पौधा होने के कारण दालें मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त तत्वों को आपूर्ति करती है उसको एवं साथ उपजाया उर्वरता बढ़ती है। इसी कारण इसे अन्य फसलों के जाता है। हमारे देश में दलहनी फसलों की कृषि प्रायः अनुपजाऊ मिट्टी एवं वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। दालों के उत्पादन व उपयोग दोनों में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है।

10. गन्ना (Sagarcane)– गन्ना का जन्म स्थान भारत है। यह प्रेमिनो कुल का पौधा है। गन्ना उत्पादन में भारत का ब्राजील के बाद द्वितीय स्थान है, जबकि खपत और कृषि क्षेत्र के मामले भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना पैदा किया जाता है। गन्ने को फसल तैयार होने में एक वर्ष का समय लग जाता है। । गन्ना की फसल तैयार होते समय वर्षा का अभाव काफी लाभदायक होता है क्योंकि इससे शर्करा मात्रा में वृद्धि होती है। भारत लगभग 92 प्रतिशत गन्ना क्षेत्र गन्ना क्षेत्र सिंचित है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश अकेले ही देश के लगभग 45% गन्ने का उत्पादन करता है।

11. चाय (Tea) – वर्तमान समय में यह भारत की प्रमुख पेय फसल है। इसको भौगोलिक दशाएँ 150-250 सेमी, वार्षिक वर्षा, 24°C से 30°C का उच्च तापमान, हरी एवं गंधक वाली मिट्टी आदि हैं। जल-प्रिय पौधा होने के बावजूद इसकी जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। इसी कारण इसको खेती पहाड़ी ढालों पर को जाती है। ठण्डी हवा पाला चाय की कृषि के लिए हानिकारक है। देश में चाय उत्पादन में असम का प्रथम स्थान है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी व सुरमा नदी की घाटी में चाय की उन्नत कृषि की जाती है। असम से देश के कुल उत्पादन का 50% भाग प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में उत्पादन करने वाला राज्य है। केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पर्वतीय वालों पर भी है। भारत विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और इसका हिस्सा उपभोक्ता देश है। भारत के विश्व उत्पादन का 27 उत्पादित करता है तथा चाय के विश्व व्यापार 9 प्रतिशत है। विश्व में चाय उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है।

12. कहवा (Colfice) - विश्व के कुल कहवा उत्पादन का 49 उत्पादन भारत में किया जाता है किन्तु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी माँग विदेशों में अधिक रहती है। इतवों पर्वतीय धरातल एवं दोमट अथवा लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। हमारे देश में दो प्रकार के कहवा की कृषि की जाती हैं, अरेबिका कॉफी व रोबस्टा कॉफो। अरेबिका कहवा देश के कहवा के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के 60% भाग पर कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में बोया जाता है। जबकि शेष भूमि पर रोबस्टा कहवा की कृषि को जाती है। कहवा की खेती दक्षिण भारत के पर्वतीय वालों तक ही सीमित है। कर्नाटक (68%), केरल (21%) तथा तमिलनाडु सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाले राज्य हैं।

13. कपास (Cotton) - यह मालवेसी कुल का पौधा है। संसार में मुख्यतः इसको दो प्रजातियाँ पायी जाती हैं। प्रथम देशों कपास (Old World Cotion) अर्थात् गासिपियम अरबोरियम एवं गाहरवेरियम है। दूसरा अमेरिकन कपास (New World Commi अर्थात् गाहिरसुटम एवं बारबेडेन्स नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग की लावा निर्मित काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। गुजरात (34.09%), महाराष्ट्र (20.45%), आंध्र प्रदेश (20.45%) तथा पंजाब मिलकर देश के कुल उत्पादन के 60% से भी अधिक कपास का उत्पादन करते हैं।

14. जूट (Jute) - यह एक रेशेदार फसल है जिससे बोरी टाट कालीन, कपड़े आदि बनाए जाते हैं। जूट को फसल तैयार होने में 10 से 11 माह लगता है। भारत में जूट की औसत उपज 2,000 से 2,100 किलोग्राम है। औसत उपज पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक और बिहार में सबसे कम है। जूट के बुवाई क्षेत्र लगभग 90% क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार असम तथा मेघालय में ही है। ओडिशा उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के तराई वाले भागों में भी इसकी खेती की जाती है। केवल पश्चिम बंगाल देश की कुल जूट उपज का लगभग 80% उत्पादन करता है। बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदि अन्य प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है।

15. रबड़ (Rubber) - रबड़ का जन्म स्थान ब्राजील है। यह उष्ण कटिबंधीय पौधा है। रबड़ वृक्ष के दूध (लेटैक्स) से रबड़ प्राप्त होता है। 1902 ई. में केरल में पेरियार नदी के किनारे इनके वृक्ष लगाए गए। इसकी उत्तम कृषि के लिए 25°C से 32°C का उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा लाल लैटेराइट, चिकनी एवं दोमट मिट्टी तथा अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। दक्षिण भारत में इसकी सबसे उपयुक्त दशाएँ मिलती हैं। भारत में विश्व के उत्पादन का लगभग 1.7% प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। रबड़ के प्रति हेक्टेयर उपज की दृष्टि से भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ रबड़ पैदा किया जाता है। 2013-14 में भारत प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश था।

16. तम्बाकू (Nicotin) - यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए औसतन 15°C से 38°C का तापमान, 50 सेमी की वार्षिक वर्षा बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तम्बाकू को पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध तथा लचक आदि

17. नारियल (Coconut) - नारियल एक उष्ण कटिबंधीन जलवायु का पौधा है। इसे 20°C से 25°C का 150 सेमी से अधिक की वर्षा, पाला और सूखा रहित तटीय जलवायु बलुई दोमट हल्को रेगड़ मिट्टियों की जरूरत होती है। इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में और पहाड़ी ढालों के सहारे 800-100 मी. की ऊँचाई तक भी उगाया सकता है। इससे प्राप्त गरी से तेल, साबुन बनाने का कच्चा माल तथा वनस्पति घी आदि प्राप्त होता है। भारत इण्डोनेशिया और फिलीपींस के बाद विश्व में नारियल का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। देश के तीन दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में नारियल का 83.2 प्रतिशत क्षेत्र पाया जाता है।

प्रमुख फसलों के रोग व लक्षण रोग

फसले	रोग	लक्षण
1. चावल	ब्लास्ट	पत्तियों पर भूरे रंग के नाव के तरह के चकते दिखाई पड़ते हैं
2. गेहूं	रतुआ	पत्तियों पर पीले, भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं
3. गन्ना	लाल विगलन	छोटे लाल रंग के धब्बे पत्ती की मध्य शिरा पर प्रकट होते हैं गन्ने का भीतरी भाग लाल हो जाता हैं
	ग्राशी शूट	सत से पतले - पतले अनेक फल्ले फुट निकलते हैं

५.	चना	उखटा	पत्तियां पिली पड़कर सुख जाती हैं, जड़े काली पड़कर गल जाती हैं
६.	अरहर	तना बिगलन (स्टेन राट)	मिट्टी की सतह के पास तने पर भूरे या गहरे भूरे धब्बे उभर जाते हैं, तना कट जाता है और पौधे मर जाते हैं

प्रमुख बहु – उद्देशीय परियोजनाएँ :-

बहु – उद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश नये प्रबंधन का विकास कारण, जल विद्युत के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना , बाढ़ वाले क्षेत्र पर नियंत्रण करना,तथा मछली पालन में विकास करना होगा /

देश की प्रमुख बहु- उद्देशीय नदी घाटी परियोजना कुछ इस प्रकार हैं-

परियोजना का नाम	नदी	लाभान्वित राज्य
भांगड़ा – नांगल	सतलज नदी	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
नागार्जुन सागर	कृष्णा नदी	आंध्र प्रदेश
चंबल	चंबल नदी	राजस्थान ,मध्य प्रदेश
हीरा कुंड बांध	महा नदी	ओडिशा
व्यास	व्यास नदी	राजस्थान पंजाब हरियाणा
दामोदर	दामोदर नदी	झारखण्ड, पश्चिम बंगाल
तवा	तवा नदी	मध्य प्रदेश
मालप्रभा	मालप्रभा नदी	कर्नाटक
नागपुर शक्तिग्रह	कोरडी नदी	महाराष्ट्र
काकड़ापारा	ताप्ती नदी	गुजरात
कोसी नदी	कोसी नदी	बिहार, नेपाल
तुंगभद्रा	तुंगभद्रा नदी	आंध्र प्रदेश,कर्नाटक
मयुरक्षी	मयुरक्षी नदी	पं. बंगाल
फरक्का	गंगा नदी	पं . बंगाल
गंडक	गंडक नदी	बिहार नेपाल
कुंडा	कुंडा नदी	तमिलनाडु
कोयना	कोयना नदी	महाराष्ट्र
टिहरी	भागीरथी नदी	उतराखंड
माताटीला	बेतवा नदी	उत्तर प्रदेश
भीमा परियोजना	पवना नदी	महाराष्ट्र
शारदा	गोमती , शारदा नदी	उत्तर प्रदेश
नाथपा – झाकरी	सतलज नदी	हिमाचल प्रदेश
कोल डैम	सतलज नदी	हिमाचल प्रदेश
शरावती	शरावती नदी	कर्नाटक
इंदिरा गाँधी	सतलज नदी	पंजाब,हरियाणा, राजस्थान
उकाई	ताप्ती नदी	गुजरात
पंचेत बांध	दामोदर नदी	झारखण्ड , पं. बंगाल
पूर्णा	पूर्णा नदी	महाराष्ट्र
गिरना	गिरना नदी	महाराष्ट्र
हंस देव बांगो	हंसदेव नदी	मध्य प्रदेश
सतलज	चिनाब नदी	जम्मू कश्मीर
भद्रा	भद्रा नदी	कर्नाटक
ऊपरी कृष्णा	कृष्णा नदी	कर्नाटक
इडूक्की	पेरियार नदी	केरल
रिहंद	रिहंद नदी	उत्तर प्रदेश

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

दुर्गा बैराज	दामोदर नदी	झारखण्ड, पं. बंगाल
बरगी	बरगी नदी	मध्य प्रदेश
हिडकल	घटप्रभा नदी	कर्नाटक
जायक वाड़ी	गोदावरी नदी	महाराष्ट्र
रंजीत सागर बांध	रावी नदी	पंजाब
कांगसावती	कांगसावती नदी	पं. बंगाल
रामगंगा	रामगंगा नदी	उत्तर प्रदेश
तुलबुल	झेलम नदी	जम्मू कश्मीर
राणा प्रताप सागर	चंबल नदी	राजस्थान
जवाहर सागर	चंबल नदी	राजस्थान
नर्मदा घाटी	नर्मदा नदी	मध्य प्रदेश, गुजरात
गाँधी सागर	चंबल नदी	मध्य प्रदेश
सरहिंद नहर	सतलज नदी	हरियाणा
सरदार सरोवर	नर्मदा नदी	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र , गुजरात
तिलैया	बराकर नदी	झारखण्ड
दुलहस्ती	चिनाब नदी	जम्मू कश्मीर

अध्याय - 6

मृदा / मिट्टी

भारत के मृदा वर्गीकरण के दिशा में कहीं कार्य किये गए हैं/ जिनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा 1956 में किया गया कार्य अधिक महत्त्वपूर्ण हैं / ICAR द्वारा संरचनात्मक मृदा और खनिज, मृदा के रंग व संसधानात्मक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए भारत के मृदा को 8 भागों में विभाजित किया हैं/

मृदा के प्रकार

1. जलोड़ मृदा (तराई मृदा , बांगर मृदा, खादर मृदा)
2. काली मृदा
3. लाल – पीली मृदा
4. लैटेराइट मृदा
5. पर्वतीय मृदा
6. मरुस्थलीय मृदा
7. लवणीय मृदा
8. पीट एवं जैव मृदा

मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान (पेडोलॉजी) कहा जाता हैं ।

1953 में केन्द्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया ।

मृदा शब्द की उत्पति लैटिन भाषा के शब्द "सोलम" से हुई, जिसका अर्थ हैं - फर्श ।

मूल चट्टानों, जलवायु, भूमिगत उच्चावच, जीवों के व्यवहार तथा समय से मृदा अपने मूल स्वरुप में आती हैं अथवा प्रभावित होती हैं ।

मृदा में सबसे अधिक मात्रा में क्वार्टज खनिज पाया जाता हैं ।

ऐपेटाइट नामक खनिज से मृदा को सबसे अधिक मात्रा में फास्फोरस प्राप्त होता हैं ।

वनस्पति मिट्टी में ह्युमस की मात्रा निर्धारित करती हैं ।

मृदा में सामान्यतः जल 25 प्रतिशत होता हैं ।

जलवायु मिट्टी में लवणीकरण, क्षारीयकरण, कैल्सीकरण, पाइजोलीकरण में सबसे महत्त्वपूर्ण कारक हैं ।

मृदा को जीवीत तंत्र की उपमा प्रदान की गई हैं ।

1.जलोढ़ मिट्टी –

- यह भारत में लगभग 15 लाख वर्ग कि.मी. (43.4%) क्षेत्र पर विस्तृत हैं ।
- इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से हुआ है / इस प्रकार यह एक अक्षेत्रीय मृदा है
- इस मृदा के दो प्रमुख क्षेत्र है –
- उत्तर क विशाल मैदान
- तटवर्ती मैदान
- जलोढ़ मृदा नदियों की घाटियों एवं डेल्टाई भाग में भी पाएँ जाते है
- ये नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग में पंजाब से असम तक तथा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावरी के तटवर्ती भागों में विस्तृत हैं ।
- यह मिट्टी उच्च भागों में अपरिपक्व तथा निम्न क्षेत्रों में परिपक्व हैं ।
- इनमें पोटाश व चुना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन व जीवांश का अभाव पाया जाता हैं ।
- यह उपजाऊ मृदा है

इस मृदा को तीन भागो में बाँटा जाता है-

1.तराई मृदा

- इस मृदा में महीन कंकड़, रेत, चिकनी मृदा, छोटे – छोटे पत्थर आदि पाएँ जाते है
- इस मृदा में चट्टानी कणों के होने से जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है
- इस मृदा में चूने की मात्रा अधिक होती है
- यह गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त होता है
- 2.बांगर मृदा
- यह पुरानी जलोढ़ मृदा है यह मृदा सतलज एवं गंगा के मैदान के उपरी भाग तथा नदियों के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है
- यहाँ बाढ़ का पानी नही पहुचं पाता है
- इस मृदा में चीका एवं बालू की मात्रा लगभग बराबर होता है
- यह मृदा रबी के फसल के लिए उपयुक्त होता है

3.खादर मृदा

- यह नवीन जलोढ़ मृदा है यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचने से नवीनीकरण होता रहता है
- यह मृदा खरीफ के फसल के लिए उपयुक्त होता है

2.लाल - पीली मिट्टी :-

- यह देश के लगभग 6.1 लाख वर्ग कि.मी. (18.6%) भू-भाग में हैं ।
- इस मिट्टी का विकास आर्कियन ग्रेनाइट, नीस तथा कुड़प्पा एवं विंध्यन बेसिनों तथा धारवाड़ शैलों की अवसादी शैलो के उपर हुआ हैं ।
- इनका लाल रंग लोह ऑक्साइड़ की उपस्थिति के कारण हुआ है ।
- यह मिट्टी आंशिक रूप से अम्लीय प्रकार ही होती हैं । इसमें लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने का अंश कम होता हैं तथा जीवांश, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती हैं ।
- यह मृदा झारखण्ड के संथाल परगना अवाम छोटा नागपुर का पठार पश्चिम बंगाल के पठारी क्षेत्र तमिलनाडु कर्नाटक दक्षिण – पूर्व महाराष्ट्र पश्चिमी एवं दक्षिणी आंध्रप्रदेश मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश के झाँसी ललितपुर मिर्जापुर में पाई जाती है /
- इस प्रकार के मृदा में मुख्यत : दलहन चावल एवं मोटे अनाज की कृषि की जाती है
- तमिलनाडु व कर्नाटक में इस मृदा में रबड़ एवं कहवा का विकास किया जा रहा है

3.काली मिट्टी –

- इसमें जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती हैं ।
- स्थानीय भाषा में इसे रेगुर कहा जाता हैं ।
- इसके अतिरिक्त यह मिट्टी उष्ण कटिचरनोजम तथा काली कपासी मिट्टी के नाम से जानी जाती हैं ।
- इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता हैं ।
- यह सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में पाई जाती हैं ।
- इसका निर्माण दक्कन ट्रेप के लावे से हुआ है
- इनमें लोहे, चुने, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती हैं । इनमें जीवांश, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती हैं ।
- यह मृदा मुख्यत : महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्रप्रदेश, उत्तर - पश्चिमी तमिलनाडु ,दक्षिण- पूर्वी राजस्थान आदि क्षेत्र में पाएँ जाते है

4.लैटेराइट मिट्टी –

- यह देश के लगभग 1.26 लाख क्षेत्र में विस्तृत हैं ।
- ये केरल, महाराष्ट्र व असम में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं ।
- इनका स्वरूप ईंट के समान होता हैं तथा भीगकर यह कोमल हो जाती हैं ।
- इनमें लोहा व एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता हैं तथा नाइट्रोजन, पोटाश, चूना व जैविक पदार्थों की इससे प्रायः कमी पाई जाती हैं ।
- इस मृदा में मोटे अनाज काजू एवं दलहन की कृषि की जाती है
- अम्लीय होने के कारण चाय की खेती की जाती है

5.मरुस्थलीय मिट्टी –

- यह राजस्थान, सौराष्ट्र हरियाणा तथा दक्षिणी पंजाब में पाई जाती हैं ।
- इसमें घुलनशील लवणों तथा फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है ।
- सिंचाई द्वारा इसमें ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज व सरसों आदि उगाये जाते हैं ।
- यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब , दक्षिणी हरियाणा, एवं उत्तरी गुजरात में पाई जाती हैं

6.पर्वतीय मिट्टी –

- इसे वनीय मृदा भी कहा जाता हैं ।
- ये नवीन अविकसित मृदा का रूप है जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं ।
- इसमें पोटाश, चूना व फास्फोरस का अभाव होता हैं, परन्तु जीवांश प्रचुर मात्रा में पाया जाता हैं ।
- यह मृदा प्रायः अम्लीय स्वभाव की होती हैं ।
- इस मृदा में चाय कहवा मसालें एवं फलों की कृषि की जाती है ।
- जनजातियों द्वारा झूम कृषि इस मृदा में की जाती है
- यह मुख्यतः हिमाचल क्षेत्र , उत्तर – पूर्वी के पहाड़ी क्षेत्र , पश्चिमी एवं पूर्वी घाट तथा प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं ।

7. पीट तथा दलदली मिट्टी –

- यह मृदा नम जलवायु में बनती हैं।
- सड़ी हुई वनस्पतियों से बनी पीट मिट्टी सुन्दरवन, ओडिशा के तट, बिहार के मध्यवर्ती भाग तथा केरल व तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं ।
- फैरस आयरन के कारण प्रायः इसका रंग नीला होता हैं ।
- इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 40 से 50 प्रतिशत तक होती हैं ।
- यह केरल के अलेप्पी जिला उत्तराखंड के अल्मोड़ा सुन्दरवन डेल्टा एवं अन्य डेल्टाई क्षेत्र में पाएँ जाते हैं
- केरल में इस मृदा में नमक का अंश भी होता है, केरल में इसे कारी कहा जाता है ।
- इस प्रकार की मृदा में मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं ।

8.लवणीय तथा क्षारीय मृदायें –

- यूरेनियम व मैंग्नीशियम की अधिकता के कारण यह मिट्टी लवणीय/अम्लीय तथा कैल्शियम व पोटेशियम की अधिकता के कारण यह मिट्टी क्षारीय हो गई ।
- ऐसी मृदा नहर सिंचित तथा उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में उत्पन्न हो गयी हैं ।
- ये मिट्टियां रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर, चोपेन आदि अनेक स्थानीय नामों से जानी जाती हैं ।
- क्षारीय मृदा गुजरात, पंजाब ,हरियाणा , पश्चिमी राजस्थान एवं केरल के तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है ।
- इस मृदा में नारियल व तेलताड़ की अच्छी कृषि की जाती हैं ।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 7
प्राकृतिक वनस्पतियाँ

प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस वनस्पति सुमदाय से है, जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उत्पन्न होते है यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ है/

- किसी भी देश का कम से कम 1/3 भाग वनाच्छादित होना चाहिए।
  - मैदानी क्षेत्रों में 20% तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 60% भूमि पर वन होना चाहिए।
  - 2015 में भारत में 21.34% भूमि पर ही जंगल है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 10 वा स्थान है।

(i) रूस
(ii) ब्राजील
(iii) कनाडा
(iv) U.S.A.
(v) चीन

- महाद्वीपों में दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक जंगल तथा आस्ट्रेलिया में सबसे कम जंगल है।
- भारत जलाऊ और नरम लकड़ियों का सबसे बड़ा भण्डार है। 1894 में भारत में सर्वप्रथम वन नीति घोषित की गई।
- 1952 तथा 1988 में इसे संशोधित किया गया।
- 1927 में forest Act लागू किया गया। जिसके तहत वनों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैं।

(i) आरक्षित जंगल
(ii) सुरक्षित जंगल
(iii) अवर्गीकृत जंगल

(i) आरक्षित जंगल

ऐसे जंगल जहाँ लकड़ी बीनने तथा पशु चराने पर भी प्रतिबंध नहीं होता है। परन्तु Traditiol dwellers Act.के तहत कुछ छूट दे दी गई। कुल जंगलों का 52% इसी श्रेणी में है।

(ii)सुरक्षित जंगल

कुल वनों का 30% इस श्रेणी में आता है। इसमें लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है।

(iii)अवर्गीकृत जंगल

- इन जंगलों को किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हैं ।
- भारतीय वनों का 57% प्रायद्वीपीय पठारों में पाया जाता है।
- विन्ध्य और अरावली भी इसमें शामिल है। हिमालय पर कुल वनों का 18% पाया जाता है।
- देहरादून में वन संरक्षण संस्थान की स्थापना की गई। जो कार्टोसेट द्वारा प्रति 2 वर्ष पर वन सर्वेक्षण करता हैं।
- इस सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक वन संरक्षण वाले राज्य हैं।

- मिज़ोरम (88-93%)
- अरुणांचल प्रदेश (80.03%)
- नागालैण्ड
- मेघालय

- केन्द्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक वन प्रतिशत-84.56%
- अण्डमान निकोबार का दूसरा स्थान है – 81.84%क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य है।

(i) मध्य प्रदेश
(ii) अरुणांचल प्रदेश
(iii) छत्तीसगढ़
(iv) महाराष्ट्र

वनों का न्यूनतम %निम्न राज्यों में है।

- हरियाणा
- पंजाब
- राजस्थान
- उत्तर प्रदेश
- 4500 मीटर की ऊँचाई को Snowline कहते हैं। इसके बाद कोई वृक्ष नही पाया जाता।
- देवदार और चीड सर्वाधिक ऊँचाई पर पाएँ जाते हैं।
- यूकेलिप्टिस सबसे ऊँचा वृक्ष है।
- बाँस सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाला वृक्ष है।
- सागौन भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वृक्ष हैं।

भारत में वनों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जासकता है।

i. सदाबहार वन
ii. पर्णपाती वन
iii. हिमालयन वन
iv. रेगिस्तानी या मरुस्थलीय वन
v. मैंग्रोव वनस्पति

(i) सदाबहार वन

इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ 200 Cm से अधिक वर्षा होती है।

- उत्तर पूर्वी भारत
- पश्चिमी घाट
- अण्डमान निकोबार

इन वनों में पल्लवन का समय भिन्न होता है।
अतः ये वर्ष पार हरे भरे दिखते हैं।
इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं –

- महोगनी
- एबोनी
- आबनूस
- रोजबुड (शीशम)

(ii) पर्णपाती वन

यह वन उन क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ वर्षा 50 से 100 cm. के मध्य होती है।

- भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पर्णपाती वन ही पाये जाते हैं।
- इन्हे दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है

(a) आद्रपर्णपाती वन
(b) शुष्क पर्णपाती वन

(a) आद्रपर्णपाती वन- इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं।
इनका विस्तार पंजाब से असम तक तराई वाले क्षेत्र पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में है।
इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं

- साल
- सागौन
- शहतूत
- पलास
- चंदन
- जामुन
- गूलर

(b) शुष्क पर्णपाती वन- ये वन 60-100 C.m. वर्षा वाले स्थलों में पाये जाते हैं।
भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल इन्ही वनों का है।

- पंजाब
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- महाराष्ट्र
- आन्ध्र प्रदेश
- कर्नाटक

इन वनों के प्रमुख वृक्ष है

- तेंदू
- पलाश
- बेल
- आम
- महुआ
- बरगद
- शीशम
- बबूल

(iii) हिमालयी या पर्वतीय वन [Mountainous forest] -

- हिमालय के पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है।
- पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा तथा विषुवत रेखा से निकटता के कारण वन की सघनता अधिक है।
- इसी प्रकार हिमालय के दक्षिणी भाग पर वर्षा होती है।
- इसीलिए हिमालय की वनस्पतियों में सर्वाधिक भिन्नता पायी जाती है।
- ऊंचाई में वृद्धि के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में टुंड्रा वन तक पाएँ जाते है
- पूर्वी हिमालय के प्रमुख वृक्ष हैं
- साल
- शीशम
- चंदन
- ओक
- बर्च
- एल्डर
- जूनीपर
- लारेल
- चीड़
- देवदार
- विलोफर
- सिल्वर फट
- मैंग्रोलिया
- भोजपत्र
- लिचेन

पश्चिमी हिमालय के प्रमुख वृक्ष हैं

- धाक
- सेमल
- बाँस
- आंवला
- शीशम
- देवदार
- बालसम
- साल
- एल्डर
- बर्च

(iv) रेगिस्तानी वन / मरुस्थलीय / कटीले वन

- 50 cm से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाये जाते हैं
- जल की कमी के कारण पत्तियाँ छोटी, कम एवं काँटेदार होती हैं।
- जिससे वाष्पोत्सर्जन तथा जानवरों से इनकी रक्षा हो जाती है।
- इन वृक्षों की जड़े जल की तलाश में बाहरी हो जाती हैं। इन वनों का विस्तार राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा एवं बुंदेलखण्ड में हैं।
- ऐसे वनों के प्रमुख वृक्ष हैं।
- बबूल
- बेल
- खजूर
- कत्था
- नीम
- पलास

(v) मैन्ग्रोव या कच्छ वनस्पति

- इसे दलदली या ज्वार भाटा वनस्पति भी कहा जाता है।
- सुंदरवन में इसका सर्वाधिक विस्तार होने के कारण इसे सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है।
- मैंग्रोव वनस्पति खारे पानी में उगने में समर्थ होती है।
- पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक विस्तार है।
- गुजरात का दूसरा स्थान है।
- इन वनों की वृक्ष की ऊंचाई 30 मी. तक होती है
- विश्व की कुल 7% मैन्ग्रोव वनस्पति भारत में पायी जाती है।

इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं :-

- सुन्दरी
- ताड़
- नारियल
- फोनिक्स
- केवडा
- सुपारी
- रोजीफोरा

चोल वन

- यह शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है।
- भारत में इसका विस्तार नीलगिरि, अन्नामलाई, सतपुड़ा महादेव, मैकाल तथा पलनी की पहाड़ियों पर है।
- इसके प्रमुख वृक्ष है –
- मैंग्रोलिया
- लैरिल
- सिनकोना
-

अध्याय – 8

प्रमुख खनिज एवं ऊर्जा संसाधन

भारत में उपलब्ध खनिज संसाधन (Available Mineral Resources in India)

- वृहद तौर पर भारत में 125 प्रकार के ज्ञात खनिजों में आर्थिक दृष्टि से बड़े पैमाने पर महत्त्वपूर्ण खनिजों की संख्या 35 है।
- योजना आयोग ने भारत में खनिजों की उपब्धता व महत्ता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभक्त किया है
- 1. पर्याप्त उत्पादन के साथ आर्थिक महत्त्व वाले खनिज : लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, कोयला, सोना, इल्मेनाइट, बॉक्साइट व भवन निर्माण सामग्री आदि ।
- 2. पर्याप्त संरक्षित भण्डार वाले खनिज : औद्योगिक मिट्टियां, क्रोमाइट, अणु खनिज आदि।
- 3. औद्योगिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण किन्तु अल्प उपलब्धता वाले खनिज : टिन, गन्धक, निकल, तांबा, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, पारा, खनिज तैल आदि।
- देश मे प्रमुख खनिजों के संरक्षित भण्डार निम्नानुसार है।

लौह अयस्क (Iron Ore)

- आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधारभूत खनिज - लौह अयस्क के भण्डार व उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व का एक महत्त्वपूर्ण देश है।
- भारत में लौह अयस्क मुख्यतः प्रायद्वीपीय धारवाड़ संरचना में पाया जाता है
- विश्व के कुल लौह अयस्क का लगभग 3 प्रतिशत भारत में निकाला जाता है
- कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से भी अधिक निर्यात कर दिया जाता है
- गोवा में उत्पादित होने वाले संपूर्ण लौह अयस्क को निर्यात कर दिया जाता है ।

लौह अयस्क के प्रकार (Types of Iron - Ore)

भारत में लौह अयस्क मुख्यत: 4 प्रकार का प्राप्त होता है :

1. मैग्रेटाइट 2. हेमेटाइट 3. लोमोनाइट 4. सिडेराइट

मैग्रेटाइट : यह सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क होता है, जिसमें शुद्ध धातु का अंश 72 प्रतिशत तक होता है । इसका रंग काला होता है । इसमें चुम्बकीय लोहे के ऑक्साइड होते हैं । मैग्रेटाइट अयस्क के भण्डार

कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, झारखण्ड आदि राज्यों में पाये जाते हैं । 2. हेमेटाइट : यह लाल या भूरे रंग का होता है । इसमें शुद्ध धातु की मात्रा 60-70 प्रतिशत तक होती है । यह मुख्यत: झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा राज्यों में मिलता है। 3. लिमोनाइट : इसका रंग पीला या हल्का भूरा होता है । इसमें 40 से 60 प्रतिशत तक शुद्ध धातु का अंश होता है । पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में इस किस्म का लोहा पाया जाता है ।। 4. सिडेराइट ; इस किस्म के लौहे का रंग हल्का भूरा होता है । इसमें धातु का अंश 40 से 48 प्रतिशत तक होता है तथा अशुद्धियां अधिक होती है ।

लौह अयस्क के संरक्षित भण्डार (Reserves of Iron - ore)

विश्व परिप्रेक्ष्य में लौह अयस्क के संचित भण्डारों की दृष्टि से भारत बहुत धनी देश हैं । सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार भारत में विश्व के कुल संचित भण्डार का एक चौथाई भाग निहित है । कच्चे लौहे की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है ।

लौह अयस्क के उत्पादन का प्रादेशिक वितरण (Regional Distribution of Iron Production)

विश्व में लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में भारत का सातवां स्थान हैं । देश में लौह अयस्क उत्पादन में स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् निरन्तर वृद्धि हुई है । वर्ष 1950-51 में लौह अयस्क का उत्पादन जहां 4.1 मिलियन टन (मूल्य लगभग 3 करोड़ रू.) था, वह 10 वर्ष पश्चात् 1960 - 61 में 4 गुना बढ़कर 18.7 मिलियन टन हो गया ।

कर्नाटक :

यह राज्य भारत के लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में अग्रणीय राज्य हैं । जो देश के कुल लौह अयस्क का लगभग एक चौथाई भाग उत्पन्न करता है ।

उड़ीसा :

यहाँ देश का लगभग 22 प्रतिशत लौह अयस्क प्राप्त होता हैं । यहाँ लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से मयूरभंज जिलें में गोरुमा हिसानी बादाम पहाड़, सुलेपट मुख्य हैं जहां लौहांश की मात्रा 60 प्रतिशत से अधिक हैं ।

छत्तीसगढ़ :

यह राज्य देश के कुल लौह अयस्क का लगभग 20 प्रतिशत उत्पादन करता हैं । यहाँ उत्तम किस्म का मैग्नेटाइट व हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता हैं । यहां मुख्य लौह अयस्क उत्पादक जिलों में बस्तर, दुर्ग रायगढ, बिलासपुर, मण्डला, बालाघाट सरगूजा आदि हैं ।

गोवा:

भारत के अन्य लौह अयस्क उत्पादन खनन क्षेत्रों की तुलना में यहां की खनन क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हुआ है । वर्तमान समय में यह देश का लगभग 18 प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य हैं हालांकि कुछ वर्षों तक इसका प्रथम स्थान भी रहा ।

झारखण्ड:

खनिजों की दृष्टि से इस धनी राज्य को देश के लौह अयस्क संरक्षित भण्डारों का लगभग 25 प्रतिशत भाग अवस्थित हैं तथा देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 18 प्रतिशत इस राज्य से प्राप्त होता है ।

महाराष्ट्र :

इस राज्य के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र इसके पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिम दो धुरी क्षेत्रों में विस्तृत हैं । प्रथम पूर्वी धूरी क्षेत्र चांदा जिलें में अवस्थित हैं - इस क्षेत्र में पीपलगांव देवलागांव लोहरा, सूरजगढ, असोला मुख्य खदानें हैं ।

आन्ध्रप्रदेश :

अधिकांशत: इस राज्य में 50 से 60 प्रतिशत शुद्धता वाले लौह अयस्क के जमाव पाये जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में मैग्नेटाइट किस्म के लौह अयस्क के भी संरक्षित भण्डार पाये जाते हैं ।

गुजरात :

यही लिमोनाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता हैं । यहाँ पोरबन्दर, भावनगर, नवागर बड़ोदरा जूनागढ, खाण्डेश्वर आदि लौह अयस्क उत्पादक जिलें मुख्य हैं ।

केरल :

इस राज्य में कोजीकोडे जिला लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । यहीं इलीचेतीमाला चेहरा, आलमयादा नानभिंडा आदि प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं । यहां मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता हैं ।

राजस्थान :

राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया गया हैं । लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान एक महत्त्वपूर्ण राज्य नहीं हैं । यहाँ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों में जयपुर जिलें में मोरीजा बानोल क्षेत्र, दौसा जिलें नीमला उदयपुर जिलें में नाथरा की पाल मुख्य हैं ।

मैंगनीज (Manganese)

- मैंगनीज भारत की धारवाड़ चट्टानों में प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में मिलता है

- विश्व में मैंगनीज अयस्क के कुल उत्पादन में भारत का 6वाँ स्थान है
- निर्यात होने वाले मैंगनीज अयस्क का दो तिहाई अकेला जापान खरीदता है

महत्त्व (Importance)

मैंगनीज एक विविध उपयोगी धातु हैं। हालांकि मैंगनीज का अधिकांश उपयोग धातु निर्माण कार्यों में होता हैं, जिसमें लौहा और मैंगनीज के मिश्रण से निर्मित फैरो मैंगनीज के प्रयोग से अत्यधिक कठोर दृढ़ तथा कम घिसने वाला इस्पात बन जाता हैं जो युद्ध के टैंक, खनन यंत्र आदि के निर्माण में काम आता है।

मैंगनीज के संरक्षित भण्डार (Reserves of Manganese)

भारत में मैंगनीज के कुल भण्डार लगभग 23.3 करोड़ टन आंके गयें हैं। मैंगनीज के कुल भण्डार की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के पश्चात् दूसरा स्थान है। संरक्षित भण्डारों की दृष्टि से कर्नाटक का देश में 37.8 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान है।

मैंगनीज उत्पादन का प्रादेशिक वितरण

(Regional Distribution of Manganese Production) भारत मैंगनीज उत्पादन में विश्व का पांचवा बड़ा देश हैं। मैंगनीज उत्पादक राज्य निम्न हैं -

उड़ीसा : भारत में मैंगनीज उत्पादन में इस राज्य का प्रथम स्थान हैं। देश के कुल मैंगनीज उत्पादन का यहां से लगभग 37 प्रतिशत प्राप्त होता हैं।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र देश के कुल मैंगनीज का लगभग 24 प्रतिशत उत्पादन के साथ दूसरा प्रमुख राज्य हैं। यहाँ नागपुर, भण्डारा व रत्नागिरी मैंगनीज उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख हैं।

मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश में देश का लगभग 20 प्रतिशत मैंगनीज उत्पादन होता हैं। मध्यप्रदेश में मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र 20 कि.मी. लम्बी तथा 16 कि.मी.चौड़ी पेटी में बालाघाट - छिन्दवाड़ा जिलों में विस्तृत हैं। मैंगनीज उत्पादक अन्य जिलें - बिलासपुर, झाबुआ, माडला, घाट, बस्तर, जबलपुर व इंदौर हैं।

कर्नाटक : इस राज्य में 30 से 50 प्रतिशत धातु शुद्धता वाला मैंगनीज प्राप्त होता हैं। यह राज्य देश के कुल उत्पादन का 16 प्रतिशत मैंगनीज उत्पादन करता हैं। यहाँ के प्रमुख उत्पादक जिलें - चितलदुर्ग, धारवाड़, बेलगाम, बेलारी, संदूर, शिमोगा, उत्तरीकनारा चिकमंगलूर, बीजापुर आदि ।

झारखण्ड : इस राज्य में सिंहभूमि, धनबाद व हजारीबाग जिलों से मैंगनीज प्राप्त होता है। सिंहभूमि जिलें में मैंगनीज मुख्य रूप से वीरपुत्रपुर, चाइबासा, बसाडेरा, पहाड़पुर क्षेत्रों में पाया जाता है।

गुजरात : गुजरात में मैंगनीज उत्पादन की दृष्टि से दो जिलें पंचमहल तथा बडोदरा मुख्य हैं। पंचमहल जिलें में जाटवद, शिवराजपुर, दोहद, वामनकुआ व भाट आदि प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं। वडोदरा में खाडी तथा उनाधरिया क्षेत्रों में मैंगनीज पाया जाता हैं।

राजस्थान : यहाँ का अधिकांश मैंगनीज बांसवाड़ा जिलें से प्राप्त होता हैं। इसके अतिरिक्त डूंगरपुर, उदयपुर सिरोही, पाली जिलों में मैंगनीज पाया जाता हैं। उदयपुर जिलें में नाथद्वारा, देबारी तथा सागरवाड़ा क्षेत्रों में भी मैंगनीज उत्पादित होता हैं। पाली जिलें में हीरापुर क्षेत्र से मैंगनीज पाया जाता है

तांबा (Copper)

- देश में तांबा सल्फाइड के रूप में मिलता है। तांबा टिन और सोना आदि के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है।
- तांबे को टिन में मिलाने पर कांस्य तथा जस्ता के मिलाने पर पीतल बनता है।
- भारत में तांबा की कमी होने के कारण यह अमेरिका, कनाडा, एवं अफ्रीकी देशों से आयात किया जाता है।

संचित भण्डार (Reserve of Copper)

यह लाल भूरे रंग की अलौह धातु प्राचीन रवेदार एवं रूपान्तरित चट्टानों में सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड एवं कार्बोनेट के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता हैं। यह चांदी, टिन, सोना आदि धातुओं के साथ मिश्रित रूप में भी पाया जाता है।

तांबा उत्पादन व प्रादेशिक वितरण (Regional Distribution of Copper production)

झारखण्ड : तांबा संरक्षित भण्डार व उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य का भारत में प्रथम स्थान हैं। देश के कुल तांबा उत्पादन का लगभग आधा भाग यहाँ से प्राप्त होता हैं। यहां के मुख्य तांबा उत्पादक जिलों में सिंहभूमि, मानभूमि, हजारीबाग, लोहरडागा, कोडरमा, गिरडीह, पलामू आदि हैं।

राजस्थान : भारत का दूसरा बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कहलाता हैं। भारत के कुल तांबा उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत यहाँ से प्राप्त होता हैं। राज्य में तांबे के 13 करोड़ टन से अधिक भण्डारों का अनुमान हैं। राज्य में तांबा उत्पादक मुख्य जिलों में झुंझुनू अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चुरु, झालावाड़ व दौसा आदि हैं। इनमें सर्वाधिक झुंझुनू जिला महत्त्वपूर्ण हैं।

आन्ध्रप्रदेश : भारत में तांबा उत्पादन में झारखण्ड व राजस्थान के पश्चात् इस राज्य का तीसरा स्थान हैं । यहाँ तांबा उत्पादक जिलों में गुरु, नेल्लौर, कुडूप्पा, कुरनूल, नलगौंडा, अनन्तपुर आदि मुख्य हैं ।

अभ्रक (Mica):

- भारत विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादन है ।
- यहाँ विश्व का लगभग 80 प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन किया जाता है ।
- अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्रप्रदेश में होता है ।
- यह देश का कुल उत्पादन का 48 प्रतिशत है ।

खनिज संसाधनों के अधिक उपयोग से उत्पन्न समस्या

- खनिजों के अनियंत्रित दोहन से बहुत से महत्त्वपूर्ण खनिज समाप्ति के कगार पर पहुँच गए हैं
- खनिजों के उत्पादन से निकलने वाले अपशिष्ट प्रदार्थो को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है जिससे जल प्रदूषण की समस्या बढ़ी है जो पर्यावरण तथा मानव के लिए भी हानिकारक होता है
- इससे सर्वाधिक कृषि एवं वन संपदा प्रभावित होती है
- पहाड़ी क्षेत्रों में खनन से भूस्खलन की समस्या बढ़ी है ।

ऊर्जा संसाधन

ऊर्जा के स्त्रोत (source of Energy)

ऊर्जा उत्पादन के अनेक स्त्रोत हैं, जिन्हें ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्त्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है/

ऊर्जा के परंपरागत स्त्रोत

परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत से तात्पर्य वैसे स्त्रोतों से है जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं/ जैविक अवशेष व जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्त्रोत हैं/इसके अंतगर्त सम्मिलित ऊर्जा हैं/

1.खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस
2.जैविक अवशेष
3.कोयला
4.जल विद्युत

ऊर्जा के गैर परंपरागत स्त्रोत

1.पवन ऊर्जा
2.सौर ऊर्जा
3.परमाणु ऊर्जा
4.ज्वारीय ऊर्जा
5.बायो गैस ऊर्जा
6.भू - तापीय ऊर्जा

ऊर्जा संसाधन (Energy Resources)

उद्देश्य (Objectives) इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप समझ सकेंगे कि -

- भारत में परम्परागत एवं गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विवरण ।
- कोयलें का वितरण, उपयोग एवं संरक्षण ।
- खनिज तेल का वितरण, महत्त्व एवं संरक्षण ।
- जल विद्युत उत्पादन की आवश्यक दशाएं, उत्पादन क्षेत्र, उपयोग एवं महत्त्व ।
- आणविक ऊर्जा का उत्पादन, आणविक खनिज, उनका उत्पादन एवं संरक्षण ।

कोयला (Coal)

कोयला काला रंग भूरे रंग का कार्बन युक्त ठोस जीवाश्म ईंधन है, जो मुख्यत: अवसादी शैलों में पाया जाता है । यह ज्वलनशील होता है । यह घरेलू ईंधन से लेकर औद्योगिक ईंधन तक में उपयोग में लाया जाता है ।

कोयले की उत्पत्ति (Origin of coal)

कोयला एक खनिज पदार्थ है । जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पायी जाती है। कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा अन्य कुछ अपद्रव्य पदार्थ कोयलें में पाएं जाते हैं । यह एक जीवाश्म वनस्पति है । प्राय: कोयले की उत्पत्ति के मुख्यत: दो युग माने जाते हैं । (1) कार्बोनीफेरस युग और (2) टरशियरी युग ।

कोयले की किस्में (Kinds of Coal)

कोयले में कार्बन तत्त्व की मात्रा के अनुसार ऊर्जा क्षमता होती है । इसके आधार पर निम्न किस्में पायी जाती हैं -

(1) **एंथ्रेसाइट (Anthracite)** - यह कोयला सर्वोत्तम प्रकार का होता है । यह कठोर, चमकदार, रवेदार तथा भंगुर होता है । इसमें कार्बन की मात्रा 90 प्रतिशत से 96 प्रतिशत होती हैं। इसमें वाष्पशील पदार्थ बहुत कम होता है । यह जलने पर धुआं कम देता है तथा ताप बहुत अधिक होता है।

(2) **बिटुमिनस (Bituminus)**- यह काले रंग का चमकदार कोयला होता है । इसमें कार्बन की मात्रा 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत होती है । इसमें वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है । यह जलने पर बहुत धुआँ देता है । यह पीली लौ के साथ जलता है ।

(3) लिग्नाइट (Lignite) - यह भूरे रंग का कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 45-70 प्रतिशत होती है । यह जलने में धुआँ अधिक देता है तथा राख भी बहुत

छोड़ता है । इसमें वनस्पति का अंश अधिक मात्रा में होता।

(4) पीट कोयला (Peat Coal) - यह वनस्पति के मौलिक रूप में थोड़ा सा ही परिवर्तित कोयला है । इसमें कार्बन की मात्रा 40 प्रतिशत पायी जाती है। यह प्रायः लकड़ी की तरह जलता है और जलने में बहुत धुआँ देता है ।

कोयलें के सुरक्षित भण्डार (Reserves of Coal)

विश्व में भारत का कोयला उत्पादन एवं भण्डार में महत्त्वपूर्ण स्थान है । भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 2004 तक देश में धरातल से 1200 मीटर की गहराई तक सुरक्षित कोयले का भण्डार 2,45,693 मिलियन टन है ।

भारत में कोयलें वितरण एवं उत्पादन (Distribution and Production of Coal in India)

भारत में कोयलें का उत्पादन गोंडवाना प्रदेश में 98 प्रतिशत तथा टर्शियरी युग में 2 प्रतिशत किया जाता है । जिसमें से 86 प्रतिशत कोयले के भण्डार झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश राज्यों में अवस्थित हैं ।

कोयले का उपयोग (Utilisation of Coal)

कोयले का उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है:

- घरेलू ईंधन के रूप में ।
- कारखानों में मशीनों के संचालन में ।
- उद्योग, परिवहन, कृषि आदि में ऊर्जा के रूप में प्रयोग ।
- कच्चे माल के रूप में ।
- कोल गैस बनाने में ।
- कोक, तारकोल, अमगा, नेव्यलीन, फिनायल आदि के निर्माण में ।
- सुगंधित तेलों तथा प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण में आदि ।

कोयले की समस्याएँ एवं संरक्षण (Problems and Conservation of Coal)

भारत में कोयलें के उत्पादन की अनेक समस्याएं हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैं

(1) उत्तम श्रेणी के कोयले का अभाव

(2) कोयला भण्डारों का असमान वितरण,

खनिज तेल (Mineral Oil)

खनिज तेल की उत्पत्ति (Origin Mineral Oil)

खनिज तेल वर्तमान युग का सबसे महत्त्वपूर्ण परम्परागत ऊर्जा का स्रोत है । यह प्रकृति द्वारा निर्मित हाइड्रो-कार्बन तत्त्व है । जिसका निर्माण वानस्पतिक तत्त्वों तथा जीवों के अवशेषों के रूपान्तरण से हुआ है । यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसको पेट्रोलियम भी कहते हैं । इसकी उत्पत्ति वनस्पतियों तथा जीव जन्तुओं के सड़ने व गलने से होती है ।

भूगर्भ से प्राप्त खनिज तेल अशुद्ध रूप में मिलता है । इसे शोधन शालाओं में शोधित किया जाता है । शोधित तेल को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है ।

1. पेट्रोल
2. डीजल
3. केरोसीन

भारत में खनिज तेल का वितरण एवं उत्पादन (Distribution and production of Mineral Oil in India)

भारत में खनिज तेल का वितरण स्थलीय, सागर तटीय एवं अन्तसागरीय भागों में पाया जाता है । यहाँ पर पेट्रोलियम निकालने का प्रारम्भं सर्वप्रथम 1860 में असम में डिग्बोई क्षेत्र में किया गया । आर्थिक-तकनीकी व आवागमन के साधनों के कारण इस क्षेत्र में 1890 से खनिज तेल का विधिवत आरम्भ हुआ प्रारम्भ में तेल उत्पादन का कार्य असम तेल कम्पनी द्वारा किया ।

भारत के तेल उत्पादक क्षेत्र का वर्णन निम्न प्रकार से है ।

खनिज तेल का उपयोग (Utilisation of Mineral Oil)

आधुनिक युग में खनिज तेल एक महत्त्वपूर्ण शक्ति संसाधन के साथ-साथ विविध प्रकार के क्षेत्रों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है

पेट्रोल रासायनिक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, खनिज तेल वर्तमान परिवहन तंत्र का मूलाधार है, यथा मोटर वाहनों, रेल इंजनों, जलयानों, वायुयानों आदि के संचालन में उपयोग, कलपुर्जो में स्नेहक तेल के रूप में प्रयुक्त, घरेलू ईंधन के रूप में, कारखानों की मशीनों तथा कृषि में प्रयुक्त यंत्रो में उपयोग किया जाता हैं ।

भारत में प्राकृतिक गैस (Natural Gas in India)

यह गैस पूर्णतः ज्वलनशील है । यह कालिख रहित ईंधन है । इसका उत्पादन कम खर्चीला है । इसका उपयोग उर्वरक निर्माण उद्योग, ताप विद्युत संयंत्र व रसोई गैस आदि में किया जाता है । खनिज तेल क्षेत्रों में ही प्राकृतिक गैस के भण्डार पाये जाते है ।

जल-विद्युतशक्ति (Hydro-Electricity)

जल विद्युत एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा हैं । यह ऊपर से नीचे गिरती हुई जलधारा की ऊर्जा से संचालित टरबाइनों तथा डायनेमों से उत्पन्न की जाती हैं । यद्यपि प्राचीन काल से ही समुद्री लहरों व जल-प्रपातों से पन चक्कियों को चलाने का प्रचलन रहा हैं । किन्तु जल विद्युत का उत्पादन बीसवीं शताब्दी से किया जाने लगा हैं ।

भारत का सबसे पहला जल-विद्युत केन्द्र 1898 ई. में दार्जिलिंग मे बनाया गया था ।

अध्याय – 9
भारतीय उद्योग

I. स्वतंत्रता से पूर्व भारत में स्थापित उद्योग-

- लौह इस्पात उद्योग:- 1874 में कुल्टी (प. बंगाल) में पहला व्यवस्थित लौह इस्पात केन्द्र स्थापित किया गया ।
- एल्युमिनियम उद्योग:- 1837 में जे.के. नगर (प. बंगाल) में पहला एल्युमिनियम उद्योग स्थापित किया गया ।
- सीमेन्ट उद्योग:- सीमेन्ट उद्योग का पहला कारखाना 1904 में चेन्नई में लगाया ।
- रसायनिक उद्योग:- भारत में रसायनिक उद्योग की शुरूआत 1906 में रानीपेट (तमिलनाडु) में सुपर फास्फेट के यंत्र के साथ हुई ।
- जहाजरानी उद्योग:- 1941 में विशाखापटनम में पहला जहाजरानी उद्योग लगाया गया जिसका नाम हिन्दुस्तान शिपयार्ड था ।
- सुती वस्त्र उद्योग:- 1818 में कोलकता में प्रथम सुती वस्त्र मील की स्थापना की गई जो असफल रही । 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सुती वस्त्र मील की स्थापना डाबर ने की ।
- **जूट उद्योग:-** जूट उद्योग की स्थापना 1955 में रिसदा (कोलकाता) में की गई ।
- **ऊनी वस्त्र उद्योग:-** भारत में पहली ऊनी वस्त्र मील की स्थापना 1876 में कानपुर में की गई ।

वर्ष 1951-52 में GDP में औद्योगिक क्षेत्र का भाग 16.6 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2016-17 में बढ़कर 29.02 प्रतिशत हो गया तथा वर्तमान में यह लगभग 31 प्रतिशत हैं ।

भारत के प्रमुख विनिर्माण उद्योग

लौह इस्पात उद्योग:-

- वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार लौह इस्पात उत्पादन में भारत चीन व अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर हैं ।
- 2003 के बाद से भारत स्पंज आयरन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादनकता हैं ।
- फरवरी 2018 से भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में जापान को पीछे छोड़कर दूसरे पायदान पर आ गया हैं ।
- इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क, मैंग्नीज, चूना पत्थर, कुकिंग कोयला एवं डोलामाइट का प्रयोग किया जाता हैं ।

- 1907 में साकची, झारखण्ड में जमशेद टी टाटा द्वारा लौह इस्पात उद्योग टाटा आयरन व स्टील कम्पनी (TLSCO) की स्थापना की गई । इसे भारत में आधुनिक लौह इस्पात की शुरुआत माना जाता हैं ।
- भारत में पहली बार 1874 में कुल्टी, पं.बंगाल में 'बंगाल आयरन वर्क्स' की स्थापना हुई, जो अब बंगाल लोहा व इस्पात उद्योग में बदल गया हैं /
- 1907 में जमशेदपुर में TISCO भारत में स्थापित पहली नीजी क्षेत्र की लौह इस्पात उद्योग की इकाई बनी । दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए कारखाने -
- राउरकेला (उड़ीसा):- जर्मनी के सहयोग से स्थापित (1955 में स्थापना, 1959 से उत्पादन शुरू)
- भिलाई (छत्तीसगढ़):- रूस के सहयोग से स्थापित (1955 में स्थापना, 1959 से उत्पादन शुरू)
- दुर्गापुर (प. बंगाल):- ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित (1959 में स्थापना, 1962 से उत्पादन शुरू)

नोटः- तीसरी पंचवर्षीय योजना में रूस की सहायता से 1966 में बंकारों (झारखण्ड) में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई ।

1974 में सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) की स्थापना की तथा इसे इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी दी गई । 'सेल' के अधीन एकीकृत इस्पात संयत्रों की संख्या अब आठ (भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इस्को, विश्वेश्वरैया, विशाखापतनम एवं सलेम) हो गई हैं ।

सीमेंट उद्योगः-

- वर्तमान में भारत सीमेन्ट उत्पादन मे चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता हैं ।
- देश में आधुनिक सीमेंट बनाने का कारखाना 1904 में चैन्नई में शुरु हुआ ।
- यह एक भारहासी उद्योग है जिसमें एक टन उत्पादन के लिए 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसमें 1.6 टन केवल चूना पत्थर होता हैं ।
- इसके अपशिष्ट पदार्थ स्लैग कहलाते हैं ।
- मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के सर्वाध्कि संचित भण्डार होने कारण इस उद्योग का सर्वाधिक विकास मध्य प्रदेश में हुआ हैं ।
- सीमेन्ट उद्योग के सर्वाधिक कारखाने आन्ध्रप्रदेश में हैं।

रासायनिक उर्वरक उद्योगः-

- हरित क्रांति को सफल बनाने में सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान इसी उद्योग का रहा ।
- भारत नाइट्रोजन उत्पादकों का दूसरा सबसे बडा तथा फास्फेट उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक हैं
- भारत में पोटाश उर्वरकों का उत्पादन नहीं होता हैं ।
- रसायनिक उर्वरकों के अन्तर्गत तीन प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन होता हैं –
- नाइट्रोजन, फास्फेटिक व पोटश उर्वरक
- भारत की जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी के कारण यहां नाइट्रोजन उर्वरक की मांग व उत्पादन अधिक होता हैं ।
- भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन किया जाता हैं -

  (1)नाइट्रोजन आधारित उर्वरक(2)फोस्फोरस आधारित उर्वरक भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट (तमिलनाडु) में स्थापित किया गया ।
- 1961 में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की गई ।

प्रमुख रसायनिक उवर्रक कम्पनियां -

- फर्टीलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.(FCI)- सिंद्री, गोरखपुर, तालचेट व रामागुण्ड्म
- राष्ट्रीय केमिकल्स व फर्टीलाइजर्स लि.(RCF) ट्रांबे व थाल (महाराष्ट्र)
- इंडियन फामर्स फर्टिलाईजर कॉपरेटिव लि.(IFFCO) कलोल व कांड़ला (गुजरात), फूलपुर व आवंला (उत्तर प्रदेश)
- कृषक भारती कॉपरेटिव लि. (कृभको) - हजीरा

पेट्रो रसायन उद्योगः-

- इसे चार भागों में विभाजित किया सकता हैं -;

(1)पॉलीमर/प्लास्टिक
(2)कृत्रिम रेशा/सिंथेटिक रेशा
(3)औषधि निर्माण / कीटनाशक निर्माण/रंगने के पदार्थ / कृत्रिम डिटर्जेंट निर्माण
(4)पटाखा उद्योग

- देश में सर्वाधिक पेट्रो रसायन का उत्पादन गुजरात में होता हैं ।
- यह उद्योग भारत में नवीन हैं ।
- इसका पहला संयंत्र निजी क्षेत्र में युनियन कार्बाइड़ इंड़िया लिमिटेड़ द्वारा 1966 में ट्राम्बे में स्थापित किया गया ।

- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम कारखाना इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लि., बडोदरा में 1969 में स्थापित किया गया ।

सूती वस्त्र उद्योग:-

- यह भारत का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग हैं ।
- यह भारत का सबसे बड़ा उद्योग हैं जो रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता हैं ।
- औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 14 प्रतिशत हैं ।
- भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना बम्बई स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी कवास जी नानाभाई डाबर ने सन् 1854 में मुंबई में लगाया ।
- मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी (कॉटनपोलिश ऑफ इंडिया) कहा जाता हैं ।
- अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर व पूर्व का बोस्टन कहा जाता हैं ।
- कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता हैं ।
- सूरत जरी के कार्य के लिए जाना जाता हैं ।
- भारत का पहला टेक्सटाइल पार्क जयपुर के निकट बगरू में प्रारंभ हुआ ।
- तमिलनाडु में देश के कुल मिल सुती वस्तु उत्पादन का 45 प्रतिशत सुत का उत्पादन में होता हैं ।
- कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता हैं ।
- बुनकरों को अच्छी सेवाएं देने व 24 घंटे आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ई-धागा एप् की शुरूआत की गई । यह एप 10 भाषाओं में उपलब्ध हैं ।
- कपड़े का देश के कुल निर्यात में 20 प्रतिशत योगदान हैं ।
- समेकित कौशल विकास योजना नाम से एक नई योजना 5 अगस्त 2010 को वस्त्र, जूट व हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन हेतु शुरू की गई ।

ऊनी वस्त्र उद्योग:-

- भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1876 में कानपुर तथा 1881 में धारीवाल (पंजाब) में स्थापित किया गया ।
- भारत दुनियाँ का तीसरा सबसे बड़ा भेड़ों की जनसंख्या वाला देश हैं ।
- यह भारत के लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार देता हैं ।
- भारत विश्व के कुल ऊन उत्पादन का 2% उत्पादन कर विश्व में 9 वां स्थान रखता हैं ।
- कश्मीर व हिमाचल में शॉल बनाना एक उन्नत कुटीर उद्योग हैं ।

चीनी उद्योग:-

- भारत विश्व मे चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता व दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हैं ।
- भारत में 2019 तक 587 चीनी मिले थी ।
- चीनी निर्यात में भारत का विश्व मे चौथा स्थान हैं ।
- 1840 में अंग्रेजों द्वारा बिहार के बेतिया में प्रथम सफल चीनी मील की स्थापना की गई ।
- 1931 में चीनी उद्योग को सरकारी संरक्षण मिला ।
- 1960 तक उत्तर प्रदेश व बिहार भारत के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य था । परन्तु इसके बाद दक्षिण भारत में नलकूप से सिंचाई का विकास होने के बाद से इसका विकेन्द्रीकरण दक्षिण भारत की तरफ होने लगा ।
- चीनी उद्योग का विकेन्द्रीकरण दक्षिण भारत में अधिक हैं । महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता हैं तथा यहां चीनी के सर्वाधिक कारखाने हैं ।
- गन्ने का प्रति हैक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता हैं ।

इंजीनियरिंग नियरिंग उद्योग:-

- भारत में इंजीनियरिंग . उद्योग प्रधानतः सार्वजनिक क्षेत्र में हैं तथा स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ हैं ।
- भारत में यह उद्योग तीन वर्गों में विभाजित हैं -

(1)भारी यान्त्रिक इंजीनियरिंग
(2.)हल्के यान्त्रिक इंजीनियरिंग
(3)विद्युतीय इंजीनियरिंग उद्योग

- भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख इकाइयां निम्न हैं -
- भारी इंजीनियरिंग , निगमल लि., रांची
- (2) खनन वं संबद्ध मशीनरी निगम लि., दुर्गापुर
- (3) भारत हैवी प्लेट्स एंड़ वैसेल्स लि., विशाखापटनम
- (4) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., नैंनी (प्रयागराज)
- (5) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि., कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम
- (6) नेशनल इंस्ट्रमेंट लि., जादवपुर (कोलकाता)
- (7) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि., बेंगलुरु (इसकी स्थापना स्वीटजरलैण्ड़ के सहयोग से 1963 में की गई ।)
- भारत हैवी इलेक्ट्रीक लि. ; (BHEL)सार्वजनिक क्षेत्र का विशालतम उपक्रम हैं । इसकी 6 इकाइयां भोपाल, तियचिरापल्ली, हैंदराबाद, जम्मू, बेंगलुरु तथा हरिद्वार में हैं ।

जूट उद्योग:-

- बंगाल में जूट उद्योग का केन्द्रीकरण हैं । बंगाल के 64 लाख से भी अधिक परिवार इससे जुड़े होने के कारण इसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल कहा जाता हैं ।
- जूट का पहला कारखाना 1855 में जॉर्ज ऑकलैण्ड द्वारा रिशरा नामक स्थान पर लगाया गया ।
- भारत के कुल जूट उत्पादन का 90 प्रतिशत अकेले प. बंगाल में होता हैं ।
- जूट से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला तथा निर्यात मे दूसरा स्थान हैं ।
- (पहला स्थान बांग्लादेश का है)
- इसके निर्यात हेतु कोलकता बंदरगाह का प्रयोग किया जाता हैं ।
- भारतीय जूट निगम 1971 में स्थापित किया गया ।

कागज उद्योगः-

- कागज बनाने का पहला आधुनिक कारखाना सीरामपुर (कोलकता) में 1832 में स्थापित किया गया ।
- 1881 में पं. बंगाल के टीटागढ से आधुनिक कागज उद्योग की शुरुआत की गई ।
- 1 टन कागज के लिए लगभग 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती हैं ।
- इसके कच्चे माल में 70 प्रतिशत बांस, 15 प्रतिशत सवाना घास, 7 प्रतिशत गन्ने की खोई, 5 प्रतिशत मुलायम लकड़ी, 3 प्रतिशत चावल, गेंहू आदि के पुआल, रद्द कागज, कपड़े की मात्रा होती हैं
- पं. बंगाल कागज उद्योग का परम्परागम क्षेत्र हैं ।
- नेपानगर (मध्यप्रदेश) अखबारी कागज के लिए जाना जाता हैं ।
- महाराष्ट्र के बल्लारपुर में देश की सबसे बड़ी कागज मील हैं ।
- मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोटो के लिए कागज तैयार किया जाता हैं ।

रेशम उद्योगः-

- चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश हैं।
- देश में रेशम का आधुनिक कारखाना ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा 1832 में हावड़ा में प्रारम्भ किया गया । वर्तमान में देश में 324 रेशमी वस्त्रों के कारखाने हैं ।
- भारत में 5 प्रकार के रेशम उत्पादित किए जाते हैं - मलबरी, ट्रॉपिकलटसर, ओकटसर, इरी और मूंगा
- भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान लगभग 3% हैं ।
- केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा 1 फरवरी 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक देश में सबसे ज्यादा कच्चे रेशम का उत्पादन करता हैं । इससे रेशमी धागा बनाया जाता हैं ।
- बिहार तथा झारखण्ड टसर रेशम तथ असम मूंगा रेशम का वृहतम उत्पादक राज्य हैं, जबकि मणिपुर एवं जम्मू कश्मीर में रेशम कीट पालन के लिए आदर्श जलवायु हैं ।

एल्युमिनियम उद्योगः-

- भारत विश्व का 4.9% एल्युमिनियम उत्पादित कर चौथे स्थान पर हैं ।
- भारत का पहला एल्युमिनियम संयंत्र 1937 में पं. बंगाल के जे.के. नगर (आसनसोल) में स्थापित किया गया ।
- 1938 में झारखण्ड के मूरी नामक स्थान पर दुसरा तथा तीसरा उतरप्रदेश के रेणुकूट नामक स्थान पर हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कार्पोरेशन (हिण्डाल्को) के रूप में लगाया गया ।
- 27 नवंबर 1965 को सार्वजनिक क्षेत्र के पहले एल्युमिनियम उत्पादक उपक्रम के रूप में भारत एल्युमिनियम कम्पनी लि. (बाल्को) की स्थापना की गई ।
- 7 जनवरी 1981 को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. (नाल्को) की स्थापना की गई । यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्युमिनियम परियोजना कॉम्लेक्स हैं । 2008 में नाल्कों को नवरत्न का दर्जा दिया गया ।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेडः-

- 9 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना की गई । यह देश का एकमात्र शोधित तांबे का एकीकृत उत्पादक है । इसकी चार इकाइयां देश के विभिन्न राज्यों राजस्थान, झारखण्ड, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र में हैं । खेतड़ी कॉपर कॉम्पलेक्स (राजस्थान) इंडियन कापर कॉम्पलेक्स (घाटशिला, झारखण्ड) मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट (मलंजखंड, मध्यप्रदेश) तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट (तलोजा, महाराष्ट्र)

जलयान निर्माण उद्योगः-

- भारत में जलयान का पहला कारखाना 1941 में विशाखापटनम में स्थापित किया गया । इसे 1952 में सरकार ने अधिग्रहित करके इसका नाम हिन्दुस्तान शिपयार्ड रखा ।
- वर्तमान में भारत में जलयान निर्माण की 27 औद्यगिक इकाईयां सक्रिय हैं । इनमें से 8 सार्वजनिक व 19 निजी क्षेत्र की हैं ।

- कोचिन शिपयार्ड भारत का नवीनतम व सबसे बड़ा शिपयार्ड हैं । यह जापान के सहयोग से स्थापित किया गया हैं ।
- मझगांव शिपयार्ड, मुम्बई से भारतीय नौसेना के लिय युद्धपोत तैयार किए जाते हैं ।

वायुयान निर्माण उद्योग :-

- भारत में वायुयान निर्माण का स्वामित्व पूर्ण रूप से भारत सरकार के पास है, जिसका संचालन बंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा किया जाता है सर्वप्रथम वर्ष 1948 में निजी स्वामित्व के द्वारा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना हुई , जिसका अधिग्रहण सरकार द्वारा कर लिया गया एवं 1964 में इसका नाम परिवर्तन कर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कर दिया गया / इसके 13 डिवीजन हैं जो 6 राज्यों में स्थित हैं/ इनमें नासिक, हैदराबाद , बंगलुरु, लखनऊ, कोरापुट, कानपुर डिवीजन हैं/इसमें भारत के लड़ाकू विमान तैयार किये जाते हैं/

रेल उपकरण उद्योग

इसके अंतगर्त रेल इंजन , डिब्बा और वैगन आदि का निर्माण किया जाता हैं/ भारत में इस क्षेत्र में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र सम्मिलित रूप से संलग्न हैं / भारत रेल सम्बंधित उपकरणों को बनने में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका हैं/ देश का सबसे पहली कंपनी 1921 में झारखण्ड के सिंहभूम जिलें में पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी के नाम से स्थापित की गई थी / भारतीय रेलवे में डिज़ाइन तथा विकास से संबंधित कार्य रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में होता हैं तथा सेल और भारतीय रेलवे के बीच स्टील व लोहे की आपूर्ति तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिए समझौता हुआ हैं / इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आधुनिक कोच की फैक्ट्री की स्थापना की गई हैं / हरियाणा के सोनीपत में भी रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित हैं / बड़ोदरा में स्थित भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी को देश के पहले रेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा हैं /

अध्याय- 10
परिवहन तंत्र

रेल परिवहन –

- भारत में रेलवे का आरम्भ 1853 में हुआ, जब पहली रेलगाड़ी मुम्बई से थाणे के बीच 34 किमी. मार्ग पर चलाई गई।
- विश्व में सर्वप्रथम 1825 में ब्रिटेन में लीवरपुर से मैनचेस्टर के बीच चलायी गयी थी।
- भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कर्जन के समय 1905 में हुई।
- 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ।

भारत के रेल-मंडल एवं उनके मुख्यालय

	रेल-मंडल	मुख्यालय		रेल-मंडल	मुख्यालय
1.	उत्तर रेलवे	नई दिल्ली	2.	पश्चिम रेलवे	चर्च गेट मुम्बई
3.	दक्षिण रेलवे	चेन्नई	4.	पूर्व रेलवे	कोलकाता
5.	मध्य रेलवे	मुम्बई सेन्ट्रल	6.	द.-मध्य रेलवे	सिकंदराबाद
7.	द.-पूर्व रेलवे	कोलकाता	8.	पूर्वोत्तर रेलवे	गोरखपुर
9.	ऊ.-पूर्वी सी. रेलवे	मालेगाव	10.	पूर्व-मध्य रेलवे	हाजीपुर
11.	उत्तर-मध्य रेलवे	इलाहबाद	12.	प.-मध्य रेलवे	जबलपुर
13.	द.-प. रेलवे	हुबली	14.	ऊ.-प. रेलवे	जयपुर
15.	पूर्व तट रेलवे	भुवनेश्वर	16.	द.पूर्व मध्य रेलवे	बिलासपुर

17.	कोलकाता मेट्रो	कोलकाता			

भारत में प्रथम सवारी गाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरोबेदर स्टेशन से कल्याण (थाणे) तक चली थी। इसमें तीन भाप के इंजन लगे थे- सिंधु, सुल्तान एवं साहिब।

- वर्ष 1924-25 से एक्वर्थ कमिटी की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को सामान्य राजस्व बजट से अलग कर दिया गया।
- वर्तमान में 28% रेलमार्ग, 41% चालू पटरियों व 42% कुल रेल पटरियों का विद्युतीकरण हो चुका है ।

देश में तीन प्रकार के रेल मार्ग हैं		
प्रकार	**पटरियों की चौड़ाई**	**लम्बाई**
ब्रोड गेज	1.676 मी.	49820 किमी.
मीटर गेज	1.000 मी.	10621 किमी.
नैरो गेज	0.610 मी.	2886 किमी.

- भारत में सबसे पहला विद्युतीकृत रेलमार्ग मुम्बई से कुर्ला का था, जहाँ सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को विद्युत शक्ति से रेलगाड़ी का परिचालन किया गया ।
- कोलकात्ता मेट्रो रेल सेवा - कलकत्ता में सर्वप्रथम 1975 में यह सेवा दमदम से टालीगंज (16.45 किमी.) के मध्य शुरू हुई थी, किन्तु यह योजना 1972 में शुरू की गई थी।
- दिल्ली मेट्रो रेल सेवा- दिल्ली में सर्वप्रथम 25 दिसम्बर 2002 को तीस हजारी से शहादरा के बीच शुरू हुई थी। इस परियोजना में कोरिया एवं जापानी कंपनी का सहयोग मिला है।
- विश्व का सबसे लम्बा रेलमार्ग ट्रांस, साइबेरियन रेलमार्ग है, जो लेनिनग्राड से ब्लाडीवास्टक (रूस) तक 9297 किमी. लम्बा है।
- भारत समेत एशिया और यूरोप के 28 देशों ने ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क पर समझौता किया है, जिसकी लम्बाई 14000 किमी. होगी।
- देश में किसी भी रेलमंत्री द्वारा अब तक सर्वाधिक बार रेल बजट पेश करने का रिकार्ड जगजीवन राम के नाम है।
- भारतीय रेल को 17 जोन (मंडल) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन का प्रधान महाप्रबंधक होता है।
- भारत में सबसे लम्बी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेकएक्सप्रेस एक्सप्रेस है, जो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ तक की 4230 किमी. की दूरी तय करती है।

सड़क परिवहन

- भारत की सड़क प्रणाली विश्व की दूसरी विशालतम प्रणालियों में से एक है। देश के सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यों के राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं।
- इस समय देश के कुल सड़कों की लम्बाई 56.17 लाख किमी. है। राष्ट्रीय राजमार्ग- राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था का दायित्व केन्द्र सरकार का है। इसकी कुल लंबाई 131326 किमी. है जो सड़कों की कुल लम्बाई, का मात्र 2.7% है। लेकिन कुल यातायात का 40% इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए होता है ।
- देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47A है, जिसकी लम्बाई मात्र 6 किमी. है।
- देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लम्बाई 3745 किमी. है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, जो दिल्ली से पाक सीमा तक जाता है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, जो दिल्ली से कोलकाता जाता है, को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई में से 30% सड़कें एकल लेन वाली, 53% सड़कें दो लेन वाली तथा शेष 17% सड़कें चार या उससे अधिक लेन वाली हैं।
- स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अन्तर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता चारों महानगरों को जोड़ा जाएगा, जिसकी कुल लम्बाई 5846 किमी. है।
- उत्तर-दक्षिण गलियारे के अन्तर्गत श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व-पश्चिम गलियारे के अन्तर्गत सिलचर से पोरबंदर को जोड़ा जाएगा, जिसकी लं. 7300 किमी. होगी। राज्य राजमार्ग - राज्यों के राजमार्गों व जिला ग्रामीण सड़कों का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। वर्तमान में राज्यों के राजमार्ग की कुल लंबाई 1 लाख 28 हजार किमी. है। बड़ी एवं अन्य जिला सड़कें 4,70,000 किमी. हैं तथा ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 26,50,000 किमी. है।
- राज्यों में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है।
- पक्की सड़कें (घटते क्रम में)-महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।
- कच्ची सड़कें (घटते क्रम में) उड़ीसा, म. प्रदेश, उ. प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र।

- कुल सड़कों की लंबाई (घटते क्रम में) महाराष्ट्र, उ. प्रदेश, तमिलनाडु, म. प्रदेश।
- सड़क घनत्त्व (घटते क्रम में) केरल, तमिलनाडु।
- देश के उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमा क्षेत्रों में सड़कों का त्वरित निर्माण और विकास करने के लिए 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड बनाया गया।
- राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए "भारतमाला" ग्रामीण सड़को के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई जा रही है।

1. राष्ट्रीयराजमार्गों (#National_Highways)
2. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1 (km. 456) – दिल्ली से अमृतसर तथा भारत-पाकिस्तान सीमा तक
3. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1A (km. 663) – जलंधर से उरी तक
4. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1B (km. 274) – बटोटे से खानाबल तक
5. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1C (km. 8) – डोमेल से कटरा तक
6. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1D (km. 422) – श्रीनगर से कारगिल से लेह तक
7. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 2 (km. 1,465) – दिल्ली से कोलकाता तक
8. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 2A (km. 25) – सिकन्दरा से भोगनीपुर तक
9. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 2B (km. 52) – बर्धमान से बोलपुर तक
10. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 3 (km. 1,161) – आगरा से मुम्बई तक
11. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 4 (km. 1,235) – थाणे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से चेन्नई तक
12. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 4A (km. 153) – बेलगाम से पणजी तक
13. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 4B (km. 27) – नवाशेवा से पाल्सपे तक
14. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 5 (km. 1,533) – राष्ट्रीय राजमार्ग 6 से चेन्नई तक
15. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 5A (km. 77) – राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के पास से पारादीप बंदरगाह तक
16. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 6 (km. 1,949) – हजीरा से कोलकाता तक
17. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 7 (km. 2,369) – वाराणसी से कन्याकुमारी तक
18. राष्ट्रीय राजमार्ग NH) 7A (km. 51) – लयमकोट्टई से तूतीकोरन बंदरगाह तक
19. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8 (km. 1,428) – दिल्ली से मुंबई तक
20. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8A (km. 473) – अहमदाबाद से मांडवी तक
21. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8B (km. 206) – बामनबोर से पोरबंदर तक
22. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8C (km. 46) – चिलोड़ा से सरखेज तक
23. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8D (km. 127) – जेतपुर से सोमनाथ तक
24. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8E (km. 220) – सोमनाथ से भावनगर तक
25. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) NE 1 (km. 93) – अहमदाबाद से वडोदरा तक
26. एक्सप्रेस व राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 9 (km. 841) – मुणे से मछलीपट्टनम तक
27. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 10 (km. 403) – दिल्ली के फज़िल्का से भारत पाकिस्तान सीमा तक
28. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 11 (km. 582) – आगरा से बीकानेर तक
29. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 11A (km. 145) – मनोहरपुर से कोथम तक
30. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 11B (km. 180) – लालसोट से धौलपुर तक
31. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 12 (km. 890) – जबलपुर से जयपुर तक
32. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 12A (km. 333) – जबलपुर से झाँसी तक
33. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 13 (km. 691) – शोलापुर से मंगलौर तक
34. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 14 (km. 450) – बीवार से राधापुर तक
35. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 15 (km. 1,526) – पठानकोट से समाखियाली तक
36. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 16 (km. 460) – निजामाबाद से जगदलपुर तक
37. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 17 (km. 1,269) – पानवेल से इदपल्ली तक
38. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 17A (km. 19) – राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पास कोर्टलम से मढ़गाव तक
39. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 17B (km. 40) – पोंडा से वास्को तक

40. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 18 (km. 369) – राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पास कुरनूल से राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के पास चित्तूर तक
41. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 18A (km. 50) – तिरुपति से पुथलपट्ट तक
42. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 19 (km. 240) – गाजीपुर से पटना तक
43. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 20 (km. 220) – पठानकोट से मंडी तक
44. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 21 (km. 323) – चंडीगढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 22 से मनाली तक
45. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 21A (km. 65) – पिंजौर से स्वारघाट तक
46. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 22 (km. 459) – अंबाला से भारत चीन सीमा के पास शिपकिला तकराष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 23 (km. 459) – चस से राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के संगम तक
47. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 24 (km. 438) – दिल्ली से लखनऊ तक
48. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 24A (km. 17) – बख्शी का तालाब से चेन्हट (राष्ट्रीय राजमार्ग 28) तकराष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 25 (km. 352) – लखनऊ से शिवपुरी तक
49. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 25A (km. 31) – राष्ट्रीय राजमार्ग 25 से बख्शी का तालाब तक
50. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 26 (km. 396) – झाँसी से लखनादौन तक
51. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 27 (km. 93) – इलाहाबाद से मंगावन तक
52. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 28 (km. 570) – बरौनी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से लखनऊ तक
53. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 28A (km. 68) – पिपरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से भारत नेपाल सीमा तक
54. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 28B (km. 121) – छपवा से छपरा से राष्ट्रीय राजमार्ग 28 ए के पास बाघा तकराष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 28C (km. 184) – बारबंकी से नेपाल सीमा तक

जल परिवहन

- देश का लगभग 90% (मूल्य स्तर पर 70%) व्यापार समुद्री मार्ग से होता है।
- व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत विश्व में 17वें स्थान पर है।
- भारत के 7516 किमी. लंबे समुद्र तट पर 12 बड़े व 200 छोटे एवं मझोले बंदरगाह हैं। बड़े बन्दरगाहों का प्रबंधन व विकास की जिम्मेदारी
- केन्द्र सरकार की है, जबकि अन्य बन्दरगाह समवर्ती सूची में हैं। जिनका प्रबंधन तथा प्रशासन संबंद्ध राज्य सरकारें करती हैं।
- पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह- कोलकाता, प्रायद्वीप, विशाखापटनम, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन।
- पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह- मुम्बई, कांडला, मर्मागोवा, न्यू मंगलोर, कोच्चि।
- बंदरगाहों के विकास के लिए सागरमाला योजना प्रारम्भ की गई है।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की स्थापना अक्टूबर 1986 में हुई। इसका मुख्यालय नोएडा में है।
- केन्द्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता में है। इसकी स्थापना सार्वजनिक प्रतिष्ठान के रूप में मई 1967 में की गई थी।
- राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है।
- वर्तमान में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है।

प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग			
जल मार्ग सं	लम्बाई	विस्तार	नदी
N.W.-I	1620 किमी.	इलाहाबाद से हल्दिया	गंगा नदी
N.W.-II	891 किमी.	सदिय से धुबारी तक	ब्रह्मपुत्र नदी
N.W.-III	205 किमी.	कोट्टापुरम् से कोल्लम तक	चम्पाक्कारा नदी
N.W.-IV	1095 किमी.	काकीनाडा से पांडिचेरी नहर	कृष्णा-गोदावरी
N.W.-V	623 किमी.	पूर्वी तट नहर	ब्राह्मणी नदी
N.W.-VI	121 किमी.	लखीपुर से भांगा (प्रस्तावित)	बराक नदी

वायु परिवहन

- भारत में वायु परिवहन के विकास का इतिहास 1911 से प्रारम्भ होता है, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया।
- भारत में पहली अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा 1922 में कराची एवं मद्रास के बीच शुरू की गई।
- वायु परिवहन कंपनियां, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में कार्य कर रही हैं। एयर इंडियन, एयर लाइन्स, एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड (एयर इंडिया एक्सप्रेस) और एलायंस एयर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अलावा निजी क्षेत्र मे 8 निर्धारित एयर लाइन्स हैं। इनमें जेट एयरवेज, इंडिया लिमिटेड, सहारा एयर लाइन्स, डक्कन विमानन, गो एयरवेज, किंग फिशर एयर लाइन्स, पैरामाउन्ट एयरवेज, गो एयर लाइन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), घरेलु क्षेत्र में संचालित हैं। इसके अलावा देश में माल वाहक सेवा संचालित करने के लिए ब्लू डार्ट विमानन नाम से एक निजी मालवाहक कंपनी हैं।
- उड़ान योजना का उपयोग क्षेत्रीय वायुमार्ग जुड़ाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा हैं।
- एयर इंडिया मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराता हैं। इंडियन एयरलाइंस भी पड़ोसी देश जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों और मध्य एशियाई देशों में उड़ाने संचालित करता हैं।
- पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड भारत की अग्रणी हेलिकॉप्टर कंपनी है जो विश्वसनीय हेलिकॉप्टर संचालन के लिए जानी जाती हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अपनी सेवाओं के लिए आई एस ओ 9001:20 00 प्रमाण प्रत्र पाने वाली भारत की यह एकमात्र सेवा कंपनी हैं।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विलय द्वारा हुआ। यह प्राधिकरण देश में 15 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, 87 घरेलू हवाई अड्डों एवं 25 नागरिक विमान टर्मिनल (कुल 127 हवाई अड्डों) का रख-रखाव और संचालन करता हैं।

देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे	
जवाहरलाल नेहरु हवाई अड्डा (सांताक्रुज)	मुम्बई
सुभाषचन्द्र बोस हवाई अड्डा	कोलकाता
इन्दिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	दिल्ली
मिनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	चेन्नई
तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	तिरुवनंतपुरम
राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	अमृतसर
बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	हैदराबाद
कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	कोच्चि
गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	गुवाहाटी
अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	अहमदाबाद
गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	पणजी
गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	गया
श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	श्रीनगर

भारत सरकार विमान व्यवस्था में सुधार लाने के लिए "गगन" शुरू कर रही हैं।

- नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्यालय दिल्ली हैं।
- विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 22 अक्टूबर, 2008 को की गई।

- भारत सरकार ने उदारीकृत आर्थिक नीतियों के तहत स्वदेशी विमान सेवाओं में 49% एवं हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति प्रदान की है।
- निजी क्षेत्र में भारत का पहला हवाई अड्डा केरल के कोचीन में निर्मित किया गया है।
- एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद 27 अगस्त 2007 को भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लि. आधिकारिक अस्तित्व में आयी। कंपनी का ब्रांड नाम एयर इंडिया है।
- केन्द्र सरकार ने दिल्ली एवं मुंबई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण का जिम्मा क्रमशः जी.एम. आर. फ्रैंफोर्ट एवं जी.वी.के.एस. सीएसए नामक निजी कम्पनियों को प्रदान कर दिया है।

भारत के बंदरगाह :-

भारत के लगभग 7517 किमी. लंबे तट पर 13 मुख्य बड़े बंदरगाह तथा 200 से अधिक छोटे एवं मध्यम दर्जे के बंदरगाह हैं/

भारत में लगभग 75 प्रतिशत व्यापार बंदरगाहों के होता है

मुबई, कांडला, न्यू मंगलौर, एवं कोच्चि पश्चिमी तट तथा कोल्कता, हल्दिया, पारादीप विशाखापट्नम, चेन्नई व तूतीकोरिन पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं/

विश्व भूगोल

विश्व का भूगोल

- **ब्रह्माण्ड एवं सौरमंडल**

ब्रह्मांड का अध्ययन खगोलिकी की की कहलाता है।

ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है।

तारा

वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो तारा कहलाता है।

तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है।

जब ये विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान हो जाते हैं जिन्हें निहारिका कहते हैं।

जब इन नेबुला में सलंयनविधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती हैं तो वह तारों का रूप ले लेता है।

तारों में हाइड्रोजन का सलंयन हिलियम में होता रहता है । तारों में इंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है।

तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है ।

1. लाल रंग - निम्न ताप (6 हजार डिग्री सेल्सियस)
2. सफेद रंग - मध्यम ताप
3. नीला रंग - उच्च ताप

तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है।

लाल दानव

जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है।

Case 1st

यदि लाल दानों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होता है तो वह श्वेत वामन बनेगा।

श्वेत वामन

इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं । छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है ।

काला वामन

श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है । इस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है ।

Case 2nd

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1 . 44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा का रूप लेगा ।

अभिनव तारा

इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ , लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है । जिस कारण यह विस्फोट करने लगते है । अतः इसे विस्फोटक तारा कहते हैं । इस विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है ।

न्यूट्रॉन तारा

न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है इसका घनत्व उच्च हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है ।

Puseer

यह तारा चमकता और बुझता रहता है । इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है ।

क्वेशर

यह तारों का लगभग अंतिम अवस्था होता है । क्वेशर का चुंबकीय क्षमता अति उच्च होता है ।

ब्लैक होल

इसका घनत्व अति उच्च होता है । यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है । इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी इसकी चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है । यह काला वामन और श्वेत वामन को अपनी ओर खींच लेता है । अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है ।

चंद्रशेखर सीमा

- सूर्य के द्रव्यमान के डेढ़ गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं । लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है।
- लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है ।
- सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीप के चारों ग्रहों को जला लेगा ।

वाइटहॉल (white Hole)

- यह एक परिकल्पना है जिसमें यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं ।

प्रकाशगंगा

- ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को प्रकाशगंगा कहते हैं ।
- आकाशगंगा का आकार शर्पीलाकार होता है । युवा तारे इस शर्पीलाकार भुजा के किनारे पाया जाता है । जैसे- जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वह प्रकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है ।
- आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं ।
- ब्लज में ब्लैक होल पाए जाते हैं ।
- बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है ।
- आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था ।
- ब्रहांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाए है । और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं।

सुपर क्लस्टर

- तीन आकाशगंगाओं के समूह को सुपरक्लस्टर कहा जाता है । हम जिस सुपरक्लस्टर में रहते हैं उसमें भी तीन प्रकाशगंगा हैं ।

देवथानी

- यह सबसे करीबी प्रकाशगंगा है । यह हमारी आकाशगंगा से 2 . 2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है ।
- दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC-M-33 है ।
- सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं

मंदाकिनी

- हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है । उसे मंदाकिनी कहते हैं । मंदाकिनी का आकार सर्पीलाकार है ।
- इसकी 3 घुलनशील भुजाएं हैं
- नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है ।
- जब तारे लाल दानों की अवस्था में जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं ।
- तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं ।
- मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं ।
- बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं यह ब्लैक होल श्वेत वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है ।
- अतः तारों का अंत ब्लैक होल में जाकर ही होता है ।
- सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर anticlockwise लगाता है , सूर्य 250 km/ second की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है । उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड वर्ष लग जाते हैं इसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है ।
- सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोटिमा सेंचुरी है ।

तारामंडल

- सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाले विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं इसकी संख्या वर्तमान में 88 है।
- सेंटरा तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है।

ध्रुव तारा(Poll Star)

- यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है ।
- प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था अतः इसे दिशा सूर्य सूचक कहते हैं ।

साइरस (Day Star)

- यह सबसे चमकीला तारा है इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है ।

हेटर तारामंडल

- यह शिकारी की तरह दिखता है इसे **मृग** भी कहते हैं । इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है जिस के दक्षिण पश्चिम में सायरस तारा होता है ।

वृहद सप्त ऋषि

- यह ज्ञात तारों का एक समूह है इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है ।

लघु सप्त ऋषि

- यह भी 7 तारों का एक समूह है किंतु यह सप्त ऋषि के उलटे आकार का होता है ।
- इस के सहयोग से भी ध्रुवतारा को ढूंढा जाता है ।

नक्षत्र

- सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं इसकी संख्या 27 है ।
- सूर्य 1 महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है।
- भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है ।

ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत

- बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेने जुबेर ने महा विस्फोट(Big Bang theory) का सिद्धांत दिया । इसके अनुसार 15 करोड़ वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले तारे में महा विस्फोट हुआ इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन ,प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि का निर्माण हुआ । इसी विस्फोट के बाद अंतरिक्ष का निर्माण हुआ तथा समय की गणना प्रारंभ हुई ।
- कण आपस में केंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए ।
- कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लिए ।
- तीन आकाशगंगा मिलकर सुपरक्लस्टर का निर्माण कर लिए ।
- कई सुपरक्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड बनता है ।
- हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बस नामक दूरदर्शी से इस विस्तार का पता चलता है ।
- विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करके कोई शक्ति है जो इसे खींच रही है अतः जब यह शक्ति समाप्त होगा तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा और सिकुड़ कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा तब इसे सुपर क्रंच कहा जाएगा।

सौर मंडल

- सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह ,उपग्रह तथा शुद्र ग्रह, धूमकेतु , उल्कापिंड उनके संयुक्त समूह को सौरमंडल कहते हैं ।
- सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है ।
- सौरमंडल में जनक तारा के रूप में सूर्य है।
- सौर मंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं ।

सूर्य

- यह हमारा सबसे निकटतम तारा है सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है जिसमें से वह 5 अरब वर्ष जि चुका है।
- सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हिलियम में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है।
- आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को तीन भागों में बांटते हैं।

Core(कोर)

- यह सूर्य के मध्य भाग है इसका तापमान लगभग 15 मिलियन सेल्सियस है इसी में हाइड्रोजन का हिलियम में संलयन होता है यह प्लाज्मा अवस्था है ।

Redatice Zone (विकिरण मंडल)

- कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें निकलती है जो **Reader Time** जोन में दिखती है । इसमें एक्स-रे तथा फोटोन पाए जाते हैं ।

संवहन मंडल

- इसमें हाइड्रोजन से बने सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं।

सौर ज्वाला

- जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य के तीनो परतों से पार करके हाइड्रोजन के सेल को चीरता हुआ सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाता है ।
- जिस जवाला के पास तापमान कम है उसके पास ऊर्जा भी कम रहता है और उसे सूर्य वापस खींच लेता है।
- और जिस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है वह सौरमंडल में दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाता है।
- जब यह पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है । किंतु

वायुमंडल इसे विचलित कर लेता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है इस कारण तीन घटनाएं उत्पन्न होती है।

1. पृथ्वी पर संचार में बाधा आती है।
2. एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे **vasher** कहते हैं।
3. एक प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे **अरौरा** कहते हैं।
4. उत्तरी गोलार्द्ध में इस प्रकाश में अरौरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में अरौरा आस्टेलियोसिस कहते है।

सौर कलंक

- वह ज्वाला जिसका तापमान कम था और उसके पास उर्जा भी कम थी सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है।
- यह दो सेल के बीच के खाली जगह से अंदर प्रवेश करता है। इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है।
- अतः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है अतः यह एक धब्बा के समान दिखता है जिसे शोर कलंक कहते हैं।

सौर कलंक चक्र (Sun spots cycle)

- सौर ज्वाला सूर्य के विश्वत रेखा से 40 डिग्री अक्षांश तक जाता है।
- इसे जाने में 5.5 वर्ष तथा आने में 5.5 वर्ष लगते हैं अतः Sun spot cycle 11 वर्ष का होता है।
- 2013 में 23 वां cycle पूरा हुआ था, वर्तमान में 24 cycle वां चल रहा है।
- एक cycle में (11 years में) वर्ष में **100 solar spot** होते हैं।

चुंबकीय चाप (Magnetic Arc)

- जब Sun spot बनता है तो वहां की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को अपनी ओर खींच लेता है जिसे चुंबकीय चाप कहते हैं।

सूर्य की बाहरी परत

- सूर्य के बाहर उसकी तीन परतें हैं ।

1. **प्रकाश मंडल**
   - यह सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है।
2. **वरुण मंडल**
   - यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है इसका तापमान 32400 डिग्री सेल्सियस होता है।
3. **(corona)**
   - यह सूर्य का सबसे बाहरी परत होता है जो लपट के समान होता है इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है इसका तापमान 27lac डिग्री सेल्सियस होता है।

- सूर्य में 75% हाइड्रोजन तथा 24% हिलीयम है।
- शेष तत्व की मात्रा 1% में ही निहित है।
- सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 332000 गुना है।
- सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना है।
- सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है।
- सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना है।
- सूर्य से प्रति सेकंड 10^{26} जूल ऊर्जा निकलती है।
- सूर्य पश्चिम से पूरब घूर्णन करता है।
- सूर्य का विषुवत रेखीय भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है।
- सूर्य का ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है।

ग्रह

- वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना अपनी ऊष्मा हो और ना ही अपना प्रकाश हो वह ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारे पर आश्रित हो।तथा उसी का चक्कर लगाता हो प्रारंभ मे ग्रहों कि संख्या 9 थी परंतु वर्तमान में 8 ग्रह है ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटते है।

पार्थिव

- इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं।
- यह पृथ्वी से समानता रखते हैं।
- इनका घनत्व अधिक होता है तथा यह ठोस अवस्था में होते हैं।
- इनके उपग्रह कम होते हैं या होते ही नहीं है इन ग्रहों की संख्या चार होती है।

a. बुध
b. शुक्र
c. पृथ्वी
d. मंगल

जोवियन ग्रह

- इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। यह बृहस्पति से समानता रखते हैं।इनका आकार बड़ा होता है किंतु घनत्व कम होता है, यह गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। इनके उपग्रहों की संख्या अधिक है।

प्लूटो

- यह नौवां ग्रह था। किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतरराष्ट्रीय खगोल खंड की बैठक हुई जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बोना ग्रह में डाल दिया।

- प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के तीन कारण थे

1. इसका आकार अत्यधिक छोटा था
2. इसकी कक्षा दीर्घ वर्तीय नहीं थी
3. इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को काटती थी

उपग्रह

- इनके पास ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं था ।
- यह अपने निकटतम तारे से ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं किंतु यह चक्कर अपने निकटतम ग्रह का लगाते हैं ।

उपग्रह दो प्रकार के होते हैं

1. **प्राकृतिक उपग्रह** -चंद्रमा
2. **कृत्रिम उपग्रह** -यह मानव निर्मित होते हैं संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी करता है।

सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह

1. बुध
2. पृथ्वी
3. बृहस्पति
4. अरुण
5. शुक्र
6. मंगल
7. शनि
8. वरुण

पृथ्वी से दूरी के अनुसार

1. शुक्र
2. मंगल
3. बुध
4. बृहस्पति
5. शनि
6. अरुण
7. वरुण

आकार के अनुसार ग्रह

1. बृहस्पति
2. शनि
3. अरुण
4. वरुण
5. पृथ्वी
6. शुक्र
7. मंगल
8. बुध

आंखों से हम पांच ग्रहों को देख सकते हैं ।

1. बुध
2. शुक्र
3. मंगल
4. बृहस्पति
5. शनि

उल्टा घूमने वाले ग्रह पूरब से पश्चिम

- शुक्र तथा अरुण
- सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का तथा कम घनत्व शनि का ।
- सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गेनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह मंगल का डिवोर्स है ।
- सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति सबसे धीमा घूर्णन शुक्र 249 दिन ।
- सबसे तेज परिक्रमण वर्ष की अवधि बुध 88 दिन सबसे धीमा शुक्र 164 साल।
- सबसे गर्म ग्रह शुक्र सबसे ठंडा ग्रह अरुण वरुण है ।

Gold lock zone

- अंतरिक्ष का वह स्थान जहां जीवन की संभावना पाई जाती है उसे गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं । केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है । मंगल पर इसकी संभावना है । जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष पर भेजा गया ।

बुध ग्रह (मरकरी)

- इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ है ।
- इस ग्रह का वायुमंडल नहीं है किंतु बहुत ही कम मात्रा में वहां ऑक्सीजन पाई जाती है ।
- वायुमंडल ना होने के कारण यह ऊष्मा को रोक नहीं पाता है । जिस कारण दिन में इसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस तथा रात को -180 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस का देखा जाता है अतः यहां जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है ।
- वायुमंडल ना होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्का पात हुआ है ।
- सबसे बड़ा क्रेटर कोरोलिस बेलिस है ।

शुक्र

- इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है । जो सूर्य से आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है । जिस कारण यह सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह

है । इसे सौरमंडल की परी कहते हैं इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है जिस कारण इसे दम घुटने वाला कहते हैं ।

- यह पृथ्वी से समानता रखता है अतः इसे पृथ्वी का सहोदर ,भगिनी ,जुड़वा बहन कहते हैं ।
- यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूर्व से पश्चिम घूमता है जिस कारण यहां सूर्योदय पश्चिम में होता है ।
- यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है । जबकि सूर्य का परिक्रमण 224 दिन में पूरा करता है ।
- अर्थात इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण समान है।
- अर्थात इस ग्रह पर एक दिन 1 वर्ष के बराबर होगा ।
- बुध तथा शुक्र के पास उपग्रह नहीं है इसके उपग्रह को सूर्य खींच लेता है।

भोर तथा सांझ का तारा

- भोर तथा सांझ में प्रकाश काम रहता है । इसी कारण सूर्य से जब प्रकाश आता है तो बुध तथा शुक्र से टकराकर परिवर्तित होता है ।
- इस परिवर्तित प्रकाश के कारण बुध तथा शुक्र चमकीले दिखते हैं जिससे शुक्र निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखता है ।
- किंतु बुध एवं शुक्र दोनों को भोर तथा सांझ का तारा कहते हैं ।

मंगल

- इस पर Iron ऑक्साइड की अधिकता है । जिस कारण यह लाल दिखता है यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है । जिस कारण इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देकर जाते हैं । इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है । इस ग्रह पर पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जिसकी ऊंचाई 30000 किलोमीटर है जो माउंट एवरेस्ट के 3 गुना से भी अधिक ऊंचा है ।

बृहस्पति

- यह सबसे बड़ा ग्रह है , किंतु यह गैसीय अवस्था में है ।
- इस पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। यह एकमात्र ग्रह है जो हिमरहित है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है । जो लगभग 9:30 घंटे में पूरा कर लेता है।
- बृहस्पति के 73 उपग्रहों में से केवल 16 उपग्रहों को ही मान्यता प्राप्त है।
- इसका सबसे बड़ा उपग्रह गेनीमेड है।
- बृहस्पति के अत्यधिक विशालता के कारण इसे तारा सदृश्य ग्रह कहते हैं।

शनि ग्रह

- यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है ।
- इसका घनत्व .7gm/cm³ है ।
- कम घनत्व के कारण यह है पानी में नहीं डूबेगा इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले हैं ।
- जिन्हें ए ,बी ,सी, डी, ई ,एफ ,जी कहते हैं ।यह वलय इसी ग्रह का टुकड़ा है जो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसी के समीप रहता है इन छल्लों के कारण ही शनि को आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं ।
- शनि के 62 उपग्रह में से 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है
- अतः सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह की संख्या में शनि का स्थान प्रथम हो जाता है ।

अरुण

- इसे अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं ।
- द्वितीय लेटा हुआ ग्रह शुक्र को कहते हैं ।
- इसे आधुनिक ग्रह भी कहते हैं ।
- इस पर मीथेन की अधिकता के कारण यह हल्का हरा दिखता है ।
- यह अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है ।
- जिस कारण वहां सूर्योदय पश्चिम से होता है ।
- इस ग्रह के भी बाहर **पांच** वलय घूमते हैं
- इसके 15 उपग्रह हैं जिनमें **ट्रिटेनिया** सबसे बड़ा है ।

वरुण

- यह सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है ।
- यह सूर्य का परिभ्रमण लगभग 164 वर्ष में पूरा करता है ।
- इस पर भी मिथेन की अधिकता है। जिससे यह नीला दिखता है ।
- इसलिए इसे अरुण का भाई भी कहते हैं इसके 8 उपग्रह हैं जिसमें ट्रिटॉन सबसे प्रमुख है।

परिक्रमण

ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है परिक्रमण के कारण ही वर्ष की घटना होती है ।

परिभ्रमण

अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है दिन और रात की घटनाएं घूर्णन के कारण होती है ।

	परिक्रमण	परिभ्रमण
	शनि का फेरा	लट्टू

बुध	88 दिन	59 घंटा
शुक्र	224 दिन	243 घंटा
पृथ्वी	365 दिन	24 घंटा
मंगल	687 Day	25 घंटा
बृहस्पति	12 year	9.5 घंटा
सनी	29 year	10 घंटा
अरुण	84 year	18 घंटा
वरुण	165 year	18 घंटा

ग्रहों के रंग

1. बुध - Grey
2. शुक्र - yellow
3. पृथ्वी - Blue
4. मंगल - Radish Brown
5. बृहस्पति - Orange + White
6. Sani - Gold
7. अरुण - Blue + Brown
8. Varun - Blue

दूसरे ग्रहों पर भेजे गए कृतिम उपग्रह

1. सूर्य - पारकर , पाइनियर , आदित्य
2. बुध - मेरीनर , मेसेंजर
3. शुक्र - वेनेश , मेग्लन
4. पृथ्वी - स्तूपनिक
5. मंगल - fobos ,curiosity rover
6. बृहस्पति - गैलीलियो
7. शुद्र ग्रह - Grespa, Eros

note -मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में गया । जो स्तूपनिक था ,जबकि किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया, पहला उपग्रह विनेश था । जिसे शुक्र पर भेजा गया था या ठोस अवस्था में रहते हैं ।

शुद्र ग्रह

यह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं । यह ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं । किंतु मंगल तथा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह इन दोनों ग्रहों के बीच में फस जाते हैं ।

उल्का

- शुद्र ग्रह को मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है और स्वयं आगे बढ़ जाता है। यह है शुद्र ग्रह , पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। वायुमंडल में घर्षण के कारण यह जलने लगते हैं ।
- जिसे टूटता तारा या तारे जमीन पर कहा जाता है । जब यह उल्का पृथ्वी पर गिर जाते हैं तब इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है ।
- उल्कापिंड के कारण गड्ढे का निर्माण हो जाता है । जिसे क्रेटर कहते हैं उदाहरण- लोनार झील, दक्षिण अफ्रीका का नटाल ,यूएसए काका एरीजोना ।
- इजिप्ट नामक उल्का पिंड के गिरने से ही डायनासोर की मृत्यु हो गई और वहां प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया ।
- उल्कापिंड के घूर्णन के दिशा में गिरते हैं जिस कारण इनकी गति 72 किलो मीटर /सेकंड होती है ।

Bolite(बोलाइट)

- जब उल्कापिंड पृथ्वी के घूर्णन के दिशा के विपरीत गिरता है तब उसे बोलाइट कहते हैं । यह अधिक चमकीला दिखता है । इसकी गति 12 किलोमीटर/सेकंड होती है । जब यह पृथ्वी पर गिरता है तो उसे टेक्टाइट कहते हैं ।

उल्का पिंड के प्रभाव

1. जब यह वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण इनका चूर्ण बन जाता है । जिस कारण लाल वर्षा होती है।
2. जब यह वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं जिस कारण तापमान बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है ।
3. इनके गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है । जिस कारण गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है।
4. इनके गिरने से पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है 900 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन कर लेती थी। अर्थात दिन की अवधि 18 घंटे थी
5. 41000 वर्ष पूर्व पृथ्वी 21 डिग्री झुकी हुई थी जो वर्तमान में 24 डिग्री झुकी हुई है जिसे हम 23.5 डिग्री पर गणना करते हैं ।

धूमकेतु

- यह धूल के कण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर लगाते हैं । जब यह सूर्य के समीप जाते हैं तो तापमान पा कर जलने या चमकने लगते हैं । इनका पूछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है ।
- पुच्छल तारा की खोज टाइको को ने की थी ।
- पुच्छल तारा भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं किंतु यह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटते । क्योंकि इनकी कक्षा और अन्य ग्रह की कक्षा ऊपर नीचे होती है ।
- शेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है।
- एर्की नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखता है।
- काहुतेक नामक पुच्छल तारा 7600 वर्षों में दिखता है।
- हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है । यह हे 3 फरवरी 2062 में दिखेगा जबकि इससे पहले यह 9 फरवरी 1986 में दिखा ।
- टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है।
- कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की और बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं।
- केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया।और कहा कि गृह दीर्घ वृत्त पर घूमते हैं और जब सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी चाल बढ़ जाती है।
- गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इन सिद्धांतों को सिद्ध कर दिया ।

- habbal नामक दूरबीन से ब्रह्मांड के विस्तारित होने का पता चलता है।
- **पृथ्वी**
- पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं इस पर 71% जल है तथा 29% स्थल है ।
- पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक 5 ग्राम /सेमी³ है ।
- पृथ्वी **ध्रुवों** पर चपटी है पृथ्वी के इस आकृति को गेंडे कहते हैं।
- पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12756 किलोमीटर है जबकि ध्रुवीय व्यास 12714 किलोमीटर है।
- इसके ध्रुवीय तथा विश्वत रेखा व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है।
- पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है जबकि अपने तल पर 66.5 झुकी है।

घूर्णन

- पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है और एक घूर्णन 24 घंटो में पूरा करती है । पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्नलिखित घटना होती है।

1. दिन रात का बनना
2. समीर का उत्पन्न होना
3. ज्वार भाटा का उत्पन्न होना
4. karyolysis बल का उत्पन्न होना

परिक्रमण

- पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है । परिक्रमण के कारण निम्न घटनाएं होती हैं

1. ऋतु परिवर्तन
2. दिन की अवधि का छोटा बड़ा होना
3. ध्रुवो पर छह महीना दिन तथा छह महीना रात का होना ।

Note 6 महीना दिन तथा छह महीना रात होने में 2 घटनाएं भाग लेती है

1. पृथ्वी का परिक्रमण
2. अक्ष पर झुकाव

अपसौर

- जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी बढ़ जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं यह घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है।

उपसौर

- जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है।

एपिसाइड लाइन

- अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं।

खगोलीय इकाई

- सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 15 करोड किलोमीटर है। इस दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं।इतनी दूरी से सूर्य के प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। जबकि चंद्रमा से प्रकाश को आने में सवा 1 सेकंड लगता है।

चंद्रमा

- इसे पृथ्वी का जीव आश्रम कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं । चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है।
- चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण वहां तापांतर अधिक होता है और दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
- वायुमंडल के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर अत्यधिक उल्कापिंड गिरे हैं । जिससे कि चंद्रमा पर बहुत बड़े-बड़े गड्ढे बने हैं। इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है । जिस कारण वह भाग पृथ्वी से देखने पर धब्बा के समान दिखता है।

- वायुमंडल के अभाव में ही चंद्रमा पर ध्वनि तो उत्पन्न होगी किंतु सुनाई नहीं देगी साथ ही आकाश भी काला दिखेगा।
- चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 384000 किलोमीटर है यहां से प्रकाश को आने में सवा 1 सेकंड लगता है।

अपभू

जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अपभू कहते हैं।

उपभू

जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से न्यूनतम हो जाती है तो उसे उपभू कहते हैं ।

सुपरमून

जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है इसे सुपरमून कहते हैं हमें पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम 59 % दिखता है ।

चंद्रमा की कला

चंद्रमा का जो 59 % भाग पृथ्वी से दिखता है । वह भी कटा हुआ प्रतीत होता है इसके आकार में परिवर्तन दिखने लगता है जिसे क्लांस कहते हैं।

अमावस

इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है । इसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है।

पूर्णिमा

- इस दिन चंद्रमा का पूरा भाग दिखता है चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है।
- चंद्रमा 29 दिन 1 घंटे में एक घूर्णन पूरा करता है ।
- एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा का एक अमावस से अगली अमावस में 28 दिन का अंतराल होता है।

शुक्ल पक्ष

अमावस्या से पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं यह 14 दिन का होता है चौदहवीं का चांद पूर्णिमा का हो जाता है।

कृष्ण पक्ष

पूर्णिमा से अमावस की यात्रा को कृष्ण पक्ष कहते हैं यह 14 दिन का होता है।

note -शुक्र तथा बुध की भी चंद्रमा के समान कलाएं होती हैं।

note :- हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण करता है उतने समय में ही वह अपना एक घूर्णन भी पूरा कर लेता है।

ब्लू मून

- जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा हो जाए तो पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहेंगे और दूसरी पूर्णिमा को ब्लूमून कहेंगे। उदाहरण 2 अगस्त 2012 तथा 29 अगस्त 2012
- चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव जय का नामक कुत्ता था ।
- 21 august 1969 को नील आर्मस्ट्रांग tatha admin adrenalineअपोलो यान द्वारा चंद्रमा की सतह पर पैर रखा । यह लोग चंद्रमा की जिस सतह पर गए थे उसे 'सी ऑफ ट्रेंकुलिटी' या 'शांति का सागर 'कहते हैं ।
- चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है।

ग्रहण

- किसी आकाशीय पिंड का उसकी वास्तविक स्थिति में ना दिख कर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है । ग्रहण का मुख्य कारण प्रकाश का सीधा रेखीय प्रवाह है ।

सिजवी

- जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो उसे सही कहते हैं प्रत्येक सिजवी के समय ग्रहण नहीं लगता है । क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी का तल 5 डिग्री उठा हुआ है जब यह तल बराबर हो जाता है तो ही ग्रह लगता है ।

सूर्य ग्रहण

- जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आज जाता है तो सूर्य का पूरा भाग नहीं देख पाते इससे सूर्यग्रहण कहते हैं ।
- पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए वलय के समान दिखता है । जिसे हीरक वलय कहते हैं ।
- सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला हिस्सा करोना होता है । इसमें पराबैंगनी किरणों की अधिकता होती है । जिससे आंख खराब हो जाती है । सूर्य ग्रहण अमावस के दिन ही होता है किंतु प्रत्येक अमावस को नहीं लगता है।

चंद्रग्रहण

जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्रग्रहण कहते हैं । चंद्रग्रहण पूर्णिमा को होता है किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है ।

परआगमन

सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र ग्रह भी हैं । जो चंद्रमा से आकार में बहुत बड़ा है । किंतु इनके कारण सूर्य का एक बड़ा भाग नहीं दिखता है । क्योंकि यह पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में बहुत ही दूरी पर है । जब यह बीच में आते हैं तो सूर्य पर केवल एक छोटा डब्बा बनता है जिसे ट्रांसिट कहते हैं।

note

सूर्य की सलंयन की प्रथम जानकारी बेथे दी थी ।

• विश्व भूगोल से सम्बंधित महत्वपूर्ण वनलाइनर तथ्य

1. अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिणी गंगोत्री है।
2. यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के जयपुर स्थित जंतर-मंतरस्मारक को शामिल किया गया है।
3. मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्नकोटिकरण अनिवार्यतः उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण माना जाता है।
4. आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गैलिलियो नेथी।
5. जियोग्राफीशब्द इराटास्थेनीज नेनिर्मित किया था।
6. ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग अर्द्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है।
7. धुमकेतु सुर्य के गिर्द प्रक्रमाण करते हैं।
8. पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं।
9. पृथ्वी, 4 जुलाई को सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है।
10. सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या आठ है।
11. सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रहबृहस्पति है।
12. बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या शून्य है।
13. बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है।
14. पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व को घूम रही है इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं।
15. खगोल-भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है, वाइट होल नाम दिया गया है।
16. सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है।
17. बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग हजारवां भागहै ।
18. सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है।
19. सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है।
20. हमारे सौरमंडल में शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है।
21. चाँद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह शुक्र है।
22. सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया दो भाग में विभाजित हो जाती है।
23. पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य तारा है।
24. 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है।
25. सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है।
26. सूर्य का पृष्ठीय तापमान $6000^{0}C$आंका गया है।
27. सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट (कोरोना)कहते हैं।
28. सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित है।
29. पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारणरेडियो-मोट्रिक काल निर्धारण प्रकार से किया जाता है।
30. मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम भारतहै।
31. सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को 8 मिनट बीस सेकंड का समय लगता है।
32. तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर धूमता है।
33. 'मध्यरात्रि सूर्य' का अर्थ है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना।
34. नासा ने बुध(मर्करी) का अध्ययन करने के लिए मेसेंजर सैटेलाइट लांच किया था।
35. ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रच्छाया कहलाता है ।
36. लघु ज्वार-भाटा दुर्बलहोते हैं।
37. महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कर्षण से ज्वार-भाटा बनता है।
38. सागर में वृहत ज्वार पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन उठता है।
39. पृथ्वी अपने अक्ष पर $23\frac{1}{2}^{0}$ आनति पर झुकी है।
40. अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर 923 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड समय में पूरा करती है।
41. दिन और रात घूर्णन की गति के कारण बनते हैं।
42. भूमध्य रेखा पर दिन तथा रात एक समान होते हैं।
43. 'सुपरनोवा' विस्फोटी तारा है।
44. पृथ्वी की परिधि लगभग 40,075.16 किमी है।
45. बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम-से-कम 3 तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे।
46. वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है।
47. पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण ओजोन के अवक्षय के कारण होता है।
48. वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है।

49. विविध जलवायु एवं मौसम-दशाओं को बदलने वाली सभी महत्त्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं।
50. पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत ट्रोपोस्फ़ैयर कहलाती है।
51. वायु में नाइट्रोजन 78.03% है।
52. पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किमी. ऊंचाई तक और ध्रुवो के ऊपर8 किमी. तक वायुमंडल जोन को क्षोभमंडल कहा जाता है।
53. पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या5 है।
54. पृथ्वी के ऊपर के चार क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाईट्रोपोस्फियर की है।
55. वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह आयनमंडल है।
56. पृथ्वी के वायुमंडल में 300 किमीऊंचाई तक गैसों का आवरण है।
57. सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को सौर्य विकिरण कहते हैं।
58. आयनमंडल केऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है।
59. क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकियह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है।
60. वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, वह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है।
61. ओजोन परत समतापमंडल पर पाई जाती है।
62. पृथ्वी शिखर सम्मेलन (पृथ्वी बचाओ) का आयोजन यूएनसीईडी ने किया था।
63. रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से चार मिनट का अंतर होता है।
64. विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को शरदकालीन विषुव कहते हैं।
65. उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधें को हॉर्स लेटीट्यूड्स पुकारते हैं।
66. विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण, ध्रुवो पर त्वरण की अपेक्षा कम है।
67. कर्क रेखा पाकिस्तान से नही गुजरती है।
68. बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कंटूर होती हैं।
69. कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं, जो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्रदर्शाती हैं।
70. उभरे क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातलीय विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को उभरा मानचित्र कहते हैं।
71. 'आइसोनेफ' शब्द समान मेघमयता वाली रेखाओं का द्योतक है।
72. समभारी रेखाएं दाब दर्शाती हैं।
73. एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं समताप रेखाएं (आइसोथर्म)कहलाती हैं।
74. मानचित्र पर समान मात्रा मे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समवर्षा रेखाकहा जाता है।
75. एक दूसरे से लंबवत उध्वधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को भौगोलिक समन्वय नाम से जाना जाता है।
76. मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफीकहते हैं।
77. मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को मानचित्र कला (कार्टोग्राफी) कहा जाता है।
78. आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन औचित्य प्रकार से व्यक्त किया जाता है।
79. नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को प्लैनीमीटर कहते हैं।
80. प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित, दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को विषय-संबंधी मानचित्र कहते हैं।
81. दो बड़े भू-समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भू-पट्टी को भू-संधि (स्थलडमरूमध्य) कहते हैं।
82. रेडक्लिफ सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है।
83. मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देशचीन और भारत हैं।
84. हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है।
85. मरुस्थलीभवन को रक्षक मेखलाएं बना कर रोका जा सकता है।
86. विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है।
87. सहारा अफ़्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है।
88. अफ़्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील नैस्सार है।
89. भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं।
90. सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल मेंरूस है।
91. सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश भूटान है।

92. बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी उनेपाईडों है।
93. कोर्सिका द्वीप नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है।
94. 'अंधकारमय महाद्वीप' अफ्रीका है।
95. तीन बीघा कारिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है।
96. संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। वह डेनमार्क का अभिन्न अंग है।
97. विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है।
98. संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सदस्य सेशेल्स है।
99. सबसे छोटा देश जनसंख्या मैंवेटिकन सिटी है।
100. पुराने 'स्याम' प्रदेश का नया नाम थाइलैंड है।
101. प्रसिद्ध क्रुगेर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में स्थित है।
102. पेशावर खैबर दर्रा के निकट है।
103. संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीपदक्षिण अमेरिका है।
104. डोलड्रम कटिबंध् भूमध्य रेखा के निकट स्थित है।
105. अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है।
106. रवांडा की राजधनी किगाली है।
107. एशिया और यूरोप को पृथक करने वाले पर्वत यूराल पर्वत है।
108. इंडोनेशिया देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है।
109. काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं।
110. ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्रैटर कहते हैं।
111. भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सीस्मोग्राफ कहते हैं।
112. भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को भूकंप मूल या हाइपो सेन्टर कहते हैं।
113. पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को उत्केंद्र कहते हैं।
114. रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है।
115. नापे वलित संरचना का एक प्रकार है।
116. एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला सहभूकंप रेखाएं (होमोसीस्मल लाइंस) कहलाती है।
117. विभ्रंश घाटी दो भ्रंशों के बीच बनती है।
118. 11 मार्च, 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप एवं सुनामी द्वारा जिन न्यूक्लीय रिएक्टरों की भारी क्षति के फलस्वरूप विकिरण का रिसाव हुआ, वे फुकुशीमा में थे।
119. 11 मार्च, 2011 को जापान में आने वाले भयंकर एवं सुनामी ने देश के मुख्य द्वीप, होंशू को लगभग आठ फीट हिला दिया है ।
120. सुनामी का मुख्य कारण समुद्री सतह पर भूकंप है।
121. सुनामी तरंगें समुद्र के नीचे भूकंप उत्पन्न करती हैं।
122. सुनामी बनने का कारण भूकंप है।
123. तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को वसुनामी कहा जाता है।
124. भूकंप का कारण भूपृष्ठ में विक्षोभ है।
125. भूकंप का कारण टैक्टोनिज्म है ।
126. ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखी झील बनती है।
127. ज्वालामुखी की सक्रियता हवाई में अधिक पाई जाती है।
128. ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा, हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई, 2007 में फूटा था, इंडोनेशिया देश में स्थित है।
129. भूमि कारक को मृदीय कारक रूप में जाना जाता है।
130. काली मिट्टी मुख्यतः कपास फसल के साथ संबंधित है।
131. प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पेडोकलकहा जाता है।
132. उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धुसर मृदा पॉडसाल्स नाम से भी जाने जाते हैं।
133. धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा जलोढ़ मृदा है।
134. लाल मृदा में लाल रंग, लोहे केअलेपन के कारण आ जाता है।
135. वह मिट्टी, जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है, लैटेराइटमिट्टी कहलाती है।
136. फसलों का आवर्तन मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है।
137. मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को आश्रय पट्टी कहते हैं।
138. किसी मरू क्षेत्र में मृदा अपरदन को पेड़ लगाकर/वनरोपण द्वारा रोका जा सकता है।
139. 'स्थलमंडल' शब्द पृथ्वी का पटल (भूपृष्ठ) से संबंध रखता है।

140. नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल ऊपरी मार्ग में निर्बाध् वक्र है।
141. जल निर्गम छिद्र चूना क्षेत्रप्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं।
142. किसी चट्टान के स्व-स्थान पर तोड़ देना अपक्षयण कहलाता है।
143. प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंधयिय वर्षा वनों की समुद्री प्रतिरूप हैं।
144. जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है, तो वे नीस में परिवर्तित हो जाती हैं।
145. ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकिइन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं हुआ।
146. पवन की अपवहन क्रिया (डिफ्लेटिंग एक्शन) के कारण बने गर्तों को ब्लोआउट कहा जाता है।
147. आब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट बहिर्वेधी चट्टान हैं।
148. अधिकांश भू-पर्पटी किस आग्नेय शैल से बनी है।
149. मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को भूस्खलन कहा जाता है।
150. रेगिस्तान क्षेत्र में 'मशरूम चट्टान' का निर्माण अपरदन का उदाहरण है।
151. हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को मरुटिब्बा (ड्यून) कहते हैं।
152. वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है, यह शील्ड (ढाल) कहलाता है।
153. मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं।
154. यूरोप की सबसे लंबी नदीवोल्गाहै।
155. मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय ग्लेशियर है।
156. विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा है।
157. एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी नदी है।
158. 'वलयाकार' रूप में नदियां वलय के समान दिशा में बहती हैं।
159. 'ग्रांड कैनियन' कोलोरेडो नदी में है।
160. किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारणपार्श्विक अपरदन है।
161. आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्रमरुस्थल है।
162. द्रवचालित क्रिया प्रवाही जल के कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है।
163. बाड़ा (क्राल) शब्द मसाई चरवाहे का बाड़ से घिरा गांव के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
164. पीला रंग, मंझोला कद, एपिकेंथिक फोल्ड वाली तिरछी आंख मेंगोलायड का अभिलक्षण है।
165. ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में सेंटपीटसबर्ग को पूर्व में ब्लीडीवोस्टक से जोड़ती है।
166. ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल सेंट पीटर्सबर्ग और ब्लाडिवोस्टक हैं।
167. संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश यू.एस.ए. है।
168. विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति चौथी है।
169. अधितम ऊँचाई वाला असैनिक विमान पत्तन चीन में है।
170. संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्त्वपूर्ण समुद्र मार्ग उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग है।
171. व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर अटलांटिक (अंध महासागर) है।
172. पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकिइसमें लाक (जलपाश) प्रणाली है ।
173. स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है।
174. ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के पर्थ और सिडनी टर्मिनल हैं।
175. दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घासस्थलों को पम्पासकहते हैं।
176. चारागाह को दक्षिण अमेरिका में'पम्पास' कहा जाता है।
177. उत्तरी अमेरिका के प्रेअरीशीतोष्ण घासस्थल हैं।
178. उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल प्रेअरी नाम से जाने जाते हैं।
179. उष्ण कटिबंधिय घास स्थल को सवाना कहते हैं।
180. लानों गुयाना उच्चभूमि के घास स्थल है।
181. 'स्टेप' शब्द घास स्थलजैव-क्षेत्रसे संबंध है।
182. जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दरों का अभिलक्षण है।
183. किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व लोगों की संख्या से मापा जाता है।
184. जनांकिकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के विलंबित विस्तारशील चरण में किया गया है।
185. वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को अभय वनकहा जाता है।

186. अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्रनेशनल पार्क (राष्ट्रीय उद्यान)हैं।
187. पर्यावरण में अजैव और जैव कारक शामिल हैं।
188. 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव-ईंधन संयंत्रयू.एस.ए. में स्थापित किया गया है।
189. ग्रीनहाउस प्रभाव का कारण कार्बन डाईआक्साइड है।
190. पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः भू-स्खलन होता है।
191. वन आच्छादन के कम होने का कारणबढ़ती हुई आबादी है।
192. जैव-विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय मान्ट्रियल में स्थित था।
193. विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास वर्ष 1961 किया गया था।
194. किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की होती है।
195. बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण सिट्रस है।
196. जीवन को किसी भी रूप में धरित करने वाला स्थल जीवमंडल कहलाता है।
197. पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्रजलमंडल है।
198. जो वन चक्रवातों के अवरोधको का कार्य करते हैं वे वन मैंग्रोव वन हैं।
199. वन-कटाई से मृदा का तेजी से संक्षारण होता है, उप भू-पृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रभावित करते हैं।
200. आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति टुंड्रामें पाई जाती है।
201. अमेजनी वन एक प्रकार काउष्ण कटिबंधिय वर्षा वन है।
202. विश्व की भूमि का 7 प्रतिशत क्षेत्र उष्ण कटिबंधिय वर्षा प्रुचर वन हैं।
203. विश्व की 25 प्रतिशत भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन साइबेरिया का टैगा वन है।
204. वन कटाई की दर उष्ण कटिबंधिय अंचलमें सबसे अधिक होती है।
205. विश्व में गो-मांस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुध उष्ण कटिबंधिय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है।
206. सदाबहार किस्म के वन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं।
207. पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे ।
208. अधिकतम ऑक्सीजनपादपप्लवक पुंज से उपलब्ध् होती है।
209. यूरोप में आलू की पैदावार स्पेनिश ने शुरू कि थी।
210. कृषि भूमि को कुल परती भूमिनिवल बुआई की गई भूमि रूप में परिभाषित किया जाता है।
211. मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन कहते हैं।
212. चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है।
213. विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को वसी-आईलैंड कहते हैं।
214. व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे बीजों के अधिचर्मी रोम हैं।
215. ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल गेंहू है।
216. विश्व मेंकॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है।
217. कृषि-उत्पादों की कोटि एगमार्क प्रकार निर्धारित की जाती है।
218. 'आई. आर.-20' चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है।
219. अनेक प्रकार की शराब और शैम्पेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्रभूमध्य सागर है।
220. संयुक्त राज्य अमेरिका देश सबसे अधिक टिंबर पैदा करता है।
221. वह 'पुष्प-कलिका', जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लौंग से प्राप्त होती है। द्रुमावशेष (स्लैश) और बर्न कृषि को 'मिल्पा' के नाम से मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में जाना जाता है।
222. उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रेसाइट है।
223. श्वेत कोयला जल-विद्युत है।
224. बॉक्साइट खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है।
225. संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है।
226. विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50 प्रतिशत अमेरिका, रूस और चीन के पास है।
227. जिन संसाधनो का प्रयोग बार-बार निरंतर किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय कहा जाता है।
228. निर्माण कार्य में बहुध प्रयोग किए जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर आग्नेय शैल होता है।
229. डोलोमाइट अवसादी शैल है।
230. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय विएना में स्थित है।
231. अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश नाइजीरिया है।

232. प्रमुख दक्षिण-पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्रफारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित है।
233. विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है।
234. ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश, ऑस्ट्रेलिया है।
235. अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश जांबिया है।
236. आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार संवहनीय है।
237. सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्यसागरीय क्षेत्रशीतकाल में पहचाना जाता है।
238. समुद्र समीर दिन के समय बनती है।
239. स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल सेसमुद्रकी ओर प्रवाहित होती है।
240. जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर किया जाता है।
241. अम्लीय वर्षा में सल्फ्रयूरिक अम्लहोता है, जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती है।
242. वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या भूमिगत पानी का पुनर्भरण है।
243. सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन (हरमट्टन)पूर्व से पश्चिम की ओरउड़ती है।
244. विलि-विलि का अभिप्राय ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवातसे है।
245. टाइफून प्रायः चीन और जापान के समुद्रों में आते हैं।
246. ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन (हरिकेन) का एक अन्य नाम विलि-विलि है।
247. अमेरिका में शीत लहर की वर्तमान अवधि का कारण ध्रुवीय बवंडर है।
248. विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है।
249. तूफान की भविष्यवाणी की जाती है, जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए ।
250. वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन तूफान का संकेत है।
251. बादल वायुमंडल में तैरते हैं, अपनेअल्प घनत्व के कारण ।
252. एलनीनो ऊष्ण समुद्री धाराहै।
253. वायु की उर्द्धाधर गति को वायु धारा कहते हैं।
254. कुहरा एक उदाहरण है गैस में परिक्षिप्त द्रव का ।
255. संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्याएं पैदा कर देता है, धूम/कुहासा है।
256. स्माग एक मिश्रण हैधूम और कोहरे का ।
257. प्रशांत (पैसिपिफक) महासागर विशालतम महासागर है।
258. वृहत् पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर प्रशांत महासागर है।
259. संसार के स्वच्छ जल का 70% हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है।
260. विश्व 70 प्रतिशतधरातल में पानी है।
261. हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है।
262. हिमनद अधिकतरदक्षिणी ध्रुवो में पाए जाते हैं।
263. महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भू-भाग में पड़ता है, उसे महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं।
264. विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ीहै।
265. पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ मेंरियाना गर्त है।
266. विश्व की सबसे गहरी खाई 'मेंरियाना खाई' प्रशांत महासागर में स्थित है।
267. सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में है।
268. किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को अध्सर कहते हैं।
269. समुद्री भृगु बनता है, मुख्यतःसमुद्री धाराओं के कारण ।
270. दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल-पट्टी को जलडमरूमध्य कहते हैं।
271. नोर्वे का तट फिओर्ड तट का एक उदाहरण है।
272. क्यूरोशियो धारा बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण 'काली धारा' भी कहा जाता है।
273. प्रवाल-द्वीप इनमें से अंतः स्थलीय समुद्र होते हैं।
274. समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि प्रायद्वीप कहलाती है।
275. एशिया तथा उत्तरी अमेरिका बेरिंग जलडमरूमध्य के द्वारा पृथक होते हैं।
276. OTEC का पूरा रूप ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन है।
277. पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए गल्फ स्ट्रीमधारा उत्तरदायी है।
278. सरगासो समुद्र अटलांटिक महासागर में स्थित है।
279. मोंगला पत्तन बांग्लादेश राष्ट्र में स्थित है।
280. वह देश इजराइल है जिस में ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है।

281. एशिया और अफ्रीका को स्वेज नहर पृथक करती हैं।
282. कन्याकुमारी से कोलंबो जाने लिए मन्नार की खाड़ी पार करनी पड़ती हैं।
283. हांगकांग,सिंगापुर,दक्षिण कोरिया, ताइवान चार देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है।
284. दक्षिण ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी।
285. उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का हिमाद्रि है।
286. अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता 1985 में चला था।
287. विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत वाहित मल और कचराहैं।
288. प्रस्वेदन गर्म, नम और हवादार स्थिति में स्थिति में बढ़ता है।
289. दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है।
290. पीसो मेक्सिकोदेश की मुद्रा है।
291. येन जापान देश की मुद्रा है।
292. अमेरिका की खोज कोलंबस ने की।
293. 1488 में बार्थोलोम्यू डायस ने केप ऑफ़ गुड होप की खोज की।
294. पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई-मार्ग पर्थ-अंकारा-पेरिस-लंदन है।
295. जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कोची शिपयार्ड है।
296. 'टेरा रोस्सा' एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लाल भू-भाग (क्षेत्र)।
297. पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का एक-तिहाई भाग रेगिस्तान है।
298. मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का भारत हैं।

• महाद्वीप एवं महत्वपूर्ण स्थान

विश्व के प्रमुख द्वीप

क्र.सं	नाम	स्थिति
1.	ग्रीनलैंड	उत्तरी अटलांटिक (डेनिस)
2.	न्यू गिनी	दक्षिण-पश्चिम प्रशांत महासागर (आडरियन, जावा इंडोनेशिया का पश्चिमी भाग: पापुआ न्यू गिनी का पूर्वी भाग)
3.	बोर्निओ	पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर इंडोनेशिया का दक्षिणी भाग, ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट और मलेशिया का उत्तरी भाग)
4.	मेडागास्कर	हिंद महासागर (मलागासी गणतंत्र)
5.	बैफिन	उत्तरी अटलांटिक (कनाडा)
6.	सुमात्रा	उत्तरी हिंद महासागर (इंडोनेशिया)
7.	होंसु	जापान सागर प्रशांत महासागर (जापान)
8.	ग्रेट ब्रिटेन	उत्तरी -पश्चिमी यूरोप (इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स)
9.	विक्टोरिया	आर्कटिक महासागर(कनाडा)
10 .	ईल्समिटे	आर्कटिक महासागर (कनाडा)
11.	सेलेबीज	पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर(इंडोनेशिया)
12.	दक्षिणी द्वीप	दक्षिण प्रशांत महासागर (न्यूजीलैंड)
13.	जावा	हिंद महासागर (इंडोनेशिया)
14.	उत्तरी द्वीप	दक्षिण प्रशांत महासागर (न्यूजीलैंड)
15.	क्यूबा	कैरीबियन सागर (गणतंत्र)
16.	न्यूफाउंडलैंड	उत्तरी अटलांटिक (कनाडा)
17.	लूजोन	पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर (फिलीपींस)
18.	आइसलैंड	उत्तरी अटलांटिक महासागर(गणतंत्र)
19.	मिंडनाओ	पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर (फिलीपींस)
20.	आयरलैंड	उत्तरी अटलांटिक महासागर (दक्षिणी भाग गणतंत्र, उत्तरी भाग ग्रेट ब्रिटेन के अधीन)
21.	होक्काइडो	जापान सागर - प्रशांत महासागर (जापान)
22.	हिस्पानियोला	कैरीबियन सागर (डोमोनिकन गणतंत्र पूर्वी भाग हैली पश्चिमी भाग)

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

23. तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में (ऑस्ट्रेलिया)
24. श्रीलंका हिंद महासागर (गणतंत्र)
25. सखालिन जापान के उत्तर में (रूस) (कराफुटो)
26. बैंनक्स आर्कटिक महासागर (कनाडा)
27. डिवोन आर्कटिक महासागर (कनाडा)
28.तियरा डेल दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी छोर फर्यूगो (पूर्वी भाग अर्जेंटीना, पश्चिमी भाग चिली)
29. क्योसू जापान - सागर- प्रशांत महासागर जापान
30. मेलविली आर्कटिक महासागर(कनाडा)
31.ऐक्जेल हैबर्ग आर्कटिक महासागर (कनाडा)
32. साउथेप्टन हडसन की खाड़ी (कनाडा)

महाद्वीप Continents

एशिया :

- एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आसु से हुई है,जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है वह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर तीन प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं।
- एशिया के उत्तर में आकृटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर हैं। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती हैं।
- लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है।
- बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है।
- यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या (सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप) निवास करती है।
- एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगरालैंड (रूस एवं चीन) और गोंडवाना - लैंड (प्रायद्वीपीय भारत) स्थित है।
- एशिया महाद्वीप में तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं - अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है।
- एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट (8,850 मीटर) है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं।
- विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 200,000 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है।
- एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार 'पामीर' है जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत (Roof of the World) कहते हैं।
- एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है।
- एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है।
- एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है।
- एशिया के स्थलरुद्ध (जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती) देश है - कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस स्थल रुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है, यह पूर्व फ्रांसीसियों का उपनिवेश था।
- एशिया में सबसे लंबी नदी यांग्सी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर (397 मीटर) की है।
- एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त (11,022 मी.) गहरा है।
- विश्व की सबसे गहरी झील बैंकाल झील (धरातल से 1,940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1,485 मीटर गहरा) एशिया में स्थित है।
- विश्व की सबसे बड़ी झील (आंतरिक सागर) कैस्पियन सागर(3,71,800 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत) एशिया महादेश में ही स्थित है।

नोट: रूस की एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैंकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है।

- एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगाग झील (4,267 मीटर ऊँचा) लद्दाख वह तिब्बत में स्थित है।
- एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम (11,405 मिमी.) मेघालय, भारत में है। (इससे पहले चेरापूँजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था)
- विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। चीन के छिगहाये प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है।
- महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है ।
- एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)भारत में स्थित है। इसकी लंबाई

1.3 किमी है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफार्म था।

- चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। (दूसरा स्थान- जापान)
- विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांग कांग है।
- विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है।
- प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ हैं - हागहों, आमूर, सिक्याग और याग़टी-सी - क्याग।
- आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ हैं (जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है) लीना,ओबे, येनेसी।
- भूमध्य सागर जलवायु के एशियाई देश- साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान।
- एशिया के सबसे घना बसा द्वीप जावा है।
- एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत है।
- एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है।
- एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस -साइबेरियन रेल मार्ग है यह लेनिनग्राड से ब्लाडीवोस्टक तक जाता है। इसकी लंबाई 9,438 किमी. है।
- एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग शिकन जापान (Siikan) में है, जो 53.85 किमी लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है।
- एशिया का सबसे बड़ा रबर -उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है।
- एशिया के देश चीन तंबाकू,गेहूँ, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है।
- एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पा ले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है।
- एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है।
- एशिया का सबसे अधिक टिन -उत्पादक देश मलेशिया है। टिन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया के इपोह (किन्ता - केलांग घाटी) टिन खनन का प्रमुख केंद्र है।
- एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है।
- आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरूमध्य बेरिंग जलडमरूमध्य (अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच) है।
- जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप स्थित है जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और यह लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा-नू-यू मनाते हैं।
- बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानान्तर स्थित है।
- विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है।
- म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है
- स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस थाईलैंड- आते हैं।

अफ्रीका (Africa)

- एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है।
- अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली बड़ी नहर स्वेज है।
- अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत वृत्त (Equator) बीच से गुजरता है, इसलिए इसका आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है।
- अफ्रीका महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 2,97,85000 वर्ग किमी है। इसमें 54 देश है।
- अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल क्षेत्र का 20.4% है।
- अफ्रीका महाद्वीप को 1940 ई० से पूर्व अंध महाद्वीप dark continent) कहा गया।
- अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से होकर विषुवत रेखा और सुदूर उत्तरी और दक्षिणी सीमा पर कर्क और मकर रेखाएँ गुजरती है अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क और मकर रेखाएँ गुजरती है।
- अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार 37° अक्षाश से 35° अक्षाश के मध्य एवं 18° पश्चिमी देशांतर 51° पूर्वी देशांतर के मध्य है।
- अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है।
- अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है।
- अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी नील है,जिसका उदगम स्थल विक्टोरिया झील है।
- अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे गर्म स्थल अलअजीजियाह (लीबिया) स्थित है।
- अफ्रीका महाद्वीप में किम्बले खान (दक्षिणअफ्रीका)विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है।
- अफ्रीका महाद्वीप का जोहान्सबर्ग नामक नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में से एक है।

- अफ्रीका महाद्वीप का ट्रांसवाल क्षेत्र विश्व की प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्रों में से एक है।
- अफ्रीका महाद्वीप का जायरे (वर्तमान में कांगो) वर• विश्व में सर्वाधिक हीरा उत्पादक देश है।
- अफ्रीका महाद्वीप का मिस्र देश विश्व में सर्वाधिक खजूर उत्पादक देश है।
- अफ्रीका महाद्वीप का आइवरी कोस्ट देश विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है।
- अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक कसाबा उत्पादित करने वाला देश नाइजीरिया है।
- अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है।
- अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में विश्व विख्यात जेब्रा और जिराफ नामक मिलते हैं।
- अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान 'सवाना' और शीतोष्ण घास के मैदान बेल्डस कहलाते हैं।
- * अफ्रीका में बुशमैन (कालाहारी), पिग्मी (कांगो बेसिन), बद्दू (सहारा मरुस्थल) में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियाँ हैं।
- अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेलमार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्त्र के काहिरा नगर तक पहुंचता है।
- अफ्रीका के पर्वतों में एटलस ड्रेकन्सबर्ग प्रमुख हैं। यहां का ज्वालामुखी पर्वत किलीमंजारो है।
- अफ्रीका में अबीसीनिया का पठार व दक्षिण अफ्रीका का पठार स्थित है।
- अफ्रीका की प्रमुख नदियों में नील, कांगो, नाइजर, जैम्बेजी आदि हैं।
- अफ्रीका की प्रमुख झीलों में विक्टोरिया, एलबर्ट , कीबु, टांगानीका न्यासा, रुडोल्फ, वोल्टा चाड आदि है।
- अफ्रीका के प्रमुख बंदरगाहों में काहिरा, सिकंदरिया, त्रिपोली, अल्जीरियर्स, दार -ए -वीदा, डाकर, लागोस, लुआंडा, कैपटाउन, पोर्ट- एलिजाबेथ, डरबन, मापूतो, बीरा, मोम्बासा, मुगदिशो, पोर्ट सूडान, मोसावा आदि प्रमुख है।
- अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात है।
- अफ्रीका में कांगो नदी विषुवत् रेखा को दो बार पार करती है।
- अफ्रीका में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड तथा स्फिंक्स की मूर्ति काहिरा मिस्र के निकट है।
- अफ्रीका के मिस्र देश में स्वेज नहर है, जो लाल सागर से भूमध्य सागर से मिलाती है नहर का निर्माण 1869 ई० मे किया गया जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किमी दूरी की बचत होती है। स्वेज नहर की लंबाई 162 किमी है तथा इसके वास्तुकार का नाम फर्डिनेंड डी लेसप है।

अफ्रीका की प्रीमियर खान (प्रीटोरिया- द -अफ्रीका) मे जनवरी 1905 को विश्व का सबसे बड़ा विशाल हीरा

- (3,106 कैरेट) प्राप्त हुआ था, जिसका नाम खुलेंगे वाले सर थॉमस कुलीनान के नाम पर कुलीनान हीरा रखा गया था।
- दक्षिण अफ्रीका के छः देशों अंगोला,बोत्सवाना,मोजांबिक, तंजानिया, जामिया तथा जिंबाब्वे) को सीमावर्ती राज्य (Frontline States) कहा जाता है।
- *अफ्रीका में नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है।
- अफ्रीका में शीशल नामक पौधे से जूट पैदा होता है।
- अफ्रीका में गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना देश जाना जाता है।
- अफ्रीका में जंजीबार और पेंबा द्वीप विश्व में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन करते हैं।
- अफ्रीका के कांगो को वनों का देश कहा जाता है।
- अफ्रीका विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है।
- अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सूडान सबसे बड़ा वह मोओटा छोटा देश है।
- अफ्रीका हॉर्न (horn) से संबंधित देश क्रमशः इथियोपिया, जिबुती और सोमालिया है।
- अफ्रीका में जनसंख्या की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि वाला देश लाइबेरिया तथा सबसे कम वार्षिक वृद्धि वाला देश गिनी है।
- अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है।
- अफ्रीका का सर्वाधिक साक्षरता वाला देश जिंबाब्वे है।
- अफ्रीका का सबसे अधिक ऊँचा बाँध अथवा अस्वान नील नदी पर बना हुआ है।
- अफ्रीका महाद्वीप में नाइजर नदी को 'पाम तेल की नदी' कहा जाता है।
- अफ्रीका महाद्वीप के मित्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है।
- अफ्रीका महाद्वीप के मेडागास्कर के मूल निवासी मालागासी कहलाते हैं।
- अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया देश सीसल हेम्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
- अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा के पश्चिम में फैली रुवेनजोरी पर्वतमाला को चांद के पर्वत के नाम से जाना जाता है।

उत्तरी अमेरिका :

- उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरे बड़ा महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किमी है। उत्तरी अमेरिका मध्य, मध्य अमेरिका एवं कैरीबियन सागर क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। इसकी खोज 1492 ई० में कोलंबस द्वारा की गई थी।अतः इसे नई दुनिया कहां जाता है।
- 100° पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है।
- उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेशपुस्सी नामक काशी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा।
- पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाजों का यातायात सुगम हो गया है।
- उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमों पर इन्यूट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। वह रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं उनका हथियार हारपून कहलाता है।
- उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिंले (6,194 मीटर) अलास्का में है।यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
- उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के पश्चिमी तटीय भाग को ' ग्रैंड बैंक ' कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है।
- कनाडा की तट रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। इसकी लंबाई 2,02,080 किमी. है। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तट रेखा है।

  नोट : तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नार्वे (58,133 Km) का है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी - पूर्वी तट (मेक्सिको की खाड़ी) पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टोरनैंडो कहलाते हैं।
- उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं।
- यू.एस.ए का डेट्रायट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है और एक्रॉन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है।
- कनाडा का मांट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है।
- उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में प्रथम - कजाकिस्तान।
- संसार में सीसे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। यहां की सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता- खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा समृद्ध रूप में मिलते हैं - इसलिए इसे जुड़वाँ खरीद भी कहा जाता है।
- यू.एस.ए विश्व का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला देश है।
- विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है।
- क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है।
- जमैका केला -उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
- मेक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है।
- उत्तरी अमेरिका का मेक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उतखनित करने वाला देश है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है।
- कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है।यह अलबर्टा प्रांत में स्थित है।
- उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल
- टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है।
- विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है।
- न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजिम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायबघर है।
- उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है।
- यू.एस.ए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। यह यू.एस के उटाह राज्य में स्थित है।
- नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओन्टेरियो रियो झील के मध्य स्थित है (कनाडा एवं यू.एस.ए की सीमा पर)।
- उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है।
- विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग (कनाडा) है।
- उत्तरी अमेरिका के दो अंतरपर्वतीय पठार कोलोरेडो पठार एवं मेक्सिको का पठार है।

- रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं - कास्केड, शियरा, नेवदा, कोस्ट, सियरा माद्रे है।
- फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजेलिस नगर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है।
- सैन फ्रांसिस्को में 'सिलिकॉन वैली' है जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है।
- केप केनावेरल, जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं,यू.एस.ए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है।
- शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है।
- उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं - रेड इंडियन (मैक्सिको) नीग्रो (पश्चिमी द्वीप समूह)।
- संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। स्टेच्यू ऑफ़ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है, जिसका डिजाइन फ्रेडरिक अागस्त बर्थोल्डी ने बनाया था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है- यलोस्टोन पार्क (विश्व का प्रथम उद्यान)
- संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरीजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है - मेसाबी खान।
- संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध स्थान है - होमस्टेक खान(दक्षिण डकोटा राज्य)
- संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओन्टेरियो कनाडा में हैं
- कनाडा में वायुयाननो को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहां वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे स्की वायुयान कहा जाता है।
- ब्लैक हिल, ब्लू हिल तक ग्रीन हिल नाम पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
- हवाई समूह द्वीप (संयुक्त राज्य अमेरिका) की राजधानी होनोलूलू, ओआहू द्वीप उपस्थित है।
- पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा है।
- कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंचभाषी क्षेत्र है इसे 'देश के अंदर देश ' का दर्जा प्राप्त है।
- जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मेक्सिको सिटी है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी (death valley अभिनीत घाटी (Synclined valley) के उदाहरण है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55°-56°C पहुंच जाता है।

6. यूरोप Europe

- *यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छठा बड़ा महाद्वीप है।
- यूरोप महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 1,05,98,000 वर्ग किमी है। इस महाद्वीप में 50 देश हैं।
- यूरोप तथा एशिया महाद्वीप स्थलखंड से जुड़े हैं। इस कारण इन दोनों महाद्वीपों को 'यूरेशिया' कहा जाता है काकेकश पर्वत एशिया महाद्वीप काे यूरोप महाद्वीप से पृथक करता है।
- यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से सागर से घिरे हैं, इस कारण इसे 'प्रायद्वीपों' का महाद्वीप कहते हैं।
- यूरोप महाद्वीप में अालप्स, यूराल और ब्लैक फॉरेस्ट भ्रंशोत्थ पर्वत है।
- यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज रूस में स्थित है।
- यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है।
- यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा है।
- यूरोप महाद्वीप का स्विटजरलैंड विश्व में सर्वाधिक और सुंदर घड़ियों के निर्माण के लिए विख्यात है।
- यूरोप महाद्वीप के फ्रांस देश की राजधानी पेरिस का विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है।
- यूरोप महाद्वीप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र विश्व का अन्न भंडार 'रोटी की डलिया' कहा जाता है ।
- यूरोप महाद्वीप में विश्व के प्रमुख उन्नत औद्योगिक प्रदेश लंकाशायर (ब्रिटेन) व रुरघाटी (जर्मनी) स्थित है।
- यूरोप घाटी के ग्रेट ब्रिटेन में स्थित लौह इस्पात व सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख क्षेत्र लंकाशायर विश्व विख्यात है।
- यूरोप महाद्वीप के प्रमुख लौह उत्पादक देश जर्मनी व फ्रांस है।
- यूरोप महाद्वीप को फ्रांस के वाइन(Vine)यार्ड और नार्वे को फियोर्ड तट का देश कहा जाता है।
- यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरियंत रेलमार्ग है।
- यूरोप महाद्वीप की डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नदी बंदरगाहों में निम्न प्रमुख है- बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड।
- यूरोप महाद्वीप में राइन नदी का जलमार्ग सर्वाधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग है।

- यूरोप महाद्वीप में एबरडीन (स्कॉटलैंड) को ग्रेनाइट सिटी फिनलैंड को 'द लैंड ऑफ थाउजैंड्स लेक्स' ; आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को 'एमराल्ड द्वीप'; नार्वे को 'मध्यरात्रि के सूर्य का देश' रूम को शाश्वत नगर'; स्विट्जरलैंड को 'यूरोप के खेल का मैदान' 'एड्रियाटिक की रानी' कहा जाता है।
- यूरोप महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा महल वेटिकन (रोम) में है।
- यूरोप महाद्वीप में डेनमार्क विश्व में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है।
- यूरोप महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच माउंट ब्लॉक में बनी हुई है।
- यूरोप महाद्वीप में शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक ट्रांस में बनती है। इसे स्वरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है।

अंटार्कटिका Antarctic

- अंटार्कटिका विश्व का पाँचवाँ महाद्वीप है, जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है।
- अटलांटिका का क्षेत्रफल 1,33,38,500 वर्ग किलोमीटर है।
- अटलांटिका को ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक ने विश्व - भ्रमण के दौरान 1772 - 75 ई० में खोजा था।
- अटलांटिका को 'श्वेत महाद्वीप' कहते हैं, क्योंकि इसका लगभग 98% भाग 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत हमेशा ढका रहता है। यह विश्व का सबसे ठंडा बर्फीला क्षेत्र है।

- अटलांटिका का लगभग 2% भाग गर्मी में बर्फहीन होता है। महाद्वीप का ग्रीष्म और शीत ऋतु में अलग -अलग आकार होने के कारण ही इस को 'गतिशील महाद्वीप' भी कहा जाता है।

- अटलांटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर जी० एस० सिरोही थे। महाद्वीप के उस स्थान को सिरोही स्थल कहते हैं।
- अटलांटिका पर भारत 1981ई० से प्रत्येक वर्ष अभियान दल भेजता रहा है।

- अटलांटिका पर भारत ने दिसंबर 1983 ई० में भू - रचना, मौसम, पर्यावरण, जीवाश्म तथा जीव वनस्पति, खनिज आदि के वैज्ञानिक परीक्षणों हेतु एक स्थाई मानव युक्त केंद्र (दक्षिण गंगोत्री) स्थापित किया, जो 1989ई० बर्फ में दबकर खत्म हो गया।
- अटलांटिका पर भारत ने दिसंबर 1983ई० में भारतीय शोध केंद्र 'मैत्री' की स्थापना की। बाद में 2012 ई०में 'भारती' नामक शोध केंद्र की स्थापना की।

- अटलांटिका प्रायद्वीप वाला इलाका पर्वतीय है। इसकी संरचना अंग्रेजी के 'S' अक्षर की तरह है।
- अटलांटिका में मछलियां, क्रिल, पेंगुइन, सील, व्हेल और कई उड़ने वाले पक्षी पाए जाते हैं। यहां जमीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव सिर्फ 12 मिलीमीटर आकार का बिना पंख का एक मुनगर है।
- अटलांटिका महाद्वीप को क्वीन मोड पर्वतश्रेणी दो भागों में बांटती है।

दक्षिणी अमेरिका :

- दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किमी. है। यह संसार का सबसे आद्र महाद्वीप है।
- प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जलसंधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में तेराडेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अन्तरीप है।
- दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है।
- भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील।
- दक्षिणी अमेरिका में पेरु -बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका (3811 मीटर ऊंचाई पर) है। यह बोलीविया पठार पर स्थित है।
- द. अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। यह नदी बेसिन ब्राजील के कुछ भागों पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है जिसे कसावा भी कहते हैं, यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहां के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती हैं।
- अमेजिंग बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमिलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को

संचित रखता है, मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं ।

- टूकन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है।
- वेनेजुएला में कैरो नदी (ओरीनिको नदी की सहायक) पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना (979 मीटर) है।यह गुयाना पठार में स्थित है।
- दक्षिणी अमेरिका में चिली- अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है।
- दक्षिणी अमेरिका के वर्षा-वन का स्थानीय नाम से सेल्बास है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में बाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है।
- एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं।
- दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला कंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रीया न उड़ सकने वाली पक्षी है।
- (अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह)
- प्यूमा एवं जगुआर दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है। यह बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवो का शिकार करते हैं।
- एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोझ ढोने के काम आता है।
- ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है, जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है।
- फजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है।
- इस महादेश के बोलिविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई (समुद्र तल से 3,658मी.) पर स्थित राजधानी नगर है।
- इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो -डी- जेनेरियो (ब्राज़ील)है।
- दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राजील और पेटागोनिया के पठार हैं।
- दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। पम्पास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है।
- दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबड़, सीनकोना, चंदन कारनोब आदि वस्तुएं प्राप्त होती है।
- ब्राजील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है।
- दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है।
- गेहूं की चंद्राकार के पेटी अर्जेंटीना में स्थित है।
- दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक को-को उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है।
- दक्षिण अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राजील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं।
- दक्षिण अमेरिका मे ब्राजील विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है।
- दक्षिण अमेरिका में ब्राजील विश्व में सर्वाधिक मैंगनीज-उत्पादक देश है। विश्व में इसका तीसरा स्थान है।
- चिली का चुकीकामाता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3,000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है।
- दक्षिण अमेरिका मे ब्राजील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। ब्राजील की अमापा खान संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है।
- इटाबिरा ब्राजील का प्रमुख लौह -अयस्क खनन केंद्र है।
- दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का -उत्पादक अर्जेंटीना है, सर्वाधिक कहवा -उत्पादक देश ब्राजील है और सर्वाधिक तेल- उत्पादक देश वेनेजुएला व कोलंबिया तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है।
- एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ (ऊंचाई 6960 मी.) है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह लगभग 7200 किमी.लम्बी है। एंडीज के उत्तर -पश्चिम में आंटाकामा मरुस्थल है। (दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग मे) उत्तरी चिली में स्थित 'अरिका (arica) विश्व का शुष्कतम स्थान है।
- अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मो को एक्टाशिया और यहाँ के पशुपालको को ग्वांको कहते है।
- आटाकामा मरुस्थल मे नाइट्रेट के भंडार हैं जहाँ वर्षा का ना होना वरदान सिद्ध हुआ।
- विश्व मे कहवा का पात्र ब्राज़ील है और विश्व मे कहवा की मंडी सॉओ पाउले है।
- दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेन्टास पत्तन है।
- अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक -क्षेत्र चैको का मैदान है।
- दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरु है।
- विश्व का सबसे बड़ा मांस-निर्यातक देश अर्जेंटीना है।
- दक्षिण अमेरिका का वह स्थान, जहाँ जाँड़ो मे वर्षा होती है - मध्यचिली है।

ऑस्ट्रेलिया Austrelia

- ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है।
- ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 76,86,880 वर्ग किमी. है।

- ऑस्ट्रेलिया राजनीति दृष्टि से एक ही महाद्वीप है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से इसमें 16 देश हैं।
- ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज तस्मान ने सर्वप्रथम 1642 ई० में की, लेकिन इसके संबंध में विस्तृत जानकारी जेम्स कुक ने 1769 ई० मे की।
- ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी 'माओरी' कहलाते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट तथा सीसा को उत्तखनित करने वाला देश है।
- ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खानें कालगुर्ली तथा कुलगार्डी मे स्थित है।
- ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में विश्व की प्रख्यात मूंगे की चट्टाने ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है।
- ऑस्ट्रेलिया विश्वप्रसिद्ध मैरिनो ऊन उत्पादित होती है। यह ऊन विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
- ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण- पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है।
- ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रख्यात जीव कंगारू पाया जाता है।
- ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है।
- ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी (Great Dividing Grade) है।
- ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नदियों में मरे -डार्लिंग प्रमुख है। अन्य प्रमुख नदियां है - फिटजराय, विक्टोरिया, टोपर,कैप,मेरी ब्रिसवेन, गेस्कोयन, कूपरक्रिक, पिलंडरर्स,मूर्चिसन आदि।
- ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बंदरगाह हैं - सिडनी, पर्थ, मेलबर्न, होबार्ट,वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, ऑकलैंड आदि।
- ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कैनबरा के शहर की स्थापना की अभिकल्पना शिकागो के स्थापत्यवीद
- वॉल्टर वले ग्रिफिन मैं 1911ई० में की थी।
- ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 'प्यासी भूमि का महाद्वीप' कहा जाता है। इसे द्विपीय महाद्वीप भी कहते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है।
- ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया का सामान्य वृक्ष यूकेलिप्टस है। यह सदा हरा भरा रहने वाला वृक्ष है। और इसे प्राय : गम (गोंद)वृक्ष के नाम से पुकारा जाता है।
- ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिलाकर ओसीनिया ने कहा जाता है।

प्रमुख उद्योग

U.S.A.

प्रमुख उद्योग केन्द्र	उद्योग
पिटसवर्ग (विश्व की इस्पात राजधानी)	लौह-इस्पात
डेट्रॉयट	मोटर कार
शिकागो	मांस प्रसंस्करण
लांस एंजिल्स (हालीवुड)	फिल्म व एयरक्राफ्ट
बर्मिंघम	लौह-इस्पात
सेन फ्रांसिस्को (सिलिकन वैली)	तेलशोधन, जलपोत कम्प्यूटर व तकनीकी उद्योग
सिएटल	(उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र महान झील प्रदेश है।) लंबरिंग, एलुमीनियम प्रगलन

कनाडा

प्रमुख उद्योग केन्द्र	उद्योग
मांट्रियल	जलपोत व एयरक्राफ्ट
क्यूबेक	मेरिन इंजीनियरिंग नियरिंग व जलपोत निर्माण
ओटावा	कागज उद्योग
हेमिल्टन (कनाडा का बर्मिंघम)	लौह-इस्पात व इंजीनियरिंग नियरिंग
टोरंटे	इंजीनियरिंग नियरिंग व ऑटोमोबाइल

ब्रिटेन

प्रमुख उद्योग केन्द्र	उद्योग
मेनचेस्टर	सूती वस्त्र उद्योग
लिवरपुल	जलपोत निर्माण व तेल शोधन
ब्रेडफोर्ड	ऊनी वस्त्र
लंदन	इंजीनियरिंग नियरिंग व परिवहन
डर्बीशायर	ऊनी वस्त्र

फ्रांस

प्रमुख उद्योग केन्द्र	**उद्योग**
पेरिस	एयरक्राफ्ट व परिवहन
शेम्पेन व बोर्डो	शराब उद्योग
लियोनविलेज	लोह-इस्पात
लॉरेनसार क्षेत्र	लोह-इस्पात

जर्मनी

प्रमुख उद्योग केन्द्र	**उद्योग**
डॉर्टमंड	लोह-इस्पात व रसायन
फ्रेंकफुर्त	इंजीनियरिंग नियरिंग व परिवहन

रूस

प्रमुख उद्योग केन्द्र	**उद्योग**
मास्को व गोर्की	लोह-इस्पात व रसायन
मेग्नेटोगोर्स्	लोह-इस्पात व तेलशोधन
लेनिनग्राद (सेंट पीटर्सबर्ग)	वस्त्र, रसायन, कागज
मास्को-इवानोवो (रूस का मानचेस्टर)	सूती वस्त्र उद्योग
यूक्रेन - क्रिवॉयराग-रोस्तोगो	इस्पात व भारी मशीनरी
नीदरलेंड - रॉटरडम मेरिन	इंजीनियरिंग नियरिंग व जलपोत निर्माण
एम्सटर्डम	हीरा पॉलिश
बेल्जियम : एंटवर्प	हीरा प्रसंस्करण
डेनमार्क -कोपेनहेगेन	डेयरी उद्योग

इटली	
मिलान (मुख्य औद्योगिक क्षेत्र)	रेशमी वस्त्र,
तूरीन (इटली का डेट्रायट)	मोटरकार
स्वीडन स्टॉकहोम (मुख्य औद्योगिक क्षेत्र)	जलपोत निर्माण

ब्राजील

प्रमुख उद्योग केन्द्र	**उद्योग**
साओपोलो	वस्त्र उद्योग व कॉफी उद्योग
रियो डि जेनेरियो	वस्त्र उद्योग व कॉफी उद्योग
अर्जेन्टिना ब्यूनस आयर्स	जलपोत निर्माण
लाप्लाटा	एयरक्राफ्ट, रसायन व लोह-इस्पात
चिली वालपरेजो	तेलशोधन, पेट्रोकेमिकल्स, शराब उद्योग
संटियागो	शराब उद्योग
वेनेजुऐला का मराकेबो	तेलशोधन उद्योग
मोरक्को - कासाब्लांका	रसायन उद्योग

मिस्र

काहिरा व सिकन्दरिया सूती वस्त्र

जापान

प्रमुख उद्योग केन्द्र	**उद्योग**
नगोया (जापान का डेट्रायट)	एयरक्राफ्ट, कार, मशीनरी
ओसाका (जापान का मानचेस्टर)	जलपोत, लोह-इस्पात, वस्त्र
कोबे व क्योटो	जलपोत, लोह-इस्पात, वस्त्र
नागासाकी	लोह-इस्पात, जलपोत, मशीन
टोकियो व नागासाकी	जलपोत, इंजीनियरिंग नियरिंग, वस्त्र
प्रवाटा (जापान का पिट्सबर्ग)	जलपोत, इंजीनियरिंग नियरिंग, वस्त्र

चीन

प्रमुख उद्योग केन्द्र	**उद्योग**
चीन	वस्त्र व मशीन
शंघाई	वस्त्र, मशीन, जलपोत व लोह-इस्पात
वुहान	वस्त्र, मशीन
अन्शन-मुकदेन (चीन का पिट्सबर्ग)	लोह-इस्पात
बीजिंग	वस्त्र व मशीन

क्र.	**खनिज**	**पहला स्थान**

1.	लोहा (Iron)	चीन
2.	ताँबा (Copper)	चिली
3.	मैंगनीज (Manganese)	दक्षिण अफ्रीका
4.	बॉक्साइट (Bauxite)	आस्ट्रेलिया
5.	जस्ता (Zinc)	चीन
6.	सोना (Gold)	चीन
7.	चाँदी (Silver)	मेक्सिको
8.	कोयला (Coal)	चीन
9.	यूरेनियम (Uranium)	कजाकिस्तान
10.	खनिज तेल (Mineral Oil)	सऊदी अरब

एशिया की प्रमुख नदियां

नाम	संबंधित देश	विशेषताएं
आमू दरिया	अफगानिस्तान,तजाकिस्ता,तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान	• उद्गम स्थान - पामीर पर्वतीय क्षेत्र • अर्ध शुष्क क्षेत्र में बहती है।
सीर-दार्या	कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तजाकिस्तान,उज़्बेकिस्तान	• मुहाना-अरल सागर में
चाओ-फ्राया नदी	थाईलैंड की प्रमुख नदी	• मुहाना-थाईलैंड की खाड़ी • इसका बेसिन चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। • इसके मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है।
टिगरिस नदी एवं यूफ्रेट्स नदी	तुर्की, इराक,सीरिया	• उद्गम स्थान-टॉरस पर्वत (टर्की) • यह बेसिन खजूर उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। • इन नदियों को क्रमशः दजला और फरात नाम से भी जाना जाता है।
येलो रिवर (ह्वागहों)	चीन	• उद्गम स्थान - कुनलून पर्वत • मुहाना - पो हाई की खाड़ी (येलो सागर) • अपने कटाव व बाढ़ के लिए प्रसिद्ध यह नदी 'चीन का शोक' कहलाती है।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

		• पीले रंग के लोयस निर्मित मैदान से प्रवाहित होती है इसके कारण यह अत्यधिक मात्रा में सिल्ट का निक्षेप करती है।
यांग्त्सिक्यांग नदी	चीन	• मुहाना - पूर्वी चीन सागर • एशिया की सबसे लंबी नदी • इसी नदी के तट पर शंघाई एवं बुहान शहर स्थित है। • इस नदी पर 'थ्री गोर्ज डैम' स्थित है।
इरावदी नदी	म्यांमार की प्रमुख नदी	• उद्गम स्थान- माली और नामी नदी का संगम • मुहाना - अंडमान सागर • इसके डेल्टाई क्षेत्र पर म्यांमार का यांगून शहर स्थित है।
सालवीन नदी	म्यांमार की प्रमुख नदी	• उद्गम स्थान - चीन (तिब्बत का पठार) • मुहाना - अंडमान सागर • यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है।
मेकांग नदी	चीन,थाईलैंड - लाओस,कंबोडिया, वियतनाम (प्राकृतिक सीमा - म्यांमार लाओस तथा थाईलैंड लाओस)	• उद्गम स्थान - तिब्बत का पठार • मुहाना - दक्षिणी चीन सागर • इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी 'नॉमपेन्ह' स्थित है। • विश्व में अमेजन नदी के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है।
जॉर्डन नदी	इजरायल व जॉर्डन	• मुहाना - मृत सागर में
लीना नदी	रूस	• मुहाना - आर्कटिक सागर (लॉपटेब सागर)

ओब नदी	रूस	• मुहाना - कारा सागर (आर्कटिक सागर)
येनेसी नदी	रूस	• मुहाना - कारा सागर (आर्कटिक सागर)
अमूर नदी	रूस, चीन	• मुहाना - ओखोत्स्क सागर (प्रशांत महासागर)
सिक्यांग नदी	चीन	• मुहाना दक्षिण चीन सागर • डेल्टाई क्षेत्र में रेशम उत्पादन किया जाता है । • इस के मुहाने पर चीन के 'हांगकांग' व 'ग्वांगझाउ' शहर स्थित है ।
		• उद्गम स्थान - चेमयुंगडुंग ग्लेशियर • मुहाना - बंगाल की खाड़ी • तिब्बत (चीन) में इसे 'यारलूंग-सांगपो' तथा बांग्लादेश में 'पद्मा' के नाम से जाना जाता है । • दिबांग व लोहित प्रमुख सहायक नदियां हैं । • बांग्लादेश में तीस्ता नदी इससे मिलती है ।

एशिया की प्रमुख जल संधियां

जलसंधि	विशेषताएं
बेरिंग जलसंधि	• अलास्का (अमेरिका) को रूस से करती हैं । • पूर्वी चुकची सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है ।
तत्तर जलसंधि	• रूसी मुख्यभूमि को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करती हैं । • जापान सागर को ओखोत्स्क सागर से जोड़ती है ।
ला-पैराज जलसंधि	• जापान के होकड़ो द्वीप को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करती हैं ।

या सोया जलसंधि	• जापान सागर को ओखोत्स्क सागर से जोड़ती हैं।
सुगारू जलसंधि	• होंकैंडो को होंशु द्वीप से अलग करती हैं। • जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
कोरिया जलसंधि या सुशिमा जलसंधि	• कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूश द्वीप से अलग करती हैं। • पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ती है।
ताइवान जलसंधि (फोरमोसा जलसंधि)	• ताइवान को चीन से अलग करती हैं। • पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है।
लुज़ोन जलसंधि	• ताइवान को लुज़ोन द्वीप से अलग करती है। • दक्षिणी चीन सागर व फिलिपिन सागर को जोड़ती है।
मकस्सार जलसंधि	• सेलेबीस द्वीप को बोर्नीयो द्वीप से अलग करती हैं • सेलेबीस सागर को जावा सागर से जोड़ती है।
सुंडा जलसंधि	• इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करती है। • हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है।
मलक्का जलसंधि	• मलेशिया (मलाया) को सुमात्रा द्वीप से अलग करती हैं। • अंडमान सागर (हिंद महासागर) को दक्षिण चीन सागर(प्रशांत महासागर) से जोड़ती है।
जोहोर जलसंधि	• सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है। • दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है।
पाक जल संधि	• भारत के पम्बन द्वीप को श्रीलंका से अलग करती है। • मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है।
होर्मुज़ जलसंधि	• यु. ए. ई. ओमान को ईरान से अलग करते हैं। • फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है।
बाब-एल-मंदेब जलसंधि	• यमन को जिबूती से अलग करती है। • लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है।

<u>एशिया की प्रमुख झीलें</u>

झील	देश	विशेषताएं
कैस्पियन झील	अज़रबैजान, ईरान,कजाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस	• एशिया-यूरोप महाद्वीप की विभाजक होने के साथ विश्व की सबसे बड़ी झील है। • इसमें वोल्गा और युराल जैसी प्रमुख नदियों का मुहाना है।
बाल्खस झील	कजाखस्तान	• यह खारे पानी की झील है।
पेंगोंग झील	भारत,चीन	• रामसर कन्वेंशन के तहत इसे मान्यता प्राप्त है। • भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) यहीं से गुजरती है।
टोनले सप झील	कंबोडिया	• यह दक्षिण- पूर्व एशिया की एक महत्वपूर्ण झील है।
वान झील	तुर्की	• यह विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है।
बैकाल झील	रूस	• विश्व की सबसे गहरी झील • यहीं से लीना व अगारा नदियों का उद्गम होता है।
अरल सागर	कजाखस्तान एवं उज़्बेकिस्तान	• आमू दरिया और सिर दरिया नदियाँ इसी झील में गिरती है।
लोपनूर झील	चीन	• चीन के तारीम बेसिन में स्थित है। • यह खारे पानी की झील है।
टोबा झील	इंडोनेशिया	• 'क्रेटर झील' का उदाहरण है। • मीठे पानी की झील है।

<u>एशिया के मरुस्थल व मैदान</u>

मरुस्थल का मैदान	विशेषताएं
रुब-अल-खाली मरुस्थल (दक्षिण-पूर्व अरब प्रायद्वीप)	• यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र है। यह सऊदी अरब में स्थित है। • यह एक निवास विहीन क्षेत्र है।
अन-नफूद मरुस्थल	• सऊदी अरब में स्थित गर्म मरुस्थल
दस्त-ए-कबीर मरुस्थल	• ईरान में स्थित है। • इसे 'ग्रेट साल्ट डेजर्ट' भी कहते हैं।

दस्त-ए-लूट मरुस्थल	• यह पूर्वी ईरान में स्थित मरुस्थल हैं।
गोबी मरुस्थल	• इसका विस्तार मंगोलिया व चीन में हैं। • यह एशिया के बड़े मरुस्थल में से एक है। • यह ठंडा मरुस्थल है।
तकला मकान मरुस्थल	• यह चीन के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र 'सिक्यांग' में स्थित हैं।
मंचूरिया का मैदान	• अमूर नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित यह मैदान चीन में स्थित हैं।
तूरान का मैदान	• आमू दरिया व सीर दरिया नदियों द्वारा निर्मित मैदान हैं। • इसका विस्तार तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं कजाखस्तान में हैं।

<u>यूरोपीय महाद्वीप की प्रमुख नदियां</u>

नदी	प्रवाहित राज्य	विशेषताएं
यूराल नदी	रूस,कजाकिस्तान	• उद्गम स्थान - यूराल पर्वत • मुहाना - कैस्पियन सागर • यह यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है। • यह यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है।
वोल्गा नदी	रूस	• उद्गम स्थान - वाल्दे पहाड़ी • मुहाना - कैस्पियन सागर • यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है।
विस्तुला	पोलैंड	• मुहाना - बाल्टिक सागर • यह पोलैंड की सबसे लंबी व बड़ी नदि है। • वॉरसा (पोलैंड की राजधानी) एवं क्रकॉउ इसके तट पर स्थित शहर हैं। • वस्त्र उद्योग का विकास होने के कारण ' लॉड्ज़' को पोलैंड का मैनचेस्टर कहा जाता है।
एल्बे	जर्मनी,चेक गणराज्य	• मुहाना - उत्तरी सागर • इसके मुहाने पर जर्मनी का हैंबर्ग शहर (बंदरगाह)स्थित है। • इसके तट पर स्थित जर्मनी का ड्रेसडेन शहर चीनी मिट्टी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है।
स्प्री	जर्मनी	• एल्बे की सहायक नदी है। इसके तट पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है।
राइन नदी		• उद्गम स्थान- अल्पस पर्वत

	स्विजरलैंड,जर्मनी,ऑस्ट्रीया, लीचटेंसटीन,फ्रांस,नीदरलैंड	• मुहाना - उत्तरी सागर • नीदरलैंड में इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। • यह यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। • जर्मनी का 'वोन' व स्विजरलैंड का 'बैसल' शहर इसी के तट पर स्थित है। • इसके पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट तथा पश्चिम में प्रांत का वोसजेस पर्वत स्थित है। यहां राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है।
सीन	फ्रांस	• उद्गम स्थान - फ्रांस के पठारी भाग से • मुहाना - इंग्लिश चैनल • इसके तट पर फ्रांस की राजधानी 'पेरिस' स्थित है, जो पूरे विश्व में सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रसिद्ध है। • पेरिस फ्रांस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। • इसके मुहाने पर फ्रांस का 'ली-होवें' बंदरगाह स्थित है।
लॉयर	फ्रांस	• मुहाना - बिस्के की खड़ी (अटलांटिक महासागर) • यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। • इसके तट पर स्थित 'नान्टेस' शहर फ्रांस में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
गैरोंनी	फ्रांस, स्पेन	• उद्गम स्थान - पेरेनीज पर्वत • मुहाना - बिस्के की खाड़ी • इसके तट पर 'टुलुज़' (वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध) एवं 'बार्डीओक्स' (शराब उद्योग) शहर स्थित है।
टॉगस	स्पेन,पुर्तगाल	• उद्गम स्थान - सियारा डी अलब्रेसिन पर्वत श्रेणी (स्पेन) • मुहाना - अटलांटिक महासागर • यह आईवेरियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। • इसके तट पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है। साथ ही यह स्पेन एवं पुर्तगाल की सीमा भी बनाती है।
ड्यूरो	पुर्तगाल	• ड्यूरो बेसिन शराब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। • ·इस के मुहाने पर पोर्ट बंदरगाह स्थित है।

ग्वादलक्वीवर	स्पेन	• उद्गम स्थान - कैजोले रेंज (स्पेन) • मुहाना - कैडीज की खाड़ी (अटलांटिक महासागर) • यह स्पेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ।
एब्रो	स्पेन	• उद्गम स्थान - कैंटेब्रियन पर्वत • मुहाना - भूमध्य सागर
रोन नदी	स्विजरलैंड,फ्रांस	• उद्गम स्थान - जेनेवा झील (स्विजरलैंड) • मुहाना - लियोन की खाड़ी (भूमध्य सागर) • इसके तट पर फ्रांस के 'लियोन' एवं 'मार्सिले शहर स्थित है । • लियोन को 'फ्रांस की सिल्क सिटी' कहा जाता है । • मार्सिले फ्रांस का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है । • मार्सिले यूरोप का महत्वपूर्ण पत्तन है ।
पो नदी	इटली	• उद्गम स्थान - अल्पस पर्वत • मुहाना - एड्रियाटिक सागर • यह इटली की सबसे लंबी नदी है इसे 'इटली की गंगा' भी कहते हैं । • यह लोबार्डी के मैदान से प्रवाहित होती है जो यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है । • पो नदी बेसिन में उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है । यहां 'मिलान' को 'इटली का मैनचेस्टर' तथा 'तुरिन' को 'इटली का डेट्रायट' कहते हैं ।
टाइबर नदी	इटली	• उद्गम स्थान - माउंट फुर्मेओलो • मुहाना - भूमध्य सागर • इसके तट पर विश्व का सबसे छोटा 'वेटिकन सिटी' व इटली की राजधानी रोम स्थित है ।
डेन्यूब	जर्मनी,ऑस्ट्रिया,रोमानिया, बुल्गारिया,स्लोवाकिया,हंगरी,यूक्रेन,क्रोएशिया, सरबिया (कुछ स्रोतों,के अनुसार 'माल्डोवा' देश भी इसमें शामिल है ।)	• उद्गम स्थान - ब्लैक फॉरेस्ट (जर्मनी) • मुहाना - काला सागर • इसके तट पर वियना, ब्रतिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड जैसे चार राजधानी शहर स्थित हैं । • यह विश्व के सर्वाधिक ९ देशों (कुछ स्रोतों के अनुसार, माल्डोवा को मिलाकर 10 देश) से गुजरने वाली नदी है। • यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी व पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है ।

		• यह हंगरी-स्लोवाकिया, क्रोएशिया-सर्बिया व रोमानिया-बुल्गारिया देशों की राजनीतिक सीमा बनाती है।
नीस्टर नदी	यूक्रेन, माल्डोवा	• उद्गम स्थान - कार्पेथियन पर्वत श्रेणी • यह माल्डोवा की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी माल्डोवा व यूक्रेन के मध्य लगभग सीमा बनाती हुई काला सागर में गिरती है।
नीपर	रूस,बेलारूस, यूक्रेन	• उद्गम स्थान - वलदाई हिल्स (रूस) • मुहाना - काला सागर • यह यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है।

डॉन नदी	रूस	• उद्गम स्थान - तुला ओब्लास्ट • मुहाना - आजोव सागर • रूस का रोस्टोव नगर इसी के तट पर बसा हुआ है।
टेम्स नदी	इंग्लैंड	• मुहाना - उत्तरी सागर • यह ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। • उसके तट पर इंग्लैंड की राजधानी 'लंदन' तथा ऑक्सफोर्ड व 'रीडिंग' शहर स्थित है।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

यूरोप की महत्वपूर्ण झीलें

कॉन्सटेंस झील :- अल्पस पर्वत में स्थित यह झील जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विजरलैंड का मिलन स्थल है। राइन नदी इस से होकर गुजरती है।

लड़ोगा झील :- रूस में स्थित यह मीठे पानी की झील है। यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है। (क्षेत्रफल की दृष्टि से)

ओनेगा झील :- यह रोज की मीठे पानी की झील है जो लड़ोगा झील के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। (क्षेत्रफल की दृष्टि से)

वेटर्न व वेनर्न :- ये झीलें स्वीडन में स्थित हैं ।

यूरोप की महत्वपूर्ण खाड़ियाँ

नाम	भाग	अवस्थिति
बोथनिया की खाड़ी	बाल्टिक सागर	स्वीडन एवं फिनलैंड
फिनलैंड की खाड़ी	बाल्टिक सागर	फिनलैंड एवं एस्टोनिया
रीगा की खाड़ी	बाल्टिक सागर	लाटविया एवं एस्टोनिया

इंग्लिश चैनल	उत्तरी अटलांटिक महासागर	फ्रांस एवं ब्रिटेन
बिस्के की खाड़ी	उत्तरी अटलांटिक महासागर	फ्रांस एवं स्पेन

यूरोप के प्रमुख जलसंधि

जिब्राल्टर जलसंधि	• यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। • भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। • यह जलसंधि 'भूमध्य सागर की कुंजी' के नाम से प्रसिद्ध है।
बोनिफेसियो जलसंधि	• यह इटली के सार्डिनिया और फ्रांस के कोर्सिका द्वीप को अलग करती है। • टाइरेनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है।
उत्तरी चैनल	• यह उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती है। • आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है।
डोवर जल संधि	• फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। • उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है।
सेंट जॉर्ज चैनल	• आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। • यह आयरिस सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ती है।
मोसिना जलसंधि	• इटली के सिसली द्वीप को इटली प्रायद्वीप से अलग करती है। • टाइरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है।
आट्रांटो जलसंधि	• इटली को बाल्कन प्रायद्वीप के अल्बानिया देश से अलग करती है। • एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है।
कर्च जलसंधि	• क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्यभूमि से अलग करती है। • अजोव सागर को काला सागर से जोड़ती है।
वासपोरस जलसंधि	• तुर्की के इस्तांबुल को तुर्की के मुख्यभूमि से अलग करती है। • मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है।
दार्देनेल्स जलसंधि	• बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करती है। • मरमरा सागर व एजियन सागर को जोड़ती है।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां

अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रफल पर पठारी क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है । अतः इन पठारी क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां जलप्रपात बनाती हैं जो जल विद्युत उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है । कुछ नदियों का प्रवाह समतल भूमि पर होता है जो अंतःस्थलीय जलमार्ग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियां निम्नलिखित हैं :-

नदी	देश	विशेषताएं
नील नदी श्वेत नदी	उत्तरी सूडान,मिश्र युगांडा, दक्षिण सुडान,उत्तरी सूडान	• यह नदी 'श्वेत नील' एवं 'ब्लू नील' के मिलने से बनी है । • श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से,जबकि ब्लू नील का उद्गम इथियोपियाई उच्चभूमि से होता है ।
ब्लू नील	इथियोपिया,उत्तरी सूडान	• ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद 'नील नदी' कहलाती है । • नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में अवस्थित है । • मिस्र को 'नील नदी की देन' कहा जाता है । • यह विश्व की सबसे लंबी नदी (6,695किमी.) है ।
कॉन्गो(जायरे) नदी	कॉन्गो गणराज्य,कॉन्गो, अंगोला	• यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है । • इसके तट पर कॉन्गो गणराज्य की राजधानी 'किंशासा' व कॉन्गो की राजधानी 'ब्राज़ाविले' अवस्थित है । • यह नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है । • इस नदी बेसिन के विषुवतरेखीय क्षेत्र में विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजाति 'पिग्मी' रहती है । • कसई, उबाँगी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं । कसई नदी बेसिन डायमंड रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है ।
ज़ाम्बेज़ी नदी	अंगोला, जांबिया, जिंबाब्वे,मोजांबिक, बोत्सवाना,नामीबिया	• नामीबिया, जांबिया, जिंबाब्वे और बोत्सवाना की सीमा ज़ाम्बेज़ी नदी के समीप आकर मिलती है । • यह नदी जांबिया व जिंबाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है । यहीं पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। • इस नदी पर 'करीबा बांध' का निर्माण किया गया है तथा इस से निर्मित जलाशय को 'करीबा झील' कहते हैं । • इसका मुहाना मोजांबिक चैनल में स्थित है । यहां

		पर काहोरा बांध स्थित हैं।
ऑरेंज नदी	दक्षिण अफ्रीका,लेसोथो,नामीबिया आदि	• उद्गम स्थान - ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, मुहाना-अटलांटिक महासागर • यह नदी दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया की सीमा बनाती है। • सहायक नदी - वॉल • इस नदी पर दक्षिण अफ्रीका में ' आग्रेबीज़ जलप्रपात' स्थित है।
नाइजर नदी	गिनी,माली, नाइजर,बेनिन,नाइजीरिया आदि	• उद्गम स्थान - गिनी उच्चभूमि , मुहाना- गिनी की पहाड़ी • यह माली में अंतःस्थलीय डेल्टा (मैकीना दलदल) तथा नाइजीरिया में तटीय डेल्टा बनाती है। • यह नदी पाम ऑयल को ले जाने हेतु जल मार्ग उपलब्ध कराती है, जिसके कारण इसे 'पाम ऑयल रिवर' भी कहते हैं। • इस के मुहाने पर नाइजीरिया का 'हारकोर्ट' बंदरगाह अवस्थित है जो खनिज तेल के निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। माली की राजधानी 'बामको' भी इसके तट पर स्थित है।
वोल्टा नदी	घाना, माली, बेनिन, टोगो आदि	• इस पर 'अकासोंबो बांध ' का निर्माण किया गया है। इससे निर्मित जलाशय को 'वोल्टा झील' कहते हैं। जाफरी का का सबसे बड़ा कृत्रिम चलाता है
जुब्बा व शेबेली नदी	इथियोपिया व सोमालिया	• उद्गम स्थान- इथियोपिया उच्चभूमि • मुहाना - हिंद महासागर • शेबेली जुब्बा की सहायक नदी है। • शेबेली नदी के तट पर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित है।
लिंपोपो नदी	दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना,जिंबाब्वे व मोजांबिक	• यह नदी दक्षिण अफ्रीका-बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका-जिंबाब्वे की सीमा बनाती हुई मापूतो (डेलागुआ) की खाड़ी में गिरती है। • यह नदी मकर रेखा को दो बार काटती है।

<u>अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एवं पठार</u>

नाम	विशेषताएँ
एटलस पर्वत	• यह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। • एटलस पर्वत प्रमुख श्रेणियों (है एटलस पर्वत , एंटी एटलस पर्वत , मध्य एटलस पर्वत सहारा एटलस पर्वत) में विभाजित है। • यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में विस्तृत पर्वत श्रेणी है • एटलस पर्वत की सबसे ऊँची चोटी ' टौब्कल ' (4,165 मी.) है ,जो ग्रेट एटलस पर्वत श्रेणी का भाग है।
इथियोपिया की उच्च भूमि	• इसकी सर्वोच्च चोटी 'रास-दशन' (4,533 मी.) है • ब्लू नील नदी का उद्गम क्षेत्र।
माउन्ट केन्या	• यह केन्या उच्चभूमि की सर्वोच्च चोटी है , जिसकी ऊँचाई 5,199 मी. है a\ • यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है।
माउन्ट एल्गन	• यह केन्या व युगांडा की सीमा पर अवस्थित एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है
माउन्ट किलिमंजरो	• अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जो तंजानिया में अवस्थित है। इसकी ऊँचाई 5,895 मी है • इसे 'माउन्ट ' किबो के नाम से भी जानते है। इसकी ढाल पर विश्व प्रसिद्ध कहवा की खेती होती है। इसकी विशेषता साल भर वर्फ से ढंके रहना है, जबकि विषुवत रेखा से यह मात्र 322किमी. दूर अवस्थित है।
माउन्ट राउवेनजोरी	डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो (जायरे) की अलबर्ट झील के समीप स्थित , इसे 'Mountains of the moon' के नाम से भी जाना जाता है।
माउन्ट कैमरुन	अफ्रीका का एक सक्रीय ज्वालामुखी पर्वत ,कैमरुन के तटीय क्षेत्र में अवस्थित।
माउन्ट सिनई	• हॉर्स्ट पर्वत का उदाहरण • एशिया महाद्वीप का भाग • मिस्र का मरुभूमीय पर्वत
तिबेस्ती पठार (मसिफ)	उत्तरी चाड में स्थित एक मरुभूमिय पर्वत
कटंगा पर्वत	यह कॉन्गो गणराज्य देश के दक्षिणी भाग में स्थित है

अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख अंतरीप

अगुलहास अंतरीप	द. अफ्रीका	हिंद महासागर
सेंट फ्रांसिस अंतरीप	द. अफ्रीका	हिंद महासागर
वर्डे अंतरीप	सेनेगल	उत्तरी अटलांटिक महासागर
गुआडीफुई	सोमालिया	हिंद महासागर
गुड होप अंतरीप	द. अफ्रीका	केपटाउन के दक्षिण में
फ्रिया अंतरीप	नामीबिया	द अटलांटिक महासागर

बारबरी स्टेट्स

देश	राजधानी	देश	राजधानी

मोरक्को	रबात	अल्जीरिया	अल्जीयर्स
ट्यूनीशिया	ट्यूनीश	लीबिया	त्रिपोली
अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागरीय तट को 'बारबरी कोस्ट' कहते है और इस पर स्थित देशों को 'बारबरी कोस्ट' कहा जाता है			

उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियाँ एवं उनकी विशेषताएँ

नदियाँ	देश	विशेषताएँ
कोलोराडो नदी	यू.एस.ए.+मेक्सिको	• उद्गम स्थान – रॉकी पर्वत • मुहाना- कैलीफोर्निया की खाड़ी • इस नदी पर हूवर और पार्कर के बांध बनाए गए है। • "ग्रैंड कैनियस" का सबंध इसी नदी से है। • मीड झील का सम्बंध इसी झील से है।
रियो ग्रांडे	यू.एस.ए.+मेक्सिको	• उद्गम स्थान- कैंबी (canby) पर्वत • मुहाना – मैक्सिको की खाड़ी • अमेरिका व मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। • यह मैक्सिको की खाड़ी में सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है
कोलंबिया नदी	यू.एस.ए.+कनाडा	• यह प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। • इसके तट पर अमेरिका का "पोर्टलेंड" शहर अवस्थित है • सबसे बड़ी सहायक नदी स्नेक नदी • अवस्थित बांध – ग्रांड कूली ,चीफ जोसेफ बोनविले आदि
स्नेक नदी	यू.एस.ए	उद्गम स्थान – रॉकी पर्वत (यलोस्टोन नेशनल पार्क) यह कोलंबिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
हडसन नदी	यू.एस.ए	उद्गम स्थान – लेक टियर ऑफ़ द क्लाउड्स कुछ स्त्रोतों में हेंडरसन झील के पास से मुहाना-न्यूयार्क की खाड़ी (उत्तरी अटलांटिक महासागर) न्यूयार्क शहर इसके तट पर स्थित है
पोटोमेक नदी	यू.एस.ए	उद्गम स्थान – अप्लेशियन पर्वत मुहाना –चेसापीक की खाड़ी वाशिंगटन डीसी. (यु.एस.ए की राजधानी) इसी नदी के तट पर स्थित है।
मिसिसीपी	यू.एस.ए	• उद्गम स्थान – इटास्का झील • मुहाना मैक्सिको की खाड़ी • सहायक नदी – मिसौरी • सेंट लुईस के पास मिसौरी मिसिसीपी से मिलती है • मिसिसीपी नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तर अमेरिका का सब्से लम्बा अपवाह तंत्र है • मुहाने पर न्यू आर्लियस बंदरगाह स्थित है। • पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है

		• इसके उत्तरी बेसिन के आस-पास के क्षेत्र मक्का व गेहू उत्पादन हेतु तथा दक्षिणी बेसिन गन्ना , कपास व चावल की कृषि हेतु महत्वपूर्ण है I
सेंट लारेंस नदी	यू.एस.ए+ कनाडा	• उदगम स्थान- ओंटारियों झील • मुहाना- सेंट लॉरेंस की खाड़ी • इस नदी के तट पर कनाड़ा के क्यूबेक व मांट्रियल शहर स्थित हैं। • मांट्रियल विश्व का सबसे बढ़ा 'नदी द्वीपीय शहर' है। • क्यूबेक कनाडा का प्राचीनतम शहर है, जहाँ फ्राँसीसी समुदाय को जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे 'फ्रेंच सिटी' भी कहते हैं। • विश्व के व्यस्ततम अंत : स्थलीय जलमार्गों में से एक है। यह उत्तर .अमेरिका का व्यस्ततमं नदी जलमार्ग भी है। • यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वारंदमुख बनाती है
फ्रेजर नदी	कनाडा	• उद्गम स्थान – रॉकी पर्वत • मुहाना – उत्तरी प्रशांत महासागर • कनाडा का प्रसिद्द बंदरगाह ' वेंकुवर ' इसी के मुहनें पर स्थित है • बैंकूवर कैनेडियन पैसेफिक रेलवे एवं ' कैनेडियन नेशनल रेलवे ' का पश्चिमी जंक्शन भी है • बैंकूवर लकड़ी के उत्पाद बनानें का प्रमुख केंद्र है
मेंकेंजी नदी	कनाडा	• उद्गम स्थान ग्रेट स्लेव झील • मुहाना आकर्टिक महासागर को ब्यूफोर्ट सागर में • कनाडा की सबसे लंबी नदी
युकॉन नदी	कनाडा +यू.एस.ए	• उद्गम स्थान- ब्रिटिश कोलंबिया (कनाडा) • मुहाना – बेरिंग सागर (उत्तरी प्रशांत महासागर) • इसका सम्बंध युकाँन के पत्थर से है I

महत्वपूर्ण झीलें

झील	देश	विशेषताएं / सम्बंधित तथ्य
ग्रेट बियर झील	कनाडा	• इसके ऊपर से आकर्टिक वृत्त गुजरता है I
ग्रेट स्लेव झील	कनाडा	• इसके निकट कनाडा के उत्तर – पश्चिमी राज्य की राजधानी 'यलो नायफ' अवस्थित है • इस झील से ही मेंकेजी नदी निकलती है I
अथाबस्का झील	कनाडा	• यह ग्रेट स्लेव झील व रेडियर झील के मध्य अवस्थित है
रेनडियर झील	कनाडा	• चर्चिल नदी का उद्गम इसी झील से होता है जो हडसन की खाड़ी में गिरती है
विनिपेग झील	कनाडा	• इसके तट पर मनिटोबा प्रान्त की राजधानी ' विनिपेग ' अवस्थित है I

सुपीरियर झील	कनाडा + यू.एस.ए	• विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है • यह सुपीरियर उच्च भूमि परं अवस्थित है। • सुपीरियर उच्चभूमि के मेंसाबी रेंज (अमेरिका) में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है । • सुपीरियर झील के तट पर अवस्थित 'डुलुथ' शहर (अमेरिका) में लौह-इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। • 'सू नहर" सुपीरियर झील को-ह्यूरान झील से जोड़ती है। • सू नहर के समीप अवस्थित सॉल्ट सेंट मरे कनाडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है ।
ह्यूरान झील	कनाडा + यू.एस.ए	• इसके समीप अवस्थित 'सडबरी' कनाडा का एक महत्त्वपूर्ण खनन शहर है जो विश्व स्तर पर 'निकेल' के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। • सडबरी तांबा एवं प्लेटिनम के भंडार की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।
मिशिगन झील	यू.एस.ए	• इसके तट पर अमेरिका के 'गैरी', 'शिकागो' एवं 'मिलवॉकी' शहर अवस्थित हैं। • सुपीरियर लॉरेंशियन उच्चभूमि के लोह अयस्क उत्पादक क्षेत्र एवं पेंसिलवेनिया के कोयला उत्पादक क्षेत्र के मध्य अवस्थित होने के कारण गैरी-शिकागो औद्योगिक प्रदेश में 'लोह इस्पात उद्योग' का सर्वाधिक विकास हुआ है। • 'शिकागो' अमेरिका का माँस प्रसंस्करण उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र हे
इरी झील	कनाडा + यू.एस.ए	• इसके तट पर अमेरिका का डेट्रॉयट' शहर अवस्थित है जो विश्व स्तर पर ऑटोमोबाइल का महत्वपूर्ण केंद्र है • वेल्लेंड नाहर के समीप कनाडा अमेरिका सीमा पर उत्तर अमेरिका का सबसे ऊँचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर अवस्थित है
ओंटारियो झील	कनाडा + यू.एस.ए	• इसके तट पर कनाडा के 'टोरंटो' 'हैमिल्टन' एवं किंग्स्टन शहर अवस्थित है • टोरंटो कनाडा के ओंटारियो प्रांत की राजधानी होने के साथ कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है । • हैमिल्टन , इरी व ओंटारियो के मध्य अवस्थित • किंग्स्टन , कनाडा में रेल इंजन व लोकोमोटिव उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है • ओंटारियो झील में सेंट लारेंस नदी का उद्गम होता है

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

ग्रेट साल्ट लेक	यू.एस.ए	• यह अमेरिका में खारे पानी की झील है जो मीठे पानी की झील ‘ बानेविले का अवशिष्ठ भाग है ’ • इसके तट पर उटाह (UTAH) राज्य की राजधानी साल्ट लेक सिटी अवस्थित है
सुपीरियर ह्यूरान मिशिगन ईरी व ओंटारियो नामक पांच झीलों को सम्मिलित रूप से गेर लेक्स कहते हैं • क्षेत्रफल के आधार पर सुपीरियर इनमे सबसे बड़ी जबकि ओंटारियो सबसे छोटी झील है • इनमे से मिसिगन एकमात्र झील है , जिसका विस्तार सिर्फ अमेरिका में है अन्य चारों झीलें कनाडा अमेरिका दोनों में विस्तृत हैं		

महत्वपूर्ण जलसंधियाँ

जलसंधि	विशेषताएँ
डेवीज जलसंधि	• बैंफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है • बैंफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोडती है
हडसन जलसंधि	• कनाडा के उगावा प्रायद्वीप को बैंफिन दीप से अलग करती है • हडसन की खाड़ी को लेब्रोडोर सागर से जोडती है
बेलेइसले जलसंधि	• न्यूफाउन्डलेंड को कनाडा मुख्य भूमि से अलग करती है • लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोडती है

फ्लोरिडा जलसंधि	• फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। • अटलांटिक महासागर को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है।
युकाटन चैनल	• मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। • मेक्सिको की खाड़ी को कैरीबियन सागर से जोड़ती है।
विंडवार्ड पैसेज	• क्यूबा को हैती से अलग करती है। • उत्तरी अटलांटिक महासागर को कैरीबियन सागर से जोड़ती है।
मोना पैसेज	• डोमिनिकन गणराज्य को प्यूर्टो रिको से अलग करती है। • उत्तरी अटलांटिक महासागर को कैरीबियन महासागर से जोड़ती है।
पनामा नहर	• कैरीबियन सागर को प्रशांत महासागर की पनामा की खाड़ी से जोड़ती है। • इस नहर में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये ‘गटुन झील’ का निर्माण किया गया है। • ‘कोलोन’ तथा ‘पनामा सिटी’ इस नहर के समीप अवस्थित बंदरगाह है • आर्थिक महत्त्व की दृष्टि से पनामा नहर का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है।
जुआन डीफ्यू का जलसंधि	कनाडा के वैंकूवर द्वीप को कनाडा मुख्यभूमि से अलग करती है।
बेरिंग जलसंधि	• अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करती है।

	• प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर से जोड़ती है।

दक्षिण अमेरिका की महत्त्वपूर्ण नदियाँ एवं उनकी विशेषताएँ	
नदी	**विशेषताएँ**
अमेज़न	• उद्गम स्थान: एंडीज पर्वत, पेरू • मुहाना: अटलांटिक महासागर • इसके मुहाने को विषुवत् रेखा काटती है। • यह अपवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। • इसका बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न है। यहाँ पाए जाने वाले विषुवतरेखीय वनों को 'सेल्वास' कहते हैं। • 'मडीरा' इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। वहीं, निग्रो और अमेज़न नदियों के संगम पर 'मानोस' शहर अवस्थित है। यह शहर रबर संग्रहण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है।
मैग्डलेना	• उद्गम स्थान: एंडीज पर्वत, कोलंबिया • मुहाना: कैरीबियन सागर • यह कोलंबिया की महत्त्वपूर्ण नदी है। • यह एंडीज पर्वत के कॉर्डीलेरा ऑक्सीडेंटल व कॉर्डीलेरा ओरिएण्टल के मध्य निर्मित भ्रंश से होकर गुजरती है। • इसके मुहाने पर खनिज तेल का विशाल भण्डार है।
साओ- फ्राँसिस्को	• उद्गम स्थान: ब्रांजीलियन उच्चभूमि • मुहाना: अटलांटिक महासागर • यह ब्राज़ील की एक महत्त्वपूर्ण नदी है।
ओरिनिको	• उद्गम स्थान: एंडीज़ पर्वत • मुहाना: अटलांटिक महासागर • यह कोलंबिया व वेनेजुएला की महत्त्वपूर्ण नदी है। • सहायक नदी: कैरोनी
पराना	• उद्गम स्थान: ब्राज़ीलियन उच्चभूमि • मुहाना: अटलांटिक महासागर के रियो-डी-ला-प्लाटा ज्वारनदमुख में । • यह दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। • इस नदी के किनारे अर्जेंटीना का 'रोज़ारियो' शहर अवस्थित है। • पराना नदी पर ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत 'इतेपु' बांध निर्मित किया गया है जो ब्राज़ील के 'इतेपु' नामक स्थान पर स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े बांधो में से एक है। • सहायक नदी: पराग्वे
पराग्वे	• यह ब्राज़ील, पराग्वे व अर्जेंटीना से होकर गुज़रती है। • इसके तट पर पराग्वे देश की राजधानी 'असुंशियन' स्थित है।

कोलोराडो	• उद्गम स्थान: एंडीज़ पर्वत • मुहाना: बाहिया ब्लांका की खाड़ी(अटलांटिक महासागर) • अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है।
नेग्रो	• उद्गम स्थान: एंडीज़ पर्वत • मुहाना: सैन मैटिआस की खाड़ी(अटलांटिक महासागर)

प्रमुख झील, मरुस्थल व उच्चभूमियाँ		
	नाम	**विशेषताएँ**
झील	टिटिकाका	• बोलीविया व पेरू के मध्य अवस्थित इस झील के तट पर बोलीविया की राजधानी 'ला-पाज़' स्थित है । • यह विश्व की सबसे ऊँची नौगम्य झील है।
	मराकैबो	• दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। • यह वेनेजुएला के उत्तर में स्थित तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है।
	पोपो झील	• अंतरापर्वतीय पठार पर स्थित झील है • यह बोलीविया में स्थित है।
मरुस्थल	अटाकामा	• उत्तरी चिली व दक्षिण पेरू में स्थित यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। • यह क्षेत्र नाइट्रेट, ताँबा व सल्फर के लिये प्रसिद्ध है। • यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है।
	पेटागोनिया	• यह एंडीज़ पर्वत के दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित शीतोष्ण मरुस्थल है। • यहाँ पशुपालन हेतु अनुकूल दशाएँ पाई जाती है।
उच्चभूमि	गुयाना उच्चभूमि	• इसका विस्तार वेनेजुएला से लेकर पूर्व में फ्रेंच गुयाना और दक्षिण में ब्राज़ील तक है। • ओरिनिको नदी का संबंध इसी उच्चभूमि से है। • इसी उच्चभूमि पर एंजेल जलप्रपात स्थित है।
	ब्राज़ीलियन उच्चभूमि	• यह लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से प्रसिद्ध है। • यहाँ 'इताबिरा' लौह अयस्क उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है। • यह उच्चभूमि 'कॉफी' की कृषि हेतु महत्त्वपूर्ण है।
	बोलीविया उच्चभूमि	• यह टिन के भंडार व उत्पादन हेतु महत्त्वपूर्ण है। • इस पर टिटिकाका झील व बोलीविया की राजधानी ला-पाज़ स्थित है।

प्रमुख खाड़ियाँ , प्रायद्वीप एवं जलसंधियाँ	
नाम	**अवस्थिति**
सैंन जॉर्ज की खाड़ी	• अर्जेंटीना के पूर्व (अटलांटिक महासागर) में अवस्थिति।
सैंन मैंटिआस की खाड़ी	• वाल्देस प्रायद्वीप के उत्तर में अटलांटिक महासागर में अवस्थिति।
गुयाक्विल की खाड़ी	• इक्वाडोर के पश्चिम, प्रशांत महासागर में अवस्थित।
पेनास की खाड़ी	• दक्षिणी चिली (प्रशांत महासागर) में अवस्थित ।
वाल्देस प्रायद्वीप (अर्जेंटीना)	• अर्जेंटीना के इस प्रायद्वीप के उत्तर में सैंन मैंटिआस खाड़ी स्थित है और यह अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है।
ताइताव प्रायद्वीप	• पेनास की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर से घिरा हुआ दक्षिणी चिली में अवस्थित ।
मैंगलन जलसंधि	• दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग को टियरा-डेल-फ्यूगो से अलग करती है।
ड्रेक पैंसेज	• यह जलसंधि दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका को अलग करती है एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है

- **पर्वत (Mountains) एवं पठार**

विश्व के प्रमुख पर्वत - शिखर

क्र.सं.	नाम	देश	ऊंचाई(मीटर में)
1.	एवरेस्ट	नेपाल	8,848
2.	के -2(गॉडविन ऑस्टिन)	भारत	8,611
3.	कंचनजंगा	नेपाल -भारत	8,598
4.	लहोत्से	नेपाल	8,501
5.	मकालू	नेपाल-चीन	8,475
6.	धौलागिरी	नेपाल	8,172
7.	नंगा पर्वत	भारत	8,126
8.	अन्नपूर्णा	नेपाल	8,078

9.	गाशेर ब्रुम	भारत(पाक अधिकृत)	8,068
10.	गोशेननाथ	चीन	8,013
11.	नंदादेवी	भारत	7,817
12.	राकापोशी	भारत(पाक अधिकृत)	7,788
13.	कामेट	भारत- चीन	7,756
14.	नाम्चावर्ग	चीन	7,756
15.	गुर्लामान्धाता	चीन	7,728

3. **पठार (Plateau) :**

विश्व के प्रमुख पठार –

क्र.सं. नाम स्थिति विशेषताएँ

1. ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड द्वीप का पठार (अटलांटिक महासागरके उत्तर) 21,75,600 वर्ग किमी तक विस्तृत
2. अलास्का का पठार अलास्का (सं० रा० अमेरिका (यूकॉन का रा० अमेरिका) 900से1200 मी तक ऊँचा
3. कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका (ओरेगान, वाशिंगटन तथा इडाहो राज्य) 4,62,500 वर्ग किमी तक विस्तृत
4. ग्रेट बेसिन का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका (ओरेगान, नेवादा,ऊटा वर्ग किमी इडाहो राज्य) 5,25,000 तक विस्तृत
5. कोलोरेडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका(ऊटा एवं एरीजोना राज्य) 1500 से 3000 मी. ऊँचा
6. मेक्सिको का पठार मेक्सिको
7. चियापास का पठार दक्षिणी मेक्सिको
8. ब्राजील का पठार ब्राजील
9. बोलीविया का पठार पर्वतीय राज्य बोलिविया 800 किमी लंबा, 120 किमी चौड़ा
10. मेसेता का पठार स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप 610 मीटर औसत ऊँचाई
11. तिब्बत का पठार मध्य एशिया 4000 से मी० तक ऊँचा
12. मंगोलिया का पठार उत्तरी मध्य चीन तथा मंगोलिया
13. यूनान का पठार म्यांमार का शान प्रदेश (इंडोचाइना का पठार) चीन एवं एवं वियतनाम
14. ईरान का पठार ईरान (एशिया माइनर का पठार) 900 से 1500 मी औसत ऊंचाई
15. अरब का पठार दक्षिण-पश्चिम एशिया
16. टर्की का पठार टर्की (अनातोलिया का पठार)
17. दक्षिण का पठार दक्षिण भारत (प्रायद्वीप भारतीय पठार) (केंद्रीय भारत को छोड़कर) 1200 मी से ऊँचाई
18. एबीसीनिया का पूर्वी पठार पूर्वी अफ्रीका इथियोपिया एवं इथियोपिया का पठार सोमालिया में विस्तृत)
19. दक्षिण अफ्रीका का पठार दक्षिण अफ्रीका का केप प्रांत नेटाल वसूतोलैंड 1000 से औसत

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

20.मालगासी का पठार संपूर्ण मेडागास्कर (मेडागास्कर का द्वीप का मध्यवर्ती भाग 1500मी० ऊँचाई

21. ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का लगभग आधा 1200 मी. तक ऊँचा

- **विश्व के प्रमुख महासागर और सागर**

नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)	प्रतिशत
I.महासागर Oceans		
1. प्रशांत महासागर	1,65,246,200	45.77
2. अटलांटिक महासागर	82,441,500	22.83
3. हिन्द महासागर	73,442,700	20.34
4. आर्कटिक महासागर	14,090,100	3.9
	योग 3,35,220,500	**92.85**
II . अन्तर-महाद्वीपीय सागर inter-continental seas		
1. मालय सागर	8,143,100	2.26
2. मध्य अमेरिकन सागर	4,319,500	1.21
3. भू-मध्य सागर	2,965,900	0.82
	योग. 15,428,500	**4.29**
III. छोटे बंद सागर Smaller Enclosed Seas		
1. हडसन सागर	1,232,300	0.34
2. लाल सागर	437,900	0.12
3. बाल्टिक सागर	422,300	0.12
4. परसियन खाड़ी	238,800	0.06
	योग. 2,331,300	**0.64**
IV. तटीय समुद्र Fringing Seas		
1. बेरिंग सागर	2,268,200	0.62
2. ओखोटस्ट सागर	1,527,600	0.42
3, पूर्व चीन सागर	1,249,200	0.34
4, जापान सागर	1,007,700	0.28
5. अण्डमान सागर	79,600	0.22
6. उत्तरी सागर	575,300	0.17
7. लेयूरेन्टीयन सागर	237,800	0.06
8. इंग्लिश चैनल और आयरिश सागर	178,500	0.05
9. बेस सागर	74,800	0.02
	योग 8,078,900	**2.22**
	कुल योग 3,61,059,200	**100.00**

इतिहास

प्राचीन भारत का इतिहास

अध्याय – 1
सिन्धु घाटी सभ्यता

- यह दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी ।
- इस सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया ।
- सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी।
- सिन्धु घाटी सभ्यता को अन्य नामों से भी जानतें हैं ।
- सैंधव सभ्यता- जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया
- सिन्धु सभ्यता - मार्टियर व्हीलर के द्वारा कहा गया ।
- वृहतर सिन्धु सभ्यता – ए. आर-मुगल के द्वारा कहा।
- सरस्वती सभ्यता भी कहा गया ।
- मेलूहा सभ्यता भी कहा गया ।
- कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा गया ।
- यह सभ्यता मिश्र एवं मेंसोपोटामिया सभ्यताओं के समकालीन थी।
- इस सभ्यता का सर्वाधिक फैलाव घग्घर हाकरा नदी के किनारे है। अतः इसे सिन्धु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं ।
- 1902 में लार्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनाया।
- जॉन मार्शल को हड़प्पा व मोहनजोदड़ों की खुदाई का प्रभार सौंपा गया।
- 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की।
- 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ों की खोज की।
- हड़प्पा नामक पुरास्थल सिन्धु घाटी सभ्यता से सम्बद्ध हैं ।
- 20 सित० 1924 को जॉन मार्शल ने द इलस्ट्रेटेड लन्दन न्यूज' के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की घोषणा की।

सिन्धु सभ्यता की प्रजातियां –

- प्रोटो-आस्ट्रेलायड - सबसे पहले आयी
- भूमध्यसागरीय - मोहनजोदड़ो की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक
- मंगोलियन – मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति इसी प्रजाति की है ।
- अल्पाइन प्रजाति ।

सिन्धु सभ्यता की तिथि

- कार्बन 14 (C^{14}) - 2500 से 1750 ई.पू.
- ह्विलेर - 2500-1700 ई.पू.
- मार्शल - 3250-2750 ई.पू.

इस सभ्यता का विस्तार

- इस सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान और भारत में ही मिलता है।

पाकिस्तान में सिन्धु सभ्यता के स्थल

- सुत्कांगेडोर
- सोत्काकोह
- बालाकोट
- डाबर कोट

सुत्कांगेडोर- इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है जो दाश्क नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज आरेल स्टाइन ने की थी।

- सुत्कांगेडोर को हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहते हैं ।

भारत में सिन्धु सभ्यता के स्थल,

- **हरियाणा**- राखीगढ़ी, सिसवल कुणाल, बणावली, मितायल, बालू
- **पंजाब** – कोटलानिहंग खान चक्र 86 बाड़ा, संघोल, टेर माजरा
  रोपड़ (रूपनगर) - स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया पहला स्थल
- **कश्मीर** - माण्डा
  चिनाब नदी के किनारे
  सभ्यता का उत्तरी स्थल
- **राजस्थान** - कालीबंगा, बालाथल
  तरखान वाला डेरा
- **उत्तर प्रदेश**- आलमगीरपुर
  सभ्यता का पूर्वी स्थल
  - माण्डी
  - बड़गाँव
  - हलास
- सनौली
- **गुजरात**
  धोलावीरा, सुरकोटड़ा, देसलपुर रंगपुर, लोथल, रोजदिख्वी,तेलोद,नगवाड़ा,कुन्तासी,शिकारपुर, नागेश्वर ,मेंघम प्रभासपाटन भोगन्नार

- **महाराष्ट्र**- दैमाबाद
  सभ्यता की दक्षिणतम सीमा
  फैलाव- त्रिभुजाकार
  क्षेत्रफल- 1299600 वर्ग किलों मीटर

प्रमुख स्थल एवं विशेषताएँ

- **हड़प्पा**
  रावी नदी के किनारे पर स्थित है ।
  दयाराम साहनी ने खोजा । खोज- वर्ष 1921 में
  उत्खनन-
- 1921-24 व 1924-25 में दयाराम साहनी द्वारा ।
- 1926-27 से 1933-34 तक माधव स्वरूप वत्स द्वारा
- 1946 में मार्टीमर व्हीलर द्वारा
- इसे 'तोरण द्वार का नगर तथा 'अर्द्ध औद्योगिक नगर' कहा जाता है।
- पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। इन दोनों के बीच की दूरी 640 km.
- 1826 में चार्ल्स मैसन् ने यहाँ के एक टीले का उल्लेख किया, बाद में उसका नाम व्हीलर ने MOUND-AB दिया।
- हड़प्पा के अन्य टीले का नाम MOUND-F है ।
- हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान को R-37 नाम दिया ।
- भारत में चाँदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं ।
- यहाँ से प्राप्त समाधि को HR नाम दिया
- हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीन निवास गृह चबूतरा, अन्नागार तथा ताम्बे की मानव आकृति महत्त्वपूर्ण हैं ।

मोहनजोदड़ो

- सिन्धु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खोज सन् 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। उत्खनन - राखलदास बनर्जी (1922-27)
  - मार्शल
  - जे.एच. मैके
  - जे.एफ. डेल्स
- मोहनजोदड़ो का नगर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर निर्मित था।
- मोहनजोदड़ो सिन्धी भाषा का शब्द, अर्थ- मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को स्तूपों का शहर भी कहा जाता है।
- बताया जाता है कि यह शहर बाढ़ के कारण सात बार उजड़ा एवं बसा।
- यहाँ से यूनीकॉर्न प्रतीक वाले चाँदी के दो सिक्के मिले हैं ।
- वस्त्र निर्माण का प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिलता है। कपास के प्रमाण - मेंहरगढ़
- सुमेरियन नाव वाली मुहर यहाँ से मिली है।
- मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत संरचना यहाँ से प्राप्त अन्नागार है। (राजकीय भण्डारागार)
- यहाँ से एक 20 खम्भों वाला सभा भवन मिला है। मैंके ने इसे 'बाजार' कहा है।
- बहुमंजिली इमारतों के साक्ष्य, पुरोहित आवास, पुरोहितों का विद्यालय, पुरोहित राजा की मूर्ति, कुम्भकारों की बस्ती के प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं ।
- मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है ।
- मूर्ति पूजा का आरम्भ पूर्व आर्य काल से माना जाता है ।
- बड़ी संख्या में कुओं की प्राप्ति ।
- 8 कक्षों वाला विशाल स्नानागार भी यहीं से प्राप्त हुआ है ।

कालीबंगा-

- कालीबंगा की खोज अमलानन्द घोष द्वारा गंगानगर में की गयी थी ।
- सरस्वती नदी (वर्तमान घग्घर के तट पर)
- कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ में है ।
- उत्खनन - बी.बी लाल, वी. के. थापड़ 1953 में
  कालीबंगा - काले रंग की चुड़ियाँ
- कालीबंगा - सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी
- कालीबंगा से एक साथ दो फसलों की बुवाई तथा जालीदार जुताई के साक्ष्य मिले ।
- कालीबंगा से प्राप्त दुर्ग दो भागों में बंटा हुआ- द्विभागीकरण
- सड़को को पक्का बनाने का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है ।
- युग्म शवाधान का साक्ष्य शवों का अन्तिम संस्कार की तीनों विधियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त ।
- मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींगयुक्त देवता की मुहर कालीबंगन से प्राप्त हुई है ।
- भूकम्प आने के प्राचीनतम प्रमाण
- वृषभ की ताम्रमूर्ति भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है ।
- यहाँ से प्राप्त लेखयुक्त बर्तन से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी।
- लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी ।

चन्हूदड़ो -

- खोज एन. जी. मजूमदार
- उत्खनन मैके ने किया ।
- सिन्धु सभ्यता का यह औद्योगिक शहर था ।
- यहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार-माप के बटखड़े बनाने का काम होता था।
- सिन्धु संस्कृति के बाद विकसित झूकर- झांगर संस्कृति के अवशेष यहाँ से ही मिले।

लोथल

- खोज एस. आर. राव (रंग नाथ राव)1954 में की थी
- लघु हड़प्पा
- लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी गई है । और लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है ।
- बन्दरगाह या जल भण्डार या गोदीबाड़ा यहाँ की सबसे महत्त्वपूर्ण खोज है।
- लोथल का बन्दरगाह ही सिन्धु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचना है।
- लोथल से वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार आग्निवेदी पाई गई हैं ।
- लोथल का मिश्र एवं मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार होता था।
- भारत में उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभाण्ड द्वितीय नगरीकरण के प्रारम्भ के प्रतीक माने जाते हैं ।

धौलावीरा

- खोज जे.पी. जोशी द्वारा-(1967-68)में मनहर एवं मानसेहरा नदियों के बीच कादिर द्वीप पर की खोज की ।
- धौलावीरा एक आयताकार नगर था । जो तीन भागों में विभक्त था।
- धौलावीरा से जल-प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुये हैं ।
- भारत के विशालतम सिन्धु सभ्यता स्थल धौलावीरा तथा राखीगढ़ी है।
- धौलावीरा से घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं ।
- सिन्धु सभ्यता का यह औद्योगिक शहर था ।

रोजदी

- रोजदी से हाथी के अवशेष मिले हैं ।
- यहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार-माप के बटखड़े बनाने का काम होता था।
- सिन्धु संस्कृति के बाद विकसित झूकर- झांगर संस्कृति के अवशेष यहाँ से ही मिले।

सुरकोटड़ा

- सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं।
- मिट्टी से बनी घोड़े की आकृति- मोहनजोदड़ों
- घोड़े की हड्डियां- सुरकोटड़ा
- तीन मृण मूर्तियां - लोथल

बनावली

- बनावली रंगोई नामक नदी के तट पर स्थित है ।
- यहाँ से मिट्टी का हल, बटखरा तथा बहुत सारे घरों में अग्निकुण्ड के साक्ष्य मिले।

रोपड़

- रोपड़ सतलज नदी के बायें तट पर स्थित था।
- आधुनिक नाम रूपनगर
- स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सैंधव सभ्यता का उत्खनित स्थल (भारत का)
- खोज-बी.बी लाल 1950
  उत्खनन- यज्ञ दत्त शर्मा 1953-56
- रोपड़ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है।

राखीगढ़ी

- भारत में स्थित सबसे बड़ा सिन्धु सभ्यता स्थल

मांडा - उ.प्र.

- 7 नवीनतम उत्खनित स्थल ।
- टकसाल गृह का साक्ष्य ।
  घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं।

अल्लाहदीनो

- यह बिना सुरक्षा दीवार से घिरा हड़प्पा का एक गाँव है।

कुन्तासी

- भारत में प्राप्त विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती।

बालाकोट

- बालाकोट सीप की बनी चूड़ियों के निर्यात का प्रमुख बन्दरगाह था ।
- सीप उद्योग समृद्ध अवस्था में था ।
- बालाकोट से सेलखड़ी से बनी मुहरें मिली हैं।

सुतकांगेडोर

- सिन्धु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था ।
- खोज ऑरेल स्टाइन ने 1927 में की थी ।
- यह एक बन्दरगाह था जो समुन्द्री व्यापार के लिए काम आता था।

सिन्धु-सभ्यता के प्रमुख बन्दरगाह -

लोथल	-	साबरमती + भोगवा
प्रभासपाटन	-	हिरण्य नदी
मेंघम	-	नर्मदा
भगतराव	-	किम
सुत्कांगेडोर	-	दाश्क
सुरकोटदा	-	शादी कौर

अध्याय -2
वैदिक काल

- **वैदिक काल**

वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है -

ऋग्वैदिक काल उत्तरवैदिक काल
[1500 – 1000 ई.पू] [1000 - 600 ई.पू]

- वेदों की संख्या चार है
- ऋग्वेद
- यजुर्वेद
- सामवेद
- अथर्ववेद

त्रयी नाम तीनों वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है।
आरम्भिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है।

ऋग्वेद-

- आर्य जाति की प्राचीनतम रचना
- रचना पंजाब में
- इसमें 10 भाग (मण्डल) है। 1028 सूक्त, 10580 श्लोक हैं।
- ऋग्वेद मन्त्रों का एक संकलन है जिन्हे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है।
- होर्त- ऋग्वेद के मंत्र पढ़ने वाला
- ऋचा-ऋग्वेद के मंत्र
- ऋग्वेद का पहला और दसवाँ मण्डल
सबसे नवीनतम है (बाद में जोड़े गये)
- तीसरे मण्डल में देवी सूक्त' मिलता है।
- इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सावित्री को समर्पित है।
- आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है।
- तीसरे मण्डल की रचना विश्वामित्र ने की।
- सातवें मण्डल में दशराज्ञ युद्ध का विवरण मिलता है। यह युद्ध परुषणी यह (रावी) नदी के तट पर सुदास एवं दस जनों के बीच लड़ा गया था। जिसमें सुदास विजय हुआ।
- ऋग्वेद में नौवाँ मण्डल पूर्णरूप से सोम देवता को समर्पित है।
- पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है।

दशराज्ञयुद

- रावी नदी (परुषणी नदी)के तट पर लड़ा गया।
त्रित्सु वंश vs दस जन
- भरत वंश (त्रित्सु वंश) के सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया।
- विश्वामित्र ने दस राजाओं का संघ बना लिया (प्रतिशोध) युद्ध किया।
- ऋग्वेद में 1028 सूक्त है।

↓
1017+ 11 (परिशिष्ट) 1028
सूक्त

सामवेद

- साम का मतलब संगीत या गान होता है।
- यज्ञों के अवसर पर गाये जाने वाले मन्त्रों का संग्रह
- संगीत का प्राचीनतम स्त्रोत: भारतीय संगीत का जनक सामवेद को मान जाता है।
- मंत्र सूर्य देवता को समर्पित
- **उद्गाता** - मन्त्रों को गाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है।

यजुर्वेद

- यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन
- यह एक ऐसा वेद ह जो [गद्य और पद्य दोनों में] है।
- अन्य तीनों वेद पद्य में है।
- इसे गति या कर्म का वेद भी कहा जाता है।
- अध्वर्य- मंत्र पढ़ने वाले को अध्वर्य कहते हैं।
- शून्य का उल्लेख मिलता है।
- इसमें बलिदान विधि का वर्णन है।

अथर्ववेद

- इसे ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है।
- अथर्वा ऋषि द्वारा रचित ज्ञान ही अथर्ववेद है। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य है।
- अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है।
- इसमें जादू, टोने-टोटके, अंधविश्वास व चिकित्सा का उल्लेख मिलता है।
- इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है।

ब्राह्मण साहित्य

- ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गये हैं।
- ये मुख्यतः दार्शनिक ग्रन्थ हैं।

ऋग्वेद - ऐतरेय ब्राह्मण
कोषीतकी
यजुर्वेद- शतपथ ब्राह्मण
तेतरेय ब्राह्मण
सामवेद- पंचवीश ब्राह्मण

षडवींश ब्राह्मण
जैमिनीय ब्राह्मण

अथर्ववेद- गोपथ ब्राह्मण

आरण्यक साहित्य

- रहस्यात्मक एवं दार्शनिक रूप में वनों (जंगलों) में लिखे गये।

उपनिषद्

- भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है।
- भारतीय दर्शन का स्त्रोत अथवा पिता
- उपनिषदों की कुल संख्या 108
- सत्यमेव जयते मुण्डकोपनिषद से लिया गया है।
- मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा वैदिक साहित्य में उपनिषद् से की गई है ।
- असतो मा सद्गमय वाक्यांश बृहदारण्यकोपनिशद से लिया गया है ।

वेदांग

वेदों को भली-भांति समझने के लिए छः वेदांगो की रचना की गई ।

1. शिक्षा
2. ज्योतिष
3. कल्प वेदों के शुद्ध उच्चारण में सहायक
4. व्याकरण
5. निरुक्त
6. छन्द

पुराण

- ऋषि लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा ने संकलित किया ।
- इनकी संख्या 18 है।
- मत्स्य पुराण- सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक
- विष्णु पुराण – मौर्य वंश का उल्लेख
- वायु पुराण - गुप्त वंश का उल्लेख

सूत्र साहित्य

वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन ।

स्मृति

- ये न्याय ग्रन्थ तथा समाज के संचालन से सम्बन्धित है।

मनुस्मृति

- शुंगकाल के दौरान लिखित
- प्राचीनतम स्मृति

वैदिक काल

ऋग्वैदिक काल	उत्तरवैदिक काल
(1500-1000 ई.पू)	(1000-600 ई.पू)

ऋग्वैदिक काल

ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता का विस्तार 1500 ई.पू. से 1000 ई. पू. तक माना जाता है।

आर्यो का भौगोलिक विस्तार

- आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे ।
  - इस प्रदेश में बहने वाली सात नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।

1. सिन्धु
2. सरस्वती
3. शतुद्रि सतलज
4. विपाशा (व्यास)
5. परुष्णी (रावी)
6. वितस्ता (झेलम)
7. अस्किनी (चिनाब)

- ऋग्वेद में कुछ अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है।
- ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सिन्धु नदी का उल्लेख मिलता है।
- सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। देवीतमा, मातेतमा, नदीतमा
- मुजवन्त नामक पहाड़ी चोटी का उल्लेख जो कि हिमालय है।
- वैदिक काल में लम्बे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू खा जाता है ।
- आर्यों ने अगले पड़ाव के रूप में कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मवर्त (आर्यावृत्त) रखा ।

  आर्य निम्नलिखित कारणों से विजय होते थे
  - घोड़े चालित रथ
  - कांसे के उपकरण
  - कवच
- दास और दस्यु आर्यों के शत्रु थे।
- वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चिनाब नदी के रूप में की गई है ।

राजनीतिक जीवन

- आर्यो का जीवन यायावर जीवन था।
- आर्य कई जनों में विभक्त थे । इनमें पांच जनों के नाम मिलते हैं - अनु, द्रुह, यदु, पुरु, तुर्वस (पंचजन)
- आर्यों के कुल जन 24 थे ।

- राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था।
- परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था जिसे कुलप कहा जाता था।
- कई कुलो से मिलकर ग्राम बनता था।
- ग्राम का मुखिया ग्रामीणी
- ग्रामणी संभवतः नागरिक तथा सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्य करता था।
- ग्राम से बड़ी संस्था विश होती थी।
- विश का स्वामी विशपति
- अनेक विशों का समूह जन होता था।
- जन का मुखिया राजा गोपागोपस्या जनपति कहलाता था।
- कुलग्राम विशजन कुलप ग्रामणी विशपति गोपस्थ
- ऋग्वेद काल में राजतन्त्र का प्रचलन था ।
- राजा को जन का रक्षक -गोप्ता जनस्य दुर्गों का भेदन करने वाला-पुरानेता कहा गया है।
- दसवें मण्डल में गणतन्त्रतात्मक समिति का उल्लेख हैं ।
- बलि शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है।
- एक व्यक्ति के जान की कीमत 10 गायें थी जिसे शतदाय कहा जाता था।
- महिलाओं को राजनीतिक एवं सम्पति संबधाधिकार प्राप्त नहीं था।
- पण, धन, राई- युद्ध में जीते हुए धन के नाम थे ।
- छोटे राजाओं को राजक, उससे बड़े को राजन तथा सबसे बड़े को सम्राट कहा जाता है।

प्रशासनिक संस्थाएँ

- सभा, समिति, विदथ, गण
- सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है।
- सभा एवं समिति राजा की निरकुंशता पर नियन्त्रण रखती थी।
- सभा वृद्ध अथवा कुलीन मनुष्यों की संस्था थी ।
- सभा का अध्यक्ष- सभ्य
- सभा के सदस्य - सुजान
- समिति सर्वसाधारण लोगों की संस्था होती थी
- समिति का अध्यक्ष- ईशान
- समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना होता था।
- ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार तथा समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है।
- पुरोहित युद्द के समय राजा के साथ जाता था तथा उसकी विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था।
- सेनानी राजा के आदेशानुसार युद्ध में कार्य करता था।

सामाजिक जीवन

- पितृसतात्मक परिवार (संयुक्त) समाज का आधार होता था ।
- समाज तीन वर्णों में विभक्त- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य
- वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित, व्यक्ति वर्ण बदल सकता था।
- ऋग्वेद के 9 वें मण्डल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मैंरे पिता वैंध है तथा मेंरी मां अन्न पीसने वाली हैं।
- महिलाओं को विदाई के समय जो धन उपहार दिया जाता था । उसे वहतु कहा जाता था।
- महिलाओं ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रो की रचना भी की।
- विदुषी महिलाएँ-
  शची, पौलोमी, कांक्षावृत्ति, घौशा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, विशपला, मुद्गलानी
- लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी।
- आर्य मांसाहारी तथा साकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे।
- गाय विनिमय का माध्यम अध्या शब्द का प्रयोग (गाय के लिए) हुआ है ।

आर्थिक जीवन

- संस्कृति ग्रामीण
- घोड़ा प्रिय पशु था ।
  दधिका- एक देवी अश्व
- कृषि योग्य भूमि उर्वरा अथवा क्षेत्र कहलाती थी।
- सीता या कुण्ड हल से जुती भूमि को कहा जाट था ।
- करीब, गोबर की खाद
- व्यापार-वाणिज्य प्रधानतः पणि वर्ग के लोग करते थे।
- पणि का अर्थ व्यापारी
- निष्क- विनिमय का माध्यम
  निष्क पहले आभूषण था तथा बाद में सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाने लगा।
- कुलाल - मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता था।

धर्म और धार्मिक विश्वासन्

- आर्यो का सबसे प्राचीन देवता घौंस था ।
- घौंस आर्यो के पिता
- ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्त्वपूर्ण देवता इन्द्र था।

- ऋग्वेद में $\frac{1}{4}$ या 250 सूक्त इन्द्र को समर्पित
- इन्द्र युद्ध का देवता था।

<u>उत्तर वैदिक काल</u>

- इस काल का समय 1000 ई.पू. से 600 ई.पू. तक माना जाता है।
- इस काल का इतिहास ऋग्वेद के आधार पर विकसित साहित्यों से पता चलता है।
  ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद
- अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है।
- राज्य के उच्च अधिकारी रत्नी होते थे ।
- विभाग के अध्यक्ष
  सेनानी - सेनापति ।
  सूत - रथसेना का नायक
  ग्रामणी- गाँव का मुखिया संग्रहीता – कोषाध्यक्ष
  भागधुक – अर्थमंत्री
- शतपति संभवत 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी होता था।
- श्रष्टिन- प्रधान व्यापारी
- माप की इकाईयां
  निस्ष्क, शतमान, पाद, कृष्णल
  बाट की मूल इकाई
- समाज चार वर्गों में विभक्त था ।
  ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र

उत्तर वैदिक काल:-

- इस काल में तीनों वेदों सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और वेदांगो की रचना हुई| ये सभी ग्रंथ उतर वैदिक काल के साहित्यिक स्त्रोत माने जाते है।
- लोहे के प्रयोग ने सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में क्रांति पैदा फर दी।
- यज्ञ-विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है।
- राजसूय यज्ञ का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ | यह राज्याभिषेक से संबंधित था | इस यज्ञ के दौरान राजा रानियों के घर जाता था।
- अश्वमेध यज्ञ शक्ति का द्योतक था।
- उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्त्वपूर्ण देवता हो गए|
- उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई|
- पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार व्रहदारण्यक उपनिषद में आई है।
- उत्तर वैदिक ग्रंथ छान्दोग्य उपनिषद से तीन आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ) का उल्लेख मिलता है।
- उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि हो गई |
- उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था।
- गोत्र प्रथा एवं गोत्र विवाह उत्तर वैदिक सभ्यता की ही देन है गोत्र शब्द का संबंध गाय से है।
- शतमान और निष्क उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएँ थी।
- भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है।
- प्रथम बार पक्की ईटों का प्रयोग इस काल में कोशाम्बी नगर से मिलता है |
- यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है ।
- ऋगवेद में इन्द्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गयी है ।
- सबसे प्राचीन वेद ऋगवेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है ।
- शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है ।
- स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी सहिंता से प्राप्त होती है
- जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है ।
- सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है ।
- पुराणों में मत्स्यपुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है ।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक द्रष्टि से अग्निपुराण का काफी महत्व है जिसमें राजतन्त्र के साथ - साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है ।

अध्याय - 3
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म,

- **बौद्ध धर्म**

उदय के कारण

- छठी ई.पू. में वैदिक संस्कृति कर्मकाण्डों व आडम्बरों से ग्रसित हो गई।
- मध्य गंगा घाटी में इसी समय 62 सम्प्रदायों का उदय हुआ । उनमें जैन और बौद्ध सम्प्रदाय प्रमुख थी ।

बौद्ध धर्म

- बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे । सिद्धार्थ-बचपन का नाम - सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्म लेने वाला ।
- जन्म 563 ई.पू. -कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था । (नेपाल)
- कुल- शाक्य (क्षत्रिय कुल)
- बुद्ध की माता – महामाया थी । उनकि मृत्यु के बाद पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था ।
- पिता – शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे।
- बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्धचरित के रचनाकार अश्वघोष हैं ।
- 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह- यशोधरा से हुआ इनके पुत्र का नाम राहुल था।

महाभिनिष्क्रमण

- 29 वर्ष की आयु में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था ।
- अनोमा नदी के तट पर सिर मुण्डन
- काषाय वस्त्र धारण किये ।
- प्रथम गुरु आलार कलाम थे ।
- सांख्य दर्शन के आचार्य
- बाद में उरुवेला (बोधगया) प्रस्थान
- यहाँ पांच साधक मिले ।
- इनमें कौण्डिय प्रमुख थे ।

ज्ञान प्राप्ति -

- 35 वर्ष की आयु में – बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई ।
- वैशाख पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी (पुनपुन) के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई ।
- इसी दिन से गौतम बुद्ध तथागत कहलाये तथा गौतम बुद्ध नाम भी यहीं से हुआ। वह स्थान बोधगया कहलाया । जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया।

धर्मचक्र प्रवर्तन-

- बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ (ऋषिपतनम) में दिया जिसे बौद्धग्रंथों में धर्मचक्रप्रवर्तन कहलाया ।
- बोधगया से सारनाथ आये
- प्रथम उपदेश दिया-5 ब्राहमण सन्यासियों को मागधी भाषा में ।
- गौतम बुद्ध का बौद्ध संघ में प्रवेश हुआ ।
- सर्वप्रथम अनुयायी – तपस्स जाट शुद्र कालिक
- प्रिय शिष्य- आनन्द

बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी - गौतमी (बुद्ध की मौसी)

अन्तिम उपदेश

- कुशीनारा में सुभच्छ को दिया
- हिरण्यवती नदी तट पर

महापरिनिर्वाण (मृत्यु)

- कुशीनारा में 483 ई.पू.
- 80 वर्ष की आयु में
- बुद्ध के अवशेष 8 भागों में डाले गये जहाँ स्तूप बनाये गये।

वैशाख पूर्णिमा का महत्व

- वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं ।
- गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति
- महापरिनिर्वाण - वैशाख पूर्णिमा को

अपवाद - महाभिनिष्क्रमण

- गौतम बुद्ध में 32 महापुरुषों के लक्षण बताये गये हैं।

बुद्ध के प्रमुख वचन

- जीवन कष्टों से भरा है।
- लिप्सा तृष्णा का ही दूसरा रूप है।

बौद्ध धर्म के त्रिरत्न

- बुद्ध , धम्म , संघ

बुद्ध के चार आर्य सत्य

1. दुःख
2. दुःख समुदाय
3. दुःख निरोध (निवारण)
4. प्रतिपदा

- इन्ही का कालान्तर में विस्तार होकर ये अष्टांगिक मार्ग कहलाये।

अष्टांगिक मार्ग

1. सम्यक दृष्टि

2. सम्यक संकल्प
3. सम्यक वाणी
4. सम्यक कर्मान्त
5. सम्यक आजीव
6. सम्यक व्यायाम
7. सम्यक स्मृति
8. सम्यक समाधि

- समाधि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति ।
- जीवन-मरण चक्र से मुक्ति

बुद्ध धर्म

- अनीश्वरवादी
- पुनर्जन्म में विश्वास
- अनात्मवादी धर्म

बौद्ध धर्म के प्रतीक

जन्म - कमल व साण्ड
गृहत्याग - घोड़ा
ज्ञान - पीपल (बोधि वृक्ष)
निर्वाण - पद-चिह्न
मृत्यु - स्तूप

- बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विस्तार कोशल राज्य में हुआ था ।
- बौद्ध धर्म के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिये गये ।
- बौद्ध धर्म के प्रचार केन्द्र - मगध

बौद्ध संगीतियां

1. प्रथम बौद्ध संगीति 483 ई.पू. संरक्षक - अजातशत्रु था । राजगृह में रचना रची गयी । इसका अध्यक्ष महाकश्यप था सुत्तपिटक विनयपिटक
(बुद्ध के उपदेश) (संघ के नियम)
2. द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ई.पू. वैशाली में हुई थी
संरक्षक - कालाशोक
अध्यक्ष – सबाकामी था
वैशाली में भिक्षुओं में मतभेद हो गया था ।
3. तृतीय बौद्ध संगीति 255 ई.पू. पाटलिपुत्र में रचना रची गयी
संरक्षक - अशोक
अध्यक्ष मोगालिपुत्र तिस्स
अभिधम्मपिटक
(बुद्ध के दार्शनिक विचार)
4. चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ई. कुण्डलवन (कश्मीर) में हुई थी इस संगीति का संरक्षक – कनिष्क ने किया था अध्यक्ष वसुमित्र /अश्वघोष था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था हीनयान व महायान ।
(कश्मीर) (सम्प्रदाय में बंटा)

- विहार - बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान
- चैत्य - पूजास्थल

बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रमुख शासक

- बिम्बिसार - बुद्ध का मित्र
- प्रसेनजीत
- उदायिन
- अशोक – महेन्द्र (पुत्र), संघमित्रा (पुत्री)
- बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका गये।

नालन्दा विश्वविद्यालय

- गुप्त शासक कुमारगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए स्थापित किया।
- बौद्ध धर्म का अध्ययन करने हेतु आये ।
- फाह्यान, ह्वेनसांग (चीनी यात्री) ।
- अजातशत्रु प्रारम्भ में जैनधर्म का अनुयायी था बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना ।

बौद्ध धर्म की प्रमुख महिला अनुयायी

- गौतमी
- नंदा
- मल्लिका
- खेमा
- विशाखा
- यशोधरा
- आम्रपाली
- सुप्रवासा

बौद्ध धर्म के प्रतीक महात्मा बुद्ध के प्रमुख आठ स्थान

- लुम्बिनी
- बोधगया
- सारनाथ
- कुशीनगर
- वैशाली
- राजगृह
- श्रावस्ती
- संकाश्य
- बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है । बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंभ करते हैं ।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- हीनयान का आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करतें हैं उन्हें ही अर्हत कहा जाता है।
- बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक (विनयपिटक, सुत्रपिटक, अभिधम्भपिटक से प्राप्त होता है। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है।
- पालि पिटक सबसे पुराना है।
- बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परम्परा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है।
- पालि त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देख-रेख में पहलीबार लिपिबद्ध किया गया।
- सूत्रपिटक के पांच निकाय हैं –दीर्घ, मज्झिम, संयुक्त, अगुंत्तर, खुद्दक,।
- बुद्ध के पूर्व जन्मो से जुड़ी जातक कथाएँ खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद (नैतिक उपदेशों का पधात्मक संकलन)थेरगाथा (बौद्ध भिक्षुओं का गीत)और थेरीगाथा (बौद्ध भिक्षुणियो की गीत)है।
- बौद्धधर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है।
- त्रष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है।
- विश्व दुखों से भरा है का सिद्धान्त बुद्ध ने उपनिषद से लिया।
- उपासक: गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया है।
- बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाले को उपसम्पदा कहा जाता था।
- सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी।
- भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी।

भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ

मठ	स्थान	राज्यकेन्द्र शासित प्रदेश
टाबो मठ	तबो गाँव (स्पीति घाटी)	हिमाचल प्रदेश
नामग्याल मठ	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश
हेमिस मठ	लद्दाख	जम्मू कश्मीर
थिकसे मठ	लद्दाख	जम्मू कश्मीर
शासुर मठ	लाहुल स्पीति	हिमाचल प्रदेश
मिनड्रालिंग मठ	देहरादून	उतराखंड
रुमटेक मठ	गंगटोक	सिक्किम
तवाँ ग मठ	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
नामड्रालिंग मठ	मैसूर	कर्नाटक
बोधिमडा मठ	बोधगया	बिहार

- **जैन धर्म**

- जैन शब्द का निर्माण जिन से हुआ है जिसका अर्थ होता हैं – विजेता
- संस्थापक – ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर
  कुल 24 तीर्थकर हुए
- 23वें- तीर्थकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे।
- जैन धर्म को व्यवस्थित रूप दिया।
  24वें-तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे।
- जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी।
- जन्म कुण्डग्राम (वैशाली)में हुआ था।
- महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था।
- पिता – सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे।
- माता – त्रिशला लिच्छवि राजा चेटक की बहन थी।
- अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है।
- जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय जीव की ओर नये कर्म का प्रवाह रुक जाना है।
- महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोज्जा प्रियदर्शनी था।
- गृहत्याग 30 वर्ष की आयु में
- 12 वर्षो की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्राम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के निचे तपस्या करते हुए सम्पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ।
- ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में
- उपदेश- अर्द्ध-माग्धी भाषा में दिया।
- प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था।
- प्रथम शिष्य - जमालि थे।
- शिष्या - चन्दना थी।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- मृत्यु पावापुरी बिहार में ।
- महावीर जी शिक्षा प्राकृत भाषा में देते थे ।

जैन धर्म के पंच महाव्रत

1. सत्य वचन
2. अस्तेय (चोरी मत करो)
3. अंहिसा
4. अपरिग्रह (धन संचय मत करो)
5. ब्रह्मचर्य

त्रिरत्न (मोक्ष प्राप्ति के साधन)

- सम्यक ज्ञान
- सम्य दर्शन
- सम्यक चरित्र
- जैनधर्म में पुनर्जन्म में विश्वास तथा कर्मवाद में विश्वास पर बल

संघ

- महावीर ने एक संघ की स्थापना की ।
- इस संघ के 11 अनुयायी बने जो गणधर कहलाये।
- 11 में से 10 महावीर की मृत्यु होने से पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके थे।

एक ही जीवित था - सुधर्मण

जैन संगीतियां (सभायें)

प्रथम- 300 ई.पू.

- पाटलिपुत्र में
- चन्द्रगुप्त मौर्य (संरक्षक)
- अध्यक्ष - स्थूलभद्र
- जैन धर्म दो भागों में विभाजित
- श्वेताम्बर - सफेद कपड़े वाले
- दिगम्बर - नग्न रहने वाले

द्वितीय - 512 ई.पू. /513/526 ई.पू.

- वल्लभी (गुजरात) में
- क्षमाश्रवण (अध्यक्ष)
- जैन ग्रन्थों का अन्तिम रूप से संकलन
- जैन धर्म का सबसे बड़ा केन्द्र चम्पानगरी
- चन्द्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जैन धर्म का विस्तार किया।
- चन्दना प्रथम जैन महिला भिक्षुणी थी ।
- हाथी गुम्फा अभिलेख (खारवेल) प्रारम्भिक जैन अवशेष
- महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था ।
- दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋगवेद में मिलता है । अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है ।
- जैन धर्म दो भागों में बटा हुआ है ।
- श्वेताम्बर एवं दिगम्बर
- श्वेताम्बर (श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूलभद्र के शिष्य कहलाये)
- दिगम्बर (नग्न रहने वाले भद्रबाहु के शिष्य कहलाये)
- जैनधर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है । जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है ।
- जैनधर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया ।
- स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है ।
- मैसूर के गंग वंश के मंत्री, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10 वी. शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति <u>गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण</u> किया गया <u>गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा</u> में है । <u>यह मूर्ति</u> 18 मी. ऊँची है एवं एक ही चट्टान को कटकर बनाई गई है ।
- खजुराहों में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया ।
- मोर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र था । मथुरा कला का संबंध जैनधर्म से था।
- जैनधर्म तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है ।
- 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु (निर्वाण)468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी (राजगीर)में हुई थी ।
- जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह सांड है ।
- पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है ।
- महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है ।
- स्यादवाद सप्तभंगी ज्ञान को कहते हैं ।
- जैन संघ को महासभा कहा जाता था ।
- जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रन्थ कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है ।
- जैनधर्म के अनुसार ज्ञान पांच प्रकार का होता है । मति , श्रुति , अवधि ,मन :पर्याय ,कैवल्य ।
- जैन धर्म के दो प्रकार के शीलव्रत हैं । (1)गुणव्रत (2) शिक्षाव्रत
- ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैनसंघ की स्थापना की थी ।
- जैन धर्म के सन् स्याद का अर्थ है , शायद है भी और नहीं भी

- स्यादवाद सप्तभंगी ज्ञान को कहते हैं।
- न्यायवाद का संबंध जैन धर्म से है।
- महावीर स्वामी के शिष्य मक्खलीपुत्र गोशाल ने आजीविक सम्प्रदाय की स्थापना की थी।
- रणथम्भौर के जैन मन्दिर का शिखर पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था।
- जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार व्यापारी वर्ग में हुआ।
- जैन धर्म के समर्थक राजाओं में उदायिन, बिम्बिसार, अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त मौर्य, बिन्दुसार, एवं खारवेल का उल्लेख मिलता है।
- स्थापत्य कला में जैनियों के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हाथिगुम्फा मन्दिर, (ओडिशा) दिलवाड़ा मन्दिर (माउन्ट आबू राजस्थान) गोमतेश्वर मन्दिर (कर्नाटक) पार्श्वनाथ मन्दिर (खजुराहो) आदि उल्लेखनीय है।

जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह

क्रम संख्या	तीर्थंकर	प्रतीक चिन्ह
1	ऋषभदेव	सांड
2	अजितनाथ	हाथी
3	संभवनाथ	घोड़ा
4	अभिनंदन	कणी
5	सुमतिनाथ	क्रौंच नाथ
6	पद्म प्रभू	कमल
7	सुपार्श्व नाथ	स्वास्तिक
8	चन्द्रप्रभ	चन्द्र
9	सुविधिनाथ	मकर
10	शीतलनाथ	श्रीवत्स
11	श्रेयांसनाथ	गेंडा
12	वासुपूज्य	भेंस
13	विमलनाथ	सुकर
14	अनंतनाथ	बाज
15	धर्मनाथ	वज्र
16	शांतिनाथ	हिरन
17	कुन्थुनाथ	बकरा
18	अरसनाथ	नन्धावर्त
19	मल्लिनाथ	पिचर कलश
20	मुनि सुव्रत	कच्छप
21	नेमीनाथ	नीलकमल
22	अरिष्टनेमी	शंख
23	पार्श्वनाथ	सर्प
24	महावीर स्वामी	सिंह

शैव धर्म

- भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव से सबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपसना का प्रारम्भिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषो से मिलता है।
- ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है।
- लिंगपूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्यपुराण में मिलता है।
- अथर्ववेद में शिव को भवशर्व पशुपति तथा भूपति कहा गया।
- एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मन्दिर का निर्माण राष्ट्रकुटों ने किया।
- चौल शासक राजेंद्र ने बृहदेस्वर शैव मन्दिर का निर्माण करवाया था।
- शैवों का सर्वाधिक प्राचीन सम्प्रदाय पाशुपत सम्प्रदाय है। पाशुपत सम्प्रदाय का विवरण महाभारत में मिलता है। इसके संस्थापक नकुलीश या लकुलीश थे। इसके अनुयायिओं को पंचाभिक कहा जाता था।
- श्वेताश्वतर एवं अथर्वशिरस उपनिशद में भगवान रुद्र की महानता का उल्लेख मिलता है।
- वामन पुराण में शैव सम्प्रदाय की संख्या चार बतायी गयी है। (1) पाशुपत (2) कापालिक (3) कालमुख (4) लिंगायत।
- कापालिक सम्प्रदाय के ईष्टदेव भैरव थे। इस सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र श्री शैल नामक स्थान था।
- कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नन्दी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है।
- शून्य सम्पादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है।

वैष्णव धर्म

- वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी उपनिषदों से मिलती है।
- वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे।
- विष्णु के दस अवतारों का उल्लेख मत्स्यपुराण में मिलता है।

अध्याय – 4
महाजनपद काल

- छठी शताब्दी ई.पू. में जनपद महाजनपद बने।
- मूल कारण-क्षेत्रियता की प्रवृत्ति
- भगवती सूत्र में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।
- महाजनपद दो प्रकार के थे ।

1. राजतन्त्रात्मक ।4
2. गणतन्त्रात्मक 2 (वज्जी,और मल्ल गणतंत्रात्मक राज्य थे)तथा और शेष सभी राजतंत्रात्मक राज्य थे ।

पश्चिमी (अवन्ती) ← → पूर्व (अंग)
↓
अश्मक (दक्षिण)

1. अंग
- राजधानी चम्पा
- चम्पा के वास्तुकार महागोविन्द
- बिम्बिसार ने इसे मगध राज्य में मिला लिया था।

2. काशी
- राजधानी वाराणसी
- वाराणसी संगीत कला व वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था।

3. कोशल

दो राजधानियाँ
- श्रावस्ती (उत्तरी
- कुशावती (दक्षिणी)

4. चेदि
- वर्तमान बुन्देलखण्ड
- राजधानी शक्तिमती

5. वत्स
- राजधानी कौशाम्बी
- कौशाम्बी यमुना के किनारे

6. कुरु
- राजधानी इन्द्रप्रस्थ
- हस्तिनापुर इसी में

7. पांचाल
- गंगा नदी से दो भागों में बाँटती है।

  उ. पांचाल- अहिच्छत्र (राजधानी)
  द.पांचाल-काम्पिल्य (राजधानी)
  कन्नौज इसी का भाग

8. मत्स्य जनपद

अलवर-भरतपुर जयपुर क्षेत्र
राजधानी विराटनगर

9. शूरसेन

राजधानी मथुरा

10. अवन्ति
- दो भागों में विभाजित

  उ० भाग की राजधानी - उज्जैन
  द. भाग की राजधानी – महिष्मती

11. वज्जि

यह आठ राज्यों का एक संघ था।

12. मल्ल

दो भाग- कुशीनारा कुशावती पावा

13. गान्धार
- पेशावर व राउलपिण्डी वाला क्षेत्र
- राजधानी तक्षशिला- शिक्षा व व्यापार का प्रमुख केन्द्र

14. कम्बोज
- राजधानी हाटक

15. अश्मक
- राजधानी पोतन/पोटिल

  गोदावरी के तट पर

1. मगध
- पटना गया शाहबाद वाला क्षेत्र
- राजधानी राजगीर
- वेदों में नाम व्रात्य
- मगध का संस्थापक वृहद्रथ
- वास्तविक संस्थापक - बिम्बिसार

दो राजधानियों वाले महाजनपद
- कौशल
- अवन्ती
- पांचाल
- गान्धार व कम्बोज से गुजरने वाला पथ उन्तरापथ कहलाता था।
- बौद्ध ग्रंथ के अगुन्तरनिकाय में सोलह जनपदों की सूचि मिलती हैं ।
- पाणिनि की अष्टाध्यायी में महाजनपदों की सूची 22 बतायी गई है ।
- बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में सात महाजनपदों का उल्लेख है ।
- ई.पू. छठी शताब्दी में मुद्रा प्रणाली का उदय हुआ ।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय -5

मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल

राजनीतिक इतिहास

- शासन काल चतुर्थ शताब्दी ई.पू. से द्वितीय शताब्दी ई.पू. तक (321-185 ई.पू)
- स्थापना चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा आचार्य चाणक्य (विष्णुगुप्त) के सहयोग से। (मगध में) की ।
- मौर्य शासन से पहले मगध पर नंद वंश के शासक धनानन्द का शासन था।
- मौर्य राजवंश ने लगभग 137 वर्ष तक भारत में राज किया ।
- राजधानी पाटलिपुत्र (पटना)
- साम्राज्य 52 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था।

आचार्य चाणक्य

- जन्म तक्षशिला में (आचार्य)
- अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य
- चन्द्रगुप्त का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित आचार्य चाणक्य थे ।
- पुराणों में चाणक्य को "द्विजर्षभ" कहा गया है जिसका मतलब है श्रेष्ठ ब्राह्मण
- चन्द्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद भी बिन्दुसार के समय भी प्रधानमंत्री बना रहा (कुछ समय के लिए)
- चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य रहे थे।
- इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की ।
- अर्थशास्त्र मौर्यकालीन साम्राज्य की राजव्यवस्था एवं शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है।
- अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं ।

चन्द्रगुप्त मौर्य

- चन्द्रगुप्त मौर्य 322 ई.पू. धनानन्द को हरा कर मगध का शासक बना।
- इसने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को भी हराया था।
- सेल्युकस की पुत्री हेलन का विवाह चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ।
- उपाधियां - पाटलिपुत्रक (पालिब्रोथस)
- भारत का मुक्तिदाता
- प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक

मेगस्थनीज

- मेगस्थनीज सेल्युकस 'निकेटर' का राजदूत था ।
- चन्द्रगुप्त के शासन काल में पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रुका।
- इसने 'इंडिका' नामक पुस्तक की रचना की जिससे मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है।
- मेगस्थनीज भारत आने वाला प्रथम राजदूत था ।
- जस्टिन-चन्द्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहते हैं ।
- यूनानियों ने चन्द्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स नाम दिया।
- चन्द्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था।
- चन्द्रगुप्त के संरक्षण में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी।
- चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन अपने पुत्र बिन्दुसार को सौंप दिया था ।
- फिर वह अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला (मैसूर) चला गया।
- वहां पर उसने सलेखना विधि (अन्न-जल त्याग) द्वारा मृत्यु (297/298 ई.पू.) को प्राप्त किया।
- चन्द्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल उपनाम मुद्राराक्षस नामक ग्रंथ में मिलता है ।
- 'वृषल' शब्द का अर्थ है निम्न कुल । चन्द्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य में शुद्र कुल , बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय कुल तथा रोमिला थापर ने वैश्य कुल में उत्पन्न माना है

बिन्दुसार 298 ई.पू.

- अन्य नाम अमित्रघात था ।
- इसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की ।
- सीरिया के शासक एन्टीयोकस ने डायमेंकस को बिन्दुसार के दरबार में भेजा था।
- बिन्दुसार आजीवक सम्प्रदाय का अनुयायी था ।
- जैन ग्रथों में बिन्दुसार को सिंहसेन कहा गया है ।

अशोक महान

- अशोक अपने पिता बिन्दुसार के शासन काल में प्रान्तीय प्रशासक (उज्जयनी) के पद पर था ।
- प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट सम्राट अशोक था ।
- सर्वाधिक अभिलेखीय प्रमाण इसी के काल के मिलते हैं।

- अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी लिखा मिलता है।
- सर्वप्रथम मास्की लेख में अशोक का नाम पढ़ा गया।
- अशोक महान ने श्रीनगर की स्थापना की।
- अशोक अपने प्रारम्भिक जीवन में भगवान शिव का उपासक था।

कलिंग युद्ध

- मगध के पड़ोस में कलिंग शक्तिशाली राज्य था।
- अपने राज्याभिषेक के आठवें वर्ष में 261 ई.पू. में अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध किया था।
- यह सूचना अशोक के 13वें बड़े शिलालेख से मिलती है।
- कलिंग विजय के नरसंहार से सम्राट अशोक ने कभी युद्ध न करने का फैसला किया।
- अशोक महान ने अभिलेखों के माध्यम से राज्य की प्रजा को अपने संदेश पहुँचाये।
- अभिलेखों की भाषा
- प्राकृत (अधिकांश इसी भाषा में।)
- यूनानी
- अरामाइक
- अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था।
- अशोक के वृहद शिलालेख (पहाड़ियों पर) 1 से 14 तक थे।
- अशोक के प्रथम वृहद शिलालेख में पशु हत्या को निषेध बताया है।
- इसका 12वाँ शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है।
- अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
- इसके शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ।
- अशोक महान द्वारा प्रचारित की गई नीतिगत शिक्षा को अशोक का धम्म कहा गया।
- अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए भेजे गये प्रचारक -
  सोन एवं उत्तरा- स्वर्णभूमि में
  महेन्द्र एवं संघमित्रा- श्रीलंका

महारक्षित - यवन प्रदेश

रक्षित - वनवासी (उ० कनाडा)

अशोक के बाद मौर्य राज्य

पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र
राजधानी- उज्जैन	राजधानी - पाटलिपुत्र

- बृहद्रथ अन्तिम मौर्य शासक था।
- 185 ई.पू. में इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया।

मौर्य कालीन प्रशासन

संरचना

केंद्र	**राजा**
प्रान्त	युवराज
मण्डल	मंत्रिनी/मंत्रिण
स्थानीय	मंत्रिपरिषद
द्रोणमुख	नौकरशाही
खार्वटिक	नगर प्रशासन
संग्रहण	राजस्व प्रशासन
ग्राम	सैन्य प्रशासन
	न्याय प्रशासन
	गुप्तचर व्यवस्था

केंद्र

राजा - समस्त व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु था।
कार्यपालिका
विधानपालिका
न्यायपालिका

- कौटिल्य के अनुसार राजा सप्तांग सिद्धान्त का केन्द्र बिन्दु है।

1. दुर्ग 2. अमात्य 3. मित्र 4. राजा 5. जनपद 6. कोष 7. सेना

- मेगस्थनीज के अनुसार राजा महिला अंगरक्षकों से घिरा होता है।
- राजा में दैवीय उत्पति का सिद्धान्त लागू नहीं होता था। यद्यपि अशोक ने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि ली थी।
- राजा-प्रजा के मध्य पिता-पुत्र का सम्बन्ध होता था।
- कौटिल्य के अनुसार दिन को 8-8 घण्टों में विभक्त करना चाहिए जिसमें राजा को 16 घण्टे काम करना चाहिए।

मंत्रिण

- यह आधुनिक कैबिनेट के समान होती थी जिसमें 4-5 लोग होते थे। एक प्रकार से यह कोर कमेटी थी।
- सदस्य

1. राजा
2. प्रधानमंत्री / पुरोहित
3. युवराज- राज्य का उत्तराधिकारी
4. सेनानी
5. सन्निधाता (कोषाध्यक्ष)

- वेतन - 48000 पण (चाँदी का सिक्का)

- कार्य – महत्त्वपूर्ण कार्य में सलाह
- चयन हेतू शर्ते –
  उपधा-परिक्षण मंत्रिण सदस्य के चयन हेतु परीक्षा

मंत्रिपरिषद

- यह एक विस्तृत इकाई थी।
- अन्य नाम - मंत्रिपरिषद (अर्थशास्त्र)
  परिषा (अशोक के अभिलेख में) सुनेड्राई (इंडिका में)
- मंत्रिपरिषद में 18 तीर्थ (विभाग) होते थे।
- महाभात- उच्च श्रेणी के अमात्य
- वेतन 10000 पण वार्षिक

18 तीर्थ -

1. प्रधानमंत्री / पुरोहित
   चाणक्य- चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री
   चाणक्य + खल्लाटक- बिन्दुसार के प्रधानमंत्री
   राधागुप्त - अशोक का प्रधानमंत्री
2. युवराज - राज्य का उत्तराधिकारी
3. समाहर्ता - राजस्व विभाग एवं कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी
   वितीय वर्ष (354 दिन) जुलाई आषाढ़ से प्रारम्भ
4. सन्निधाता- कोषाध्यक्ष
5. प्रदेष्टा - फौजदारी न्यायालय का प्रमुख
6. व्याहारिक - दीवानी न्यायालय का प्रमुख ।
7. कर्मान्तिक – उद्योग धन्धों का प्रमुख
8. अन्तपाल – सीमावती दुर्गों का प्रमुख
9. दुर्गपाल - आन्तरिक दुर्गों का प्रमुख
10. आटविक
11. अन्तवर्शिक
12. दौवारिक - द्वारपाल
13. प्रशास्ता – राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी
14. नायक – नगर का अध्यक्ष
15. दण्डपाल –सेना की सामग्री को एकत्र करने वाला अधिकारी
16. नागरक - नगर का प्रमुख
17. सेनापति / सेनानी- सेना का प्रमुख
18. मंत्रिपरिषदाध्यक्ष

नौकरशाही

नौकरशाही में 26 अध्यक्ष (विभागों के)

- वेतन 1000 पण
- द्वितीय श्रेणी अमात्य
- सीताध्यक्ष- राजकीय भूमि का स्वामी
- लक्षणाध्यक्ष- छापेखाने का अध्यक्ष
  सौवर्णिक – टकसाल का प्रमुख
  रुपदर्शक –सिक्के का जाँच अधिकारी

नगर प्रशासन

- विस्तृत विवरण इंडिका में
- नगर का प्रमुख नागरिक
- नगर प्रशासन के लिए 5-5 सदस्यों वाली समितियां (5x6 = 30 सदस्य)

प्रथम समिति - उद्योग-धन्धों का कार्य
द्वितीय समिति - विदेशियों की देखभाल
तृतीय समिति - जनसंख्या की गणना
चतुर्थ - व्यापार वाणिज्य को देखना
पंचम - बाजार व्यवस्था को देखना
षष्ठम् - बिक्री कर को देखना

राजस्व प्रशासन

- मौर्य सामान्य पहला केन्द्रीकृत शासन था।
- चाणक्य के अर्थशास्त्र में 7 प्रकार के कर

1. राष्ट्र कर- ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त
2. दुर्ग कर - नगर से समिति
3. वानि कर
4. खनिज कर
5. व्रज कर – पशुओं से सम्बंधित
6. सेतु कर - फल, फूल से सम्बंधित
7. वणिकपथ कर - स्थल जलमार्ग से सम्बंधित

भूराजस्व कर

भूमि –
- राजकीय (सीता भूमि) - सीताकर
- निजी भूमि पर $\frac{1}{6}$ या 16 वाँ हिस्सा कर के रूप में

- प्रणय कर - संकटकालीन कर ($\frac{1}{3}$ से $\frac{1}{4}$) तक
- विनीता कर - चारागाह पर
- **उद्रंग कर – सिंचाई पर**

सैन्य प्रशासन

- चाणक्य ने चतुरंगिनी सेना (पैदल, हाथी, घुडसवार, रथ) का उल्लेख किया ।
- सैन्य प्रशासन में समितियां थी।
- गुल्म छावनी को कहते थे।
- गुल्मदेय- सैनिकों का वेतन

- सेन्य प्रशासनान में सेना 3 प्रकार की होती थी। - राजा की सेना (मोल सेना), किराये की सेना, नगरपालिका की सेना
- तीन प्रकार के युद्ध
  प्रकाश युद्ध - आमने सामने (प्रत्यक्ष) कूट युद्ध
  तुष्नि युद्ध - विष देकर राजा की हत्या

गुप्तचर प्रशासन

- गुप्तचर को गूढ पुरुष कहा गया ।
- गुप्तचर का प्रमुख महामात्या पर्सन होता था।
- गुप्तचर स्त्री-पुरुष दोनों हो सकते थे।

न्याय प्रशासन

- सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा होता था ।
- न्यायालय के दो प्रकार (दीवानी और फौजदारी) होते थे ।

प्रांत

- इसका प्रमुख प्रान्तपति । कुमार आर्यपुत्र कहलाता था।
- यह पद राजा परिवार के सदस्य को दिया जाता था।
- प्रान्त का अन्य नाम चक्र था।

पांच प्रान्त व उनकी राजधानियां

1. उत्तरापथ - तक्षशिला
2. प्राची पूर्वी प्रदेश - पाटलिपुत्र
3. अवन्ती - उज्जयिनी
4. तोसलि - धौली(उत्तरीक्षेत्र)
5. दक्षिणापथ - सुवर्णगिरी

अर्द्धस्वायत प्रान्त-

- गिरनार -सौराष्ट्र)चन्द्र गुप्त के समय यहाँ के प्रमुख पुष्पगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील बनायी
- कम्बोज
- भोज
- पित्तनिक
- आटविक

मण्डल

- इसका प्रमुख प्रदेष्टा कहलाता था।

स्थानीय

800 ग्रामों का समूह

द्रोणमुख

- 400 ग्रामों का समूह

खार्वटिक

- 200 ग्रामों का समूह

संग्रहण

- 100 ग्रामों का समूह

ग्राम

- ग्राम का प्रमुख ग्रामणी
-

अध्याय – 6
गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल

- मौर्य वंश के पतन के पश्चात् नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है।

गुप्त वंश की उत्पत्ति

- चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने पूना अभिलेख में अपने वंश को स्पष्टतः धारण गोत्रीय बताया हैं. अग्रवालों के 18 गोत्र में से एक गोत्र धारण हैं.
- गुप्त वैश्यों की उपाधि है। आज भी धार्मिक कर्म व संकल्प करते हुए वैश्य पुरोहित नाम व गोत्र के साथ गुप्त उपनाम का उल्लेख करते हैं ।
- गुप्त शासकों के नाम श्री, चन्द्र, समुद्र, स्कन्द आदि थे जबकि गुप्त उनका उपनाम था। जो की उनके वर्ण व जाति को उद्घोषित करता है ।
- गुप्त वंश के शासक अग्रवाल थे। प्रख्यात इतिहासकार राहुल संस्क्रतायन ने भी गुप्त वंश को अग्रवाल वैश्य बताया है ।
- अग्रवालों की कुलदेवी माता लक्ष्मी है। गुप्त सम्राटों की कुलदेवी भी माता लक्ष्मी है।
- गुप्त वंश के समय में भारत सोने की चिड़ियां कहलाया था।

गुप्त वंश के शासक

श्रीगुप्त (240 ई. -280 ई.)

- गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था ।

घटोत्कच (320)

- गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त के पश्चात् उसका पुत्र घटोत्कच राजगद्दी पर बैठा। इसने 280 ई. से 320 ई. तक शासन किया।
- इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश (उत्कच) न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया।

चंद्रगुप्त प्रथम (320-335 ई.)

- अपने पिता घटोत्कच के बाद सन् 320 में चन्द्रगुप्त प्रथम राजा बना। चन्द्रगुप्त, गुप्त वंशावली में पहला स्वतन्त्र शासक था।
- इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी ।
- बाद में लिच्छवि राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया।

समुद्रगुप्त (335 -375)

- चन्द्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ई. में उसका तथा कुमारदेवी का पुत्र **समुद्रगुप्त** राजगद्दी पर बैठा।
- सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। इन्हें परक्रमांक कहा गया है।
- समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की।
- समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजित सम्राट था। विन्सेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी।
- समुद्र गुप्त विष्णु का उपासक था ।
- उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ़ (दक्षिणापथ) था। इसमें उसके बारह विजयों का उल्लेख मिलता है।
- उसका देहान्त 380 ई. में हुआ जिसके बाद उसका पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय राजा बना।
- चन्द्रगुप्त द्वितीय इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबन्धु को अपना मन्त्री नियुक्त किया था।
- हरिषेण, समुद्रगुप्त का मन्त्री एवं दरबारी कवि था। हरिषेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के सम्बन्ध में सटीक जानकारी प्राप्त होती है।
- काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम 'चन्द्रप्रकाश' मिलता है।
- **समुद्रगुप्त का साम्राज्य**- समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विन्ध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिन्ध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित थे।
- परमभागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्र गुप्त था ।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (380-413)

- चन्द्रगुप्त द्वितीय 375 ई. में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्तदेवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ।
- चन्द्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि हैं।
- उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियाँ धारण की।
- उसने नागवंश, वाकाटक और कदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये।
- चन्द्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई।
- वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए चन्द्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया।
- कदम्ब राजवंश का शासन कुंतल (कर्नाटक) में था। चन्द्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब वंश में हुआ।
- चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की।
- उसने भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया। चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा गया है।
- शाब चन्द्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था । चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जयनी विधा के प्रमुख केंद्र थे ।
- चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जयिनी थी।
- चन्द्रगुप्त द्वितीय का काल कला-साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त था।
- उसके दरबार में नौ रत्न थे- कालिदास, धन्वन्तरि, क्षपणक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्पर, वाराहमिहिर, वररुचि, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, शूद्रक, ब्रम्हगुप्त, विष्णुशर्मा और भास्कराचार्य उल्लेखनीय थे। ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्मसिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नाम से प्रतिपादित किया।

कुमारगुप्त (415 – 455)

- चन्द्र गुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त प्रथम सन् 415 में राजा बना।
- अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने भी अश्वमेंघ यज्ञ के सिक्के जारी किये।
- उस समय के अभिलेखों या मुद्राओं से पता चलता है कि उसने अनेक उपाधियाँ जैसे महेन्द्र कुमार, श्री

महेन्द्र, श्री महेन्द्र सिंह, महेन्द्रा दिव्य आदि उपाधि धारण की थी।

- कुमारगुप्त के शासनकाल में नालन्द्रा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।

स्कन्दगुप्त (455-467)

- 455 में पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु होने पर उसका पुत्र स्कन्दगुप्त सिंहासन पर बैठा।
- स्कंदगुप्त गुप्तवंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था।
- स्कन्दगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधियाँ धारण की।
- स्कन्दगुप्त ने इसने सौ राजाओं के स्वामी की भी उपाधि धारण की।
- स्कन्दगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया ।
- स्कन्दगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया ।
- अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था ।

स्कन्दगुप्त के बाद इस साम्राज्य में निम्नलिखित प्रमुख राजा हुए:

- पुरुगुप्त (467-473)
- कुमारगुप्त द्वितीय (473-476)
- बुधगुप्त (476-495)
- नरसिम्हा गुप्ता (495)
- कुमारगुप्त तृतीय

गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएँ

- आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं होते थे। मन्दिरों का गर्भगृह बहुत साधारण होता था।
- गर्भगृह में देवताओं को स्थापित किया जाता था। ।
- शुरुआती गुप्त मंदिरों में अलंकरण देखने को नहीं मिलता है, परन्तु बाद के स्तम्भों, मन्दिरो की दीवार चौखट आदि पर मूर्तियों द्वारा अलंकरण देखने को मिलता है।
- विष्णु मंदिर नक्काशीदार है। इसके प्रवेश द्वार पर मकरवाहिनी गंगा, यमुना, शंख व पद्म की आकृतियाँ बनी हैं। कई मंदिरों में गुप्तकालीन स्थापत्य कला देखने को मिलती है,
- गुप्तकालीन मंदिरों की विषय-वस्तु रामायण, महाभारत और पुराणों से ली गई है।
- प्रारंभिक मंदिरों की छतें चपटी होती थी, किन्तु आगे चलकर शिखर भी बनाये जाने लगे।
- मंदिर के वर्गाकार स्तंभों के शीर्षभाग पर चार सिंहों की मूर्तियां एक दूसरे से पीठ सटाये हुए बनाई गयी हैं।
- गुप्तकाल के अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित हैं। केवल भीतरगाँव तथा सिरपुर के मंदिर ही ईंटों से बनाये गये हैं।

गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिर इस प्रकार हैं –

- मौर्योत्तर काल के उपरान्त तीसरी शताब्दी ईस्वी में तीन राजवंशो का उदय हुआ
- जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्वी में गुप्त वंश प्रमुख हैं।
- मौर्य वंश के पतन के पश्चात् नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है।
- 5वीं शताब्दी के आस-पास उत्तरी भारत में गुप्त वंश का पतन आरंभ हो गया था,
- तथा भारत में उसके साम्राज्य को समाप्त कर दिया ।

गुप्त काल की प्रमुख साहित्यिक रचनायें

- गुप्तकाल को संस्कृत साहित्यका **स्वर्ण युग** माना जाता है।
- **बार्नेट** के अनुसार 'प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वह महत्त्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लीयनयुग का है।'
- **स्मिथ** ने गुप्त काल की तुलना ब्रिटिश इतिहास के 'एजिलाबेथन' तथा 'स्टुअर्ट' के कालों से की है।
- गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों का काल माना जाता है। इस काल के कवि को दो भागों में बांटा गया है,-
- प्रथम भाग में वे कवि आते हैं जिनके विषय में हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है इस श्रेणी में हरिषेण, शाव(वीरसेन), वत्सभट्टि और वासुल आते हैं।
- द्वितीय श्रेणी में वे कवि आते हैं जिनकी रचनाओं के बारे में हमें ज्ञान हैं, जैसे कालिदास, भारवि, भट्टि, मातृगुप्त, भर्तृश्रेष्ठ तथा विष्णु शर्मा आदि।

हरिषेण

- महादण्डनायक ध्रुवभूति का पुत्र हरिषेण **समुद्रगुप्त के** समय में सान्धिविग्रहिक कुमारामात्य एवं महादण्डनायक के पद पर कार्यरत था ।
- हरिषेण की शैली के विषय में जानकारी 'प्रयाग स्तम्भ' लेख से मिलती है।
- हरिषेण द्वारा स्तम्भ लेख में प्रयुक्त छन्द कालिदास की शैली की याद दिलाते हैं।
- हरिषेण का पूरा लेख 'चंपू (गद्यपद्य-मिश्रित) शैली' का एक अनोखा उदाहरण है। इनके द्वारा रचित महाकाव्य –

शाव (वीरसेन)

- **चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य** के समय में सान्धिविग्रहिक अमात्य पद पर कार्यरत शाव की काव्य शैली के विषय में जानकारी एकमात्र स्त्रोत 'उदयगिरि गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण लेख है।
- लेख के आधार पर यह माना जाता है कि शाव व्याकरण, न्याय एवं राजनीति का ज्ञाता एवं **पाटिलिपुत्र** का निवासी था।

वत्सभट्टि

- इनकी काव्य शैली के विषय में जानकारी मालव संवत के 'मंदसौर के स्तम्भ' लेख से मिलती है। इस लेख में कुल ४५ श्लोक हैं, जिनमें पहले तीन श्लोकों में सूर्य स्तुति की गई है।
- वासुल ने मंदसौर प्रशस्ति की रचना यशोधर्मन के समय में की। कुल ९ श्लोकों वाला यह लेख श्रेष्ठ काव्य का अनोखा उदाहरण है।

कालिदास

- संस्कृत साहित्य के इस महान कवि की महत्त्वपूर्ण कृतियां हैं- ऋतुसंहार, मेंघदूत, कुमारसंभव एवं रघुवंश महाकाव्य। कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति उनका नाटक 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' है।
- इसके अतिरिक्त उन्होंने मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोर्वशीयम् नाटक की भी रचना की है।

भारवि

- **'किरातार्जुनीयम्' महाभारत** के वन पर्व पर आधारित है इसमें कुल 18 सर्ग हैं।

भट्टि

संस्कृत साहित्य के इस महान कवि की महत्त्वपूर्ण कृतियां हैं- ऋतुसंहार, मेंघदूत, कुमारसंभव एवं रघुवंश महाकाव्य। कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति उनका नाटक 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोर्वशीयम् नाटक की भी रचना की है।

- इनके द्वारा रचित '**भट्टिकाव्य**' को 'रावणवध' भी कहा जाता है। **रामायण** की कथा पर आधारित इस काव्य में कुल 22 सर्ग तथा 1624 श्लोक हैं।

अध्याय -7
कुषाण वंश एवं सातवाहन राजवंश

- **कुषाण वंश**

- मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश सबसे महत्वपूर्ण है । पल्लवों के बाद भारतीय क्षेत्र में कुषाण आये जिन्हें युची और तोखरी भी कहा जाता है ।
- कुषाणों ने सर्व प्रथम बैक्ट्रिया और उत्तरी अफगानिस्तान पर अपना शासन स्थापित किया ।
- कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था ।
- इसने तांम्बे का सिक्का चलाया था । सिक्कों के एक भाग पर यवन शासक हर्मियस का नाम उल्लेखित है तथा दूसरे भाग पर कुजुल का नाम खरोष्ठी लिपि में खुदा हुआ है ।
- कुजुल कडफिसेज के बाद विम कडफिसेज शासक बना जिसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया । इसके अतिरिक्त कुषाणों ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने के साथ ही उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांम्बे के सिक्के भी जारी किये।
- इसके सिक्कों पर शिव नंदी तथा त्रिशूल की आकृति एवं महेश्वर की उपाधि उत्कीर्ण है ।
- विम कडफिसेज के बाद कनिष्क ने कुषाण साम्राज्य की सत्ता संभाली कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था । इसके कार्य काल का आरम्भ 78 ई. माना जाता है । क्योंकि इसी ने 78 ई. में शक संवत् आरंम्भ किया ।
- उसने कश्मीर को विजित कर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया ।
- कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षक था । इसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है ।
- कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया।
- उसका उत्तराधिकारी हुविष्क था । हुविष्क के पश्चात् कनिष्क द्वितीय शासक बना जिसने सीजर की उपाधि ग्रहण की ।
- कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था । जिसने अपना नाम भारतीय पर रख लिया । इसके सिक्को पर शिव के साथ गज की आकृति मिली है ।
- कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ई. सन् हैं । यह इसके राज्यारोहण के तीसरे वर्ष स्थापित की गई थी ।

कुजुल कडफिसेस

- **मुख्य लेख : कुजुल कडफिसेस**
- कुषाणों के एक सरदार का नाम कुजुल कडफिसेस था । उसने क़ाबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया ।
- मथुरा में इस शासक के तांबे के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं ।

विम कडफिसेस

- **मुख्य लेख : विम कडफिसेस**
- विम तक्षम लगभग 60 ई. से 105 ई. के समय में शासक हुआ होगा।

कनिष्क

- मुख्य लेख : कनिष्क
- कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क था । भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला का प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है।
- कनिष्क किए कश्मीर विजय का उल्लेख राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में मिलता है । कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर को कनिष्क ने बसाया ।
- कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है ।
- नागार्जुन को भारत का आइन्स्टाइन कहा जाता है । नागार्जुन ने अपनी पुस्तक 'माध्यमिक सूत्र ' में सापेक्षता के सिद्धान्तको प्रस्तुत किया है ।
- शून्यवाद के व्याख्याकार नागार्जुन थे ।
- कनिष्क के राजवेद आयुर्वेद के महापण्डित चरक थे । चरक ने औषधि पर चरकसहिंता नामक ग्रंथ की रचना की ।
- बौद्ध धर्म के विश्वकोष 'महाविभासुत्र' की रचना वसुमित्र ने की थी ।
- कनिष्क के युग में गंधार कला , सरनाथ कला , मथुरा कला , तथा अमरावती कला का विकास हुआ । गंधार शैली में बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ था ।
- रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे । कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था । रेशम मार्ग का आरम्भ कनिष्क ने करवाया था ।
- कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तु कला के क्षेत्र में हुआ था । इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था ।

कनिष्क क शासन काल के विद्वान

1	अश्वघोष	कवी/साहित्यकार
2	नागार्जुन	दार्शनिक वैज्ञानिक
3	चरक	चिकित्सक
4	वसुमित्र	बोद्ध /साहित्यकार

कनिष्क का शासनकाल में लिखीत पुस्तकें

क्र.स.	पुस्तकें	लेखक
1	बुद्धचरित	अश्वघोष
2	सुत्रालंकार	अश्वघोष
3	सौन्दरानन्द	अश्वघोष
4	माध्यमिकसूत्र	नागार्जुन
5	महाविभाषसूत्र	वसुमित्र
6	चरक सहिंता	चरक

सातवाहन राजवंश

- 'सातवाहन' शब्द का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में है । इस शब्द की अनेक व्याख्याएँ प्राप्त होती हैं। कथा सरित्सागर में 'सात' नामक यक्ष पर चढ़ने वाले को सातवाहन कहा गया है।
- यूनानी यात्री मेगस्थनीज के अनुसार **(जो स्वयं चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा)** भारत मौर्यों के बाद उस समय सबसे बड़ी सेना आन्ध्रों की ही थी और

आन्ध्र-सातवाहन वंश के शासक

सिमुक

- पुराणों के प्रमाण के अनुसार 28 ई०पू० सिमुक (या शिमुक या सिन्धुक) नामक आन्ध्र ने (जो सम्भवतः कण्व शक्ति का नायक या सेनापति था) ने कण्व वंश के अन्तिम राजा सुशर्मन की हत्या करके सत्ता हथिया ली ।

कृष्ण

- पुराणों के अनुसार सिमुक का उत्तराधिकारी उसका भाई कृष्ण (कन्ह) था जिसने **18 वर्ष तक राज** किया। नासिक में मिले एक शिलालेख में उसका नाम मिलता है।

शातकर्णी

- कृष्ण के बाद सिमुक का पुत्र शातकर्णी सिहांसन् पर बैठा । वह एक महान विजेता और अपने वंश का

प्रतापी शासक था. अनेक स्रोतों से उसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है।

- **वीर चरित नाम के बौद्ध ग्रन्थ** में उसका वर्णन प्रतिष्ठान के शासक के रूप में किया गया है ।
- उसने महाराष्ट्र के महारथी त्रणकयिरों की कन्या **नागनिका** से विवाह कर अपना प्रभाव बढ़ाया । उसके दक्षिणापथ के अनेक प्रदेशों को आन्ध्रों के अधीन किया और दो बार अश्वमेंध यज्ञ कराये ।

नागनिका

- शातकर्णी की मृत्यु के समय उसके दो पुत्र **वेदन्थी और शक्तिश्री** नाबालिग थे, इसलिए उनकी माँ नागनिका ने उनकी संरक्षिका बनकर राज्यकार्य का संचालन किया ।

गौतमीपुत्र शातकर्णी

- गौतमीपुत्र शातकर्णी नामक सातवाहन के राजा ने (पुराणों के अनुसार वह सातवाहन वंश का 23वाँ राजा था) अपने वंश की खोयी हुई प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त कर लिया ।
- उसने सन् 106 ई० से 130 ई० तक राज किया । उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया। । उसने शकों, यवनों, पार्थियनों, आदि का नाश किया ।
- गौतमी पुत्र शातकर्णी को इस बात का श्रेय देते हैं कि उसने विदेशियों को अपने राज्य से भगा दिया तथा सातवाहन शासन को दक्षिण में सुदृढ़ किया ।
- वस्तुतः वह अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने सम्पूर्ण दक्षिण भारत तथा मध्य भारत को अपने अधीन किया।

वाशिष्ठीपुत्र श्री पुलभावि

- गौतमीपुत्र शातकर्णी के बाद उसका पुत्र पुलभावि (130-154 ई०)राजा बना।
- **यज्ञ श्री शातकर्णी**
- इस वंश का अन्तिम महान तथा उल्लेखनीय शासक यज्ञ श्री शातकर्णी (165-194) था।
- सम्भवतः इसी के काल में सातवाहनों ने करीस नगर तथा वारंगल के लौह अयस्कों का प्रयोग किया होगा``````

मध्यकालीन भारत

अध्याय – I

- **अरबों का सिन्ध पर आक्रमण**

- **मध्ययुगीन भारत**, "प्राचीन भारत" और "आधुनिक भारत" के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की लंबी अवधि को दर्शाता है।
- पाल राजा धर्मपाल, जो गोपाल के पुत्र थे, ने आठवीं शताब्दी ए.डी. से नौवी शताब्दी ए.डी. के अंत तक शासन किया।
- धर्मपाल द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी अवधि में की गई।
- अरबों का भारत पर पहला आक्रमण खलीफा उमर के काल में 636 ई .में बम्बई के थाना पर हुआ जो कि असफल रहा।
- अरबों का भारत का प्रथम सफल अभियान 712 ई . में मुहम्मद-बिन-कासिम के नेतृत्व में हुआ।
- मुहम्मद -बिन -कासिम ने दाहिर को हराकर 'सिंध' पर कब्जा कर लिया।
- कासिम ने 'मुल्तान' पर भी कब्जा कर लिया तथा इसका नाम सोने का शहर रखा।
- मुहम्द बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया।
- जजिया कर इस्लाम को न स्वीकार करने वाले यानि गैर-मुस्लिमों से वसूला जाता था।
- मुहम्मद - बिन -कासिम ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया ।
- अब्बासी खलीफाओं ने बगदाद (इराक) को अरब जगत की राजधानी घोषित किया।
- खलीफा हारून रशीद ने चरक संहिता का अरबी अनुवाद कराया।
- अरबों ने अंक, दशमलव तथा गणित के सिद्धांतों को सीखा।

मुहम्मद -बिन -कासिम के प्रमुख अभियान

- देवल या दाभोल यहीं पर सर्वप्रथम कासिम ने जजिया लगाया।
- देवल के बाद कासिम ने नीरून, सेहवान एवं सिसम पर सफल आक्रमण किया।
- सिसम जीतने के बाद कासिम ने राबर जीता। राबर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया।
- उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानीबाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला। परन्तु, स्वयं को हारते देखकर उसने जौहर कर लिया।

- अलोर या अरोर ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी अलोर को जीता गया। अरोर विजय ही सिन्ध विजय को पूर्णता प्रदान करता हैं ।
- मुल्तान- अलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का एवं मुल्तान जीता।
- मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। यहाँ से उसे इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोन का नगर स्वर्ण नगर रखा गया।
- मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था ।

महमूद गजनवी -

- भारत में तुर्कों का आक्रमण दो चरणों में सम्पन्न हुआ।
- प्रथम चरण का महमूद गजनवी तो दूसरे का मोहम्मद गौरी था।
- अरबों के बाद तुर्को ने भारत पर आक्रमण किया।
- तुर्क चीन की उत्तरी-पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली असभ्य एवं बर्बर जाति थी।
- अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतन्त्र तुर्क राज्य की स्थापना की।
- अलप्तगीन के गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन ने 977 ई .में गजनी पर अपना अधिकार कर लिया।
- महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था।
- अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था।
- सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर 998 ई .में बैठा।
- 1010 ई .में महमूद ने नगरकोट को लूटा तथा 1010 ई .में तलवाड़ी युद्ध में हिन्दुओं के संघ को परास्त किया।
- 1014 ई .में थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर को लूटा।
- त्रिलोचनपाल एवं पंजाब के शाही शासक त्रिलोचनपाल के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किया था। इस संघ का प्रमुख विद्याधर था।
- विद्याधर ही वह चन्देल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ और दोनों के बीच संधि हो गयी।
- 1025 ई .में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था ।
- चालुक्य शासक भीम प्रथम था गजनवी के चले जाने के बाद इस मंदिर का पुन : र्निमाण करवाया।
- 1030 ई .में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गयी।
- अलबरूनी तथा फिरदौसी (शाहनामा के लेखक)महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे ।
- 'तारीख-ए-यामिनी' नामक पुस्तक का लेखक उतबी था ।
- महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया ।
- सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था । महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण करते समय जेहाद का नारा दिया और और अपना नाम बुतकिशन रखा ।

मुहम्मद गौरी

- मुहम्मद गौरी शंसबनी वंश का था।
- मुहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी था।
- ग्यासुद्दीन मुहम्मद गौरी इसका बड़ा भाई था। ग्यासुद्दीन मुहम्मद गौरी ने 1163 ई . गोर को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करा।
- 1203 ई .में ग्यासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात् मोहम्मद गौरी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की तथा गोर को राजधानी बनाया।
- मुहम्म्द बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी तथा उसके बाद मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तथा कत्लेआम कर लूटपाट मचाई।
- भारत में तुर्क साम्राज्य का श्रेय मुहम्म्द गौरी को दिया जाता हैं।
- 12 वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ।
- गौरी वंश की नींव अला-उद-दीन जहाँ सोज ने रखी थी।
- जहाँ सोज की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सैफ-उद-दीन गौरी के सिंहासन पर बैठा।

मुहम्म्द गौरी के आक्रमण

- गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ई .में मुल्तान पर किया।
- गौरी ने 1178 ई .में द्वितीय आक्रमण गुजरात पर किया लेकिन मूलराज द्वितीय ने उसे आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया। भारत में मुहम्मद गौरी की यह पहली पराजय थी।
- इस युद्ध का संचालन नायिका देवी ने किया था जो मूलराज की पत्नी थी।
- 1186 ई. तक गौरी ने लाहौर, श्यालकोट तथा भटिण्ड़ा तबरहिंद को जीत लिया था। तब हिंद पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अधिकार था।

तराईन का प्रथम युद्ध

तराईन का द्वितीय युद्ध

- तराईन का प्रथम युद्ध 1191 ई. में मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी ।

- तराईन का दूसरा युद्ध 1192 ई. में मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में गौरी की जीत हुई थी ।
- चंदबरदाई के अनुसार युद्ध में पराजय के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण छोड़ कर मुहम्मद गौरी को मार दिया था ।
- 1192 ई .के बाद गौरी ने अपने दास ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक घोषित कर दिया।
- 1194 ई .के बाद गौरी के दो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक तथा बख्तियार खिलजी ने भारतीय क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया।
- बख्तियार खिलजी को असम के माघ शासक ने पराजित किया तथा 15 मार्च 1206 ई .में बख्तियार खिलजी के ही सैन्य अधिकारीअलिमर्दान ने मुहम्मद गौरी की हत्या कर दी।
- कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 ई .में अन्हिलवाड़ा के शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया लेकिन ऐबक पराजित हुआ।
- 1203 ई .में ऐबक ने चंदेल शासक परमर्दिदेव से कालींजर को जीत लिया था।

मुहम्मद गौरी की मृत्यु

- 1206 ई .में मुहम्मद गौरी ने पंजाब के खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत पर अंतिम आक्रमण किया
- गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाले कुछ सिक्के चलाये ।

अध्याय - 2

दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश

- **गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश**

दिल्ली सल्तनत

दिल्ली सल्तनत के क्रमानुसार पाँच वंश निम्नलिखित थे -

- 1.गुलाम वंश / मामलुक वंश (1206-1290)
- 2.खिलजी वंश (1290-1320)
- 3.तुगलक वंश (1320-1414)
- 4.सैय्यद वंश (1414-1451)
- 5.लोदी वंश (1451-1526)
- इनमें से चार वंश मूलतः तुर्क थे जबकि अंतिम वंश लोदी वंश अफगान था।

गुलाम वंश के शासक -

कुतुबुद्दीन ऐबक (1206-1210 ई .तक)

- भारत में तुर्की राज्य /दिल्ली सल्तनत /मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला शासक ऐबक ही था।
- गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ई. में की थी । इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई ।
- ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी ।
- ऐबक के राजवंश को कुतुबी राजवंश के नाम से जन जाता है ।
- मुहम्द गौरी ने ऐबक को अमीर-ए-आखूर अस्तबलों का प्रधान के पद पर नियुक्त किया।
- 1192 ई .के तराईन के युद्ध में ऐबक ने गौरी की सहायता की।
- तराईन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया।
- जून 1206 में राज्याभिषेक करवाया तथा सुल्तान की बजाय मलिक/सिपहसालार की उपाधि धारण की यह उपाधि इसे मुहम्मद गौरी ने दी थी ।
- इसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाये एवं अपने नाम का खुतबा पढ़वाया)खुतबा एक रचना होती थी जो मौलवियों से सुल्तान शुक्रवार की रात को नजदीक की मस्जिद में अपनी प्रंशसा में पढ़वाते थे ।(खुतबा शासक की संप्रभूता का सूचक होता था।
- ऐबक ने प्रारंभ इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास को सैनिक मुख्यालय बनाया तथा कुछ समय बाद यल्दौज तथा कुबाजा (मुहम्मद गौरी के दास) के संघर्ष को देखते हुए लाहौर को अपनी राजधानी बनाया।
- ऐबक ने यल्दौज पर आक्रमण कर गजनी पर अधिकार कर लिया, लेकिन गजनी की जनता यल्दौज के प्रति

वफादार थी तथा 40 दिनों के बाद ऐबक ने गजनी छोड़ दिया।

ऐबक की मृत्यु –

- 1210 ई .में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मौत हो गई। इसका मकबरा लाहौर में ही बनाया गया है।
- भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को मान जाता है।
- भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मुहम्मद गौरी को माना जाता है। स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है।
- कुत्तुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन् निजामी एवं फख्र-ए-मुदब्बिर आदि प्रसिद्ध विद्वान थे।
- 'कुव्वत-उल-इस्लाम -"अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवाया। तथा 'कुतुबमीनार 'का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुबमीनार शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया है।
- कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी प्रवृति के कारण लाखबख्श (लाखों का दानी)कहा गया है।
- इतिहासकार मिन्हाज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है।
- प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था।

इल्तुतमिश (1210-1236 ई)

- मलिक शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था, न कि उसका वंशज। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ राज्य का रक्षक स्वामी होता है।। उसका समानार्थक शब्द आलमगीर या जहाँगीर विश्व विजेता भी होता है।
- ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बंदायूँ यू.पी. का इक्तेदार था।
- इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तथा प्रथम वैधानिक सुल्तान था। जिसने दिल्ली को अपने राजधानी बनाया।
- इसने 1229 ई .में बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर-बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि व खिलअत इजाजत प्राप्त की।
- इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा मानक सिक्कें टंका चलाया था। टंका चांदी का होता था)। टंका =48 जीतल(
- इल्तुतमिश यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया था।
- शहरों में इल्तुतमिश ने न्याय के लिये काजी, अमीर-ए-दाद जैसे अधिकारी नियुक्त किये।
- इल्तुतमिश ने अपने 40 तुर्की सरदारों को मिलाकर तुर्कान-ए-चहलगामी नामक प्रशासनिक संस्था की स्थापना की थी।

इक्ता प्रणाली का संस्थापक -

- इल्तुतमिश ने प्रशासन में इक्ता प्रथा को भी स्थापित किया। भारत में इक्ता प्रणाली का संस्थापक इल्तुतमिश ही था। इक्ता का अर्थ है – धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना।
- इसने दोआब गंगा-यमुना क्षेत्र में हिन्दुओं की शक्ति तोड़ने के लिए शम्सीतुर्की उच्च वर्ग सरदारों को ग्रामीण क्षेत्र में इक्तायें जागीर बांटी।
- 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण
- 1227 में नागौर पर आक्रमण
- 1232 में मालवा पर आक्रमण - इस अभियान के दौरान इल्तुतमिश उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर लाया था।
- 1235 में ग्वालियर का अभियान -इस अभियान के दौरान इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की बजाय पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया।
- 1236 ई. में बामियान अफगानिस्तान पर आक्रमण। यह इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था।
- इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाये।
- इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हाज-उस-सिराज मलिक दाजुद्दीन को संरक्षण मिला।
- अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था।
- इल्तुतमिश से सम्बन्धित 'हश्म-ए-कल्ब 'या कल्ब-ए-सुल्तानी सुल्तान द्वारा स्थापित सेना को कहा जाता था।
- इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता कह जाता है उसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया।

निर्माण कार्य-

- स्थापत्य कला के अन्तर्गत इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य कुतुबमीनार को पूरा करवाया। भारत में सम्भवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता हैं।
- इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में अतारकिन के दरवाजा का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना की।

मृत्यु -

- बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया। इसके बाद इल्तुतमिश की बीमारी बढ़ती गई। अन्ततः अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई।
- इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था, जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था और उसमें सुधार किया था।
- इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है जो एक कक्षीय मकबरा हैं।

रजिया सुल्तान (1236-1240 ई).

- सुल्ताना रजिया (उसका पुरा नाम जलॉलात उद-दिन-रजिया था)का जन्म -1205 ई .में बंदायूं में हुआ था, उसने उमदत -उल -निस्वाँ की उपाधि ग्रहण करी ।
- रजिया ने पर्दा प्रथा को त्यागकर पुरुषों के समान काबा चोगा पहनकर दरबार की कारवाई में हिस्सा लिया।
- दिल्ली की जनता ने उसे 'रजिया सुल्तान' मानकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। हालांकि वजीर जुनैदी उससे प्रसन्न नहीं था इसलिए इस समय उसने ही रजिया के सिंहासनारोहरण का विरोध किया। रजिया ने उसके बाद वजीर का पद ख्वाजा मुहाजबुद्दीन को दिया।
- वह दिल्ली सल्तनत की पहली एवं आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थी।
- 'सुल्तान रजियत अल दुनिया वाल दीन बिन्त अल सुल्तान' के रूप में सिक्के ढ़ाले गये।
- शासक बनने पर रजिया ने उद्मत-उल-निस्वां की उपाधि धारण की।
- रजिया ने प्रथम अभियान 'रणथम्भौर' पर किया तदुपरान्त ग्वालियर पर हमला किया गया। हालांकि दोनों अभियान असफल रहे।
- रजिया ने महिला वस्त्र त्यागकर पुरुषों के वस्तु काबा (कुर्ता) एवं कुलाह(पगड़ी) धारण करने लगी।
- रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। अक्टूबर 1240 ई. में कैथल में डकैतों ने रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी। और इस तरह 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन तक शासन करने वाली रजिया का अन्त हुआ।"

मुइजुद्दीन बहरामशाह (1240-1242 ई)

- बहरामशाह एक मुस्लिम तुर्की शासक था, जो दिल्ली का सुल्तान था। बहरामशाह गुलाम वंश का था। रजिया सुल्तान को अपदस्थ करके तुर्की सरदारों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली के तख्त पर बैठाया (1240-1242 ई)
- यह इल्तुतमिश का पुत्र तथा रजिया का भाई था।

अलाउद्दीन मसूद शाह (1242-1246 ई)

- मसूद का शासन तुलनात्मक दृष्टि से शांतिपूर्ण रहा। इस समय सुल्तान तथा सरदारों के मध्य संघर्ष नहीं हुए।
- वास्तव में यह काल बलबन की 'शांति निर्माण' का काल था।

नासिरुद्दीन महमूद (1246-1265 ई)

- यह एक तुर्की शासक था, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। यह भी गुलाम वंश से था।
- महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। प्रारंभ में बलबन चहलगामी का सदस्य था।
- बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। सुल्तान ने बलबन को सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब-ए-ममलिकात का पद दिया।
- सद्र-उस-सुदूर धार्मिक विभाग से संबंधित है ।
- अमीर-एक-आखूर अश्वशाला का प्रधान होता था ।
- सर-ए-जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था ।

ग्यासुद्दीन बलबन 1266-1287

- बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की ।
- इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के बाद खरीदा और उसकी योग्यता से प्रभावित हो कर उसे खासदार का पद सौंपा दिया।
- बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम सुल्तान के पद की गरिमा कायम की और दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के प्रबंध किया ।
- जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था उसे बलबन ने नष्ट कर दिया।
- बलबन दिल्ली सल्तनत का एक पहला ऐसा व्यक्ति था, जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता था
- बलबन पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रस्तुत किये।
- वह कुरान के नियमों को शासन व्यवस्था का आधार मानता था उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है ।
- बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए "रक्त और लौह नीति" अपनाई ।
- बलबन ने कहा कि सुल्तान का पद ईश्वर के समान होता है तथा सुल्तान का निरंकुश होना जरुरी है।
- बलबन के अनुसार राजा को शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जाँच नहीं की जा सकती।

- बलबन ने ईरानी परम्पराओं के अनुसार कई परम्पराएँ आरंभ करवाई उसे ''सिजदा'' (भूमि पर लेट कर अभिवादन करना (और'पैबोस' (सुल्तान के चरणों को चूमना (जैसी व्यवस्था भी लागू की जिनका उद्देश्य साफ तौर पर सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना था।
- बलबन ने फारसी रहन-सहन की परम्पराओं को भी अपनाया उसने अपने पौत्रो के नाम भी फारसी सम्राटों की तरह कैकुबाद, कैखुसरों आदि रखे ।
- दीवान-ए-कोही कृषि के विकास के लिए एक विभाग होता था ।
- दीवान-ए-कजा यह न्याय विभाग से संबंधित था ।
- दीवान-ए-बरीद यह गुप्तचर विभाग से संबंधित था ।
- दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है ।
- सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को मजलिस-ए-खलवत के नाम से जाना जाता था ।
- दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना बलबन ने की थी ।
- बलबन के दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार 'नौरोज' काफी धूमधाम से मनाया जाता था इसकी शुरुआत बलबन के समय से ही हुई।
- बलबन ने नवरोज उत्सव शुरू करवाया, जो फारसी)ईरानी (रीति-रिवाज पर आधारित था।
- बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरों-ऐ-अमीर हसन् रहते थे अमीर खुसरों ने अपना साहित्यक जीवन शहजादा मुहम्मद के संरक्षण में शुरू किया ।
- बलबन ने चालीसा का दमन कर दिया क्योंकि यही संस्था राजनीतिक अस्थिरता के लिए उत्तरदायी थी।
- चालीसा द्वारा इल्तुतमिश के बाद के 30 वर्षों में उसके वंश के 5 शासक बनाये गये और मारे गये। यह साजिश का केन्द्र था और इसी के कारण सुल्तान का पद गौरवहीन था।
- अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने ''जिल्ले – इलाही '' की उपाधि धारण की ।
- पूर्व सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खाँ की उपाधि दी थी ।
- बलबन ने दीवान-ए-अर्ज (सैन्य विभाग) की स्थापना की ।
- बलबन के बलबनी/गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्सुद्दीन कैमुर्स था ।

कैकुबाद अथवा 'कैकोबाद' (1287-1290 ई.

- 17-18 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया था।
- कैकूबाद के पूर्व बलबन ने अपनी मृत्यु के पूर्व कैखुसरों को अपना उतराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मुहम्मद ने बलबन की मृत्यु के बाद कूटनीति के द्वारा कैखुसरों को मुल्तान की सूबेदारी देकर कैकुबाद को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा दिया।
- अफ्रीकी यात्री इब्नबतूता ने कैकुबाद के समय में यात्रा की थी, उसने सुल्तान के शासन काल को 'एक बड़ा समारोह' की संज्ञा दी।
- प्रशासन के कार्यों में उसे अक्षम देखकर तुर्क सरदारों ने उसकी तीन वर्षीय पुत्र शम्सुद्दीन कैमुर्स को सुल्तान घोषित कर दिया।
- कालान्तर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उचित अवसर देखकर शम्सुद्दीन का वध कर दिया।
- शम्सुद्दीन की हत्या के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली के तख्त पर स्वयं अधिकार कर लिया।
- इस प्रकार से बाद में दिल्ली की राजगद्दी पर खिलजी वंश की स्थापना हुई।
- ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी थे ।
- तारीख-ए-दिल्ली ग्रंथ के लेखक खुसरो थे ।
- रेहला ग्रंथ के लेखक इब्नबतूता ।
- संगीत राज के लेखक राणा कुम्भा ।
- रागमाला के लेखक पुंडीरक विट्ठल ।
- तारीख-ए-मुहम्मदी के लेखक मुहम्मद विहमद खान थे ।
- खजाइन-उल-फुतुह के लेखक अमीर खुसरो थे ।
- तारीख-ए-यामिनी के लेखक उत्बी थे ।
- तारीख-ए-हिंद अलबरुनी थे ।
- हिन्दू मुस्लिम गान-वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण संगीत वाद्य यंत्र सितार को माना गया है ।
- अमीर खुसरो ने खड़ी बोली भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है ।
- तूती-ए-हिन्द के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली (एटा) में हुआ था । तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे ।

खिलजी वंश (1290-1320 ई.)

जलालद्दीन फिरोज खिलजी (1290-98 ई.)

- कैमूर्स की हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की।
- 1290 ई. में जलालुद्दीन ने कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोंखरी किले में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया।
- जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उदार धार्मिक नीति अपनाई। उसने घोषणा की कि शासन का आधार

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

शासितों (प्रजा) की इच्छा होनी चाहिए। ऐसी घोषणा करने वाला यह प्रथम शासक था। अपनी उदार नीति के कारण जलालुद्दीन ने अपने शत्रुओं को भी उच्च पद दिये थे।

- जलालुद्दीन 70 वर्ष (सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान) की उम्र में सुल्तान बना था।
- जलालुद्दीन फिरोज खिलजी धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, लेकिन 1291-92 में सुल्तान ने ईरानी संत सीद्दी मौला को सुल्तान की आलोचना करने पर मृत्यु दंड दिया।
- 1291 ई. में जलालुद्दीन ने रणथंभौर अभियान किया लेकिन जीत नहीं हुई।
- 1298 ई. जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गयी।
- वर्ष 1296 ई. में कड़ा (मानिकपुर) में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
- सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण रायकर्ण (गुजरात) के शासक पर किया था।
- **प्रमुख कवि**

  अमीर खुसरो तथा हसन् देहलवी थे।

अलाउद्दीन खिलजी (1296-1316 ई.)

- अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के दुसरे शासक थे।
- उसे अपने आपको दूसरा अलेक्जेंडर बुलवाना अच्छा लगता था।
- सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया।
- अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था, जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया था, और जीत हासिल की थी।
- खिलजी के साम्राज्य में उनके सबसे अधिक वफादार जनरल थे मलिक काफूर और खुश्रव खान
- दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ।
- अलाउद्दीन ने मंगोलों के प्रति रक्त एवं युद्ध पर आधारित अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था।
- अलाउद्दीन ने सीरी को नयी राजधानी के रुप में विकसित किया। पहली बार दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक चार दीवारी बनायी गयी।
- सीमान्त प्रदेश की रक्षा लिए एक पृथक सेना और एक सीमा रक्षक का पद लाया। इस पर पहली नियुक्ति गाजी मलिक (गियासुद्दीन तुगलक) की हुई। उसे 1305 में पंजाब का सूबेदार बनाया गया।
- अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है।
- अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया था।
- अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना-नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता है।
- शहना-ए-मंडी यहाँ खाद्यान्नो को बिक्री हेतु लाया जाता था।
- सराए-ए-अदल यहाँ वस्त्र शक्कर जड़ी बूटी मेंवा दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएँ बिकने के लिए आती थी।
- अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक निति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीखे फिरोजशाही से मिलती है।
- जैंमायत खाना मस्जिद अलाई दरवाजा, सीरी का किला व हजार खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था।
- दक्षिण भारत की विजय के अभियान के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा।
- घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की।
- अलाउद्दीन ने भू-राजस्व की दर को बढाकर उपज का ½ भाग कर दिया।
- इसने खम्स (लुट का धन)में सुल्तान का हिस्सा ¼ भाग के स्थान पर ¾ भाग कर दिया।
- सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन के शासन काल में हुए थे।
- घोड़े के नाल के आकार कि मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम अलाई दरवाजा (दिल्ली) पर किया गया था।
- मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था।
- अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी।
- चित्तौड़ के राजा राणा रत्न सिंह की अनुपम सुन्दर रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया।
- अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमिर खुसरो प्रसिद्ध फारसी कवि था। चितौड़ विजय के दौरान अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चितौड़ गया था।
- अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाये जाने वाले दो नवीन कर थे।

(1)**चराई कर** -दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था

(2)**गढ़ी कर** - घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था।

कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी (1316-1320ई.)

- कुतुबुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक

काफूर ने एक वसीयत नामा पेश किया, जिसमें अलाउद्दीन के पुत्रों (खिज्र खाँ , शल्दी खाँ, मुबारक खाँ) के स्थान पर खिज्रखाँ के नाबालिक पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया गया।

- तुर्की सरदारों ने विद्रोह किया तथा मलिक काफूर की हत्या कर मुबारक खिलजी को नाबालिक सुल्तान घोषित कर नायब-ए-ममलिकात बना दिया।
- मुबारक खिलजी ने शिहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी तथा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी नाम से सुल्तान बना। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया
- कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने सैनिकों को छः माह का अग्रिम वेतन दिया था।
- अलाउद्दीन खिलजी की कठोर दण्ड व्यवस्था एवं बाज़ार नियंत्रण आदि व्यवस्था को उसने समाप्त कर दिया था।
- अप्रैल 1320 ई.को खुसरो ने सुल्तान की हत्या कर दी और नासिरुद्दीन खुसरोशाह के नाम से शासक बना।

नासिरुद्दीन खसरो शाह (अप्रैल-सितंबर 1320 ई.)

- अप्रैल 1320 में खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से शासक बना।
- गाजी मलिक जो दीपालपुर का इक्तेदार था के नेतृत्व में खुसरोशाह को मरवा दिया गया तथा तुगलक वंश की स्थापना की गई।
- सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी ।

तुगलक वंश (1320 से 1414ई)

संस्थापक – ग्यासुद्दीन तुगलक

अन्तिम शासक - नासिरुद्दीन महमूद

गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक (1320-1325 ई.)

उपाधि - अल-शहीद (मुहम्मद-बिन-तुगलक के सिक्कों पर ग्यासुद्दीन की यह उपाधि मिलती है।)

विजारत का चरमोत्कर्ष तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ ।

ग्यासुद्दीन तुगलक के समय हुये आक्रमण

- इसके समय 1323 ई में पुत्र जौना खाँ (मुहम्मद बिन तुगलक)ने वारंगल पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। इस समय वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव था।
- 1324ई में जौना खाँ ने वारंगल पर पुनः आक्रमण किया इसे (वारंगल) जीतकर इसका नाम तेलंगाना/सुल्तानपुर रखा।
- ग्यासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल की गड़बड़ी को समाप्त करना था, क्योंकि बलबन के लड़के बुगरा खाँ ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था।
- 1324ई. में ग्यासुद्दीन ने बंगाल का अभियान किया तथा नासिरुद्दीन को पराजित कर बंगाल के दक्षिण एवं पूर्वी भाग को सल्तनत में मिलाया तथा उत्तरी भाग पर नासिरुद्दीन को अपने अधीन शासक घोषित किया।
- ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ 'गाजी' (काफिरों का वध करने वाला) शब्द जोड़ा ।
- शेख निजामुद्दीन औलिया ने ग्यासुद्दीन तुगलक से कहा था की "हुनूज दिल्ली दूर अस्त अर्थात् दिल्ली अभी बहुत दूर है ।

ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा निर्माण कार्य

- इसने दल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की ।
- दिल्ली में मजलिस-ए-हुक्मरान की स्थापना की ।
- तुगलकाबाद में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण किया जिसे छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है ।

ग्यासुद्दीन की मृत्यु

- 1325 ई .में बंगाल विजय के बाद वापिस दिल्ली लौटते समय दिल्ली से कुछ दूर जौना खाँ द्वारा सुल्तान के स्वागत के लिये बनाये गये लकड़ी के महल से गिर जाने से सुल्तान की मृत्यु हो गयी।

नोट - ग्यासुद्दीन तुगलक ने लगभग सम्पूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था।

हक-ए-शर्ब कर सिंचाई पर लगाया जाता है ।

मुहम्मद बिन तुगलक -Muhammad bin Tughlaq (1325-51 ई.)

- दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक लंबे समय तक शासन तुगलक वंश ने किया, तथा सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था
- मुहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बंटा हुआ था मुहम्मद बिन तुगलक के समय साम्राज्य का विस्तार हुआ । सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार इसी का था।
- मुहम्मद बिन तुगलक ने मुस्लिम राजस्व का सिद्धांत दिया तथा अपने सिक्कों पर अल–सुल्तान-जिल्ले-इलाही अंकित कराया।
- मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के प्रमुख स्त्रोत-
- जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखित पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही
- इब्नबतूता का यात्रा वृतांत (रिहला)

- मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा के साथ सहिष्णुता का व्यवहाँ र किया।
- मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर लोगो को नियुक्त किया।
- मुहम्मद बिन तुगलक का एक हिन्दू मंत्री साईराज था तथा दक्षिण का नायब वजीर धारा भी हिन्दू था ।
- होली के त्योहार में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक मुहम्मद बिन तुगलक था।
- 1336 ई में हरिहर प्रथम व बक्का प्रथम ने विजयनगर को स्वतंत्र कराया । तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की।
- 1347 ई में अलाउद्दीन बहमन शाह (हसन् कांगू) ने बहमनी राज्य (महाराष्ट्र) को स्वतंत्र कराया तथा बहमनी राज्य की स्थापना की।
- इसके शासनकाल में कान्हा नायक ने विद्रोह कर स्वतंत्र वारंगल राज्य की स्थापना की।
- मुहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। तथा देवगिरी का नाम परिवर्तित कर मुहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद कर दिया ।
- मुहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास हेतु '"अमीर-ए-कोही" नामक एक नए विभाग की स्थापना की ।
- मुहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में एक "बुद्धिमान मुर्ख शासक" के रूप में जाना जाता है ।
- कहा जाता है की डाक प्रबन्धों के द्वारा मुहम्मद तुगलक के लिए ताजे फल (खुरासान से)एवं पिने के लिए गंगाजल मंगवाया जाता था ।
- एडवर्ड थॉमस ने मुहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ़ मनीअर्स की संज्ञा दी ।
- मुहम्मद बिन तुगलक ने जीन प्रभू सूरी नामक जैन साधू को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था ।
- मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार "बंदायूनी लिखता है की अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से "
- मुहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था । वह सल्तनत का पहला शासक था, जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरें पर गया था ।
- मुहम्मद बिन तुगलक ने बदायूँ में मीरन मुलहीम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरें बनवाये ।
- मुहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था । इस पुस्तक का नाम टूती नामा था जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहिणी नायिका को कहानी सुनाता है, जिसका पति यात्रा पर गया है ।
- मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च, 1351 ई. को सिन्ध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गयी।

फिरोज तुगलक

- फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को हुआ, पुन : फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ ।
- खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोममीन की उपाधि दी गयी ।
- बंगाल-फिरोज ने 1353 एवं 1359 ई. में दो बार बंगाल पर असफल अभियान किया।
- जाजनगर (ओडिसा) -1360 ई.- फिरोज ने पुरी के जगन्नाथ मन्दिर को लूटा।
- नगरकोट-1361 ई - फिरोज ने काँगड़ा में स्थित नगरकोट पर आक्रमण किया। फिरोज ने यहाँ के ज्वालामुखी मन्दिर को लूटा और यहाँ की मुख्य मूर्ति को मदीना भिजवा दिया। यही से 1300 संस्कृत की किताबों को पाया जिसका उसने फारसी में अनुवाद कराया था।
- थट्टा अभियान-1362 ई फिरोज तुगलक का अन्तिम अभियान सिन्ध के थट्टा पर हुआ।
- फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था ।
- फिरोज तुगलक ने पांच बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था।
- फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था । एलिफिस्टन ने फिरोजशाह तुगलक को सल्तनतकाल का अकबर कहा है ।
- सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की सख्यां करीब 1,80000 फिरोज तुगलक के समय थी ।
- दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की । इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया ।
- फिरोज तुगलक ने चाँदी एवं ताम्बे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अध्दा एवं विख कहा जाता था ।

- फिरोज तुगलक के काल में निर्मित खान-ए-जहाँ तेलगानी के मकबरें की तुलना जेरुसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है ।

फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित विभाग –

1. दीवान-ए-इस्तिहाक – पेंशन विभाग
2. दीवान-ए-खैरात – दान विभाग
3. दीवान-ए-बंदगान – दास विभाग

- **फिरोजशाह तुगलक द्वारा बनायी गयी पांच नहरें**

1. यमुना नदी से हिसार तक
2. सतलज नदी से घग्घर नदी तक
3. सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक
4. घग्घर से फिरोजाबाद तक
5. यमुना से फिरोजाबाद तक

संरक्षण

- बरनी ने 'फ़तवा-ए-जहाँदारी' एवं 'तारीख़-ए- शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में सुल्तान फ़िरोज़ ने अनेक मक़बरों एवं मदरसों की स्थापना करवायी। उसने जियाउद्दीन बरनी' एवं 'शम्स-ए-सिराज अफीफ' को अपना संरक्षण प्रदान किया।
- फिरोज तुगलक ने फिरोज़शाही' की रचना की।
- फिरोज़ ने अपनी आत्मकथा 'फतूहात-ए-फिरोज़शाही' की रचना की।

फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित नगर

- फिरोज तुगलक ने स्थापत्य कला के विकास पर भी बल दिया तथा इसके लिए उसने दीवाने-इमारत नामक नया विभाग स्थापित किया।
- इस विभाग द्वारा अनेक मदरसों (प्राथमिक शिक्षण) मकतबों (उच्च शिक्षण) का निर्माण हुआ।
- इस विभाग द्वारा तुगलक ने कुतुबमीनार की मरम्मत करवाई।
- इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नासीरिया मदरसा, हौज-ए-शम्सी की मरम्मत फिरोज तुगलक ने करवाई थी।
- अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित हौज-ए-खास की मरम्मत भी फिरोज तुगलक ने ही करवाई थी।
- फिरोज तुगलक ने 300 नये अनेक नगरों का निर्माण करवाया जैसे – फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार (हरियाण) फिरोजा, जोनपुर।
- फिरोज तुगलक के काल में दो प्रमुख स्थापित विद्वान थे मलिक-ए-सहना तथा इसी का शिष्य अहमद।
- नासिरुद्दीन के शासन काल में ही मध्य एशियाई मंगोल नेता तैमूर ने 1398 ई. में भारत पर आक्रमण किया इस आक्रमण के बाद भारत में सैय्यद वंश की स्थापना हुई ।
- फिरोज तुगलक के शासनकाल में खिज्राबाद (टोपरा गाँव)एवं मेरठ से अशोक के दो स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया ।
- फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की ।
- सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण करवाया था ।
- **खराज** – यह हिन्दुओं पर लागू भूमिकर था । जो उत्पादकता का 1/10 भाग था ।
- **अशर** – यह मुस्लिमों पर लागू भूमिकर था, जो उत्पादकता का 1/10 भाग था ।
- **जकात** – मिल्कियत पर लगने वाला कर था जो 2.5% **या 1/40** वाँ भाग था ।
- **खुम्स** – यह युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था । इसमें 1/5 भाग खजाने का तथा 4/5 भाग सैनिकों का होता था ।
- फिरोजशाह तुगलक ने 24 करों को समाप्त कर केवल चार करों (खराज, खुम्स,जजिया, तथा जकात)को वसूलने का आदेश दिया ।
- लिंटन एवं शहतीर के साथ मेंहराब का प्रयोग तुगलक वास्तुकला की विशेषता थी ।

तुगलक काल में वास्तुकला -

इस काल की प्रमुख इमारतें निम्नलिखित हैं-

तुगलकाबाद -

- ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया । रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ हैं ।
- इस दुर्ग को 'छप्पन कोट' के नाम से भी जाना जाता हैं।
- दुर्ग की दीवारें मिस्र के पिरामिड की तरह अन्दर की ओर झुकी हुई हैं । इसकी नींव गहरी तथा दीवारें मोटी हैं ।

ग्यासुद्दीन का मकबरा

- यह मकबरा चतुर्भुज के आकार के आधार पर स्थित है, मकबरें की ऊँचाई लगभग 81 फीट है। मकबरें में ऊपर संगमरमर का सुन्दर गुम्बद बना है, गुम्बद की छत कई डाटों पर आधारित है। मकबरें में आमलक और कलश का प्रयोग हिन्दू मंदिरों की शैली पर किया गया है।
- लाल पत्थर से निर्मित इस मकबरें के चारों ओर मजबूत मीनार का निर्माण किया गया है । कृत्रिम झील के अन्दर निर्मितइस मकबरें की दीवारें चौड़ी एवं मिस्र के पिरामिडों की तरह भीतर की ओर झुकी हैं।

आदिलाबाद का किला

- महम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद के समीप ही आदिलाबाद नामक किले का निर्माण करवाया था।

जहाँपनाह नगर

- मुहम्मद तुगलक ने इस नगर की स्थापना रायपिथौरा एवं सीरी के मध्य करवाई थी। इस नगर के अवशेषों में सतपुत्र' अर्थात् सात मेंहराबों का पुत्र आज भी वर्तमान में है।
- अवशेष के रूप में बचा'विजय मंडल'सम्भवतः महल का एक भाग था।

शेख़ निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा

- इस मकबरें में संगमरमर का अच्छा प्रयोग किया गया है।

कोटला फिरोजशाह

- सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने पाँचवी दिल्ली बसायी, जिसमें एक महल की स्थापना की। यह कोटला फिरोजशाह के नाम से विख्यात है।
- सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण करवाया।
- दुर्ग के अन्दर निर्मित जामा मस्जिद के सामने सम्राट अशोक का टोपरा गाँव से लाया गया स्तम्भ गड़ा है। मेंरठ से लाया गया अशोक का दूसरा स्तम्भ' कुश्क-ए-शिकार'महल के सामने गड़ा है।
- इसके साथ ही दुर्ग के अन्दर एक दो मंज़िली इमारत के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका उपयोग विद्यालय के रूप में किया जाता था।

फिरोजशाह का मकबरा

यह मकबरा एक वर्गाकार इमारत है। मकबरें की दीवारों को फूल-पत्तियों एवं बेल-बूटों से सजाया गया है। मकबरें में संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है।

सैय्यद वंश (1414 - 1451 ई.)

- सैय्यद वंश (सैय्यद वंश) दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश था।
- इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में 1414 से 1451 ई. तक शासन किया। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की।
- सैय्यद वंश मुस्लिमों की तुर्क जाति का यह अन्तिम राजवंश था।
- सैय्यद वंश शिया समुदाय से संबंधित दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजवंश था।

सैय्यद वंश के शासक :

1. सैय्यद खिज्र खाँ (1414 - 1421 ई.)
2. मुबारक़ शाह (1421 - 1434 ई.)
3. मुहम्मद शाह (1434 - 1445 ई.)
4. आलमशाह शाह (1445 - 1476 ई.)

सैय्यद वंश के शासक-

सैय्यद खिज्र खाँ (1414-1421 ई.)

- खिज्र खाँ ने सैय्यद वंश की स्थापना की। यह सैय्यद वंश का प्रथम शासक था।
- खिज्र खाँ ने 1414 ई में दिल्ली की राज गद्दी पर अधिकार कर लिया। खिज्र खाँ ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत-ए-आला' की उपाधि से ही खुश रखा।
- सुल्तान को राजस्व वसूलने के लिए भी प्रतिवर्ष सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता था।
- खिज्र खाँ ने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम खुदवाया। फ़रिश्ता ने खिज्र खाँ को एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया है।
- सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया सैय्यद वंश था।
- सैय्यद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख-ए-मुबारकशाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिन्दी को संरक्षण प्रदान किया था।

मृत्यु

- 20 मई, 1421 को खिज्र खाँ की मृत्यु हो गई।
- फ़रिश्ता के अनुसार खिज्र खाँ की मृत्यु पर युवा, वृद्ध दास और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया।

मुबारक शाह (1421 - 1434 ई.)

- खिज्र खाँ की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनका पुत्र मुबारक शाह ने दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ली।

मुबारक शाह के कार्य

- मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे 1434 ई. में मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना की।
- मुबारक शाह ने 'शाह' की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के जारी किये।
- उसने अपने नाम से 'खुतबा (प्रशंसात्मक रचना)' पढ़वाया और इस प्रकार विदेशी स्वामित्व का अन्त किया।
- मुबारक शाह के समय में पहली बार दिल्ली सल्तनत में दो महत्त्वपूर्ण हिन्दू अमीरों का उल्लेख मिलता है।
- उसने विद्वान 'याहिया बिन अहमद सर हिन्दी' को अपना राज्याश्रय प्रदान किया था। उसके ग्रंथ 'तारीख़-ए मुबारक शाही' से मुबारक शाह के शासन काल के विषय में जानकारी मिलती है।

मृत्यु

- मुबारक शाह के वज़ीर सरवर-उल-मुल्क ने षड़यन्त्र द्वारा 19 फ़रवरी, 1434 ई. को मुबारक शाह की हत्या कर दी।

मुहम्मद शाह (1434-1445 ई.)

- मुबारक शाह के दत्तक पुत्र मुहम्मद शाह (मुहम्मद बिन खरीद खाँ) को वज़ीर सरवर-उल-मुल्क एवं अन्य अमीरों ने मिलकर 19 फरवरी 1434 को दिल्ली का सुल्तान बना दिया।
- इसने मुल्तान के सुबेदार बहलोल को खान-ए-खाना' की उपाधि दी। मुहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था।
- शासन पर पूर्ण नियंत्रण वज़ीर सरवर-उल-मुल्क का था। मुहम्मद शाह के शासक बनते ही वजीर ने शस्त्रागार, राजकोष एवं हाथियों पर आधिपत्य कर लिया।
- 1440 ई. में महमूद खिलजी ने मुहम्मद शाह पर आक्रमण किया, लेकिन युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई । बहलोल लोदी को मुहम्मद शाह ने अपने पुत्र की संज्ञा दी।

मृत्यु

- बहलोल लोदी ने 1443 ई. में दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ विद्वान उसकी मृत्यु 1445 ई. में मानते है।

आलमशाह शाह (1445 - 1476 ई.)

- आलमशाह (अलाउद्दीन शाह), मुहम्मद शाह का पुत्र था। 1445 ई.में मुहम्मद शाह की मृत्यु के बाद सरदारों ने उसके पुत्र को अलाउद्दीन आलमशाह की उपाधि से इस विनिष्ट राज्य का शासक घोषित किया।
- उसने 1451 ई. में दिल्ली का राजसिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया ।

मृत्यु

- 1476 ई में अलाउद्दीन शाह (आलमशाह) की मृत्यु हो गई । यह सैय्यद वंश का अंतिम सुल्तान था ।

लोदी वंश के शासकः

1. बहलोल लोदी (1451 - 1489 ई.)
2. सिकंदर लोदी (1489 - 1517 ई.)
3. इब्राहिम लोदी (1517 - 1526 ई.)

बहलोल लोदी (1451 - 1489 ई.)

- बहलोल लोदी ने 1451 ई. में लोदी राजवंश की स्थापना की और 1489 ई. तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया ।
- सैय्यद वंश के अंतिम शासक आलमशाह ने बहलोल लोदी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर स्वेच्छा से त्याग दिया था।
- बहलोल लोदी अफगान मूल का था।
- बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद "बहलोल शाह गाजी" की उपाधि ली। उसने सरहिन्द के एक हिन्दू सुनार की बेटी से शादी की।
- दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है ।
- बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था ।
- सुल्तान बहलोल लोदी के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-दाउदी में लिखा कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था ।
- बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद-ए- अली कहकर पुकारता था ।
- बहलोल लोदी की 1489 ई में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा।
- बहलोल लोदी राजदरबार में सिंहासन पर न बैठकर दरबारियों के बीच बैठता था ।

सिकंदर लोदी (1489 - 1517 ई.)

- 1489 ई. में बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी हो गए और लोदी राजवंश का दूसरा शासक बना ।
- उसके बचपन का नाम निजाम खान था, लेकिन सत्ता सम्भालने के बाद उसने अपना नाम "सुल्तान सिकंदर शाह" रख दिया जो बाद में सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।
- सिकंदर लोदी ने 1489 ई. से 1517 ई. तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का दूसरा पुत्र था और बारबक शाह, बहलोल लोदी का सबसे बड़ा पुत्र था, जो जौनपुर का वायसराय था।
- 1494 ई. तक इसने सम्पूर्ण बिहार को जीत लिया। इसने पूर्वी राजस्थान के राजपूत राज्यों पर भी आक्रमण किया तथा धौलपुर, नरवर, मंदरेल, चंदेरी, नागौर, उतागिरी को जीत लिया।
- इन राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये 1504 ई. में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया । तथा उसे अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ पर बादलगढ़ का किला बनाया।

- 1506 ई. में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया तथा कर वसूला लेकिन सल्तनत में नहीं मिला पाया।
- इसने कृषि व वाणिज्य व्यापार के विकास के लिये कदम उठाये। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये अनाज से जकात नामक कर हटाया।
- राज्य में कठोर कानून व्यवस्था के माध्यम से व्यापारियों को संरक्षण दिया। इसने भूमि की पैमाइश करवाई इसके लिये गज-ए-सिकंदरी (30 इंच)को पैमाना बनाया।
- सिकंदर लोदी ने मोहरम मनाने पर पाबंदी लगाई।
- सिकंदर लोदी के आदेश पर आयुर्वेद के संस्कृत ग्रंथ का फारसी में फरहंग-ए-सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया।
- इसी के काल में फारसी भाषा में संगीत पर लज्जत-ए-सिकंदरी नाम से ग्रंथ लिखा गया। कबीर इसका समकालीन था।
- 'गुलरुखी' शीर्षक से फारसी कविताएँ लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था ।
- भारत में पोलो खेलने का प्रचलन तुर्कों ने किया था ।
- सल्तनत काल में दस्तार बन्दान उलेमा को कहा जाता था ।
- सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मन्दिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाइयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था ।
- सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकलने पर एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर रोक लगा दी थी ।
- दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधान मंत्री वजीर मियां भोइया ने 1505 में बनवाई थी ।

इब्राहिम लोदी (1517- 1526 ई.)

- इब्राहीम लोदी, सिकंदर लोदी का सबसे छोटा बेटा था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 ई. में राजगद्दी पर बैठा और 1526 ई. तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह लोदी राजवंश का अंतिम राजा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था।
- 1517-18 ई में इब्राहीम लोदी खातौली (बूंदी) के युद्ध में राणा सांगा से पराजित हुआ।
- तुजुक-ए-बाबरी (बाबर की आत्मकथा) के अनुसार दौलत खाँ लोदी आलम खाँ तथा सांगा के दूत बाबर से आगरा पर आक्रमण करने हेतु मिले थे।

अध्याय -3
भक्ति एवं सूफी आंदोलन

भक्ति आंदोलन -

- भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में सातवीं से बारहवीं शताब्दी के मध्य हुआ, जिसका उद्देश्य नयनार तथा अलवार संतों के बीच मतभेद को समाप्त करना था। इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं।
- अलवार , जिसका शाब्दिक अर्थ है" जो लोग ईश्वर में विसर्जित हैं"वैष्णव कवि-संत थे जिन्होंने विष्णु की प्रशंसा की थी क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए थे।
- भक्ति आंदोलन का प्रचार अलवार तथा नयनार संतों द्वारा किया गया था ।

भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत

रामानुज (12 वीं शताब्दी)

- रामानुज 12 वीं शताब्दी के महान संत थे । भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु रामानुज थे । उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में पेरंबदूर में हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे।
- रामानुज ने मनुष्य की समानता पर बल दिया और जाति व्यवस्था की भर्त्सना की। रामानुज के क्रिया कलाप का मुख्य केन्द्र काँची और श्रीरंगपट्टम था। किन्तु इनके उपदेशों के प्रति चोल प्रशासन के विरोध के कारण यह स्थान छोड़ना पड़ा।
- रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया।

- **माधवाचार्य (13 वीं शताब्दी)**
- माधवाचार्य ने शंकर और रामानुज दोनों के मतों का विरोध किया । माधवाचार्य का विश्वास द्वैतवाद में था
- वे आत्मा व परमात्मा को पृथक-2 मानते थे। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे ।

रामानंद (15वीं शताब्दी)

- रामानंद उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत थे । वे रामानुज के शिष्य थे ।
- रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का काम किया
- भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाये। उनका जन्म इलाहबाद में हुआ था। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति आरंभ की।

कबीर (1440-1510ई.)

- कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे । उन्होंने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को सुनिश्चित रूप दिया । वे हिन्दू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। कबीर के ईश्वर निराकार और सर्वगुण थे।
- उन्होंने जात-पात, मूर्ति पूजा तथा अवतार सिद्धांत को अस्वीकार किया। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहीत हैं। उनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता था। निर्गुण भक्तिधारा में कबीर पहले संत थे जो संत होकर भी अंत तक गृहस्थ बने रहे। वे साम्यवादी विचारधारा के थे।
- जो लोग तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के तीव्र आलोचक थे और हिन्दू मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे उनमें से कबीर और नानक का योगदान सबसे अधिक है।
- कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे । वे हिन्दी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी-निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। उनके लेखन सिक्खों के आदि ग्रंथ में भी मिल जाता है ।
- कबीर पंथ नामक धार्मिक सम्प्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं ।
- कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है। इसमें ब्रजभाषा, अवधि एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं ।
- कबीर ने काशी के पास मगहर में देह त्याग दी। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था।
- हिन्दू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिन्दू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई, तब लोगों ने वहाँ पर फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहाँ से आधे फूल हिन्दुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने।
- मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिन्दुओं ने हिन्दू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है । जन्म की भाँति इनकी मृत्यु तिथि एवं घटना को लेकर भी मतभेद हैं किन्तु अधिकतर विद्वान् उनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी (सन् 1518 ई.) मानते हैं, लेकिन बाद के कुछ इतिहासकार उनकी मृत्यु 1448 को मानते हैं।
- कबीर जी के अनुयायी कबीरपंथी कहलाए । कबीर के उपदेश शब्द सिक्खों के आदिग्रंथ में संगृहीत है ।
- कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है ।
- कबीर की मृत्यु 1510 ई. में मगहर में हुई थी ।

रविदास - (रैदास) (15 वीं शताब्दी)

- ये रामानंद के अति प्रसिद्ध शिष्यों में से थे । जो जन्म से चमार थे लेकिन इनका धार्मिक जीवन जितना गूढ़ था, उतना ही उन्नत और पवित्र था। सिक्खों के गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहीत रविदास के तीस से अधिक भजन हैं ।

दादु (1544 -1603 ई.)

- कबीर तथा नानक के साथ निर्गुण भक्ति की परंपरा में दादु का महत्त्वपूर्ण स्थान है।
- इनका जन्म अहमदाबाद में एक जुलाहा के यहाँ हुआ था इनकी मृत्यु 1603 ई. में राजस्थान के नराना या नारायण गाँव में हुई जहाँ इनके अनुयायियों (दादु पंथियों) का मुख्य केन्द्र है।
- सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म सम्प्रदाय की स्थापना की अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था ।
- दादु जी ने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की।
- दादु जी के शिष्य सुन्दरदास थे ।

गुरुनानक (1469-1538 ई.)

- इनका जन्म 1469 ई. में तलवंडी (आधुनिक ननकाना) पंजाब में एक खत्रीकुल परिवार में हुआ । एकेश्वर वाद तथा मानव मात्र की एकता गुरु के मौलिक सिद्धांत थे।
- इनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से इनका विवाह हुआ।
- गुरु नानक देव ने सिक्ख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के शासन काल में की थी ।
- गुरुनानक जी ने सिक्ख धर्म की स्थापना की । नानक सूफी सन्त बाबा फरीद से प्रभावित थे ।
- ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाती नहीं पूछता आगामी दुनिया में कोई जाती नहीं होगी यह सिद्धांत गुरु नानक का है ।

चैतन्य (1486-1533 ई.)

- इनका जन्म 1486 ई में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गाँव में हुआ था । चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्भर था पर बाल्यावस्था में इनका नाम निमाई था। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई।
- इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया ।
- इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है ।
- 1510 ई. में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी ।
- इनकी मृत्यु 1533 ई. में हो गई ।

- चैतन्य महाप्रभु

वल्लभाचार्य (1479-1531 ई.)

- बल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे।
- इनका जन्म 1479 ई. में चम्पार्णय वाराणसी में हुआ था।
- इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लमगुरु था।
- सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे।
- शुद्ध-अद्वैतवाद का सिद्धांत वल्लभाचार्य ने दिया था।

मीराबाई (1498-1546 ई.)

- मीरा बाई सोलहवीं शताब्दी के भारत की एक महान महिला संत थी।
- मीरा बाई का जन्म 1498 ई. में मेंड़ता जिलें के चौकारी ग्राम में हुआ था।
- इनके पिता का नाम रतन सिंह राठोर था।
- मीरा बाई का विवाह 1516 ई. में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की।
- बुद्ध और मीराबाई के दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना था कि संसार दुःख पूर्ण है।
- इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजधानी में लिखे गए हैं।
- इनकी मृत्यु 1546 ई. में द्वारका में हो गयी।

सूरदास (1478- 1584 ई.)

- इनका जन्म आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये अकबर एवं जहाँगीर के समकालीन थे।

तुलसीदास (1532-1623 ई.)

- तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे।
- रामचरित मानस नामक ग्रंथ के रचियता तुलसीदास थे।

सूफी आंदोलन

- जिस प्रकार मध्य कालीन भारत में हिन्दुओं में भक्ति-आंदोलन प्रारम्भ हुआ, उसी प्रकार मुसलमानों में प्रेम भक्ति के आधार पर सूफीवाद का उदय हुआ।
- सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफा शब्द से हुई। सूफा का अर्थ पवित्र है। मुसलमानों में जो सन्त पवित्रता और त्याग का जीवन बिताते थे, वे सूफी कहलाये। एक विचार यह भी है कि
- सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफा से हुई, जिसका अर्थ है ऊन। मुहम्मद साहब के पश्चात् जो सन्त ऊनी कपड़े पहनकर अपने मत का प्रचार करते थे, वे सूफी कहलाये।

सूफी मत के विभिन्न सम्प्रदाय

- सूफी सम्प्रदायों की निश्चित संख्या के बारे में मतभेद है। इनकी संख्या 175 तक मानी जाती है।
- अबुल फजल ने आइन में 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है।
- इन सम्प्रदायों में से भारत में प्रमुख रूप से चार सम्प्रदाय -चिश्ती, सुहारावर्दी, कादरी और नक्शबन्दी अधिक प्रसिद्ध हुए।
- सूफीयों के निवास स्थान खानकाह कहलाते हैं राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को सूफी शब्दावली में 'विलायत 'कहा गया है सूफी संत के उत्तराधिकारी को वलि कहते थे।

सूफी सिलसिला दो वर्गों में विभाजित है-

1. बार शरा-: जो इस्लामी विधान शरा को मानते हैं।
2. बे शरा -: जो शरा को नहीं मानते हैं।

- महिला रहस्य वादीर बिया आठवीं सदी और मंसूर बिन हज्जज प्रारंभिक सूफी संत थे।

भारत में कुल 4 प्रमुख सिल सिले हैं-

1. चिश्ती सम्प्रदाय

- भारत में चिश्ती सम्प्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुआ।
- भारत में चिश्ती सम्प्रदाय की स्थापना मुइनुद्दीन चिश्ती ने की।
- मुइनुद्दीन चिश्ती 1192 ई.में मुहम्मद गौरी के साथ भारत आये थे। इन्होंने अजमेर को चिश्ती सम्प्रदाय का केन्द्र बनाया।
- मुइनुद्दीन चिश्ती हिन्दू और मुसलमान दोनों में लोकप्रिय थे और दोनों धर्मों में इनके शिष्य थे।
- चिश्ती सम्प्रदाय में मुइनुद्दीन चिश्ती के अतिरिक्त जो प्रमुख सन्त हुए, वे थे
- -ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा फरीदउद्दीन मसूद गंज-ए-शिकार, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीर-उद्दीन चिराग-ए दिल्ली, शेख अब्दुल हक, हजरत अशरफ जहाँगीर, शेख हुसम उद्दीन मानिक पुरी और हजरत गेसू दराज।
- शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में समाधि आज भी तीर्थ स्थल बना हुआ है, जहाँ प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में मुसलमान और हिन्दू एकत्र होते हैं।
- मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने चिश्ती सम्प्रदाय को और अधिक विस्तृत बनाया।

- कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे।
- इल्तुतमिश उनका बड़ा सम्मान करता था। उसने इन्हें शेख उल-इस्लाम का उच्च पद देने का प्रस्ताव दिया, परन्तु इन्होंने सुल्तान से किसी भी प्रकार का पद और सम्मान लेना स्वीकार नहीं किया।
- काकी के उत्तराधिकारी ख्वाजा फरीद उद्दीन मसूद गंजे शिकार माया-मोह से कोसो दूर रहते थे। 1265 ई.में उनका देहान्त हो गया।
- निजामुद्दीन ओलिया बाबा फरीद के शिष्य थे।
- उनके कार्य को उनके प्रसिद्ध होनहार शिष्य निजामुद्दीन औलिया ने आगे बढ़ाया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपने मत का केन्द्र दिल्ली को बनाया और बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की।
- "महबूब ए इलाही" निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था।
- शेख निजामुद्दीन औलिया ने सात सुल्तानों का शासन काल देखा था । वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए।
- महान् कवि और लेखक अमीर खुसरो औलिया के शिष्य थे। शेख निजामउद्दीन औलिया के शिष्यों ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया ।
- शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुसार ईश्वर भक्ति दो प्रकार की है- (1) लाजमी (2) मुताद्दी प्रचारिता।

2.सुहरावर्दी सिलसिला-

- शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके प्रवर्तक थे।
- उन्होंने मुल्तान में अपनी खानकाह स्थापित की । जकारिया के पुत्र शर्दुद्दीन आरिफ उनके उत्तराधिकारी बने तथा उनके एक अन्य शिष्य सैय्यद जलालुद्दीन सुर्ख ने कच्छ में एक केन्द्र की स्थापना की ।

सुकादिरी सिलसिला

- कादिरी सम्प्रदाय के प्रवर्तक बगदाद के सैय्यद अबुल कादिर अल जिलानी (1077-1166 ई.) थे।
- भारत में इस सम्प्रदाय का प्रचार मुहम्मद जिलानी और शाह नियामतुल्ला ने किया।
- सैय्यद बन्दगी मुहम्मद ने 1482 ई में सिन्ध को इस सम्प्रदाय का प्रचार केन्द्र बनाया।

नक्शबन्दी सिलसिला

- तुर्किस्तान के ख्वाजा वहाँ अलदीन नक्शबन्द इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे । यह सम्प्रदाय भारत में 16 वीं शताब्दी में ख्वाजा मुहम्मद शाकी गिल्लाह वैरंग द्वारा आया।

- फिरदौसी- सुहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी ।
- सत्तारी सिलसिला- इसकी स्थापना शेख अब्दुल्लाह सत्तारी ने की ।
- इन्होंने खुदा के साथ सीधे संपर्क का दावा किया । इसका मुख्य केंद्र बिहार था।
- **सूफी मत के सिद्धांत**
- सूफी मत के सिद्धांत भक्ति मार्ग के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं।
- शान्ति व अहिंसा में विश्वास- वे शान्ति व अहिसां में हमेंशा विश्वास रखते थे।

भारत में सूफी आंदोलन का प्रसार

- सूफीमत इस्लाम के रहस्यवादी, उदारवादी तथा समन्वयवादी दर्शन की संज्ञा है। सूफीयों ने कुरान की रहस्यवादी एवं उदार व्याख्या की जिसे तरीकत कहा गया।
- सूफी आंदोलन का व्यवस्थित रूप अब्बासियों के खिलाफत युग में दिखायी पड़ता है।
- प्रत्येक सूफी को कुछ अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था-उबूदियत, तरीकत (इश्क), मारिफात, हकीकत, फना (बका)। मुस्लिम रहस्यवाद का जन्म बहादातुल बुजूद (आत्मा-परमात्मा) की एकता के सिद्धान्त से हुआ। इसमें हक को परमात्मा और खल्क को सृष्टि माना गया है।

सूफी सम्प्रदाय के प्रमुख संत

ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती (1146- 1236)

- भारत में चिश्ती सम्प्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे इनका जन्म ईरान के सिस्तान प्रदेश में हुआ था। बचपन में उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया वे ख्वाजा उस्मान हसन् के शिष्य बन गये ।

निजामुद्दीन औलियां (1236 -1325)

- निजामुददीन औलियां का जन्म बदायूं में 1236 में हुआ था । 20 वर्ष की आयु में वे शेख फरीद के शिष्य बन गये ।
- उन्होंने 1265 में चिश्ती सम्प्रदाय का प्रचार प्रारंभ कर दिया था। वे सभी को ईश्वर प्रेम के लए प्रेरित करते ।

अमीर खुसरो (1253-1325)

- अमीर खुसरों का जन्म 1253 में एटा जिलें के पटियाली नामक स्थान में हुआ था । वे एक महान सूफी संत थे ।
- वे 12 वर्ष में ही कविता कहने लगे थे।

- अमीर खुसरो ने अपने प्रयास से" तुगलक नामा" की रचना की वे महान साहित्यकार थे।
- वे संगीत के विशेषज्ञ थे। उन्होंने संगीत के अनेक प्रणालियों की रचना की वे संगीत के माध्यम से हिन्दू मुसलमानों में एकता स्थापित की।
- बाबा फरीद की रचनाए गुरुग्रंथ साहिब में शामिल हैं।
- बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर।
- जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें मुरीद कहा जाट था।
- सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ किहा जाता था।

अध्याय - 5
बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य

- इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में तुर्की गवर्नर अलाउद्दीन हसन् बहमन द्वारा हुई।
- जिसे कि हसन् गंगू के नाम से भी जाना जाता है।

बहमनी राज्य

- वर्ष 1347 में हसन् अब्दुल मुजफ्फर अल उद्दीन बहमनशाह के नाम से राजा बना और उसने बहमनी राजवंश की स्थापना की।
- यह राजवंश लगभग 175 वर्ष तक चला और इसमें 18 शासक हुए।
- बहमनी राज्य के सर्वाधिक विशिष्ट व्यक्तित्व महमूद गवन थे, जो दो दशक से अधिक समय के लिए अमीर उल अलमारा के प्रधान राज्यमंत्री रहे।

केंद्रीय प्रशासन

- वकील-उल -सल्तनत- यह प्रधानमंत्री था। सुल्तान के सभी आदेश उसके द्वारा ही पारित होते थे।
- अमीर-ए-जुमला- यह वित्तमंत्री था।
- वजीर-ए-अशरफ- यह विदेश मंत्री था।
- वजीर-ए-कुल- यह सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था
- पेशवा- यह वकील के साथ संयुक्त रूप से कार्य करता था।
- नाजिर- यह अर्थ विभाग से संलग्न था तथा उपमंत्री की भांति कार्य करता था।
- कोतवाल- यह पुलिस विभाग का अध्यक्ष था।
- सद्-ए-जाहर (राष्ट्र-ए-जहाँ)- यह सुल्तान के पश्चात् राज्य का मुख्य न्यायाधीश था तथा धार्मिक कार्यों तथा राज्य को दिये जाने वाले दान की भी व्यवस्था करता था।

प्रान्तीय शासन

- प्रान्तीय शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने राज्य को चार सूबों में विभाजित किया।
- गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर।
- प्रान्तीय गवर्नर अपने-अपने प्रान्त में सर्वोच्च होता था।
- मुहम्मद शाह तृतीय के समय में बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ।
- उसके प्रधानमंत्री महमूद गवन ने प्रशासनिक सुधारों के अन्तर्गत प्रान्तों को आठ सूबों – बरार को गाविल व माहूर में, गुलबर्गा को बीजापुर व गुलबर्गा में,

दौलताबाद को दौलताबाद व जुन्नार में तथा बीदर को राजामुंद्री और वारंगल में विभाजित किया।

स्थापत्य कला

- गुलबर्गा तथा बीदर के राजमहल, गेसुद राज की कब्र, चार विशाल दरवाजों वाला फिरोज शाह का महल, मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, बीजापुर की गोल गुम्बद तथा बीजापुर सुल्तानों के मकबरें स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं ।
- गोल गुम्बद को विश्व के गुम्बदों में श्रेष्ठ माना जाता है।
- गोलकुंडा तथा दौलताबाद के किले भी इसी श्रेणी में आते हैं।

विजयनगर साम्राज

स्थापना

- विजय नगर मध्य युग में दक्षिण भारत का एक हिन्दू राज्य था।
- विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी थी।
- विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ई० में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की।
- माधवारण्य इनके गुरु थे।
- हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय राजा रुद्रप्रताप देव के सामंत थे ।

विजयनगर के राजवंश

1. संगम वंश - 1336-1485 ई.
2. सालुव वंश - 1485-1505 ई.
3. तुलुव वंश - 1505-1570 ई.
4. अरविड़ु वंश - 1570-1650 ई.

संगम वंश (1336-1485 ई.)

- इस वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे । ये संगम नामक व्यक्ति के पुत्र थे ।

हरिहर (1336-1356 ई.)

- हरिहर प्रथम इस संगम वंश का प्रथम शासक था । अनेंगोंडी इसकी राजधानी थी । इसने 1346 में होयसल और 1352-53 ई. में मदुरै जीत लिया।
- हरिहर प्रथम ने अनगोंदी के स्थान पर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया ।
- हरिहर प्रथम की 1336 ई. में मृत्यु हो गयी थी । उसके बाद उसका भाई राजगद्दी पर बैठा ।

बुक्का (1356-1377 ई.)

- हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम राजा बना।
- 1374 ई.में इसने अपना दूत मंडल चीन भेजा।
- बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की।
- अभिलेखों में बुक्का प्रथम को विजयनगर के पूर्वी पश्चमी व् दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता था ।
- प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित है ।

हरिहर द्वितीय (1377-1406 ई.)

- हरिहर द्वितीय (1377-1404 ई.) ने राजव्यास की उपाधि धारण की ।
- इसने बहमनी राज्य से बेलगाँव और गोवा जीत लिया। इसका मुख्यमंत्री सायण था।

देवराय प्रथम (1406-1422 ई.)

- इन्हें फिरोजशाह बहमन ने पराजित किया। इसे बहमनी सुल्तान के साथ अपनी लड़की का विवाह करना पड़ा तथा दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र में स्थित बाकापुर भी सुल्तान को देना पड़ा, ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश न रहे।
- 1410 ई.में तुंगभद्रा पर बाँध बनवाकर अपने राजधानी के लिए जल निकलवाया।
- इसी के काल में इतावली यात्री निकोलोकोंटी ने विजयनगर की यात्रा की, यहाँ के सामाजिक जीवन, त्यौहारों का भी वर्णन अपने वृत्तान्त में किया है।
- इसके दरबार में हरविलास तथा तेलुगू कवि श्री नाथ थे।

देवराय द्वितीय (1422-1446 ई.)

- यह बुक्का का पुत्र था। इनके अभिलेख पुरे विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त हुआ है।
- इनके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इन्हें गजबेटकर अर्थात् हाथियों का शिकारी की उपाधि मिली।
- इनको इम्माडी देवराय या प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था।
- फारस के दूत अब्दुर्रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का 1443 ई में भ्रमण किया।

मल्लिकार्जन (1446-1465 ई.)

- यह देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारि एवं ज्येष्ठ पुत्र था ।

विरु पाक्ष

- मल्लिकार्जुन के उत्तराधिकारी विरुपाक्ष द्वितीय एक अयोग्य शासक था।

सालव वंश (1485-1505 ई.)

- नरसिंह सालुव ने 1485 ई. विजयनगर में सालव वंश की स्थापना की। इसे प्रथम बलापहार कहा गया।

- 1505 ई में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने शासक की हत्या कर तुलुव वंश की स्थापना की।

तुलुव वंश (1505-1570 ई.)

वीर नरसिंह

- वीर नरसिंह के इस तरह राज गद्दी पर अधिकार करने को विजय नगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी गई।

कृष्ण देवराय (1509-1529 ई.)

- कृष्ण देवराय न केवल तुलुव वंश का अपितु पूरे विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने अपनी विजयों को सांस्कृतिक उपलब्धियों से विजय नगर सम्राज्य को अपने समय में सर्वश्रेष्ठ बना दिया।
- विजयनगर के शासक कृष्ण देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुबशाह के साथ हुआ था ।
- बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कृष्ण देवराय की प्रशंसा की है।
- तालीकोटा (राक्षसी-तंगड़ी) का युद्ध 1565 में हुआ था ।
- **विजयें:-** गजपति शासकों के विरुद्ध विजय:- गजपतियों का शासन उड़ीसा में स्थापित था ।

कृष्ण देवराय की उपाधियाँ

- **यवन राज्य स्थापनाचार्य-:** कृष्ण देवराय ने बहमनी शासक महमूद शाह को दक्षिण की लोमड़ी के नाम से प्रसिद्ध बीदर के चंगुल से मुक्त करवाया इसके उपलक्ष्य में उसने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की।
- **आन्ध्रभोज अथवा अभिनव भोज अथवा आन्ध्र पितामह-:**कृष्ण देवराय स्वयं प्रसिद्ध विद्वान था। उसे कई पुस्तकों को लिखने का श्रेय दिया जाता है। इसके दरबार में भी तेलगू साहित्य के आठ प्रसिद्ध विद्वान रहते थे । जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इसी कारण कृष्ण देवराय को आन्ध्र भोज कहा जाता है।

कृष्ण देव राय की पुस्तकें

- आमुक्त माल्यद:-तेलगू भाषा में यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है । इसे विश्ववित्तीय भी कहा जाता है ।
- ऊषा परिणय:-यह संस्कृत में लिखी पुस्तक है।
- जाम्बवती कल्याण-:यह भी संस्कृत में लिखी पुस्तक है।
- प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्ण देवराय के अधीन तेलुगू साहित्य का स्वर्ण युग था ।

अष्ट दिग्गज:-

- कृष्ण देव राय के दरबार में तेलगू साहित्य के आठ प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था।
- अल्सनी पेड्डन:-ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्वान थे। इन्हें तेलगु कविता के पितामह की उपाधि दी गयी । इनकी पुस्तक मनु चरित है । स्वारो चित्र संभव, हरिकथा सरनसंभू, की भी रचना की।
- तेनाली रामकृष्ण:-इनकी पुस्तक का नाम" पाण्डुरंग महात्म इसकी गणना पाँच महाकाव्यों (तेलगू भाषा के) में की जाती है।
- नदी तिम्मन-:इनकी पुस्तक पराजित हरण है।
- भट्टमूर्ति:-अलंकार शास्त्र से सम्बन्धित पुस्तक नरस भू पालियम इनकी रचना है।
- धू-जोटे:-पुस्तक कल हस्ति महात्म है।
- भोद्यगीर मल्लनम:-पुस्तक, राजशेखर चरित,
- अच्युतराज रामचन्द्र:-पुस्तक, रामाभ्युदय, सकल कथा सार संग्रह ।
- जिंगली सूरत-: पुस्तक राघव पाण्डवीय
- अपने प्रसिद्ध तेलुगू ग्रन्थ अमुक्त माल्यद में अपने राजनीतिक विचारों एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया है।
- इनके दरबार को तेलुगू के आठ महान् विद्वान् एवं कवि (जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है।) सुशोभित करते थे। अतः कृष्ण देवराय को आन्ध्र भोज भी कहा जाता है। अष्ट दिग्गज इन्होंने अनेक मन्दिरों, मण्डपों, तालाबों आदि का निर्माण कराया।
- अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर की स्थापना की।
- डोमिगो पायस और फ्रूआई बार्बोस नामक पुर्तगाली यात्री इन्हीं के शासनकाल में भारत आये थे।
- कृष्ण देवराय ने बंजर और जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाने की कोशिश की।
- उन्होंने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया। उन्होंने हजारा मन्दिर तथा विट्ठल स्वामी के मन्दिर का निर्माण कराया ।

अध्याय – 5

मुगल साम्राज्य (1526-1707)

बाबर से औरंगजेब तक

बाबर (1526 ई.-1530)

- पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल, 1526 को इब्राहिम लोदी और चुगताई तुर्क जलालुद्दीन बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया।
- लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर खानाबदोश बाबर ने तीन शताब्दियों से सत्तारूढ़ तुर्क अफगानी सुल्तानों की- दिल्ली सल्तनत का तख्ता पलट कर दिया।
- बाबर ने मुग़ल साम्राज्य और मुग़ल सल्तनत की नींव रखी ।
- मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे मुगल शासन 17 वीं शताब्दी के आखिर में और 18 वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19 वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ।
- बाबर का जन्म छोटी सी रियासत 'फरगना में 1483 ई. में हुआ था। जो फ़िलहाल उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है।
- बाबर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् मात्र 11 वर्ष की आयु में ही फरगना का शासक बन गया था। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खाँ लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खाँ लोदी ने भेजा था ।
- पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, 1526 ई. को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ. जिसमें बाबर की जीत हुई
- खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ई में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई ।
- चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ई में मेंदनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई ।
- घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ई में अफगानो और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई ।

  नोट -पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था ।
- उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे । जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था ।
- पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर उसके द्वारा किया गया पांचवा आक्रमण था, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराकर विजय प्राप्त की थी और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी।
- बाबर की विजय का मुख्य कारण उसका तोपखाना और कुशल सेना प्रतिनिधित्व था । भारत में तोप का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने ही किया था ।
- पानीपत के इस प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की 'तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने के लिये'उस्मानी विधि जिसे 'रूमी विधि' भी कहा जाता है, का प्रयोग किया था।
- पानीपत के युद्ध में विजय की ख़ुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चाँदी का सिक्का दान में दिया था। अपनी इसी उदारता के कारण बाबर को 'कलन्दर' भी कहा जाता था।
- बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात् उनके शासकों को सुल्तान' कहे जाने की परम्परा को तोड़कर अपने आपको 'बादशाह' कहलवाना शुरू किया।
- पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध 17 मार्च, 1527 ई. में आगरा से 40 किमी दूर खानवा नामक स्थान पर हुआ था।
- खानवा विजय प्राप्त करने के पश्चात् बाबर ने गाज़ी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध के लिये अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिये बाबर ने 'जिहाद' का नारा दिया था।
- खानवा के युद्ध में मुसलमानों पर लगने वाले कर तमगा की समाप्ति की घोषणा की थी, यह एक प्रकार का व्यापारिक कर था।
- 29 जनवरी, 1528 को बाबर ने चंदेरी के शासक मेंदिनी राय पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था। यह विजय बाबर को मालवा जीतने में सहायक रही थी।
- बाबर ने 06 मई, 1529 मेंघाघरा का युद्ध लड़ा था। जिसमें बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना को हराया था।
- बाबर ने अपनी आत्मकथा 'बाबरनामा' का निर्माण किया था, जिसे तुर्की में 'तुजुके बाबरी' कहा जाता है। जिसे बाबर ने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखा है।
- बाबरनामा में बाबर ने तत्कालीन भारतीय दशा का विवरण दिया है। जिसका फारसी अनुवाद अब्दुर्रहीम खानखाना ने किया है और अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती बेबरिज द्वारा किया गया है।
- बाबर ने अपनी आत्मकथा में 'बाबरनामा कृष्णदेव राय तत्कालीन विजयनगर के शासक को समकालीन भारत का शक्तिशाली राजा कहा है। साथ ही पांच

मुस्लिम और दो हिन्दू राजाओं मेवाड़ और विजयनगर का ही जिक्र किया है।

- बाबर ने 'रिसाल ए-उसज' की रचना की थी, जिसे 'खत-ए बाबरी ' भी कहा जाता है।
- बाबर ने एक तुर्की काव्य संग्रह 'दिवान का संकलन भी करवाया था। बाबर ने 'मुबइयान' नामक पद्य शैली का विकास भी किया था।
- बाबर ने संभल और पानीपत में मस्जिद का निर्माण भी करवाया था।
- बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिरों के बीच 1528 से 1529 के मध्य एक बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया।
- बाबर ने आगरा में एक बाग का निर्माण करवाया था, जिसे 'नर-ए-अफगान' कहा जाता था, जिसे वर्तमान में 'आरामबाग-' के नाम से जाना जाता है।
- बाबर को मुबइयान नामक पद्य शैली का जन्म दाता जाता है ।
- बाबर को उदारता के कारण कलन्दर की उपाधि दी गयी थी ।
- बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबेदुल्ला अरहार का अनुयायी था ।
- इसमें चारबाग शैली का प्रयोग किया गया है। यहीं पर 26 दिसम्बर, 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसको दफनाया गया था। परन्तु कुछ समय बाद बाबर के शव को उसके द्वारा ही चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया था।
- बाबर के चार पुत्र हिन्दाल, कामरान, अस्करी और हुमायूँ थे। जिनमें हुमायूँ सबसे बड़ा था फलस्वरूप बाबर की मृत्यु के पश्चात् उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूँ अगला मुग़ल शासक बना।
- पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग एत्मादुद्दौला के मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली का है ।

हुमायूं (1530 ई-1556 ई.)

- बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल वंश के शासन पर बैठा ।
- हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन भाइयों में किया था। उसने कामरान को काबुल एवं कंधार, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को अलवर प्रदान किया था।
- हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे, क्योंकि वे बाबर के समय से ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए प्रयत्नशील थे।
- हुमायूं का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अफगान नेता शेर खाँ था, जिसे शेरशाह शूरी भी कहा जाता है।
- हुमायूं का अफगानों से पहला मुकाबला 1532 ई. में दोंहरिया'नामक स्थान पर हुआ। इसमें अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। इस संघर्ष में हुमायूं सफल रहा।
- 1532 में हुमायूं ने शेर खाँ के चुनार किले पर घेरा डाला। इस अभियान में शेर खाँ ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली
- 1532 ई में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह'नामक नगर की स्थापना की।
- चारबाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूँ के मकबरे में हुआ जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का था ।
- हुमायूँ के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है ।
- स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक हुमायूँ था ।
- हुमायूँ ने 1535 ई में ही उसने बहादुर शाह को हराकर गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त की।
- शेर खाँ की बढ़ ती शक्ति को दबाने के लिए हुमायूं ने 1538 ई में चुनारगढ़ के किले पर दूसरा घेरा डालकर उसे अपनेअधीन कर लिया।
- 1538 ई में हुमायूं ने बंगाल को जीतकर मुग़ल शासक के अधीन कर लिया। बंगाल विजय से लौटते समय 26 जून,1539 को चौसा के युद्ध में शेर खाँ ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया।
- शेर खाँ ने 17 मई, 1540 को बिलग्राम के युद्ध में पुनः हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर बैठा। हुमायूं को मजबूर होकर भारत से बाहर भागना पड़ा।
- 1544 में हुमायूं ईरान के शाह तहमस्प के यहाँ शरण लेकर पुनः युद्ध की तैयारी में लग गया ।
- 15 मई, 1555 को मच्छीवाड़ा तथा 22 जून, 1555 को सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार लिया।
- 23 जुलाई, 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ, परन्तु अगले ही वर्ष 27 जनवरी, 1556को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गयी।
- लेनपूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, "हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी।"

- बैरम खाँ हुमायूं का योग्य एवं वफादार सेनापति था, जिसने निर्वासन् तथा पुनः राजसिंहासन प्राप्त करने में हुमायूं की मदद की।
- हुमायूँनामा की रचना गुल बदन बेगम नी की थी ।
- हुमायूँ ज्योतिष में विश्वाश करता था इसलिए इसने सप्ताह में सातों दिन सात रंग के कपडे पहनने के नियम बनाए ।

शेरशाह सूरी (1540 ई-.1545 ई.)

- बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर 1540 ई में 67 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने मुग़ल साम्राज्य की नींव उखाड़ कर भारत में अफगानों का शासन स्थापित किया।
- शेरशाह का जन्म 1472 ई. में हुआ था । यह सुर वंश से संबंधित था ।
- इसके बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह का पिता हसन् खाँ जौनपुर का एक छोटा जागीरदार था।
- दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खाँ लोहानी ने शेर मारने के उपलक्ष्य में फरीद खाँ की उपाधि प्रदान थी।
- शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड़ का निर्माण करवाया ।
- बहार खाँ लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खाँ ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया।
- 1539 ई. में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर खाँ ने हजरत-ए-आला'की उपाधि धारण की ।
- 1539 ई.में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खाँ ने शेरशाह'की उपाधि धारण की ।
- 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद शेरशाह ने सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की।
- शेरशाह ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़'नामक एक सुदृढ़ किला बनवाया। एवं कन्नोज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया ।
- कबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी ।
- 1542 और 1543 ई.में शेरशाह ने मालवा और रायसीन पे आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया ।
- 1544 ई.में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। बड़ी मुश्किल से सफलता मिली। इस युद्ध में राजपूत सरदार' जैता 'और' कुंपा'ने अफगान सेना के छक्के छुड़ा दिए।
- 1545 ई में शेरशाह ने कालिंजर के मजबूत किले को घेरा डाला, जो उस समय कीरत सिंह के अधिकार में था, परन्तु 22मई 1545 को बारूद के ढेर में विस्फोट के कारण उसकी मृत्यु हो गयी।
- भारतीय इतिहास में शेरशाह अपने कुशल शासन प्रबंध के लिए जाना जाता है।
- शेरशाह ने भूमि राजस्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, जिससे प्रभावित होकर अकबर ने अपने शासन को प्रबंध का अंग बनाया।
- शेरशाह सूरी ने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड (पेशावर से कलकत्ता) की मरम्मत, करवाकर व्यापार और आवागमन को सुगम बनाया।
- डाक – प्रथा की शुरुआत शेरशाह के द्वारा ही किया गया था ।
- मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे ।
- शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, जो मध्यकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है।
- दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था ।
- शेरशाह के शासन काल में भू-राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को मुंसिफ अथवा आमिल कहते हैं ।
- शेरशाह की मृत्यु के बाद भी सूर वंश का शासन 1555 ई.में हुमायूं द्वारा पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने तक कायम रहा ।
- शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंकवाडा सिकन्दरी गज एवं सन् की डंडी का प्रयोग किया । इसने 178 ग्रेन चाँदी का रुपया व 380 ग्रेन ताम्बे के दाम चलाये ।
- शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप वसूल करती थी ।

अकबर (1556 – 1605)

- हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अकबर का कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी, 1556 को मात्र 13 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ।
- अकबर का जन्म 15 अक्टूबर, 1542 को अमरकोट के राजा वीरमाल के प्रसिद्ध महल में हुआ था।
- अकबर ने बचपन से ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था ।
- भारत का शासक बनने के बाद 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खाँ के संरक्षण में रहा।
- अकबर ने बैरम खाँ को अपना वजीर नियुक्त कर खान-ए-खाना की उपाधि प्रदान की थी।

- 5 नवम्बर, 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का मुकाबला अफगान शासक मुहम्मद आदिल शाह के योग्य सेनापति हैमू की सेना से हुआ, जिसमें हैमू की हार एवं मृत्यु हो गयी।
- 1560 से 1562 ई. तक दो वर्षों तक अकबर अपनी धाय मां महम अनगा, उसके पुत्र आदम खाँ तथा उसके सम्बन्धियों के प्रभाव में रहा। इन दो वर्षों के शासनकाल को पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी गयी है।
- अकबर ने दक्षिण भारत के राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था । खानदेश (1591), दौलताबाद(1599) , अहमदनगर (1600) और असीर गढ़ (1601) मुग़ल शासन के अधीन किये गए।
- अकबर ने भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, परन्तु इससे ज्यादा वह अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात है।
- अकबर ने 1575ई.में फतेहपुर सीकरी में इबादतखाना की स्थापना की।
- इस्लामी विद्वानों की अशिष्टता से दुखी होकर अकबर ने 1578ई.में इबादतखाना में सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित करना शुरू किया।
- 1582ई.में अकबर ने एक नवीन धर्म तौहीद-ए-इलाही'या' दीन-ए-इलाही'की स्थापना की, जो वास्तव में विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों का मिश्रण था।
- सिक्खों के चौथे गुरु रामदास ने अकबर द्वारा दी गयी 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी ।
- अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया, साथ ही विधवा विवाह को क़ानूनी मान्यता दी। अकबर ने लड़कों के विवाह की उम्र 16वर्ष और लड़कियों के लिए 14वर्ष निर्धारित की।
- अकबर ने 1562 ई. में दास प्रथा का अंत किया तथा 1563 ई. में तीर्थयात्रा पर से कर को समाप्त कर दिया।
- अकबर ने 1564में जजिया कर समाप्त कर सामाजिक सद्भावना को सुदृढ़ किया।
- 1579में अकबर ने मजहर'या अमोघवृत्त की घोषणा की।
- अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा'का निर्माण कराया था।
- अकबर ने संस्कृत में अल्लोयनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना करवायी थी ।
- अकबर ने 1575-77 ई.में सम्पूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था, जिनकी संख्या बराड़, खानदेश और अहमद नगर को जीतने के बाद बढ़कर 15 हो गया ।
- मुगल चित्रकला शैली में भारतीय ईरानी एवं फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है ।
- अकबर ने सम्पूर्ण साम्राज्य में एक सरकारी भाषा (फारसी), एक समान मुद्रा प्रणाली, समान प्रशासनिक व्यवस्था तथा बाट माप प्रणाली की शुरुआत की।
- अकबर ने 1574-75 ई में मनसबदारी प्रथा'की शुरुआत की, जिसकी खलीफा अब्बा सईद द्वारा शुरु की गयी तथा चंगेज खाँ और तैमूरलंग द्वारा स्वीकृत सैनिक व्यवस्था से मिली थी।
- मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति हम्जानामा है ।
- अकबर ने जैनधर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगतगुरु की उपाधि प्रदान की थी ।
- दीन- ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था ।
- मुगल काल में दरोगा-ए-डाक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था । इसके अतिरिक्त ये पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था ।
- दीवान-ए-तन यह विभाग वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था ।
- मीर आतिश विभाग शाही तोपखाने का प्रमुख प्रधान होता था ।
- दीवान-ए-रिसालत यह विदेश विभाग होता था ।
- मुगल शासक अकबर ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसिय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे ।
- मुशरिफ विभाग यह राज्य की आय का लेखा जोखा रखता था ।
- मरियम महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है जो अकबर ने बनवाया था ।
- दीन- ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अन्तिम हिन्दू शासक रजा बीरबल था । महेशदास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की उपाधि / पदवी दी गयी थी जो हमेंशा अकबर के साथ रहता था ।
- मध्य काल में बँटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण की विधि था ।
- महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था ।
- राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासन काल प्रचलित थी ।
- अकबर के दीवान टोडरमल (खत्री जाति) ने 1580 ई. में दहसाल बन्दोबस्त व्यवस्था लागू की थी ।

- पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवम्बर 1556 ई. को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी।
- 31 जनवरी 1561 ई. को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खाँ नामक युवक ने बैरम खाँ की हत्या कर दी।
- मई 1562 ई. में अकबर ने हरम-दल से अपने को पूर्णत: अलग कर लिया।
- हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुम्भलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खाँ सुर के नेतृत्व के अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था।
- अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था।
- गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यही से उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा।
- गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है।
- अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर समद था।
- दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे।
- फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल हवा महल हिरन मीनार दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जोधाबाई का महल शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा बीरबल का महल आदि हैं।
- अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी सन्त शेख सलीम चिश्ती थे।
- अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ई. को हुई। इस आगरा के निकट सिकन्दरा में दफनाया गया।
- अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था।
- अकबर के शासन काल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर ,बाबा रामदास ,एवं बैजू बाबरा थे।
- हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ई. को मेंवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खाँ ने किया था। अकबर का सेनापति मानसिंह था।
- महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ई. में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अन्दरूनी चोट लग जाने के कारण हो गयी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने चावंड में नई राजधानी बनाई।
- स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ – दिल्ली में हुमायूँ का मकबरा, आगरा का लालकिला, फतेहपुर सीकरी में शाहीमहल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधा बाई का महल, इबादतखाना, इलाहाबाद का किला, और लाहौर का किला।
- अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नौ रत्न थे – 1. अबुल फजल, 2.फैजी, 3. तानसेन, 4. बीरबल, 5. टोडरमल, 6. राजा मानसिंह, 7.अब्दुल रहीम खान – ए – खाना, 8. फकीर अलाउद्दीन, 9. मुल्ला दो प्याज़ा।
- अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की वह दीन-ए-इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था।
- संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ई. में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसका असली नाम रामतनु पांडेय था। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हा आदि।
- कंठाभरण वाणीविलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी।
- तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवाँ के राजा रामचन्द्र के राजाश्रय में थे
- अकबर ने भगवान दास (आमेर के राजा भारमल के पुत्र)के पुत्र को अमीर ऊल ऊमरा की उपाधि दी।
- मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की।
- अकबर को हरमदल से मुक्ति का कार्य 1662 ई. में किया था।
- अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है।
- चार बाग बनाने की परम्परा अकबर के समय शुरु हुई।
- अकबर ने इबादतखाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 ई. में करवाया था।
- अकबर ने इबादतखाने की स्थापना 1575 ई. में किया था।
- अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दु स्समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मुहम्मद हुसेन कश्मीरी को दिया।
- मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी।

- अकबर नक्कारा (नगाड़ा) नामक वाधयंत्र बजाता था ।
- अकबर ने इलाही संवत् की शुरुआत 1583 ई. में की थी ।
- पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर-ए-सादात नाम से तथा मौलाना हुसेन फैज ने यार-ए-डेनिश नाम से किया ।
- हाजी इब्राहीम सरहदी ने अथर्ववेद का मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का अब्दुर्रहीम खानखाना ने तुजुक-ए-बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया ।
- भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद टोडरमल ने किया ।
- अब्दुल कादिर बंदायूँनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया

जहाँगीर (1605 ई -.1627 ई.)

- 17 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र सलीम जहाँगीर के नाम से गद्दी पर बैठा ।
- गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1605 ई में जहाँगीर को अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहाँगीर और खुसरो के बीच भैरावल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ।
- 1585 में जहाँगीर का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री तथा मानसिंह की बहन मानबाई से हुआ, खुसरो मानबाई का ही पुत्र था।
- जहाँगीर का दूसरा विवाह राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाईं से हुआ था, जिसकी संतान शाहजादा खुर्रम (शाहजहाँ) था।
- मई 1611 जहाँगीर ने मेंहरुन्निसा नामक एक विधवा से विवाह किया जो, फारस के मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। जहाँगीर ने मेंहरुन्निसा को नूरमहल 'एवं' नूरजहाँ की उपाधि दी।
- जहाँगीर ने नूरजहाँ के पिता ग्यास बेग को वजीर का पद प्रदान कर एत्माद्दौला की उपाधि दी , जबकि उसके भाई आसफ खाँ को खान-ए-सामा का पद मिला।
- 1621 में जहाँगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया क्योंकि इसके बाद वह 1623 ई. में शाहजहाँ के विद्रोह, 1626 में महावत खाँ के विद्रोह के कारण उलझ गया।
- जहाँगीर ने 1611 में खर्दा , 1615 में खोखर, 1620 में कश्मीर के दक्षिण में किश्तवार तथा 1620 में ही कांगड़ा को जीता ।
- जहाँगीर के शासन की सबसे उल्लेखनीय सफलता 1620 में उत्तरी पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार करना था।
- अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलन्द दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था ।
- अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में निर्मित करवायी थी ।
- 1626 में महावत खाँ का विद्रोह जहाँगीर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। महावत खाँ ने जहाँगीर को बंदी बना लिया था। नूरजहाँ की बुद्धिमानी के कारण महावत खाँ की योजना असफल सिद्ध हुई।
- नूर जहाँ से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके द्वारा बनाया गया' जुटा गुट 'था। गुट में उसके पिता एत्माद्दौला, माता अस्मत बेगम, भाई आसफ खान और शाहजादा खुर्रम सम्मिलित थे।
- जहाँगीर ने तुजुक-ए-जहाँगीरी'नाम से अपनी आत्मकथा की रचना की। इस आत्म कथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खाँ को है ।
- जहाँगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था।
- जहाँगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था ।
- जहाँगीर के शासन काल में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने कप्तान हॉकिंस (1608) और थॉमस (1615) को भारत भेजा। जिससे अंग्रेज भारत में कुछ व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त करने में सफल हुए।
- नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया।
- जहाँगीर 1612 ई.में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया।
- अकबर सलीम को शेखूबाबा कहा करता था। उसने अकबर द्वारा जारी गो हत्या निषेध की परंपरा को जारी रखा।
- जहाँगीर ने सूरदास को अपने दरबार में आश्रय दिया था, जिसने सूरसागर 'की रचना की।
- जहाँगीर के शासन काल में कला और साहित्य का अप्रतिम विकास हुआ। नवंबर 1627 में जहाँगीर की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर के शाहदरा में रावीनदी के किनारे दफनाया गया।
- जहाँगीर को न्याय की जंजीर के लिए यद किया जाता है । यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खम्बे में लगवाई हुई थी ।

- खुसरो को सहायता देने के कारण जहाँगीर ने सिक्खों के 5 वें गुरु अर्जुनदेव को फांसी दिलवा दी खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था ।
- अहमद नगर के वजीर मलिक अम्बर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहाँगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की ।
- बलबन द्वारा प्रारम्भ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस मुगल बादशाह शाहजहाँ ने समाप्त कर दिया था ।
- शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा मीर जुमला द्वारा उपहार में दिया गया था ।
- जब्ता प्रणाली मुगल शासक द्वारा प्रारम्भ की गई थी ।
- लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था ।
- अकबर ने जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को प्रदान की थी ।
- ग्वालियर में स्थित गुजरी महल मानसिंह द्वारा बनवाया गया था ।
- मुगल चित्र कला अपने चरमोत्कर्ष पर जहाँगीर के शासन काल में पहुँची ।
- जहाँगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे – आगा रजा, अबुल हसन्, मुहम्मद नासिर, मुहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारुख बेग, दौलत ।
- जहाँगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की ।
- प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है ।
- रामचन्द्रिका एवं रसिकप्रिया की रचना केशव दास ने की थी ।
- हमजा नामा का विषय चित्रकला है ।
- उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन् को जहाँगीर ने क्रमश : नादिर – अल उस एवं नदिरुज्मा की उपाधि प्रदान की इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडितराज की उपाधि दी ।
- जहाँगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है ।
- जहाँगीर के मकबरें का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था ।
- इतमाद–उद–दौला का मकबरा 1626 ई. में नूरजहाँ ने बनवाया था ।

शाहजहाँ (1627 ई.-1658 ई.)

- शाहजहाँ (खुर्रम) का जन्म 1592 में जहाँगीर की पत्नी जगत गोसाईं से हुआ।
- जहाँगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्कन में था। जहाँगीर की मृत्यु के बाद नूरजहाँ ने लाहौर में अपने दामाद शहरयार को सम्राट घोषित कर दिया।
- 4 फरवरी 1628 ई. को शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरन – ए – सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बेठा ।
- शाहजहाँ का विवाह 1612 ई में आसफ की पुत्री और नूरजहाँ की भतीजी' अर्जुमंद बानो बेगम' से हुआ था, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई।
- दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिन्दू बीरबल था
- जैन संत आचार्य हरिविजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई ।
- शाहजहाँ को मुमताज महल को 14 संतानें हुई लेकिन उनमें से चार पुत्र और तीन पुत्रियाँ ही जीवित रहें। चार पुत्रों में दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शुजा थे, जबकि रोशनआरा, गौहन आरा, और जहाँ आरा पुत्रियाँ थी।
- शाहजहाँ के शासन काल में सिक्खों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह से मुगलों का संघर्ष हुआ जिसमें सिक्खों की हार हुई।
- बीरबल अकबर के नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था । इनका जन्म 1528 ई. में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था ।
- अबुल फजल सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे । इनका जन्म 1550 ई. में हुआ था । इन्होंने आईने-अकबरी व अकबरनामा की रचना की थी ।
- मुल्ला-दो-प्याजा अपनी बुद्धिमानी व वाकपटुता के कारण ये अकबर के नवरत्नों में शामिल किये गये ।
- शाहजहाँ ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण कर के 1633 में उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
- मोहम्मद सैय्यद (मीर जमला), गोलकुंडा के वजीर ने, शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था।
- नगीना मस्जिद आगरा में स्थित है जो शाहजहाँ ने बनवाई थी ।
- मुगल काल का एकमात्र गुम्बदविहीन मकबरा अकबर का मकबरा था ।

- व्यापार, कला, साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्र में चर्मोत्कर्ष के कारण ही इतिहासकारों ने शाहजहाँ के शासन काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी है।
- शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। शाहजहाँ नेआगरा में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया जो कला और स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करते हैं।
- पंडित जगन्नाथ शाहजहाँ के राज कवि थे जिन्होंने गंगा लहरी और रस गंगाधर की रचना की थी।
- शाहजहाँ के पुत्र दारा ने भगवत गीता और योगवासिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया था। शाहजहाँ ने दारा को शाहबुलंद इकबाल की उपाधि से विभूषित किया था।
- दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदो का संकलन है, उसने वेदों को ईश्वरीय कृति माना था। दारा सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित था।
- शाहजहाँ के अंतिम आठ वर्ष आगरा के किले के शाहबुर्ज में एक बंदी की तरह व्यतीत हुए। शाहजहाँ दारा को बादशाह बनाना चाहता था किन्तु अप्रैल 1658 ई को धरमत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित कर दिया।
- जून 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब और मुराद की सेनाओं का मुकाबला शाही सेना से हुआ, जिसका नेतृत्व दारा कर रहा था। इस युद्ध में दारा पुनः पराजित हुआ।
- औरंगजेब और शुजा के बीच इलाहाबाद खंजवा के निकट जनवरी 1659 में एक युद्ध हुआ जिसमें पराजित होकर शुजा अराकान की ओर भाग गया।
- शाहजहाँ की मृत्यु के उपरांत उसके शव को ताज महल में मुमताज महल की कब्र के नजदीक दफनाया गया था।
- शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार मुहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे।
- शाहजहाँ के दरबार में वंशीधर मिस्र एवं हरिनारायण नाम के दो संस्कृत के कवि थे।
- आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँआरा ने करवाया था।
- शाह बुलंद इक़बाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है।
- हुमायूँ के मकबरें को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहाँ ने 1638 ई. में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लेन के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहाँनाबाद की नींव डाली।
- शाहजहाँ के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है।
- शाहजहाँ द्वारा बनवायी गई प्रमुख इमारते है – दिल्ली का लालकिला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामामस्जिद आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि।
- ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहोरी था।
- मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था इसका मुख्य कलाकार बे बादल खाँ था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुरा के जडाऊ कम की एक श्रंखला बनायी गई थी। जिससे पोराणिक यूनानी देवता आर्फीयस को विणा बजाते हुए चित्रित किया गया है।
- शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खाँ को गुण समन्दर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी कवि भी था, को महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया।
- शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करायी।
- 15 अप्रैल 1658 ई. में दारा एवं औरंगजेब के बीच धरमत का युद्ध हुआ इस युद्ध में दारा की पराजय हुई।
- मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियों से ग्रहण किया था।
- प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को पोलज कहा जाता था।

औरंगजेब (1658-1707 ई.)

- औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहन नामक स्थान पर हुआ था।
- उत्तराधिकार के युद्ध में विजय होने के बाद औरंगजेब 21 जुलाई 1658 को मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ।
- औरंगजेब ने 1661 ई. में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जिसने कूच बिहार की राजधानी को अहोमो से जीत लिया।
- औरंगजेब के गुरु मीर मुहम्मद हकीम थे।
- औरंगजेब <u>सुन्नी धर्म</u> को मनाता था उसे <u>जिन्दा पीर</u> कहा जाता था।
- 1633 में मीर जुमला की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खाँ को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया।
- मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक दो बार हुआ था।

- औरंगजेब शाहजहाँ के काल में 1636 ई.से 1644 ई तक दक्षिण के सूबेदार के रुप में रहा । औरंगाबाद मुगलों की दक्षिण सूबे की राजधानी थी।
- शासक बनने के बाद औरंगजेब के दक्षिण में लड़े गए युद्धों को दो भागों में बाँटा जा सकता है - बीजापुर तथा गोलकुंडा के विरुद्ध युद्ध और मराठों के साथ युद्ध।
- औरंगजेब ने 1665 ई. में राजा जयसिंह को बीजापुर शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा।
- जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरन्दर की संधि 22 जून 1665 ई. को संपन्न हुई ।
- पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े तथा बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा।
- शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा किंतु 1689 ई में उसकी पकड़ कर हत्या कर दी गई।
- संभाजी की मृत्यु के बाद सौतेले भाई राजाराम ने भी मुगलों से संघर्ष जारी रखा, जिसे मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है।
- मारवाड़ और मुगलों के बीच हुए इस तीस वर्षीय युद्ध (1679 – 1709 ई.) का नायक दुर्गादास था, जिसे कर्नल टॉड ने यूलिसिस'कहा है।
- औरंगजेब ने सिक्खों के नवें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी।
- औरंगजेब के समय हुए कुछ प्रमुख विद्रोह में अफगान विद्रोह (1667-1672), जाट विद्रोह (1669-1681), सतनामी विद्रोह (1672), बुंदेला विद्रोह (1661-1707), अकबर द्वितीय का विद्रोह (1681), अंग्रेजो का विद्रोह (1686), राजपूत विद्रोह (1679-1709) और सिक्ख विद्रोह (1607-1675 ई.) शामिल थे।
- औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसका प्रमुख लक्ष्य भारत में दार-उल-हर्ष के स्थान पर दार-उल इस्लाम की स्थापना करना था।
- औरंगजेब ने 1663 ई.में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया तथा हिन्दुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया।
- औरंगजेब ने 1668 ई.में हिन्दू त्योहारों और उत्सवों को मनायें जाने पर रोक लगा दी।
- औरंगजेब के आदेश द्वारा 1669 ई. में काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर तथा गुजरात का सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया।
- औरंगजेब ने 1679 ई में हिन्दुओं पर जजिया कर पुनः आरोपित किया ।
- दूसरी ओर उसके शासनकाल में हिन्दू अधिकारियो की संख्या संपूर्ण इतिहास में सर्वाधिक (एक तिहाई) रही।
- औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो गई। इसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है । में दफनाया गया । औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी ।
- औरंगजेब के समय में हिन्दू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी । जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी । औरंगजेब सर्वाधिक हिन्दू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था ।
- औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया । इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा (इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्म दिन पर सोने, चाँदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी । यह अकबर के जमाने में प्रारंभ हुई थी ।)आदि पर प्रतिबंध लगा दिया ।
- औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया । भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गयी । औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था ।
- बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था ।
- मुगल कालीन भू-राजस्व प्रणाली
- **खेत बटाई** – खेत में एक ही अनाज का बँटवारा ।
- **लंक बटाई** – अनाज को खलियान से लाकर बिना भूसा निकाले बँटाई ।
- **रास बटाई** – अनाज से भूसा निकालकर बँटाई
- औरंगजेब के शासनकाल मुगल सेना में सर्वाधिक हिन्दू सेनापति थे ।
- फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नीयर औरंगजेब के चिकित्सक थे ।

आधुनिक भारत का इतिहास

अध्याय – 1
यूरोपीय कम्पनियों का आगमन

भारत में आने वाली यूरोपीय कम्पनियों का क्रम

पुर्तगाली डच ब्रिटिश डेनिश फ्रांसीसी स्वीडस

वास्कोडिगामा

- यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कम्पनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया । भारत में आने के लिए इन्होंने नए समुद्री मार्ग की खोज की ।
- पुर्तगाली व्यापारी वास्कोडिगामा ने 17 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुँच कर की ।
- बन्दरगाह पर कथडाबू नामक स्थान पर पहुंचा । वास्कोडिगामा का स्वागत कालीकट के शासक जमोरिन ने किया ।
- नोट :- पेट्रो अब्रेज केब्रोल भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था।
- 1502 ई. में वास्कोडिगामा पुनः भारत आया था।
- पुर्तगाली:- 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी।
- दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1505 ई. में कन्नूर में की गई ।

फ्रांसिस्को डी. अल्मोड़ा [1505 - 1509]

- फ्रांसिस्को डी. अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर/वायसराय बनकर आया था।
- इसने 1509 में मिस्त्र, तुर्की व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया । इसे पुर्तगाली सरकार ने आदेश दिया था की यह भारत में ऐसे दुर्ग का निर्माण करे जिनका उद्दश्ये बस केवल सुरक्षा न होकर हिन्द महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियत्रण स्थापित करना भी हो (उसके द्वारा अपनाई निति **नीले या शांत जल की निति** कहलाई)
- यह पॉलिसी हिन्द महासागर के व्यापार पर पुर्तगीज नियंत्रण स्थापित करने के लिए अल्मेड़ा ने शुरु की थी।
- पुर्तगाल की राजधानी –लिसबन

अल्फांसो डी० अल्बुकर्क (1509 - 1515)

- भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी. अल्बुकर्क था।
- जो सर्वप्रथम 1509 ई. में भारत आया और उसी समय (1509 ईस्वी) उसने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम - दुर्ग का निर्माण करवाया ।
- 1509 ई० में अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ।
- 1510 ई० पुर्तगालियों ने गोवा के बन्दरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह सुल्तान के अधीन था।
- 1511 ई० में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 ई० में फारस की खाड़ी में अवस्थित हरमुज बन्दरगाह पर अधिकार कर लिया ।
- अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बन्द करवा दी।
- अल्बुकर्क राजाराम मोहन राय का पूर्व गामी था।
- पुर्तगीजों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए अल्बुकर्क ने प्रोत्साहित किया ।
- अल्बुकर्क ने पुर्तगीज सेना में भारतीयों की भर्ती प्रारम्भ की।

निन्हो डी० कुन्हा (1529-1538)

- अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर निन्हों डी० कुन्हा था। जिसने 1529 ई. में भारत में कार्य भार ग्रहण किया ।
- कुन्हा ने 1530 ई. में शासन का प्रमुख केन्द्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बनाया।
- कुन्हा ने दमन, सालसेट, चौल, बम्बई सेन्टटॉमस, मद्रास और हुगली में पुनः अपने केन्द्र स्थापित किये।
- कुन्हा ने हुगली और सेंट टोमें मद्रास के पास पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित किया ।
- भारत में प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर का आगमन पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा 1542-1545 के समय हुआ ।
- मुगल शासक अकबर के दरबार में दो पुर्तगाली इसाई पादरियों मोंसरेट तथा फादर एकाबिवा का आगमन हुआ ।
- भारत में तंबाकू की खेती जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात्य हुई।
- पुर्तगालियों ने ही सन् 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की ।
- 1661 ई० में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट (अंग्रेज) चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह कर लिया और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुम्बई द्वीप दहेज में दे दिया ।

- बंगाल के शासक 'मसूद शाह' द्वारा पुर्तगालियों को चटगाँव और सतगाँव में व्यापारिक कम्पनियाँ खोलने की अनुमति दी गई।
- अकबर' की अनुमति से हुगली में कम्पनी की स्थापना की गई।
- शाहजहाँ ने पुर्तगालियों के अधिकार से 'हुगली' को छीन लिया था।
- कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था :- यह समुद्री व्यापार पर नियंत्रण व्यवस्था थी। इसके अन्तर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना 'परमिट' लिये अरब सागर में नहीं जा सकता था।
- इन जहाजों में काली मिर्च व गोला बारूद ले जाना मना था।

पुर्तगालियों की भारत को देन

- मध्य अमेरिका से तम्बाकू, मूंगफली, आलू, मक्का,पपीता और अमरुद का भारत में प्रवेश पुर्तगालियों ने कराया।
- बादाम, लीची, संतरा, अनानास एवं काजू का प्रवेश अन्य देशों से भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ।
- जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस (1556 ई०) की स्थापना भारत में पुर्तगालियों ने प्रारम्भ की।
- पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ।

डच

- डच पुर्तगालियों के बाद भारत आये।
- डच नीदरलैंण्ड व हॉलैण्ड के निवासी थे।
- डचों की कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी ऑफ नीदरलैण्ड था। की स्थापना 1602 में की थी । वास्तविक नाम वेरिगदें ओस्टइंडीशे कंपनी था ।
- डचों ने भारत में अपनी "प्रथम फैक्ट्री"1605 ई. में मसूली पट्टनम में स्थापित की।
- डचों का भारत में प्रथम दल "कार्नेलियस डी होउटमैन के नेतृत्व में भारत आया । वह भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था ।
- डचों नें 1602 ई० में गुजरात, कोरोमण्डल तट एवं बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की।
- डचों ने मसूली पट्टनम, पुलीकट, सूरत, कराइकल, बालासोर, नागपट्टनम और कोचीन में कोठियाँ खोली।
- डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री '1627'में पीपली-(स्थाई कंपनी)में स्थापित की।
- '1653' में डचों ने हुगली के निकट चिनसुरा में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की ।
- चिनसुरा (बंगाल) में डचों ने गुस्ताबुस नामक किले का निर्माण किया।
- इसके बाद डचों ने 'कासिमबाजार' और पटना' में फैक्ट्री स्थापित की।
- कोचीन और कन्नानोर डचों के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थे।
- '1690 ई०'के बाद पुलीकट के बदले नागपट्टनम डचों का मुख्य केन्द्र बन गया।
- डच मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम व शोरा का व्यापार करते थे।
- डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता (Cartel) पर आधारित थी।
- '1759'में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हुए और उनका भारत से अन्तिम रुप से पतन हो गया।
- बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लार्ड क्लाइव ने किया।
- नोटः- 'मसूली पट्टनम और सूरत से' डच 'नील' का निर्यात करते थे । भडोच बन्दरगाह से डच कपड़े का निर्यात करते थे।
- पुलीकट में डच अपने स्वर्ण बेगोड़ा (सिक्के) डालते थे ।
- भारत में अफीम डचों द्वारा जावा और चीन में निर्यात किया जाता था।
- डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था।
- डच कंपनी के निदेशकों को भद्रजन XVII कहा जाता था।

अंग्रेज

- भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डेन हॉल था जो स्थल मार्ग से '1597'में आया था।
- भारत में कैप्टन हॉकिन्स'1608 ई०'में समुद्री मार्ग से होकर (Red Dragon) नामक व्यापारिक जहाज से सूरत बन्दरगाह पर आया।
- होकीन्स प्रथम अंग्रेज था जिसने भारत की भूमि पर समुद्री मार्ग से प्रवेश किया था ।
- 1599 ई० में लन्दन में व्यापारियों के एक समूह ने The Governor and company of merchants of trading into the east Indies नामक कंपनी की स्थापना पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने हेतु की।
- 31 दिसम्बर 1600 ई० में ब्रिटेन की महारानी एलीजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर इस

कम्पनी को '15 वर्षों' के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की।

- ईस्ट इंडिया कंपनी ने '1608 ई०' में सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोली।
- जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिन्स को '1608' में भारत भेजा।
- 1609 ई०' में कैप्टन हॉकिन्स बादशाह जहाँगीर से आगरा में मिला था।
- जहाँगीर ने हॉकिन्स को चार सौ का मनसब तथा एक जागीर और 'खान की उपाधि' दी।
- कैप्टन हॉकिन्स तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था।
- '1611 ई०' में हॉकिन्स इंग्लैंड लौट गया।
- '1613 ई.' में जहाँगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थाई रूप से एक कोठी खोलने की अनुमति दी।
- हॉकिन्स के वापस जाने के बाद '1615 ई.' में जैम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा।
- 10 जनवरी 1616 ई० में टॉमस रो जहाँगीर से अजमेर में मिला था।
- सर टॉमस रो 3 वर्ष तक 'राजदूत' के रूप में अजमेर, माण्डू, इलाहाबाद में रहा।
- फरवरी 1619 में सर टॉमस रो इंग्लैंड वापस चला गया।
- 1640 ई० में अंग्रेजों ने मद्रास नगर की स्थापना की और आत्मरक्षा के लिए वहाँ एक दुर्ग का निर्माण कराया और उसका नाम 'सेंट जार्ज का किला' ('फोर्ट सेंट जार्ज) रखा।
- हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना तथा राजमहल में अंग्रेजी फैक्ट्रियाँ स्थापित की ।
- 1661 ई० में ही चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी केथरीन से विवाह करने के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में बम्बई बन्दरगाह मिला था।
- चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ई० में बम्बई बन्दरगाह को दस-पोंड वार्षिक किराये पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया ।
- बम्बई का वास्तविक संस्थापक 'गेराल्ड आंगियार' को माना जाता है।
- ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में सम्राट अकबर (1600ई०) का शासन था।
- अंग्रेजो ने हार्मुज बन्दरगाह को पुर्तगालियों से 1604 ई० में जीता था।
- औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् 1715 में कम्पनी ने मुगल दरबार में जॉन सारमन की अध्यक्षता में एक शिष्ट मण्डल भेजा।
- शिष्ट मण्डल में विलियम हेमिल्टन शल्य चिकित्सक था जिसने फरुखसियर को एक भयंकर रोग से स्वस्थ्य किया।

बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना

- 1686 ई० में अंग्रेजों एवं औरंगजेब की भिड़न्त हुई (कारण हुगली में अंग्रेजों द्वारा लूट) लड़ाई में अंग्रेजों की हार हुई एवं अंग्रेजों को हुगली छोड़ना पड़ा।
- औरंगजेब ने अंग्रेजों से 1,50,000 रु. हर्जाना लेकर पुनः व्यापार की छूट प्रदान कर दी।
- 1698 ई० में बंगाल के सूबेदार अजीम-उस-शान ने सूतानती, कोलकाता व गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी।
- जान चार नॉक ने सूतानती, कोलकाता एवं गोविंदपुर को मिलाकर एक नये नगर 'कलकत्ता' की स्थापना की।
- 1700 ई० में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले की स्थापना की गई। इसका गवर्नर- चार्ल्स आयर को बनाया गया।
- सूरत में 10,000 रु.वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त आयात-निर्यात को कर मुक्त कर दिया गया।

डेनिस या डेन कम्पनी

- अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिस व्यापारी 1616ई० में आये।
- डेन लोगों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 ई. में तंजौर के ट्राकोंबार (Tamil Nadu) में स्थापित की ।
- डेन लोगों ने दूसरी फैक्ट्री 1676 ई० में बंगाल के सीरामपुर में स्थापित की ।
- डेनिशों ने भारत में लगभग '25 वर्षों तक व्यापार किया।
- इनके व्यापार में लगातार गिरावट होने के कारण 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियाँ अंग्रेजों के हाथों कम दामों में बेच दी एवं भारत छोड़कर चले गये।

फ्रांसीसी

- भारत में व्यापारिक दृष्टि से सबसे अन्त में फ्रांस के व्यापारी आये ।
- फ्रांस के सम्राट लुई चौदहवें के मंत्री कोलबर्ट के लगातार प्रयासों के बाद 1664 ई० में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई।
- जिसका नाम कम्पनी देस इन्डेस ओरियन्टल रखा गया। इस कंपनी का निर्माण फ्रांस की सरकार द्वारा किया गया ।
- 1667 ई० में फ्रांसिस केरॉन या फ्रेंको कैरो की अध्यक्षता में एक दल भारत आया। इस दल ने 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री (फ्रांसीसी) स्थापित की।
- फ्रांसीसियों ने 1669 ई० में मसूली पट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की।

- 1673 ई० में फ्रेंसिस मार्टिन ने सूबेदार शेर खाँ लोदी से पुंडूचेरी नामक एक गाँव प्राप्त किया जो बाद में पांडिचेरी नाम से जाना गया।
- फ्रेंसिस मार्टिन ने पांडिचेरी में फोर्टलुई का निर्माण कराया ।
- इसीलिए फ्रेंसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
- बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खाँ से भूमि प्राप्त करके 1690-92 में चंद्रनगर, नामक प्रसिद्ध केन्द्र स्थापित किया ।
- 1693 ई० में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन लिया किन्तु 1697 ई० की रिजविक की संधि द्वारा फ्रांसीसियों को पांडिचेरी दोबारा दे दिया गया।
- 1721 ई० में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया।
- 1724ई० में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे पर अधिकार कर लिया ।
- 1739 ई० में फ्रांसीसियों ने करिकाल पर अधिकार कर लिया ।

अंग्रेज, फ्रांसीसी संघर्ष

- भारत में अंग्रेज-फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से आरम्भ हुआ था ।
- उस समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था तथा मछली पट्टनम, करिकाल , माहे, सूरत एवं चन्द्रनगर में उप - कार्यालय थे।
- अंग्रेजों की मुख्य बस्तियाँ - मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में थीं।
- अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का भारत में संघर्ष कर्नाटक से प्रारम्भ हुआ था।

कर्नाटक का प्रथम युद्ध [1746-48 ई.]

- कारण :- यह युद्ध 1740 में आरंभ हुए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था। इसके तात्कालिक कारण निम्नलिखित थे –
- अंग्रेज कैप्टन बावेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों पर कब्जा कर लिया जाना ।
- फ्रांसीसी गवर्नर डूप्ले ने मॉरीशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबुर्डोने की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लेना।
- सेन्ट थोमे का युद्ध (अडयार नदी के किनारे):-
- यह फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया ।
- इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज ने किया। जिसमें फ्रांसीसी सेना की जीत हुई।
- युद्ध की समाप्ति : - यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति एक्स -ला-शापेल की सन्धि (1748 ई.) से हुई। इसके प्रभाव स्वरुप से भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया ।
- कर्नाटक का द्वितीय युद्ध (1749-54.ई.)
- कर्नाटक का तृतीय युद्ध (1756 -1763 ई.)
- पुर्तगाली वायसराय वास्कोडिगामा की समाधि कोचीन में हैं ।
- पुर्तगाली दूत अन्तानियो कैब्राल, अकबर के शासनकाल में भारत आया था।
- भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया की उपमा दी जाती है।
- कालीकट का मलयाली नाम कोषिक्कोड है ।'
- मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे था।
- नील की सबसे अच्छी किस्म बयाना में तैयार होती थी।
- जॉन सरमन मिशन फर्रुखशियर के दरबार में आया था।
- इंटरपोलर कौन थे ?
- एशिया में मुफ्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी ।
- लार्ड राबर्ट क्लाइव को 'स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक' कहा गया है।
- टॉमस रो जहाँगीर से मिलने अजमेर से मांडू आया था ।
- 1505 ई. वी फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था ।
- 1596 ई. में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कारनेलिस डी हाउटमेन था ।
- भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है ।
- अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला यूरोपीय व्यक्ति था ।
- कैप्टन हॉकिन्स को मुगल बादशाह जहाँगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया था ।
- भारत में यूरोपीय शक्तियों द्वारा पहला किला गोवा में निर्मित किया गया ।
- औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रान्त थे।

बहादुर शाह प्रथम (1707-1712 ई०)

- 1707 ई. में 63 वर्षीय बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह आलम -1 भी कहा जाता है, मुगल सम्राट बना।
- बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगायी गई जजिया कर की वसूली बन्द कर दी।

- बन्दा बहादुर ने 1710 में ही गुरुनानक व गुरु गोविन्द सिंह के नाम के सिक्के जारी किये।
- बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर की उपाधि खफी खाँ ने दी।

जहाँदर शाह (1712-13 ई.)

- 51 वर्ष की आयु में 29 मार्च 1712 को शासक बने जहाँदरशाह ने "जुल्फिकार खाँ" को अपना 'वजीर' और उसके पिता 'असद खाँ' को अपना 'वकील' नियुक्त किया ।
- 'जुल्फिकार खाँ' की सलाह पर जहाँदर शाह ने अपने शासन काल में 'जजिया कर' को समाप्त कर दिया।
- जहाँदर शाह ने जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, और 'मिर्जा राजा' की उपाधि दी।
- मारवाड़ के अजीतसिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, और 'महाराजा' की उपाधि दी।
- जहाँदर शाह ने राजाराम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को 5000 का मनसब तथा 'अनूप सिंह' का खिताब दिया।
- जहाँदर शाह एक कमजोर व विलासी शहजादा था तथा शासन के प्रति उदासीन व लापरवाह था इस कारण लोग उसे **'लम्पट मुर्ख'** कहते थे।
- फर्रुखशियर 11 जनवरी 1713 को मुगल सिंहासन पर बैठा ।
- उसने अब्दुलाह खाँ को वजीर और कुतुबुल मुल्क की उपाधि दी ।
- फर्रुखशियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बन्दा बहादुर के नेतृत्व में "सिक्खों की हार" थी।
- फर्रुखशियर एक दुर्बल, कायर, सम्राट था इसलिए इसे मुगल वंश का 'घ्रणित कायर सम्राट' कहा जाता था।
- रफी उद दरजात यह नाम मात्र का और सबसे कम समय (3 माह 4 दिन) तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था|
- रफी – उद दोला इसकी पेचिश रोग के कारण 17 सितम्बर 1719 को फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हो गई।

मुहम्मदशाह (1719-1748 ईस्वी)

- सैय्यद बन्धुओं ने जहाँनशाह के 18 वर्षीय पुत्र रौशन अख्तर को मुहम्मद शाह के नाम से 1719 में गद्दी पर बैठाया ।
- 'सुरा और सुन्दरी' में तल्लीनता के कारण उसे मुहम्मद शाह रंगीला कहा गया ।
- इसके शासन काल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था।
- मुहम्मद शाह के शासन काल में ही अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर 1748 ई० में आक्रमण किया।
- मुहम्मद शाह ने 1720 ई. में अन्तिम रुप से जजिया कर को प्रतिबन्धित कर दिया था ।
- मुहम्मद शाह रंगीला के समय फूल बाजो की सैर नामक उत्सव प्रारम्भ हुआ जो ख्वाजा कुतुबसाहब की दरगाह (दिल्ली) पर आयोजित होता है।

नादिरशाह का आक्रमण (1739 ई०)

- नादिर शाह का जन्म 1688 ई० में खुराशान में हुआ था।
- नादिरशाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था।
- नादिरशाह ने 11 जून 1736 ई० को गजनी को जीता ।
- दिल्ली से वापस लौटते समय नादिरशाह अपने साथ 30,00,00,000 नकद तथा सोना, चाँदी ,हीरे, जवाहरात के अतिरिक्त 10,000 ऊँट, 180 लेखपाल, 100 हिजड़े, 200 लोहार, 200 बढ़ई और 100 पत्थर तराश, 7000 घोड़े अपने साथ लेकर गया था ।
- नादिर शाह, शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन (तख्त-ए-ताउस) जिसकी कीमत 2,0000000 थी अपने साथ ले गया ।
- नादिरशाह विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया।
- मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपनी पुत्री का विवाह नादिरशाह के पुत्र नसीरुल्लाह से कर दिया ।

सम्राट अहमदशाह (1748-1754 ई.)

- यह मोहम्मद शाह का पुत्र था जिसका जन्म ऊधम बाई नर्तकी के गर्भ से हुआ था |
- इसके शासनकाल में "अहमद शाह अब्दाली" ने भारत पर आक्रमण किया था।
- इसने अपने प्रिय हिजड़ों के सरदार जावेद खाँ को नवाब बहादुर की उपाधि दी।
- अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया ।

अहमदशाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण

- अहमदशाह अब्दाली को दुर्रे-दुररानी' अर्थात् युग का मोती की उपमा दी गई है।
- अब्दाली ने पुनः भारत पर पाँचवा आक्रमण किया, जिसे पानीपत का तृतीय युद्ध (14 जनवरी 1761) हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई।
- पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था।

आलमगीर द्वितीय (1754-1758 ई०)

- आलमगीर द्वितीय_इसका वास्तविक नाम अजीमुद्दीन था ।

- इसने औरंगजेब की उपाधि आलमगीर धारण की और अपने आपको 'आलमगीर द्वितीय' के नाम से घोषित किया ।
- इस सम्राट के शासन काल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। जिसमें ईस्ट इंडिया कम्पनी की जीत हुई और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी ।

शाह आलम द्वितीय (1759-1806 ई.)

- शाह आलम द्वितीय इसका वास्तविक नाम अली गौहर था।
- यह आलमगीर द्वितीय का पुत्र था।
- अपने पिता की हत्या के समय अली गौहर 'पटना' में था, जहाँ इसने शाहआलम द्वितीय की उपाधि धारण की।
- 1806 ई० में शाहआलम द्वितीय की मृत्यु हो गई ।
- शाह आलम द्वितीय प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना |

अकबर शाह द्वितीय (1806-1837 ई०)

- शाहआलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बना ।
- इसके समय में 1835 ई० में मुगलों की टकसाले बंद हो गई,और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन आरम्भ हुआ।
- इसने अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु दूत के रूप में राममोहन राय को 'राजा' की उपाधि देकर 1831 ई० में ब्रिटेन भेजा ।
- अंग्रेजों को सर्वप्रथम दीवानी का अधिकार शाह आलम द्वितीय ने दिया था।
- मुगलानी बेगम मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब की एक महिला सूबेदार थीं।
- मुस्लिम शासकों में इब्राहीम शाह द्वितीय को उसकी प्रजा जगतगुरु कहकर बुलाती थी ।

अध्याय – 2
मराठा साम्राज्य

- मराठा शब्द की उत्पत्ति राठा शब्द से हुई है।
- मराठा शक्ति का उदय महाराष्ट्र में हुआ।
- ग्रांड टफ के अनुसार, "मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकुंड की भाति हुआ।"
- मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे ।

शिवाजी (1627-1680 ई.)

- शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ई. की शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग (पूना) में हुआ था।
- इनके पिता का नाम शाह जी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था।
- शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे ।
- शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंण्डदेव थे।
- शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक 16जून 1674 को (रायगढ़) में श्री गंगा भट्ट द्वारा हुआ था।
- शिवाजी का द्वितीय राज्याभिषेक 24 सितम्बर 1674 ई. को तांत्रिक विधि से कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी तांत्रिक द्वारा कराया गया।
- छत्रपति, हिन्दू धर्मोधारक, राजा शिवाजी की उपाधियां थी।
- सर्वप्रथम शिवाजी ने 1646 ई० में तोरण दुर्ग को जीता।
- शिवाजी की दूसरी विजय 1646 ई० में ही मुरम्बगढ़ किले की थी ।
- इसके बाद शिवाजी ने 1654 ई० में पुरंदर का किला जीता |
- 1656 ई० में शिवाजी ने जावली एवं रायगढ़ पर अधिकार किया ।
- 1657 ई० में पहली बार शिवाजी का मुकाबला मुगलों से हुआ।
- भरे दरबार में अफजल खाँ ने कहा कि, "अपने घोड़े से बिना उतरे ही उस पहाड़ी चूहे को बन्दी बना लूँगा |"
- शिवाजी के दो अंगरक्षक जीवमहल और सम्भूजी कावजी थे।
- शिवाजी ने 1659 ई० में ही अफजल खाँ की हत्या कर दी।
- पुरन्दर की संधि (1665 ई.)
- शाइस्ता खाँ की असफलता और सूरत की लूट से तृस्त होकर औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए आमेर के राजा जयसिंह को भेजा।

- जय सिंह के साथ युद्ध में शिवाजी की हार हुई तथा शिवाजी ने 22 जून 1665 ई० को 'पुरन्दर की सन्धि' कर ली।
- इस संधि के तहत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दे दिये और 12 किले अपने पास रखे।
- औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी।
- 1670-1674 ई. तक शिवाजी ने अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया।
- शिवाजी का कर्नाटक अभियान (1677 ई०)
- शिवाजी का अन्तिम और उनके जीवन का सबसे बड़ा अभियान कर्नाटक पर आक्रमण था । जिसमें बेलोर, तंजोर और जिंजी आदि प्रमुख नगर थे ।
- जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता है ।
- 1678 ई० में शिवाजी ने जिंजी के किले को जीता, यह उनकी अन्तिम विजय थी।
- शिवाजी ने 'जिंजी' को अपने दक्षिण भारत की राजधानी बनाया।
- सीदियों पर अधिकार करने के लिए शिवाजी ने नौसेना का निर्माण किया परन्तु शिवाजी पुर्तगालियों से गोआ तथा सीदियों से चोल और जंजीरा को ना जीत सके ।
- 13 अप्रैल 1680 ई० को शिवाजी ज्वर से पीड़ित हो गये और अन्त में उनकी मृत्यु हो गई।
- पुतली बाई शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई।
- शिवाजी का प्रशासन अष्टप्रधान अर्थात् आठ (8) मंत्रियों की एक परिषद् द्वारा चलाया जाता था।

अष्टप्रधान (मंत्रिपरिषद्)

- (i)**पेशवा** (प्रधानमंत्री)
- यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसका कार्य सम्पूर्ण राज्य की देखभाल करना, सरकारी पत्रों तथा दस्तावेजों पर राजा के नीचे मुहर लगाता था।
- (ii)**अमात्य** (पन्त व मजूमदार)
- यह वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। शिवाजी के अमात्य रामचंद्र पंत थे।
- (iii)**वाकियानवीस** (मंत्री)
- राजा एवं दरबार के दैनिक कार्यों की देखभाल करना । यह वर्तमान समय के गृहमंत्री की भांति होता था।
- (iv)**सुमंत** (दबीर)
- यह राज्य का विदेश मंत्री होता था।
- **(v)चिटनिस / सचिव/ शुरुनवीस**
- यह पत्राचार विभाग का प्रमुख था। इसका कार्य राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना तथा परगनों के हिसाब की जाँच करना था।
- (vi)**सेनापति** (सर-ए- नौबत)
- सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबन्ध करना इसका प्रमुख कार्य था।
- (vii)**पण्डितराव** (सद्र)
- धार्मिक मामलों में यह राजा को परामर्श देता था।
- (viii) **न्यायाधीश**
- राजा के बाद यह मुख्य न्यायाधीश होता था इसके अधिकार क्षेत्र में राज्य के सभी दीवानी तथा फौजदारी मामले आते थे।
- पण्डितराव एवं न्यायाधीश को छोड़कर सभी युद्ध में भाग लेते थे ।

मंत्री के अधीन आठ प्रमुख अधिकारी

- दीवान - सचिव
- मजूमदार - लेखापरीक्षक तथा लेखाकार
- फडनिस - उप लेखा परीक्षक
- चिटनिस - पत्राचार लिपिक
- जमादार - खजांची
- सबनिस - कार्यालय प्रभारी
- कारखानिस - रसद अधिकारी
- पोटनिस - रोकडिया

पानीपत का तृतीय युद्ध (14 जनवरी 1761)

- पानीपत का तृतीय युद्ध बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था।
- यह युद्ध 14 जनवरी 1761 ई० में हुआ।
- यह युद्ध अहमदशाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ, युद्ध में मराठों की हार हुई।
- इब्राहीम खाँ गर्दी का भारी तोपखाना इस युद्ध में उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ जबकि अब्दाली की ऊँटों पर रखी घुमने वाली तोपों ने मराठो का सर्व नाश कर दिया ।

अंग्रेज – मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ

संधियाँ	वर्ष
सूरत की संधि	1775
पुरन्दर की संधि	1776
बढ़ गावं की संधि	1779

सालबई की संधि	1782
बसीन की संधि	1802
देवगावं की संधि	1803
सुर्जी अर्जुन गावं की संधि	1803
राजापुर घाट की संधि	1804
नागपुर की संधि	1816
ग्वालियर की संधि	1817
पूना की संधि	1817
मंदसौर की संधि	1818

आंग्ल-मराठा युद्ध,सूरत की संधि

- 7 मार्च 1775 ई० को बम्बई की अंग्रेजी सरकार एवं रघुनाथ राव के मध्य 'सूरत की संधि' हुई।
- आंग्ल मराठा युद्ध (1775-82 ई.)
- द्वितीय आंग्ल- मराठा युद्ध(1803-06 ई0
- तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध (1817-1818 ई.)
- यह युद्ध पेशवा एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई।
- सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू-राजस्व प्रथा से था।
- शिवाजी ने मुगलों को सालहर के युद्ध में हराया था।
- 13 जून 1817 ई. में पेशवा एवं अंग्रेजो के मध्य पूना कि संधि हुई। संधि के तहत पेशवा को मराठा संघ की अध्यक्षता त्यागनी पड़ी।
- 5 नवम्बर 1817 ई० में दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के मध्य "ग्वालियर की संधि"हुई।
- 27 मई 1816 ई. में नागपुर के भोसले एवं अंग्रेजों के मध्य 'सहायक संधि' हुई।
- 6 जनवरी 1818 ई० में होल्कर एवं अंग्रेजों के मध्य 'मन्दसौर की संधि'हुई।अंग्रेज़ों एवं पेशवा के मध्य और दो बार संघर्ष हुआ। जिसमें –कोरेगाँव जनवरी 1818 ई., जिसमें पेशवा की हार हुई।
- दूसरा संघर्ष अष्टी में फरवरी 1818 ई० में हुआ इसमें भी पेशवा की हार हुई।
- 3 जून 1818 ई० में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्म समर्पण जॉन मेल्कम के सामने कर दिया।

- मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब था।
- **<u>महत्वपूर्ण तथ्य</u>**
- शिवाजी को 'पहाड़ी चूहा' की संज्ञा औरंगजेब ने दी।
- शिवाजी ने मुगलों को सलहेर के युद्ध में हराया था।
- बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खाँ सेनानायक को शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था।
- अष्टप्रधान शिवाजी की मंत्रिपरिषद् थी।
- मुगलों की कैद से भागने के पूर्व शिवाजी आगरा में कैद थे।
- औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था।
- "पुरन्दर की संधि" के समय वहाँ पर विदेशी यात्री 'मनूची' उपस्थित था।
- मराठा शासकों में 'शिवाजी'को गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा दी गई।
- शिवाजी द्वारा जमीन मापन हेतु 'कुटही' (जरीब) यंत्र का प्रयोग किया गया था।
- मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों पर किया जाता था।
- मराठो को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल करने वाला मुगल शासक जहाँगीर था।
- मराठों की पर्वतीय सैनिक टुकड़ी को 'मवाली' कहा जाता था।
- शिवाजी के अंगरक्षकों को मवाली सैनिक कहते थे।
- औरंगजेब ने ताराबाई को 'ईमानदार'की उपाधि दी थी।
- बालाजी बाजीराव की प्रशस्ति में यह कहा गया है कि "मराठा घोड़ों ने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय के झरनों तक अपनी प्यास बुझाई"
- पानीपत के तृतीय युद्ध में इब्राहीम गार्दी सैनानी मराठा की ओर से था।
- नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव पेशवा को जाना जाता था।
- अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा बाजीराव द्वितीय पेशवा के काल में समाप्त की गई थी।
- काशी पण्डित इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था।
- मोड़ी लिपिका प्रयोग मराठों के अभिलेखों में किया गया है।
- पतदाम 'नामक कर (Tax) विधवा पुनर्विवाह पर लिया जाता था।
- अव्वल, साधारण और निम्न शब्द भूमि के लिए प्रयुक्त होते थे।
- टण्डल तथा सरटण्डल अधिकारी नौसेना विभाग से सम्बन्धित थे।
- वित्तीय संकट के समय वसूल किया जाने वाला कर कुर्जा-पट्टी यातस्ती पट्टी' था।
- मराठा सरदारों को दिया जाने वाला 'चौथ' आय का 66% भाग "मोकास" कहलाता था।

अध्याय – 3
अंग्रेजों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ

बंगाल के गवर्नर/फोर्ट विलियम के गवर्नर गवर्नर, गवर्नर जनरल & वायसराय

गवर्नर जनरल:

ब्रिटिश भारत में 1773ई .से 1857ई .के बीच तेरह गवर्नर जनरल आए। इनके शासनकाल में निम्नांकित मुख्य घटनाएं एवं विकास हुए-:

वारेन हेस्टिंग (1772- 1785)

- दोहरी शासन प्रणाली]Dual Government System)की समाप्ति)जो बंगाल के गवर्नर)राबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था(।
- प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स था ।
- 1773 ई. रेग्यूलैटिंग एक्ट ।
- 1774 ई. में रोहिल्ला युद्ध एवं अवध के नवाब द्वारा रुहेलखण्ड पर अधिकार।
- 1781 ई. का एक्ट(इसके द्वारा गवर्नर जनरल परिषद एवं कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अधिकार क्षेत्र का निर्धारण किया गया।
- 1782 में सालबाई की संधि एवं(1775-82) में प्रथम मराठा युद्ध।
- 1784 ई. का पिट्स इंडिया एक्ट।
- द्वितीय मैसूर युद्ध (1780-84)
- सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीतिका संबंध (वारेन हेस्टिंग्स एवं वेलेजली)
- 1785 ई. इंग्लैंड वापसी के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया।
- 1784 ई. में सर विलियम जोंस एवं हेस्टिंग्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाली स्थापना करना।
- गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विलकिन्स चार्ल्स को वारेन हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था ।
- वारेन हेस्टिंग के समय 1780 ई. में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकासन् जेम्स आगस्टस हिक्की ने किया था ।
- वारेन हेस्टिंग के काल में बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यु की स्थापना हुई ।
- वारेन हेस्टिंग ने सम्पूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभराय का पुत्र राजा राजवल्लभ था ।

लॉर्ड कार्नवालिस -: 1786 -1793 (1805)

- 1790 -92 ई .में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ।
- 1792 ई .में श्रीरंगपटनम की संधि
- 1793 ई .में बंगाल एवं बिहार में स्थायी कर व्यवस्था जमींदारी प्रथा की शुरुआत।
- 1793ई .में न्यायिक सुधार,
- विभिन्न स्तरों के कोर्ट की स्थापना
- कर प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करना।
- सिविल सर्विस की शुरुआत।
- प्रशासन तथा शुद्धिकरण के लिए सुधार।
- स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को इस्तमरारी, जमींदारी, माल गुजारी एवं बीसवेदारी आदि नाम से भी जाना जाता हैं।
- कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है ।

सर जॉन शोर (1793-98):-

- स्थायी बंदोबस्त)1993) को शुरु करने में इन्होंने 'राजस्व बोर्ड अध्यक्ष के रुप में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

लॉर्ड वेलेजली (1798-1805):-

- लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। उसके कार्यकाल में अंतिम मैसूर युद्ध लड़ा गया।
- इस युद्ध के बाद मैसूर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया।
- लॉर्ड वेलेजली के काल में द्वितीय मराठा युद्ध लड़ा गया था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। यह कंपनी राज के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था।
- उसने सहायक संधि की शुरुआत की ।
- लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम मैसूर के राजा (1799), तंजौर के राजा (1799), अवध के नवाब (1801), पेशवा (1801), बरार के राजा (1803), सिंधिया (1804), जोधपुर , जयपुर, बूंदी और भरतपुर के राजा थे।
- उसने 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- उसने 1799 में सेंसरशिप एक्ट पारित किए जिसका उद्देश्य फ्रांस की मीडिया पर नियंत्रण करना था।

Note:

- सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासकअवध का नवाब (1765)
- वेलेजली डी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक
- हैदराबाद निजाम (1798)

लार्ड मिंटो प्रथम (1807-13):-

- मिंटो के पहले सर जार्ज वार्लो वर्ष)1805-07) के लिए गवर्नर जनरल बना।
- वेल्लोर विद्रोह) 1806)।
- रंजीतसिंह के साथ अमृतसर की संधि) 1809(।
- 1813 ई .का चार्टर एक्ट।

लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813-1823)

- लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल रहा। उसके काल में दो महत्वपूर्ण युद्ध गुरखा युद्ध और तृतीय एंग्लो-मराठा युद्ध लड़े गए।
- गुरखा युद्ध 1814 से 1816 तक लड़ा गया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत और गोरखों की हार हुई।
- इस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का अंत हो गया।
- राजपूताना के राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली।
- उसने सेंसरशिप एक्ट को हटा लिया और स्वतंत्र प्रेस को समर्थन दिया।
- उसके काल में समाचार दर्पण नमक समाचार पत्र 1818 में शुरू हुआ।
- 1823 में लॉर्ड हेस्टिंग्स रिटायर हो गया।
- इसी के समय 1822 ई. में टेनेन्सी एक्ट या कास्तकारी अधिनियम लागू किया गया ।
- 1816 ई. में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ।

लार्ड एमहर्स्ट (1823-28):-

- प्रथम बर्मा युद्ध (1824-26)।
- भरतपुर पर कब्जा (1826)।

लॉर्ड विलियम बैंटिक (1828 -1835)

- लॉर्ड विलियम बैंटिक 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य सती प्रथा का अंत था।
- उसके काल में एंग्लो-बर्मा युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसने कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कार्य किए।
- उसने कंपनी का खर्च 15 लाख स्टर्लिंग वार्षिक तक घटा दिया, मालवा में अफीम पर कर लगाया और कर व्यवस्था को मजबूत किया।
- सतीप्रथा पर पहली रोक 1515 में पुर्तगालियों ने गोवा में लगाई, हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ा।
- इसके बाद 1798 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ हिस्सों में सती प्रथा पर रोक लगाई।
- राजा राममोहन राय ने 1812 से सती प्रथा के विरोध में आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई।
- राजपूताना में यह रोक बाद में लगी, जयपुर स्टेट ने 1846 में सती प्रथा पर रोक लगाई।
- उसने ठगों पर रोक लगाई। ठग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के स्थग से हुई है जिसका अर्थ होता है धूर्त।
- ठगी पर रोक लगाने वाला योग्य अधिकारी विलियम हेनरी स्लीमैन था। स्लेमैन ने 1400 से अधिक ठगों को पकड़ा था। ठग देवी काली की पूजा करते थे ।
- उसने बंगाल प्रेसीडेंसी को 20 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग में एक कमिश्नर नियुक्त किया।
- इलाहाबाद (प्रयागराज) में दीवानी और सदर निजामी अदालत शुरू की।
- मुंसिफ़ो और सदर अमीनों की नियुक्ति की गयी।
- इसी के समय में मैकाले की अनुसंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया ।
- इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया ।
- सन् 1835 ई. में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की ।
- 1833 ई. के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ ।

लॉर्ड ऑकलैंड (1836-42):-

- ऑकलैंड से पहले सर मैटकॉक जो कि एक छोटे समय लिए प्रशासन का प्रभारी बना था, ने 1835 में भारतीय प्रेसों को प्रतिबंधों से मुक्त पर दिया।
- प्रथम अफगान)1839-42), युद्ध में अंग्रेजो को भारी क्षति हुआ एवं ऑकलैंड को वापस बुला लिया गया।
- रंजीत सिंह की मृत्यु)1839)

- 1839 ई.में इसने कलकता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया ।

लार्ड एलनबरो (1842-44):-

- प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति)1842)।
- सिंध पर कब्जा यानि सिंध विजय|(1843)|
- ग्वालियर के साथ युद्ध)1843)।+4
- दास प्रथा की समाप्ति (1843)।

लॉर्ड हार्डिंग (1844-48):-

- प्रथम सिख युद्ध)1845-46)।
- लाहौर की संधि)1846)।
- स्त्री शिशु हत्या पर रोक।
- गोंड एवं मध्य भारत में मानव बलि प्रथा का दमन

लॉर्ड डलहौजी (1848 – 56):-

- द्वितीय सिख युद्ध (1848-49) एवं पंजाब पर कब्जा
- द्वितीय बर्मा युद्ध (1852) एवं बर्मा के निचले भाग पर कब्जा।
- 1853 ई .का चार्टर एक्ट।
- लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है । इसी के समय में भारत में पहली बार 1853 ई . में-रेलवे लाइन)बंबई से थाणे के बीच प्रथम रेल चालू हुई ।
- भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा दिया गया था।
- टेलीग्राफ/प्रथम लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच(, एवं 1853 में डाक व्यवस्था की शुरुआत।
- डॉक्ट्रन ऑफ लेप्स (विलन नीति) लागू किया जाना एवं इसके अन्तर्गत सतारा (1848)-प्रथा, संबलपुर (1849), झाँसी (1853),नागपुर (1854) इत्यादि पर कब्जा
- अवध का नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 ई .को डलहौजी द्वारा अंग्रेजी राज्य में विलय।
- बुड्स शिक्षा डिस्पैच (1854) और अंग्रेजों द्वारा जनसमुदाय को शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेना।।
- सभी प्रांतों में लोक निर्माण विभाग(Public Work Department)की स्थापना।
- संथाल विद्रोह (1855-56)
- विधवा पुनर्विवाह विधेयक (1856) में पारित।
- डलहौजी काल के दौरान ही भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज Roorkee Engineering College की स्थापना हुई थी।

लॉर्ड कैनिंग (1856-58):-

- तीन विश्वविद्यालयों)कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई 1857 ई .में) की स्थापना।
- 1857 ई .का विद्रोह।
- लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अन्तिम गवर्नर जनरल था ।

गवर्नर

लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव (1757 -60, 1765-67):-

- रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। जिसने 'प्लासी के युद्ध'23) जून, 1757) में बंगाल के नवाब सिरजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी।
- कलकत्ता की काउंसिल द्वारा जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया तथा दिसंबर 1759 में इस नियुक्ति को कानूनी वैधता दी गई।
- अवध के नवाब शुजाऊद्दौला के साथ 'इलाहाबाद की संधि'(16 अगस्त 1765)
- क्लाइव को'स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक' भी कहा जाता है।
- इसके समय में अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह हुआ था।
- क्लाइव द्वारा बंगाल से सफलतापूर्वक एक 'लुटेरा राज्य' की स्थापना।
- लॉर्ड राबर्ट क्लाइव के कार्य काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहआलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में 29 अगस्त 1765 को दीवानी अधिकार दिए गए।
- दोहरी शासन व्यवस्था लागू।

हेनरी वैंसिटॉर्ट (1760-65):-

- बक्सर की लड़ाई 22) अक्टूबर 1764)।
- 20 फरवरी,1765ई .में अंग्रेजी एवं नए नवाब के बीच संधि
- बक्सर की लड़ाई के समय वैंसिटॅार्ट ही बंगाल का गवर्नर था ।

वायसराय

लॉर्ड कैनिंग (1856-62)

- 1857 ई .के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा पर नवंबर 1856ई .को भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया।
- इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना।
- ई .आई .सी .ओ .के यूरोपीय सैनिकों द्वारा 1859ई .में स्वेत विद्रोह।
- 1861 ई .में भारतीय परिषद विधेयक पारित किया गया।

- कैंनिग के समय में ही 1856 ई. में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसम्बर 1856 ई. को ईस्वरचन्द्र विद्यासागर की प्रेरणा और देख रेख में हुआ।
- भारत शासन अधिनित्यम 1858 ई. के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया।
- मैंकाले द्वारा प्रारूपित दंड सहिंता को 1858 ई. में कानून बना दिया गया तथा 1859 ई. को अपराध विधान सहिंता लागू की गयी।
- 1861 ए. में इंडियन कौंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गयी।
- कैंनिग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया जिसके अनुसार पुराणी कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त का दिया गया। तथा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी।

लॉर्ड एल्गिन प्रथम (1862- 1863)

- इसने वहाँ बी आंदोलन का दमन किया।
- 1863 ई. में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गयी।

लॉर्ड जॉन लॉरेंस (1864-1869)

- 1865 ई .में भूटान के साथ युद्ध।
- पंजाब और अवध किराएदारी ,1860 , अधिनियमित किया गया था।
- इसी के समय में भारत में दो अकाल पड़े ,पहला उड़ीसा में 1866 और दूसरा बुंदेलखंड और राजपूताना 1868 -1869 ई. में। भीषण अकाल पड़ा।
- इसके समय अवधि के दौरान एक अकाल आयोग सर हेनरी कैम्पवेल की अध्यक्षता में स्थापित।
- सन् 1865 ई. में इसके द्वारा भारत में यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरु की गयी।

लॉर्ड मेंयो (1869- 1872)

- भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं राजनैतिक प्रशिक्षण के लिए दो कॉलेजों की स्थापना। इनमें से प्रथम कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज एवं दूसरा राजस्थान के अजमेंर शहर में मेंयो कॉलेज की स्थापना।
- भारत के सांख्यकीय सर्वेक्षण का गठन यानि भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेंयो के काल में प्रारंभ हुई।
- लॉर्ड मेंयो ने 1872 में कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना।
- राज्य रेलवे व्यवस्था की शुरुआत।
- अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक कैदी द्वारा 1872 ई .में उसकी हत्या।

लॉर्ड नार्थ ब्रुक (1872-1876)

- प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड ।।। की 1875ई .में भारत यात्रा पर आये थे।
- अफगनिस्तान के प्रति एक जोशभरी 'अग्र)फॉरवर्ड'(नीति का अनुसरण।
- अफ़गान प्राशन पर उसका त्यागपत्र।
- इसी के समय पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत।
- आयकर का उन्मूलन तथा 1873में बिहार और बंगाल में अकाल पड़ा।
- लॉर्ड नार्थ ब्रुक ने यह घोषणा की –मेंरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक करवाईयों को बन्द करना है।
- इसी के समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई।

लॉर्ड लिटन (1876-1880)

- 1876 ई .का शाही उपाधि अधिनियम।
- जनवरी 1877ई .में दिल्ली दरबार का आयोजन जिसमें रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी)केसर-ए-हिन्द (की उपाधि प्रदान करना।
- 1878 ई .का वर्नाक्युलर प्रेस विधेयक एवं आर्म्स विधेयक।
- द्वितीय अफ़गान युद्ध 1878-80 सर रिचर्ड स्ट्रेची के अधीन 1878ई .में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति।
- मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नीव अलीगढ़ में 1877में लॉर्ड लिटन के द्वारा रखी गई थी।
- वैधानिक सिविल सेवा परीक्षा (1879)जो इंग्लैंड में आयोजित ,उसमें उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 21से 19 कर दी गई।

लॉर्ड रिपन (1880 – 1884)

- लॉर्ड रिपन के समय 1881 ई .का प्रथम फैक्ट्री विधेयक पारित
- लॉर्ड रिपन के समय 1881 ई .में भारत की प्रथम नियमित जनगणना 254) –million
- 1882 ई .में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत
- वर्ना क्यूलर प्रेस विधेयक 1882ई .में रद्द।
- केन्द्रीय वित्त का 1882ई .में विभाजन।
- सर विलियम हंटर के अधीन शिक्षक आयोग का 1882 ई .में गठन।
- 1863ई .में अकाल संहिता।

- इलबर्ट बिल विवाद -(1883)यूरोपियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओ को हटाया जाना ।
- सिविल सेवा के लिए प्रवेश की अधिकतम उम्र बढ़ा कार 21वर्ष कर दी गई ।

लॉर्ड डफरिन (1884 -1888):-

- तृतीय बर्मा युद्ध) 1885-88)।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना)उस समय लार्ड क्रास राज्य सचिव थे
- इसी के शासन काल में 28 दिसम्बर 1885 ई. को भारतीय राष्टीय कांग्रेस की स्थापना ए. ओ. ह्यूम ने की ।

लॉर्ड लैन्सडाउन (1888-1894):-

- 1891 ई .का दूसरा फैक्टरी विधेयक पारित हुआ ।
- सिविल सेवा का साम्राज्यीय, प्रांतीय एवं अधीनस्थ तीन भागों में विभाजन ।
- 1892 ई .का भारतीय परिषद् विधेयक।
- डूरण्ड कमीशन की नियुक्ति एवं इसके द्वारा ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डूरण्ड रेखा सुनिश्चित करना।

लॉर्ड एल्गिन द्वितीय (1894-1899)

- पूना के चापेकर भाईयों द्वारा 1897 ई .में दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या।
- 1896 में बंबई में प्लेग।
- बीकानेर और हिसार जिलें में गंभीर सूखे।
- 'भारत को तलवार के बाल पर विजित किया गया है और तलवार के बाल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी' यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है ।

लॉर्ड कर्जन (1899-1905):-

- सर थॉमस के अधीन 1902 ई .में विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव देने लिए एक्ट आयोग का गठन किया गया, इसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 ई .में भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक पास किया गया।
- 1904 ई .का प्राचीन स्मारक संरक्षण विधेयक ।
- 1904 ई .में कर्नल यंगहस्बैंड का तिब्बत अभियान
- दिल्ली के पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना।
- कर्जन के समय में 1905 ई .में बंगाल का विभाजन हुआ ।
- कर्जन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना।
- कर्जन ने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की ।
- 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया ।
- कर्जन के समय में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया । जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज दर पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गयी ।
- इस के समय में कलकत्ता में विक्टोरिया मेंमोरियल हॉल का निर्माण हुआ ।

लॉर्ड मिन्टो द्वितीय (1905-1910):-

- विभाजन विरोधी एवं स्वदेशी आंदोलन
- 1907 में सूरत अधिवेशन एवं कॉंग्रेस का विभाजन ।
- 1906 ई .में ढाका के नवाब आगा खाँ एवं अन्य द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना।
- मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिन्टो सुधार अधिनियम 1909 ई. के द्वारा किया गया ।

लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय (1910-1916):-

- लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को खत्म कर मद्रास एवं बंबई की तरह गवर्नरशिप का गठन 1911 ई. में किया गया ।
- बिहार एवं उड़ीसा लिए लेफ्टीनेंट गवर्नरशिप और असम के लिए मुख्य कमिशनरशिप।
- लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में राजा जॉर्ज पंचम एवं रानीमैरी के सम्मान में 1911में दिल्ली दरबार का आयोजन ।
- लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1912 ई .में राजकीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण ।
- लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत) 1914 में हुई थी ।
- 1915ई .में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु ।
- मदनमोहन मालवीय एवं पंजाबी नेताओं द्वारा 1915 में हिन्दू महासभा की स्थापना।
- लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बाल गंगाधर तिलक तथा एनीबेसेंट ने होमरुल लीग की स्थापना 1915 ई. में की ।
- लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 ई. में 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' का कुलाधिपति नियुक्त किया गया ।

लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916-1921):-

- दो होमरुल लीगों की स्थापना, पहली तिलक द्वारा अप्रैल 1916 ई .में एवं दूसरी श्रीमति एनीबेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में की गयी थी ।
- लखनऊ अधिवेशन एवं कांग्रेस का पुनर्मिलन (1916) महत्वपूर्ण भूमिका - एनिबेसेंट की रही ।

- कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता (1916) महत्वपूर्ण भूमिका - तिलक की रही ।
- लॉर्ड चेम्स फोर्ड के काल में गाँधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना (1916), चंपारण सत्याग्रह (1917), अहमदाबाद सत्याग्रह (1918) एवं खेड़ा सत्याग्रह(1918)
- 1916 ई. में पूना में महिला विश्वविध्यालय की स्थापना।
- मोंट-फोर्ड सुधार या 1919ई .का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
- एस .एन .बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल फेडरेशन की 1916ई .में स्थापना।
- रोलेट एक्ट)मार्च 1919
- जलियाँवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 इसी के शासन काल में हुआ था ।
- तिलक की मृत्यु । अगस्त 1920
- खिलाफत समिति का गठन और खिलाफत आंदोलन 1919-20 में शुरुआत।
- इसी के समय में असहयोग आंदोलन की शुरुआत । अगस्त 1920)
- दिसंबर 1920में कांग्रेस का नागपूर अधिवेशन, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन।
- सर एस .पी .सिन्हा की बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्ति)सर सिन्हा गवर्नर बनने वाले प्रथम और ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले दूसरे भारतीय थे, पहले दादा भाई नौरोजी भारतीय थे ।
- लॉर्ड चेम्स फोर्ड के समय में ही तृतीय अफगान युद्ध हुआ था ।

लॉर्ड रीडिंग (1921-1926)

- लॉर्ड रीडिंग के समय में ही चौरी-चौरा घटना)5 फरवरी 1922)और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया ।
- सी .आर दास (देशबंधु)और मोतिलाल नेहरू द्वारा जनवरी 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन।
- रौलेट एक्ट रद्द कर दिया जाना।
- 1923ई. में भारतीय सिविल सेवा हेतु इंग्लैंड एवं भारत दोनों स्थानों पर एक साथ परीक्षा की शुरुआत।
- भारतीय नौसेना के अधिकारी वर्ग का भारतीयकरण शुरू।
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी)1925) में स्थापना।
- 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांण्ड ।

लॉर्ड इरविन(1926-1931):-

- लॉर्ड इरविन क्रिश्चियन वायसराय के रूप में लोकप्रिय हुआ ।
- साइमन कमीशन की नियुक्ति)नवंबर 1927) और कांस द्वारा कमीशन का बहिष्कार ।
- हाईकोर्ट बटलर के नेतृत्व में इंडियन कमीशन की नवंबर 1927ई .में नियुक्ति और इसकी प्रतिक्रिया में राज्य की जनता द्वारा अखिल भारतीय रियासती जनता सम्मेलन) All India States Peoples Conference)का दिसंबर1927 ई.में आयोजन।
- प्रथम भारतीय युवा कांग्रेस का दिसंबर 1928 ई . में सम्मेलन ।
- कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन)दिसंबर (1929 और संपूर्ण स्वराज का संकल्प, 20 जनवरी, 1930 ई . पहला स्वतंत्रता दिवस निश्चित किया जाना।
- 12 मार्च 1930 ई .को गाँधी द्वारा दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू
- 1930 ई. में कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेंज सम्मेलन का वहिष्कार ,गाँधी ईरविन-समझोता और मार्च 1931 ई .में आंदोलन की समाप्ति ।

लॉर्ड वेलिंगटन (1931-1936):-

- इसके समय में सितंबर 1931 ई .में गाँधी जी द्वारा दूसरे गोलमेंज सम्मेलन में भाग लिया गया और सम्मेलन की असफल रहा ।
- काँग्रेस बिना प्रतिनिधित्व तीसरा गोलमेंज सम्मेलन 1982
- ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैंक्ड़ोनाल्ड द्वारा कम्यूनल एवार्ड की घोषणा
- यरवदा जेल में गाँधीजी का आमरण अनसन्
- गाँधी जी और अंबेडवर के बीच पूना पैक्ट)सितंबर 1932)।
- 1935 ई का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टभारत । शासन अधिनियम पास किया गया ।
- 1935 ई .में बर्मा का भारत से अलग होना।
- 1934 ई .में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा सोशलिस्ट काँग्रेस पार्टी की स्थापना।
- 1936 ई. में संपूर्ण भारत किसान सभा की स्थापना।
- 16 अगस्त 1932 को रैम्जे मैंकडोनाल्ड ने विवादास्पद साम्प्रदायिक पंचाट की घोषणा की । इसके समय में 1934 में बिहार में भयंकर भूकम्प आया ।

लॉर्ड लिनलिथगो (1936-1944)

- 1937 ई .में अनेक प्रांतों में काँग्रेस मंत्रिमंडल बना।
- सुभाष चंद्र बोस एवं उनके समर्थकों द्वारा 'फॉरवर्ड ब्लॉक 'की 1939ई .में स्थापना ।

- द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत (1939)।
- काँग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग द्वारा 1939में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाना।
- मार्च 1940ई .को मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव में मुस्लिमों के लिए अलग राज्य की मांग।
- 1940ई .में लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव , काँग्रेस द्वारा इसकी अस्वीकृति और गांधी द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत।
- 1941 ई .में सुभाषचंद्र बोस द्वारा भारत से भाग निकलना ।
- मार्च 1942ई .में क्रिप्स मिशन द्वारा भारत को'स्वशासन 'का प्रस्ताव और काँग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार ।
- 8 अगस्त 1942ई .काँग्रेस द्वारा'भारत छोड़ो आंदोलन 'की शुरुआतहुई , सभी काँग्रेस नेताओं को बंदी बनाया गया । भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है ।
- इसके समय में भारत में पहली बार आम चुनाव कराए गए । कोंग्रेस ने 11 में से 8 प्रान्तों में अपनी सरकारें बनाई । प्रथम 6 प्रान्तों में कोंग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला ।
- 1 मई 1939 ई. में सुभाष चन्द्र बोस ने फोरवर्ड ब्लाक नाम की एक नै पार्टी बनायी थी ।
- लॉर्ड लिनलिथगो को के काल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था ।

लॉर्ड वेवेल(1944 - 1947):-

- सी-राजगोपालाचारी द्वारा C.R.फार्मूला प्रस्तुत करना और इस पर 1944ई .में गांधी-जिन्ना , वार्ता की असफलता।
- 1945 ई .में वेवेल योजना और इस पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन ,और इसकी असफलता।
- I.N.A. पर मुकदमा और 1946 में नौ सनिक विद्रोह।
- 1946 ई .में लॉरेंस, हिप्स और एलेग्जेंडर तीन सदस्यों कैबिनेट मिशन तथा काँग्रेस और लीग दोनों द्वारा इसकी स्वीकृति।
- 17 अगस्त 1946 ई. को लीग द्वारा 'डायरैक्ट एक्शन डे 'की शुरुआत, लैकिन अक्टूबर 1946 ई .में इसका अंतरिम सरकार में शामिल हो जाना। यह संवेधनिक सभा से अलग था।
- सितंबर 1946 ई.को काग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन।
- 1946 ई. में कैबिनेट मिशन भारत आया ।
- ब्रिटेन के लेबर पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को जून 1948 ई. के पहले स्वतंत्र करने की घोषणा की ।

लॉर्ड माउंटबेटन मार्च -अगस्त 1947-1948):-

- माउंटबेटन योजना।
- भारत का विभाजन।
- स्वतंत्रता की प्राप्ति।

Do You know:-

- बंगाल का प्रथम गवर्नर-रॉबर्ट क्लाइव
- बंगाल का अंतिम गवर्नर-वारेन हेस्टिंग्स
- बंगाल का प्रथम गवर्नर-जनरल -वारेन हेस्टिंग्स
- बंगाल का अंतिम गवर्नर-जनरल -विलियम बैंटिक
- भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल -विलियम बैंटिक
- भारत का अंतिम गवर्नर-जनरल -लॉर्ड कैनिंग
- भारत के प्रथम वायसराय -लॉर्ड कॅनिंग
- भारत के अंतिम वायसराय -लॉर्ड माउंटबेटन
- स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल -लॉर्ड मउंटबेटन
- भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर-जनरल-सी . राजगपालचारी

Note :-

- 1858 से भारत के गवर्नर-जनरल को गवर्नर-जनरल तथा वयसराय दोनों नामों से जाना जाने लगा।

अध्याय - 4
1857 की क्रांति से पूर्व के जन आंदोलन

राजनीतिक – धार्मिक आंदोलन
फकीर विद्रोह (1776–77)

- यह विद्रोह बंगाल में विचरणशील मुसलमान धार्मिक फकीरों द्वारा किया गया था ।
- इस विद्रोह के नेता मजनू शाह ने अंगेजी सत्ता को चुनोती देते हुए जमीदारों और किसानों से धन इक्कठा करना आरम्भ कर दिया ।
- मजनू शाह की मृत्यु के बाद चिराग अली शाह ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया ।

सन्यासी विद्रोह (1770 – 1820)

- संन्यासी विद्रोह भारत की आज़ादी के लिए बंगाल में अंग्रेज़ हुकूमत के विरुद्ध किया गया एक प्रबल विद्रोह था।
- संन्यासियों में अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी थे।
- इतिहास प्रसिद्ध इस विद्रोह की स्पष्ट जानकारी बंकिमचन्द्र चटर्जी के उपन्यास 'आनन्दमठ' में मिलती है।

पागलपंथी विद्रोह (1813 - 33)

- उत्तर पूर्वी भारत में प्रभावी पागलपंथी एक धार्मिक पंथ था ।
- उत्तर पर्वी क्षेत्र में हिन्दू मुसलमान और गारो तथा जांग आदिवासी इस पंथ के समर्थक थे ।
- इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा क्रियान्वित भू-राजस्व तथा प्रसासनिक व्यवस्था के कारण व्यापक असंतोष था ।
- इस विद्रोह को 1833 ई. में दबा दिया गया ।

वहाँबी आंदोलन (1820 – 70)

- वहाँ बी आंदोलन मूलतः एक इस्लामिक सुधारवादी आंदोलन था । जिसने कालांतर में मुस्लिम समाज में व्याप्त अन्धविश्वास एवं कुरुतियों के उन्मूलन को अपना उद्देश्य बनाया ।
- इस आंदोलन के संस्थापक अब्दुल वहाँ ब के नाम पर इसका नाम वहाँ बी आंदोलन पड़ा ।
- सैय्यद अहमद बरेलवी ने भारत में इस आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की

कूकाविद्रोह

- कूका विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1860-1870 ई. में हुई थी।
- पश्चिमी पंजाब में 'कूका विद्रोह' की शुरुआत लगभग 1840 ई. में 'भगत जवाहर मल' द्वारा की गयी थी।
- भगत जवाहर मल को 'सियान साहब' के नाम से भी जाना जाता था।
- 1872 ई. में इसके एक नेता 'रामसिंह' को रंगून निर्वासित कर दिया और आंदोलन पर नियन्त्रण पा लिया गया ।

समोसी विद्रोह

- समोसी मराठा राज्य के अधीनस्थ कर्मचारी थे। अत्यधिक लगान वसूली के कारण 1822 में उन्होंने विद्रोह कर दिया ।

गडकरी विद्रोह

- गडकरी विद्रोह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किया गया था।
- 1844 ई. में महाराष्ट्र में 'गड़करी जाति' के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस विद्रोह को अंजाम दिया।

सावंतवादी विद्रोह

- प्रवासीवादी विद्रोहः प्रवासीवादी विद्रोह भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था।
- प्रवासीवादी विद्रोह 1844 में हुआ था।
- प्रवासीवादी विद्रोह का नेतृत्व मराठा सरदार फोंडावंत ने किया था।

मुंडा एवं हो विद्रोह (1820-22)
कोल विद्रोह (1831)

- 1831 में छोटा नागपुर मैं यह कोल विद्रोह हुआ
- इस विद्रोह का प्रमुख कारण कोल आदिवासियों की जमीन छीनकर मुस्लिम और सिख संप्रदाय के किसानों को दे दी इस विद्रोह में गंगा नारायण और बुद्धो भगत ने भूमिका निभाई
- यह विद्रोह मुख्य रूप से रांची हजारीबाग पलामू मानभूम और सिंह भूमि क्षेत्र में फैला ।

संथाल विद्रोह (1855)

- सन् 1855 ईस्वी में जमीदार और साहूकारों के अत्याचार और भूमि कर अधिकारियों के दमनात्मक व्यवहाँ र के प्रति सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में राजमहल एवं भागलपुर के संस्थान आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया ।

चुआर विद्रोह (1798)

- दुर्जन सिंह तथा जगन्नाथ के नेतृत्व में बंगाल के मिदनापुर जिले में 1798 ईसवी में यह विद्रोह हुआ
- इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि कर एवं अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट था इस विद्रोह में यह विद्रोह रुक रुक कर 30 वर्षों तक चला ।

खासी विद्रोह

- भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जब अंग्रेजों ने खासी की पहाड़ियों से लेकर सिलहट के बीच सड़क मार्ग बनाना प्रारंभ किया तो स्थानीय लोगों ने इसे ब्रिटिश राज्य का उनकी स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप मानते हुए विद्रोह किया ।

अहोम आदिवासी विद्रोह (1828)

- यह ब्रिटिश सरकार ने 1828 ईस्वी में असम राज्य के अहोम प्रदेश को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया तो अहोम आदिवासियों ने गोमधर कुंवर नेतृत्व में विद्रोह कर दिया

फरायजी विद्रोह (1838)

- बंगाल के फरीदपुर नामक स्थान पर फरायजी संप्रदाय के अनुमोदन पर शरीयत उल्लाह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया

पश्चिम भारत के प्रमुख आदिवासी विद्रोह

भील विद्रोह (1818)

- 1818 में भील विद्रोह का प्रारंभ हुआ यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ।
- इस विद्रोह का मुख्य कारण कृषि से संबंधित परेशानियां और अंग्रेजों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स थे
- 1825 ईसवी में सेवरम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह किया कार 1846 ई. तक भील विद्रोह चलता रहा,
- भील विद्रोह को भड़काने का आरोप ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और त्र्यंबक जी पर लगा दिया।

बघेरा विद्रोह

- यह विद्रोह ओखा मंडल के बघेरा लोगों द्वारा सन् 1818 से 1819 ई.तक बड़ौदा की गायकवाड राजा द्वारा किया गया

कित्तूर विद्रोह

- कित्तूर के स्थानीय शासक की विधवा रानी चेन्नमा ने किया क्योंकि अंग्रेजों ने राजा के दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी
- यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक कार्यवाही द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया यह विद्रोह 1824 से 1829 ईसवी तक चला

कच्छ विद्रोह (1819)

- कच्छ के राजा भारमल को अंग्रेजों द्वारा शासन से बेदखल करना कच्छ विद्रोह का मुख्य कारण था
- अंग्रेजों ने कच्चे के अल्प वयस्क पुत्र को वहां का शासक बना दिया और भू - कर में वृद्धि कर दी इसका विरोध स्वरूप भारमल और उसके समर्थकों ने 1819 में यह विद्रोह शुरू कर दिया

भारत के अन्य प्रमुख विद्रोह

पालिगर विद्रोह 1801

- तमिलनाडु में नई भूमि व्यवस्था लागू करने के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सन् 1801 ईस्वी में वहां के स्थानीय पाली वालों ने वीपी कट्टा बामन्नान के नेतृत्व में विद्रोह किया गया और यह विद्रोह 1856ईस्वी तक चला।

पाइक विद्रोह (1817)

- मध्य उड़ीसा में पाइक जनजाति द्वारा सन् 1817 ईस्वी से 1825 ईसवी तक यह विद्रोह किया इस विद्रोह के नेतृत्व कर्ता बख्शीजगबंधु ने किया

सूरत का नमक विद्रोह (1817)

- अंग्रेजों द्वारा नमक के कर में 50 पैसे की वृद्धि करने पर इसका विरोध करने के लिए 1844 ईस्वी में सूरत के स्थानीय लोगों ने यह विद्रोह किया इसे विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बढाए नमक करो को वापस ले लिया

नागा विद्रोह(1931)

- नागा विद्रोह रोगमङ्ग जादोनांग के नेतृत्व में भारत के पूर्वी राज्य नागालैंड में हुआ ।
- नाग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नागा राज्य की स्थापना करके प्राचीन धर्म को स्थापित करना था इस आंदोलन की बागडोर एक नागा महिला गैंडिनल्यु ने अपने हाथों में ले ली।

खंड एवं सवार विद्रोह (1837)

- खून दे गम सवार विद्रोह 1837 ईस्वी से लेकर 1856 ईसवी तक बंगाल तमिलनाडु तथा मध्य भारत में रहने वाली खोंड तथा सवार नामक जनजातियों द्वारा चलाया गया
- इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा नरबलि पर रोक तथा नए कर लगाना था ।

युआन जुआंग विद्रोह (1867)

- युवान विद्रोह 1867 ई. ने रत्न नायक के नेतृत्व में क्योंझर में हुआ था
- क्योंझर के राजा के राज्य अभिषेक पर युवान सरदारों को उपस्थित होना अनिवार्य था
- इस प्रथा को अंग्रेज सरकार द्वारा एकदम से समाप्त कर दिया जिससे क्यों हर राज्य में की है विद्रोह भड़क गया

खोण्डा डोरा विद्रोह (1900)

- गोंडा डोरा विद्रोह विशाखापट्नम के डाबर क्षेत्र में सन् 1900 में गोंडा दौरा नामक जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया
- इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कोरा मलैया थे कोरा मलैया ने स्वयं को पांडवों का अवतार तथा अपने पुत्र को श्री कृष्ण का अवतार बताया ।

विजय नगर का विद्रोह (1765)

दीवान बेलाटम्पी का विद्रोह(1805)

खामती विद्रोह(1843)

कोया विद्रोह (1879)

- कोया विद्रोह दो चरणों में हुआ पहले चरण का नेतृत्व टेंपर सोरा ने किया और द्वितीय चरण में राजन अनंत शैय्यार नेतृत्व किया।
- कोया आंदोलन गोदावरी के पूर्वी क्षेत्र में रंपा प्रदेश में शुरू हुआ।
- इस कोया विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों के जंगल संबंधी प्राकृतिक अधिकारों को अंग्रेजों द्वारा खोल लिया गया तथा कोया लोगों पर ताड़ी के घरेलू उत्पादन पर कर लगा देना मुख्य कारण था।
- राजू रंपा में कोया विद्रोह का कुछ समय तक नेतृत्व किया द्वितीय चरण में कोया विद्रोह का नेतृत्व अनंत शैय्यार ने किया

ताना भगत आंदोलन

- ताना भगत आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1914 ई. में बिहार में हुई थी।
- यह आंदोलन लगान की ऊँची दर तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध किया गया था।
- इस आंदोलन के प्रवर्तक 'जतरा भगत' थे, जिसे कभी बिरसा मुण्डा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गयी है।
- आंदोलन की शुरुआत 'मुण्डा आंदोलन ' की समाप्ति के क़रीब 13 वर्ष बाद 'ताना भगत आंदोलन ' शुरू हुआ।

पहाड़िया विद्रोह

- 1770 के विद्रोह के दसक में राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रो वर्तमान झारखंड में ब्रिटिश भू- राजस्व व्यवस्था के विरोध में पहाड़िया विद्रोह हुआ ।

बस्तर का विद्रोह

- सन् 1910 में बस्तर के राजा के विरुद्ध जगदलपुर क्षेत्र में विद्रोह हुआ ।
- जिसका दमन ब्रिटिश सेना ने किया । इस विद्रोह का मुख्य कारण वन अधिनियमों का क्रियान्वयन और सामन्ती करों का करारोपण था ।

1857 की महान क्रांति

- 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बन्दुक ब्राउन बेस के स्थान पर नै एनफील्ड रायफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बंनाये गए उन्हें रायफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था ।
- इन कारतूसो में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था ।
- यह चर्बी वाले कारतूस ही 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण बना ।
- 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक अवध राज्य से थे ।
- 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे ।
- 29 मार्च 1857 ई. को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था । फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई । मंगल पांडे का सम्बन्ध 34 वी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था ।
- 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 N.I. से 1857 ई. की क्रांति की शुरुआत हुई ।
- 1857 ई. में क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पोर्मस्टेन (लिबरल) थे ।
- **नोट :** अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ई. में आरंभ हुआ । उस समय मेंजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया ।
- 34वीं रेजीमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर नामक स्थान से विद्रोह किया था ।
- रानी लक्ष्मी बाई को अंतिम युद्ध में कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था ।
- लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ई. में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था ।
- लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था ।
- वुड घोषणा पत्र 1854 भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाता है ।
- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था ।

- धन निष्कासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था ।
- कार्ल मार्क्स का विचार था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है ।
- स्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत भू-राजस्व के निर्धारण से संबंधित है ।
- रैय्यतवाड़ी वह भू-राजस्व व्यवस्था है जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई ।
- 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेजी सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गयी । बंगाल की सेना में भारतियों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 का रखा गया । बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 का रखा गया ।
- व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागु की गयी थी ।
- 1857 के मामले की जाँच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया था ।
- भारत में स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है ।
- गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन समाप्त हो गया था ।
- भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे ।
- 1857 ई. का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था यह मत बेंजामिन डिजरायली का था ।
- डब्ल्यू . टेलर और जेम्स आउट्रम ने 1857 की क्रांति के बारे में मत दिया की यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिन्दू मुसलमानों का षडयंत्र था ।
- रीज ने 1857 के विद्रोह के बारे में मत दिया की यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था ।
- भारतीय को सेना में ऊँचे से ऊँचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था ।
- ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था की क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी ।

1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत

क्र. स.	मत	इतिहासकार
1.	यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था	बी.डी.सावरकर
2.	यह राष्ट्रीय विद्रोह था	डिजरायली
3.	यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था	सर जॉन लॉरेन्स एवं सीले
4.	यहअंग्रेजों के विरुद्ध हिन्दू एवं मुसलमानों का षडयंत्र था	जेम्स आउटर्म डब्ल्यू. टेलर
5.	बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था	टी.आर. होम्स
6.	यह धर्मान्धों का ईसाईयों के विरुद्ध युद्ध था	एल. इ. आर. रिज

- तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था । 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था ।
- ब्रिटिश सरकार ने 1860 में 'नील आयोग' का गठन किया ।
- 1857 के विद्रोह के बारे में अशोक मेहता ने अपना मत दिया की यह 1857 ई. के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था ।
- मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद्कुली खाँ था ।
- बंगाल के गवर्नर अलीवर्दी खाँ ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी ।
- नील आंदोलन की शुरुआत सितम्बर 1859 ई. में बंगाल के नदिया जिलें के गोविंदपुर गाँव में हुई थी । नील आंदोलन की शुरुआत दिगम्बर और विष्णु विश्वास ने की थी ।
- 1857 ई. की क्रांति को इतिहासकार आर. सी. मजुमदार ने कहा है कि 1857 का विद्रोह स्वतन्त्रता संग्राम नहीं था ।
- प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर था ।
- रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है ।
- महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहशुजा से प्राप्त किया था ।
- अर्जुनगाँव की संधि – 1803 ई.

- 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति बख्त खाँ को नियुक्त किया था ।
- 1857 के विद्रोह में शायर मिर्जा गालिब अंग्रेजों का आलोचक बना था ।
- वी. डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था ।
- 1946 में बंगाल में तेभागा आंदोलन चलाया गया था इसके मुख्य नेता कम्पाराम सिंह एवं भवन सिंह थे । यह आंदोलन भूमिकर की ऊँची दर के विरोध में चलाया गया था ।
- हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी पुस्तक के लेखक टी.आर. होम्स थे ।
- रिबेलयिन 1857 पुस्तक के लेखक पी.सी. जोशी थे ।
- फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक विनायक दामोदर सावरकर थे ।
- वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी ।
- शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार चार्टर अधिनियम 1813 को गवर्नर जनरल को दिया गया ।
- लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित हैं ।
- भारत में अंग्रेजी वायसराय शिक्षा लॉर्ड विलियम बैंटिक के शासन काल में आरम्भ की गई थी ।

अध्याय – 5

भारत में राष्ट्रीय जागरण या आंदोलन

- भारत में राष्ट्रीय जागरण का काल 19 वीं शताब्दी का मध्य तथा उतरार्द्ध माना जाता है ।
- भारत में राष्ट्रीय जागरण के बारे में श्रीमति एनीबेसेंट ने कहा था की इस विराट आंदोलन के पीछे शताब्दियों का इतिहास है ।
- भारतीय इतिहास में 18 वीं शताब्दी को 'अंधकार का युग' कहा जाता है ।
- राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता तथा नये युग का अग्रदूत कहा जाता है ।
- राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का 'सुबह का तारा 'कहा जाता है ।
- ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 ई. को कलकत्ता में की गयी । जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिन्दू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा , बहु विवाह, वेश्यागमन जातिवाद अस्प्रश्यता आदि को समाप्त करना था ।
- ब्रह्म समाज आंदोलन का मुख्य सिद्धांत ईश्वर एक है ।
- राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है ।
- राजा राममोहन राय की प्रमुख कृतियों में 'प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस' प्रमुख है । इन्होंने संवाद कौमुदी (बांग्ला भाषा)तथा मिरातुल अखबार (फारसी भाषा)का भी सम्पादन किया ।
- राजा राममोहन राय ने 1814 ई. में आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 ई. में इन्होंने वेदान्त कॉलेज के स्थापना की ।
- इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रति अपना समर्थन दिया ।
- कालांतर में देवेन्द्रनाथ टैगोर 1818 ई. 1905 ई. ने ब्रह्म समाज को आगे बढाया इनके द्वारा ही केशवचन्द्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया ।
- लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सूत्रपात किया था ।
- 1829 ई. में विलियम बैंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी इस कार्य में सहयोग देने में राजा राममोहन राय की प्रमुख भमिका थी ।

- ***आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे।***
- *इन्होंने 1875 ई. में मुम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की अथापना का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को पुनःहिन्दू धर्म ग्रहण करने की प्रेरणा देना था*
- *स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन पे मूलशंकर के नाम से जाना जाता था । इनके गुरु स्वामी विरजानन्द थे।*
- *राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी।*
- *राजा राममोहन राय की समाधी ब्रिस्टल (इंग्लैंड) में स्थित है।*
- *इन्होंने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशुबलि, श्राद्ध, जंत्र, तंत्र, मंत्र, झूठे कर्मकांड, आदि की आलोचना की तथा पुनः 'वेदों की ओर लोटो का नारा दिया था।*
- *इनके विचारों का संकलन इनकी कृति 'सत्यार्थ प्रकाश' में मिलता है जिसकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी।*
- *सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने छुआछुत एवं जन्म के आधार पर जाति प्रथा की आलोचना की।*
- *भारत का समाज सुधारक मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है।*
- *स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना।*
- *बंगाली नेता राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था।*
- *स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाये गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिन्दू धर्म में आने का मोका मिला जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म स्वीकार कर लिया था।*
- *समाज सुधारक महादेव गोविन्द रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है।*
- *स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों में लाला हंसराज ने 1886 ई. में लाहौर में 'दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की तथा स्वामी श्रद्धानन्द ने 1901 ई. में हरिहर के निकट कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की।*
- ***भारतीय संस्था थियोसिफिकल सोसायटी***
- *भारतीय संस्था थियोसिफिकल सोसायटी की स्थापना 1875 ई. में मैंडम ब्लावत्सकी एवं कर्नल आल्कोट ने न्यूयॉर्क में की थी।*
- *जनवरी 1882 ई. में वे भारत आये तथा मद्रास में अड्यार के निकट मुख्यालय स्थापित किया।*
- *भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को फेलाने का श्रेय श्रीमती एनीबेसेंट को दिया जाता है।*
- *1898 ई. में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिन्दू कॉलेज की स्थापना की जो आगे चलकर 1916 ई. में **बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय** बन गया। आयरलेंड की होमरूल लीग की तरह बेसेंट ने **भारत में होमरूल लीग की स्थापना की**।*
- ***स्वामी विवेकनद** की मुख्य शिष्या सिस्टर निवेदिता थी।*
- *वास्तव में भारत की एकता इसकी विभिन्नताओं में ही निहित है। हिन्दू धर्म एवं संस्कृति ने सम्पूर्ण देश को एक सूत्र में सदा से बांध रखा है। यह विचार बीसेंट स्मिथ का है।*
- *1893 ई. में शिकागो सम्मलेन में स्वामी विवेकान्द ने भाग लिया था।*
- *रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी वेवेकानंद ने 1897 ई. में की थी।*
- *रामकृष्ण आंदोलन के मुख्य प्रेरक स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार का श्रय उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद (नरेन्द्र नाथ दत्त)को दिया जाता है।*
- *1893 ई. में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविन्द घोष 1872 -1950 ई. की भारत भूमि पर वापसी हुई। (1893 ई. में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड ")प्रकाशित किया।*
- *राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे।*
- *प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ई. में केशव चन्द्र सेन के सहयोग से डा. आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में की थी।*
- *भारत सेवक समाज सर्वेन्ट्स ऑफ़ इण्डिया सोसायटी की स्थापना 1905 ई. में गोपाल कृष्ण गोखले ने मुम्बई में की थी।*
- *व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पवनार से 17 अक्टूबर 1940 से आरम्भ हुई थी।*
- *सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गयी थी।*
- *सम्पति के निष्कासन् के सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नारोजी थे।*

- भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिन्दू पैट्रियॉट था।
- बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध डॉ. भीमराव अम्बेडकर से था।
- महात्मा गाँधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिडला थे।
- भारत में यंग बंगाल आंदोलन प्रारम्भ करने का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो को है एंग्लो -इंडियन डेरोजियो कलकत्ता में हिन्दू कॉलेज के अध्यापक थे।
- स्वदेशवाहिनी नामक पत्रिका के सम्पादक के.रामकृष्ण पिल्लै थे।
- डेरोजियो ने ईस्ट इण्डिया नामक दैनिक पत्र का भी सम्पादन किया
- हेनरी विवियन डेरोजियो को आदुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना गया है।
- महात्मा गाँधी ने 1924 ई. में बेलगावं कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता की थी।
- इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन पटना से होता था।
- साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ई. में कलकत्ता में शिवनाथ शास्त्री,आनंद मोहन बोस ने की थी।
- हाली पद्धति बँधुआ मजदूरी से संबंधित है।
- विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
- बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे।
- पंडित रामाबाई सरस्वती द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की गयी।
- भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक सर सैय्यद अहमद खान को माना जाता है।
- ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्म सम्मान आंदोलन वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया।
- गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले थे।
- धर्म सभा की स्थापना 1829 ई. में कलकत्ता में राधाकांत देव ने की थी।
- द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनैतिक संस्था लैंडहोल्डर्स सोसायटी थी।
- वन्देमातरम समाचार पत्र 1909 ई. में प्रकाशित किया गया इसके संस्थापक लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे।
- महात्मा गाँधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 27 दिसम्बर 1885 को मुम्बई में हुआ था।
- वहाँ बी आंदोलन को भारत में सबसे ज्यादा प्रचारित करने का श्रेय सैय्यद अहमद बरेलवी एवं इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद को दिया जाता है।
- **उदारवादी आंदोलन**
- भारतीय राष्ट्रीयता का जनक उदारवादियों को कहा जाता है।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक ए.ओ.ह्युम को कहा जाता है।
- इंडियन नेशनल यूनियन ने दिसम्बर 1884 में एक कॉन्फ्रेंस को बुलाने का निर्णय लिया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गयी।
- एनी बेसेंट ने कॉमनवील साप्ताहिक प्रत्रिका के माध्यम से स्वशासन की माँग की।
- मोहम्मद अली जिन्ना को हिन्दू-मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने कहा था।
- कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था।
- अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसम्बर 1885 को हुई थी इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेंशचन्द्र बनर्जी थे।
- भारत के तेजस्वी पितामह के नाम से दादाभाई नौरोजी जाने जाते हैं।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी।
- ये उदारवादी वैधानिक तरीके में विश्वाश करते थे।
- बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वेलेंटाइन शिरोल ने कहा था।
- फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट ने दिया था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे।
- कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की कार्य प्रणाली शांतिपूर्ण प्रतिरोध थी।
- लाला लाजपत राय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंगेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना था।

- यंग इंडिया नामक पुस्तक के रचियता लाला लाजपत राय थे ।
- 1915 में अमेरिका में होमरूल लीग का गठन लाला लाजपतराय के द्वारा किया गया था ।
- भारतीय ग्लेडस्टोन के नाम से सुरेन्द्र नाथ बनर्जी विख्यात थे ।
- लाल, बाल और पाल त्रिगुट का नेता लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे ।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बीसेंट थी तथा प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी ।
- वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चन्द्र बोस ने की थी ।
- महात्मा गाँधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे ।
- सर टी. माधवराव ने कहा था की कांग्रेस ब्रिटिश शासन की सर्वोच्च्य विजय और ब्रिटिश जाती का कीर्ति मुकुट है ।
- प्रथम दिल्ली दरबार वर्ष 1877 में लॉर्ड लिंटन के समय में हुआ था ।
- स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे ।
- दूसरा दिल्ली दरबार वर्ष 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था ।
- तीसरा दिल्ली दरबार वर्ष 1911 में लॉर्ड होर्डिंग के समय हुआ था ।
- भारत में आयरलैण्ड से होमरूल लीग की अवधारणा लि गई है ।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।
- 1893 ई. में महात्मा गाँधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमें में दक्षिण अफ्रीका गए ।
- ए.ओ.ह्यूम ने 1883 ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को पत्र लिखकर मातृभूमि की उन्नति के लिए प्रयत्न करने की अपील की थी ।

उग्रवादी तथा क्रांतिकारी आंदोलन

- अक्टूबर 1924 ई. में शचीन्द्र सान्याल जोगेशचन्द्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, और चन्द्रशेखर आजाद ने कानपूर में एक क्रांतिकारी संस्था हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (एच. आर. ए.) की स्थापना की ।
- इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 ई. को उत्तर रेलवे के लखनउ – सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर डकेती कर सरकारी खजाना लुटा गया था । यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है ।
- सरकार ने काकोरी कांड के षडयंत्र में रामप्रसाद बिस्मिल ,अशफाक उल्ला , रोशनलाल , राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी ।
- चन्द्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितम्बर 1928 ई. को दिल्ली में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोशिएसन् (एच. एस. आर. ए.)की स्थापना की गई थी ।
- "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा "- यह नारा या कथन लोकमान्य तिलक का है ।
- "मेरे शरीर पर पड़ी एक - एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी"- यह कथन लाला लाजपत राय का है ।
- "सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है "- यह कथन रामप्रसाद बिस्मिल का है ।
- " मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ "। - यह कथन जवाहर लाल नेहरु का है ।
- "इन्कलाब जिन्दा" बाद का नारा भगतसिंह ने दिया था ।
- लॉर्ड कर्जन ने 1905 ई. में बंगाल विभाजन किया । बंग-भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई । बंग- भंग को 16 अक्टूबर 1905 को कार्यान्वित किया गया । बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 ई. को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया । 1911 ई. में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया ।
- मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ई. में सफीउल्ला खाँ ने ढाका में की थी ।
- 1907 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था । सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी नेता एक- दूसरे से अलग हो गए । ऐनी बेसेंट ने इस घटना को कांग्रेस के इतिहास में शोकपूर्ण घटना कहा है ।
- वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अम्बिका चरण मजूमदार ने की थी ।
- ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खाँ, नवाब सलीमुल्लाह, मुहम्मद अली जिन्ना ने की थी ।

- भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी ।
- “ द आर्कटिक होम ऑफ़ द वेदाज “ तथा गीता रहस्य नामक ग्रंथों की रचना बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में की थी ये केशरी के सम्पादक भी थे ।
- भारत में “शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव” का प्रारम्भ लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया । बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ई. में महाराष्ट्र में तथा गणपति उत्सवतथा 1895 ई.में शिवाजी उत्सव को आयोजित किया ।
- वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग से संबंधित है ।
- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सत्येन्द्र नाथ सिन्हा थे ।
- लोक मान्य तिलक ,लाला लाजपत राय , बिपिन्नचन्द्र पाल उग्रवादी विचारधारा की जनक थे ।
- वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एम. एन. राय ने की थी ।
- ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में की गई थी । इसकी स्थापना एन. एम. जोशी ने की थी । और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपतराय थे ।
- भारतीय उग्र राष्ट्रवाद का जनक ,आधुनिक भारत का निर्माता , भारतीय अशांति के जनक तथा देश भक्तो के राजकुमार बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है ।
- “भारतीय अशांति” नामक पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन शिरोल थे । ये लन्दन टाइम्स के संवादाता थे । इस पुस्तक में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है ।
- अनुशीलन समिति की स्थापना क्रांतिकारियों ने की थी ।
- साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपतराय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक अधीक्षक सांडर्स (लाहौर)की 30 अक्टूबर 1928 ई. को भगत सिंह चन्द्र शेखर आजाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोशिएसन् की क्रांतिकारी गति विधि थी ।
- सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोशिएसन् के मुख्य सदस्य चन्द्र शेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ई. को पुलिस के साथ मुठभेड़ में अल्फ्रेड पार्क इलाहबाद में शहीद हुये ।
- 23 मार्च 1931 ई. को भगत सिंह , राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई ।
- बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी (आई. आर. ए.)की स्थापना की थी । यह संस्था चटगाँव में सक्रिय थी । इसने 1930 ई. में चटगाँव शस्त्रागार लुट को अंजाम दिया ।
- बिपिन चन्द्र पाल ने लोकतंत्रात्मक स्वराज के विचार का प्रतिपादन किया ।
- महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र “काल”का सम्पादन परांजपे ने किया था

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 6
गाँधी युग और असहयोग आंदोलन

- 1916 ई. के लखनऊ अधिवेशन में एनीबेसेंट के सहयोग से कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी एक हो गए।
- भारत में होमरूल आंदोलन एनीबेसेंट ने आरम्भ किया।
- महात्मा गाँधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल (1918 ई.) के समर्थन में की थी।
- गाँधी जी ने 1918 ई. में गुजरात में कर नहीं आंदोलन चलाया। गाँधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ई. को देशव्यापी हड़ताल करवायी।
- दक्षिणी अफ्रीका से भारत आने के बाद गाँधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह चम्पारण (बिहार) में किया।
- 1920 ई. के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय नी की थी जिसमें असहयोग के प्रस्ताव को रखा गया था।
- रौलेट एक्ट को बिना वकील ,बिना अपील, बिना दलील के कानून के नाम से जाना जाता है।
- लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में गाँधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था।
- भारत में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था।
- रौलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे।
- अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन हैं।
- गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे।
- 5 फरवरी 1922 ई. को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिलें के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन कारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गयी। इस घटना से दुःखी होकर गाँधी जी 11 फरवरी 1922 ई. को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया।
- स्वामी श्रद्धानन्द ने रौलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने के लिए आंदोलन चलने का विरोध किया।
- उड़ीसा के अकाल काल को ब्रिटिश काल के दौरान पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है।
- 13 अप्रैल 1919 ई. को अमृतसर में जलियाँवाला बाग हत्या कांड हुआ। इस जनसभा में जनरल डायर ने अन्धाधुन्ध गोलियां चलवाई। इस हत्या कांड ने लगभग 1000 लोग मारे गए। इस हत्या कांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर को सहयोग दिया था।
- इस हत्या कांड के विरोध में महात्मा गाँधी ने केसर – ए - हिन्द की उपाधि, जमना लाल बजाज ने राय बहादुर , रवींद्रनाथ टैगोर ने सर ,(नाईटहुड) की उपाधि वापस लौटा दी।
- जलियाँवाला बाग हत्या कांड की जाच के लिए सरकार ने अक्टूबर , 1919 ई. में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें पांच अंग्रेज एवं तीन भारतीय (सर चिमन लाल सीता लवाड ,साहबजादा सुल्तान अहमद , एवं जगत नारायण)सदस्य थे।
- जनरल डायर की हत्या उधमसिंह ने लंदन में की थी।
- जलियाँवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की सम्पति थी।
- रौलेट एक्ट को काला कानून तथा आतंकवादी और अपराध कानून कहा गया है।
- रौलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को कानूनी रूप दिया गया।
- रौलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन ही महात्मा गाँधी का भारत में पहला राजनीतिक आंदोलन था। अर्थात् उनकि राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत थी।
- रौलेट एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये गिरफ्तार किया जा सकता था। और उसके विरुद्ध न कोई अपील न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गाँधी जी ने इस कानून के के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ई. को देशव्यापी सत्याग्रह की तारीख तय की
- "बाल गंगाधर तिलक ने कहा होमरूल मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है" और इसे मैं लेकर रहूँगा।
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल प्रथम विश्वयुद्ध के काल को कहा जाता है।
- खिलाफत आंदोलन के सम्बन्ध में इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमण्डल का नेतृत्व डा. अंसारी ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का सहयोग व समर्थन करने के लिए गाँधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था।
- मुसलामनों ने अंग्रेजों की निति के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन चलाया था।

- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में प्रथम विश्वयुद्ध के काल को आंधी से पूर्व शांति का काल कहा गया है ।
- महात्मा गाँधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था ।
- 1916 ई. में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था । इस समझौते के बारे में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा था की " भारत के इतिहास में यह सुनहरा दिन था "।
- 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया ।
- गाँधी के नाम से पहले महात्मा शब्द चम्पारण सत्याग्रह के पश्चात जोड़ा गया ।

गाँधी युग और सविनय अवज्ञा आंदोलन

- सहयोगी गाँधी 1920 में असहयोग गाँधी बन गए ।
- दिसम्बर 1921 ई. में अहमदाबाद में अधिवेशन में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का निश्चय किया इस आंदोलन का उद्देश्य था – नमक कर तोड़ना ।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरम्भ गाँधी जी ने दांडी यात्रा से किया ।
- स्वराज का नारा गाँधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था ।
- 12 मार्च 1930 को गाँधी जी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक यात्रा शुरु की 24 दिनों की लम्बी यात्रा के उपरान्त 5 अप्रैल 1930 को दांडी में गाँधी जी और उनके अनुयायियों ने समुद्र से नमक बनाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया नमक कानून को तोड़ने से ओपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का सुभारम्भ हुआ ।
- कर मत दो यह नारा सरदार वल्लभभाई पटेल ने दिया था ।
- महात्मा गाँधी ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को देशरत्न की उपाधि प्रदान की थी ।
- साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था इसका मुख्य प्रावधान संविधान निर्माण योजना था ।
- शारदा एक्ट 1930 का मुख्य प्रावधान विवाह की आयु न्यूनतम का निर्धारण लड़कों के लिए 18 वर्ष व लड़कियों के लिए 14 वर्ष की गई ।
- भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान प्रांतीय स्वायत्तता था ।
- अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 का मुख्य प्रावधान प्रादेशिक स्वशासन से था ।
- क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 का मुख्य प्रावधान संविधान सभा की योजना से था ।
- वेवेल योजना 1945 का मुख्य प्रावधान सभी दलों को मिलाकर परिषद् का निर्माण करना था ।
- कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मुख्य प्रावधान संघ का निर्माण व प्रान्तों की स्वायत्तता से था । माउन्टबेटन योजना का मुख्य प्रावधान भारत विभाजन से था ।
- स्वराज्य दल का पहला अधिवेशन मार्च 1923 ई. में इलाहाबाद में बुलाया गया ।
- गाँधी जी के दांडी यात्रा को सुभाष चन्द्र बोस ने नेपोलियन का पेरिस मार्च और मुसोलिनी का रोम मार्च कहा है ।
- स्वराज दल की स्थापना । जनवरी 1923 ई. में कि गयी। इसकी स्थापना का श्रेय देशबंधु चित्तरंजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरु को है ।
- चौरी-चौरा की घटना के समय महात्मा गाँधी बारदोली में थे ।
- नमक सत्याग्रह पर गाँधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान अब्बास तैय्यबजी ने लिया था ।
- भारत की समस्या पर विचार करने के लिए 12 नवम्बर 1930 ई. को इंग्लैंड में प्रथम गोलमेंज सम्मलेन हुआ ।
- द्वितीय गोलमेज सम्मलेन की बैठक सितम्बर 1931 ई. में प्रारम्भ हुआ ।
- तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बैठक 17 नवम्बर 1932 ई. को बुलाई गयी ।
- भारत में चलाये गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना था ।
- वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था ।
- खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली और मुहम्मद अली थे ।
- खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारम्भ किया था जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था ।
- जिया तरंग आंदोलन नागालैण्ड में प्रारम्भ हुआ था ।
- सरकार के दमन और कांग्रेस के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार और गाँधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को गाँधी – इरविन समझौता हुआ था ।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था ।
- तीनों गोलमेंज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैम्जे मैक्डोनाल्ड था ।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर को लन्दन में हुई तीनों गोलमेंज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था ।
- प्रशासनिक सुधारों के अध्ययन के लिए इंग्लैंड की सरकार ने 1928 ई. में साइमन कमीशन भारत भेजा । भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए किया की कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे ।
- अविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल रायफल्स ने इनकार कर दिया था ।
- 1928 ई. में आयोजित सर्वदलीय सम्मलेन की सिफारिशों के आधार पर पण्डित मोती लाल नेहरु ने भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करने का प्रयास किया ।
- 1928 ई. में नेहरु रिपोर्ट को पण्डित मोतीलाल नेहरु ने तैयार किया ।
- नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई थी ।
- 1922 ई. के कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापतित्व चित्तरंजन दास ने किया था ।
- 1922 ई. को मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था ।
- बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था ।
- सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने प्रदान की थी ।
- नेहरु रिपोर्ट को डा. जकारिया ने एक परिपक्क तथा राजमर्मज्ञतापूर्ण रिपोर्ट कहा है ।
- साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ई. को भारत आया । इसे वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं ।
- साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में भारत आया था , साइमन कमीशन का क्लीमेंट एटली ऐसा सदस्य था, जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना ।
- साइमन कमीशन की नियुक्ति बर्केनहेड ने की थी ।
- साइमन कमीशन का समर्थन डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने किया था ।
- 17 नवम्बर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठी चार्ज में लगी गहरी चोट के कारण लाला जी की मृत्यु हो गयी ।
- चम्पारण का किसान आंदोलन नील की खेती से सम्बन्धित था ।
- पाकिस्तान शब्द का सृजन चौधरी रहमत अली ने किया था ।
- मई 1934 ई. में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई ।
- जवाहर लाल नेहरु ने गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किया था ।
- राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता खान अब्दुल गफ्फार खाँ को सीमांत गाँधी के नाम से जाना जाता है ।
- अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ई.लखनऊ में हुआ । इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव इन.जी रंगा चुने गए ।
- बम्बई में आल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ई. में की गई थी ।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था ।
- महात्मा गाँधी ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को महँ प्रहरी की संज्ञा दी थी ।
- स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे ।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार डॉ. पट्टाभि सीतारमैया थे ।
- गाँधी जी की पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रयोग (आत्मकथा) इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स , अनासक्त योग, हिंद स्वराज (1909 ई.) गीता माता, सप्त महाव्रत, (गाँधी जि का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध) सुनो विद्यार्थियों ।
- लॉर्ड कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जन्म दाता कहा जाता है ।
- जवाहर लाल नेहरू द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था ।
- मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है ।
- गाँधी इरविन समझौता (दिल्ली समझौता)5 मार्च 1931 को हुआ था ।
- गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल बादशाह ओरंगजेब से की है ।
- महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है ।
- गाँधी जी के प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पैम्फ्लेट (14 अगस्त, 1896 राजकोट) इंडियन ओपेनियन (1903,

दक्षिण अफ्रीका में) यंग इंडिया (1919) हरिजन (1932)

- ए. ओ. ह्युम को हरमीट ऑफ शिमला कहा जाता है ।
- 1943 ई. में हुए मुस्लिम लीग के कराँची अधिवेशन विभाजन करो और जाओ का नारा दिया गया ।
- भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गाँधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर थे ।
- कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई ।
- महात्मा गाँधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया तथा दूसरा सत्याग्रही जवाहर लाल नेहरू को चुना गया था ।
- व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारम्भ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था ।
- बिपिन्न चन्द्र पाल को बंगाल में तिलक का सेनापति कहा गया है ।
- स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने ।
- नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है यह कथन मुहम्मद इकबाल का है ।
- ऑपरेशन जीरो ऑवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधीजी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से है ।
- भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है ।
- मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया था ।
- भरतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे ।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे. बी.कृपलानी थे ।
- भारत के प्रथम तथा बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बैंटिक थे ।
- विभाजन करो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था ।
- भारत के अन्तिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे ।
- वन्दे मातरम गीत के रचियता बंकिम चन्द्र थे ।
- 1929 ई. में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी ।
- वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक जय प्रकाश नारायण थे ।
- आजादी के बाद भारत के एकीकरण का मुख्य हाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा ।
- सीधी कार्य वाही का निर्णय मुस्लिम लीग ने किया था ।
- विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना महादेव गोविन्द रानाडे ने की थी ।
- क्रिप्स प्रस्तावों को गाँधी जी ने उत्तर दिनाकिंत चेक या दिवालिया बैंक के नाम चेक कहा है ।
- मुसलमान मुर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिन्दू उनसे भी बड़े मुर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया – यह कथन अबुल कलाम आजाद का है ।
- जार्ज युल को कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है ।
- गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने अपने को बंगाल का शेर कहा था ।
- आजाद हिन्द फौज का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह ने सुझाया था ।
- लॉर्ड लिनलिथगो ने गाँधीजी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी थी ।
- सत्याग्रह सभा की स्थापना 1915 ई. में महात्मा गाँधी ने की थी ।
- भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चन्द्र बोस ने बनाई थी ।
- जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष
- अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना 1928 में की गयी थी ।
- सुभाष चन्द्र बोस द्वारा अण्डमान तथा निकोबार का नया नामकरण शहीद द्वीप एवं स्वराज्य द्वीप किया गया ।
- सर्व प्रथम मन्दिर प्रवेश प्रारम्भ करने का श्रेय टी. के. माधवन को है ।
- महात्मा गाँधी को संबोधित करते हुए सुभाष चन्द्र बोस ने कहा – भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारम्भ हो चुका है, राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए ।
- महात्मा गाँधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया है। विस्टन चर्चिल ने महात्मा गाँधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी । सुरेन्द्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा गया है ।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- अपनी दानशीलता के कारण देवेन्द्रनाथ ठाकुर को प्रिन्स की उपाधि मिली थी।
- लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 ई. में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी।
- लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय नेता मौलाना मुहम्मद अली ने भाग लिया था।
- महात्मा गाँधी ने अपना आमरण अनशन साम्प्रदायिक पंचाट के समय प्रारम्भ किया था।
- सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात रखी गयी थी अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था – भारत कको ओपचारिक स्वराज्य प्रदान करना।
- 8 अगस्त 1942 ई. को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुम्बई में पारित किया गया।
- इस आनान्दोलन में गाँधी जी को गिरफ्तार कर आगा खाँ पैलेस में नजरबन्द रखा गया।
- महात्मा गाँधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नही यह कथन बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था।
- भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांतिकारी महिला अरुणा आसफ अली की प्रमुख भूमिका थी।
- आजाद हिन्द सरकार की स्थापना सुभाषचन्द्र बोस ने की थी।
- दलित वर्गों का संघ डॉ. अम्बेडकर ने स्थापित किया था।
- भीम राव अम्बेडकर व गांधीजी के बीच पूना समझौता हुआ था।
- इरविन तथा गाँधीजी को दो महात्मा सरोजनी नायडू ने कहा था।
- जापान में आजाद हिन्द फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी 1943 ई. में आजाद हिन्द फौज की स्थापना सिंगापूर में की गई थी।
- 18 अगस्त 1945 ई. को टोक्यो जाते हुए फोर्मोसा द्वीप
- के बाद हवाई दुर्घटना ने सुभाषचन्द्र बोस का निधन हो गया। हालांकि इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है।
- भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था।
- सर्वप्रथम पाकिस्तान के निर्माण की मांग मोहम्मद इकबाल ने की थी।
- "करो या मरो" का नारा महात्मा गाँधी ने दिया था।
- "दिल्ली चलो" तथा "जय हिन्द" का नारा सुभाषचन्द्र बोस ने दिया था।
- 1939 ई. में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा त्याग पत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया।
- शिमला समझौता 25 जून 1945 ई. को आरम्भ हुआ था, जिन्ना के हठधर्म के कारण शिमला सम्मेलन असफल हुआ था।
- 1940 ई. को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे को तथा दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरु को चुना गया था।
- खान अब्दुल गफ्फार खान एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने कभी विभाजन को स्वीकार नहीं किया।
- पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था।
- स्वतंत्र भारत के प्रथम एव अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी थे।
- ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दी जाती है।
- "भारत को ईश्वर के जिम्मे छोड़ दो और अगर यह अधिक हो तो अराजकता की स्थिति में छोड़ दो" यह कथन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गाँधी जी ने कहा था।
- महात्मा गाँधी जी ने कहा था की "पाकिस्तान का निर्माण मेरे शव पर होगा"।
- सुभाष चन्द्र बोस को देश नायक की उपाधि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी।
- महात्मा गाँधी द्वारा सुभाष चन्द्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि प्रदान की गई थी।
- वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में आजाद हिन्द फौज पर लाल किला मुकदमा चलाया गया।
- 1944 में सी. आर. फार्मूला सी राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- नोआखाली में गाँधीजी के साहस एवं विवेक को देखकर माउन्टबेटन द्वारा उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी।
- भारत का विभाजन स्वीकार किये जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे. बी. कृपलानी थे।
- संविधान सभा के गठन का प्रावधान कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया।
- भारत के विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में स्वीकृत किया गया था।

- भारत की स्वतंत्रता – प्राप्ति के समय ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे ।
- मंत्रिमंडल मिशन को भारत भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे ।
- 20 फरवरी 1947 ई. को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी ।
- गाँधी जी मृत्यु पर जवाहर लाल नेहरू ने कहा था की हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है ।
- गाँधी जी के चम्पारण सत्याग्रह का विरोध एन. जी. रंगा ने किया था ।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ।
- माउन्टबेटन योजना की मुख्य बात भारत का विभाजन था ।
- जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण का मुख्य सैद्धांतिक आधार द्वि- राष्ट्र सिद्धान्त को बनाया ।
- मुस्लिम लीग ने "प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस" 1946 ई. को मनाया ।
- दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से सम्बोधित महात्मा गाँधी ने किया था ।
- मंत्रिमंडल मिशन 1946 ई. में भारत आया था ।
- अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुई थी ।
- भारत को स्वतंत्रता देने के लिए माउन्टबेटन योजना 3 जून 1947 ई. को प्रस्तावित की गई थी ।
- आजाद हिन्द फौज दिवस 12 नवम्बर 1945 को मनाया गया ।
- भारतीय सविधान की बैठक 9 दिसम्बर 1946 को शुरू हुई थी ।
- भारत को 15 अगस्त 1947 ई. को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी
- कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जार्ज युल थे ।
- दीनबंधू मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए आत्याचार का उल्लेख करता है ।
- आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी ।
- तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गयी थी ।
- dev समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे ।
- भारत भारतीयों के लिए है यह नारा आर्य समाज ने दिया था ।
- सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला खुदीराम बोस था ।
- भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है ।
- शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती थे ।
- मुहम्मद अली एवं शोकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की ।
- आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी ।
- कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे ।
- सुभाष चन्द्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था ।
- महात्मा गाँधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाषचन्द्र बोस ने किया ।
- द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजयलक्ष्मी पंडित थी ।इंडिया टुडे पुस्तक की लेखक रजनी पाम दत्त थी ।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 7

क्रांतिकारी आंदोलन से आजादी तक

उदय के कारण विचारधारा कार्यक्रम

प्रसार पतन

देश मे विदेश में

उदय के कारण :

(i) नरमपंथी राजनीति अव्यवहाँ रिक एवं गरमपंथी)उग्रवादी (राजनीति असफल हो रही थी। ऐसे लोगों का बम और पिस्तौल की राजनीति विश्वास जगा।

(ii) सरकार की दमनात्मक कार्यवाही ने युवक, युवतियों को विद्रोही बनाया और वे 'बल को बल से रोकने' के दर्शन में विश्वास करने लगे।

(iii) विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिला । जैसे युगान्तर बंदी जीवन, साध्य में लिखे गए लेख और गीतों से लोगों में व्यक्तिगत वीरता और बलिदान की भावना पैदा होती रही। बंदी जीवन की रचना शचिन्दनाथ सान्यालय ने की। इस पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता हो ।

(iv)आयरलैंड के क्रांतिकारी एवं रूस के शून्यवादी जैसे क्रांतिकारी समूहों से प्रेरित होकर भारत में भी क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला।

(v) समाजवादी विचारधारा के विकास ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित किया । वस्तुतः 1917 की रूसी साम्यवादी क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर भारत में भी युवा वर्ग उत्साहित हुआ और क्रांति के माध्यम से अपने अधिकार प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा।

(vi) गांधी के असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी से युवा वर्ग को निराशा हुई। अब उसे ब्रिटिश शासन के विरोध का कोई विकल्प नजर नहीं आया। अतः एकबार फिर बम और पिस्तौल की राजनीति में लोगों का विश्वास जागा।

कार्यक्रम :

(i) अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना अर्थात् जिन ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों के प्रति दमनात्मक कार्यवाही की और दुर्व्यवहार किया, उनकी हत्या करना।

(ii) बम बनाना एवं विदेशों से हथियार प्राप्त करना।

(ii) गुप्त समीतियों की स्थापना कर सशस्त्र कार्यवाही करना।

(iv) स्वदेशी डकैती डालना।

(v)क्रांतिकारी विचारों के प्रसार हेतु पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशनकरना। जैसे- वीरेन्द्र कुमार चटोपाध्याय ने'तलवार' नामक पत्र का संपादन किया ।

(vi) सैनिक शिक्षा और धार्मिक कार्यक्रम द्वारा लोगों में राष्ट्रवादी भावना पैदा करना और उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए तैयार करना |

प्रसार :

(I) देश में :

- सावरकर बंधुओं ने 1904 में मित्र मेला एवं 'अभिनव भारत' नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। महाराष्ट्र में पहली क्रांतिकारी घटना 1897 में प्लेग कमिश्नर रैण्ड की गोली मारकर की गयी हत्या थी। वस्तुतः चापेकर बंधुओं ने)बालकृष्ण एवं दामोदर चापेकर (तिलक के पत्र'केसरी' में छपे लेख से प्रेरित होकर यह कार्य किया था।
- बंगाल में 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई जिसमें 'बारीन्द्र कुमार घोष' एवं 'जतिन नॉथ' की भूमिका महत्वपूर्ण थी।
- बंगाल में 'बारीन्द्र कुमार घोष' एवं 'उपेन्द्रनाथ दत्त' ने 'युगांतर' नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। जिसमें कहा गया कि 'बल को बल द्वारा' ही रोका जा सकता है। भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों को औपनिवेशिक शोषण को समाप्त करने के लिए अपने 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना चाहिए।
- 1930 में बंगाल में विनय, बादल एवं दिनेश नामक क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इसी तरह सूर्यसेन)मास्टर दा (ने चटगांव शस्त्रागार पर नियंत्रण स्थापित किया ।
- भगत सिंह ने 1925 में 'भारत नौजवान सभा' की स्थापना की जिसने भारतीयों को समाजवादी विचारधारा के माध्यम से क्रान्ति की ओर प्रेरित किया।
- पंजाब में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार में अजीत सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जब अजीत सिंह को पंजाब से निर्वासित किया गया तो वह फ्रांस पहुंचकर क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने लगे।
- दिल्ली में 1912 में वायसराय लार्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस की भूमिका महत्वपूर्ण थी।
- संयुक्त प्रांत में 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन डकैती की गयी और सरकारी खजाने को लूटा गया। इस काकोरी षड्यंत्र मुकदमें के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेन्द्र लाहिडी एवं अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गयी। चन्द्रशेखर

आजाद भी इस घटना में, शामिल थे किंतु वे फरार होने में सफल रहे ।

- 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में क्रांतिकारियों की बैठक हुई जिसमें भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। इस बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन)HRA) का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन CHSRAJ कर दिया गया।

➢ रास बिहारी घोष -उदारवादी
➢ रास बिहारी बोस- क्रांतिकारी
➢ स्वदेशी आंदोलन में किसानों की भागीदारी नहीं थी।
➢ ब्रह्म समाज -1828
➢ आर्य समाज 1875
➢ रामकृष्ण मिशन -1897

विदेश में प्रसार

लंदन-: लंदन में 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 'इंडिया होमरुल सोसाइटी'की स्थापना की जिसका लक्ष्य भारत के लिए स्वराज की प्राप्ति करना था। इसकी स्थापना ब्रिटिश समाजवादी नेता 'हीडमैन' के सुझाव पर की गई। इसमें कहा गया कि ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को एकजुट करना और भारतीय पक्ष का प्रसार करना मुख्य लक्ष्य है। इसके उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहरावर्दी थे।

- श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 'इंडिया हाउस' की स्थापना की जो क्रांतिकारियों का प्रमुख केन्द्र बना। यह विदेशों में रह रहे भारतीयों को एकजुट कर क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार में अपनी भूमिका निभाता था। सरकारी दमन के कारण श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा और वे पेरिस चले गए। तत्पश्चात् इंडिया हाउस का कार्यभार वी.डी .सावरकर ने संभाला। उन्होनें 1857 का 'स्वतंत्रता संग्राम' नामक पुस्तक की रचना की और मेजिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया।

इसी इंडिया हाउस से जुड़े हुए मदन लाल ढींगरा भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार 'वाइली' की 1909 में गोली मारकर हत्या कर दी।

फ्रांस: फ्रांस में श्रीमती भीखा जी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। इन्होंनें वंदे मातरम नामक पत्र का संपादन किया। इन्हें क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है।

अमेरिका-:1913 अमेरिका के पोर्ट लैंड में 'हिंद एसोशिएन' की स्थापना नामक पत्रिका का प्रकाशन गुजराती और उर्दू में करती थी। आगे चलकर इसका प्रकाशन अन्य भाषाओं में भी होने लगा। इसी नाम पर इसे गदर पार्टी कहा गया । वस्तुतः गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई । जिसमें सोहन सिंह भावना, लाला हरदयाल भाई परमानंद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस पार्टी के अध्यक्ष भावना एवं महासचिव लाला हरदयाल थे तथा कोषाध्यक्ष काशीराम थे। गदर पार्टी धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से युक्त थी। इसने विदेशों में रह रहे भारतीयों की समस्या को उठाया और उन्हें एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसने भारत की आजादी की मांग की और भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। गदर पार्टी के सदस्य करतार सिंह सराभा के वीरता एवं बलिदान से भगत सिंह अत्यधिक प्रभावित थे। गदर आंदोलन ने कामागाटामारू जहाज विवाद में भारतीयों का समर्थन किया।

कामागा टामारु जहाज विवाद)1914):

कनाडा में एक नए कानून के तहत किसी ठेकेदार के जहाज लाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया । वस्तुत :सिंगापुर में रह रहे भारतीय ठेकेदार'गुरुदत्त सिंह'ने जापानी जहाज कामागाटामारु किराए पर लिया और दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों को लेकर बैंकूवर कनाडा प्रस्थान किया। इनका उद्देश्य था कि भारतीय कनाडा जाकर अपने जीवन को समृद्ध बनाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दें। दूसरी तरफ कनाडा की सरकार ने इस जहाज को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। इसी संदर्भ में गदर पार्टी के नेताओं ने एक तटीय पार्टी कमेटी का गठन किया । जिसमें हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक एवं बलवंत सिंह शामिल थे। इनके प्रयासों के बावजूद भी जहाज को कनाडा की सीमा से बाहर कर कलकत्ता वापस भेज दिया गया।

अफगानिस्तान-:1915 में राजा महेन्द्र प्रताप एवं बरकतुल्ला तथाओबैदुल्ला सिंधी के प्रयासों से काबुल में भारत की पहली स्वतंत्र एवं अस्थायी सरकार की स्थापना की गयी जिसमें महेन्द्र प्रताप राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने ।

क्रांतिकारी आंदोलन का पतन:

- क्रांतिकारी गुप्त संगठन के कारण आम जनता तक नहीं पहुँच सके। अतः आंदोलन का सामाजिक आधार सीमित था। इस तरह जनाधार के बिना व्यक्तिगत वीरता साम्राज्यवादी शक्ति से कब तक टकराती।
- बम और पिस्तौल की राजनीति आम जनता को आकर्षित नहीं कर पायी।

- प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों के गुट में आ गया ।तो विदेशों में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा।
- गांधी के अंहिंसा के सिद्धांत ने भी क्रांतिकारी अवधारणा पर चोट की।

होमरूल लीग आंदोलन)1916)

एनी बेसेन्ट और तिलक ने 1916 में होमरुल लीग की स्थापना की। इसका गठन आयरलैंड के होमरुल लीग के आधार पर किया गया ।

उत्तरदायी कारक /परिस्थितियाँ:

- 'राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार पर दबाव डालकर भारतीय समस्याओं के प्रति उसका ध्यान आकर्षित किया जाए।
- मार्ले-मिन्टो सुधार)1909) का वास्तविक स्वरुप सामने आने पर उदारवादियों का सरकारी निष्ठा से भ्रम टूट गया। अतः आंदोलन शुरु किया गया।
- प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया और भारतीयों पर भारी कर आरोपित किए गए। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो गयी। अतः भारतीयों की कठिनाईयाँ भी बढ़ी। और वे किसी सरकार विरोधी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तत्पर हुए।
- जून-1914 में तिलक जेल से रिहा हुए। अत :अब स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए किसी अवसर की तलाश में थे। इसी क्रम में, वे आयरलैंड के होमरूल लीग के आधार पर प्रशासनिक सुधारों की मांग करने लगे और कहा कि"युद्ध कालीन संकट के क्षण में हमें ब्रिटेन को सहयोग करना चाहिए।"

गतिविधियाँ :

- तिलक एवं ऐनी बेसेंट ने महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी गुटों में एकता जरुरी है। अतः इनके बीच समझौता होना चाहिए ।
- तिलक और ऐनी बेसेंट ने किसी प्रकार के आपसी टकराव की संभावना को दूर करने के लिए अलग -अलग लीग गठित करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाँव में होमरूल लीग की स्थापना की जिसकी शाखाएँ महाराष्ट्र)बॉम्बे को छोड़कर(, कर्नाटक, मध्यप्रांत एवं बरार में स्थापित थी। इन शाखाओं के संगठित लीग ने स्वराज की प्राप्ति तथा भाषायी आधार पर प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा के प्रचार-प्रसार को अपना लड घोषित किया।
- ऐनी बेसेंट ने सितम्बर -1916 में मद्रास में होमरूल लीग की स्थापना की जिसकी शाखाएँ तिलक द्वारा स्थापित किए गए क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में भी जिनकी संख्या 200 थी और इसके सचिव 'जार्ज अरुण्डेल' थे।
- होमरूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को स्वशासन के वास्तविक स्वरुप से परिचित कराना था। इसके लिए समाचार पत्रों में लेख लिखे गए और राजनीतिक विषय पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन हुआ तथा नाटक और गीतों के माध्यम से प्रचार किया गया। 1917 की रूसी क्रांति से भी लीग के कार्यों को सहायता मिली।
- 1918 तक आते-आते आंदोलन कमजोर हो गया । वस्तुतः अगस्त 1917 में भारत सचिव मोटेग्यू ने घोषणा की कि भारत में क्रमिक रूप से स्वशासन दिया जाएगा । अत :ऐनी बेसेंट ने आंदोलन स्थागित कर दिया तो दूसरी तरफ 1918 में तिलक एक मुकदमे के सिलसिले में विदेश चले गए। अतः आंदोलन नेतृत्व-विहीन हो गया।
- आंदोलन की उपलब्धि यह रही कि आंदोलन ने जन सामान्य की महत्वत्ता को स्पष्ट किया | सबसे बढ़ कर तिलक और बेसेंट के प्रयासों से 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरमदल एवं गरमदल के बीच समझौता हुआ।

1945 -1947 के बीच का भारत:

- वैवेल योजना - जून 1945
- आजाद हिंद फौज एवं लाल किला मुकदमा –नवम्बर 1945
- शाही भारतीय नौसेना विद्रोह –फरवरी 1946
- कैबिनेट मिशन – मार्च 1946
- ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा –20 फरवरी 1947
- माउंटबेटन योजना –3 जून 1947

वैवेल योजना - (1945)वायसराय वैवेल ने 1945 में एक राजनीतिक सुधार की योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अनुसार वायसराय के कार्यकारिणी का पुर्नगठन किया जाना था। इस उद्देश्य से राजनीतिक नेताओं को जेल से रिहा किया गया और जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया।

ब्रिटिश सरकार इन राजनीतिक सुधारों के लिए इसलिए उत्साहित थी कि 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे और वहाँ की सरकार यह प्रदर्शित करना

चाहती थी कि वह भारत में समस्या समाधान के प्रति गंभीर है।

वैवेल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान रखे गए :

(i) वायसराय एवं कमांडर-इन चीफ को छोड़कर वायसराय की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे और परिषद में हिंदू मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी।

(ii) वायसराय वीटो पावर के प्रयोग का प्रयास नहीं करेगा।

इस योजना के संदर्भ में मुस्लिम लीग चाहती थी कि उसे ही भारत मुसलमानों का एक मात्र दल माना जाए वायसराय की कार्यकारिणी में मुस्लिम लीग के बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए।

दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस सूची के लिए दो मुस्लिम सदस्यों -मौलाना आजाद एवं अब्दुलगफ्फार खाँ को नियुक्त किया जिसका जिन्ना ने विरोध किया। अतः वायसराय वैवेल ने जिन्ना की आपत्ति देखते हुए सम्मेलन को असफल घोषित कर समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने जिन्ना के मन को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से कांग्रेस एक साम्प्रदायिक दल अर्थात् हिंदू दल के रूप में जाना जाता और भारत के मुसलमानों का एकमात्र दल मुस्लिम लीग को माना जाता । इससे मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की माँग और मजबूत हो जाती ।

आजाद हिन्द फौज)भारतीय राष्ट्रीय सेना-INA) :- INA की स्थापना 1942 में मोहन सिंह ने की थी। जापानी मेजर फूजीवारा ने मोहन सिंह को इसके गठन का सुझाव दिया था । उन्होनें मोहन सिंह से कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर कार्य करें । वस्तुत मोहन सिंह ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैन्यअधिकारी थे और जब ब्रिटिश सेना दक्षिण पूर्व एशिया से पीछे रह रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। इसी क्रम में । सितम्बर 1942 को मोहन सिंह के अधीन मलाया में INA का गठन हुआ।

- INA का दूसरा चरण उस समय आया जब सुभाष चन्द्र बोस 2 जुलाई 1943 में सिंगापुर पंहुचे और वहां से उन्होनें "दिल्ली चलो" का नारा दिया । यहाँ क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने उन्हें सहयोग दिया। अतः सुभाष चन्द्रबोस ने 21 अक्तूबर 1943 आजाद हिंद फौज के नाम से एक अस्थायी सरकार का गठन किया। इसका मुख्यालय सिंगापुर के साथ-साथ रंगून)म्यांमार (में भी बनाया गया ।
- बोस की सरकार ने Uk और USA के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और गांधी, नेहरू एवं सुभाष नामक सैन्य टुकड़ी का गठन किया तो महिलाओं के लिए रानी झाँसी रेजिमेंट का गठन किया ।
- जुलाई 1944 में सुभाष चन्द्र बोस ने एक रेडियो संदेश में कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध शुरू हो चुका हमारे राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए।
- शहनवाज खान के नेतृत्व में INA की सैन्य टुकड़ी जापानियों के साथ मिलकर भारत -बर्मा सीमा पर हमला करने के लिए इंफाल भेजी गयी किंतु जब जापानियों की विश्व युद्ध में पराजय होने लगी तब उनके साथ-साथ आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और उन पर मुकदमा चला।

लाल किला मुकदमा (नवम्बर1945):

- आजाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले में मुकदमा चलाया गया। फ़ौज के शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो एवं प्रेम कुमार सहगल को एक ही कठघरे में खड़ा किया गया। नेहरू ने सरकार से इन गुमराह देश भक्तों के प्रति उदारता दिखाने की अपील की। इसी क्रम में कांग्रेस ने सैनिकों के बचाव हेतु एकआजाद हिंद फौज समिति का गठन किया।
- लाल किले मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व 'भूलाभाई देसाई' कर रहे थे। नेहरू ने इस मुकदमे के दौरान 25 वर्ष पश्चात् काली कोट पहनी।
- लाल किले मुकदमे के संदर्भ में कैदियों को सभी राजनीतिक दलो जैसे -कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी आदि का समर्थन प्राप्त था। मुकदमे के दौरान जनता ने सक्रिय भूमिका निभायी देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन का आयोजन किया गया। समाचार पत्रों में लेख लिखे गए। आजाद हिंद सप्ताह) 11 नवम्बर) को आयोजन किया गया तथा 12 नवम्बर 1945 को आजाद हिंद दिवस मनाया गया। इस दौरान छात्र सर्वाधिक सक्रिय थे। इन्होंने शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया |
- मुकदमे के संदर्भ में आंदोलन में भारतीय जनता के राष्ट्रवाद का परिपक्व रूप दिखाई पड़ा। वस्तुतः भारत बनाम इंग्लैंड का मुद्दा स्पष्ट हो गया और भारतीय का आंदोलन पूर्णत :आजादी के रंग में रंगने लगा। अत : सरकार ने भी घोषणा की कि उन्हीं कैदियों पर मुकदमा चलेगा जिस पर बर्बरता एवं हत्या का आरोप है।

- आजाद हिंद फौज के कैप्टन अब्दुल रशीद को 7 वर्ष की सजा दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ जिसका नेतृत्व मुस्लिम लीग के छात्रों ने किया। इसमें कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन भी शामिल हुए।

शाही भारतीय नौसेना विद्रोह (18 फरवरी 1946)-

बाम्बे बंदरगाह पर खड़े हुए नौसैनिक प्रशिक्षण जहाज 'तलवार पर नाविकों ने ब्रिटिश नस्लवादी व्यवहाँ र एवं सुविधाओं में कमी के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। इसी क्रम में नाविक पी.सी दत्त ने'तलवार' की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया फलतः उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में द शाही नौसेना के नाविकों ने सरकार से उन्हें रिहा करने की मांग की तो साथ ही आजाद हिंद फौज के बंदियों की रिहाई एवं इण्डोनेशिया से भारतीय सैनिकों के वापसी की मांग की शीघ्र ही यह विद्रोह अन्य जहाजों पर भी फैल गया और नाविकों ने सरकारी आदेश को मानने से इंकार कर दिया। यह विद्रोह 1857 के विद्रोह की याद ताजा करता हैं।

वस्तुत :1857 का विद्रोह भी नागरिक असंतोष को व्यक्त करता है जिसकी शुरुआत सैन्य छावनी से सैनिक असंतोष के रूप में हुयी थी और इसमें सैनिकों के साथ-साथ बड़ी संख्या में असैनिक भी सम्मिलित राष्ट्रीय चेतना से मुक्त न होते हुए भी यह विद्रोह राष्ट्रीय चेतना के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। इस दृष्टि से इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कोर्ट में रखा जाता है। इस विद्रोह के पश्चात् भारत से कंपनी शासन की समाप्ति कर दी गयी और भारत में क्राउन का शासन स्थापित हुआ। अब सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए विलय और विस्तार की नीति त्याग दिया । इस तरह सरकार की नीतियों में परिवर्तन के लिए 1857 का विद्रोह ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ।

इसी तरह, शाही भारतीय नौसैनिक विद्रोह भी जन असंतोष की अभिव्यक्ति था। नस्लवादी व्यवहाँ र एवं निम्न स्तर की सुविधाएँ इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था । सैनिकों से शुरू हुए इस विद्रोह में जगह-जगह असैनिक समूह भी सरकार विरोधी कार्यक्रम में शामिल होते गए। यह विद्रोह राष्ट्रवाद की परिपक्व अवस्था को सूचित करता है। इस विद्रोह के उपरांत सरकार ने कैबिनेट मिशन माध्यम से भारतीयों द्वारा निर्मित एक संविधान सभा और अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। तत्पश्चात् भारत की आजादी सामने आयी। इस तरह, यह विद्रोह ब्रिटिश शासन की समाप्ति अर्थात् ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ जिसमें प्रथम कील 1857 के विद्रोह ने लगायी थी।

हड़ताली नाविकों ने केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति का गठन किया जिसके प्रमुख एम.एस.खान थे। नाविकों ने अपने जहाज पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगाए जो इस बात का संकेत है कि विद्रोह दल और सम्प्रदाय से ऊपर उठकर कार्य कर रहे थे। इन विद्रोहियों ने राजनीतिक कैदियों के रिहाई की मांग की।

विद्रोह का प्रसार बाम्बे, कोलाबा)महाराष्ट्र(, कराँची, कलकत्ता, जबलपुर दिल्ली, अम्बाला, जालंधर आदि स्थानों पर फैला । यहां मौजूद रक्षा संस्थानों में कर्मचारियों ने हड़ताल की । अंततः जिन्ना एवं पटेल के प्रयासों से नाविकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पटेल ने लिखा कि ब्रिटिश सैन्य ताकतें इतने जबरदस्त तरीके से जुटी है कि वे विद्रोहियों को पूर्णत :नष्ट कर सकती।

इस विद्रोह के दौरान आम जनता ने विद्रोहियों के पक्ष में एकजुटता प्रदर्शित की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इतिहास की पुस्तक में इस विद्रोह का उल्लेख चाहे ना मिलता हो किंतु इसकी भूमिका भारतीय जनमानस पर अंकित है। केन्द्रीय नौसेना हड़ताल समिति ने अपने अंतिम संदेश में कहा कि "हमारी हड़ताल हमारे राष्ट्र के जीवन की ऐतिहासिक घटना है। पहली बार सेना के जवानों एवं आम आदमी का खून एक साथ और एक लक्ष्य के लिए सड़कों पर बह रहा है। हम फौजी इसे कभी नहीं भूलेंगे। हमारी महान जनता जिंदाबाद ।

नौसेना विद्रोह का प्रभाव : इस विद्रोह द्वारा जनता की निडरता एवं संघर्ष क्षमता की सशक्त अभिव्यक्ति हुई। विद्रोहियों को भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की पूर्ण समाप्ति के रूप में देखा और इसे वे स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाने लगे।

इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के समक्ष झुकने के लिए विवश किया। इसी क्रम में सरकार ने घोषणा की कि INA के उन्हीं बंदियों पर मुकदमा चलेगा जिन पर बर्बरता एवं हत्या का आरोप है। साथ ही, इण्डोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की गयी एवं भारतीय मामलों पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया।

कैबिनेट मिशन (मार्च 1946)

पृष्ठ भूमि   प्रावधान   मूल्यांकन

पृष्ठभूमि - : द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी थी। अत :उपनिवेशों पर पकड़ बनाए रखना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हुआ ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुए और वहां लेबर 1945 मे पार्टी को बहुमत मिला और ऐटली प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन की नई सरकार ने आरंभ में यह स्पष्ट कर दिया कि वह भारतीय संवैधानिक समस्या को अतिशीघ्र सुलझाना चाहती है। चुनाव में सत्ता परिवर्तन से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश जनता भी सरकार की नीतियों में परिवर्तन चाहती है। इसी क्रम में, ऐटली ने भारत के संदर्भ में कहा कि अल्पसंख्यकों की मांगें विचारणीय है किंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा कर के पूरा नहीं किया जा सकता। यह ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में नीतिगत परिवर्तन को दर्शाता है।

इसी क्रम में, ब्रिटिश सरकार ने 1946 में तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। इसमें शामिल थे -

पेंथिक लॉरेन्स-भारत सचिव

स्टेफार्ड क्रिप्स –व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष

ए .वी .एलेक्जेंडर- ब्रिटिश नौसेना प्रमुख

मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और मई 1946 में उसने अपनी योजना प्रस्तुत की।

प्रावधान -: कैबिनेट मिशन के तहत एक भारतीय परिसंघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की गयी जिसमें सभी ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल थी। तथा इस एकीकृत संघ को केवल रक्षा विदेशी मामलें एवं संचार के विषय दिए गए । अन्य सभी अधिकार प्रांतो को दिया गया।

पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम बहुल प्रांतों का एक अलग राष्ट्र के रूप में सम्मिलित होना संभव नहीं था। साथ ही, इससे नयी तरह की समस्याएँ बड़ी हो सकती थी जैसे - पंजाब के जालंधर एवं अम्बाला डिविजन में हिंदू और सिख बहुसंख्यक थे, अतः वे भी विभाजन की मांग कर सकते थे। इसी तरह, सशस्त्र सेनाओं का विभाजन भी खतरनाक हो सकता था। सबसे बढ़कर विभाजन से प्रशासनिक और आर्थिक समस्याएं बड़ी हो सकती थी जैसे-पाकिस्तान बनने से उसके पूर्वी और पश्चिमी भागों के मध्य संचार की समस्या।

सम्पूर्ण भारतीय प्रांतों को 3 समूहों में रखा गया। समूह A - इसमें बाम्बे मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। (हिंदु बहुसंख्यक) समूह - 3 - इसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध शामिल था। (मुस्लिम बहुसंख्यक)समूह -५- इसमें बंगाल एवं असम शामिल था (मुस्लिम बहुसंख्यक)

संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाएगा । इस संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभा के सदस्य करेंगे और प्रांत की जनसंख्या के आधार पर सदस्य संख्या निर्धारित होगी | 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रखा जाएगा ।

संविधान सभा में समूह A, B और C तीनों के सदस्य एक साथ बैठकर संघीय संविधान का निर्माण करेंगे । और फिर तीनों समूह के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने, हेतु अलग -अलग बैठक कर विचार-विमर्श करेंगे । तत्पश्चात् यदि संभव हुआ तो समूह के लिए एक संविधान निर्माण का भी प्रयास करेंगे ।

संविधान लागू होते ही देशी राज्यों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और यह रियासतें भारतीय संघ के साथ संधि करने के लिए स्वतंत्र होगी।

एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसमें 14 सदस्य होंगे। इसमें मुख्य राजनीतिक दल और सम्प्रदाय के लोग शामिल होंगे। (कांग्रेस-6 मुस्लिम लीग सिख इसाई और पारसी धर्म के 1-1 सदस्य रखे जाएंगे 1)

मूल्यांकन - :द्विराष्ट्र बाद सिद्धांत की समस्या को सुलझाने अर्थात् हिन्दू -मुस्लिम मतभेद को सुलझाने का एक ईमानदार प्रयास कैबिनेट मिशन द्वारा की गया था ।

भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव देश की एकता को बनाये रखने की कांग्रेस की मांग के अनुरूप था जबकि प्रांतों को दी गयी आंतरिक स्वायत्तता मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के नजदीक था । साथ ही पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना भारत विभाजन को रोकने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम था। इतना ही नहीं, भारतीयों द्वारा अंतरिम सरकार का गठन तथा संविधान सभा का निर्माण करना एक सकारात्मक पहलु था।

किंतु केन्द्र की शक्तियों को सीमित कर प्रांतों को अत्यधिक अधिकार दिया गया जो अलगाव की दिशा में एक कदम था।

प्रधानमंत्री एटली की घोषणा (20 फरवरी 1947)

भारत में बढ़ते साम्प्रदायिक संघर्ष और ब्रिटिश राज पर बढ़ते दबाव ने प्रधानमंत्री एटली को इस घोषणा के लिए बाध्य किया कि 20 जून 1948 तक हर हाल में भारत को आजाद कर दिया जाएगा और इसके लिए माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भारत भेजा गया।

ऐटली ने कहा कि सभी राजनीतिक दल मिल जुल कर नए उत्तरदायित्व को स्वीकार करेंगे और अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर कार्य करेंगे । इस घोषणा का मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वागत किया क्योंकि यह व्यवहाँ रिक स्तर पर देश की वर्तमान स्थिति के अनुसार की गयी घोषणा थी।

माउंटबेटन योजना/मनबाटनयोजना, डिकी बर्ड योजना/3 जून की योजना (विभाजन के साथ हस्तांतरण की योजना): -

पृष्ठभूमि -: भारत में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और एक अंतरिम सरकार तथा संविधान सभा के गठन की घोषणा की। अत :मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अधूरी रह गयी। अतः उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने, लगे पाकिस्तान का नारा दिया जो साम्प्रदायिक हुए दंगों की प्रत्यक्ष उदघोषणा थी । ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मारे जाने लगे । देश में अव्यवस्था फैली। इन्ही स्थितियों में माउंटबेटन ने समस्या समाधान के लिए 3 जून की योजना प्रस्तुत की जो भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना थी। इसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जाता है।

प्रावधान : भारत और पाकिस्तान इन दो डोमिनियिन को सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा ।

सिंध और बलूचिस्तान की विधायिका को यह निर्णय लेना था कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ मिलेंगे।

पंजाब एवं बंगाल की विधायिका को दोहरा निर्णय लेना था-

(a) क्या वे पाकिस्तान के साथ मिलेंगे ।

(b) यदि हाँ तो क्या इन राज्यों का विभाजन भी होगा ।

उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं असम के सिलहट जिलें में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे किसके साथ मिलेंगे। (यह जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में गया)

सीमा विभाजन के लिए एकआयोग गठित हो । रेडक्लिफ की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया।

विभाजन कार्य पूरा होने तक गवर्नर जनरल ही सेना की कमान और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

मूल्यांकन -: कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इससे शांतिपूर्ण और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है और देश में प्रशासनिक एवं सैनिक ढांचे की निरंतरता बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी समझा गया।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में विभाजन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं हो सका। डॉ सैफुद्दीन किचलू एवं पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे 100 से अधिक सदस्यों ने विरोध प्रकट किया । अंततः जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत विभाजन की योजना को पारित किया में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में इसे स्वीकृति मिली भारत के संदर्भ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अंतिम अधिनियम था। इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।

कांग्रेस ने विभाजन क्यो स्वीकार किया ?

1946-47 में भारत में साम्प्रदायिक तनाव अत्यंत उग्र रूप ले लिया था। जिन्ना प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर लड़ कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दे रहे थे। फलत : साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गयी और इसमें हजारों निर्दोष मारे जा रहे थे। अंतरिम सरकार इन दंगों को रोकने में विफल रही। इस तरह देश में अराजकता की स्थिति व्याप्त थी।

ऐसी स्थिति में कांग्रेस को मौजूद दो बुराइयों अर्थात् विभाजन या गृहयुद्ध में से किसी एक को चुनना था। कांग्रेस ने विभाजन को कम बुराई वाला मान कर उसे स्वीकार किया। वस्तुतः विद्रोष भारतीयों की जीवन की रक्षा का लक्ष्य सर्वोपरी रखते हुए परिस्थितियों के स्वीकार किया, अनुसार विभाजन को स्वीकार किया ।

भारत और पाकिस्तान में सत्ता हस्तांतरण की योजना स्वीकार करने से भारत के विखण्डनीकरण से बचा जा सकता था। दरअसल अनेक छोटी-बड़ी रियासतों को स्वतंत्र होने से रोकने के लिए विभाजन के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी था। इसी संदर्भ में पटेल ने कहा कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा।

अंतरिम सरकार की विफलता से कांग्रेस ने सीख लेते हुए विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दरअसल अंतरिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग सरकार से ही

असहयोग कर रही थी। इससे जनता की सुरक्षा बाधित हो रही थी।

देश में प्रशासनिक एवं सैन्य ढाँचे की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विभाजन को तत्काल स्वीकार किया गया। अन्यथा सेना नेतृत्वविहीन हो सकती थी और ऐसे में सैन्य तंत्र की स्थापना संभव थी।

निष्कर्ष –: कह सकते हैं कि कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक कठोर निर्णय था जो तत्कालीन परिस्थितियों के समाधान हेतु उठाया गया एक यथार्थ वादी कदम था। इतना जरूर है कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया।

विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्वः- कांग्रेस ने आरंभ में ही 1909 के मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध न कर के 'फूट डालो और राज करो' के ब्रिटिश सरकार की नीति को ही स्वीकार किया जो उसकी त्रुटि थी । वस्तुतः जिस तरह से कांग्रेस ने 1905 में बंगाल विभाजन का तत्काल विरोध किया था और आगे चलकर दलित पृथक निर्वाचन प्रथककता का विरोध कर उसे रह करवाया था, उसी तर तरह 1909 के मुस्लिम निर्वाचन का विरोध के संदर्भ में करने में कांग्रेस असफल रही। इतना ही नहीं, 1916 के लखनऊ अधिवेसन् में कांग्रेस ने मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार भी कर लिया जिससे अंततः साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला और मुस्लिम लीग को महत्व बढ़ा।

1928 में नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम पृथक निर्वाचन को रद्द कर संयुक्त निर्वाचन की बात की गयी जो कांग्रेस की भूल साबित हुई क्योंकि इससे मुस्लिम समाज में उनके अधिकारों के होने की भावना मजबूत हुई। फलतः जिन्ना के नेतृत्व में प्रसूत्रीय मांग प्रस्तुत की गयी और यहाँ से जिन्ना साम्प्रदायिक राजनीति की ओर उन्मुख हुए जो अंततः विभाजन के मार्ग चलने के समान था।

कांग्रेस ने मुस्लिम साम्प्रदायिक वाद निपटने के लिए मुस्लिम समाज के विकास का कोई आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया बल्कि नेताओं के स्तर पर ही वार्ता के माध्यम से समाधान का प्रयास किया गया ।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

भारतीय संस्कृति
अध्याय – 1

संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण विषय

भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य / नर्तक

शास्त्रीय नृत्य	सम्बन्धित राज्य	प्रमुख नर्तक
भरतनाट्यम	तमिलनाडु	यामिनी कृष्णामूर्ति , टी बाला सरस्वती , रुक्मिणी देवी , सोनल मानसिंह , मृणालिनी साराभाई , वैजयन्ती माला , हेमामालिनी
कथकली	केरल	मृणालिनी साराभाई , गुरु शंकरन , नम्बूदरीपाद , शंकर कुरुप , के सी पणिक्कर
मोहिनीअट्टम	केरल	भारती शिवाजी , तंकमणि शांताराव
कुचिपुड़ी	आन्ध्र प्रदेश	यामिनी कृष्णमूर्ति , राधा रेड्डी , राजा रेड्डी , स्वप्न सुन्दरी
कत्थक	उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान	बिरजू महाराज , अच्छन महाराज , गोपीकृष्ण , सितारा देवी , रोशन कुमारी , उमा शर्मा
ओडिसी	ओडिशा	प्रोतिमा देवी , संयुक्ता पाणिग्रही , सोनल मानसिंह , केलुचरण महापात्र , माधवी मुद्गल
मणिपुरी	मणिपुर	सूर्यमुखी देवी , गुरु विपिन सिंह

भारत के प्रमुख लोकनृत्य

राज्य	लोकनृत्य
असम	बिहू, खेलगोपाल , कलिगोपाल , बोई साजू , नटपूजा मीदू ।
पंजाब	कीकली , भाँगड़ा , गिद्दा
हिमाचल प्रदेश	जद्दा , नाटी , चम्बा , छपेली
हरियाणा	धमाल , खोरिया , फाग , डाहीकल
महाराष्ट्र	लेजिम , तमाशा , लावनी , कोली
जम्मू - कश्मीर	दमाली , हिकात , दण्डी नाच , राऊ , लडाखी
राजस्थान	गणगौर , झूमर , घूमर , झूलन लीला
गुजरात	गरबा , डाण्डिया रास , पणिहारी , रासलीला , लास्या , गणपति भजन
बिहार	जट - जाटिन , घुमकड़िया , कीर्तनिया , पंवारियाँ , सोहराई , सामा , चकेवा , जात्रा

उत्तर प्रदेश	डांगा , झींका , छाऊ , लुझरी , झोरा , कजरी , नौटंकी , थाली , जद्दा
केरल	भद्रकली , पायदानी , कुड़ीअट्टम , कालीअट्टम , मोहिनीअट्टम
पश्चिम बंगाल	करणकाठी , गम्भीरा , जलाया , बाउल नृत्य , कथि , जात्रा
नागालैण्ड	कुमीनागा , रेंगमनागा , लिम , चोंग , युद्ध नृत्य , खेवा
मणिपुर	संकीर्तन , लाईहरीबा , थांगटा की तलम , बसन्तराम , राखाल
मिजोरम	चेरोकान , पाखुलिया नृत्य
झारखण्ड	सुआ , पंथी , राउत , कर्मा , फुलकी डोरला , सरहुल , पाइका , नटुआ , छऊ
ओडिशा	अग्नि , डंडानट , पैका , जदूर , मुदारी , आया , सवारी , छाऊ
उत्तराखण्ड	चांचरी / झोड़ा , छपेली , छोलिया , झुमैलो , जागर , कुमायूँ नृत्य
कर्नाटक	यक्षगान , भूतकोला , वीरगास्से , कोडावा
आन्ध्र प्रदेश	घण्टामर्दाला , बतकम्मा , कुम्मी , छड़ी , सिद्धि माधुरी
छत्तीसगढ़	सुआ करमा , रहस , राउत , सरहुल , बार , नाचा , घसिया बाजा , पंथी
तमिलनाडु	कोलट्टम , कुम्मी कारागम्
उत्तराखण्ड	जागर , चौंफला , छपेली , छोलिया

प्रसिद्ध वाद्य यन्त्र एवं वादक

वाद्य यन्त्र	वादक
बाँसुरी	हरिप्रसाद चौरसिया , रघुनाथ सेठ , पन्नालाल घोष , प्रकाश सक्सेना , देवेन्द्र मुर्क्तेश्वर , प्रकाश बढ़ेरा , राजेन्द्र प्रसन्ना
वायलिन	बालमुरली कृष्णन , गोविन्दस्वामी पिल्लई , टी एन कृष्णन , आर पी शास्त्री , सन्दीप ठाकुर , बी शशि कुमार , एन राजम
सरोद	अली अकबर खाँ , अलाउद्दीन खाँ , अशोक कुमार राय , अमजद अली खाँ
सितार	पं । रविशंकर , उस्ताद विलायत खाँ
शहनाई	बिस्मिल्ला खाँ , शैलेश भागवत , अनन्त लाल , भोलानाथ तमन्ना , हरिसिंह
तबला	अल्ला रक्खा , जाकिर हुसैन , लतीफ खाँ , गुदई महाराज , अम्बिका प्रसाद
हारमोनियम	रवीन्द्र तालेगांवकर , अप्पा जुलगावकर , महमूद ब्रह्मस्वरूप सिंह , एस । बालचन्द्रन , असद अली , गोपालकृष्ण
वीणा	पं । शिवकुमार शर्मा , तरुण भट्टाचार्य
सारंगी	पं । रामनारायण , ध्रुव घोष , अरुण काले , आशिक अली खाँ , वजीर खाँ , रमजान खाँ
गिटार	विश्वमोहन भट्ट , ब्रजभूषण काबरा , केशव तालेगांवकर , नतिन मजूमदार

लोककला शैलियाँ

शैली	राज्य
रंगोली	महाराष्ट्र / गुजरात
अल्पना	पश्चिम बंगाल
मण्डाना , मेहँदी	राजस्थान
अरिपन , गोदना	बिहार
रंगवल्ली	कर्नाटक
ऐपण	उत्तराखण्ड
अदूपना	हिमाचल
चौक पूरना	उत्तर प्रदेश
कलमकारी , मुगगु	आन्ध्र प्रदेश
फुलकारी	हरियाणा
सथिया	गुजरात
कोल्लम	तमिलनाडु
कालम	केरल

वास्तुकला शैलियाँ

शैली	विशेषता	नमूने
नागर शैली	चतुर्भुजाकार भवन	सूर्य मन्दिर (कोणार्क) , जगन्नाथ मन्दिर (पुरी) , शैली भवन कन्दरिया महादेव मन्दिर (खजुराहो) , दिलवाड़ा जैन मन्दिर (माउण्ट आबू)
द्रविड शैली	गोलाकार भवन	कैलाश मन्दिर (काँची) , रथ मन्दिर (मामल्लापरम) । शैली भवन वृहदेश्वर मन्दिर (तंजौर)
बेसर शैली	आयताकार भवन	कैलाश मन्दिर (एलोरा) , दशावतार मन्दिर (देवगढ़ शैली भवन झाँसी)

अध्याय – 2

भारतीय चित्रकला

- भारत में चित्रकला का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से ही शुरू हो जाता है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में चित्रकारी गुफाओं या कन्द्राओं में की जाती थी। प्रागैतिहासिक कालीन भारतीय चित्रकला का उत्कृष्ट नमूना भीमबेटका की गुफाएँ हैं जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित हैं।
- **भीमबेटका**
- भीमबेटका की गुफाएँ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज डॉ. विष्णु वाकणकर ने 1957-58 में की थीं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है और यहाँ 750 से अधिक पत्थर की गुफाएँ हैं।
- भीमबेटका में 700 से अधिक शैलाश्रय हैं जिनमें 400 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित हैं।
- इनकी दीवार पर प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी है। यहाँ के सबसे पुरानी चित्रकारी 30,000 साल पुरानी है। यहाँ पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्रकाल, प्राचीन और मध्य कालीन चित्रकारी है।
- पुरा पाषाण कालीन चित्रकारी में हिरण, गेंडा, शेर का चित्र प्रमुख है।
- मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी में शिकार, जनजातीय युद्ध जैसी चित्रकारियाँ है। इसके बाद की चित्रकारी में यक्ष, वनदेव-वनदेवी, आसमानी रथ जैसे चित्र प्रमुख हैं।
- हड़प्पा सभ्यता में भी चित्रकला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। हड़प्पा कालीन स्थलों से खुदाई के दौरान मुहरों पर अलंकृत चित्रकला इसका एक अलग ही उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर हाथी, बैल, घोड़ा, आदि अंकित हैं।
- हड़प्पा स्थलों से यहाँ पशुपतिनाथ की मुहर भी प्राप्त हुई है।
- प्राचीन भारत में हिंदु, बौध्द और जैन तीनों ही धर्मों में चित्रकला का बहुत योगदान रहा। प्राचीन भारत के साहित्य पर चित्रकला का विशेष प्रभाव रहा है। बौध्द धर्म के विनय पिटक में चित्रकला का वर्णन किया गया है। मुद्राराक्षस नामक नाटक, जो कि

पाँचवीं सदी में लिखा गया था, में भी चित्रपटों का वर्णन किया गया है।

- **चित्रकला के षडांग**
- तीसरी सदी में वात्सयायन ने कामसूत्र की रचना की। इसमें उन्होंने चित्रकला के छः अंगों का वर्णन किया है| ये छः अंग इस प्रकार हैं- (1) रूपभेद (2) प्रमाण (3) भाव (4) लावण्य योजना (5) सादृश्य योजना (6) वर्णिकाभंग।
- **अजंता की गुफाएँ**
- अजंता की गुफाएँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इनकी खोज 1819 में हुई।
- इन्हें 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये पत्थर से काटकर बनाई गईं गुफाएँ हैं। इन्हें बनाने में लगभग एक हजार साल का समय लगा।
- गुफाओं के निर्माण का प्रारम्भिक कार्य तवाहन काल में हुआ। बाद में अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक काल में भी हुआ। 16वीं गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्रकला है। 17 नंबर की गुफा का विकास हरिषेण ने कराया था और इसमें गौतम बुध्द के जीवन से संबन्धित चित्रकारी है।
- **ऐलोरा की गुफाएँ**
- ऐलोरा की गुफाएँ भी महाराष्ट्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में हैं। ये बौध्द, हिंदू और जैन धर्म की चित्रकारी से सम्बंधित गुफाएँ हैं। यहीं पर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया।
- बाघ की गुफाएँ- बाघ की गुफाएँ बौध्द धर्म से संबंधित हैं। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है।
- यह प्राचीन भारतीय चित्रकला का बेहद उत्कृष्ट नमूना है। इनका विकास 5वीं से छठी शताब्दी के बीच हुआ था।
- भारत की गुफाओं में चित्रकारी का इतिहास बेहद प्राचीन है।, एलोरा, अजंता बाघ की गुफाओं के अलावा तमिलनाडू की नीलगिरि की पहाड़ियों में कुमुट्टीपथी, मवादईप्पू, कारिकियूर में गुफा चित्रकारी भीमबेटका इतनी ही पुरानी है। कर्नाटक में बादामी के निकट हिरेगुड्डा में भी गुफाओं में चित्रकारी की गयी है। इसके अलावा ओडिशा की गुड़ाहंदी, योगिमाथा की चित्रकारी प्रसिद्ध है।
- सातवीं शताब्दी में विष्णुधर्मोत्तर पुराण में 'चित्रसूत्र' नामक अध्याय चित्रकला से संबंधित है।
- **बाघ व एलीफेटा की गुफाएं**
बाघ की गुफाओं के विषय लौकिक जीवन से सम्बन्धित हैं। यहां से प्राप्त संगीत एवं नृत्य के चित्र अत्यधिक आकर्षक हैं। हाथी की मूर्ति होने की वजह से पुर्तगालियों ने इसका नामकरण एलीफेन्टा किया।

- **मध्यकालीन भारतीय चित्रकला**
- पूर्वी भारत चित्रकला 10वीं शताब्दी में विकसित हुई। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला का प्रभाव है। इसके प्रमुख उदाहरण म्यांमार के बागान के मंदिरों, तिब्बत की चित्रकारी में देखे जा सकते हैं।
- पश्चिमी भारतीय चित्रकारी सूक्ष्म चित्रकारी के रूप में विकसित हुई और यह बेहद सुंदर चित्रकारी थी। यह हिंदू और जैन धर्म से मुख्य रूप से समबन्धित थी।
- सल्तनत काल में भी मस्जिदों में चित्रकला का परभाव देखा जा सकता है। इसमें फारसी संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। यह प्रभाव भारत की हिंदू चित्रकारी पर भी पड़ा। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और राजस्थान के राजपूतों ने भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया।
- मुगल चित्रकला शैली का विकास फारसी और हिंदू चित्रकला के मिश्रण से हुआ। अकबर ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। मुगल शासकों ने भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया।
- जहाँगीर का समय- जहाँगीर के समय को मध्यकालीन चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहाँगीर के दरबार में मंसूर, बिशनदास और मनोहर जैसे चित्रकार सुशोभित थे।
- जहाँगीर एक चित्रकृति में अलग-अलग चित्रकारों द्वारा बनाई गयी कृतियों को अलग पहचान सकता था।
- **मुगल शैली**
मुगल चित्रकला शैली भारतीय, फारसी और मुस्लिम मिश्रण का विशिष्ट उदाहरण है। अकबर के शासनकाल में लघु चित्रकारी के क्षेत्र में भारत में एक नये युग का सूत्रपात हुआ। उसके काल की एक उत्कृष्ट कृति हमजानामा है। मुगल चित्रकला नाटकीय कौशल और तूलिका के गहरेपन के लिए विख्यात है।
- जहांगीर खुद भी एक अच्छा चित्रकार था। उसने अपने चित्रकारों को छविचित्रों व दरबारी दृश्यों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
- उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन और बिशनदास उसके दरबार के सबसे अच्छे चित्रकार थे। शाहजहां के

काल में चित्रकारी के क्षेत्र में कोई ज्यादा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि वह स्थापत्य व वास्तु कला में ज्यादा रुचि रखता था।

- **आधुनिक भारतीय चित्रकला**
- आधुनिक भारतीय चित्रकला में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए देवी सरस्वती, उर्वशी-पुरुरवा, जटायु-मरण, के तैल चित्र आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं।
- **आधुनिक काल की प्रमुख चित्रकृतियाँ**
- आधुनिक काल में प्रमुख चित्रकृतियाँ इस प्रकार हैं
- भारत माता- अबनींद्रनाथ टैगोर
- शकुंतला- राजा रवि वर्मा
- बापूजी- नंदलाल बोस
- बिंदु- एस एच रज़ा
- उर्वशी-पुरुरवा- राजा रवि वर्मा
- जटायु मरण- राजा रवि वर्मा
- देवी सरस्वती- राजा रवि वर्मा
- परशुराम, ब्रहमाजी, श्री राम- अनिरुद्ध साईनाथ

अध्याय – 3
भारतीय नृत्य कलाएँ –

भरतनाट्यम

- भरतनाट्यम भारतीय नृत्य कला शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ।
- भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से भारतीय नृत्य कला की इस शैली की जानकारी प्राप्त होती हैं।
- भरतनाट्यम का नाम भरतमुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। तमिल में नाट्यम शब्द का अर्थ नृत्य होता है।
- नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गतिविधि के व्याकरण और तकनीकी अध्ययन के लिए ग्रंथीय सामग्री का एक प्रमुख स्त्रोत है।
- चिदंबरम मंदिर के गोपुरमों पर भरतनाट्यम नृत्य की भंगिमाओं की एक श्रृंखला और मूर्तिकार द्वारा पत्थर को काटकर बनाई गई प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं।
- भरतनाट्यम नृत्य को एकहार्य के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ नर्तकी एकल प्रस्तुति में अनेक भूमिकाऐं करती है।
- राजा सरफोजी के संरक्षण के तहत तंजौर के प्रसिद्ध चार भाइयों ने भरतनाट्यम के उस रंगपटल का निर्माण किया था, जो हमें आज दिखाई देता है।
- देवदासियों द्वारा इस शैली को जीवित रखा गया। देवदासी वास्तव में वे युवतियां होती थी । जो अपने माता-पिता द्वारा मंदिर को दान में दे दी जाती थी। उनका विवाह देवताओं से होता था।
- देवदासियाँ मंदिर के प्रांगण में देवताओं को अर्पण के रूप में संगीत व नृत्य प्रस्तुत करती थीं। इस सदी के कुछ प्रसिद्ध गुरुओं और अनुपालकों का संबंध देवदासी परिवारों से है जिनमें बाला सरस्वती एक बहुत परिचित नाम है।
- भरतनाट्यम का रंगपटत बहुत विस्तृत होता है जबकि प्रस्तुतीकरण में नियमित ढांचे का अनुकरण किया जाता है। सबसे पहले यहां स्तुति-गान होता है।

कथकली नृत्य

- कथकली नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आज कथकली एक प्रचलित नृत्य रूप है। यह एक

कला है जो प्राचीन काल में दक्षिणी प्रदेशों में प्रचलित बहुत से सामाजिक और धार्मिक रंगमंचीय कला रूपों से उत्पन्न हुई है।

- चाकिदारकुत्त, कूडियाट्टम कृष्णानाट्टम और रामानाट्टम केरल की कुछ अनुष्ठानिक निष्पादन कलाएं है, जिनका कथकली के प्रारूप और तकनीक पर सीधा प्रभाव है।
- कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का वर्णन है। इसमें अधिकतर भारतीय महाकाव्यों से ली गई कथाओं का नाटकीकरण किया जाता है।
- नर्तक अपने भावों को विधिबद्ध हस्तमुद्राओं और चेहरे के भागों से अभिव्यक्त करता है। इसके पश्चात् (पद्य) पद्यात्मक भाग होता है जिन्हें गाया जाता है। कथकली नृत्य शैली अपनी मूल पाठ विषयक स्वीकृति बलराम भरतम् और हस्लक्षण दीपिका से प्राप्त करती है।
- कथकती नृत्य में कर्नाटक रागों का भी प्रयोग होता है और कर्नाटिक राग के अंतर्गत राग और तात। भाव रस और नृत्य के प्रतिरूपों नृत्त और नाट्य की पुष्टि होती है। वाद्य समूह में जो केरल की अन्य निष्पादन कताओं में भी प्रयोग में लाया जाता है। विधिवत, चेंडा, मद्दलम। इलसालम इडक्का और शंख को सम्मिलित किया जाता है।

कथक नृत्य

कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ एक कहानी से है। ब्रजभूमि की रासतीता से उत्पन्न कथक उत्तर प्रदेश की एक परंपरागत नृत्य विधा है।

- भक्ति आंदोलन ने लयात्मक और संगीतात्मक रूपों के एक संपूर्ण नव प्रसार के लिए सहयोग दिया। राधा-कृष्ण की विषयवस्तु मीराबाई, सूरदास, नंददास और कृष्णदास के कार्य के साथ बहुत प्रसिद्ध हुई रास लीला अपने आप में संगीत, नृत्य और व्याख्या का संयोजन है।
- मुगल काल में हिन्दू और मुस्लिम दोनों दरबारों में कथक उच्च शैली में उभरा और मनोरंजन के एक मिश्रित रूप में विकसित हुआ।
- मुस्लिम वर्ग के अंतर्गत यहां भारतीय नृत्य कला पर। विशेष बल दिया गया और भाव ने इस नृत्य को सौंदर्यपूर्ण, प्रभावकारी तथा भावनात्मक (इंद्रिय) आयाम प्रदान किए गए।

प्रसिद्ध घराने

लखनऊ घराना

- 29वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण के तहत भारतीय नृत्य कला के अंतर्गत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है।
- नवाब ने लखनऊ घराने को अभिव्यक्ति तथा
- भाव पर उसके प्रभावशाली रूप से स्थापित किया।
- इस घराने के नृत्य पर मुगल प्रभाव के कारण नृत्य में श्रृंगारिकता के साथ-साथ अभिनय पक्ष पर भी विशेष ध्यान दिया।
- इस घराने को पहचान दिलाने में पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

जयपुर घराना

- जयपुर घराना अपनी लयकारी या लयात्मक प्रवीणता के लिए जाना जाता है। इस घराने के नृत्य के दौरान पाँव की तैयारी, अंग संचालन तथा नृत्य की गति पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- इसे शीर्ष पर पहुंचाने में उमा शर्मा, प्रेरणा श्री माली, शोभना नारायण, राजेन्द्र गंगानी और जगदीश गंगानी ने पर्याप्त योगदान दिया है।

बनारस घराना

इस घराने में श्रृंगारिकता के स्थान पर प्राचीन शैली पर अधिक बल दिया गया। यह जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ। इस घराने के नाम पर प्रख्यात नृत्यगुरु सितारा देवी के पश्चात् उनकी पुत्री जयंतीमाला ने इसकी छवि को बनाये रखने का प्रयास किया।

रायगढ़ घराना

- अन्य सभी घरानों से नया माना जाता है। इसकी स्थापना रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह के आश्रय में पंडित जयलाल, पंडित सीताराम, हनुमान प्रसाद और लखनऊ घराने के पंडित अच्छन महाराज तथा पंडित लच्छू महाराज द्वारा की गयी। यह आघातपूर्ण संगीत पर बल देने हेतु महत्वपूर्ण है।

कुचिपुड़ी नृत्य

कुचिपुड़ी आन्ध्र प्रदेश की एक नृत्य शैली है। यह भारतीय नृत्य की एक पारंपरिक शैली है। मूलतः कुस्सेल्वा के नाम से विख्यात ग्राम-ग्राम जाकर प्रस्तुति देने वाले अभिनेताओं के समूह के द्वारा

प्रस्तुत की जाने वाली विधा है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिलें में कुचिपुड़ी नामक गांव है।

- 17वीं शताब्दी में एक प्रतिभाशाली वैष्णव कवि तथा दृष्टा सिहेन्द्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की, जिनमें अपनी कल्पनाओं को मूर्ति एवं साकार रूप प्रदान करने की अद्भुत क्षमता थी। सिद्धेन्द्र योगी के अनुयायियों अथवा शिष्यों ने कई नाटकों की रचना की और आज भी कुचिपुड़ी नृत्य-नाटक की परंपरा विद्यमान है।
    - इस शैली में एकल नृत्य प्रस्तुति व स्त्री नर्तकियों के प्रशिक्षण सहित अनेक नए तत्वों का समावेशन लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने किया। पहले भी एकल नृत्य प्रस्तुति विद्यमान थी, पर वह केवल समुचित कार्यों में नृत्य-नाटकों के एक भाग के रूप में की थी।
    - कभी-कभी तो नाटक की प्रस्तुति में आवश्यक न होने पर भी अनुरोध अथवा आग्रह में वृद्धि करने तथा प्रस्तुति को बीच में रोकने हेतु एकल नृत्य प्रस्तुत की जाती थी। तीर्थ नारायण योगी की कृष्ण लीला-तरंगिणी से प्रेरित तरंगम ऐसी ही प्रस्तुति है।
    - शरीर संतुलन तथा पादकोशल तथा उसके नियंत्रण में नर्तक कलाकारों की दक्षता प्रदर्शित करने हेतु पीतल की थाली की किनारी पर नृत्य करना तथा सिर पर पानी से भरा घड़ा लेकर नृत्य करने जैसी कुशलताओं को जोड़ा गया। इस शताब्दी के मध्य तक कुचिपुड़ी नृत्य शैली एक सर्वथा स्वतंत्र शास्त्रीय एकल नृत्य शैली के रूप में पूर्णतः स्थापित हो गई अब कुचिपुड़ी नृत्य की दो शैलियां है ।

1. नृत्य नाटक
2. एकल नृत्य नाटक

मोहिनीअट्टम

मोहिनीअट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है, हिन्दू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य-रूप है। मोहिनी अर्थात् सुन्दर नारी तथा अट्टम अर्थात् नृत्य है। पौराणिक गाथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के संबंध में और भस्मासुर के वध की घटना के संबंध में लोगों का मनोरंजन करने के लिए फ्मोहिनीय् का वेष धारण किया था।

यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। केरल के इस नृत्य की संरचना त्रवणकोर राजाओं महाराजा कार्तिक तिरुनल और उसके उत्तराधिकारी महाराजा स्वाति तिरुनल द्वारा वर्तमान शास्त्रीय स्वरूप में की गई थी। इसका उद्भव केरल के मंदिरों में हुआ।

ओडिसी नृत्य

ओडिसा के इस नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुरातन जीवित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। इंद्रीय और गायन के रूप में ओडिसी प्रेम और भाव, 'देवताओं और मानव से जुड़ा सांसारिक और लोकोत्तर नृत्य है। दक्षिणी-पूर्वी शैली उधरा मगध शैली के रूप में जानी जाती हैं, जिसमें वर्तमान ओडिसी को प्राचीन अग्रदूत दूत के रूप में पहचाना जा सकता है।

भुवनेश्वर के पास उदयगिरि और खण्डगिरि की गुफाओं से इस नृत्य रूप के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं। ओडिसी एक उच्च शैली का नृत्य है और कुछ मात्र में शास्त्रीय नाटक शास्त्र तथा अभिनय दर्पण पर आधारित है।

जयदेव द्वारा रचित 12वीं सदी के गीत गोविन्द के बारे में सत्य है।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 4

मुगलकालीन प्रमुख इमारतें

जामा मस्जिद

- यह लाल पत्थर से निर्मित है। ! इस मस्जिद को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा गया है। फर्ग्यूसन ने इसे पत्थरों की रुमानी कथा कहा है।

शेख सलीम चिश्ती का मकबरा

- अकबर ने इसका निर्माण लाल पत्थर से करवाया परंतु जहांगीर व शाहजहां ने इसे तुड़वाकर संगमरमर से निर्मित करवा दिया गया।

इस्लाम खा का मकबरा

- सर्वप्रथम वर्गाकार मेहराब का प्रयोग इसी मकबरे में किया गया है।

जोधाबाई का महल

- यह फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी आवासीय इमारत है।

तुर्की सुल्तान की कोठी

- यह अकबर की प्रथम पत्नी रुकैया बेगम का महल था। पर्शी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य का रतन कहां है।

मरियम महल

- अकबर की माता हमीदा बानो का महल था। हमीदा बानो मरियम मकानी के नाम से प्रसिद्ध है।
- अकबर ने इसमें हिंदू देवी-देवताओं के चित्र बनवाएं थे जिन्हें बाद में औरंगजेब ने चूने से पुतवा दिया गया।
- इसका उल्लेख इटली के मनुची ने अपनी पुस्तक स्टीरियो डी मोगर में किया।
- मरियम का महल: जोधाबाई महल के निकट है।
- बीरबल का महल: यह दो मंजिला इमारत है जो मरियम के महल की तर्ज पर बनी है।
- तुर्की सुल्ताना की कोठी: रुबिया बेगम या सलीमा बेगम के लिए निर्मित यह लघु आकार की इमारत अत्यधिक आकर्षक है। पर्सी ब्राउन ने इसे "कलात्मक रत्न" कहा।
- फर्ग्यूसन: 'फतेहपुर सीकरी का महल पाषण का एक ऐसा रोमांस है जैसा कहीं और नहीं मिलेगा।
- अबुल फजल लिखता है कि "बादशाह सुन्दर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के
- विचारों को पत्थर एवं गारे का रूप प्रदान करता है।

पंचमहल

- यह पांच मंजिला पिरामिड की आकृति की इमारत है इसमें कोई दरवाजा नहीं है।
- नीचे वाली इमारत में 48 व ऊपर वाली इमारत में 4 स्तंभ हैं।

हिरण मीनार

- अकबर ने अपने हाथी हिरण की स्मृति में इस 80 फीट ऊंची इस इमारत का निर्माण करवाया।

इबादत खाना

- इबादत खाना 1575 में अकबर ने इसका निर्माण करवाया। प्रारंभ में केवल इस्लाम धर्म पर वाद विवाद किया जाता था।
- इसके अलावा दो मंजिला बीरबल महल का निर्माण करवाया गया।
- 1570-71 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी।
- इस विजय के उपलक्ष में 1601 में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया।
- यह जमीन से 176 फीट ऊंचा है।
- भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के फतेह बुरज से यह भी यह दरवाजा दिखाई देता है।
- विसेंट अर्थर स्मिथ – फतेहपुर सीकरी नगर को पत्थरों में डाला गया रोमांस कहां।

जहांगीर (1605 – 1627)

- अकबर ने अपने जीवन काल में ही सिकंदरा (आगरा) अपने मकबरे का निर्माण प्रारंभ करवा दिया था इसे जहांगीर ने पूर्ण करवाया।
- स्वतंत्र रूप से मीनारों का पहला प्रयोग इसी मकबरे में किया गया था।
- जहांगीर की पत्नी नूरजहां या मेहरुन्निसा ने अपने पिता मिर्जा गयास बेगम का एतमादुद्धोला का मकबरा आगरा के निकट बनवाया !
- मुगलकाल में पूर्ण संगमरमर की बनी यह प्रथम इमारत है।
- मुगलकाल में सर्वप्रथम पितरादूरा का प्रयोग इसी इमारत में किया गया था।
- पितरादूरा सफेद संगमरमर पर रंगीन की जड़ाई को कहते हैं।
- जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार बाग लगवाया और इसे शाहजहां ने पूर्ण करवाया।
- जहांगीर ने अजमेर में दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया।

- इसी बाग के गुलाब के फूलों से नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था ।
- नूरजहां के भाई आसफ खा ने श्रीनगर में डल झील के सामने निशाद बाग का निर्माण किया ।
- जहांगीर ने लाहौर में स्थित शाहदरा के दिलकुशा बगीचे में अपने मकबरे का निर्माण प्रारंभ करवाया जिसे नूरजहां ने पूर्ण किया ।
- जहांगीर व नूरजहां को इसी में दफनाया गया था।

शाहजहां (1628 -58)

- शाहजहां के काल को मुगलकालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है ।
- पर्सी ब्राउन ने लिखा है – जैसे आगस्टस ने रोम को ईंटो से बना हुआ पाया और पत्थरों से बना हुआ छोड़ दिया उसी प्रकार शाहजहां ने अकबर के लाल पत्थर को संगमरमर में परिवर्तित कर दिया ।
- शाहजहां ने सर्वप्रथम अकबर के द्वारा निर्मित आगरा दुर्ग के दीवाने -ए-आम को जुड़वा कर संगमरमर का बनवाया ।
- शाहजहां ने पहली बार संगमरमर के पत्थर का प्रयोग इसी इमारत में किया ।
- इसके अलावा शाहजहां ने आगरा दुर्ग में संगमरमर की मोती मस्जिद बनवाई यह इस दुर्ग की सबसे सुंदर इमारत है ।
- शाहजहां ने दुर्ग में संगमरमर का मुसम्मन या शाहबुर्ज बनवाया ।
- औरंगजेब ने शाहजहां को इसी बुर्ज में बंदी बनाकर रखा ।
- इसके अलावा दुर्ग के परकोटे, नगीना मस्जिद का निर्माण करवाया ।
- शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने आगरा की जामा मस्जिद बनवाई इसी को मस्जिद -ए – जहांनुमा कहते हैं ।
- दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया ।
- 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर का निर्माण करवाया ।
- इसी ने हमिद अहमद की देखरेख में दिल्ली का लाल किला बनवाया था ।
- इसके दीवाने -ए-आम में बेबादल खा के द्वारा निर्मित तख्त ए ताऊस या मयूर सिंहासन रखा जाता था ।
- इसी में ही कोह-ए- नूर हीरा लगा हुआ था ।
- दीवाने खास की दीवार पर अमीर खुसरो की इस पंक्ति को लिखा गया" गर फिरदौस भर रुठन जमी जमीअस्त ।

ताजमहल

- ताजमहल को मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ इमारत माना गया है ।
- 1631 में शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज की मृत्यु हो गई ।
- इसकी स्मृति में आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण प्रारंभ करवाया ।
- 22 वर्ष 9 करोड़ की लागत व मकराना के संगमरमर से यह बनकर पूर्ण हुआ ।
- इसका प्रधान वास्तुकार अहमद लाहौरी था जिसे शाहजहां ने नादिर उल हसरार की उपाधि प्रदान की ।
- इसका अर्थ होता है कि संसार के आदित्य में भी आदित्य ।
- इसका प्रधान कारीगर ईशा खां था ।
- हवेल ने ताजमहल को भारतीय नारी की साकार प्रतिमा कहा इसे स्थापत्य से नहीं बल्कि मूर्ति कला से संबंधित माना ।

औरंगजेब (1658 -1707)

- इसने दिल्ली की लाल किले की मोती मस्जिद लाहौर की बादशाही मस्जिद वह हरियाणा के पिंजौर बाग का निर्माण करवाया था ।
- 1679 में औरंगजेब की पत्नी रबिया उद् दुर्रानी की मृत्यु हो गई ।
- इसी की स्मृति में औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में मकबरा बनवाया इसे बीबी का मकबरा, दक्षिण भारत का ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं ।
- औरंगजेब ने अपने स्वयं का मकबरा खुल्दाबाद (महाराष्ट्र) में बनवाया था ।

स्थापत्य कला में प्रांतीय शैलियों का योगदान

बंगाल

- यहाँ की स्थानीय शैली के अंतर्गत निर्मित अधिकांश इमारतों में पत्थर के स्थान पर ईंटों का प्रयोग किया गया।
- बाँस की इमारतों से ली गई हिन्दू मंदिरों की लहरिएदार कार्निसो की परम्परागत शैली का मुसलमानी अनुकरण, छोटे-छोटे खम्भों पर नुकीली मेहराबें तथा कमल जैसे सुन्दर खुदाई के

हिन्दू सजावट के प्रतीक चिन्हों को अपनाना बंगाली स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण विशेषता थी।

- महत्वपूर्ण इमारतें लखनौती, पाण्डुआ, गौड़ एवं त्रिवेनी में पायी गई हैं।

पाण्डुआ की अदीना मस्जिद

- 1364 ई। में इसका निर्माण सुल्तान सिकन्दर शाह ने करवाया।

दाखिल दरवाजा

- भारतीय-इस्लामी शैली के अन्तर्गत गौड़ में स्थित ईंट से निर्मित इमारतों का सर्वोत्कृष्ट नमूना है।
- 1465 में इसका निर्माण हुआ।

जलालुद्दीन मुहम्मदशाह का मकबरा

- पाण्डुआ में स्थित इस मकबरे को 'लक्खी मकबरे' के नाम से जाना जाता है।
- इसका निर्माण हिन्दू भवनों की ईंटों से हुआ है।
- यह मकबरा एक गुम्बद की वर्गाकार इमारत है।
- बंगाल में चूँकि पत्थरों का अभाव था इसलिए यहाँ की अधिकांश इमारतों का निर्माण ईंटों से हुआ है।
- ईंटों से निर्मित होने के कारण इन भवनों की आयु बहुत कम रही है।

जौनपुर

- डा। ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में "जौनपुर के सम्राट कला एवं विद्या के महान संरक्षक थे, जिन भवनों का निर्माण इन शासकों ने कराया है, वे उनकी स्थापत्यकला की अभिरुचि के प्रमाण हैं, वे भवन सुदृढ़, प्रभावयुक्त तथा सुन्दर हैं। उनमें हिन्दू-मुस्लिम निर्माण कला शैली के विचारों का वास्तविक एवं प्रारंभिक समन्वय है।" ।

अटालादेवी मस्जिद

- 1408 ई। में इब्राहिम शाह शर्की द्वारा निर्मित यह मस्जिद, कन्नौज के राजा विजयचंद्र द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित अटालदेवी के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी।
- इसके ज्योतिर्मय मेहराबों तथा गुम्बदों का निर्माण हिन्दू शैली में किया गया है।

लाल दरवाजा मस्जिद

- मुहम्मद शाह द्वारा निर्मित (1450 में) इस मस्जिद के प्रवेश द्वार के लाल रंग के होने के कारण इस लाल मस्जिद कहा जाता है।

झंझरी मस्जिद

- 1430 ई। में इब्राहिम शर्की ने इसका निर्माण करवाया था।
- आटाला मस्जिद की तरह ही इस मस्जिद में भी हिन्दू-मुस्लिम शैली का समन्वय हुआ।

जामी मस्जिद

- 1470 ई। में हुसैन शाह शर्की द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया।
- बड़ी मस्जिद के नाम से भी जानी जाने वाली इस मस्जिद में बने मेहराबों में बीम या लिंटर का प्रयोग तुगलक शैली में हुआ है।
- मस्जिद में लगी जालियों से घिरी गैलरी की बनावट जौनपुर शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है।
- मस्जिद में लगे फव्वारों में हिन्दू शैली का प्रभाव है।

कश्मीर

- यहाँ की स्थापत्य कला में स्थानीय शासकों ने हिन्दुओं के प्राचीन परम्परागत पत्थर एवं लकड़ी के प्रयोग को महत्व दिया।
- वास्तुकला में हिन्दू-मुस्लिम स्थापत्य कला शैली का समन्वय है।
- श्रीनगर स्थित मन्दानी का मकबरा का निर्माण सिकंदर ने करवाया था।
- बाद में जैन-उल-आबिदीन ने इसका विस्तार किया।
- इसे पूर्व मुगल शैली का शिक्षाप्रद उदाहरण' माना जाता है।
- शाह हमदानी की मस्जिद पूर्णतः इमारती लकड़ी से निर्मित है।

मालवा

- मालवा की स्थापत्य शैली, मालवा पर मुस्लिम शासकों के अधिकार के पश्चात्, दिल्ली की स्थापत्य से प्रभावित थी।
- यहाँ के निर्मित इमारतों में दिल्ली के कारीगरों का उपयोग किया गया था।
- मालवा स्थापत्य शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है- नुकीले मेहराब, ढालदार दीवारें, मेहराबों में लिंटस व तोड़ों का प्रयोग तुगलक परम्परा गुम्बद व पिरामिड के आकार की छत (लोदी शैली से प्रभावित), ऊंची चौकियों पर निर्मित इमारतें एवं उनके प्रवेश द्वारा तक पहुँचने के लिए बनायी गई सीढ़ियों की साज-सज्जा में रंगों के प्रयोग की बहुलता।
- मालवा शैली के अन्तर्गत निर्मित अधिकांश इमारतों का केन्द्र बिन्दु माण्डू एवं धार है।

माण्डू का किला

- जामी मस्जिद एवं अशरफी महल हुसैन शाह द्वारा निर्मित मांडू के किले की सर्वाधिक आकर्षक इमारतें हैं।

- जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ई। में हुसैन शाह ने आरंभ करवाया, किन्तु महमूद खिलजी ने इसे पूरा कराया।
- अशरफी महल का निर्माण महमूद खिलजी द्वारा 1439-69 ई। के मध्य करवाया गया।
- किले का प्रवेशद्वार मेहराबदार है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली का दरवाजा है।

हिंडोला महल

- 1425 ई। में इस महल का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था।
- इस महल को 'दरबार हाल' के नाम से भी जाना जाता है।
- अपने बारीक एवं स्वच्छ निर्माण के कारण यह महल काफी आकर्षक है।

जहाज महल

- माण्डू में स्थित यह महल सुल्तान महमूद प्रथम द्वारा बनवाया गया था।
- कपूर तालाब एवं मुंजे तालाब के मध्य स्थित यह महल जहाज की तरह दिखाई देता है।
- यह महल अपनी मेहराबी दीवारों, छाए हुए मण्डपों एवं सुन्दर तालाबों के कारण मांडू की आकर्षक इमारत है।
- डा। राधा कुमुद मुखर्जी ने जहाज महल तथा हिंडोला महल के बारे में लिखा है कि
  "मांडू के हिन्डोला महल एवं जहाज महल मध्ययुगीन भारतीय वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। इनमें इस्लामी प्रभावजन्य संरचनात्मक आधार की भव्यता व अतिविशालता तथा हिन्दू अलंकरण मोटिफों की सुन्दरता, परिकृति एवं सूक्ष्मता का विवेकपूर्ण समन्वय है।"

हुशंगाबाद का मकबरा

- 1440 ई। में इस मकबरे का निर्माण महमूद प्रथम ने जामी मस्जिद के पीछे करवाया था।
- मकबरे के मेहराबदार प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ छोटी-छोटी जालीदार पर्दे वाली खिड़कियाँ बनी हैं।
- मकबरे के ऊपर बना गुम्बद भद्दा एवं निर्जीव है।

बाज बहादुर एवं रूपमती का महल

- 1508-09 ई। में सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा इस निर्माण करवाया गया।
- पहाड़ी के ऊपर स्थित इस महल में कलात्मकता का अभाव है।
- रानी रूपमती के महल में छत पर बाँसुरीदार गुम्बदों से युक्त खुले मण्डपों का निर्माण रानी रूपमती के निरीक्षण में हुआ था।

कुशक महल

- 1445 ई। में महमूद खिलजी प्रथम द्वारा निर्मित यह महल चन्देरी के पास फतेहाबाद में स्थित है।
- इस महल के सात मंजिलें हैं।

गुजरात

- गुजरात की वास्तुकला शैली, प्रांतीय शैलियों में सबसे अधिक विकसित थी।
- खासकर अहमदशाही वंश के शासकों के निरीक्षण में विकसित इस शैली में पत्थर की कटाई का काम बड़ी कुशलता से किया जाता था।
- जहाँ पहले लकड़ी के खम्भे नक्काशी करके लगाए जाते थे, वहाँ अब पत्थर का उपयोग होने लगा।
- अहमदशाह ने अहमदाबाद की नींव रखी।

जामा मस्जिद

- 1423 ई। में इस मस्जिद का निर्माण अहमदशाह ने अहमदाबाद में करवाया।
- यह मस्जिद गुजराती वास्तुकला शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है।
- यह एक ऐसे भू-भाग पर निर्मित है, जिसके चारों ओर चार खानकाह निर्मित हैं।
- मस्जिद के मेहराबों मिम्बर (Sanctuary) में लगभग 260 खम्भे लगे हैं।
- मस्जिद के खम्भों एवं गैलरियों पर सघन खुदाई हुई है।
- फग्र्युसन् ने इस मस्जिद की तुलना रामपुर के राणाकुम्भा के मंदिर से की है।
- इस मस्जिद से किले में प्रवेश के लिए चौड़े रास्ते में तीन 37 फुट ऊँचे दरवाजों का निर्माण किया गया है।
- पर्सी ब्राउन के अनुसार, "पूरे देश में नहीं तो कम-से-कम पश्चिम भारत में यह मस्जिद निर्माण कला का श्रेष्ठतम नमूना है।"

खम्भात की जामा मस्जिद

- 1325 ई। में निर्मित इस मस्जिद के पूजा गृह की तुलना दिल्ली की कुतुब मस्जिद एवं अजमेर के 'अढाई दिन के झोपड़े' से की जाती है।

भड़ौच की जामा मस्जिद

- 1300 ई। में निर्मित हिन्दू मंदिरों के अवशेष से बनाई गई थी।

टंका मस्जिद

- 1361 ई। में निर्मित यह मस्जिद का निर्माण टोलका में करवाया गया था।
- अलंकृत स्तम्भों वाली इस मस्जिद में हिन्दू शैली का स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है।
- हिलाल खाँ काजी की मस्जिद
- 1333 ई। में ढोलका में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था।
- इस मस्जिद में स्थानीय शैली में दो ऊँची मीनारों का निर्माण किया गया है।

अहमदशाह का मकबरा

- मुहम्मद शाह ने जामा मस्जिद के पूर्व में स्थित अहाते में इसका निर्माण करवाया था।
- दक्षिणी भाग में प्रवेश द्वारा वाला यह इमारत वर्गाकार है।
- मकबरे के ऊपर गुम्बद का, निर्माण किया गया है।

गुजराती स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ काल महमूदशाह बेगड़ा के समय से आरंभ होता है। उसने चम्पानेर, जुनागढ़ तथा खेदा नामक तीन नगरों की स्थापना की थी। उसके द्वारा निर्मित इमारतों में चम्पानेर की जामी मस्जिद, नगीना मस्जिद, मोहर इमारतें आदि प्रमुख हैं।

अर्थशास्त्र

भारतीय अर्थव्यवस्था

अध्याय – I

अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएँ

परिचयः-

अर्थशास्त्र :-

अर्थशास्त्र का अर्थ होता है धन संबंधी एवम शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। अंततः धन से संबंधित अध्ययन की प्रणाली को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं।

अर्थव्यवस्था

किसी राष्ट्र द्वारा आपने नागरिकों की सामाजिक – आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश से , उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए, मुद्रा (money) को केंद्र में रख कर बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है।

'अर्थव्यवस्था' शब्द को किसी देश के साथ जोड़ कर प्रायः पूर्ण बनाया जाता है, जैसे – भारतीय अर्थ व्यवस्था, अमेरिका अर्थव्यवस्था आदि।

अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली अवधारणा है जिसका अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं उनके स्तर से होता है। वह क्षेत्र एक गाँव, राज्य देश या सम्पूर्ण देश हो सकता है।

A. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy):-

जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है उसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।

अर्थात् यहाँ आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है

समाजवाद अर्थव्यवस्था

समाजवाद का विचार सबसे पहले **कार्ल मार्क्स और फ्रेड्रिक एंगेल्स** ने अपनी पुस्तक **'द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो** में प्रस्तुत किया है।

समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है।
यह उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना को लेकर चलती है तथा इसमें बाजार की शक्तियाँ कम प्रभावी रहती हैं, जैसे- भूतपूर्व सोवियत संघ।

मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) :-

- यहाँ, उत्पादन की कुछ योजनाएं राज्य द्वारा सीधे या इसके राष्ट्रीयकृत उद्योगों के माध्यम से शुरू की जाती हैं, और कुछ कोनिजी उद्यम के लिए छोड़ दिया जाता है।
- इसका अर्थ है कि समाजवादी क्षेत्र (यानी सार्वजनिक क्षेत्र) और पूंजीवादी क्षेत्र (यानी निजी क्षेत्र) दोनों एक-दूसरे के साथ हैंऔर एक-दूसरे के पूरक है।
- इसे बाजार की अर्थव्यवस्था और समाजवाद के बीच आधे घर के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान आर्थिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। इसलिए, इस प्रकार कीअर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के लाभों को सुरक्षित करने का प्रयास करती है।

विकसित अर्थव्यवस्था एवं अल्पविकसित / विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण	
विकसित अर्थव्यवस्था	अल्पविकसित /विकासशील अर्थव्यवस्था
प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर	प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर
पूंजी निर्माण की उच्च दर	पूंजी निर्माण की निम्न दर
विकसित उत्पादकता दर	बेरोजगारी
आधुनिक तकनीकों का प्रयोग	निम्न उत्पादकता
विकसित मानव पूंजी	व्यापक गरीबी
गरीबी व बेरोजगारी की निम्न दर	कृषि पर निर्भरता अधिक
आधुनिक आधारभूत ढाँचा	आधारित अवसंरचना की कमी
जनसंख्या में नियंत्रित दर से संवृद्धि	जनसंख्या में तीव्र वृद्धि
शिक्षा एवं स्वास्थ्य का बेहतर ढाँचा	मानव पूंजी का कम विकास
कृषि पर कम निर्भरता	उन्नत प्रोंद्योगिकी का अभाव

अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकः-

प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector):-

- अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है अर्थात् इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है।
- इसे कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है।
- इसमें निम्न क्षेत्र शामिल हैं। जैसे- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन एवं उत्खनन

द्वितीयक क्षेत्रः-

- अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल (Raw Material) की तरह उपभोग करता है द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है।
- इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे- निर्माण, भवन, विनिर्माण, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ।

तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector):-

- इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है।
- इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है; जैसे - व्यापार, होटल, भण्डारण, बीमा, व्यापार।

अध्याय – 2

राष्ट्रीय आय और उत्पाद (National Income and Product)

किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था के आर्थिक निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन राष्ट्रीय आय है/ स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पी. सी. महालनोबिस थे/

राष्ट्रीय आय की गणना :-

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित मूल्यों पर की जाती है /	
चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय	स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय

चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय : -

किसी भी देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के चालू मूल्यों का योग मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहलाती है/

स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय :-

किसी एक लेखा वर्ष को आधार मानकर उस मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय कहलाती है/

नोट : -

सकल मूल्यवर्द्धन : इसका अनुमान कारक लागत के स्थान पर मूल कीमतों पर किया जाता है/ सकल मूल्यवर्द्धन के माप को जी. डी. पी. में सब्सिडी से प्रत्यक्ष बिक्री को घटाकर प्रस्तुत किया जाता है/

राष्ट्रीय आय = कुल उपभोग व्यय + कुल बचत

भारत में सामान्यत : राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद विधि एवं आय विधि का मिश्रित रूप प्रचलित है/

राष्ट्रीय आय और उत्पादन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाए ⇒

i. **सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)**

– किसी भी देश कि घरेलू सीमा के भीतर किसी एक वर्ष मे उत्पादित कि गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओ के बाजार मूल्यों के समग्र योग को GDP कहते है।

सकल घरेलु उत्पाद को निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है/

सकल घरेलु उत्पाद GDP = उपभोग + निवेश + सरकारी व्यय (कुल आयत (X) – कुल निर्यात (M)

c. GDP मे समय को ध्यान मे रखा जाता है। जो कि सामान्यतः 1 वर्ष होता है।

ii. **सकल राष्ट्रीय उत्पाद, (Gross National Product)**

किसी देश के नागरिकों के द्वारा घरेलू सीमा के अन्दर अथवा बाहर एक निश्चित समयावधि, सामान्यत : एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु ओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते है/

इस प्रकार GNP को निकालने के लिए निम्न सूत्र को लागू किया जाएगा-

GNP = GDP + A – B

GDP

A

B → wall mart +

Software engineer

B

जहाँ

A = देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित की गई आय

B = विदेशिओं द्वारा देश में अर्जित आय

सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से विस्तृत है, ऐसी स्थिति में GNP का केवल वही भाग GDP में शामिल किया जाता है, जो देश के नागरिकों की उत्पादित सेवाओं का मूल्य है/

iii. **विशुद्ध / निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP – Net National Product)**

जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में से उत्पादन के दौरान प्रयुक्त मशीन एवं पूंजी के मूल्य में आई गिरावट या मूल्य ह्रास (DEPRECIATION) को घटाया जाता है तो उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) कहते है/

नेवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) = GNP - DEPRECIATION

नेवल घरेलू उत्पाद (NDP) = GDP - DEPRECIATION

साधन लागत = $\frac{\text{कुल लागत}}{\text{कुल मात्रा}}$

राष्ट्रीय उत्पाद गणना संबंधित प्रमुख अवधारणाअवधारनाएं

MP = FC + अप्रत्यक्ष कर या सब्सिडी

GDP_{MP} = देश की सीमा के अन्दर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाज़ार मूल्य पर जीडीपी का आकलन

GDP_{MP} = GDP_{FC} + अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी

GDP_{FC} = GDP_{MP} - अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी

GNP_{MP} = GNP_{MP} + अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी

GNP_{MP} = GNP_{MP} - अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी

जहाँ GDP_{FC} = देश की सीमा के अन्दर अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के साधन लागत पर GDP का आकलन ।

M.p. GNP_{MP} = देशवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाज़ार मूल्य पर GDP का आकलन ।

GNP_{FC} = देशवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के साधन लागत पर GNP का आकलन ।

अध्याय – 3

मुद्रा एवं बैंकिंग

मुद्रा और बैंकिंग (Money and Banking)

मुद्रा (Money)

- मुद्रा वह केंद्र है जिसके चारों ओर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की चक्रीय गति होती है।
- **भारत में Banking** व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान RBI का है RBI की स्थापना, RBI 1 April अधिनियम 1934 के अन्तर्गत 1935 में की गई थी
- 1 Jan 1949 इसका राष्ट्रीयकरण किया गया एवम् भारत सरकार के अधीन लाया गया RBI के प्रथम governor sir ओस्बोर्न स्मिथ थे RBI के प्रथम भारतीय governor C.D. Desh mukh थे
- RBI की प्रमुख जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं.

1. RBI भारत सरकार एवम् राज्य सरकारों के लिए बैंक का कार्य करती हैं अर्थात् भारत सरकार एवम् राज्य सरकारें अपनी अधिशेष सारी RBI के पास जमा रख सकती हैं
2. RBI बैंकों के लिए बैंक का कार्य करती हैं अथार्त बैंक अपनी अधिशेष राशि RB के पास जमा रख सकते हैं एवम् आवश्यकता पड़ने पर RBI से ऋण प्राप्त कर सकती हैं
3. RBI, अनुसुचित बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करती हैं. एवम् भारत में बैंकिक व्यवस्था का संचालन भी करती हैं विदेशी बैंकों को स्थापना के उपरान्त भी नई शाखाएं स्थापित करने के लिए RBI से अनुमति की आवश्यकता पड़ती है भारतीय बैंक RBI से अनुमति के बिना शाखाएं स्थापित कर सकती हैं
4. RBI भारत में मौद्रिक नीतियाँ जारी करती हैं जिसके माध्यम से यह तरलता को नियंत्रित करती हैं
5. RBI कुछ श्रेणी की गैर बैंकिंक वित्तिय संस्थानों को भी नियंत्रित करती हैं
6. RBI भारत में विदेशी मुद्रा का भण्डारन करती हैं भारत अपने विदेशी मुद्रा कोष मे अमेरिकी डोलर, पांड, यूरो, यन एवम् सोना रखता है।
7. RBI भारत में एक रुपय से ऊपर के नोट जारी करती है एक रुपये का नोट एवम् सभी सिक्कें भारत सरकार जारी करती हैं ।

भारत में बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास

- भारत में स्थापित पहली बैंक Bank of Hindustan थी इसकी स्थापना Alexandey and Company 1770 में की थी कुछ समय बाद यह बैंक बन्द हो गई।
- East India company के एक के बाद एक तीन अन्य बैंकों की स्थापना की

1806-Bank of Bengal.

1840 - Bank of Bombay

1843- Bank of Madras

- 1865 में allahabad Bank की स्थापना की गई जी उसी नाम के भारत की प्राचीनतम बैंक हैं इस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में हैं
- 1881 में outh Commercial Bank की स्थापना की गई जो की भारत की ऐसी पहली बैंक थी जिसके शेयर धारक बनाए गए
- 1894 में PNB की स्थापना की गई यह भारत की प्रथम पूर्णतः भारतीय बैंक रही हैं जिसमें विदेशी निवेश नहीं था ।
- 1921 Bank of Bengal Bank of Bombay and Bank of Madras विलय कर दिया गया तथा इस विलय से इन्पेरिअल बैंक ऑफ़ इंडिया की स्थापना की गई ।
- आजादी के उपरान्त वर्ष 1955 में Imperial Bank of India को भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया एवं इसका नाम परिवर्तित कर state Bank of India कर दिया गया तत्पश्चात् कुछ अन्य बड़े बैंकों को SBI के सहायक बैंकों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया यह सहायक बैंक निम्नलिखित है -

1. State Bank of Hyderabad
2. SB of Patiyala
3. SB of Mysare
4. SB of Travancare (Kerale में हैं)
5. SB of Bikaner & Jaipur
6. SB of Saurashtra Indore

इन सहायक बैंकों में से SB of sawrashtra का विलय 2000 में SBI के साथ कर दिया गया एवम् SB of Indore का विलय 2010 में किया गया | बचे हुए पाँच सहायक बैंकों का भी SBI में विलय किया जा रहा हैं.

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास

इसी साल आजादी के दौरान भारत में कार्यरत सभी बैंक नीजी क्षेत्र के थे बैंकिक क्षेत्र में धोखा घड़ी चरम पर थी बैंकों का विस्तार मात्र शहरी क्षेत्रों में ही हो रहा था। एवम् समाज का उच्च वर्ग ही बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा था अतः बैंकों के ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तार के उद्देश्य से समाज के निम्न वर्ग को भी बैंकिक व्यवस्था से भी जोड़ने के उद्देश्य से एवम् जमाकर्ता के हितों को संरक्षित रखने के उद्देश्य से बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया गया इन प्रक्रिया के अन्तर्गत 1969 में 14 बड़े बैंक जिनकी न्यूनतम जमा शारी 50 cr रुपए की थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया पुनः 1900 में 6 बड़े बैंक जिनकी न्यूनतम जमा राशि 200cr रुपए की थी उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इन 20 बैंकों में से 1993 में The new Bank of India दिवालिया हो गई अतः इसका विलय PNB में कर दिया गया वर्तमान में भारत में कुल 19 राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक हैं SBI एवम् सहायक बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में RBI ने नहीं रखा है परन्तु SBI एवम् सहायक बैंक भी सार्वजनिक क्षेत्र के Bank हैं अर्थात् सरकार के अधीन हैं "सभी राष्ट्रीयकृत बैंक भी सार्वजनिक क्षेत्र के Bank होते हैं परन्तु सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में नहीं आते अन्य दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं हैं वे IDBI Bank एवम् भारतीय महिला बैंक हैं ।

(भारतीय महिला बैंक का विलय SBI में किया जा रहा हैं) अतः सभी राष्ट्रीकृत बैंक SBI एवम् सहायक बैंक IDBI बैंक एवम् भारतीय महिला बैंक को मिलाकर भारत में कुल 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं

भारत में बैंकों का वर्गीकरण

भारत में बैंकों को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता ।

अनुसूचित बैंक (scheduled Bank)

गैर अनुसूचित बैंक (Non scheduled Bank)

Non- Scheduled Bank, RBI की अनुमति के बिना भी स्थापित हो जाती हैं एवम् इसका संचालन भी RBI नहीं करती इससे भिन्न अनुसूचित Bank, RBI की अनुमति से स्थापित होती हैं एवम् इनका संचालन RBI करती हैं, अनुसूचित बैंक वह बैंक हैं जो RBI अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में सूचिबद्ध हैं इन बैंको को निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होता है |

1. इनकी किसी भी क्रिया से ग्राहकों को क्षति नहीं पहुंचरी चाहिए
2. इनकी यूनतम प्रक्षप्त पूंजी 5 lakh रू की होनी चाहिए। (इसे बढ़ाकर RBI ने 500cr कर दिया हैं) प्रदप्त पूँजी वह पूंजी हैं जो की एक कम्पनी का संस्थापक एवम् अन्य शेष धारक उस कंपनी की स्थापना में निवेश करते है
3. उन बैंकों को RBI द्वारा जारी मौंद्रिक नीतियों का अनुपालन करना होता हैं आवश्यकता पड़ने पर यह बैंक RBI से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते है

विश्व की सबसे बड़ी Bank. I.P Mangon Chese हैं यह एक अमेरीकी बैंक हैं परन्तु भारत में यह बैंकिंक सेवाएँ नहीं प्रदान करती भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों में सबसे बड़ी बैंक HSBC हैं जिसका मुख्यालय लंदन में हैं

मौंद्रिक नीतियाँ

मौंद्रिक नीतियाँ किसी भी देश के केन्द्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है इन नीतियों के माध्यम से देश की केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करती है यदि अर्थव्यवस्था में तरलता / मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए तब यह मुद्रा स्फीति को जन्म देती हैं ऐसी स्थिति में इन नीतियों के माध्यम से केन्द्रीय बैंक तरलता को कम करने का प्रयास करती हैं

CRR (Cash Reserve Ration)

यह बैंकों के निबल देयता (कुल जमा शारी) का वह हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से RBI के पास नकद में जमा रखते हैं वर्तमान में यह बैंक के कुल जमा राशि का 4% हैं CRR के रूप में रखी गई राशि पर RBI बैंक को किसी भी प्रकार का ब्याज अदा नहीं करती इस राशि का प्रयोग RBI की किसी उद्देश्य से नहीं कर सकती हैं अतः यह राशि अर्थव्यवस्था से बाहर निकल जाती हैं

SLR (Statutary Liquidity Ratio)

यह बैंको के कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे बैंक अपने पाल नकद सोना एवम् सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती हैं वर्तमान में SLR की दर कुल जमा राशि का 20.5% मैं SLR के रूप में रखी गई राशि को बैंक उपभोक्ता स्वम् निवेशकों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयोग नहीं कर सकती SIR के रूप में यदि बैंक नकद राशि रखें। तो इससे उनका लाभ प्रभावित होगा अतः SLR मुख्यतः भूतियों के रूप में रखी जाती हैं

Open Market Operation

यह RBI द्वारा खुली बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने खबर उन प्रतिभूतियों को वापस खरीदने की प्रक्रिया को संबोधित करती हैं इसके अन्तर्गत प्रतिभूतियाँ Bill तथा Bond दोनों ही प्रारूपों में बेची जा सकती हैं इस प्रक्रिया में प्रतिभूतियाँ बैंका एवम् अन्य वित्तिय संबंधान दोनों को ही बेचीं जा सकती हैं ।

Bank Rate

यह वह ब्याज दर हैं जिस पर RBI बैंकों को लम्बी अवधि का ऋण प्रदान करती थी वर्तमान में इसकी दर 6.75% हैं यदि बैंकों को ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में बैंक दर बढ़ा दिया जाए तब बैंकों के लिए ऋण महंगा हो जाएगा ऐसी स्थिति में बैंक भी ब्याज दर बढ़ा देंगी जिससे उपभोक्ता ऋण लेने से कतराएगा एवम् उपयोग में कमी को नीचे लाएगी वर्तमान में बैंक दर की भूमिका सीमित हो गई हैं।

Repo Rate

यह वह ब्याज दर है जिसपर RBI बैंकों को कम अवधि का ऋण प्रदान करती हैं वर्तमान में यह ब्याज दर 6.25% हैं

Reverse Repo Rate

यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्यक बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती हैं अन्य शब्दों यह कहा जा सकता है कि यह वह ब्याज दर है जिसपर एक बैंक अपनी अधिशेष राशि RBI के पास जमा रखती हैं वर्तमान में Reverse Rapo दर 5.75% हैं यह Rapo दर से 0.5% कम रहती हैं।

Marginal standing facility (MSF)

यह सुविधा RBI ने 9 May 2011 को प्रारम्भ की थी यह सुविधा मात्र वाणिज्यिक बैंक की ली यह सहकारी बैंकों एवम् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राप्त नहीं है इसके अर्न्तगत बैंक RBI से एक दिन के लिए अर्थात् 24 घण्टों के लिए ऋण प्राप्त कर सकती हैं ब्याज की दर Rapo दर से 0.5% ज्यादा होगी जो कि वर्तमान में 6.75% है ।

1982 में कृषि एवम् ग्रामीण विकास के उद्देश्य से ऋण प्रदान करने के लिए NABARD की स्थापना (शिवरमन समिति की अनुशंसा पर)

NABARD: National Bank for Agriculture and Rural Development. (NABARD वाणिज्यिक बैंकों

से ऋण ले भी सकते हैं राज्य सरकार को भी दे सकती हैं)

NABARD की स्थापना भारत सरकार और RBI ने 50-50% के योगदान से कुल 100 रु के पूंजी निवेश से की । वर्तमान में भारत सरकार के पास 99% हिस्सेदारी हैं ।

NABARD एक पुनर्वित्त (Rajinance) संस्थान हैं जिसे एक NBFC भी कह सकते हैं |

यह उन बैंकों एवम् वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करती हैं जो कृषि के उद्देश्य से ग्रामीण विकास के उद्देश्य से पुनः ऋण प्रदान करते हैं (Developmental Bank)

मुख्यालय - मुम्बई एवम् सभी प्रमुख राज्यों की राजधानी में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है

1. कृषि ऋण को सरल बनाने के लिए 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था लागू की गई । इसे Rv.Gupta समिति के सुझावों से लाया गया था एवम् उसके प्रावधान एवम् NABARD ने जारी किए |
   किसान क्रेडिट कार्ड वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक एवम् RBI जारी कर सकते हैं ।
2. समाज के कमजोर वर्ग को बैंक खाता प्रदान करने के उद्देश्य से No trills Account (Basic Account) /मौलिक खाता लाया गया इस खाते में न्यूनतम जमा राशि '0' रह सकती हैं किसी भी समय इस खाते में 50,000 रु. से ज्यादा की जमा राशि नहीं रह सकती | एक वित्तिय वर्ष में इस खाते में 1 लाख रु. से ज्यादा की जमाराशि नहीं आ सकती हैं | ऐसे खातों में 1 दिन में 10 हजार रु से ज्यादा का नगद लेन-देन नहीं हो सकता हैं खाने को सक्रिय रखने के लिए 60 दिनों में किसी न किसी प्रकार की क्रिया होनी चाहिए |
3. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों पर अनिवार्य शर्ते लागू की गई।
4. भारतीय बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि इनकी कुल शाखाओं का 1/4 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हो
5. NBFC एवम् MFI का प्रचार प्रसार
6. मुद्रा योजना का शुभारंभ
7. 2008 में गठित C. Ranga Rajan committee एवम् 2013 में गठित Nachiket Mor समिति |
8. प्रधानमंत्री जन धन योजना |

अध्याय – 4

बजट एवं बजट निर्माण

बजट -

बजट एक ऐसा शब्द है जो कि, आम जिंदगी मे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कोई भी समझदार व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े काम या कोई भी खर्चे या निवेश का बजट बना कर ही करता है. ठीक उसी तरह सरकार भी अपने मुख्य कार्य, आय-व्यय का लेखा-जोखा बजट से ही करती है.

बजट के प्रकार (Type of Budget)

सामान्यतया सालाना बजट वित्त मंत्रालयों मे उनके बाटे गये विभाग द्वारा बनाये जाते है. जिसकी अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है जोकि, केन्द्र व राज्य सरकार दोनों के सम्बन्ध मे होती है. रेल बजट,रेल मंत्रालय द्वारा अलग से तैयार किया जाता है. बजट के मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार होते है.

1. केन्द्रीय बजट
2. रेल बजट

केन्द्रीय बजट (Union Budget)

केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया सबसे बड़ा बजट जो हर वर्ग के व्यक्ति को ध्यान मे रख कर बनाया जाता है. जिसे आम बजट भी कहा जाता है इसमें सभी तरह के प्रावधान होते है जोकि, बिल के रूप मे पारित होते है. प्रत्येक वर्ष नये बजट के साथ नये नियम व कानून के साथ पारित होते है. केन्द्रीय बजट के कई छोटे-छोटे प्रावधान है,जिनके लिये बजट बनाया जाता है,जैसे-

केन्द्रीय बजट

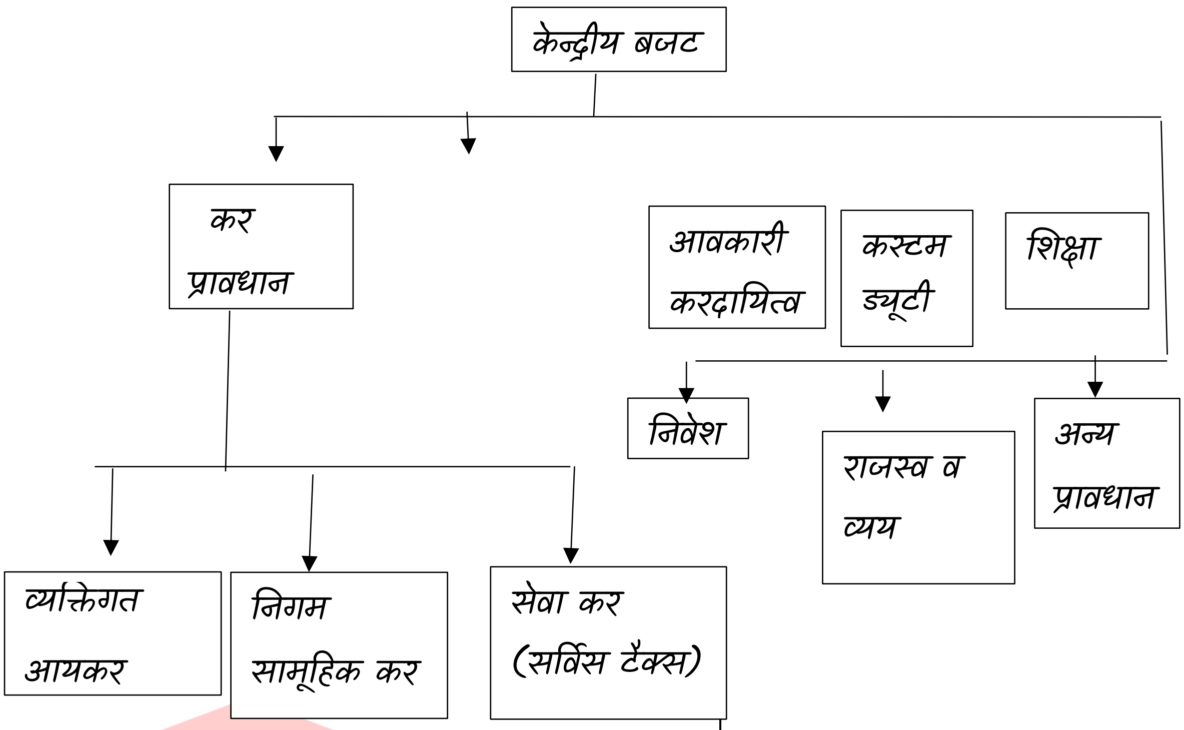

रेल बजट (Rail Budget)

संसद मे रेल मंत्री द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है. जिसमे आम जनता के लिये,

- कई नयी ट्रेनों की घोषणा की जाती है.
- यात्रियों के लिये ई-रेलवे की सुविधाये.
- ट्रेनों मे तथा प्लेटफार्म पर सुविधाये घोषित करना.
- एसएमएस और नेट के द्वारा बुकिंग तथा चैकिंग की सुविधा.

यह दो मुख्य रूप से बनाये गये बजट होते है. जोकि, जहा तक संभव हो इसे फरवरी मे बनाया जाता है. और वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित किया जाता है. ठीक इसी तरह केन्द्र के बजट जोकि, पूरे देश पर लागू होते है. परन्तु हर राज्य का अपना एक अलग बजट बनता है जिसमे, वह राज्य के लिये प्रावधान करती है. कई वर्षों पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था क्योंकि भारतीय रेल विभाग बहुत ही बड़ा विभाग माना जाता रहा है लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर लिया गया है अतः अब रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाता

केन्द्रीय बजट 2021-22

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में केन्द्रीय बजट 2021 – 22 पेश किया, यह भारत के पहला डिजिटल केन्द्रीय बजट है/ उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई 2021 में जारी है और कोविड के बाद जब दुनिया में राजनैतिक, आर्थिक, और रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं, इतिहास का यह क्षण, नये युग का सवेरा है-ऐसा युग जिसमें भारत वायदों और उम्मीदों की धरती के रूप में उभरा। केन्द्रीय बजट 2021-22 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

1. स्वास्थ्य और कल्याण
2. वास्तविक और वित्तीय पूंजी, और बुनियादी ढांचा
3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार
5. नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास
6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन्

1. स्वास्थ्य और खुशहाली

- बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली में 2,23,846 करोड़ रुपये का व्यय रखा गया है जबकि 2020 - 21 में यह 94,452 करोड़ रुपये था । यह 137 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

- स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए तीन क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित - निवारक, उपचारात्मक, सुधारात्मक ।
- स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए कदम

टीका

- वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपये
- मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन वर्तमान में पांच राज्यों के साथ देश भर में आ जाएगी- जिससे हर वर्ष 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा।

स्वास्थ्य प्रणालियां

- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे - एक नई केन्द्र प्रायोगिक योजना जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त शुरू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत मुख्य पहल निम्नलिखित हैं:

- एक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान
- 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र
- 4 वायरोलॉजी के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान
- 15 स्वास्थ्य आपात ऑपरेशन केन्द्र और 2 मोबाइल अस्पताल
- सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 11 राज्यों में 33,82 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां
- 602 जिलों और 12 केन्द्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करना
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी), इसकी पांच क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ करना
- एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विस्तार ताकि सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ा जा सके
- 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू करना और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करना
- विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म
- 9 बायो सेफ्टी लेवल III प्रयोशालाएं

पोषण

- मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ होगा:
- पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच तथा परिणाम को सुदृढ़ बनाना
- संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय किया जाएगा
- 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार लाने के लिए एक सुदृढ़ीकृत कार्यनीति अपनाई जाएगी

जल आपूर्ति का सर्वव्यापी कवरेज

- जल जीवन मिशन (शहरी) के लिए पांच वर्ष में 2,87,000 करोड़ रुपये का परिव्यय - इसे निम्न प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा
- 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन
- सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सर्व सुलभ जल आपूर्ति
- 500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन

स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत

- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए पांच वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय आवंटन
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत मुख्य इरादा
- पूर्ण मल-मूत्र प्रबंधन और अपशिष्ट जल शोधन
- कचरे के स्रोत पर पृथक्करण
- एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाना
- निर्माण और विध्वंस के कार्यकलापों के कचरे का प्रभावी रूप से प्रबंध करके वायु प्रदूषण में कमी लाना।
- सभी पुराने डम्प साइटों के बायो उपचार पर ध्यान केन्द्रित करना

वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केन्द्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराना

स्क्रैपिंग नीति

- पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति
- ऑटोमोटिड फिटनेस सेंटर में फिटनेस जांच:
- निजी वाहनों के मामले में 20 वर्ष के बाद
- वाणिज्यिक वाहनों के मामलें में 15 वर्ष बाद

2.वास्तविक और वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

- 13 क्षेत्रों में पीएलआई योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था
- आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाना
- विनिर्माण कंपनियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनने के लिए सक्षमता और अत्याधुनिकी प्रौद्योगिकी रखने की आवश्यकता
- प्रमुख क्षेत्रों में व्यापकता और आकार लाना
- युवाओं को नौकरियां प्रदान करना

कपड़ा

- पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क (मित्र) योजना
- तीन वर्ष की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे
- कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन को तेज करने के लिए पीएलआई योजना
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) का विस्तार करके इसमें 7400 परियोजनाओं को शामिल कर दिया गया है
- 1.10 लाख करोड़ रुपये की करीब 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं

एनआईपी के लिए वित्त पोषण में वृद्धि के लिए तीन तरीकों में इसे पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे

I.संस्थागत संरचनाएं सृजित करके

II.आस्तियों के मुद्रीकरण पर जोर देकर

III.केन्द्रीय तथा राज्य बजटों में पूंजीगत व्यय के हिस्सों में बढ़ेतरी करके

i.संस्थागत बुनियादी ढांचे का गठन : अवसंरचना वित्त पोषण

- विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया कराई गई है, ताकि यह बुनियादी ढांचा वित्त पोषण के लिए प्रदाता और उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें
- तीन वर्षों में प्रस्तावित डीएफआई के अंतर्गत कम-से-कम 5 लाख करोड़ रुपये के उधारी पोर्टफोलियो हों
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा आईएनवीआईटी और आरईआईटी का ऋण वित्तपोषण संगत विधानों में उपयुक्त संशोधन करके पूरा किया जाएगा।

ii. परिसम्पत्तियों पर जोर

- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की जाएगी
- महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति मुद्रीकरण उपाय

1.5,000 करोड़ रुपये के अनुमानित उद्यम मूल्य के साथ पांच परिचालित टोल सड़कें एनएचएआईआईएनवीआईटी को हस्तांतरित की जा रही है

2.7,000 करोड़ रुपये मूल्य की ट्रांसमिशन परिसम्पत्तियां पीजीसीआईएलआईएनवीआईटी को हस्तांतरिक की जाएंगी

3.रेलवे समर्पित भाड़ा कॉरिडोर की परिसम्पत्तियों को चालू होने के बाद प्रचालन और रखरखाव के लिए मुद्रीकृत करेगा

4.विमान पत्तनों के प्रचालनों और प्रबंधन रियायत के लिए मुद्रीकृत की जाएगी।

5.अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परिसम्पत्तियों के परिसम्पत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किया जाएगा

- गेल, आईओसीएल और एचपीसीएल की तेल और गैस पाइपलाइनें
- टियर II और III शहरों में एएआई विमानपत्तन
- अन्य रेलवे बुनियादी ढांचा परिसम्पत्तियां
- केन्द्रीय वेयरहाउसिंग निगम और नैफेड जैसे सीपीएसई की वेयरहाउसिंग परिसम्पत्तियां
- खेल स्टेडियम

iii पूंजीगत बजट में तीव्र वृद्धि

- वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि कर 5.54 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जो 2020-21 में आवंटित 4.12 लाख करोड़ रुपये से 34.5 प्रतिशत अधिक है :
- राज्यों और स्वायत्तशासी संगठनों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जाएगी
- पूंजीगत व्यय की अच्छी प्रगति को देखते हुए परियोजनाओं/कार्यक्रमों/विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट में 44,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रखी गई है।

सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना

- सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,101 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक आवंटन—जिसमें से 1,08,230 करोड़ रुपये पूंजी जुटाने के लिए
- 5,35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किमी लंबी सड़कों का निर्माण शुरू

- 3,800 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हो चुका है।
- मार्च, 2022 तक 8,500 किलोमीटर लम्बी सड़के और बनाई जाएगी।
- 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे भी मार्च, 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे।
- आर्थिक गलियारे बनाने की योजना
- तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 3,500 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य किया जाएगा।
- केरल में 65,000 करोड़ रुपये के निवेश से 1,100 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण
- पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपये लागत का 675 किलोमीटर का राजमार्ग निर्माण कार्य
- असम में 19,000 करोड़ रुपये लागत का राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य इस समय जारी है। राज्य में अगले तीन वर्षों में 34,000 करोड़ रुपये लागत के 1,300 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण सड़क और राजमार्ग परियोजनाएं

- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे: 260 किलोमीटर का शेष कार्य 31/03/2021 तक प्रदान कर दिया जाएगा।
- बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेस-वे: 278 किलोमीटर का कार्य मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य 2021-22 में शुरू होगा।
- 'कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 के लिए वैकल्पिक 63 किलोमीटर के एक्सप्रेस-वे का कार्य 2021-22 में आरंभ होगा।
- दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा: 210 किलोमीटर की गलियारे का कार्य मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू होगा। निर्माण कार्य 2021-22 में आरंभ होगा।
- रायपुर-विशाखापत्तनम: छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाले 464 किलोमीटर लम्बी सड़क की परियोजना मौजूदा वर्ष में प्रदान की जाएगी।
- चेन्नई-सेलम गलियारा: 277 किलोमीटर लम्बे एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य 2021-22 में आरंभ होगा।
- अमृतसर-जामनगर: निर्माण 2021-22 में शुरू होगा।
- दिल्ली-कटरा: निर्माण कार्य 2021-22 में आरंभ होगा।
  - चार लेन और छह लेन के सभी नए राजमार्गों में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी
  - स्पीड रडार
  - परिवर्तनशील संदेश साइनबोर्ड
    - जीपीएस समर्थित रिकवरी वाहन स्थापित किए जाएंगे।

रेलवे अवसंरचना

रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए।

भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना (2030) : 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेल व्यवस्था बनाने के लिए

दिसम्बर, 2023 तक ब्रॉड-गेज मार्गों पर शत-प्रतिशत विद्युतिकरण पूरा करना।

ब्रॉड-गेज मार्ग किलोमीटर (आरकेएम) विद्युतिकरण 2021 के अंत तक 72 प्रतिशत यानी 46,000 आकेएम तक पहुंचाना।

पश्चिमी समर्पित भाड़ा कॉरिडोर (डीएफसी) और पूर्वी डीएफसी को जून 2022 तक चालू करना। इससे परिवहन लागत कम होगी और मेक-इन-इंडिया रणनीति को समर्थ बनाया जा सकेगा।

अतिरिक्त पहले प्रस्तावित हैं :

- 2021-22 में पूर्वी डीएफसी का सोननगर – गोमो खण्ड (263.7 किमी) पीपीपी मोड में शुरू किया जायेगा।
- भावी समर्पित भाड़ा कॉरिडोर परियोजनाए –
- खड़गपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी तट कॉरिडोर
- भुसावल से खड़गपुर से दानकुनी तक पूर्वी-पश्चिमी कॉरिडोर
- इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर
- यात्रियों की सुगमता और सुरक्षा के उपाय
- यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए पर्यटक रूटों पर सौन्दर्यपरक रूप से डिजाइन किए गए बिस्टाडोम एलएचबी कोच का आरंभ करेंगे।
- 'भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क रूटों को स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जायेगी, जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेनों के टकराने जैसी दुर्घटनाओं को समाप्त करेगी।

शहरी अवसंरचना

- सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करके और सिटी बस सेवा प्रारंभ कर शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी।
- सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं का विस्तार करने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी।

- इसके तहत नवोन्मेषी पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा, जिसके तहत निजी क्षेत्र के परिचालकों को 20,000 से ज्यादा बसों की खरीद, परिचालन, रख-रखाव और वित्त का प्रबंधन करने का अवसर मिलेगा।
- इस योजना से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज होगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन अधिक आसान हो जाएगा।
- देश में इस समय करीब 702 किलोमीटर पारम्परिक मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं और 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर लम्बी मेट्रो तथा आरआरटीएस लाइनों का निर्माण किया जा रहा है।
- 'सरकार 'मेट्रो लाइट' और 'मेट्रो नियो' – दो नई प्रौद्योगिकियां लागू कर आम लोगों को काफी कम कीमत पर और पहले जैसा अनुभव देने वाली मेट्रो रेल प्रणाली देना चाहती है। यह प्रणाली टियर-2 और टियर-1 शहरों के आस-पास बसे इलाकों में आसान और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

जिन योजनाओं के लिए केन्द्रीय बजट में मदद का प्रावधान किया गया है, वे इस प्रकार हैं –

1. 1,957.05 करोड़ रुपये की लागत से 11.5 किलोमीटर लम्बा कोच्चि मेट्रो रेलवे फेज-3 .
2. 63,246 करोड़ रुपये की लागत से 118.9 किलोमीटर लम्बा चेन्नई मेट्रो रेलवे फेज-2 .
3. 14,788 करोड़ रुपये की लागत से 58.19 किलोमीटर लम्बा बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट फेज-2ए और 2बी

4.5,976 करोड़ रुपये की लागत से नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-2 और 2,092 करोड़ रुपये की लागत से नासिक मेट्रो का निर्माण।

विद्युत अवसंरचना

पिछले 6 सालों में स्थापित क्षमता में 139 गीगा वाट्स का इजाफा किया गया है और 1.41 लाख किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गई हैं, 2.8 करोड़ अतिरिक्त घरों में कनेक्शन दिये गये हैं।

ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जायेगा जिसमें विद्युत वितरण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े और उपभोक्ताओं को विकल्प चुनने का अवसर मिले।

आने वाले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपये के व्यय से एक परिष्कृत और सुधार आधारित तथा परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र योजना शुरू की जायेगी।

2021-22 में एक वृहद हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया जायेगा।

पत्तन, नौवहन, जलमार्ग

वित्त वर्ष 2021-22 में बड़े-बड़े पत्तनों पर सरकारी और निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत प्रमुख पत्तनों द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी जिनकी लागत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी।

आने वाले 5 वर्षों में भारतीय शिपिंग कंपनियों को मंत्रालयों और सीपीएसई के वैश्विक टेंडरों में 1624 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

2024 तक रिसाइंकिलिंग की मौजूदा क्षमता को मौजूदा 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन (एलडीटी) से बढ़ाकर दोगुना कर दिया जायेगा। इससे डेढ़ लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

उज्ज्वला योजना का विस्तार कर इसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जायेगा।

अगले तीन वर्ष में 100 अन्य जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जायेगा।

जम्मू-कश्मीर में एक नई गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जायेगी।

एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जायेगा ताकि बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइप लाइनों की कॉमन कैरियर कैपिसिटी की बुकिंग में सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

वित्तीय पूंजी

एक युक्तिसंगत एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड तैयार किया जायेगा।

सरकार जीआईएफटी - आईएफएससी में एक विश्वस्तरीय फिनटेक हब विकसित करने के लिए समर्थन देगी।

दबाव के वक्त में और सामान्य समय में कारपोरेट बांड मार्केट में भागीदारों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए और सेकेन्ड्री मार्केट लिक्विडिटी को बढाने के लिए एक स्थाई संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किया जायेगा।

सोने के विनिमय को विनियमित करने के लिए

एक व्यवस्था स्थापित की जायेगी। इस उद्देश्य के लिए सेबी को एक विनियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा तथा वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेट्री अथारिटी को मजबूत बनाया जायेगा।

निवेशकों को संरक्षण देने के लिए एक इन्वेस्टर चार्टर लागू किया जायेगा।

गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम में 1,000 करोड़ रुपये और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई जायेगी।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाना

बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करना और विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण से सुरक्षा को बढ़ाना।

तनावग्रस्त परिसंपत्ति का समाधान

एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और असेट मैंनेजमेंट कंपनी का गठन किया जायेगा।

पीएसबी का पुनः पूंजीकरण

पीएसबी की वित्तीय क्षमता को और अधिक समेकित करने के लिए 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त पुनः पूंजीकरण किया जायेगा।

जमा बीमा

डीआईसीजीसी एक्ट, 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि इसके प्रावधानों को स्ट्रीम लाइन किया जा सके और बैंक में जमा करन वाले लोग आसानी से और समय से अपनी जमा राशि को उस सीमा तक प्राप्त कर सकें, जिस सीमा तक वह बीमा कवरेज के तहत आती है।

छोटे कर्जदारों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने और क्रेडिट व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उन एनबीएफसी के लिए जिसकी न्यूनतम परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपये तक की हो सकती हैं, सिक्यूरीटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी कानून, 2002 के तहत ऋण वसूली के लिए न्यूनतम ऋण सीमा को 50 लाख रुपये के मौजूदा स्तर से कम करके 20 लाख रुपये किया जायेगा।

कंपनी मामले

- लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) कानून 2008 को अपराध मुक्त बनाया जायेगा।
- कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया जायेगा जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उनकी न्यूनतम सीमा 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होने के स्थान पर 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होने के स्थान पर 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना तय किया जायेगा।
- स्टार्टअप और नवाचार के लिए काम करने वालों को ओपीसी की मंजूरी देते हुए एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- प्रदत्त पूंजी और टर्नओवर पर बिना किसी प्रतिबंध के उनकी प्रगति को अनुमति देना।
- किसी भी समय कंपनी के अन्य प्रकार में उनके परिवर्तन को अनुमति देना।
- किसी भारतीय नागरिक के लिए ओपीसी स्थापित करने के लिए निवास अवधि सीमा 182 दिन से घटाकर 120 दिन करना।
- गैर प्रवासी भारतीयों को भारत में ओपीसी स्थापित करने की अनुमति देना।
- मामलों का निम्नलिखित के द्वारा तेजी से समाधान सुनिश्चित करना
- एनसीएलटी ढांचे को मजबूत बनाना
- ई कोर्ट – प्रणाली को लागू करना
- ऋण समाधान के वैकल्पिक तरीकों को शुरू करना और एमएसएमई के लिए विशेष ढांचा
- मामलों का निम्पलिखित के द्वारा तेजी से समाधान सुनिश्चित करना
- वर्ष 2021-22 में डाटा विश्लेषण, कृत्रिम बौद्धिकता मशीन, शिक्षा जनित एमसीए 21 वर्जन 3.0 की शुरुआत।

विनिवेश एवं रणनीतिक बिक्री

- बजट अनुमान 2020-21 में विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियां

- बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड आदि का रणनीतिक विनिवेश 2020-21 में पूरा हो जाएगा
- आईडीबीआई बैंक के अलावा दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक जनरल बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा
- 2021-22 में एलआईसी का आईपीओ
- रणनीतिक विनिवेश के लिए नई नीति को मंजूरी
- सीपीएसई ने 4 रणनीतिक क्षेत्रों में निजीकरण को स्वीकार किया
- नीति आयोग रणनीतिक विनिवेश के लिए सीपीएसई की नई सूची पर काम करेगा
- केंद्रीय निधियां उपयोग करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों के विनिवेश के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा
- बेकार पड़ी जमीन के मौद्रिकरण के लिए कंपनी के रूप में विशेष उद्देश्य वाहन
- बीमार और हानि उठा रही सीपीएसई को समय पर बंद करने के लिए संशोधित कार्यविधि की शुरुआत

सरकारी वित्तीय सुधार

- वैश्विक आवेदन के लिए स्वायत्तशासी निकायों के लिए ट्रेजरी सिंगल एकाउंट का विस्तार
- सहकारिता के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सहज बनाने के लिए अलग प्रशासनिक ढांचा.
- आकांक्षी भारत के समग्र विकास

कृषि

- सभी जिन्सों के लिए उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना
- खरीद में काफी बढ़ोत्तरी के कारण किसानों को भुगतान में निम्नानुसार बढ़ोत्तरी हुई।स्वामित्व योजना का सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तार किया जाएगा। 1241 गांवों में 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं
- वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। पशुपालन डेरी और मछली पालन ध्यान केंद्रित क्षेत्र होंगे
- ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपए की जाएगी
- सूक्ष्म सिंचाई निधि दोगुनी करके 10 हजार करोड़ रुपए की गई
- ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जल्दी खराब होने वाले 22 उत्पादों तक विस्तारित ताकि कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा मिले।
-

			(करोड़ रुपये में)
	2013-14	2019-20	2020-21
गेहूं	33,874 रुपये	62,802 रुपये	75,060 रुपये
चावल	63,928 रुपये	1,41,930 रुपये	172,752 रुपये
दालें	236 रुपये	8,285 रुपये	10,530 रुपये

-
- ई-नाम के माध्यम से लगभग 1.68 करोड़ किसानों को पंजीकृत किया गया और 1.14 लाख करोड़ रुपए मूल्य का व्यापार किया गया। 1000 और मंडियों को पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाने के लिए ई-नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा
- ईपीएमसी को बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचा निधियों तक पहुंच मिलेगी।

मछली पालन

- समुद्र और देश में आधुनिक मछली बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केंद्रों के विकास के लिए निवेश
- पांच प्रमुख मछली बंदरगाहों कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप और पेतवाघाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा
- सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में बहुउद्देशीय सीवीड पार्क

प्रवासी कामगार और मजदूर

- देश में कहीं भी राशन का दावा करने के लिए लाभार्थियों के लिए वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना-इसका प्रवासी कामगारों ने सबसे अधिक लाभ उठाया है
- योजना लागू होने से अब तक 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 86 प्रतिशत लाभार्थियों को शामिल किया गया , बकाया 4 राज्य भी अगले कुछ महीनों में इसमें एकीकृत हो जाएंगे
- गैर संगठित मजदूरों, प्रवासी कामगारों विशेष रूप से इनके लिए सहायता प्रदान करने वाली

योजनाओं को तैयार करने के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए पोर्टल 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की प्रक्रिया जारी

- नावों और प्लेटफॉर्मो पर काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ
- सभी श्रेणि के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा
- महिला कामगारों को सभी श्रेणियों में काम करने की इजाजत होगी, जिसमें वह रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी और उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी
- नियोजकों पर पड़ने वाले अनुपालन भार को भी कम किया जाएगा और उनको सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का लाभ दिया जाएग, जिससे वे अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकेंगे

वित्तीय समायोजन

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैंडअप इंडिया स्कीममार्जिन मनी को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया
- इसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिए दिये जाने वाले ऋणों को शामिल किया जाए
- एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट में 15700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जोकि इस वर्ष के बजट अनुमान का दोगुना है।

4. मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन

विद्यालय शिक्षा

15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा ताकि वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुुपालन हो सके। वह अपने-अपने क्षेत्र में एक उदाहरणपरक विद्यालय के रुप में उभर कर आएंगे और अन्य विद्यालयों को भी सहारा देंगे।

गैर-सरकारी संगठनों / निजी स्लूकों / राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे।

उच्चतर शिक्षा

- भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने को लेकर इस वर्ष विधान पेश किया जाएगा। यह एक छत्रक निकाय होगा जिसमें निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन, और फंडिग के लिए चार अलग-अलग घटक होंगे।
- सभी सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई शहरों में छत्रक संरचनाओं की स्थापना की जाएगी, जिससे बेहतर समन्वय हो सके।
- इस उद्देश्य के लिए एक ग्लू ग्रांट अलग से रखा जाएगा।
- लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए लेह में केन्द्रीय विश्व विद्यालय स्थापना की जाएगी।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
- जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य।
- ऐसे स्कूलों की इकाई लागत को बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये करना।
- पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपये करना।
- जनजातीय विद्यार्थियों के लिए अवसंरचना सुविधा को पैदा करने पर ध्यान देना।
- अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पुनः प्रारंभ की गई
- 2025-2026 तक 6 वर्षों के लिए 35,219 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की गई
- इससे 4 करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ मिलेगा

कौशल

- युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए अप्रैन्टिसशिप अधिनियम में सुधार का प्रस्ताव दिया
- अभियांत्रिकी में स्नातकों और डिप्लोमा धारकों की शिक्षा-उपरांत अप्रैन्टिसशिप, प्रशिक्षण की दिशा में मौजूदा राष्ट्रीय अप्रैन्टिसशिप प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के पुनर्सृजन के लिए 3,000 करोड़ रुपए
- कौशल में अन्य देशों के साथ साझेदारी की पहलों को आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरह की साझेदारी इन देशों के साथ की गई है:
- संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौशल योग्यता, मूल्याँकन, प्रमाणीकरण और प्रमाणित श्रमिकों की तैनाती
- जापान के साथ कौशल, तकनीक और ज्ञान के हस्तांतरण के लिए सहयोगपूर्ण अंतर-प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी)

5. नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास

- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए जुलाई 2019 में एक कार्यप्रणाली तैयार की गई थी।
- पाँच वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए का परिव्यय

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था को मजबूत करना और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना
- भुगतान के डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की प्रस्तावित योजना के लिए 15,00 करोड़ रुपए
- प्रमुख भारतीय भाषाओं में शासन् और नीति से संबंधित ज्ञान को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम) की शुरुआत की पहल
- न्यू स्पेश इंडिया लिमिटेड द्वारा पीएसएलवी-सीएस51 को छोड़ा जाएगा जो अपने साथ ब्राजील के अमेज़ोनिया उपग्रह और कुछ भारतीय उपग्रहों को ले जाएगा
- गगनयान मिशन गतिविधियों के तहत-
- चार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जैनरिक स्पेस फ्लाइट के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है
- पहला मानवरहित प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में होगा
- गहरे महासागर मिशन सर्वेक्षण अन्वेषण और गहरे महासागर की जैव विविधता के संरक्षण के लिए पाँच वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है

6. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन्

- तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए, न्यायाधिकरणों में सुधार लाने के उपाय
  राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्यदेखभाल व्यवसायी आयोग का पहले ही प्रस्ताव किया जा चुका है ताकि 56 संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की पारदर्शिता और दक्षता पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
- राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवायफरी आयोग विधेयक नर्सिंग व्यवसाय में पारदर्शिता और प्राशसनिक सुधार के लिए प्रस्तुत किया गया
- सीपीएसई के साथ अनुबंध विवाद के तुरंत निपटारे के लिए विवाद निपटान तंत्र का प्रस्ताव
- भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपये आवंटित
- पुर्तगाल से गोवा राज्य की स्वतंत्रता की हीरक जयंती समारोह मनाने के लिए गोवा सरकार को 300 करोड़ रुपये का अनुदान
- असम और पश्चिम बंगाल में चाय बगान कामगारों विशेष रूप से महिला और उनके बच्चों की कल्याण के लिए विशेष योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन राजकोषीय स्थिति

(लाख करोड़ रुपये)

मद	मूल बजट अनुमान	मूल अनुमान	बजट अनुमान
	2021-22	2020-21	2021-22
व्यय	30.42	34.50	34.83
पूंजीगत व्यय	4.12	4.39	5.5
राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)		9.5 प्रतिशत	6.8 प्रतिशत

30.42 लाख करोड़ रुपये के वास्तविक बजट अनुमान व्यय की अपेक्षा व्यय के लिए मूल अनुमान 34.50 लाख करोड़ रुपये है।

- व्यय की गुणवत्ता बरकरार रखी गई है, जबकि कैपिटल व्यय का अनुमान 2020-21 के बजटीय अनुमान के अनुसार 4.12 लाख करोड़ रुपये की अपेक्षा 2020-21 में वास्तविक अनुमान के अनुसार 4.39 लाख करोड़ रुपये हैं।
- 2021-22 के बजट अनुमान में अनुमानित व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, इसमें 5.5 लाख करोड़ रुपये कैपिटल व्यय के लिए शामिल हैं और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 34.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- 2021-22 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 प्रतिशत अनुमानित है। सरकार की उधारी, बहुपक्षीय उधारी, लघु बचत कोष और लघु अवधि की उधारी से प्राप्त धन के कारण 2020-21 के वास्तविक अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5 प्रतिशत हो गया है।
- अगले वर्ष के लिए बाजार से सकल उधारी लगभग 12 लाख करोड़ रुपये रखे गए है।
- 2025-26 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत तक करने के लिए राजकोषीय संकोचन के मार्ग पर अग्रसर होने की योजना है।
- यह लक्ष्य उचित समाधान के द्वारा कर से प्राप्त आय में वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और भूमि सहित परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण से हासिल किया जाएगा।
- इस वर्ष अभूतपूर्व परिस्थितियों को देखते हुए एफआरबीएम अधिनियम के भाग 4(5) और

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

7(3) (बी) के अंतर्गत विचलन विवरणी प्रस्तुत की गई।

- लक्षित राजकोषीय घाटा स्तर हासिल करने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।
- वित्त विधेयक के माध्यम से भारत के फुटकर व्यय कोष को 500 करोड़ रुपये बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये किया गया।

राज्यों की कुल उधारी:

- 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत कुल उधारी प्राप्त करने की मंजूरी।
- इसके हिस्से के तहत पूंजीगत व्यय में वृद्धि
- कुछ शर्तों के साथ जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधारी की सीमा प्रदान की गई
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों का 2023-24 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत तक लाना।

अध्याय – 5
वस्तु एवं सेवा कर
GST
GOODS & SERVICES TAX

वस्तु एवं सेवा कर GOODS & SERVICE TAX [GST]

GST की नीव आज से 16 वर्ष पहले रखी गयी थी, इसके बाद वर्ष में तत्कालीन भारत सरकार 2007 से 2010 मेंGST लागू करने का प्रस्ताव रखा था मार्च में लोकसभा में इसे पेश किया गया।

दिसम्बर एक बार फिर से 2014मेंGST विधेयक संसद में पेश किया गया तथा मई 2015में इसे लोकसभा में पारित किया गया|

राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद यह संविधान का 122वां संशोधन कहलाया |

पूरे देश में इसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है /

Gst – भारत का सबसे बड़े कर सुधार का सफ़र

वर्ष 2002

वर्ष 2002 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने देश में कर सुधारों के लिए दो समितियाँ बनाई/ इन दोनों समितियों का अध्यक्ष विजय केलकर को बनाया गया /

प्रत्यक्ष करों में केलकर कार्यबल

अप्रत्यक्ष करों में केलकर कार्यबल

वर्ष 2003

वर्ष 2003 में केलकर कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी , जिसमें gst व्यवस्था को आपने की सिफारिश की गई थी /

वर्ष 2006

वित्तीय वर्ष 2006 – 07 में श्री मन मोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में तत्तकालीन वित्त मंत्री श्री. पी. चिदंबरम ने gst के विषय पर विचार – विमर्श प्रारम्भ किया और 28 फरवरी 2006 को वित्तीय वर्ष 2006 – 07 के लिए अपने बजट भाषण में यह प्रस्तावित किया था कि gst को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाएगा/

वर्ष 2009

असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नवंबर 2009 में gst पर प्रथम चर्चा पत्र जारी किया गया / इस प्रथम चर्चा पत्र में प्रस्तावित gst की विशिष्टताएँ बताई गई और वर्तमान gst के लिए तंत्र के लिए आधार बनाया गया/

वर्ष 2011

वर्ष 2011 में श्री मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 115 वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया एवं इसे वित्त मामलों संबंधित संसदीय स्थायी समिति के पास विचार – विमर्श के लिए भेजा गया /

वर्ष 2014

मार्च 2014 में विधेयक को संसद के सामने पुनः विचार – विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, लेकिन लोकसभा भंग हो गई और अंततोगत्वा यह विधेयक भी निरस्त हो गया/

19 दिसंबर 2014 को पुन : वस्तु एवं सेवा कर पर 122 वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया /

वर्ष 2015

मई 2015 में लोकसभा द्वारा gst पर 122 वें संशोधन विधेयक पर विचार – विमर्श किया गया एवं इसे पास कर दिया गया / इसके बाद इस विधेयक को राज्य सभा में ले जाया गया और इसे 14 मई, 2015 को राज्य और लोकसभा की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया/ इस समिति ने 22 जुलाई, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की /

वर्ष 2016

राज्य सभा द्वारा इस विधेयक में कुछ संशोधन किये गये / 1 अगस्त, 2016 को संशोधित संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया / राज्य सभा ने 3 अगस्त , 2016 को कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक को पास कर दिया / लोकसभा ने 8 अगस्त, 2016 को फिर से संशोधित विधयेक को पास कर दिया /

अपेक्षित संख्या में राज्य विधान सभाओं द्वारा इस संकल्प को पारित करने के पश्चात् इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया / सबसे पहले इस विधेयक को 12 अगस्त, 2016 को असम ने पारित किया / इसके पश्चात् बिहार ने पारित किया/ सबसे अंत में 7 जुलाई, 2017 को जम्मू – कश्मीर राज्य विधान सभा के द्वारा इसे पारित किया गया /

8 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक पर हस्ताक्षर किये गए / राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद यह ‘ 101 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2016, बन गया / इस संवैधानिक संशोधन ने भारत में gst को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया/

इस अधिनियम में एक खास प्रावधान यह था कि यह अधिनियम उस दिन से लागू माना जाएगा, जिस दिन केंद्र सरकार इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करे /

केंद्र सरकार इस पूर्ण अधिनियम को एक एक साथ लागू करे ऐसी भी कोई बाध्यता नही है/ वह इस अधिनियम को अलग – अलग खण्डों में अलग – अलग दिन सी लागू कर सकती है

101 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 279A में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों के अन्दर राष्ट्रपति (जी एस टी काउंसिल) का गठन किया जाएगा /इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा 12 सितम्बर, 2016 को इस अधिनियम की केवल धारा 12 लागू कर दी गई/, जिसके तहत जी एस टी काउंसिल का गठन किया गया /

16 सितम्बर, 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के सभी खण्डों को लागू कर दिया गया /

वर्ष 2017

1 जुलाई, 2017 से gst को पुरे देश में लागू कर दिया गया /

- **GST:**

GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर(Goods & Service Tax) एक अप्रत्यक्ष (Indirect) कर (Tax) है।

यह एक एकीकृत कर (Integrated Tax) है जो वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर लगेगा।

GST लागू होने के बाद पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जायेगा

अधिकतर अप्रत्यक्ष कर जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (Exise Duty), सेवा कर (Service Taxवेट(VAT (Value Added Tax), मनोरंजन कर आदि सभी

अप्रत्यक्ष कर समाप्त होकर GST में समाहित हो जायेगे।

दुनिया के करीब 165 देशो मेंGST लागू है।

न्यूज़ीलैंड में 15% ऑस्ट्रेलिया में 10% फ्रांस में 19.6 % जर्मनी में 19% तथा पाकिस्तान में 18% की दर से Gst लागू है /

gst से पहले भारत के tax system में सबसे बड़ा सुधार वर्ष 2005 में किया गया था /

safer tax को vat अर्थात् मूल्य निर्धारित कर जो की एक बाज़ार कर होता हैं जिसे vat में बदल दिया गया था/

अलग – अलग चरणों में लगने वालों करों को कम करने की कोशिश की गई थी /

लेकिन vat भी लगने वाली tax पर tax को कम नही कर पाया/

vat उन वस्तुओं पर लगता जिन पर exise duty चूका दी गई हो

यानि लोगों को tax पर भी अलग से tax देना पड़ता था/

भारत में Taxकी वर्तमान व्यवस्था के अनुसार देश में निर्मित होने वाली वस्तुओ की मैंन्युफैकचुरिंग Manu) देनी पडती है और जब Exise Duty पर (Facturing ये वस्तुये बिक्री पर लायी जाती है तो इस परSales Tax और Vat (VAT) अतिरिक्त लग जाता है

इसी तरह उपलब्ध करायी गयी सेवाओ पर लोगो से Service Tax वसूला जाता है लेठिन GST लागू होने के बाद इन करो का बोझ समाप्त हो जायेगा।

GST के प्रकार:

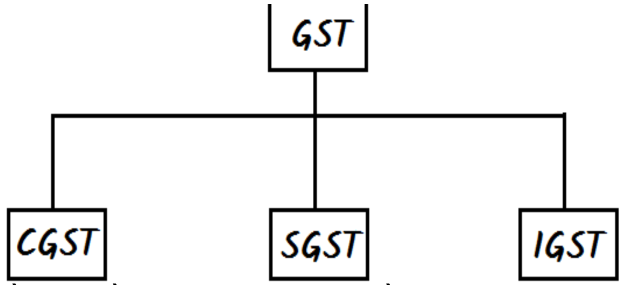

केंद्र वसूलेगा राज्य वसूलेगा एक साथ

दोनों वसूलेंगे

संघीय ढांचे को बनाये रखने के लिये GST तीन स्तरों पर लगेगा। :-

- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर)CGST)इस कर को - केन्द्र सरकार वसूलेगी।
- राज्यवस्तु एवं सेवा कर)SGST)इस कर को राज्य - सरकारे वसूलेगी।
- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर I)GST) एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की स्थिती मेंयह कर लगेगा।

IGSTका एक हिस्सा केंद्र सरकार और दूसरा हिस्सा वस्तु या सेवा का उपभोग करने वालेराज्य को प्राप्त होगा।

gst क्यों आवश्यक है -

भारत का वर्तमान कर ढांचा)Tax Structure) बहुत ही जटिल है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रुप से वस्तुओ की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार तथा वस्तुओं के उसादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार के अधीन है।

इस कारण देश में अलगअलग प्रकार के कर लागू - हैंजिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल हो गयी है । कंपनियो व छोटे उद्योगों के लिये इन विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। इन सभी जटिलताओं को खत्म करने के लिये हीGST को लागू लिया जा रहा है।

प्रत्यक्ष कर)Direct Tax)- वह कर जिसे आपसेसीधे तौर पर वसूला जाता है प्रत्यक्ष कर कहलाता है।

उदाहरणकृषि कर -, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर,निगम कर आदि ।

अप्रत्यक्ष कर जिसका मोद्रिक - **(Indirect Tax)** भार दूसरो पर डाला जाये अर्थात वास्तविक भार उत्त व्यक्ति को नहीं देना पड़ता जो उते अदा करता है ।

उदाहरण Exise – TAX (उत्पापन कर(, सीमा शुल्क) सेवाकर (Custom Tex)ServiceTex), VAT)बाजार कर।आदि (

उदाहरण- माना कोई वस्तु 100 रुपये में तैयार हुयी है और उस वस्तु पर Tax लगा 12%जिससे उस वस्तु की कीमत होगयी 112 रुपये। चूंकि उस वस्तु के निर्माण में लागत आयी 8रुपये, तो उस वस्तु की कुल कीमत हो गयी 120 रुपये ।

माना अब 120 रुपये वाली वस्तु पर 18%टेक्स लगना था लेकिन यहाँ पर उस वस्तु को कच्चे माल के रुप में पहले ही खरीदा जा चुका है तथा उस पर 12% टैक्स भी पहले ही लग चुका है अतः इस बात पर 18% टेक्स नहीलगेगा। 18% से 12% घटाकर

मात्र6% टेक्स ही लगेगा, जिससे वस्तुओ की कीमतों में पहले की अपेक्षा स्थिरताआयेगी।

यही है GSTका सबसे बड़ा फायदा जो टेक्स पर टैक्स लगाने वाली प्रथा को खत्म करेगा|

आइये अब इसको एक चार्ट केमाध्यम से समझने की कोशिश करते है ।

दोनों स्थितियो कीतुलना के बाद वस्तुओ की कीमत में अंतर अब आप स्वय देख सकते है|

GST में कर कि दरे (Rates of Tax)

GST Rates को 5 भागों में विभाजित किया गया है- 0%, 5%, 12%, 18% तथा 28% GST की अधिकतम दर 28%रखी गयी हैं लगभग 19%वस्तुये ऐसी है जिनपर 28% की दर से GST लगेगा | GST के बाद अधिकतर वस्तुये सस्ती ही जायेंगी- परन्तु सेवाये महेंगी हो जायेगी, लेकिन सेवा को लेकर भी एक निश्चित माहौल रहेगा । अभी हर साल इसमें होने वाली बढ़ोतरी नही होगी।

वस्तु व सेवाये जिनपर कोई Tex नहीं लगेगा 0%

वस्तुएं- देनिक जीवन की सभी वस्तुए जैसे दूध , दही, फल, सब्जिया, आटा, ब्रैड, नमक, अखबार, मछली, चिकन, किताबे आदि सभी सामानों पर GST नही लगेगा |

सेवायें (Services) -1000 रु से कम के होटल इत्यादि।

वस्तुएं व सेवा जिनपर 5%की दर से Tax लगेगा।

वस्तुएं (Goods)- डब्बा बंद खाना, डब्बा बंद पनीर,कॉफी, चाय, मसाले, दवायें इत्यादि ।

सेवाये (Servies)- ट्रांसपोर्ट सेवायें व छोटे-रेस्ट्रोरेन्ट

वस्तुएं व सेवाए जिनपर 12%की दर से Tex लगेगा |

वस्तुएं - आयुर्वेदिक दवाये,डब्बा बंद मेवे सिलाई मशीन, मोबाइल फोन इत्यादि ।

सेवाएं -बिना AC होटल, खाद, Bijness Class Air Tickets इत्यादि।

वस्तुए - कैमरा, स्पीकर, पेस्ट्रीज, केक, मिनरल वाटर, आइसक्रीम, नोटबुक्स इत्यादि |

सेवायें - AC होटल, टेलीकॉम सेवाये, IT सेवायें,ब्रांडेड कपड़े इत्यादि|

वस्तुएं व सेवायें जिन पर 28%की दर से Tax लगेगा

वस्तुए - चोकलेट, पान मसाला, वाटर हीटर, वेक्यूम कलीनर,सिलाई मशीन, वाशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल्स इत्यादि

सेवाये - 5 स्टार होटल्स, सिनेमा इत्यादि ।

GST के दायरे में आने वाले लोग

(1) 20 लाख रुपये या उससे कम वार्षिक कारोबार करने वाले लोग GST के दायरे में नहीं आयेगे पूर्वोत्तर व विशेष दर्जा वाले राज्योजैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ये सीमा 10 लाख रुपये होगी। ऐसे व्यापारी GST के लिये रजिस्ट्रेशन करा सकते है ताकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट (खरीदे गये सामान पर चुकाया कर)

का फायदा मिल सके।

(2) 20 लाख रुपये से ज्यादा लेकिन डेढ़ करोड़ रुपये से कम का सालाना कारोबार करने वाले 90%व्यापारी राज्य सरकार के नियंत्रण में आयेगे जबठि 10%व्यापारी केन्द्र सरकार के नियंत्रण में आयेगे।

(3) डेढ करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना कारोबार करने वाले व्यापारी आधे राज्य सरकार के नियंत्रण में होंगे जबकि आधे केन्द्र सरकार के नियंत्रण में होगें।

GST के तहत उन सभी कारोबारियों,उत्पादक, सेवा प्रदाता को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा जिनकी एक वर्ष में कुल बिक्री का मूल्य एक निश्चित मूल्य से ज्यादा होगा |

GST से बाहर की चीजे -

शराब पूरी तरह से GST से बाहर होगी अर्थात राज्य सरकारे पूर्व की भांति आबकारी लगाती रहेगी। पेट्रोल, रसोई, गैस, डीजल अभी फिलहाल GST से बाहर है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाये भी पूरी तरह GST से बाहर है|

अध्याय -6
केंद्र सरकार की योजनाएँ

एक कल्याणकारी राष्ट्र में गरीबों एवं वंचित वर्गों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती है / योजनाओं के माध्यम से सरकार आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, एवं आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं/

केंद्र सरकार की योजनाएँ :-

एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड योजना

केन्द्रीय पभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 30 जून, 2020 तक पूरे देश में एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की है/

कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र के लिये ही 'जीवन बनाम आजीविका' की दुविधा उत्पन्न की है। प्रवासी श्रमिक समाज के उन सबसे कमज़ोर वर्गों में से एक हैं जो इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।

कोविड-19 महामारी की दो घातक लहरों के बाद बेरोज़गार प्रवासी श्रमिकों के समक्ष खाद्य सुरक्षा और आय सुरक्षा दो प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं।

खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार ने 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card- ONORC) योजना की शुरुआत की है। ONORC योजना किसी लाभार्थी को उसका राशन कार्ड कहीं भी पंजीकृत होने से स्वतंत्र रखते हुए देश में कहीं भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकने की अनुमति देती है।

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (kusum)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से **किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान-कुसुम** (Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan-KUSUM) को शुरू करने की मंज़ूरी दे दी है।

लक्ष्य

- तीनों घटकों को शामिल करने वाली इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करना है।

योजना के घटक

प्रस्तावित योजना के तीन घटक हैं :

♦ घटक A : भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना।

♦ घटक B : 17.50 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।

♦ घटक C : ग्रिड से जुड़े 10 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण (Solarisation)।

योजना का कार्यान्वयन

- घटक A और घटक C को क्रमशः 1000 मेगावाट की क्षमता तथा एक लाख कृषि पंपों को ग्रिड से जोड़ने के लिये पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। पायलट योजना की सफलता के बाद इसे बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया जाएगा। घटक B को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा।
- घटक A के अंतर्गत किसान/सहकारी समितियाँ/पंचायत/कृषि उत्पादक संघ (Farmer Producer Organisations-FPO) अपनी बंजर या कृषि योग्य भूमि पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकेंगे। बिजली वितरण कंपनियाँ (DISCOMs) उत्पादित ऊर्जा की खरीद करेंगी। दर का निर्धारण संबंधित SERC द्वारा किया जाएगा। प्रदर्शन के आधार पर बिजली वितरण कंपनियों को पाँच वर्षों की अवधि के लिये 0.40 रुपए की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- घटक B के अंतर्गत किसानों को 7.5 HP क्षमता तक के सौर पंप स्थापित करने के लिये सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में पंप क्षमता को सौर पीवी क्षमता (KW में) के समान मानने की अनुमति दी गई है।
- योजना के घटक C के अंतर्गत किसानों को 7.5 HP की क्षमता वाले पंपों के सौरीकरण के लिये सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में पंप क्षमता को सौर पीवी क्षमता के दोगुने के समान माना गया है।

वित्तपोषण

- इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 34,422 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- घटक B और घटक C के लिये मानदंड लागत का 30 प्रतिशत या निविदा लागत, इनमें जो भी कम हो, के लिये केंद्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Assistance-CFA) प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार 30 प्रतिशत की सब्सिडी देगी और शेष 40 प्रतिशत खर्च का वहन किसानों को करना होगा। लागत के 30 प्रतिशत खर्च के लिये बैंकों से सहायता भी प्राप्त की जा सकती है। शेष 10 प्रतिशत लागत किसान के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूहों में 50 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना के लाभ

- इस योजना से ग्रामीण भू-स्वामियों को स्थायी व निरंतर आय का स्रोत प्राप्त होगा।
- किसान उत्पादित ऊर्जा का उपयोग सिंचाई ज़रूरतों के लिये कर पाएंगे तथा अतिरिक्त ऊर्जा बिजली वितरण कंपनियों को बेच पाएंगे। इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
- इस योजना से कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी और वायुमंडल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। योजना के तीनों घटकों को सम्मिलित करने से पूरे वर्ष में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 27 मिलियन टन की कमी आएगी।
- घटक बी के अंतर्गत सौर कृषि पंपों से प्रतिवर्ष 1.2 बिलियन लीटर डीज़ल की बचत होगी। इससे कच्चे तेल के आयात में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
- इस योजना में रोज़गार के प्रत्यक्ष अवसरों को सृजित करने की क्षमता है। स्व-रोज़गार में वृद्धि के साथ इस योजना से कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिये 6.31 लाख रोज़गार के नए अवसरों के सृजित होने की संभावना है।

जल जीवन मिशन

- जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति (हर घर जल) सुनिश्चित करना है।
- जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
- इस मिशन के तहत कृषि में पुनः उपयोग के लिये वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिये जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है।
- भारत में विश्व की कुल आबादी का तकरीबन 16 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है, जबकि देश में पीने योग्य जल का मात्र 4 प्रतिशत हिस्सा ही उपलब्ध है। वहीं लगातार गिरता भू-जल और जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जल संरक्षण में कुछ अन्य चुनौतियाँ हैं, ऐसे में पीने योग्य पानी की मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करना सरकार के लिये एक बड़ी चुनौती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को लघु एवं सीमान्त किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश e की गई है। _इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 के दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है / यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन सामान किस्तों में लाभान्वित किसानों की बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है।

व्यापारियों और स्वरोजगार योजना

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रांची में व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की है।

यह पेंशन योजना उन व्यापारियों (दुकानदारों / खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों) के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

इस राष्ट्रव्यापी शुरुआत से इस योजना के तहत भावी लाभार्थियों के लिए नामांकन की सुविधा देश भर में स्थित 3.50 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

सरकार ने व्यापरियों (दुकानदारों/ खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों) के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दी है।

यह 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यापारियों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है।

लाभार्थी को आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा उसे ईपीएफओ/ ईएसआईसी/ एनपीएस (सरकार)/ पीएम-एसवाईएम का सदस्य भी नहीं होना चाहिए।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार का मासिक अंशदान में 50% योगदान होगा और शेष 50% अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।

मासिक योगदान को कम रखा गया है। उदाहरण के लिए, एक लाभार्थी को 29 वर्ष की आयु होने पर केवल 100 रुपये प्रति माह का छोटा सा योगदान करना आवश्यक है।

यह पेंशन योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे कार्यकाल की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

वर्ष 2019-20 तक 25 लाख लाभार्थियों तथा 2023-2024 तक 2 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से देश के लगभग 3 करोड़ व्यापारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान – धन योजना

श्रम और रोजगार मंत्रलाय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान – धन योजना लॉंच किया है ।

इस योजना के पात्र 18 – 40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, मजदूर वर्ग के लोगो के लिए, जिनकी आय 15000 रूपए या उससे कम है ।

न्यूनतम निश्चित पेंशन के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3000 रूपए की निश्चित पेंशन मिलेगी ।

परिवार के पेंशन : यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाती है/ तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 % राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगी ।

पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना , कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी निधि संगठन , के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो , तथा उसे आयकर दाता नही होना चाहिए ।

राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना

भारत में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य और पोषण से संबंधी कही सरकारी कार्यक्रम और योजनाएँ हैं , परन्तु इसके बाद भी भारत कुपोषण के संकट से जूझ रहा हैं/

राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है/

राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है/ इस रणनीति का उद्देश वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त कराना है/

यह मिशन आगन बाड़ी कार्यकर्ता को सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों का प्रयोग करने, सोशल ऑडिट करने और पोषण संसाधन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा ।

खाद्य सुरक्षा मित्र योजना

खाद्य सुरक्षा मित्र योजना की शुरुआत केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा विश्व खाद्य दिवस 16 अक्तूबर के अवसर पर की गई ।

यह योजना खाद्य सुरक्षा कानूनों का पालन करने, लाइसेंस और पंजीकरण, स्वच्छता रेटिंग और प्रशिक्षण की सुविधा के लिए छोटे एवं मध्यम स्तर के खाद्य व्यवसायों का समर्थन करती है/

यह योजना खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी ।

इस प्रकार की यह योजना इट राइट इंडिया आंदोलन को मज़बूत करने और बढ़ाने का समर्थन करती है/

इस योजना के लिए खाद्य मित्रों का चयन किया जाएगा/ इनको fssai द्वारा प्रशिक्षित करने के पश्चात् प्रमाण पत्र दिया जाएगा / ये खाद्य सुरक्षा मित्र खाद्य व्यावसायियों की सेवा / सहायता करेंगे और इसका भुगतान प्राप्त करेंगे/

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम – आशा)

सरकार की किसान अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई

समग्र योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंज़ूरी दे दी है।

यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है जिससे किसानों के कल्याण हेतु किये जाने वाले कार्यों में अत्यधिक सफलता मिलने की आशा है।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिये उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई है।

पीएम- आशा के प्रमुख घटक

नई समग्र योजना में किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं

मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme-PSS)

मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme- PDPS)

निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (Private Procurement & Stockist Scheme- PPSS)

सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना)

इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 25 सितम्बर 2017 यानी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर की थी। सरकार ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी जैसे राज्यों के सभी गाँव में बिजली पहुंचाना ही अपनी मुख्य जिम्मेदारी समझी।

जिन लोगों का नाम 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में है उन्हें सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। हालांकि जिन लोगों का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में नहीं है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें बिजली का कनेक्शन 500 रुपए में मिल सकता है और यह 500 रुपए भी वह दस आसान किस्तों में दे सकते हैं।

इस योजना के तहत सरकार ने तय किया है कि जिन इलाकों में बिजली नहीं पहुंची है वहां इसके तहत हर घर को एक सोलर पैक दिया जाएगा, जिसमें पांच एलईडी बल्ब और एक पंखा होगा।

बिजली से वंचित 4 करोड़ घर के हिसाब से सरकार ने सौभाग्य योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सौभाग्य योजना के तहत सरकार मिट्टी के तेल का विकल्प बिजली को बनाएगी।

ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (Operation Digital Blackboard-ODB) की शुरुआत की है।

- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड एक क्रांतिकारी कदम है जो पठन-पाठन की प्रक्रिया को इंटरैक्टिव बनाने के साथ ही और शैक्षणिक दृष्टिकोण से सीखने की प्रक्रिया को लोकप्रिय बना देगा।
- गौरतलब है कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का उल्लेख सबसे पहले 2018-19 के बजट में किया गया था।
- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड पर कार्य योजना तैयार करने के लिये प्रोफेसर झुनझुनवाला के नेतृत्व में समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस पहल को आगे बढ़ाया गया है।
- सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में डिजिटल/स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसमें माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी कक्षाएँ शामिल होंगी।
- राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से लगभग 1.5 लाख माध्यमिक/सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।

प्रधान मंत्री जी - वन योजना

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री 'जी-वन योजना' (Jaiv Indhan-Vatavaran Anukool Fasal Awashesh Nivaran Yojana: JI-VAN) के लिये वित्तीय मदद को मंज़ूरी प्रदान की।

जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना (जी-वन योजना) के तहत ऐसी एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय मदद प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जो लिग्नोसेल्यूलॉजिक बायोमास (Lignocellulosic Biomass) और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक (Feedstock) का इस्तेमाल करती हैं।

लिग्नोसेल्यूलॉज़िक बायोमास (LC biomass) - यह बायोमास सेल्यूलोज़ (Cellulose), हेमिसेल्यूलोज़ (Hemicelluloses) और लिग्निन (Lignin) से बना होता है।

2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिये इस योजना में कुल 1969.50 करोड़ रुपए की मंज़ूरी प्रदान की गई है।

स्वीकृत कुल 1969.50 करोड़ रुपए में से 1800 करोड़ रुपए 12 वाणिज्यिक परियोजनाओं की मदद, 150 करोड़ रुपए 10 प्रदर्शित परियोजनाओं और बाकी बचे 9.50 करोड़ रुपए उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (Centre for High Technology-CHT) को प्रशासनिक शुल्क के रूप में दिये जाएंगे।

इस योजना के तहत12 परियोजनाओं को वाणिज्यिक स्तर पर और 10 दूसरी पीढ़ी (2G) के इथेनॉल परियोजनाओं के प्रदर्शन स्तर पर दो चरणों में वित्तीय मदद दी जाएगी।

- **पहला चरण (2018-19 से 2022-23)** – इस चरण के दौरान 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं तथा 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी।
- **दूसरा चरण (2020-21 से 2023-24)**- दूसरे चरण में बाकी बची 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं को वित्तीय मदद दी जाएगी।
- इस परियोजना के तहत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित एवं मदद करने का काम किया गया है। इसके लिये वाणिज्यिक परियोजनाएँ स्थापित करने और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का काम किया गया है।

<u>सबका विश्वास योजना</u>

बजट 2019 में वित्त मंत्री ने **सबका विश्वास योजना** 2019 की घोषणा की थी। केंद्र की इस योजना का उद्देश्य बकाया कर राशि वाले लोगों को आंशिक छूट देना और कर विवाद मामलों का जल्द-से-जल्द निपटारा करना है।

- यह योजना 1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक कार्यान्वित होगी।
- सरकार को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में करदाता सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद कर से संबंधित अपने बकाया मामलो के समाधान के लिये इस योजना का लाभ उठाएंगे। गौरतलब है कि ये सभी मामले अब <u>वस्तु एवं सेवा कर</u> (Goods and Services Tax) अर्थात् GST के अंतर्गत सम्मिलित हो चुके हैं और इनके समाधान के परिणामस्वरूप करदाता GST पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
- इस योजना के दो प्रमुख भाग हैं:
  - विवाद समाधान
  - बकाया कर में माफी
- विवाद समाधान का लक्ष्य अब GST में सम्मिलित केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के बकाया मामलों का समाधान करना है।
- बकाया कर में माफी के तहत करदाता को कुछ निश्चित छूट के साथ बकाया कर देने का अवसर प्रदान किया जाएगा और करदाता कानून के अंतर्गत किसी भी अन्य प्रभाव से मुक्त रखा जाएगा।
  - योजना का सबसे आकर्षक प्रस्ताव सभी प्रकार के मामलो में बकाया कर से बड़ी राहत के साथ-साथ ब्याज़, जुर्माना और अर्थ दंड में भी पूर्ण राहत देना है।
  - इन सभी मामलो में किसी भी प्रकार का अन्य ब्याज़, जुर्माना और अर्थ दंड नहीं लगाया जाएगा और इसके साथ ही अभियोजन से भी पूरी छूट मिलेगी।
- योजना के अंतर्गत न्यायिक या अपील में लंबित सभी मामलो में 50 लाख रुपए या इससे कम के मामले में 70 प्रतिशत और 50 लाख रुपए से अधिक के मामलो में 50 प्रतिशत की राहत मिलेगी।

<u>आत्म निर्भर भारत अभियान 2020</u>

भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान' की चर्चा की गई तथा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई।

- प्रधानमंत्री ने COVID-19 महामारी से पहले तथा बाद की दुनिया के बारे में बात करते हुए कहा कि 21 वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिये देश को आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी है।
- प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत को COVID-19 महामारी संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिये।
- वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता आत्म-केंद्रित से अलग है।
- भारत 'वसुधैव कुटुंबकम्' की संकल्पना में विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है।
- आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।

संकल्प योजना : -

भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से 'संकल्प' (SANKALP- Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion) तथा 'स्ट्राइव' (STRIVE -Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement) नामक दो नई योजनाओं को मंज़ूरी दी है।

इस योजना का उद्देश महिलाओं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगो सहित हाशिये पर जीवन जी रहे समुदायों को बड़े पैमाने पर दक्षता प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है/

4455 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित योजना संकल्प मे विश्व बैंक द्वारा 3300 करोड़ की ऋण सहायता शामिल है/

श्रेयस योजना :-

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministery of Human Resources Development) ने उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिये श्रेयस (Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills-SHREYAS) कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना से युवाओं को रोज़गार प्राप्त करने और देश की प्रगति में योगदान करने में सहायता मिलेगी।

SHREYAS कार्यक्रम में तीन केंद्रीय मंत्रालयों की पहल शामिल है - मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी राज्यों से सहयोग की भी अपेक्षा की गई है।

अर्थ परियोजना :-

जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry Of Shipping) के अनुसार, अर्थ-गंगा परियोजना (Arth-Ganga Project) से गंगा नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।

- दिसंबर 2019 में संपन्न हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद (National Ganga Council- NGC) की प्रथम बैठक में प्रधानमंत्री ने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही 'नमामि गंगे' परियोजना को 'अर्थ-गंगा' जैसे एक सतत् विकास मॉडल में परिवर्तित करने का आग्रह किया था।
- इस प्रक्रिया में किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें शून्य बजट खेती, फलदार वृक्ष लगाना और गंगा के किनारों पर पौध नर्सरी का निर्माण करना शामिल है।
- इन कार्यों के लिये महिला स्व-सहायता समूहों और पूर्व सैनिक संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- जल से संबंधित खेलों के लिये बुनियादी ढाँचे के विकास और शिविर स्थलों के निर्माण, साइकिलिंग एवं टहलने के लिये ट्रैकों आदि के विकास से नदी बेसिन क्षेत्रों में धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन जैसी महत्त्वपूर्ण पर्यटन क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- पारिस्थितिक पर्यटन और गंगा वन्यजीव संरक्षण एवं क्रूज पर्यटन आदि को प्रोत्साहन देने से अर्जित आय को गंगा स्वच्छता के लिये आय का स्थायी स्रोत बनाने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम :-

प्रधानमंत्री ने पशुओं में खुरपका-मुंहपका रोग (Foot-and-mouth disease-FMD) और ब्रूसेलोसिस (Brucellosis) के नियंत्रण तथा उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme-NADCP) की शुरुआत की है।

- यह कार्यक्रम पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है एवं इसकी कुल व्यय राशि 12652 करोड़ रुपए आंकी गई है।
- **खुरपका-मुंहपका रोग**
- गाय, भैंस और हाथी आदि में होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह खासकर दूध देने वाले जानवरों के लिये अधिक हानिकारक होता है।
- **ब्रूसेलोसिस**
- ब्रूसेलोसिस एक जीवाणु संक्रामक रोग है जो जानवरों के साथ-साथ इंसानों को भी प्रभावित करता है। ब्रूसेलोसिस आम तौर पर तब फैलता है जब लोग दूषित भोजन जैसे- कच्चा मांस और अस्वास्थ्यकर दूध का उपभोग करते हैं।

निर्विक योजना : -

केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिये ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने और ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात ऋण विकास योजना- निर्विक योजना की घोषणा की है। निर्विक योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार निर्यातकों को सुगमता से ऋण प्रदान करेगी और 90% मूल राशि और ब्याज दरों को कवर करेगी। निर्यातकों के बैंक खाते के

नुकसान के लिए, ईसीजीसी द्वारा बैंकों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

कृषि डाक प्रसार सेवा :-

यह केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों तक बीज पहुँचाने के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित सेवा है , जिसके तहत चिह्नित किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीज पहुंचाएं जा रहे है/

खेती की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा तैयार योजना, जिसका मुख्य उद्देश हैं चिह्नित प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीजों को डाक के माध्यम से पहुँचाना /

वर्तमन में यह योजना देश के 14 राज्यों के 100 जिलों में शुरू की गई है / इसे कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं डाकघरों के माध्यम से संचालित किया जाता है/

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना :-

इस योजना को 13 जनवरी, 2016 को मंजूरी प्रदान की गई /

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी।

इस योजना के लिये 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करेगा।

वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये किसानों को 5% प्रीमियम (किस्त) का भुगतान करना होगा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :-

केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की है.

इसके तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है. यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी.

मुद्रा योजना के दो मुख्य कारण हैं. पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना.

दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिये रोजगार का सृजन करना ।

मुद्रा योजना के तहत तीन तरह के ऋण दिए जाते हैं ।

इनमें शिशु लोन, किशोर ऋण और तरुण लोन शामिल है ।

शिशु मुद्रा ऋण के तहत 50,000 रुपये तक

किशोर ऋण के तहत 50000 से अधिक तथा 5 लाख तक के ऋण

तरुण ऋण के तहत 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना :-

9 मई, 2019 को इस योजना को प्रारंभ किया गया /

इस योजना की पेशकेश भारतीय जीवन निगम ने की थी/

यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के उन लोगों के किये उपलब्ध है , जिनके पास अपना बैंक खाता हो जिसमें से स्वत : डेबिट सुविधा के जरिये प्रीमियम वसूल किया जाता है/

इस योजना के अंतर्गत अंशदाताओं को 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने पर 2 लाख रुपए तक जीवन बीमा का लाब दिया जाएगा /

सुकन्या समृध्दि योजना :-

22 जनवरी 2015 में केंद्र सरकार 'बेटी बचाओं, बेटी पढाओं ' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सुकन्या समृध्दि योजना प्रारंभ की गई /

इस योजना के अंतर्गत बालिका के माता - पिता या संरक्षक द्वारा बालिका के नाम उसके जन्म लेने से 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खाता खोला जाएगा /

यह खाता डाकघर या बैंक में से किसी में भी खोला जा सकता है/

खाते में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए तथा अधिकतम 1.5 रुपए तक जमा किया जा सकते है /

बालिका के 14 वर्ष पूर्ण होने तक खाते में रकम जमा किया जा सकता है/

अटल पेंशन योजना :-

इस योजना का शुभारंभ 1 जून, 2015 को किया गया था /

इस योजना के तहत बीमाधारक को उसके योगदान के आधार पर प्रतिमाह 1000 से 5000 रुपए निर्धारित न्यूनतम राशि प्राप्त होगी /

सरकार भी कुल रकम का 50 % या 1000 प्रतिवर्ष जो भी कम होगा, योग्य बीमाधारक को पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रदान करेगी /

इस योजना में शामिल होने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है /

इस योजना का क्रियान्वन पेंशन फण्ड रेग्युलेटरी और डेवलमेंट ऑथोरिटी कर रहा है/

प्रधान मंत्री आवास योजना :-

25 जून, 2015 को भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा वर्ष

2022 तक सभी के लिए पक्का आवास मुहैया कराने के लक्ष्य रखा गया है/

इस योजना का मुख्य उद्देश है भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुई निजी क्षेत्रों की भागीदारी से झुग्गीवासियों का पुनर्वास तथा ऋण से जुडी ब्याज एवं सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन देना /

स्वच्छ भारत अभियान :-

2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत के अभियानं की शुरुआत की गई थी/

इस अभियान को उपअभियान स्वच्छ भारत अभियान शहरी और स्वच्छ भारत अभियान – ग्रामीणों में बाँटा गया है/

इस अभियान के तहत व्यक्तिगत, सामूहिक और शौचालय का निर्माण किया जाएगा तथा ठोस और तरल कचरा प्रबंधन द्वारा सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी /

योजनाएँ	मंत्रालय
प्रधान मंत्री आवास योजना	आवास एवं शहरी उपशमन
राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना	आवास एवं शहरी उपशमन
राष्ट्रीय पेंशन योजना	वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	वित्त मंत्रालय
अटल पेंशन योजना	वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना	वित्त मंत्रालय
मध्याह्न भोजन योजना	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
अस्मिता योजना	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
सांसद आदर्श ग्राम योजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय
मनरेगा	ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण सड़क कौसल योजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास विकास योजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय
उज्वला योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
सुकन्या समृध्दि योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
अमृत योजना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मिशन इन्द्र धनुष	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
जननी सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्मार्ट सिटीज	शहरी विकास मंत्रालय
अटल मिशन फॉर रीज़ुवनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फोर्मेशन	शहरी विकास मंत्रालय
स्टैंड – अप इंडिया	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
प्रधान मंत्री उज्वला योजना	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
सेतु भारत	सड़क , परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सागरमाला	पोत परिवहन मंत्रालय

अध्याय – 7
उद्योग
यह अध्याय आपको भारत के भूगोल में पढ़ने को मिलेगा

अध्याय – 8

गरीबी एवं बेरोजगारी

बेरोजगारी (Unemployment)

बेरोजगारी - जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोजगार की खोज करता है , लेकिन वह काम पाने में अक्षम रहता है, बेरोजगारी कहलाता है /

बेरोजगारी का मापन (Measurement of Unemployment)

- बेरोजगारी को मापने के लिए वर्ष 1970 में भगवती समिति बनायी गयी थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बेरोजगारी को मापने के लिए तीन तरीके बनाये गये।

1. **दीर्घकालिक बेरोजगारी**
- यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में किसी व्यक्ति को 183 दिन (8 घंटे प्रति दिन) रोजगार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इस 183 दिन के मानक को बदल कर 273 दिन कर दिया गया है।

2. **साप्ताहिक बेरोजगारी**
- यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 दिन (8 घंटे) का काम न मिले तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है।

3. **दैनिक बेरोजगारी**
- यदि किसी को प्रति दिन आधे दिन (4 घंटे) का काम न मिले तो उसे दैनिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है।

शहरी बेरोजगारी
(Urban Unemployment)

औद्योगिक बेरोजगारी (Industrial Unemployment): औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी एवं गैर तकनीकी रूप के अन्तर्गत कार्य करने की क्षमता तो रखते है परन्तु बेरोजगार है।

- देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि के कारणों में औद्योगीकरण की धीमी प्रक्रिया तथा अनुपयुक्त तकनीकी का प्रयोग शामिल है।

शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment):

पढ़े-लिखे लोगों द्वारा रोजगार न प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। भारत में शिक्षित वर्ग में रोजगारी की समस्या अत्यधिक गंभीर है। इसका मुख्य कारण है।

- देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे- विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होना ।
- भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगारपरक नहीं बल्कि उपाधिपरक है अर्थात् भारत में शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है।

ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment)

प्रच्छन / अदृश्य बेरोजगारी (Disguised unemployment) : जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं जबकि उतने लोगों की जरूरत नहीं होती है, तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है।

- इसमें सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है।
- यह जनसंख्या के अधिक दबाव और रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बनी रहती है।
- इसे पूंजी निर्माण, गैर-कृषि गतिविधियों के विकास के द्वारा किया जाता है इस बेरोजगारी का माप संभव नहीं है।

मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) :

एक वर्ष के किसी मौसम या कुछ महीनों के लिए किसी व्यक्ति को रोजगार मिलना तथा शेष महीनों या मौसम में कार्य नहीं मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाती है।

बेरोजगारी के अन्य प्रकार (Other types of unemployment)

पूर्ण बेरोजगारी तथा अद्ध बेरोजगारी

- यदि किसी व्यक्ति के पास 35 कार्य दिवस से भी कम दिनों का रोजगार हो तो वार्षिक स्तर पर उसे पूर्ण बेरोजगार माना जाता है।
- यदि उसके कार्य दिवस 35 से ज्यादा एवं 135 दिनों से कम हो तो उसे अर्द्ध बेरोजगार माना जायेगा।
- 135 दिनों से अधिक के रोजगार की स्थिति में उसे पूर्ण रोजगार माना जाता है।

संरचनात्मक बेरोजगारी (Structured Unemployment)

- यह एक दीर्घकालीन समस्या है। यदि देश की उत्पादक संस्थाओं की संख्या में कमी, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं तो श्रमशक्ति का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्या को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में पायी जाती है।
- यह आपूर्ति पक्ष में कमी एवं विसंगति के कारण उत्पन्न होता है।
- आधारभूत संरचनाओं के विकास, बचत, निवेश, कौशल विकास आदि पर ध्यान केन्द्रित कर इसे दीर्घकाल में कम किया जा सकता है।

खुली बेरोजगारी (Open Unemployment)

खुली बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें यद्यपि श्रमिक काम करने के लिए उत्सुक हैं और उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी है तथापि उसे काम प्राप्त नहीं होता। वह पूरा समय बेकार रहता है।

चक्रीयबेरोजगारी(Cyclic Unemployment)

- यह बेरोजगारी अल्पकालिक होती है। वैश्विक स्तर पर विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार-चढ़ावों के कारण उत्पन होती है।
- यह पूंजीवारी देशों में मांग की कमी के कारण उत्पन्न होती है।
- इसे मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है

ऐच्छिक बेरोजगारी (voluntary unemployment)

जब लोग स्वयं अपनी इच्छा से कार्य नहीं करना चाहते हैं तो इस प्रकार की बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी करते हैं।

अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary unemployment)

जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर पर कार्य करने की इच्छा रखता हो किन्तु कार्य को उपलब्धता न हो तो उस स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है।

घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)

बाजार में वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन आने से घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् हुआ था । भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने की विधि ।

भारत में बेरोजगारी मापने की निम्नलिखित तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है

1. सामान्य स्थिति बेरोजगारी (UPSS)
2. चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी (cws)
3. चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी (CDS)

1. सामान्य स्थिति बेरोजगारी

इससे पूरे वर्षभर की स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके लिए रोजगार के दिनों तथा बेरोजगारी के दिनों की आपस में तुलना की जाती है। यदि एक वर्ष में रोजगार के दिनों की संख्या बेरोजगारी के दिनों से अधिक पायी जाती है तो उस व्यक्ति को स्थिति रोजगार की मानी जाएगी। इसके विपरीत स्थिति को बेरोजगार माना जाएगा।

2. चालू सप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी (Current Weekly Unemployment)

इस विधि के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को संदर्भ सप्ताह में एक घंटे का भी रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार माना जाता है।

3. चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी (Current Daily unemployment)

इसमें संदर्भ सप्ताह के स्थान पर प्रतिदिन की स्थिति को देख जाता है। यदि संबंधित व्यक्ति को संदर्भ सप्ताह में 1 घंटे से अधिक और चार घंटे से कम का रोजगार मिलता है, तो यह आधे दिन का तथा चार घण्टे अथवा

अधिक का रोजगार मिलता है तो एक दिन का रोजगार माना जाता है। यह प्रक्रिया सप्ताह के सभी दिनों पर लागू की जाती है और बेरोजगारी के दिन निकाल लि जाते है। यह एक समय दर (Time Rate) है और तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है।

गरीबी

परिभाषा: - मनुष्य अपने जीवन की आवश्यक संसाधनों - वस्तुओं वं सेवाओं, आय एवं रोजगार की पूर्ति नहीं कर पाता है उस स्थिति को गरीबी कहा जाता है /

प्रकार: - गरीबी दो प्रकार की होती है।

1. निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty): - मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं कि पूर्ति के लिए अवशकीयक संसाधनों की न्यूनतम जरुरी मात्रा के अभाव को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं।
2. सापेक्ष गरीबी (RelativePoverty):- किसी देश की औसत आय/प्रति व्यक्ति आय की तुलना मे एक व्यक्ति विशेष के आय की कामों को उसकी सापेक्ष गरीबी कहते हैं।

भारत सरकार कि नीतिगत प्राथमिकता परम गरीबी को काम करने की रही है।

लॉरेंज सारणी:

(समय समय पर BPL रेखा का समायोजन करना चाहिए)

राष्ट्रीय आय मे अंशभागिता / आय वर्ग		राष्ट्रीय आय मे अंशभागिता	
		स्वतंत्र	**संचयी**
HIG 20%		46.1%	100.0%
M	UMIG 20%	19.2%	53.9%
I	MMIG 20%	15.0%	34.7%
G	LMIG 20%	11.6%	19.7%
LIG 20%		8.1%	8.1%

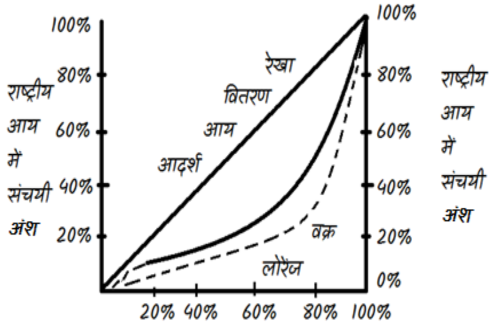

वर्ष 2000 -07 का आंकड़ा

(i) यदि पुराने रेखा के आपेक्ष नए लॉरेंज का वक्र नीचे हो गई है तो गरीबों का अंशदान और बंट गया है। अतः गरीबों मे वृद्धि हुई।

(ii) यदि लॉरेंज वक्र का अंतराल आदर्श आय वितरण रेखा से बढ़ता है तो विषमता बढ़ता है।

(iii) Bricks देशों में

I- आर्थिक विषमता काम है।

S- अधिक विषमता है।

- यदि आर्थिक संवृद्धि के साथ - साथ लॉरेंज वक्र कि ढाल ऊंची होती जाए तो ऐसी आर्थिक प्रगति को समावेशी आर्थिक समृद्धि कहते है।
- यदि आर्थिक संवृद्धि के साथ - साथ लॉरेंज वक्र कि ढाल काम होती जाए तो ऐसी आर्थिक परिवर्तन को गैर समावेशी आर्थिक संवृद्धि कहते है।

- भारत में 2006-07-2011-12 (11 वीं FYP) में गैर-आर्थिक समृद्धि दिखती है।

- More Rapid More inclusive and development Growth (12 FYP ka शीर्षक)
- Inclusive Growth (11 FYP का शीर्षक)

भारत मे गरीबी की माप -

भारत में निर्धनता का अध्ययंन सर्वप्रथम वर्ष 1870 में दादाभाई नौरोजी ने किया था, उन्होंने निर्धनता मापने के लिए ' जीवन के निर्वाह लागत ' सिद्धांत का प्रयोग किया था /

स्वंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में गरीबी का अध्ययन करने वाले सर्वप्रथम बी. एस. मिन्हास थे / उन्होंने ग्रामीणों के निर्धनता के प्रतिशत में कमी का संकेत वर्ष 1956 - 57 तथा 1967 - 68 में दिया गया था /

निर्धनता रेखाएँ							
विशेषज्ञ समूह	वर्ष	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय (रुपए में)		प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग (रुपए में)		अखिल भारतीय निर्धनता रेखा (पाँच व्यक्तियों के परिवार का औसत मासिक उपभोग व्यय) 9 रुपए में)	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
रंगराजन विशेषज्ञ समूह	2011–12	32.4	46.9	972	1407	4760	7035
	2009–10	26.7	39.9	801	1198	4005	5990
तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह	2011–12	27.2	33.3	816	1000	4080	5000
	2009–10	22.4	28.7	673	860	3365	4300

पी. डी. ओझा, प्रणव वर्धन ने ग्रामीण निर्धनता के अनुपात में वृद्धि पर अध्ययन प्रस्तुत किया ।

दांडेकर और रथ ने गरीबी की परिभाषा भोजन से प्राप्त ऊर्जा के भाव को अपनाया।

- ग्राम – 2400 Kcal, शहर में 2100 Kcal ऊर्जा गरीबी रेखा।

2400 Kcal
↓

चावल रोटी दाल

100 gm = 100 Kcal

100 = 200 Kcal

2.4 Kg X कीमत 2 रु.= 4.8 र. दैनिक

- दांडेकर ने गरीबी की मौद्रिक भाषा परिभाषा थी।
- 1978→ 721 रु. दैनिक

- गरीबी की मौत द्रिक परिभाषा के नवीनीकरण करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई की दर का उपयोग किया था।

कई विशेषज्ञ इस विधि की आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे गरीबी का सही आकलन नहीं हो पाता। वास्तिवकता से कम गरीबी नजर आती हैं। नरसिंह राव की सरकार ने इन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए गरीब की आकलन विधि में सुधार हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। जिसकी अनुशंसा 1993 में आ गया। चूंकि समिति का लकड़वाला थे इसलिए इसे लकड़वाला समिति भी कहते थे।

नीलकांत दांडेकर एवं पी. एम रथ ने ग्रामीण एवं रीय स्तर पर पर गरीबी का अध्ययन वर्ष 1960 – । एवं वर्ष 1967 – 68 में प्रस्तुत किया /**रंगराजन विशेषज्ञ समूह 2014 की रिपोर्ट के अनुसार निर्धनता अनुपात**	
सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाले राज्य	
राज्य	तिशत (%)
छत्तीसगढ़	47.9
मणिपुर	46.7
ओडिशा	45.9
सबसे कम निर्धनता अनुपात वाले राज्य	
गोवा	6.3
हिमाचल प्रदेश	10.9
केरल	11.3
सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाले केन्द्रशासित राज्य	
दादर एवं नगर हवेली	35.6
चंडीगढ़	21.3
दिल्ली	15.6
सबसे कम अनुपात निर्धनता वाले केन्द्रशासित राज्य	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.0
लक्ष्यद्वीप	6.5
दमन और दीव	13.7

समिति ने सिफारिश की कि –

i. आए विधि के स्थान पर उपयोग विधि का उपयोग किया जाए।
ii. गरीबी की मौद्रिक परिभाषा में समायोजन के लिए WPI आधारित महंगाई के आंकड़े के स्थान पर CPI आधारित महंगाई के आंकड़े का उपयोग किया जाए।
iii. पूरे देश के लिए गरीबी की एक ही मौद्रिक परिभाषा के वजह प्रत्येक राज्य में अलग-अलग मौद्रिक परिभाषा अपनाया जाए। गरीबी शहरी गरीब अलग अलग मौद्रिक परिभाषा अपनाई जाए।

उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान

• उत्तर प्रदेश राज्य का सामान्य परिचय

सामान्य परिचय

राज्य	उत्तर प्रदेश
राज्य का पूर्व नाम	संयुक्त प्रान्त
राज्य का पुर्नगठन	1 नवम्बर, 1956
राजधानी	लखनऊ
राज्य	24 जनवरी
क्षेत्रफल	2,40,928 किमी
राजभाषा	हिंदी (उर्दू दूसरी राजभाषा)
उच्च न्यायालय	इलाहबाद (लखनऊ में खण्डपीठ)
कुल मण्डल	18
कुल जिले/जनपद	75
विधान मण्डल	द्विसदनीय
विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या	99+1 (एंग्लो इण्डियन)=100
विधानसभा के सदस्यों की संख्या	403+1 (एंग्लो इंडियन) =404
लोकसभा के सदस्यों की संख्या	80
राज्य के सदस्यों की संख्या	31
प्रथम मुख्यमंत्री	श्री गोविंद बल्लभ पन्त
प्रथम राज्यपाल	श्रीमती सरोजनी नायडू
स्थिति एवं विस्तार -	भारत के उत्तर में 23 52 उत्तरी अक्षांश से 30 28 उत्तरी अक्षांश तथा 77 3 पूर्वी देशांतर से 84 39 पूर्वी देशांतर तक
सीमावर्ती राज्य एवं देश –	उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश: पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व् राजस्थान: दक्षिण में मध्यप्रदेश व् छत्तीसगढ़ और

	पूर्व में झारखण्ड, बिहार व नेपाल
आकर	लम्बवत
पूर्व से पश्चिम लम्बाई	650 किमी
उत्तर से दक्षिण चौड़ाई	240 किमी
राजकीय चिन्ह	मछली
राजकीय पुष्प	पलाश
राजकीय वृक्ष	अशोक
राजकीय पक्षी	सारस अथवा क्रोच
राजकीय पशु	बारहसिंगा
राजकीय खेल	हॉकी

प्राकृतिक प्रदेश

(i) तराई प्रदेश, (ii) गंगा-यमुना का मैदानी प्रदेश, (iii) दक्षिण का पठारी (iv)दक्षिण का पठारी प्रदेश

- **संस्कृति परम्पराएँ और सामाजिक**
- **व्यवहार, लोक नृत्य**

मेले, गीत एवं उत्सव

★ उत्तर प्रदेश में कुल 2,262 मेलों का आयोजन किया जाता है। सर्वाधिक मेले क्रमशः मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, झांसी और आगरा में लगते हैं।

★ प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आगरा, लखनऊ, और वाराणसी में महोत्सव मनाया जाते हैं।

★ हिंदू-मुस्लिम एकता की दृष्टि से आगरा में 'सुलह कुल' का आयोजन किया गया।

★ उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला (कुंभ मेला) प्रयाग में लगता है।

★ उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में लगते हैं।

★ रथ यात्रा मेला – वाराणसी में लगता है ।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में आयोजित किए जाने वाले मेले

मेले	नगर
• माघ मेला	इलाहाबाद
• दादरी मेला	बलिया
• राम बारात	आगरा
• रामनवमी मेला	अयोध्या
• ताज महोत्सव	आगरा
• नवरात्रि मेला	विंध्याचल (मिर्जापुर)
• कुंभ का मेला	प्रति 12 वर्ष में प्रयाग में
• अर्धकुंभी	प्रयाग के कुंभ के 6 वर्ष उपरांत (प्रति 12 वर्ष में) हरिद्वार में
• बटेश्वर	बटेश्वर (आगरा जिला) प्रतिवर्ष
• गढ़मुक्तेश्वर	गढ़ गंगा का मेला प्रतिवर्ष
• नौचंदीब	मेरठ में प्रतिवर्ष नौचंदी मेला
• दशहरा	आगरा-मथुरा (वैसे यह सर्वत्र मनाया जाता है)
• लट्ठमार होली	नंद गांव के निकट बरसाना (मथुरा) में प्रतिवर्ष होली पर
• बल सुंदरी देवी	अनूपशहर
• कंपिल	बांदा
• देवीपाटन	गोंडा
• श्रावडी व जन्माष्टमी	मथुरा

- नवरात्रि मेला — आगरा
- कैलाश मेला — आगरा (सावन के तीसरे सोमवार को प्रतिवर्ष)
- गणगौर मेला — आगरा में
- क.हरिदास जयंती — वृंदावन में प्रतिवर्ष
- देव मेला — बाराबंकी
- मकनपुर मेला — कानपुर देहात
- सैयद सालार — बहराइच
- ढाईघाट — शाहजहांपुर
- अयोध्या — फैजाबाद
- नैमिषारण्य — सीतापुर
- गोला गोकरननाथ — खीरी

उत्सव

★ हिंदू द्वारा होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, हनुमान जयंती, करवाचौथ, गणेश चतुर्थी, गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, अनंत चतुर्दशी, नाग पंचमी, गोवर्धन पूजा, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, शिवरात्रि आदि उत्सव मनाते हैं।

★ उत्तर प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर 'लट्ठमार होली' का आयोजन बरसाना में किया जाता है।

★ अयोध्या परिक्रमा का आयोजन राम जन्मभूमि (अयोध्या) में किया जाता है।

★ सिख धर्म के अनुयाई गुरु नानक जयंती गुरु गोविंद सिंह जयंती लोहड़ी आदि बनाते हैं।

★ बौद्ध धर्म के अनुयाई बुद्ध पूर्णिमा आदि बनाते हैं।

★ जैन धर्म के अनुयाई महावीर जयंती आदि बनाते हैं।

★ मुस्लिम धर्म के लोग ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मोहर्रम, रमजान, बारावफात शब-ए-बरात मनाते हैं।

★ ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस, गुड फ्राईडे, ईस्टर, नववर्ष मनाते हैं।

लोकगीत

★ उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख गीत है- आल्हा, रसिया, कजरी, ढोला, बिरहा, चैती, पूरन भगत, भर्तहरि, होली गीत आदि जाते हैं।

15 संग्रहालय एवं अकादमियाँ

★ संग्रहालय सांस्कृतिक संपदा, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का केंद्र है, जहां प्राचीन कलाकृतियों को संग्रहित किया जाता है।

★ 31 अगस्त, 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के रूप में स्थापना की गई। इससे पूर्व समस्त संग्रहालय संस्कृत निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित होते थे।

★ उत्तर प्रदेश में लगभग 70 संग्रहालय हैं। इनमें राजकीय संग्रहालय, लखनऊ प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1863 ई. की गई थी।

राज्य संग्रहालय, लखनऊ

★ इस संग्रहालय की स्थापना 1863 ई. में की गई थी।

★ इस संग्रहालय के संकलन में लगभग एक लाख से अधिक कलाकृतियां हैं।

राजकीय संग्रहालय, मथुरा

★ इसकी स्थापना 1874 ई. में की गई थी। 1912 ई. में सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया।

★ यह एक पुरातत्व संग्रहालय है। इसमें 5,000 पुरातन वस्तुओं का संग्रह है।

★ इस संग्रहालय को कुषाणकालीन कला का सर्वोत्तम संग्रह माना जाता है।

राजकीय संग्रहालय, झांसी

★ इस संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा 1978 ई.की झांसी में की गई थी।

अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, अयोध्या (फैजाबाद)

★ इस संग्रहालय की स्थापना 1988 ई. में अयोध्या में की गई थी।

★ इस संग्रहालय में रामकथा विषयक चित्रों, मूर्तियों, अयोध्या परीक्षेत्र के पुरावशेष व दुर्लभ सांस्कृतिक संपदा आदि का संग्रह है।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर

- इस संग्रहालय की स्थापना 1988 ई. में की गई थी।
- इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से संबंधित विविध पक्षों का प्रदर्शन, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है।

लोक कला संग्रहालय, लखनऊ

- इस संग्रहालय की स्थापना 1989 ई. में की गई थी।
- यह संग्रहालय प्रदेश में प्रचलित समस्त लोक कलाओं का प्रदर्शन संरक्षण एवं प्रचार- प्रसार के उद्देश्य किया गया है ।

जनपदीय संग्रहालय, सुल्तानपुर

- इस संग्रहालय की स्थापना 1989 ई. में की गई थी।

- यह संग्रहालय जनपद से प्राप्त पुरा संस्थाओं के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, कुशीनगर

- इस संग्रहालय की स्थापना 1995 ई. में उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा की गई थी।
- इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से संबंधित संग्रहित वस्तुएं तथा मूर्तियां है।

राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, कन्नौज

- इस संग्रहालय की स्थापना 1996 में की गई थी।
- यह संग्रहालय मौखरी, वर्धन, प्रतिहार कलाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए उद्देश्य स्थापित किया गया।

राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ

- इस संग्रहालय की स्थापना 1996 ई.में की गई।
- इस संग्रहालय में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित प्राप्त तत्कालीन प्रचलित अस्त्र-शस्त्र संगठित हैं।

राजकीय जैन संग्रहालय, मथुरा

- इस संग्रहालय की स्थापना 2003 ई. में की गई।
- जैन कलाकृतियों का सबसे प्राचीनतम केंद्र होने के कारण जैन कलाकृतियों को प्रदर्शित संरक्षित है प्रचार-प्रसार हेतु स्थापित किया गया है

अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, रामपुर

- इन संग्रहालय की स्थापना सन 2004 में की गई।
- इस संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य भारत के संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर से संबंधित सभी प्रकार की सामग्रियों को संकलित करना है।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय पीपरहवाँ (सिद्धार्थनगर)

- बौद्ध धर्म का प्राचीनतम केंद्र होने के कारण बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन हेतु इस संग्रहालय की स्थापना की कई गई।

राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद

- यह संग्रहालय निर्माणाधीन है।
- यह संग्रहालय प्राचीन बौद्ध पुरास्थल कोंपिल, संकिसा से प्राप्त प्राचीन कलाकृतियां एवं पुरावशेषों के संकलन एवं समर्थन हेतु स्थापित किया जा रहा है।

अन्य संग्रहालय

- इस संग्रहालय में तीसरी शताब्दी पूर्व से 12वीं शताब्दी तक की पुरातन वस्तुएं रखी हुई हैं।
- इस संग्रहालय की स्थापना 1957 ई. में मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट द्वारा की गई थी।

- इसकी स्थापना 1928 ई. में की गई थी
- इस संग्रहालय की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जी राय कृष्ण दास जी की नीजी संग्रहालय से की गई थी।
- इस संग्रहालय में मुहरें, सिक्के, मनके, मृदापात्र पांडुलिपियों आदि का संग्रह है ।

अकादमियाँ

भातखंडे संगीत संस्थान, समविश्वविद्यालय, लखनऊ

- शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए सुविख्यात इस महाविद्यालय की स्थापना 1926 ई.में मेरिट कॉलेज के नाम से हुई।
- बाद में मैरिस कॉलेज का नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया।
- 26 मार्च, 1996 ई. को इसे सरकार ने अपने आधिपत्य में ले लिया।
- 24 अक्टूबर, 2002 ई. को विश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहली तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया।

राज्य कला अकादमी, उत्तर प्रदेश

- इस अकादमी की स्थापना 8 फरवरी, 1962 ई. को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुई थी।

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ

- इस अकादमी की स्थापना 13 नवंबर, 1963 ई. को की हुई थी।
- यह अकादमी पिछले 50 वर्षों से संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोकनाट्य की परंपराओं के प्रचार -प्रसार संवर्धन एवं परिरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

भारतेंदु नाट्य अकादमी, लखनऊ

- इस अकादमी की स्थापना 1975 ई. में की गई थी।

- इस संस्था में नाटयकला कला के विभिन्न पक्षों अभिनय, निर्देशन, रंग, तकनीक आदि में गहन प्रशिक्षण देकर दो वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है।

जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, लखनऊ

- उत्तर प्रदेश के जनजातीय एवं लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना 1960 ई. में की गई थी।
- इस संस्थान द्वारा लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को मंच प्रदान करना है।

राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ

- राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृत विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में 1988-89 ई. में की गई थी।
- संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं को अभिलेखीकरण, कथक नृत्य का संवर्धन एवं कथक संग्रहालय की स्थापना है।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतज्ञ

- तबला वादक : पंडित राम सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित सामता प्रसाद उर्फ गुदई, शरद महाराज, पंडित रामजी मिश्र
- सितार वादक : पंडित रविशंकर
- बांसुरी वादक : पंडित हरिप्रसाद चौरसिया
- शहनाई वादक : उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ
- वायलिन वादक : पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, डॉ. एंन. राजम्
- सारंगी वादक : पंडित गोपाल जी मिश्र
- पंखावज वादक : कुदऊ सिंह

चित्रकला विषयक तथ्य

- उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में 'कला एवं शिल्प महाविद्यालय', लखनऊ का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना 1911 ई. में की गई है।
- 1973 ई. में कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ को लखनऊ विश्वविद्यालय के कला संकाय के रूप में मान्यता दे दी गई।
- सन् 1920 ई. की में भारत में स्थापित 'भारत कला परिषद' का भी प्रदेश में चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।
- 'ललित कला का अकादमी' लखनऊ की स्थापना 1962 ई. में की गई।
- सन 1976 ई. में वाराणसी में 'वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी' की स्थापना की गई।
- 'भारत कला भवन' काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना सन् 1950 ई. में की गई।,'भारत कला भवन' देश में चित्रकारी के विशालतम संग्रहालयों में से एक है।
- रमेश चंद्र साथी, नित्यानंद, चमन सिंह 'चमन' तथा सुरेंद्र बहादुर इत्यादि प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं।
- प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में चित्रकला में स्नातक पाठ्यक्रम से लेकर शोध उपाधि तक की व्यवस्था है इनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, दयालबाग, मेरठ, बरेली और गोरखपुर विश्वविद्यालयों के नाम प्रमुख हैं।
- प्रदेश में कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के उद्देश्य से 'संस्कृति शिक्षा परिषद' का गठन किया गया है।

प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैलियां

- **कंदरा शैली अथवा मिर्जापुर शैली** - मिर्जापुर की गुफाओं के चित्रों को प्रागैतिहासिक शैली में पृष्ठभूमि के अभाव में ही भावों तथा घटनाओं को रेखा के माध्यम से चित्रित किया गया है।
- **मथुरा अथवा ब्रज शैली** - इस शैली से समृद्ध पृष्ठभूमि पर प्रेम, प्रकृति एवं भावात्मक अभिव्यक्ति को जीवंतता प्रदान की जाती है।
- **बुंदेली शैली** - चित्र में रिक्त स्थान को भरने चित्रांकित पृष्ठभूमि पर चित्रित क्षेत्रों में एक गहराई का आभास कराया जाता था।
- **आगरा अथवा मुगल शैली** - इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक चित्रों में एक और के दृश्य अथवा छवि को चित्रित किया जाता है तत्पश्चात भवनों,

व्यक्तियों, सौंदर्य तथा युद्ध एवं शिकार आदि के चित्रों में 'कार्यवाही' को प्रमुखता दी जाती है।

- **मिश्रित शैली** - इस शैली के चित्रों में पुरातन एवं आधुनिकतम शैलियों के मिश्रित रूप में चित्रकारी की जाती है

लोकगीत

- उत्तर प्रदेश में हिंदी तथा उसकी सहायक भाषाओं में लोक गीतों के गायन की परंपरा प्रचलित है। प्रदेश के अंतर्गत लोकप्रिय लोकगीत निम्नलिखित हैं -

1. बिरहा, 2. चैता, 3. रसिया, 4. कजरी, 5. आल्हा, 6. ढोला, 7. भर्तहरि और 8. पूरन भगत आदि।

1. **बिरहा** - यह पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायक परंपरा है, जिसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना का वृतांत गीत रूप में गाया जाता है, इसमें अधिकांशतः वीर रस के गीत गाए जाते हैं। इसमें गायक लोक वाद्य के रूप में 'करताल' का प्रमुखता से उपयोग करते हैं।
2. **आल्हा** - यह बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध वीर रस कथा 'आल्हा' के लयबद्ध गायन की प्रसिद्ध शैली है। इस वीर रस में कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है।
3. **चैता** - यह एक प्रकार का ऋतु गीत है, जिसे फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। इन गीतों में प्रेम की अनुभूति को व्यक्त किया जाता है।
4. **रसिया** - यह ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायक परंपरा है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण की उपासना विभिन्न तरीकों से की जाती है। इन गीतों में आध्यात्मिक तथा भौतिक भक्ति भावों को प्रदर्शित किया जाता है।
5. **कजरी** - यह सावन के महीने में गाए जाने वाला मधुर लोकगीत है, जिसे मुख्यतः महिला द्वारा गाया जाता है। कजरी का विशेष क्षेत्र मिर्जापुर वाराणसी में है।

प्रमुख लोक नृत्य

- **नौटंकी** - उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य 'नौटंकी' है, जिसका मूल्य स्वरूप विधि नाटक का है। इसमें हाथरसी तथा कानपुरी नाट्य शैलियों द्वारा संवाद, गायक एवं लोक नृत्य के माध्यम से लोक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है।
- **धोबिया राग** - यह धोबी जाति का नृत्य है, जिसमें एक नर्तक धोबी तथा दूसरा नर्तक उसका गधा बनता है।
- **धोबिया नाच** - इसमें कच्ची घोड़ी पर सवार होकर एक नर्तक अन्य नर्तकों के मध्य विलक्षण मुद्राएं प्रदर्शित करते हुए नृत्य करता है। इसका आयोजन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है।
- **धुरिया समाज** - इसके तहत बुंदेलखंड क्षेत्र की कुम्हार जाति के नर्तक पुरुषों द्वारा स्त्री रूप धारण करके महिला भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करते हुए गायन नृत्य प्रस्तुत किया जाता है।
- **पाई डंडा** - गुजरात के 'डांडिया रास नृत्य' के समान ही बुंदेलखंड के अहीर जाति के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से 'पाई डंडा' नृत्य किया जाता है।
- **दीपावली** - यह दीपावली के शुभ अवसर पर बुंदेलखंड के अहीर जाति नर्तकों द्वारा किया जाने वाला खेल जैसा नृत्य है।
- **ख्याल** - यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है इसके तहत नर्तक अपने ऊपर रंग-बिरंगे कागजों व बांस के मंदिरों को रखकर बुंदेली गायन नृत्य करते हैं।
- **कत्थक नृत्य** - यह नृत्य उत्तर प्रदेश की देन है। यह नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था।
- **शेरा** - यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों द्वारा फसल की कटाई के समय हर्षोल्लास प्रकट करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है।
- **राई** - यह बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का 'मयूर नृत्य' है जिसे मुख्यतः कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है।
- **नटवरी** - पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों तथा यादवों में प्रचलित यह नृत्य संगीत एवं नक्कारों की लय पर खेल मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए किया जाता है।

- **धीवर राग** - धीवर अर्थात कहार जाति द्वारा किया जाने वाले यह गायन नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है।
- **कलाबाजी** - अवध क्षेत्र के इस नृत्य में नर्तक कच्ची घोड़ी पर सवार होकर तथा 'मोर बाजा' (विण्ड पाइप) लेकर कलाबाजी करते हुए नृत्य करता है। इस नृत्य में कलाबाजी की प्रमुखता होने के परिणाम स्वरुप ही इसको 'कलाबाजी' नाम किया गया है।
- **पासी नाच** - युद्ध के अभिनय के रूप में अभिनीत यह नृत्य गीत पासी जाति द्वारा किया जाता है। इसमें सात पृथक मुद्राओं को एक गीत एवं लय में प्रस्तुत किया जाता है।
- **जोगिनी** - साधु बेस धारी स्त्री पुरुष नर्तकों तथा साधु वेशधारी पुरुष नर्तकों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला है यह नृत्य अवध क्षेत्र में राम नवमी के अवसर पर किया जाता है ज्ञातव्य है कि पहले इस नृत्य में स्त्रियां भी भाग लेती थी, लेकिन अब उनका अभिनय भी स्त्री रूप धारण करके पुरुषों द्वारा ही किया जाता है।
- **चरकुला** - यह नृत्य ब्रजभूमि में रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर किया जाता है। इसे ब्रजभूमि का घड़ा नृत्य भी कहते हैं।
- **देवी** - देवी पूजा के जाते समय एक नर्तक द्वारा 'देवी' की भूमिका अभिनीत करते हुए किया जाने वाला यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है।
- **कार्तिक** - बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित 'कार्तिक गीत नृत्य' में नर्तकों द्वारा श्रीकृष्ण तथा गोपियों का रूप धारण करके नृत्य गायन के माध्यम से उनके संबंधों का वर्णन किया गया है।

• पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल

प्रयागराज -

- प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। गंगा एवं यमुना के संगम पर स्थित इस नगर को हिन्दू तीर्थों के रजा के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर हर 12 वर्ष के अन्दर कुम्भ और हर छः वर्ष में अर्द्ध कुम्भ तथा हर वर्ष माघ मेले का आयोजन किया जाता है। इसलिए इस नगरी को संगम नगरी कुम्भ नगरी या तीर्थराज भी कहते हैं।
- अकबर ने कौशाम्बी स्थित अशोक स्तम्भ को प्रयाग में अपने किले में स्थापित करवाया था। जिस पर हरिषेण रचित गुप्तवंशीय समुद्रगुप्त का भी लेख उत्कीर्ण है।
- अकबर ने प्रयाग की पुनस्थापना कर 1554 में इसे इलाहाबाद नाम दिया।
- हर्षवर्धन प्रति पांचवें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद् का आयोजन करता था।
- प्रयागराज को सभी हिन्दू तीर्थों के राजा होने का सम्मान प्राप्त है।
- प्रयागराज में आनन्द भवन और चंद्रशेखर पार्क भी स्थित हैं। आनन्द भवन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु के निवास स्थान का नाम है।
- चन्द्रशेखर पार्क (पूर्व नाम अल्फ्रेड पार्क) वो स्थान है जो जहां पर क्रन्तिकारी चन्द्रशेखर ने ब्रिटिश पुलिस का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी।

काशी

- काशी को वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित यह नगर विश्व के पुरातन नगरों में से एक है। इस नगर का धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है।
- काशी वरुणा व अस्सी नामक दो नदियों के मध्य स्थित होने के कारण वाराणसी भी कहा जाता है। इसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है।
- जैन धर्म के 6 वें और 23 वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ व पार्श्वनाथ का जन्म यही काशी में हुआ था।
- काशी से 15 किमी.पूर्व स्थित चन्द्रपुरी नामक स्थान पर 8 वें जैन तीर्थंकर चंद्रप्रभु का जन्म हुआ था। जबकि सिंहपुर (वर्तमान सारनाथ) में 11 वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था।
- यहाँ के प्रमुख दर्शनीय मन्दिर व् स्थल हैं - विश्वनाथ (अहिल्याबाई होल्कर निर्मित)संकट मोचन, दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर अन्नपूर्णा मंदिर साक्षी विनायक और पांच रत्न आदि हैं।
- वाराणसी को उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवन्त नगर भी कहते हैं।

अयोध्या –

- पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या को श्रीराम की जन्मस्थली माना जाता है । सरयू नदी के तट पर स्थित इस नगरी में जैन धर्म के भी कई तीर्थंकरों का जन्म हुआ है ।
- इनमे पहले तीर्थंकर आदि नाथ या ऋषभ देव, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, चौथे तीर्थंकर अभिनन्दन नाथ, पाँचवें तीर्थंकर सुमितनाथ और 14 वें तीर्थंकर अनन्तनाथ शामिल हैं ।
- 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ का जन्मस्थान रतनपुरी भी अयोध्या के निकट ही स्थित है ।
- अयोध्या का प्राचीन नाम अयोज्सा था । यह स्थान भारत की सप्तपुरियों में से एक माना जाता है ।
- महाजनपद काल में अयोध्या कोशल जनपद की राजधानी थी । उस समय पर इसे साकेत कहते थे ।
- कनक भवन, सीताकुण्ड, मणि पर्वत, हनुमानगढ़ी, राम की पौड़ी, राम कथा संग्रहालय आदि अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं ।

हस्तिनापुर –

- यह नगरी मेरठ से 37 किमी. दूर है । इसके पुरातात्विक स्थलों से मृदभांड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य मिले है । इसकी स्थापना हस्तिन नामक राजा ने की थी ।
- महाभारत युग में यह कौरवों राजधानी थी ।
- वर्तमान में जैन धर्म के लोगों के लिए हस्तिनापुर एक आस्था का केन्द्र बना हुआ है । जैन मान्यताओं के अनुसार 16 वें 17 वें और 18 वें जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली और दीक्षास्थली हस्तिनापुर ही थी । इस कारण हस्तिनापुर को जैनियों की काशी माना जाता है ।
- हस्तिनापुर में ही राजा श्रेयांस ने आदि तीर्थंकर ऋषभदेव को इक्षुरस दान किया था इसी कारण हस्तिनापुर को दान तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है । कार्तिक पूर्णिमा को हस्तिनापुर में मेला लगता है ।

मथुरा

- पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रीकृष्ण का जन्म स्थान मथुरा है । इसे कृष्ण नगरी या पण्डों की नगरी भी कहते हैं ।
- छठी शताब्दी ईसा पू. 16 महाजनपदों में शूरसेन महाजनपद भी शामिल था । जिसकी राजधानी मथुरा थी । मथुरा नगरी यमुना नदी के तट पर स्थित हैं ।

आगरा –

- आगरा की स्थापना 1504 ई. में लोदी वंश के सुल्तान सिकन्दर लोदी ने की थी । बाबर से लेकर औरंगजेब तक आगरा मुगलों की राजधानी थी । आगरा को ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है । आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है ।
- दुनिया के अजूबों में शामिल ताजमहल आगरा में स्थित है । ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था । ताजमहल का वास्तुकार बुस्ताद ईशा खां था ।
- ताजमहल की चमक SO_2 (सल्फर डाइ-ऑक्साइड) तथा N_2O (नाइट्रस ऑक्साइड) की अम्ल वर्षा के कारण फीकी पड़ती जा रही है ।
- आगरा के दर्शनीय स्थलों में एत्मादुद्दौला का मकबरा, आगरा का किला, मोती मस्जिद जहाँगीरी महल, अकबरी महल आदि शामिल है ।

लखनऊ –

- वर्तमान में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है । इस शहर को नवाबों का शहर बागों का शहर या नफासत का शहर भी कहा जाता है ।
- लखनऊ का सम्बन्ध रामायण काल से माना जाता है । यह मान्यता है की इस नगरी को श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने बसाया था । इस नगर का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था । यहाँ पर एक प्राचीन टीला भी है जिसकी पहचान लक्ष्मण टीला के नाम से जाना जाता है ।
- लखनऊ को विशेष पहचान या प्रसिद्धि उत्तर मुगलकाल में तब मिली जब अवध के सूबेदार सआदत खां ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की ।
- यहाँ के नवाबों ने अनेक भवनों दरवाजों आदि का निर्माण करवाया था । आस्फुद्दौला ने ने रूमी दरवाजा, इमामबाड़ा, आसफी मस्जिद, दौलत खाना, राजीडेंसी, बिटियापुर कोठी और चौक बाजार का निर्माण करवाया ।
- प्रसिद्ध छत्तर मंजिल का निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया, जिसमें अब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है ।

कन्नौज –

- कन्नोज का प्राचीन नाम कन्याकुब्ज था । इसका वर्णन टॉलेमी की पुस्तक द ज्योग्राफी में है ।
- प्राचीन समय में समृद्धि के कारण कन्नोज को महोदया के नाम से जाना जाता था । बाद में कन्नोज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष भी चला यहाँ प्रतिहार शासकों ने भी शासन किया था ।
- जयचन्द गहडवाल का किला और क्षेमकली देवी का मन्दिर यहाँ के प्रमुख स्थल हैं । कन्नोज में इत्र का कार्य बड़े पैमाने पर होता है । इसलिए इसे इत्र के लिए प्रसिद्ध नगरी या खुशबुओं का नगर भी कहते हैं ।

कपिल वस्तु –
- कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश से सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरहवा से की गई है । यह स्थान सिद्धार्थ नगर शहर से लगभग 20 किमी. की दूरी पर नेपाल सीमा के पास स्थित है । बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी ।
- बुद्ध के 8 बौद्ध स्तूपों में से एक यहाँ स्थित था । स्तूप के भीतर से एक मंजूषा भी प्राप्त हुई है । जिस पर स्पष्ट अंकित है की इसका निर्माण शाक्य वंशियों ने करवाया था ।

कुशीनगर –
- कुशीनगर का सम्बन्ध भी गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। इस स्थान को कुशीनगर के नाम से भी जाना जाता है ।
- बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था । इसी कारण यहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है । जिसमें बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा (भू-स्पर्श मुद्रा) में 6 मीटर से भी लम्बी प्रतिमा है ।

कौशाम्बी –
- यह स्थान प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम 60 किमी. की दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित था । महाजनपद युग में यह वत्स जनपद की राजधानी थी जहाँ का राजा उदयन था । यहाँ से कुषाण शासकों यथा विम कड्फिसेस व कनिष्क के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं । राजा उदयन किला अवशेष, घोषितराम- विहार अवशेष दिगम्बर जैन मन्दिर आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं ।

लुम्बिनी –
- गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था । जो कि महाराजगंज जिले के नौतनवा स्टेशन से 15 किमी. की दूरी पर नेपाल में स्थित है । वर्तमान में इसे रुम्मिनदेई कहा जाता है । अशोक ने अपने 20 वें वर्ष इस स्थल की यात्रा किया थी ।

फतेहपुर सिकरी –
- फतेहपुर सिकरी आगरा से 40 किमी. की दूरी पर स्थित है । 1573 ई. से 1588 ई. तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी ।
- फतेहपुर सिकरी को अकबर द्वारा ज्यादा महत्व दिए जाने का कारण वहाँ जहाँगीर का जन्म एवं सलीम चिश्ती का निवास स्थान का होना है ।
- यहाँ बुलन्द दरवाजा, शेख सलीम चिस्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, मरियम महल, पंचमहल बीरबल का महल जामा मस्जिद आदि स्थित है ।

श्रावस्ती –

श्रावस्ती जिले में सहेत-महेत नामक स्थान को ही अतीत का श्रावस्ती माना जाता है । प्राचीनकाल में यह स्थान कोशल महाजनपद की दूसरी राजधानी थी ।

बुद्ध ने यहाँ जीवन के 25 वर्ष बिताए थे । तीसरे जैन तीर्थंकर सम्भवनाथ का जन्म स्थान भी श्रावस्ती को ही माना जाता है ।

जेतरण विहार, स्तूप, आनन्दबोधि वृक्ष, अंगुलिमाल गुफा, विश्वशांति घंटा आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं ।

कुरु –
- महाभारत काल में यह एक प्रसिद्ध राज्य था, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी ।
- महाजनपद काल में भी यह एक प्रमुख जनपद था ।

महोबा –
- 831 ई. में चन्देल राजपूतों ने महोबा को अपनी राजधानी बनाई थी ।
- चन्देलों का राज्य जेजाकभुक्ति (जुझौती) के नाम से प्रसिद्ध था ।
- किरत सागर चन्देल कालीन स्मारक व् गोखर पहाड़ी पर 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं ।

झाँसी –

- झाँसी एक मध्य कालीन नगर है जिसकी स्थापना 1613 ई. में ओरछा शासक वीर सिंह बुन्देला ने की थी ।
- 1713 ई. में ओरछा शासक छत्रसाल और पेशवा बाजीराव के बीच युद्ध हुआ था ।
- देवगढ़ ललितपुर जिले में बेतवा के किनारे देवगढ़ (देवताओं का किला) हिन्दुओं और जैनियों ,दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है । इस स्थान से गुप्तकालीन हिन्दू मन्दिर एवं मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं । इनमें विष्णु का दशावतार मन्दिर सर्वाधिक उल्लेखनीय है ।
- 1857 ई.की क्रांति में रानी लक्ष्मी बाई ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ झाँसी से ही बिगुल फूँका था ।
- महादेव मन्दिर मेहन्दी बाग और लक्ष्मीबाई का महल जैसे ऐतिहासिक स्थल यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं ।

बिठूर –

- बिठूर कानपूर से 24 किमी. दूर गंगा नदी के किनारे स्थित है । इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवत तीर्थ ख जाता था । महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में ही था । झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन भी बिठूर में ही बीता था यह स्थान नाना साहेब की कर्मस्थली रहा था । इसका प्राचीन नाम उत्प्लावन है ।

देवगढ़ –

- ललितपुर जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित देवगढ़ हिन्दू और जैन धर्म के लोगों की आस्था का प्रमुख केन्द्र है । यहाँ 31 जैन मन्दिरों का समूह है । गुप्तकालीन विष्णु के दशावतार मन्दिर और सिद्ध की गुफा, राजघाटी और नाहरघाटी यहाँ के प्रमुख केन्द्र हैं । इस स्थान से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्ण लिपियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं ।

सारनाथ –

- बौद्ध सम्प्रदाय एवं मौर्यकाल से सम्बद्ध यह प्राचीन स्थल वाराणसी से 12 किमी. उत्तर में स्थित है । जिसको पहले ऋषिपतनम नाम से जाना जाता था ।
- बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था । बौद्ध धर्म में यह घटना धर्म चक्रप्रवर्तन कहलाती है । यह स्थल बौद्ध सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिए आस्था का केन्द्र है ।
- मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तम्भ बनवाया था ।
- गुप्तकालीन धमेख स्तूप, बौद्ध, जैन व सारंगनाथ मन्दिर मृगदाव पक्षी विहार के अतिरिक्त कोरियाई-जापानी थाई-चीनी बौद्ध मन्दिर भी सारनाथ में स्थित हैं । फाह्यान भी सारनाथ की यात्रा पर आया था ।

सिकन्दरा –

- आगरा के समीप स्थित सिकन्दरा मुगल बादशाह अकबर के मकबरे के कारण प्रसिद्ध है ।

कड़ा –

- कौशाम्बी में यह किला स्थल है । अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का सूबेदार था । इसी स्थान पर वह अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बना था ।
- अकबर के खिलाफ विद्रोह करने के बाद शहजादे सलीम जहाँगीर ने यहाँ शरण ली थी । संत कवि मलूकदास का जन्म यहीं हुआ था ।
- कड़ा क्षेत्र में ही सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी ।

गढ़वा –

- प्रयाग जिले में अवस्थित गढ़वा से कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त का एक लेख प्राप्त हुए हैं ।

मगहर –

- संत कबीर जिले में स्थित मगहर संत कबीर का महाप्रयाग स्थल है । कबीरदास की समाधी स्थल के करीब ही उनके पुत्र कमाल की भी समाधि है ।

प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल

शाकुम्भरी देवी –

सहारनपुर के निकट यह स्थान हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र है । यहाँ शाकुम्भरी देवी का मन्दिर स्थित है ।

मिश्रिख –

सीतापुर के निकट स्थित यह स्थान महर्षि दधीचि के आश्रम के लिए जाना जाता है ।

चित्रकूट –
रामायण में उल्लेखित इस स्थान पर वन गमन के दौरान श्रीराम ने विश्राम किया था । यहाँ पर्णकुटी, कामदगिरी, मन्दाकिनी, नदी और विभिन्न घाट स्थित हैं ।

खंजवा –
प्रयागराज के निकट यह स्थल औरंगजेब और शाहशुजा के बीच हुए युद्ध के लिए जाना जाता है ।

ददरी –
बलिया जिले में स्थित ददरी में कई धार्मिक महत्व के स्थान हैं । यह स्थान विशेष रूप से भृगु ऋषि के मन्दिर और दरदर मुनि की तपोभूमि के लिए जाना जाता है ।

बरन –
बुलन्दशहर का प्राचीन नाम बरन था । इस स्थान को इतिहास में जियाउद्दीन बरनी के निवास स्थान और कई युद्धों के लिए जाना जाता है ।

नैमिषारण्य –
सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य को महर्षि दधीचि की तपस्थली और 88 हजार ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है । मान्यता है की यहाँ 60 हजार मुनियों की सभा में सम्पूर्ण महाभारत का वाचन हुआ था ।

देवरिया –
देवरिया के अन्दर सोमनाथ का मन्दिर अवस्थित है ।

कम्पिल –
तीर्थ स्थान जैन धर्म के प्रवर्तक तेरहवें तीर्थंकर भागवान विमलनाथ, महासती, द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है । द्रौपदी का स्वयंवर यहीं हुआ था । यहीं के प्रसिद्ध स्थानों में मुगलघाट औरंगजेब राजा ध्रुपद किला, कपिल मुनि का आश्रम काल्पेश्वरनाथ मन्दिर, रामेश्वरधाम मन्दिर, जैनश्वेताम्बर मन्दिर जैन दिगम्बर मन्दिर, द्रौपदी कुण्ड आदि मुख्य हैं ।

संकिसा -
फर्रुखाबाद के पास स्थित संकिसा बौद्ध काल का प्रसिद्ध नगर है । बुद्ध ने संकिसा में ही पहलीबार स्त्रियों को संघ में प्रवज्य की अनुमति दी थी । यहाँ पर से सम्राट अशोक का गज स्तम्भ भी प्राप्त हुआ है ।

देवीपाटन –
बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में स्थित इस स्थान पर पाटेश्वरी देवी का मन्दिर स्थति है ।

काकण्डी –
इस स्थान पर 9 जैन तीर्थंकर सुविधिनाथ का जन्म हुआ था । काकण्डी देवरिया जिले में स्थित है ।

सोरों –
कासगंज स्थित सोरों का धार्मिक महत्व है । इस स्थान पर श्री बटुकेश्वरनाथ मन्दिर, राजा भागीरथ की तपश्या श्री, सीताराम व वाराह भगवान मन्दिर स्थित हैं । कासगंज स्थित पटयाली को अमीर खुसरो के जन्म स्थान के लिए भी जाना जाता है ।

श्रृंगीरामपुर –
यह स्थान फर्रुखाबाद जिले में स्थित है इस स्थान का विशेष महत्व श्रृंगी ऋषि के मन्दिर और गंगा मेले के कारण है ।

चुनार –
चुनार विन्ध्य पहाड़ी क्षेत्र में गंगानदी के तट पर मिर्जापुर जिले में स्थित है । वर्तमान में यहाँ किला भृतहरि मन्दिर, वल्लभ सम्प्रदाय का कूप मन्दिर आदि स्थति हैं । मध्य काल में सामरिक महत्व के कारण यह स्थल सदैव चर्चित रहा है ।

गोला – गोकर्णनाथ –
लखीमपुर खीरी के पास स्थित गोला गोकर्णनाथ महादेव मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है । यह स्थान नाथ सम्प्रदाय की आस्था का केन्द्र है । यहाँ पर एक विशाल झील भी स्थित है ।

गाजीपुर –
इसका प्राचीन नाम गाधिपुर है । सैयद मसूद गाजी ने इस स्थान को गाजीपुर के नाम से पहचान दी थी । विश्व का सबसे बड़ा अफीम कारखाना गाजीपुर में ही है । लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा भी गाजीपुर में ही स्थित है ।

कामाख्या धाम यहाँ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। गाजीपुर को काशी की बहन भ कहा जाता है।

बहराइच –

यहाँ सैयद सालार और मसूद गाजी की दरगाह है। यहाँ प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है।

देवबन्द –

सहारनपुर में स्थित यह स्थल दारुल उलूम और दुर्गा मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है।

सीतापुर –

सती अनुसूइया और महर्षि अत्री के आश्रम सीतापुर में स्थित हैं। इसके आलावा यह स्थान जानकी कुण्ड, राम-लक्ष्मण सीता के विश्राम स्थल स्फटिक शिला के लिए प्रसिद्ध है।

संभल –

यहाँ पहले मुगल शासक बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। जिसको जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है।

सामूगढ़ –

यह स्थान आगरा के पास स्थित है। इस स्थान पर सत्ता के लिए औरंगजेब और दाराशिकोह के बीच युद्ध हुआ था।

हुलास –

हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से उत्तर हड़प्पा युग से सम्बद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं।

शुक्रताल –

मुजफ्फरनगर जिले में स्थित शुक्रताल में शुक्राचार्य ने भागवत कथा का वाचन किया था। यहाँ प्रसिद्ध गंगा मेले का भी आयोजन किया जाता है।

गोरखपुर -

यह स्थान बाबा गोरखनाथ मन्दिर और नाथ सम्प्रदाय की सिद्धपीठ के लिए प्रसिद्ध है।

असहयोग आन्दोलन के दौरान इसी जिले में 5 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा नामक स्थान पर आन्दोलनकारियों ने 22 पुलिस कर्मियों को जिन्दा जला दिया था। इस पर गाँधी जी ने असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया था।

इसे गोरखधाम या नाथ नगर भी कहा जाता है।

देवा शरीफ –

बाराबंकी के पास स्थित देवा शरीफ में हाजी वारिस अली शाह की माजर है। यहाँ उर्स का मेला आयोजन किया जाता है।

बाराबंकी –बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव, कोतवाधाम आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं।

विन्ध्याचल –

मिर्जापुर जिले में विन्ध्यवासिनी देवी का पौराणिक मन्दिर स्थित है।

एटा –यह स्थान वराह भगवान के मन्दिर के जाना जाता है।

सरधना –

यह स्थान मेरठ जिले में स्थित है। इस स्थान पर बेगम समरू द्वारा बनवाया गया चर्च स्थित है। इस चर्च को दक्षिण एशिया के प्रसिद्ध चर्चों में से एक माना जाता है।

बाँसा –

बाराबंकी जिले में स्थित यह स्थान सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह के लिए जाना जाता है।

<u>उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था</u>

- **<u>राजव्यवस्था (राज्यपाल, मुख्यमंत्री,इत्यादि)</u>**

शासन व्यवस्था

- उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी।
- उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री प. गोविंद बल्लभ पंत थे।
- उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे।

प्रशासनिक इकाइयाँ

• मंडल	18
• जिले	75
• न्यायिक जिले	72

• तहसील	313
• विकासखंड	822
• आवाद ग्राम	97941

- राज्य को 18 संभागों में बांटा गया है।
- उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है।
- संभाग प्रमुख को आयुक्त कहते हैं।
- आयुक्त के अंतर्गत कई जिलाधिकारी आते हैं।
- जिले का प्रमुख जिलाधिकारी होता है।
- जिलाधिकारी की सहायता के लिए कई अतिरिक्त जिलाधिकारी होते हैं इसका वर्गीकरण इस प्रकार हैं -

आयुक्त (commissioner)
|
जिलाधिकारी (D.M)
|
अतिरिक्त जिला अधिकारी (A.D.M)
|

(तहसील स्तर पर)	(खंड ब्लॉक स्तर पर)	(गांव स्तरपर)
उपजिलाधिकारी	खंड विकास (अधिकारी) (V.D.O)	लेखपाल
तहसीलदार	सहायक विकास (अधिकारी) (A.D.O)	
नायब तहसीलदार		
कानूनगो		

पुलिस व्यवस्था

पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है। पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। पुलिस का वर्गीकरण इस प्रकार है -

महानिदेशक पुलिस (D.G.P)
|
इंस्पेक्टर जनरल पुलिस (I.G)
|
उपमहानिरीक्षक (D.I.G)
|
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (S.S.P)
|
पुलिस अधीक्षक (S.P)
|
उपपुलिस अधीक्षक (D.S.P)
|
प्रभारी निरीक्षक (Inspecter)
|
उप निरीक्षक (Sub-Inspector)
|
सिपाही

उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था कायम है। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं। सर्वाधिक जनसंख्या होने के कारण देश में सर्वाधिक जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से ही चुने जाते हैं। यहाँ से लोक सभा के 80 राज्य सभा के 31, विधान सभा के 404 (403 निर्वाचित +1 मनोनीत) और विधान परिषद के 100 सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राजव्यवस्था कायम की गई है। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद का नाम परिवर्तन कर अब प्रयागराज कर दिया गया है। इसकी खण्डपीठ लखनऊ में स्थापित की गई है।

शासन व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में शासन की संसदीय शासन प्रणाली है, जो तीन भागों में विभाजित है -

I. कार्यपालिका
II. व्यस्थापिका

III. न्यायपालिका

(i) कार्यपालिका

- राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक कहलाता है ।
- संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ।
- राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ-साथ केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है ।
- राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है । लेकिन अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को यह अधिकार है की कुछ मामलों में वः राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपने विवेक अनुसार कार्य कर सकता है ।
- राज्यपाल राज्य का अध्यक्ष अर्थात राज्याध्यक्ष होता है । इस नाते राज्यपाल कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का अंग होता है ।
- संविधान के अनुसार एक व्यक्ति दो या दो अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है ।
- संविधान के अनुच्छेद 154 (1) में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा ।
- राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोई चुनाव नही होता है । राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त ही कार्य करता है । लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी पद से हटा सकता है ।
- सामान्यत: राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ।

राज्यपाल के पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ

- ❖ राज्यपाल पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ।
- ❖ वह भारत का नागरिक हो ।
- ❖ किसी लाभ के पद पर कार्य नही कर रहा हो ।
- ❖ पागल या दिवालिया न हो ।
- ❖ अनुच्छेद 159 के तहत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है ।

राज्यपाल के कार्य

- राज्यपाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है।
- केंद्रीय विश्वविद्यालय का छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है।
- किसी राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह लेता है ।
- अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार होता है की राज्य की कार्यपालिका शक्ति के तहत राज्य में किसी विधि के विरुद्ध दोषसिद्धव्यक्ति के दण्ड को काम क्र सकता है । या दण्ड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है । राज्यपाल की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है । राज्यपाल को मृत्यु दण्ड को माफ करने का अधिकार नहीं है ।
- संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है । मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है ।
- राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, लोकायुक्त, राज्यआयोग के सभी अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियाँ भी राज्यपाल द्वारा की जाती है ।
- जिला और सेसन न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ भी राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है ।

मंत्रिपरिषद –

मंत्रिपरिषद के अन्दर कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री होते हैं । कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल भी कहते हैं ।

राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है पर उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी परिषद द्वारा किया जाता है । मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है ।

राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है । मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधानपरिषद में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है । यदि कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री नियक्त किया जा रहा है । जो किसी भी सदन का सदस्य नही है । तो उसे 6 महीने में किसी भी एक सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होती है ।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल

		कब से	कब तक
1.	श्रीमती सरोजिनी नायडू	15 अगस्त, 1947	2 मार्च,1949
2.	विधुभूषण मलिक (कार्यवाहक)	3 मार्च, 1949	1 मई, 1949
3.	होरमस्जी पेरोशो मोदी	3 मई, 1949 से	1 जून,1952
4.	कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी	2 जून, 1952	9 जून,1957
5.	वाराहगिरी बैंकट गिरि	10 जून, 1957	30 जून, 1960
6.	डॉ. वी.रामकृष्ण राम	1 जुलाई, 1960	15 अप्रैल, 1962
7.	विश्वनाथ दास	16 अप्रैल, 1962	30 अप्रैल, 1967
8.	डॉ. बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी	1 मई, 1967	30 जून, 1972
9.	शशिकांत शर्मा (कार्यवाहक)	1 जुलाई,1972	13 नवंबर, 1972
10.	अकबर अली खान	14 नवंबर, 1972	24 अक्टूबर, 1974
11.	डॉ. मारी चेन्ना रेड्डी	25 अक्टूबर, 1974	1 अक्टूबर, 1977
12.	गणपतराव देवजी तपासे	2 अक्टूबर,1977	27 फरवरी, 1980
13.	चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह	28 फरवरी, 1980	31 मार्च,1985
14.	मोहम्मद उस्मान आरिफ	31 मार्च, 1985	11 फरवरी,1990
15.	बी. सत्यनारायण रेड्डी	12 फरवरी,1990	25 मई,1993
16.	मोतीलाल वोरा	25 मई,1993	3 मई,1996
17.	मोहम्मद शफी कुरैशी (कार्यवाहक)	3 मई, 1996	19 जुलाई, 1996
18.	रोमेश भंडारी	19 जुलाई,1996	17 मार्च, 1998
19.	मोहम्मद शफी कुरैशी (कार्यवाहक)	17 मार्च,1998	19 अप्रैल, 1998
20.	सूरजभान	20 अप्रैल,1998	23 नंबर, 2000
21.	विष्णुकांत शास्त्री	24 नवंबर, 2000	2 जुलाई, 2004
22.	सुदर्शन अग्रवाल (कार्यवाहक)	3 जुलाई, 2004	8 जुलाई, 2004
23.	टी. वी.राजेश्वर	8 जुलाई, 2004	27 जुलाई, 2009
24.	बी.एल. जोशी	28 जुलाई, 2009	15 जुलाई, 2009
25.	राम नाईक	15 जुलाई, 2014	कार्यरत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

क्रमांक	नाम	कार्यकाल कब से	कब तक
1.	पं. गोविंद बल्लभ पंत	1 अप्रैल, 1947	27 सितंबर, 1954
2.	डॉ. संपूर्णानंद	28 दिसंबर, 1954	6 दिसंबर, 1960
3.	चंद्रभान गुप्त	7 दिसंबर, 1960	1 अक्टूबर, 1963
4.	श्रीमती सुचेता कृपलानी	2 अक्टूबर, 1963	13 मार्च, 1967
5.	चंद्रभान गुप्त	14 मार्च, 1967	2 अप्रैल, 1967
6.	चौधरी चरण सिंह	3 अप्रैल, 1967	25 फरवरी, 1968
	राष्ट्रपति शासन	25 फरवरी, 1968	25 फरवरी, 1969

7.	चंद्रभान गुप्त	26 फरवरी, 1969	17 फरवरी, 1970
8.	चौधरी चरण सिंह	17 फरवरी, 1970	1 अक्टूबर, 1970
	राष्ट्रपति शासन	2 अक्टूबर, 1970	18 अक्टूबर, 1970
9.	त्रिभुवन नारायण सिंह	18 अक्टूबर, 1970	4 अप्रैल, 1971
10.	कमलापति त्रिपाठी	4 अप्रैल, 1971	12 अप्रैल, 1973
	राष्ट्रपति शासन	12 जून, 1973	8 नवंबर, 1975
11.	हेमवती नंदन बहुगुणा	8 नवंबर, 1973	30 नवंबर, 1975
	राष्ट्रपति शासन	30 नवंबर,1975	21 जनवरी, 1976
12.	नारायण दत्त तिवारी	21 जनवरी, 1976	30 अप्रैल, 1977
	राष्ट्रपति शासन	30 अप्रैल, 1977	22 जून, 1977
13.	राम नरेश यादव	23 जून, 1977	28 फरवरी, 1979
14.	बनारसी दास	28 फरवरी, 1979	17 फरवरी, 1980
	राष्ट्रपति शासन	17 फरवरी, 1980	9 जून 1980
15.	विश्वनाथ प्रताप सिंह	9 जून, 1980	19 जुलाई 1982
16.	श्रीपति मिश्र	19 जुलाई, 1982	3 अगस्त, 1984
17.	नारायण दत्त तिवारी	3 अगस्त, 1984	23 सितंबर, 1985
18.	वीर बहादुर सिंह	24 सितंबर, 1985	24 जून, 1988
19.	नारायण दत्त तिवारी	25 जून, 1988	5 दिसंबर, 1989
20.	मुलायम सिंह यादव	5 दिसंबर, 1989	24 जून, 1991
21.	कल्याण सिंह	24 जून, 1991	6 दिसंबर, 1992
	राष्ट्रपति शासन	6 दिसंबर 1992	4 दिसंबर, 1992
22.	मुलायम सिंह यादव	4 दिसंबर, 1993	3 जून, 1995
23.	कुमारी मायावती	3 जून, 1995	17 अक्टूबर, 1995
	राष्ट्रपति शासन	18 अक्टूबर, 1995	21 मार्च, 1997
24.	कुमारी मायावती	21 मार्च, 1997	21 सितंबर, 1997
25.	कल्याण सिंह	21 सितंबर 1997	12 नवंबर, 1999
26.	रामप्रकाश गुप्त	12 नवंबर, 1999	27 अक्टूबर, 2000
27.	राजनाथ सिंह	28 अक्टूबर, 2000	8 मार्च, 2002
	राष्ट्रपति शासन	8 मार्च, 2002	3 मई, 2002
28.	कुमारी मायावती	3 मई, 2002	26 अगस्त, 2003
29.	मुलायम सिंह यादव	29 अगस्त, 2003	11 मई, 2007
30.	कुमारी मायावती	13 मई, 2007	14 मार्च, 2012
31.	अखिलेश यादव	15 मार्च, 2012	19 मार्च, 2017
32.	योगी आदित्यनाथ	19 मार्च, 2017	कार्यरत

उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष

क्रमांक	नाम	कार्यकाल	
		कब से	**कब तक**
1.	राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन	31 जुलाई, 1947	10 अगस्त, 1950
2.	नफीसुल हसन (कार्यकारी)	11 अगस्त, 1950	19 मई, 1952
3.	आत्माराम गोविंद खेर	20 मई, 1952	25 मार्च, 1962

4.	मदन मोहन वर्मा	26 मार्च, 1962	16 मार्च, 1967
5.	जगदीश शरण अग्रवाल	17 मार्च, 1967	16 मार्च, 1969
6.	आत्माराम गोविंद खेर	17 मार्च, 1969	18 मार्च, 1974
7.	वासुदेव सिंह	18 मार्च, 1974	12 जुलाई, 1977
8.	बनारसी दास	12 जुलाई,1977	6 फरवरी, 1979
9.	जगन्नाथ प्रसाद (कार्यकारी)	7 फरवरी, 1979	17 फरवरी, 1980
10.	श्रीपति मिश्र	18 फरवरी, 1980	18 जुलाई, 1982
11.	यादवेंद्र सिंह (कार्यकारी)	19 जुलाई, 1982	24 अगस्त, 1982
12.	धर्म सिंह	25 अगस्त, 1982	15 मार्च, 1995
13.	नियाज हसन	15 मार्च, 1985	8 जनवरी, 1990
14.	हरि किशन	9 जनवरी, 1990	30 जुलाई, 1991
15.	केसरीनाथ त्रिपाठी	30 जुलाई, 1991	15 दिसंबर, 1993
16.	धनीराम वर्मा	15 दिसंबर, 1993	20 जून, 1995
17.	बी.आर. वर्मा	20 जून, 1995	26 मार्च, 1997
18.	केसरीनाथ त्रिपाठी	27 मार्च, 1997	14 मई, 2002
19.	केसरीनाथ त्रिपाठी	14 मई, 2002	19 मई, 2004
20.	डॉ. बकारअहमशाह(कार्यकारी)	19 मई, 2004	26 जुलाई, 2004
21.	माता प्रसाद पांडेय	26 जुलाई, 2004	18 मई, 2007
22.	सुखदेव राजभर	18 मई, 2007	12 अप्रैल, 2012
23.	माता प्रसाद पांडेय	13 अप्रैल, 2012	30 मार्च, 2017
24.	हृदय नारायण दीक्षित	30 मार्च, 2017	कार्यरत

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति

क्रमांक	**नाम**	**कार्यकाल**	
		कब से	**कब तक**
1.	चंद्रभाल	10 मार्च, 1949	25 जनवरी, 1950
		26 जनवरी, 1950	5 मई, 1958
2.	निजामुद्दीन (कार्यकारी)	6 मई, 1958	19 जुलाई, 1958
3.	रघुनाथ विनायक धुलेकर	20 जुलाई, 1958	5 मई, 1964
4.	दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम)	6 मई, 1964	4 अगस्त, 1964
5.	दरबारी लाल शर्मा	5 अगस्त, 1964	5 मई,1968
		6 मई, 1968	1 मार्च, 1969
6.	वीरेंद्र स्वरूप (कार्यकारी)	2 मार्च, 1969	14 मार्च, 1969
7.	वीरेंद्र स्वरूप	15 मार्च, 1969	5 मई, 1974
8.	वीरेंद्र ।स्वरूप (कार्यकारी)	6 मई, 1974	10 जून, 1974
9.	वीरेंद्र स्वरूप	11 जून, 1974	26 मई, 1980
10.	वीरेंद्र स्वरूप कार्यकारी	26 मई, 1980	17 जून, 1980
11.	वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल (प्रोटेम)	18 जून, 1980	5 अक्टूबर, 1980
12.	वीरेंद्र बहादुर सिंह	6 अक्टूबर, 1980	5 मई, 1982
13.	शिव प्रसाद गुप्त (कार्यकारी)	6 मई, 1982	2 मार्च, 1983
14.	वीरेंद्र बहादुर सिंह	3 मार्च, 1983	5 मई, 1988

15. जगदीश चंद्र दीक्षित (प्रोटेम)	6 मई, 1988	5 अप्रैल, 1989
16. जगदीश चंद्र दीक्षित	6 अप्रैल, 1989	7 मार्च, 1990
17. जगदीश चंद्र दीक्षित प्रोटेम	8 मार्च, 1990	4 जुलाई, 1990
18. शिव प्रसाद गुप्त	5 जुलाई, 1990	6 जुलाई, 1992
19. नित्यानंद स्वामी	7 जुलाई, 1992	9 मई, 1997
20. नित्यानंद स्वामी	10 मई, 1997	8 नवंबर, 2000
21. नित्यानंद स्वामी (कार्यकारी)	9 नवंबर, 2000	16 नवंबर, 2000
22. ओम प्रकाश शर्मा	17 नवंबर, 2000	5 मई, 2002
23. कुंवर मानवेंद्र सिंह	6 मई, 2002	2 अगस्त, 2004
24. सुखराम यादव	3 अगस्त, 2004	15 जनवरी, 2010
25. कमलकांत गौतम (कार्यकारी)	16 जनवरी, 2010	21 जनवरी, 2010
26. गणेश शंकर पांडेय	21 जनवरी, 2010	15 जनवरी, 2016
27. रमेश यादव	11 मार्च, 2016	कार्यरत

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

(ii) व्यवस्थापिका

प्रदेश में राज्यपाल, विधानसभा, और विधानपरिषद को मिलाकर ही विधानमंडल कहा जाता है। विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बनते हैं।

- उत्तर प्रदेश में द्विसदन व्यवस्थापिका है - विधानसभा और विधान परिषद।
- भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधान सभा में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नही हो सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404 है।
- विधानसभा लोकप्रिय सदन कहलाता है। इसमें 403 सदस्य निर्वाचित एवं 1 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जाता है।
- विधानसभा का सदस्य बनने हेतु प्रत्याशी की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- वह भारत का नागरिक हो।
- किसी लाभ के पद पर न हो।
- उन सभी योग्यताओं को रखता हो जो संसद द्वारा निर्धारित की गई है।
- राज्यपाल विधानसभा में विधान परिषद में एंग्लो इंडियन समुदाय से एक-एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है।
- बहुमत प्राप्त दल का नेता मुख्यमंत्री होता है।
- मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदाई होता है।
- विधान परिषद में 100 सदस्य हैं इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 1/3 सदस्य विधानसभा से, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं से, ½ सदस्य शिक्षकों से, 1/12 सदस्य स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं। शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा विशेष क्षेत्र के उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों से मनोनीत किए जाते हैं।
- विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है जो कभी भंग नहीं होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
- उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन 1937 ई. में किया गया था।
- विधानसभा में सदन का कोरम पूरा करने के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।
- किसी भी राज्य का बजट केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 वीं विधानसभा कार्यरत है। इसके लिए वर्ष 2017 में चुनाव हुए थे।

विधान परिषद

वर्तमान में देश में 6 राज्यों में (महराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश) में ही विधान परिषद स्थापित हैं।

यूपी. में विधानपरिषद का गठन 1937 में किया गया था।

उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 100 सदस्य हैं।

आजादी से पहले विधान परिषद के सभापति सर सीताराम और आजादी के बाद सभापति चन्द्रभान बने थे।

उत्तराखण्ड के गठन के पहले विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 108 थी।

भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, जबकि अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य विधानसभा के सदस्यों की एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है।

विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष (एकल संक्रमणीय) पद्धति से होता है।

विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से किया जाता है।

1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।

1/3 सदस्य स्थानीय निकायों अर्थात जिला पंचायत और नगर पालिका के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं।

1/12 सदस्य ऐसे शिक्षक वर्ग द्वारा चयनित होते हैं जिन्हें अध्यापन का 3 वर्ष का अनुभव हो।

1/12 सदस्य ऐसे स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण मतदाताओं के माध्यम से चयनित किये जाते हैं, जिन्हें परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष हो चुके हों।

1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किये जाये हैं। जो विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से ही किन्हीं दो सदस्यों को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुनते हैं। सभापति अपना त्याग-पत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्याग-पत्र सभापति को सौंपते हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ऐसे व्यक्ति हैं जो विधान परिषद का सदस्य होते हुए मुख्यमंत्री पद पर पहुँचे हैं। विधान परिषद अपने पास किसी विधेयक (बिल) को पहली बार 90 दिन या (तीन माह) तक और दूसरी बार 30 दिन (एक माह) तक रोक सकती है। इसके विधेयक उसी रूप में पारित हो जाता है जिस रूप में विधानसभा में पारित करना चाहती है।

(iii) न्यायपालिका

- राज्य में न्याय व्यवस्था के लिए उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की अधिकता में जिला न्यायालय व अन्य न्यायालय होते हैं।

उच्च न्यायालय

- राज्य का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ई. मेंआगरा में की हुई थी।
- 1869 में उच्च न्यायालय को इलाहाबाद (प्रयागराज) में स्थानांतरित कर दिया गया।
- जस्टिस जसवन्त सिंह आयोग ने उच्च न्यायालय की एक और खण्ड पीठ आगरा में गठित करने की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक इस सिफारिश पर कोई आम राय नही पाई है।

- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश व सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात की जाती है। तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सम्बन्धित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।

जिला न्यायालय

- प्रदेश न्यायिक जिलों में बँटा है, जिनमें प्रत्येक का नियंत्रण जिला न्यायाधीश द्वारा होता है।

- न्यायिक सेवा को दो भागों में बांटा गया है - उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (न्यायिक) सर्विस और उत्तर प्रदेश हायर ज्यूडिशल सर्विस।

राजस्व परिषद

- राजस्व के मामले जिलाधिकारी अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा निर्णीत होते हैं।

- आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त अपीलों की सुनवाई करते हैं।

- राजस्व में सबसे उच्च न्यायालय राजस्व परिषद है।

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त

नाम	कार्यकाल	
	कब से	कब तक
• न्यायमूर्ति श्री विश्वम्भर दयाल	14 सितंबर, 1977	13 सितंबर, 1982
• पद रिक्त	14 सितंबर, 1982	9 जनवरी, 1983

• न्यायमूर्ति श्री मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन	10 जनवरी, 1983	10 जनवरी, 1989
• पद रिक्त	11 जनवरी, 1989	27 जनवरी, 1989
• न्यायमूर्ति श्री कैलाश नाथ गोयल	28 जनवरी, 1989	28 जनवरी, 1995
• पद रिक्त	29 जनवरी, 1995	8 फरवरी, 1995
• न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर सिंह	9 फरवरी, 1995	13 जनवरी, 2000
• पद रिक्त	14 जनवरी, 2000	15 मार्च, 2000
• न्यायमूर्ति श्री सुधीर चंद्र वर्मा	16 मार्च, 2000	15 मार्च, 2006
• न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा	16 मार्च, 2006	30 जनवरी, 2016
• न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा	31 जनवरी, 2016	कार्यरत

लोक अदालतें

- इन अदालतों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इनमें अन्य न्यायालयों की भांति वादकारियों को धन का व्यय नहीं करना पड़ता है।
- वर्तमान समय में प्रदेश के समस्त जनपदों में तीन -तीन स्थाई लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है।

स्थानीय स्वायत्त शासन

जनसंख्या के आधार पर शहरी और ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं का वर्गीकरण

- जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर महापालिका के रूप में किया गया है।
- उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ हुआ यह गांव, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा है।

- **ग्राम पंचायत** - ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर होती है। ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान (सरपंच) कहलाता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से गाँव (ग्राम सभा) के मतदाता करते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य भी प्रत्यक्ष ही चुने जाते हैं।
- ग्राम पंचायत का सदस्य या फिर प्रधान पद का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
- ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। (VDO) विलेज डेवलेपमेन्ट ऑफिसर कहलाता है।
- ग्राम सभा 15 दिन की पूर्व सूचना देकर 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सकती है। वर्ष में ग्राम पंचायत की 2 बैठकें अनिवार्य होती हैं।
- **क्षेत्र पंचायत** - क्षेत्र पंचायत द्वितीय स्तर पर होती है। इसका मुख्य प्रमुख होता है जिसका चुनाव ग्राम सभा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- **जिला पंचायत** - जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के शीर्ष पर होती है। इसके अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के लिए चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य में गांव का प्रबंधन करने के लिए जिला पंचायत की स्थापना की गई है।

नगर पालिका और नगर महापालिका

- उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की स्थापना सन् 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम, 1916 तथा संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अंतर्गत की गई।
- 74 वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम, 1994 पारित किया गया।
- जिस प्रकार गांव का प्रबंधन जिला परिषद करती है, उसी प्रकार से शहरों का प्रबंधन नगरपालिका करती है।

नगर निगम

इस नवीन प्रणाली के तहत राज्य के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया था। लेकिन वर्तमान में ये विभाजन 4 भागों में है।

- इसके तहत 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर को महानगर की संज्ञा दी गई है । यहाँ नगर निगम की स्थापना की गई है ।
- जिन नगरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या होती है उन नगरों में नगर निगम का गठन किया जाता है।
- 1 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख से काम जनसंख्या वाले शहरों को लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के दायरे में रखा गया है । वहां का कार्य नगरपालिका परिषद नामक संस्था देखती है ।
- 15 हजार से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र की संज्ञा दी गई है । इनके कार्य की देख-रेख का जिम्मा नगर पंचायत को सौंपा गया है ।
- नगर निगम का प्रमुख मेयर या महापौर होता है जिसका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है।
- नगर निगम में एक उप-प्रमुख और तीन प्रकार के पार्षद होते हैं ।
- मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- नगर निगम में तीन प्रकार के सदस्य निर्वाचित होते हैं - निर्वाचित, मनोनीत, व पदेन।
- नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 60 और अधिक से अधिक 110 तक होती है । मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति सरकार करती है । इनकी संख्या 5 से 10 तक होती है । पदेन सदस्य उस क्षेत्र के सांसद और विधायक होते हैं ।
- महापौर के खिलाफ 2 वर्ष तक अविशावश प्रस्ताव नही लाया जा सकता है । नगर निगम को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले सरकार विघटित कर सकती है ।
- नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है ।
- नगर निगम के कार्यों का संचालन बेहतर तरीके से करने के लिए अधिकतम 12 समितियों का गठन किया जा सकता है ।
- 24 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत शाहजहाँपुर को 17 वाँ नगर निगम बनाया गया ।

नगर निकायों की संख्या

- नगर निगम - 13
- नगर पालिका - 194
- नगर पंचायत - 423

नगर पालिका

- नगर पालिका का गठन 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या वाले नगरों में किया जाता है।
- नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- नगर पंचायत का प्रधान इसका अध्यक्ष होता है जिसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
- इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है
- इसमें निर्वाचित सदस्य 10 से कम और 25 से अधिक नहीं हो सकते हैं।
- नगर पंचायत का गठन 15 हजार से एक लाख आबादी वाले नगरी क्षेत्रों में किया जाता है।

नगरीय निकायों के अधिकारियों का नामकरण

पूर्व पद नाम	नया पदनाम
• नगर प्रमुख	महापौर
• उपनगर प्रमुख	उपमहापौर
• सभासद	पार्षद
• मुख्य नगर अधिकारी	नगर आयुक्त
• अपर मुख्य नगर अधिकारी	अपर नगर आयुक्त
• उपनगर अधिकारी	उप नगर आयुक्त
• सहायक नगर अधिकारी	सहायक नगर आयुक्त

नगर पंचायत

नगर पंचायत में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन प्रकार के सदस्य होते हैं ।

नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता है ।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से 24 तक हो सकती है। 2 या 3 सदस्य मनोनीत सदस्य के रूप में होते हैं।

राज्य महिला आयोग

राज्य में महिला उत्पीडन के मामलों को रोकने के लिए और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने के लिए राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है।

इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समेत कई सदस्य होते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 25 सदस्य राज्य महिला आयोग में कार्यरत हैं।

उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में किया गया था।

राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 को की गई है। इस आयोग का वरिष्ठ प्रमुख अधिकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। राज्य के अन्दर स्थानीय निकाय से सम्बन्धित चुनाव का दायित्व इसी के पास होता है। और जिला स्तर पर जिलाधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व निभाना होता है।

राज्य सूचना आयोग

राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितम्बर 2005 को किया गया था। प्रदेश के पहले सूचना आयुक्त एम.ए. खान 2006 में बने थे।

राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि सूचना आयुक्त अपनी कार्यावधि से पूर्व ही 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है। उसका कार्यकाल समाप्त हो जायेगा। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय भी लखनऊ में ही है।

राज्य मानवाधिकार आयोग

उत्तर प्रदेश के निवासियों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 7 अक्टूबर, 2002 को राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है।

इस आयोग में एक अधिकारी और एक शोध अधिकारी होता है।

राज्य वित्त आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (झ) में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1994 में पहली बार राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया।

इसका गठन पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक पांच वर्ष पर होता है।

भौगोलिक स्थिति, नदियाँ, वन्य जीव अभ्यारण

प्रमुख नदियाँ

गंगा, यमुना, रामगंगा, काली या शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चम्बल, बेतवा, सिन्ध, केन, सोन व अलकनन्दा आदि

गंगा नदी-

हिन्दू धर्म में गंगा नदी को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है।

उद्गम स्थल पर ये नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। परन्तु देव प्रयाग में भागीरथी का मिलन अलकनंदा नदी से होता है। इसके मिलन के बाद ही यह नदी गंगा कहलाती है।

उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सर्वप्रथम बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिले गंगा के तट पर स्थित है।

गंगा नदी की कुल लम्बाई 2525 किमी. है। उत्तर प्रदेस में इसकी कुल लम्बाई 1140 किमी. है।

गंगा नदी उत्तर प्रदेस में बलिया जिले के बाद बिहार में प्रवेश कर जाती है।

गंगा के दायें तट की सहायक नदियाँ यमुना, चंद्रप्रभा, टोन्स, कर्मनाशा आदि हैं।

गंगा की बायें तट की सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, गोमती नदी आदि हैं।

यमुना नदी –

यमुना नदी हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित बन्दरपूंछ नामक स्थान के पास स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है।

यमुना नदी को नीलाम्बरा, गम्भीरा, सूर्य, यम की बहन आदि नामो से पुकारा जाता है।

विश्व प्रसिद्ध ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है।

यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक यमुना नदी 1376 किमी. का सफर तय करती है।
प्रयागराज में जाने के बाद यमुना गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर इन दोनों का संगम होता है। यमुना नदी उत्तर प्रदेस के 20 जिलों से होकर बहती है।

अलकनन्दा नदी -

चमोली के उत्तरी भाग में स्थित सतोपंथ शिखर के हिमनद और सतोपंथ ताल से निकलती है। अलकनन्दा से सर्वप्रथम विष्णु प्रयाग से धौली गंगा फिर क्रमश: नन्द प्रयाग में नन्दाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी, रूद्र प्रयाग में मन्दाकिनी नदी और अन्त में देव प्रयाग में अलकनन्दा स्वयं भागीरथी में विलीन हो जाती है। और अब संयुक्त रूप से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है।
शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा, ऋषिकेश, हरिद्वार, बहते हुए, फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है।
मैदान हरिद्वार में आते ही इसकी दिशा दक्षिण से दक्षिण-पूर्व की ओर बदलने लगती है।

गोमती नदी

गोमती एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित पन्गौली फुलहर ताल से हटा है। यह गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती की सहायक नदी सई प्रमुख है। जो कि हरदोई के भिजवान झील से निकलती है। और राजघाट में गोमती से मिल जाती है।

सोन (स्वर्ण नदी) -

यह अमर कंटक पहाड़ी के शोषाकुण्ड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश से सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बनास, गोपद, रिहन्द, कुन्हड, आदि इसकी सहायक नदियाँ है।

काली (शारदा) नदी -

काली नदी उत्तराखण्ड पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी नामक स्थान से निकलती है उत्तर प्रदेश में यह सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। सीतापुर के बासरा या बहरामघाट के निकट पहुँचकर यह करनाली (घाघरा नदी)से मिल जाती है।

गण्डक नदी -

इस नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है जहाँ पर इसे पहाड़ियों में सालीग्राम और मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह नदी महराजगंज और कुशीनगर जिलों से होते हुए बहती है। यह नदी बिहार के पटना में गंगा में जाकर मिल जाती है।

टोन्स नदी (तमसा) -

इसका उद्गम मैहर के निकट तमसा कुण्ड से होता है। इसके मार्ग में कई सुन्दर जल- प्रपात है, जिनमे बिहार जल प्रपात 110 मीटर ऊँचा है। यह नदी सिरसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लम्बाई 625 किमी. है।

राप्ती नदी -

राप्ती नदी नेपाल के पिछले भाग की लघु हिमालय श्रेणी **(धौलगिरी)** के दक्षिण में रुकुमकोट के समीप से निकलती है। यह देवरिया के बरहज नामक स्थान के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लम्बाई 640 किमी. है।

रामगंगा (रथवाहिनी) नदी

रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखण्ड के पौड़ी जिले के गढ़वाल में धुधातोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है। यह नदी कनौज की निकट गंगा में मिल जाती है। इस नदी पर सिंचाई के लिए कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है।

बेतवा नदी -

यह मध्य प्रदेश में भोपाल की दक्षिण-पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झाँसी और जालौन से होती हुई। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है।

चम्बल नदी -

इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से हुआ है।
राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा में बहते हुए चम्बल नदी उत्तर प्रदेश में आगरा और इटावा की सीमा में प्रवेश कटी है। यह औरैया के मुरादगंज के पास यमुना में मिल जाती है।

केन नदी -

केमूर की पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से के नदी का उद्गम होता है। यह यमुना नदी ख़ीट सहायक नदी है । जो बुन्देलखण्ड और बाँदा से गुजरती हुई भोजहा (बाँदा) के निकट यमुना नदी में मिल जाती है इस नदी को कर्णावती नाम से भी जाना जाता है।

करनाली या घाघरा नदी –

घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित मपचा चूंगों हिमनद से होता है। यह पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है । मैदानी भाग में यह नदी दो उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है।

इसकी पश्चिमी शाखा करनाली और पूर्वी शाखा को शिखा कहते है । आगे चलकर यह पुनः एक हो जाती है। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया बरहज के पास इसमें राप्ती नदी मिलती है फिर यह उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है इसके कुल लम्बाई 1080 किमी. है।

उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें व ताल

झील का नाम	स्थान
गौर झील	रामपुर
बेंती	प्रतापगढ़
सरहा ताल	बलिया
ऑंधी ताल	वाराणसी
बखीरा झील	सन्त कबीर नगर
रामगढ़ ताल	गोरखपुर
शेखा झील	अलीगढ़
दरबान झील	अयोध्या
बरुआ सागर एवं लक्ष्मी ताल	झाँसी
राजा का बाँध	सुल्तानपुर
भरतपुर झील	रायबरेली
कुन्द्रा समुन्दर	उन्नाव
फुल्हर झील	पीलीभीत
चितौरा झील	बहराइच
शुक्रताल	मुजफ्फरनगर
मोती झील	कानपूर नगर
मोराय ताल	फतेहपुर
बड़ा ताल (गोखुर)	शाहजहाँपुर
करेला झील	लखनऊ
टाण्डादरी (दरारगर्त)	मिर्जापुर
कीठम (सूर सरोवर)	आगरा
मदन सागर ताल एवं बेला सागर	महोबा
नोह झील, मानसी झील	मथुरा
गंगा कुण्डताल झील	मथुरा
राधा एवं श्याम झील	मथुरा

सिंचाई परियोजनाएँ

उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग पांचवाँ हिस्सा नहरों के माध्यम से सिंचित किया जाता है। नहरों को माला तन्त्र (Garland Canal System) के रूप में जोड़ने का कार्य दिनशां जे. दस्तूर ने किया था । लेकिन ये योजना परवान नही चढ़ सकी थी। वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश की भूजल सम्पदा एवं उससे सम्बंधित समस्याओं का निस्तारण करने के लिए उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल विभाग स्थापित किया गया । वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कई नहरें बोर बाँध सिंचाई का आधार बन गए हैं।

उपरी गंगा नहर –

इसका निर्माण 1842 से 1854 ई. माना जाता है। यह नहर हरिद्वार में गंगा नदी से निकलकर सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्द शहर, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद तथा फतेहपुर तक बहती है । इसकी लम्बाई 340 किमी. है । इस नहर से आगरा नहर और निचली गंगा नहर को भी जल मिलता है।

मध्य गंगा नहर –

वर्षा ऋतू में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण कर 115.54 किमी. लम्बी मुख्य नहर को ऊपरी गंगा नहर से मिलाया जा रहा है।

इस नहर का सर्वाधिक उपयोग खरीफ की फसलों के लिए कियता जाता है । इस नहर से गाजियाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एवं फिरोजाबाद जिलों में पर्याप्त सिंचाई की जाती है।

पूर्वी यमुना नहर –

यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है इसका निर्माण 1830 में किया गया था । इसकी लम्बाई 1440 किमी. है । यह नहर फैजाबाद (सहारनपुर) नामक स्थान पर यमुना के बाएँ किनारे से निकाली गयी है । यह नहर दिल्ली तक यमुना के समांतर बहती है । और पुनः यमुना में ही मिल जाती है । यह नहर शाहजहाँ द्वारा खुदवाई गयी थी । फिर अंग्रेजों द्वारा इसमें विस्तार किया गया था ।

रामगंगा नहर –

कालागढ़ में रामगंगा नदी से रामगंगा नहर निकलती है । इस नहर के द्वारा लगभग 17.05 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, और रामपुर जिले में बहती है ।

आगरा नहर –

इर नहर का निर्माण 1874 ई. में किया गया था । इसे दिल्ली के पास (ओखला) से यमुना के दाहिने किनारे से निकाला गया है । यह नहर दिल्ली, गुडगाँव, मथुरा, आगरा और भरतपुर की लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है । यह दिल्ली, हरयाणा, तथा राजस्थान से भी गुजरती है ।

गण्डक नहर –

यह नहर नेपाल में बूढ़ी गण्डक नदी पर बाँध बनाकर निकाली गई है । यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की एक संयुक्त नहर प्रणाली है । इस नहर से कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया जिलों में सिंचाई की जाती है ।

शारदा नहर –

यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है । जिसका निर्माण 1920 से 1928 के मध्य किया गया था ।

यह चम्पावत के वनवासा (उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, व नेपाल सीमा पर) नामक स्थान पर शारदा (काली या महाकाली)नदी से निकलती है ।

शारदा नहर के माध्यम से पीलीभीत, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई की जाती है ।

सरयू नहर –

सरयू नहर परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती गोरखपुर, व महाराजगंज, जिलों में घाघरा, सरयू व राप्ती नदियों के जल से सिंचाई उपलब्ध कराना है ।

केन नहर –

यह उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है । यह नहर पन्ना (मध्य प्रदेश)के निकट से निकाली गई है । जिससे प्रदेश के बाँदा जिले और मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले की लगभग 1.4 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जाती है ।

बेतवा नहर –

यह नहर बेतवा नदी से झाँसी के पारीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है ।

रिहन्द घाटी परियोजना –

यह योजना सोनभद्र जिले में रिहन्द नदी घाटी में पिपरी नामक स्थान पर बनाई गई है । मिर्जापुर सोनभद्र प्रयागराज और वाराणसी जिलों की कृषि भूमि को इस परियोजना से लाभ मिल रहा है ।

चंद्रप्रभा बाँध –

चंद्रप्रभा बाँध का निर्माण वाराणसी के चकिया स्थान के पास चंद्रप्रभा नदी पर किया गया है । इस बाँध से निकाली गई नहरों के माध्यम से चकिया और चन्दौली तहसील में सिंचाई की जाती है ।

ललितपुर बाँध नहर –

इसमें ललितपुर जिलें में शहजाद नदी पर एक बाँध ललितपुर बाँध बनाया गया है । जिससे नहर निकाली गई गई ।

रानी लक्ष्मीबाई बाँध की नहर –

झाँसी ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान पर निर्मित माता टीला बाँध से गुरसराय और मंदर नामक दो नहरें निकाली गई है ।

नगवां बाँध नहर –

यह नहर कर्मनाशा नदी नगवां नामक स्थान पर बने बाँध से निकाली गई है । जिससे मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों के 60,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है ।

बाण सागर बाँध एवं नहर प्रणाली –

तीन राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, व बिहार) की इस संयुक्त बाण सागर बाँध परियोजना का निर्माण शहडाल (मध्य प्रदेश) जिले में सोन नदी पर किया गया है। इसकी आधार शिला 1978 में रखी गई थी। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली, प्रयागराज आदि जिलों के लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की जाती है।

राजघाट बाँध एवं नहर परियोजना –

ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बाँध का निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर-बराबर सहयोग से किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश के ललितपुर झाँसी, जालौन, एवं हमीरपुर जिलों सिंचाई की जाती है।

प्रमुख फसलें

गेहूँ, गन्ना, चावल, तम्बाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौं, तथा सरसो

गेहूँ, के उत्पादन में उ. प्र. का देश में प्रथम तथा जौं के उत्पादन में दूसरा स्थान है।

गन्ना के उत्पादन में उ. प्र. का देश में प्रथम स्थान तथा सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है।

प्रमुख फल

आम, संतरा, माल्टा, निम्बू, अमरुद, लीची, शफतालू आदि

फलो के उत्पादन में उ. प्र. का देश में प्रथम स्थान है

उद्योग-धंधे

चीनी, सूती वस्त्र, जूट, काँच, चमड़ा, दियासलाई, साइकिल, कागज, एल्युमीनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सिगरेट आदि

कुटीर उद्योग

सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कालीन, पीतल व कलाई के बरतर, इत्र व तेल, चाकू, कैंची, प्रेस, प्रकाशन, संगमरमर आदि

उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्र सरकार के प्रमुख कारखाने

कारखाने	**स्थान**
हिंदुस्तान एल्युमीनियम कारपोरेश	रेनकोट सोनभद्र
हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड	कानपुर, लखनऊ
इंडियन टेलेफोन इंडस्ट्रीज	नैंनो (इलाहबाद), रायबरेली
उर्वरक कारखाना	गोरखपुर, इलाहबाद
डीजल लोमोतिवे वर्क्स	वाराणसी
सिंगरोली कोयला खान	सिंगरोली सोनभद्र
मॉडर्न बेकरीज	कानपुर
भारत पंप एंड कंप्रेसर	नैंनो (इलाहबाद)
आयुध उपस्कर कारखाना	हजरतपुर (फिरोजाबाद)
ट्रांसफार्मर फैक्ट्री	झाँसी
अपट्रोन केपेसिटर सिस्टम लिमिटेड	लखनऊ
अपट्रोन डिजिटल सिस्टम लिमिटेड	लखनऊ
सीमेंट कारखाना	चुर्क, डल्ला (मिर्ज़ापुर)
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	गाज़ियाबाद
मथुरा तेलशोधक कारखाना	मथुरा
कृत्रिम अंग निर्माण	कानपुर
भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान	कानपुर
स्कूटर इंडिया लिमिटेड	लखनऊ

॥ वन, राष्ट्रीय अभयारण्य एवं उद्यान

- राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.3 प्रतिशत भू -भाग पर बंद होनी चाहिए।
- भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभी लिखित वन क्षेत्र 14,679 वर्ग किमी. है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.09% है।

- उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदायूं और सहारनपुर जिलों में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है।
- 11 जुलाई, 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान के तहत 5 करोड से भी अधिक वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड स्थापित किया गया।
- पहले वन केंद्रीय सरकार के संरक्षण में होते थे, किंतु 1935 ई. से वे राज्य सरकारों की संपत्ति हो गए।
- पूर्ण राज्य का वन प्रबंधक - प्रधान कंजरवेटिव आफ फॉरेस्ट होता है, उसके नीचे क्रमशः कंजरवेटट आफ फॉरेस्ट > कंजरवेटट >फॉरेस्ट > डिप्टी कंजरवेटट >फॉरेस्ट रेंजर > फॉरेस्ट गार्ड होता है।
- वन संबंधित शिक्षा का प्रारंभ 1978 ई. में फॉरेस्ट स्कूल देहरादून के नाम से हुआ। 1884 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज, देहरादून रखा गया। वर्तमान में इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज है। यहां केवल रेंजर की शिक्षा दी जाती है।
- 1912 ई. में दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कोयंबटूर के दक्षिण फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना हुई।
- 1914 ई. में देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। इसके बाद यही एक और वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई।

प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 6 भागों में विभाजित किया गया है

1. आरक्षित वन - इन वनों में पशुओं को चराना और वृक्षों को काटना अवैध है।
2. रक्षित वर्ग - स्थानीय लोगों को पशु चराने लकड़ी काटने की सुविधा होती है।
3. अवर्गीकृत वन - इन वनों में वृक्षों को काटना और पशुओं को चराना स्वतंत्रतापूर्वक किया जाता है।
4. राजकीय वन - यह वन पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में होते हैं।
5. सामुदायिक वन - यह वन स्थानीय जिला परिषदों और नगर पालिका के नियंत्रण में होते हैं।
6. निजी वन - यह वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं।

वन नीति

26 दिसंबर 1998 ई. को राज्य सरकार द्वारा 'राज्य वन नीति' घोषित की गई जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता व परिस्थिति के संतुलन को बनाए रखना है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

वन महोत्सव केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 1952 के वन निति के तहत 1952 से देश में तथा प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है ।

इसकी मूल थीम – वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है ।

सामाजिक वानिकी –सामाजिक वानिकी समाज के लिए समाज के द्वारा समाज की भूमि पर वनीकरण है । इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में किया गया ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल व विश्व बैंक की सहायता से राज्य में 1979-80 में सामाजिक वानिकी योजना शुरू किया गया ।

वीर अब्दुल हमीद वन जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना –

वृक्षारोपण बढ़ाने वन्य जीवों तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों संगठनों को पुरस्कृत करने हेतु यह योजना 2012-13 से चलायी जा रही है।

इस योजना के अनुसार प्रत्येक वर्ष किसी एक चयनित व्यक्ति को 2 लाख तथा किसी एक चयनित संगठन को 2 लाख रुपए के पुरस्कार व् स्मृति चिन्ह अलग-अलग दिए जाते हैं ।

वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना –

गाँवों, शहरों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए चलायी जा रही इस योजना के तहत किसी अवकाश प्राप्त शिक्षक या अन्यकर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को जो पेड़-पौधों में रुचि रखता हो को गाँव मोहल्ला स्तर पर प्रतिपालक और रेंज स्तर पर वृक्ष मित्र चुना जाता है ।

हरित पट्टी विकास योजना –

प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु यह योजना 2012-13 से चलाई जा रही है । इस योजना के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर शीशम, अमलताश, गुलमोहर, सीरस, आम, चितवन, पीपल, पाकड़

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

कचनार, ईमली, बेल महुवा, बरगद, कुंजी, आदि के पेड़ लगवाये जा रहे हैं।

टोटल फॉरेस्ट कवर योजना-

उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बदायूँ, रामपुर, कन्नोज, लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, आजमगढ़, ललितपुर, चित्रकूट आदि 14 जिलों को पूर्ण रूप से हरा-भरा बनाने के लिए 2014-15 से यह योजना चलायी जा रही है।

वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 1956 में स्थापित संगठन द्वारा सर्वप्रथम 1957 में चन्दौली स्थित चन्द्र प्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना की गई।

वर्तमान में राज्य वन विभागधीन कुल 11 वन्य जीव विहार हैं।

लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केन्द्र लखनऊ के कुकरेल वन में 1984-85 में लुप्त प्राय प्रजातियों हेतु एक प्रजनन केन्द्र स्थापित किया गया। यहाँ पर काला हिरण उद्‌बिलाव, काकेर आदि लुप्त प्राय वन जीवों की प्रजनन योजना चलाई जा रही है।

उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन सोनभद्र जिले में है।

उत्तर प्रदेश में जड़ी-बूटी और तेंदू के पत्ते का संग्रहण उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा किया जाता है।

16 नवम्बर 2018 को भारत में हाथियों का पहला अस्पताल उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया है।

चिपको आंदोलन वन कटाई के विरुद्ध चलाया गया था।

घड़ियाल सर्वाधिक मात्रा में गंगा में पाए जाते हैं।

भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में की गयी थी।

ह्वेल शार्क भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है।

गिद्धों की असमय मृत्यु का कारण डिक्लोफेनिक सोडियम को माना जाता है।

गेंडा और पारा तराई क्षेत्रो में पाए जाते हैं।

केन्द्र सरकार ने वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट एलीफैंट की शुरुआत की।

ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1999 में ताज ट्रेपिजियम परियोजना बनाई है।

कस्तूरी हिरन और भूरा रीछ प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में ही मिलते हैं।

ग्रीन यू.पी. क्लीन यू.पी.अभियान की शुरुआत 7 नवम्बर 2015 को की गई थी।

राजीव गाँधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार शोध छात्रों, संस्थाओं, वन्य जीव संरक्षकों और अधिकारीयों को दिया जाता है।

प्राणी उद्यान की स्थापना कानपूर और लखनऊ में की गई है।

उत्तर प्रदेश में तीन चिड़िया घर है जो निम्न है-

- नायब वाजिद अली शाह जूलोजिकल गार्डन लखनऊ
  - कानपुर चिड़िया घर
  - गोरखपुर चिड़िया घर

प्रदेश के चिड़ियाघरों की देखभाल का दायित्व केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है।

* सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला	सोनभद्र
* न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला	संत रविदास नगर
* राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
* टाइगर्स रिजर्व	दुधवा और पीलीभीत
* प्राणी उद्यान	लखनऊ और कानपुर
* राज्य का प्रथम पक्षी विहार	नवाबगंज पक्षी विहार
* राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार	लाख बहोशी पक्षी विहार
* राज का सबसे छोटा पक्षी बिहार	पटना पक्षी विहार
* राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार	चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार
* राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार	हस्तिनापुर वन्य जीव विहार

* हाथियों के संरक्षण हेतु केंद्र द्वारा	1992 में शुरू की गई प्रायोजित 'प्रोजेक्ट एलीफेंट'
* 'एलिफेंट रिजर्व' स्थापित करने की योजना है	सहारनपुर और बिजनौर में

उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव विहार व प्राणी उद्यान

राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव व पक्षी विहार, प्राणी उद्यान का नाम	जनपद एवं क्षेत्रफल	स्थापना वर्ष	पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव पक्षी
1.दुधवा राष्ट्रीय उद्यान	लखीमपुर खीरी (490 वर्ग किमी)	1977	बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ,अजगर, सांभ, चीतल, पांडा , काकड़, बारहसिंघा, गैंडा भालू।
2.चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार	चंदौली (78 वर्ग किमी)	1997	तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा, चीतल, सांभर, लकड़बग्घा, गीदड़, भेड़िया सेही, भालू ।
3. किशनपुर वन्य जीव विहार	लखीमपुर खीरी (204 वर्ग किमी)	1972	तेंदुआ, बाघ, बारहसिंघा, चीतल, पांडा, जंगली सूअर, गीदड़, सेही,लंगूर तथा बंदर एवं विभिन्न स्थानीय प्रवासी पक्षी आदि।
4. कर्तनियाघाट वन्यजीव बिहार	बहराइच (400 वर्ग किमी)	1976	तेंदुआ, बाघ, बारहसिंघा, चीतल, पांडा,काला मुर्गा, नीलगाय, गैंडा, घड़ियाल, मगर, जंगली सूअर, गीदड़, सेही, ऊदबिलाव, बंदर एवं विभिन्न स्थानीय प्रवासी पक्षी आदि।
5. रानीपुर वन्य जीव विहार	बांदा व चित्रकूट (230 वर्ग किमी)	1977	तेंदुआ, बाघ, सांभर, चीतल, नील गाय, जंगली सूअर, काला मृग, गीदड़, सेही, ऊदबिलाव, बंदर, एवं धर्मेंद्र स्थानीय प्रवासी पक्षी आदि।
6. महावीर स्वामी वन्य जीव विहार	ललितपुर (5.4 वर्ग किमी)	1977	काला, मुर्गा, नीलगाय, जंगली सूअर, लंगूर, तथा बंदर एवं विभिन्न पक्षी आदि
7.राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार	आगरा इटावा 635 वर्ग किमी	1979	घड़ियाल, मगर , गेन्गेटिक डॉल्फिन, विभिन्न कछुए , ऊदबिलाव, लकड़बग्घा, गीदड़, गोह,चिकारा, जंगली सूअर, सांभर, काला हिरण, एवं विभिन्न स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी।

8. कैमूर वन्य जीव विहार	मिर्जापुर एवं सोनभद्र की विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में (501 वर्ग किमी)	1982	कृष्णमृग, सांभर, चीतल, चिंकारा, चौसिंगा, नीलगाय, भालू, तेंदुआ, वनबिलाव, कराकल, बिल्लू एवं विभिन्न स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी आदि।
9. हस्तिनापुर वन्य जीव विहार	मेरठ गाजियाबाद बिजनौर एवं ज्योतिबा फूले नगर (2073 वर्ग किमी)	1986	बारहसिंघा, सांभर, चीतल, नीलगाय, भेड़िया, तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली सूअर, वनबिलाव एवं विभिन्न पक्षी आदि।
10. सोहागीबरवा जीव विहार	महाराजगंज (428 वर्ग किमी)	1987	तेंदुआ, बाघ, चीतल, काकड़, पांडा, देसी भालू, वनबिलाव, नीलगाय, जंगली सूअर, मगर, अजगर, कोबरा एवं विभिन्न पक्षी आदि।
11. सुहेलवा वन्य जीव बिहार	बलरामपुर श्रावस्ती व गोंडा (452 वर्ग किमी)	1988	तेंदुआ, बाघ, देशीभालू, चीतल, वनबिलाव, जंगली सूअर एवं विभिन्न पक्षी आदि।
12. कछुआ वन्य जीव विहार	रामनगर वाराणसी (7 वर्ग किमी)	1989	विभिन्न कछुए गांगेय डॉल्फिन एवं जलचर तथा विभिन्न पक्षी आदि।
13. नवाबगंज वन्य जीव विहार	उन्नाव (2.25 वर्ग किमी)	1984	गीदड़, बंदर, नेवला, खरगोश, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी।
14. समसपुर वन्य जीव विहार	रायबरेली (8 वर्ग किमी)	1987	गीदड़, नेवला, खरगोश विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय
15. लाखवहोसी पक्षी विहार	कन्नौज (80 वर्ग किमी)	1988	गीदड़, नेवला, नीलगाय, फिशिंग कैट,बंदर विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी
16. सांडी वन्य जीव बिहार	हरदोई (3 वर्ग किमी)	1990	गीदड़, नेवला, नीलगाय विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी
17. बखीरा वन्य जीव विहार	संतकबीरनगर (29 वर्ग किमी)	1990	गीदड़, नेवला, नीलगाय विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी
18. ओखला वन्य जीव विहार	गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर (4 वर्ग किमी)	1990	विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी
19. समान वन्य जीव	मैंनपुरी (5 वर्ग किमी	1990	गीदड़, खरगोश, नेवला, नीलगाय, विभिन्न

बिहार	)		प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी।

20. पार्वती अरगा वन्य जीव विहार	गोंडा(11 वर्ग किमी)	1990	गीदड़, खरगोश, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी।
21. विजय सागर वन्य जीव विहार	महोबा (3 वर्ग किमी)	1990	गीदड़, वन बिलाव , नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी।
22. पटना वन्य जीव विहार	एटा (1 वर्ग किमी)	1990	गीदड़, खरगोश, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी।
23. सुरहाताल वन्य जीव विहार	बलिया (34 वर्ग किमी)	1990	गीदड़, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं पक्षी
24. सुर सरोवर वन्य जीव विहार	आगरा (4 वर्ग किमी)	1991	गीदड़, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं पक्षी
25. डॉ. भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार	प्रतापगढ़ (4.27 वर्ग किमी)	2003	विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी।
26. कानपुर प्राणी उद्यान	कानपुर (75 हेक्टेयर), जनपद कानपुर शहर (एलेन फॉरेस्ट कानपुर)	2 फरवरी 1974	भारतीय गैंडा, बारहसिंघा, मणिपुरी हिरण, हिप्पो,उरंग- उटान अन्य
27. लखनऊ प्राणी उद्यान	लखनऊ (29.14 हेक्टेयर)	1921	शेर, सफेद, शेर, जिराफ, भालू, हुक्कू, बंदर, सांप, हाथी, हिरण, गैंडा, हिप्पो, आदि

राज्य में प्रमुख विश्वविध्यालय

विश्वविध्यालय का नाम	स्थान	स्थापना वर्ष
• इलाहाबाद विश्वविध्यालय	इलाहबाद	1887 ई.
• बनारस हिन्दू विश्वविध्यालय	वाराणसी	1916 ई.
• अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यलय	अलीगढ	1920 ई.
• लखनऊ विश्वविध्यालय	लखनऊ	1921 ई.
• डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविध्यालय	आगरा	1927 ई.
• दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविधालय	कानपुर	1957 ई.
• महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	वाराणसी	1965 ई.
• आचार्य नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय	फैजाबाद	1965 ई.
• महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविध्यालय	बरेली	1974 ई.
• डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय	फ़ैज़ाबाद	1974 ई.
• बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	झाँसी	1975 ई.
• दयालबाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय)	आगरा	1981 ई.
• संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविध्यालय	वाराणसी	1958 ई.
• वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय	जैनपुर	1987 ई.
• केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान	सारनाथ	1989 ई.
• डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय	लखनऊ	1996 ई.
• भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान	इज्जतनगर	1998 ई.
• राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविध्यालय	इलाहबाद	1998 ई.
• सरदार बल्लभाई पटेल कृषि एवं • प्रोद्योगिकी विश्वविध्यालय	मेरठ	2000 ई.
• इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी	इलाहबाद	2000 ई.
• उत्तर प्रदेश तकनिकी विश्वविध्यालय	लखनऊ	2001 ई.
• भातखंडे संगीत संस्थान	लखनऊ	2001 ई.
• डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	लखनऊ	2005 ई.
• ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविध्यालय	लखनऊ	2010 ई.

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

वन्यजीव विहार

	नाम	स्थापना वर्ष	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	जनपद
1.	हस्तिनापुर वन्यजीव विहार	1986 ई.	2,073	गाज़ियाबाद, मेरठ, मुज्जफनगर, मुरादाबाद
2.	राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव विहार	1979 ई.	635	इटावा एवं आगरा
3.	कैमूर वन्याजीव विहार	1982 ई.	501	सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर
4.	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान	1977 ई.	490	लखिपुर खीरी
5.	डॉ. भीमराव आंबेडकर वन्यजीव विहार	2003 ई.	467	प्रतापगढ़
6.	सोहेलवा वन्यजीव विहार	1988 ई.	452	गोंडा एवं बहराइच
7.	सोहागी वरना वन्यजीव विहार	1987 ई.	428	महाराजगंज
8.	कतरनियाघट वन्यजीव विहार	1976 ई.	410	बहराइच
9.	रानीपुर वन्यजीव विहार	1977 ई.	230	बाँदा
10.	किशनपुर वन्यजीव विहार	1972 ई.	227	लखीमपुर खीरी

प्रदेश के 8 जिलों के परिवर्तन नाम

1. महामायानगर को पुनः हाथरस कर दिया गया हैं
2. रमाबाई नगर को पुनः कानपूर देहांत कर दिया गया हैं
3. छत्रपति शाहूजी नगर को पुनः अमेठी कर दिया गया हैं
4. काशीराम नगर को पुनः कासगंज कर दिया गया हैं
5. प्रबुद्ध नगर को शामली कर दिया गया हैं
6. पंचशील नगर को पुनः हापुड़ कर दिया गया हैं
7. ज्योतिबा फुले नगर को पुनः अमरोहा कर दिया गया हैं
8. भीमनगर को पुनः संभल कर दिया गया हैं

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

बहुउद्देशीय योजनायें

रिहंद बाँध परियोजना (रिहंद नदी पर), माताटीला परियोजना (बेतवा नदी पर), रामगंगा परियोजना, मध्य गंगा, परियोजना, सहृदा परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, गोविन्द वल्लभ सागर परियोजना, ओबरा जल विद्युत केन्द्र, गण्डक परियोजना

नदियों के किनारे बसे नगर

नगर	नदियाँ		
आगरा	यमुना	वृंदावन	यमुना
लखनऊ	गोमती	गोरखपुर	राप्ती
बटेश्वर	यमुना	मथुरा	यमुना
इलाहबाद	गंगा- यमुना, सरस्वती(संगम पर)	राजघाट	गंगा
		जौनपुर	गोमती
		वाराणसी	गंगा
कानपूर	गंगा	हमीरपुर	यमुना

कौशाम्बी	यमुना
सुल्तानपुर	गोमती
गाजीपुर	गंगा

नगर और उनके उपनाम

नगर	उपनाम
आगरा	ताजनगरी
अयोध्या	राम जन्मभूमि स्थल
अलीगढ	ताला नगरी
इलाहबाद	संगम नगरी
मथुरा	कृष्ण नगरी
कन्नोज	खुशबुयों का शहर
लखनऊ	नवाबो का शहर
फिरोजाबाद	सुहाग नगरी

उ.प्र. के महत्वपूर्ण व्यक्ति

प्रमुख व्यक्तित्व –

सर सैयद अहमद खां

सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ई. में दिल्ली में हुआ था। 1857 ई. में वे अमीन के पद नियुक्त हुए थे। सरकारी सेवा से निवृत होकर वे समाज सुधारक बन गये थे। मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन-एंग्लों ओरिएण्टल स्कूल स्थापित किया। इनकी मृत्यु 1898 ई. में हुई।

टोडरमल –

इनका जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गाँव में हुआ था। पहले ये शेरशाह सूरी की सेवा में थे। बाद में मुगलों की सेवा में आ गए। अकबर के समय में इनको दीवान का पद प्रदान किया था। इन्होंने दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा भू-व्यवस्था को नवीन स्वरूप प्रदान किया था।

बीरबल –

बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन के काल्पी नामक गाँव में 1528 ई. एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम महेश दास था। अकबर ने इनको अपने नवरत्नों में शामिल किया था।
अकबर के दीन-ए-इलाही को स्वीकार करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे।

बाणभट्ट –

बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ये कवि एवं विद्वान के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने हर्ष चरित व कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है। इनके दोनों ग्रन्थ तत्कालीन भारत की जानकारी के महत्वपूर्ण स्त्रोत है।

संत रविदास

रविदास चर्मकार जाति से थे। ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। रविदास जी ने रैदासी सम्प्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये रामानन्द के 12 शिष्यों में से एक थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक इस संत ने हिन्दू और मुस्लिमों में से कोई भेदभाव नहीं किया। इन्होंने रामदासी सम्प्रदाय की स्थापना की।

अमीर खुसरो –

अमीर खुसरो का जन्म 1253 ई. में कासगंज जिले के पटियाली गाँव में हुआ था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
खुसरो ने सितार व तबले का आविष्कार किया था। खुसरो को भारत का तोता यानि के तूतिए-हिन्द कहा जाता है। खुसरो को हिन्दी खड़ीबोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो फारसी के महान कवि व इतिहासकार थे। खुसरो को ख्याली गायकी का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1325 ई. में हुई थी।

तात्या टोपे –

तात्या टोपे का मूल नाम रामचन्द्र पाण्डूरंग था। लक्ष्मीबाई के साथ इनका भी पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में हुआ था। और पेशवा ने ही इनको तात्या टोपे नाम दिया था। ये नाना साहब के सेनापति थे। उन्होंने बिठूर झाँसी तथा कालपी में हुए 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई।

सूरदास –

सूरदास का जन्म संवत 1478 में ब्राह्मण कुल में मथुरा के पास सीही नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनका निधन 1583 में हुआ था।

सूरदास जी की रचनाएँ कृष्ण –भक्ति से परिपूर्ण है। जोकि ब्रज भाषा में लिखी हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएँ सूरसागर,सूरसारावली, तथा साहित्य लहरी हैं।

मंगल पाण्डेय –

ये पश्चिम बंगाल में बैरकपुर स्थित 34वीं देशी पलटन के सिपाही थे। इनका जन्म बलिया जिला में हुआ था। गाय एवं सूअर की चर्बी लगे कारतूस को चलाने से इन्कार कर इन्होंने सार्जेन्ट मेजर हयुड्सन को गोली मार दी थी इसलिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पाण्डे को फांसी दे दी गई। इस प्रकार 1857 की क्रांति में ये प्रथम शहीद थे।

लाल बहादुर शास्त्री -

लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय में हुआ था। महात्मा गाँधी से प्रभावित होकर ये 1921 ई. में राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़े और कई बार जेल गए। पण्डित जवाहरलाल नेहरु की मृत्यु के पश्चात 9 जून 1964 को ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने।

1965 के भारत पाक युद्ध में विजय का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है।

11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया।

मदन मोहन मालवीय –

इनका जन्म प्रयागराज में 27 दिसम्बर 1861 ई. को हुआ था।

1902 ई. में वे संयुक्त प्रान्त की विधान परिषद् के लिए निर्वाचित किये गये थे।

1910 ई. से 1920 ई. तक वे केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे।

इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मलेन में लन्दन में आयोजित भाग लिया था। इन्होंने 1916 ई. में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की

1946 ई. में इनकी मृत्यु हो गयी थी।

बेगम हजरत महल –

बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। इन्होंने 1857 ई. के विद्रोह में अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करने के बाद लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्होंने अंग्रेजो को हरा दिया था।

जोश मलीहाबादी –

इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलीहाबाद में 5 दिसम्बर 1898 में हुआ था।

1956 ई. में ये पाकिस्तान चले गए, जहाँ पर इन्होंने पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त का ली। इन्हें शायर-ए-इन्कलाब' के नाम से प्रसिद्धि मिली। स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रीय भाग लेने वाले जोश मलीहाबादी को 1954 ई. में पद्म भूषण से नवाजा गया था।

तुलसीदास –

तुलसीदास का जन्म 1568 में उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था।

तुलसीदास जी के माता पिता का नाम हुलसी देवी व पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके बचपन का नाम रामबोला था।

इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। इनकी प्रमुख रचनाएँ रामचरितमानस, कवित रामायण, कवितावली, दोहावली, राम सतसई, रामलला लहचू, गीतावली, ये अवधि भाषा में लिखी गई थी। ब्रज भाषा में लिखित इनकी रचना विनय पत्रिका अधिक लोकप्रिय है।

तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 में श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को हुआ था।

मोतीलाल नेहरु –

पण्डित मोतीलाल नेहरु का जन्म 1861 में इलाहाबाद में हुआ था।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

चौरा-चौरी काण्ड के बाद महात्मा गाँधी द्वारा असहयोग आन्दोलन वापस लेने पर मोतीलाल नेहरु ने सी. आर. दास के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया । देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु इन्हीं के पुत्र थे । इन्होंने 1919 में ये अमृतसर और 1928 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने ।

चन्द्रशेखर आजाद –

इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भवरा गाँव में हुआ था । लेकिन ये बदरकापुर, उन्नाव के मूल निवासी थे । इनके पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी था ।
इन्होंने हिन्दुस्तान रिपब्लिकेशन एशोसिएशन नाम से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों के एक संगठन की स्थापना की ।
27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के बाद स्वयं को गोली मार ली व शहीद हो गए ।

चित्तू पाण्डे –

चित्तू पाण्डे बलिया के निवासी थे । इन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेता के रूप में 10 अगस्त को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार के नेतृत्व किया था । इन्हें बलिया का शेर भी कहा जाता है ।

रामप्रसाद बिस्मिल –

इनका जन्म शाहजहाँपुर में 1897 में हुआ था । ये महान क्रन्तिकारी और चन्द्रशेखर आजाद के सहयोगी थे ।
काकोरी केस में 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गयी थी ।
इनके द्वारा लिखा गया एक गीत आज भी हम भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बना हुआ है । जिसके बोल हैं – **सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ।**

रानी लक्ष्मीबाई –

वीरांगना लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था । ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र मोरोपन्त ताम्बे की पुत्री थीं ।
इनका पालन पोषण अंग्रेजों के पेंशनर पेशवा बाजीराव द्वितीय के देखरेख में बिठूर में हुआ था। बाजीराव इन्हें प्यार से छबीली कहते थे ।
इनका विवाह झाँसी के राजा गंगाधर के साथ हुआ था । कुछ समय बाद ही ये विधवा हो गई । ऐसे में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अपनी राज्य हड़प निति के तहत झाँसी को अपने साम्राज्य में मिला लिया था ।
रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकार स्वीकार कराने की कम्पनी सरकार से कोशिश की । लेकिन सफलता नही मिली ।
अंग्रेजों से असंतुष्ट होकर 1857 की क्रांति में उन्हें भयंकर टक्कर दी । इनकी मृत्यु अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई ।

पण्डित जवाहरलाल नेहरु –

नेहरु का जन्म 14 नवम्बर 1889 की इलाहाबाद में हुआ था ।
इन्होंने इंग्लैण्ड से वकालत की थी । 1916 में इनका विवाह कमला नेहरु से हुआ ।
महात्मा गाँधी के सम्पर्क में आने के पश्चात 1923 में जवाहरलाल नेहरु को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया ।
1928 ई. में साइमन कमीशन का विरोध करने पर ये लखनऊ में लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए ।
1929 ई. में जवाहरलाल नेहरु कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने । इस अधिवेशन में इन्होंने हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है की घोषणा की ।
देश के आजाद होने पर इनको स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इससे पूर्व जवाहरलाल नेहरु वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में भी प्रधानमंत्री थे ।
27 मई 1964 ई. को इनकी मृत्यु हो गई थी ।

अबुल फजल एवं अबुल फैंजी –

इनका जन्म 1550 ई. में आगरा में हुआ था । ये शेख मुबारक के पुत्र व शेख फैंजी के छोटे भाई थे । अबुल फजल को शेख फैंजी के नाम से भी जाना जाता है ।
अबुल फैंजी भी अकबर के दरबारी कवि थे ।
इनकी दो रचनाएँ अकबरनामा व आईने अकबरी तात्कालिक इतिहास के मुख्य स्त्रोत हैं ।

विविध तथ्य

- उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त थे
- उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थीं
- उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दस टंडन थें
- उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रथम सभापति चंद्रभान थें
- उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थीं
- उत्तर प्रदेश की एकमात्र आण्विक परियोजना नरौरा (बुलंदशहर) है
- प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक बगर कानपूर हैं
- सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा (फतेहपुर सिकरी) हैं
- महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ (वाराणसी से 10 किमी दूर) में दिया था
- स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 ई. में मेरठ में हुआ था
- काशी विद्यापीठ में पठान-पाठन 1921 ई. में महात्मा गाँधी ने आरम्भ किया था
- अयोध्या का प्राचीन नाम 'अयाज्सा' था
- प्राचीनकाल में कन्नोज 'कान्यकुब्ज' के नाम से प्रसिद्ध था
- उत्तर प्रदेश का इतिहास
- प्राचीनकाल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र 'मध्य देश' कहलाता था मध्य देश (वर्तमान उ. प्र.) में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल महाजनपद स्थापित थे
- मिर्ज़ापुर बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ के सराय नाहर क्षेत्र में खुदाई के परिणामस्वरूप प्राप्त प्राचीन और नविन पशंकलिन औजार, हथियार तथा (आलमगीर) में जो हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली है उन्हें यह ज्ञात होता है कि यहाँ का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है
- मध्य पाषाण कालीन मानव के अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सारे नहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए है
- मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औज़ार सूक्ष्म पाषाण (पठार के परिकृत औज़ार) भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते है
- इलाहबाद जिले के नव पाषण स्थलों की यह विशेषता है की यहाँ ईसा-पूर्व छठी शताब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था तत्कालीन बर्तनों में पोलिश वाला मृद्भांड, घूसर मृद्भांड, मंद्रर्ण आदि भी अतरंजी खेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी और सोख में मिले है
- नवीनतम खोजो के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल संत कबीर जिले में स्थित लाघुरादेव है
- जब बहार से आर्य आए, उन्होंने सबसे पहले भारत में सप्त सिन्धु या सात नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश में बस्तियाँ बनाई
- प्रारंभ में कुछ प्रमुखघरानों के नाम इस प्रकार थे- पुरु, तुर्वस, यदू, अनु और द्रुह्य ये पाँच घराने पंचजन कहताते थे
- धीरे-धीरे आर्य पूर्व की ओर अग्रसर होने लगे कौशल और विदेह पर ब्राह्मणों और क्षत्रियोंद्वारा अधिकार कर लिया गयाइसका वर्णन 'शतपथ' ब्राह्मण में है
- धीरे-धीरे सप्तसिंधु का महत्त्व कम होता गया और आर्यों को सरस्वती और गंगा की उपजाऊ भूमि ने आकर्षित किया यही उनकि संस्कृति, साहित्य, आध्यात्मिक और राजनीती का केन्द्र बना यहाँ कुरु, पांचाल, काशी और कौशल(अवध) राज्य थे।
- ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आरम्भ में उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। इनमें से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। ये महाजनपद निम्न थे – कुरु, पांचाल, काशी, कोशल, शूरसेन, चेदी, वत्स, और मल्ल, थे।
- 8 महाजनपदों के आलावा उत्तर प्रदेश में कपिलवस्तु (शाक्य गण) और समसुमेरगिरी (भग्ग गण) नाम के दो गणराज्य भी थे।
- वर्तमान में कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले (नेपाल का तराई क्षेत्र) में स्थित है। समसुमेरगिरी गणराज्य वर्तमान चुनार जिले में स्थित था।
- समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिषेण प्रयाग प्रशस्ति लेख के सातवें शलोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन करता है।
- सम्राट अशोक ने बुद्ध के जीवनकाल से जुड़े सभी स्थानों जैसे कि कुशीनगर, गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती आदि की यात्रा भी की थी।
- भारत का राजकीय चिह्न अशोक के सारनाथ स्थित स्तम्भ लेख के शीर्ष पर बनी सिंहों की आकृति से लिया गया था।

- शुंग काल में उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला तथा ब्रह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ ।
- अशोक ने बड़ी संख्या में स्तूप भी बनायावे जो वर्तमान में मथुरा, कन्नोज, कोशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, आदि में स्थित है । वाराणसी के निकट सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप आज भी मौजूद है, जबकि बाकि का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरणों में मिलता है ।
- अशोक ने जो भी कलाकृतियाँ और शिलालेख निर्मित करायें उनका निर्माण उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार में मिलने वाले बलुआ पत्थर से हुआ है ।
- अयोध्या में मिले अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने दो बार अश्वमेध यज्ञ किए थे । कालिदास की कृति मालविकाग्निमित्रम् से भी पुष्यमित्र के दो बार अश्वमेध यज्ञ किये जाने की जानकारी मिलती है ।
- शुंग वंश के बाद उत्तरप्रदेश में कण्व वंश (75 ई. पू. से 30 ई.पूल. तक का शासन रहा था ।
- स्कन्द गुप्त का भीतरी स्तम्भ लेख – इस स्तम्भ लेख का निर्माण कार्य गुप्त वंश के शासक स्कन्दगुप्त ने करवाया था । यह अभिलेख स्कन्दगुप्त के पिता कुमारगुप्त की स्मृति में बनवाया था ।
- सोँहगौरा का लेख – गोरखपुर जिले से प्राप्त इस कांस्य लेख में मौर्य काल की समस्या से निपटने के लिए अपनाए गए उपायों का वर्णन किया गया है ।
- कनिष्क का स्तम्भ लेख – मथुरा में स्थित इस लेख से प्रथम शताब्दी के बारे में जानकारी मिलती है । यह स्तम्भ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखा है ।
- सारनाथ लघु स्तम्भ लेख – मौर्यकालीन सम्राट अशोक द्वारा इस स्तम्भ लेख का निर्माण वाराणसी में करवाया गया था । भारत के राष्ट्रीय प्रतिक (अशोक की सिंह स्तम्भ) को इसी सतम्भ लेख से लिया गया है ।
  - संभल के जामी मस्जिद और अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था ।
  - शेरशाह सूरी ने कुल 4 सड़कें बनवाई ।
  - सोनार गाँव (बंगाल से लाहौर) तक जी.टी. रोड
  - आगरा से बुरहानपुर तक
  - आगरा से चित्तौड़ तक
  - लाहौर से मुल्तान तक
  - शेरशाह ने चुनार की विधवा मल्लिका से विवाह करके चुनार को प्राप्त किया था । कालिंजर पर आक्रमण (1545) ई. के दौरान तोप का गोला फट जाने से शेरशाह की मृत्यु हुई ।
- सिकन्दरा में अकबर के मकबरे तथा मरियम उज-जमानी के मकबरे का निर्माण जहाँगीर ने करवाया था ।
- शर्की साम्राज्य (1394-1479)ई. के दौरान व्यापारिक, कला, शिक्षा और सासंस्कृति उन्नति के कारण जौनपुर को शिराज-ए-हिन्द या पूर्व का शिराज भी कहा गया ।
- शिराज का अर्थ है दीपक या सूर्य अर्थात् जौनपुर को पूर्व का दीपक या हिन्दुस्तान का दीपक कहा गया ।
- मुगल शासन के दौरान मुस्लिम इतिहासकारों ने जिस स्थान को हिन्दुस्तान कहकर पुकारा या सम्बोधित किया वह प्राचीन काल का मध्य देश और वर्तमान का उत्तर प्रदेश ही था ।
- अकबर के नवरत्नों में से दो मंत्री टोडरमल और बीरबल उत्तर प्रदेश से थे । टोडरमल सीतापुर से थे और बीरबल कालपी से थे ।
- बाबर ने 1529 ई. में घाघरा के युद्ध में अफगानों को शिकस्त दी । 1530 ई. में बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई थी ।

स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान

- ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली चिंगारी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही भड़की थी । जिसने कुछ समय में ही ऐसा आक्रमक रूप ले लिया था की ब्रिटिश सरकार को भारत से ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त कराना पड़ा । तमाम क्रन्तिकारी घटनाओं का गवाह रही इस धरती पर राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सम्मलेन भी हुए । स्वराज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है । इन सभी घटनाओं ने मिलकर ब्रिटिश सत्ता को भारत से जाने के लिए मजबूर कर दिया था ।

- स्वतंत्रता आन्दोलन का प्रथम चरण –
- इस चरण में 1857 की क्रांति के कारण क्रांति में प्रदेश की भूमिका क्रांति के दौरान हुई । प्रमुख घटनाओं और उनका ब्रिटिश हुकूमत पर प्रभाव जैसे विषयों को शामिल किए गया है ।

स्वतंत्रता आन्दोलन का दूसरा चरण -

- कांग्रेस की स्थापना के बाद स्वतंत्रता आन्दोलन के तौर-तरीकों में बदलाव आया । इस दौरान क्रान्तिकारी घटनाएँ भी तेजी से हुई । जिनसे ब्रिटिश सत्ता हिल है थी । उत्तर प्रदेश के निवासियों ने क्रान्तिकारी गैर-क्रान्तिकारी दोनों ही तरीकों से अंग्रेजी सत्ता की जड़ें हिला दीं ।

प्रथम चरण –

- भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन का उद्भव 1857 की क्रान्ति से हुआ । भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना 1757 ई. के ठीक 100 वर्ष बाद 10 मई 1857 ई. को मेरठ से शुरू हुआ । यह विद्रोह शीघ्र ही उत्तर भारत के अधिकांस क्षेत्र में फ़ैल गया ।
- 1857 की क्रान्ति की शुरुआत ब्रिटिश इण्डिया कम्पनी के भारतीय सैनिकों ने ही की थी । यह विद्रोह कई विभिन्न कारणों का परिणाम था ।

- राजनीतिक कारण –
- शासन सत्ता की स्थापना के साथ ही ब्रिटिश कम्पनी ने भारतीयों के साथ आर्थिक शोषण की नीति अपनाई । इससे समूचे देश के साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता भी त्रस्त थी । ब्रिटिश अधिकारीयों ने देशी शासकों के अन्दरूनी मामलों और देश की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया था ।
- ब्रिटिश अधिकारियों ने 1856 ई. में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था ।
- इस पर जनता के रोष ने विस्फोट स्वरूप धारण कर लिया । इसका परिणाम 1857 की क्रान्ति के रूप में परिलक्षित हुआ ।
- 1840 ई. से 1856 ई. के बीच झाँसी, जालौन, और हमीरपुर, के राजा अपने उतराधिकारी के बिना ही स्वर्गवासी हो गए । डलहौजी ने विलय की नीति अपनाकर इन सभी राज्यों को जबरन ब्रिटिश कम्पनी के साम्राज्य में मिला लिया ।
- भारत की जनता देशी राजाओं में पूर्ण आस्था रखती थी ।
- ब्रिटिश कम्पनी की इस नीति से जनता अंग्रेजों के खिलाफ होने लगी थी ।

- सैनिक कारण –
- भारतीय सैनिकों में से अधिकांश सैनिक अवध, बिहार, और उत्तर- पश्चिमी प्रान्त के निवासी थे । इन सैनिकों को वेतन तो काफी हद तक संतोषजनक दिया जाता था । लेकिन उच्च पदों पर नियुक्त नही किया जाता था । भारतीय सैनिकों को सार्जेन्ट से ऊपर का पद नही दिया जाता था । ब्रिटिश कम्पनी की इस नीति के कारण भारतीय सैनिकों में काफी रोष व्याप्त हो चुका था ।
- ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपनी सेनाओं को तीन भागों में विभाजित किया गया था । बंगाल, बॉम्बे और मद्रास सेना । इनके अन्दर बंगाल की सेना सबसे बड़ी थी । इस सेना के अन्दर कुल 1,70,000 सैनिकों में से 1,40,000 सैनिक भारतीय थे ।

आर्थिक कारण –

- बंगाल में शासन स्थापना के साथ ही ब्रिटिश कम्पनी ने भू-राजस्व के लिए रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी व्यवस्थाएँ अपनाई थी । जो भारतीय किसानों के लिए अभिशाप साबित हुई ।
- भारत में शासन स्थापना के बाद ही अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीयों के प्रति आर्थिक शोषण की नीति अपनाई ।
- ब्रिटिश कम्पनी की व्यापारिक नीतियों के कारण भारत में तत्कालीन कुटीर उद्योग हाशिए पर आ गए थे । देश के धन का निष्कासन ब्रिटेन की और होने लगा ।

तात्कालिक कारण –

- उन्नीसवीं सदी के मध्य में ब्रिटिश कम्पनी ने सेना को नए कारतूस दिए । इन कारतूसों का प्रयोग करने से पहले इनकों मुह से खोला जाता था । भारतीय सैनिकों में यह बात फैल चुकी थी की कारतूसों के कवर पर सूअर और गाय की चर्बी लगी है । इससे हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की भावनाएँ आहत हुई ।

- 1857 ई. की शुरुआत में कलकत्ता के निकट बैरकपुर में 34 वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के भारतीय सैनिक मंगल पाण्डे ने खुला विद्रोह कर दिया । उत्तर प्रदेश के निवासी मंगल पाण्डे ने एड्जुटेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बैग पर गोली चला दी । इस घटना के कारण मंगल पाण्डे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई ।

- अप्रैल 1857 को मेरठ में परेड़ के दौरान भारतीय सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इन्कार कर दिया। ब्रिटिश सेना ने इस घटना के विरोध में 85 सैनिकों को कैद कर लिया। 9 मई 1857 को उन सैनिकों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की करवाई की गई। अगले ही दिन भारतीय सैनिक कदम सिंह के नेतृत्व में पूरी छावनी के सैनिकों में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी।

- 10 मई 1857 को मेरठ में अपने 85 साथी सैनिकों को मुक्त कराने के बाद सभी सनिकों ने दिल्ली की और कूच किया।
- 11 मई को इन सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर को अपना शासक घोषित कर दिया।

- आन्दोलन का नेतृत्व अब बहादुर शाह जफर के हाथों में आ गया था। विद्रोह की यह आग जल्द ही झाँसी, कालपी, कानपुर, बिठूर, लखनऊ, अवध, वाराणसी, बलिया, और आजमगढ़, में फैल गयी।
- 23 मई को इटावा, और मैनपुरी में , 25 मई को रुड़की में, 27 मई को एटा में, 30 मई को मथुरा और लखनऊ में , 31 मई को बरेली और शाहजहाँपुर में, 1 जून को मुरादाबाद और बदायूँ, में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी।
- जून को आजमगढ़ एवं सीतापुर , 4 जून को जालौन, मोहम्मदी वाराणसी और कानपुर, 6 जून को झाँसी और इलाहाबाद, 7 जून को फैजाबाद, 9 जून को दरियाबाद एवं फतेहपुर, 18 जून को फतेहगढ़, 1 जुलाई को हाथरस की जनता ने भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया।

अवध में क्रान्ति –

- अवध के प्रथम नवाब सआदत खां थे। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु होने के बाद उनकी रानी बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिक बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया था।
- लेकिन डलहौजी ने यहाँ राज्य विलय नीति को लागू कर दिया 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। इस कारण यहाँ भी क्रान्ति की ज्वाला भड़क उठी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्रान्ति –

- पूर्वी उत्तर प्रदेश में विद्रोह की कमान कुँवर सिंह ने संभाली। यहाँ आन्दोलन का केन्द्र जगदीशपुर था। उसने 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में कर्नल मिलसेन को पराजित कर दिया। इससे बाँदा, मिर्जापुर, आजमगढ़, आदि क्षेत्र कुँवर के अधीन हो गये। अपनी सेना के साथ कुँवर सिंह ने ब्रिटिश अधिकारियों को पराजित किया।

कानपुर में 1857 की क्रान्ति –

- नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इन्कार कर दिया तथा उनकी 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन को बन्द कर दिया गया। नाना साहेब ने क्रान्तिकारियों का नेतृत्व किया। और नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया जिसमें उसने विजय प्राप्त की। क्रान्तिकारियों ने नाना साहेब को 30 जून को बिठूर का पेशवा घोषित कर दिया।

बरेली में क्रान्ति -

- यहाँ पर क्रान्ति की कमान रोहिला शासक खान बहादुर के हाथों में थी। उन्होंने बरेली में मौजूद अंग्रेजी सेना को हार स्वीकार करने पर विवश कर दिया। खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का शासक घोषित किया।

झाँसी में क्रान्ति -

- झाँसी में क्रान्ति का नेतृत्व रानी लक्ष्मी बाई ने संभाला था। जो गंगाधर राव जी की पत्नी थी। उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झाँसी का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया।
- लॉर्ड डलहौजी ने गोद – निषेध नियम का लाभ उठाकर झाँसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति से असंतुष्ट होकर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ वीरता से युद्ध किया। तथा 18 जून 1858 को ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई।

अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ

- बेगम हजरत महल और नाना साहेब जैसे क्रांतिकारियों को ब्रिटिश अधिकारियों की दमनकारी

नीति किए कारण नेपाल की ओर जाना पड़ा। कैम्पबेल की सेना ने इन्हें नेपाल में शरण लेने के लिए विवश कर दिया। 30 दिसम्बर 1858 तक फर्रुखाबाद के नवाब तफज्जुल हुसैन और मेहँदी हसन ने भी आत्मसमर्पण कर दिया।

- इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह किया था। जिसे अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील ने सपाप्त करा दिया था।

- अवध के पास चिनहट में अंग्रेजी रेजीडेन्ट हेनरी लॉरेन्स ने यहाँ के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। लेकिन बेगम हजरत महल और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विजय हासिल की इससे लॉरेन्स को बैरंग लौटना पड़ा।

  - अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में कुँवर सिंह अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस विद्रोह को विलियम टेलर और विन्सेंट आयर नामक अधिकारियों ने दबाया था।

  - जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया। ऐसे में कालपी से ह्यूरोज को भेजा गया। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से मुकाबला किया। लेकिन 18 जून 1858 को वः वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे पकडे गए और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गयी।

- फतेहपुर में अजीमुल्ला को अंग्रेज अधिकारी जनरल रेनर्ड के हाथों शिकस्त का सामना कराना पड़ा।

- बरेली में खान बहादुर खान और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के विद्रोह को कोलिन कैम्पबेल ने समाप्त कराया।

- 1861 में शिवदयाल साहब ने आगरा में राधास्वामी सत्संग की स्थापना की।

- 1877 में बालकृष्ण भट्ट ने हिन्दी प्रदीप का प्रकाशन किया।

- 1867 में मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद अहमद गंगोही ने देवबन्द में मदरसे की स्थापना की। इसी मदरसे में दीनी (धर्मिक) शिक्षा के साथ-साथ विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल-उलूम अर्थात देवबन्द आन्दोलन की शुरुआत की गयी।

- 1898 में एनीबेसेंट ने बनारस में सेण्ट्रल हिन्दू कॉलेज की स्थापना की जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बना।

- 1867 में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने वाराणसी से कविवचन सुधा और 1852 में हरिश्चन्द्र मैगजीन का प्रकाशन किया।

- दूसरा चरण –

- 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आजादी 1947 तक का काल स्वतंत्रता आन्दोलन का द्वितीय काल कहलाता है।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज अधिकारी ए.ओ.ह्यूम द्वारा दिसम्बर 1885 में की गई। जो उत्तर प्रदेश के इटावा में कलेक्टर रह चुके थे।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उत्तर प्रदेश के मदन मोहन मालवीय, राजा रामपाल सिंह आदि लोग शामिल थे।
- इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसम्बर 1885 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- इनमें उत्तर प्रदेश से गंगा प्रसाद, मुंशी ज्वाला प्रसाद, लाला बैज नाथ प्राणनाथ पण्डित, जानकीनाथ घोषाल, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, राकली चौधरी, बाबू जमना दास आदि शामिल थे।

- कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नोरौजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। इस दौरान उपस्थित 431 प्रतिनिधियों में से 74 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से थे।

- कांग्रेस का चौथा सम्मलेन जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में 1888 में इलाहाबाद में हुआ । इस प्रान्त के तत्कालीन गवर्नर सर ऑकलैंड कॉल्विन इस सम्मलेन के विरोध में थे ।
- सर सैयद अहमद और बनारस के राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने भी कांग्रेस का विरोध किया ।

- 1916 में लखनऊ में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ । जिसमें अध्यक्ष अम्बिकाचरण मजूमदार थे । इसी सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ ।
- 1925 में सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में कानपुर में 41वाँ वर्ष 1936 में जवाहरलाल नेहरु की अध्यक्षता में लखनऊ में 50वाँ , और 1946 में आचार्य जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में मेरठ में 55 वाँ सम्मेलन आयोजित किया गया ।

- कानपुर में 1925 में 41 वाँ सम्मेलन ऐसा सम्मेलन था, जिसमें पहली बार किसी भारतीय महिला को अध्यक्ष पद की कमान सोंपी गयी थी । भारत को आजादी मिलने से पहले कांग्रेस का अंतिम सम्मेलन मेरठ में हुआ था ।

- कांग्रेस ने 1892 में इलाहाबाद और 1899 में लखनऊ में अपने सफल अधिवेशन किए । लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस प्रादेशिक कमेटियों के गठन का निर्णय लिया ।
- 1905 में कांग्रेस का 25 वाँ अधिवेशन बनारस में हुआ था । इसके बाद 1910 में विलियम वेंडरबर्न की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 26 वाँ सम्मेलन हुआ था ।

- किसानों की आवाज उठाने के उद्देश्य से वर्ष 1918 में मोतीलाल नेहरु, मदन मोहन मालवीय, इन्द्र नारायण और गोरीशंकर मिश्र आदि के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ ।
- उत्तर प्रदेश किसान सभा को मजबूत बनाने के लिए रामचन्द्र और दुर्गापाल सिंह ने महत्वपूर्ण कार्य किया था ।

- उत्तर प्रदेश किसान सभा किसानों के हक में ब्रिटिश हुकूमत के सामने मांगे रखती थी और दबाव डालकर वाजिब मांगे मनवती थी ।
- 1919 के अन्तिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आने लगा था । प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर नाई-धोबी बन्द सामाजिक बहिष्कार संगठित करवाई की पहली घटना थी ।

- महाराष्ट्र के ब्राह्मण बाबा रामदास ने रामचरितमानस की पंक्तियों से किसानों में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई ।

- महात्मा गाँधी के खिलाफत आन्दोलन के सवाल पर उत्तर प्रदेश किसान सभा में मतभेद प्रकट होने लगा । और अवध के किसान नेताओं ने बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश किसान सभा से नाता तोड़कर अवध किसान सभा का गठन कर लिया । अवध किसान सभा का गठन प्रतापगढ़ जिले में किया गया था ।
- अवध किसान सभा की गतिविधियों का मुख्य केन्द्र प्रतापगढ़ जिले का खरगाँव क्षेत्र था ।
- 20 से 24 दिसम्बर 1920 के बीच अवध किसान सभा की पहली रैली अयोध्या में आयोजित वकी गई ।

- प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील के खरगाँव में किसान सभा का मुख्यालय बनाया गया और यहीं पर एक किसान काउन्सिल का भी गठन किया । अवध किसान सभा के निशाने पर जमींदार और ताल्लुकेदार थे ।
- अवध के किसानों ने एका आन्दोलन नाम का आन्दोलन चलाया । जो लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर चलाया गया आन्दोलन था । इस आन्दोलन के प्रमुख नेता "मदारी पासी" और "सहदेव" थे । ये दोनों निम्न जाति के थे ।
- अवध किसान सभा पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी बखूबी प्रभाव पड़ा था । अवध में जिस समय किसान संगठित हो रहे थे उसी समय रूस में बोल्शेविक क्रान्ति हुई । रूस पर जापान की विजय हो चुकी थी । इसलिए ब्रिटिश हुकूमत आन्दोलनकारी किसानों के लिए बोल्शेविक लुटेरे और डाकू जैसे शब्दों का प्रयोग करती थी ।
- अवध किसान सभा की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था की इस किसान आन्दोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की । आगे चलकर महिलाओं

की संगठित शक्ति का प्रतिरूप अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में सामने आया । अखिल भारतीय किसान सभा संभवतः देश में आम महिलाओं का पहला संगठन था ।

- कांग्रेस पार्टी के अन्दर रहकर ही मोतीलाल नेहरु, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय आदि को साथ लेकर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया ।

- 16 जून 1925 में चितरंजन दास की मृत्यु के बाद मदन मोहन मालवीय ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बना ली। वर्ष 1926 तक स्वराज दल टूट गया ।

- संयुक्त प्रान्त में हुई क्रन्तिकारी घटनाओं में काकोरी काण्ड महत्वपूर्ण है । 9 अगस्त 1925 को लखनऊ की निकट काकोरी में क्रान्तिकारियों ने ट्रेन लुट की घटना को अंजाम दिया । इस लखनऊ-सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना जा रहा था । इस मामले में रामप्रसाद बिस्मिल, असरफ उल्ला खां तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई ।
- रामकृष्ण खत्री, मन्मथनाथ गुप्त आदि क्रान्तिकारियों को कठोर कारावास की सजा हुई । काकोरी केस के बचाव हेतु गोविन्द वल्लभ पन्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था । बचाव समिति के अन्य सदस्यों में चन्द्रभानु गुप्त, मोहन लाल सक्सेना, अजित प्रसाद जैन कृपा शंकर हजेला आदि प्रमुख थे ।

- काकोरी केस के क्रान्तिकारियों की ओर से चन्द्र भानु गुप्त नामक वकील ने बिना फीस लिए यह मुकदमा लड़ा था बाद में यही चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे ।

।

- सायमन कमीशन का विरोध करने के दौरान ब्रिटिश सरकार ने लाठी चार्ज कराया था । जिसमें लाला लाजपत राय गम्भीर रूप से घायल हो गए । बाद में उनकी मृत्यु हो गयी
- एच.एस.आर.ए. के सदस्यों ने इसे राष्ट्रीय अपमान की संज्ञा दी ।

- 17 दिसम्बर 1928 को सरदार भगत सिंह ने जे.पी. साण्डर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर इस अपमान का बदला लिया। इस क्रन्तिकारी गतिविधि में उनके साथ चन्द्रशेखर आजाद और राजगुरु भी शामिल थे ।

- 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई ।

- वर्ष 1937 के प्रान्तीय चुनाओं में कांग्रेस को भारी सफलता मिली । सभी प्रान्तों में कुल 1585 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने भारी 714 सीटें जीती। संयुक्त प्रान्त में ये आँकड़ा 228 में से 134 सीटों का रहा ।

- उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन इलाहाबाद में पण्डित मोतीलाल नेहरु की अध्यक्षता में हुआ था ।

- भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान बलिया में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। बलिया में अस्थायी सरकार का नेतृत्व चित्तू पाण्डे ने किया था ।
- 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री (मुख्यमंत्री)गोविन्द वल्लभ पन्त थे ।

- उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इलाहाबाद ऐसे स्थान है जहाँ पर कांग्रेस के तीन-तीन सम्मेलन आयोजित किए गए

वर्ष 2018 में बदले गए नाम

पुराना नाम	नया नाम
मुगलसराय जंक्शन (रेलवे)	दीनदयाल उपाध्याय (रेलवे जंक्शन)
इलाहाबाद	प्रयागराज
फ़ैज़ाबाद	अयोध्या

प्रमुख खनिज

बॉक्ससाइट, रॉक फॉस्फेट	बाँदा
पाईराइट्स, एस्बेस्टस	मिर्ज़ापुर
यूरेनियम, ताँबा	ललितपुर
हीरा	बाँदा, मिर्ज़ापुर
कोयला	सिंगरोली, सोनभद्र
संगमरमर	मिर्ज़ापुर, सोनभद्र
डोलोमाईट	मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बाँदा
जिप्सम	हमीरपुर, झाँसी
वैराइट्स एवं एंडालूसाइट	मिर्ज़ापुर, सोनभद्र

प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर

नदी का नाम **नगर**

- गंगा नदी गढ़मुक्तेश्वर, सोरों, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्जापुर
- गंगा-यमुना संगम पर इलाहाबाद
- यमुना सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशांबी और हमीरपुर
- गोमती नदी लखनऊ
- सरयू नदी अयोध्या
- रामगंगा बरेली

उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाँध

बाँध	नदी	जिला
माताटीला	बेतवा	झांसी
गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद	रिहंद	सोनभद्र
पारीक्षा	बेतवा	झांसी
कालागढ़	रामगंगा	
गोविंद सागर, शहजाद	शहजाद	ललितपुर
रोहिणी	रोहिणी	ललितपुर
सुकमा -डुकुमा	बेतवा	झांसी
चंद्रप्रभा	चंद्रप्रभा	चंदौली
मुशाकहन्द	कर्मनाशा	चंदौली
काठी	रामगंगा	बिजनौर
रामगंगा	रामगंगा	बिजनौर
जिर्गो	जिर्गो	मिर्जापुर
जामनी	जामनी	ललितपुर
शजनाम	शजनाम	ललितपुर

कृषि -

- कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। प्रदेश के कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का प्रतिशत 66 है।
- उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है।

- उत्तर प्रदेश अफीम के उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान है।
- प्रदेश की कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए 'प्रयोगशाला से खेती तक' कार्यक्रम को व्यवहार में लाया गया है।
- प्रदेश में वर्ष भर में मुख्य रूप से तीन फसलें पैदा की जाती हैं -

रबि की फसल - अक्टूबर से अप्रैल तक
खरीफ की फसल - जून से सितंबर तक
जायद की फसल - अप्रैल से जून तक

- गेहूं के उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है।
- गोरखपुर जिले में प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है।
  - जौ के उत्पादन में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है।
- सरसों के उत्पादन में प्रदेश का दूसरा स्थान है।
- गन्ना के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।
- देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है।

प्रमुख तथ्य

- उत्तर प्रदेश के तीन कृषि निर्यात क्षेत्र -लखनऊ (आम), सहारनपुर (आम), आगरा(आलू)
- प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवला का उत्पादन होता है।
- शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद में सर्वाधिक उत्पादन अमरुद का होता है।
- बाराबंकी में अफीम का उत्पादन होता है।
- कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है।
- गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है।

प्रमुख फसलें

- **खाद्यान्न फसलें** गेहूं, चना, चावल, जौ, मक्का तथा बाजरा।
- **नकदी फसलें** कपास, अलसी, मूंगफली, गन्ना, चाय, तिल, सरसों व तंबाकू।

प्रमुख फसलें एवं उत्पादक जिलें

प्रमुख फसलें	उत्पादक जिले
• **गेहूँ**	मेरठ, मुजफ्फरनगर, इटावा, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद एटा, व मैनपुरी
• **गन्ना**	गोरखपुर, देवरिया, मेरठ।
• **चावल**	सहारनपुर, गोरखपुर,पीलीभीत, देवरिया, बहराइच, गोंडा (जयप्रकाश नारायण नगर) बस्ती, रायबरेली, लखनऊ व बलिया
• **तंबाकू**	मेरठ, एटा, वाराणसी, फर्रुखाबाद व बुलंदशहर, मैनपुरी इटावा।
• **कपास**	कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा व अलीगढ़।
• **पटसन**	देवरिया व गोरखपुर

प्रमुख फल

आम, अमरूद, संतरा, माल्टा, नीबू, लीची और शफ्तालू

- **आम** लखनऊ, बरेली, कानपुर, मेरठ, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, व हरदोई।

प्रदेश में उत्पादित आम को नवाब ब्राण्ड नाम से प्रचारित किया जाता है ।

- **संतरा** सहारनपुर व बुन्देलखण्ड।
- **माल्टा** मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर।

मौसमी, ब्लड, रेड आदि इसकी मुख्य किस्में हैं ।

- **नींबू** सहारनपुर और मेरठ।
- **अमरूद** इलाहाबाद,फर्रुखाबाद, बरेली व फैजाबाद ।
- **लीची** सहारनपुर व मेरठ
- **शफ्तालू** सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर व लखनऊ।

6) खनिज

★ उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में निर्धन है। यहां पर खनिज

हिमालय के विभिन्न अंचलों एवं दक्षिण के पठारों में मिलते हैं।

★ उत्तर प्रदेश में खनिज विकास की गति बढ़ाने तथा खनिज आधारित औद्योगिकरण के लिए नए खनिज भंडारों की खोज किए जाने के उद्देश्य से 1955 ई. में भूतत्व एवं खनिजकर्म निदेशालय की स्थापना की गई।

★ 23 मार्च, 1974 ई. में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई।

★ उत्तर प्रदेश 2.6 खनिज उत्पादन के साथ 10वें स्थान पर है।

★ उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति 29 दिसम्बर, 1998 ई. में घोषित की गई।

★ प्रदेश के 10 जिलों - इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर,हमीरपुर, महोबा, जालौन, बांदा और ललितपुर में खनिज बहुलता में मिलता है।

★ चूना पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है।

★ उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली (सोनभद्र) क्षेत्र से होती है।

★ मिर्जापुर के बांसी, मकरी क्षेत्र से नॉन प्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होती है।

उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख खनिज

❖ **चूना पत्थर :** मिर्जापुर जिले में विंध्यांचल क्षेत्र में स्थित कजराहट तथा रोहतास स्थानों में उच्च कोटि का चूना पत्थर पाया जाता है। इसका उपयोग मिर्जापुर स्थित चुर्क डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों में होता है।

❖ **डोलोमाइट :** मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में मिलता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में निस्सरण और रिफ्रैक्टरीज के लिए होता है, जबकि बांदा में प्राप्त डोलोमाइट का प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किया जाता है।

❖ **बॉक्साइट :** बांदा और वाराणसी जिलों में मिलता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। जिसका उपयोग मिर्जापुर में स्थित रेणुकूट फैक्ट्री में होता है।

❖ **सोना :** शारदा और रामगंगा नदियों के रेत से मिलता है। इसका उपयोग कांच उद्योग, आभूषण बनाने, औषधियाँ बनाने आदि में किया जाता है।

❖ **हीरा :** बांदा जिले में पाया जाता है। मिर्जापुर के जंगल क्षेत्र से भी हीरे मिले हैं।

❖ **कोयला का उत्पादन :** सोनभद्र जिले में निचले गोंडवाना पत्थरों के बराबर स्तर से होता है। मिर्जापुर जिले के सिंगरौली क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खुदाई का कार्य किया जाता है। यहां के कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह में होता है।

❖ **तांबा :** तांबे का भंडार ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में स्थित है। यह धातु मुख्यतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में नसों के रूप में प्राप्त होती है। यह विद्युत का सुचालक है।

❖ **रॉक फास्फेट :** रॉक फास्फेट के भंडार किशोई, दुरमाला, मसराना, मालदेवता और चमसारी में पाए जाते हैं। बांदा में भी इसके भंडार मिले हैं। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग व अम्लीय मृदा के उपचार में होता है।

❖ **संगमरमर :** संगमरमर मिर्जापुर जिले में मिलता है। ताजमहल के निर्माण में भी यहां के पत्थर का उपयोग हुआ है

❖ **कांच बालू :** कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार यहां बालू का 10 करोड़ टन से भी अधिक भंडार उपस्थित है। इसका उत्पादन चकिया क्षेत्र (वाराणसी) मुडारी बालाबहेट (झांसी), इलाहाबाद और बांदा जिलों में स्फूटिक कूटकर

उद्योग के योग्य बनाया जाता है। कांच बनाने योग्य बालू वाराणसी, आगरा, और इलाहाबाद के निकट गंगा और यमुना नदी से प्राप्त होती है।

❖ **ऐस्बेस्टस :** ऐस्बेस्टस मिर्जापुर जिले से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग व विद्युत उपकरणों में किया जाता है।

❖ **पायरो फिलाइट :** पायरो फिलाइट झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग तापसह और सिरेमिक उद्योग तथा कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है।

❖ **पोटाश लवण :** पोटाश लवण का उत्पादन कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद और वाराणसी जिले में होता है।

❖ **इमारती पत्थर :** मिर्जापुर और चुनार में चूने का पत्थर मिलता है।

❖ **कंकड़ :** कंकड़ संपूर्ण मैदानी भाग में पाया जाता है। इसका उपयोग सड़क निर्माण व सीमेंट उद्योग में होता है।

❖ **पाईराइट्स :** पाइराइट्स मिर्जापुर जिले में मिलता है।

❖ **सेलखड़ी :** सेलखड़ी झांसी और हमीरपुर जिलों में मिलती है।

उत्तर प्रदेश में मिलने वाले प्रमुख खनिज व क्षेत्र : एक दृष्टि में

खनिज	**प्रमुख क्षेत्र**
• चूना पत्थर	मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में
• डोलोमाइट	मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा जिला में
• एस्बेस्टस	मिर्जापुर जिले में
• पाइराइट्स	मिर्जापुर जिले में
• एंडालसाइट	मिर्जापुर जिले में
• बेराइट्स एंव एडालूसाइट	मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में
• रॉक फास्फेट	बांदा जिले में
• चायना क्ले	सोनभद्र जिले में
• जिप्सम	झांसी और हमीरपुर जिलों में
• संगमरमर	मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में
• कोयला	मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में
• तांबा	ललितपुर जिले में
• हीरा	बांदा और मिर्जापुर जिलों में
• सेलखड़ी	हमीरपुर और झांसी जिलों में
• यूरेनियम	ललितपुर जिले में
• कांच-बालू	वाराणसी, झांसी, इलाहाबाद, आगरा और बांदा जिले में

7) उद्योग धंधे

❖ नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति- 2012 को सितंबर, 2012 में स्वीकृति दी गई।

❖ सितंबर, 2012 में स्वीकृति इस नीति में 11.2% वार्षिक की औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

❖ प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं निवेश आकर्षित करने के साथ ही इसमें पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल को विशेष महत्व प्रदान किया गया है।

- पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल में इकाइयाँ स्थापित करने वाले उद्यमियों को स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर, 1972 को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन किया गया।
- सूती वस्त्र उद्योग (हथकरघा एवं मिलें) की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है।
- कानपुर को उत्तर प्रदेश का 'मानचेस्टर' कहा जाता है।
- 'उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम' की स्थापना 1969 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार की एक कंपनी एक कंपनी के रूप में की गई थी। 1973 ई. में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।
- अंग्रेजों ने 1903 ई. में प्रतापपुर (देवरिया) में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की।
- 1935 ई. में गन्ना विभाग का गठन किया गया।
- उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग का गठन 1960 ई. में किया गया।
- उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर चूड़ियाँ बनाने हेतु विश्वविख्यात हैं।
- उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का विवरण इस प्रकार है –

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का विवरण ये है –

भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 8.6 है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 951 है।

उत्तराखण्ड के विभाजित होने से पहले उत्तर प्रदेश में भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, एवं थारू पांच अनुसूचित जनजातियाँ थिन१ पर अब प्रदेश के अन्दर थारू और बुक्सा मुख्य अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल है।

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 19 जिलों में 12 अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है।

प्रमुख जनजातियाँ –

थारू जनजाति –

थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में गोरखपुर, महराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच व् लखीमपुर खीरी जिलों के उत्तरी भाग में निवास करती है। उल्टहवा, थारू जनजाति की ही एक उपजाति है।

थारू जनजाति का शाब्दिक अर्थ मदिरापान करने वाला है।

थारू जनजाति के लोग सुबह के भोजन को कलेवा, दोपहर के भोजन को मिझ्नी एवं शाम के भोजन को बेरी कहते हैं। थारू जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ मदिरा है, जिसको वे स्वयं चावल के द्वारा तैयार करते हैं। इसे जाड़ कहा जाता है।

बुक्सा जनजाति –

बुक्सा या भोक्सा अनुसूचित जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी-छोटी बस्तियां बनाकर रहते हैं।

बुक्सा जनजाति के लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे।

गाँवों में पुरुष धोती-कुर्ता और सदरी पहनते हैं। ये सर पर पगड़ी भी धारण करते हैं।

उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1783-84 ई. में प्रारम्भ की गई थी।

बुक्सा राजनितिक संगठन चार भागों में बंटा होता है।

1. सिपाही 2. तख्त 3. मुन्सिफ 4. दरोगा

खरवार / खैरवार जनजाति –

खरवार जनजाति के लोग मूल रूप से बिहार राज्य के पलामू और 18 हजारी क्षेत्र से हैं। ये उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बलिया, देवरिया गाजीपुर चन्दौली मिर्जापुर तथा सोनभद्र जनपद में रहते हैं।

खरवार जनजाति की बोली कर्कस एवं सख्त है। किसी किसी शब्द का उच्चारण ये खींचकर करते हैं। ये लोग रे, तोर, मोर, केकर इत्यादि शब्दों का व्यवहार में अधिक प्रयोग करते हैं।

इस जनजाति में सूरजवंशी, पट्बन्दी, दौलतबन्दी, मोगती, मोझपाली, गोंजू खेरी, राऊत, आदि प्रमुख उपजातियाँ हैं।

करमा खरवार जनजाति का लोकनृत्य है।

माहीगीर जनजाति –

उत्तर प्रदेश में माहीगीर जनजाति के लोग बिजनौर जिले में रहते हैं या निवास करते हैं।

माहीगीर जनजाति के लोग स्प्रिट का प्रयोग शराब के रूप में सेवन करते हैं।

उत्तर प्रदेश में पशुपालन –

उत्तर प्रदेश में पशुओं के विकास के लिए वर्ष 1944 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गयी थी। इस

विभाग की स्थापना का उद्देश्य उन्नत पशु प्रजनन पशु प्रबन्धन पशुओं का पोषण और पशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है ।

पशु गणना 2012 के अनुसार प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या 687.15 लाख है । राज्य में सम्पूर्ण देश के 13.51% पशु हैं जो की देश में सर्वाधिक है ।

वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार प्रदेश में कुल पशुओं की संख्या 680 लाख थी । देश में यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है ।

उत्तर प्रदेश में अल्प मात्रा में मोती ऊन का भी उत्पादन किया जाता है ।

पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा पशु टीकों का उत्पादन किया जाता है ।

वर्तमान में प्रदेश में 8 राजकीय गोसदन है ।

पशु चारा बैंक झाँसी के भरारी में स्थापित किया गया हैं ।

गाय और भैंसों में होने वाली बीमारी रिंडर पेस्ट पर राज्य सरकार ने पूरी तरह काबू प् लिया है ।

राज्य में कामधेनु योजना संचालित की जा रही है । कामधेनु योजना में प्रत्येक डेयरी में 100 गाय और भैंस का पालन किया जाता है । जबकि मिनी कामधेनु योजना में पशुओं का आँकड़ा 50 पशु प्रति डेयरी रखा गया है ।

गाय और भैंस में फैलने वाली बीमारी रैबीज, स्वाइन फीवर, ब्रूसोलोसिस, टी.बी. खुरपका और मुँहपका आदि पर रोकथाम के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की ओर से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है ।

दुग्ध संघ – प्रदेश में देश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना 1938 में लखनऊ में की गई थी । वर्तमान में प्रदेश के कुल 59 दुग्ध संघ कार्यरत हैं ।

दुग्ध निति 2018 – उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रसंस्कृत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने तथा प्रति व्यक्ति दूध की खपत बढ़ाने के लिए दुग्ध निति 2018 लागू की गयी है ।

मधुमक्खी पालन – मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है । राज्य सरकार की ओर से एपीकल्चर को सहायक कुटीर उद्योग का दर्जा दिया गया है ।

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में मधुमक्खी पालन केन्द्र सहायक कुटीर उद्योग की तर्ज पर चलाये जा रहे हैं । इन केन्द्रों को मोम पालन केन्द्र के नाम से भी जाना जाता है ।

कुक्कट पालन –

राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में कुक्कट पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया है ।

वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने कुक्कट नीति की घोषणा की है । इस नीति के तहत 263630 अतिरिक्त रोजगार कुक्कट पालन क्षेत्र में सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था ।

मत्स्य पालन –

उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन विभाग की शुरुआत वर्ष 1966 में की गयी थी । इसके बाद मत्स्य पालन में विस्तार करने हेतु उत्तर प्रदेश निगम की स्थापना की गयी ।

मछुआ दुर्घटना बीमा योजना 1985-86 में शुरू की गयी है । जिसमें मृत्यु होने पर 1 लाख और अपंग होने पर 50000 हजार का भुगतान किया जाता है ।

वर्तमान में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई जा रही है । इसके तहत प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की गई है ।

प्रमुख उद्योग

चीनी, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जूट, कांच, दियासलाई, चमड़ा, साइकिल, कागज, सीमेंट, वनस्पति इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, एल्यूमीनियम,हथकरघा एवं कुटीर उद्योग।

- **चीनी उद्योग** देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ, शाहजहाँपुर।
  - उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन की शुरुआत वर्ष 1903 में हुई थी । ब्रिटिश सरकार की ओर से देश की प्रथम चीनी मिल देवरिया में प्रतापपुर नामक स्थान पर लगाई गई थी ।
  - चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में दुसरे स्थान पर है । जबकि पहले स्थान पर महाराष्ट्र है ।
  - ब्रिटिश शासन काल में ही वर्ष 1935 में पहली बार गन्ना विभाग का गठन किया गया था ।
  - गन्ना राज्य की महत्त्वपूर्ण नकदी फसल है । प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल पुरे देश का लगभग 50% है ।
  - गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है ।

- ***सूती वस्त्र उद्योग*** *हाथरस, लखनऊ, मोदीनगर, इटावा, अलीगढ़ व नैनी (इलाहाबाद)।*

- ***सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टी से भारत में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर गुजरात राज्य है।***
- *उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।*
- ***रेशमी वस्त्र उद्योग*** *वाराणसी व इटावा मुबारकपुर और मऊ आदि जिलों में होता है।*
- *उत्तर प्रदेश में शहतुती, टसर व अरण्डी रेशम का उत्पादन होता है। शहतुती रेशम किट का भोज्य शहतुत पत्ती टसर रेशम कीट का आहार अर्जुन व आसन की पत्ती तथा रेशम कीट का आहार अरण्डी की पत्ती है।*
- *प्रदेश के कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान सहतुती रेशम का है फिर टसर रेशम और फिर एरी रेशम का है।*
- *प्रदेश में रेशम का ज्यादातर काम वाराणसी, मऊ, मुबारकपुर, इटावा, आदि जिलों में होता है। वाराणसी की रेशमी साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है।*
- ***ऊनी वस्त्र उद्योग*** *कानपुर, मिर्जापुर, गोपीगंज, (वाराणसी), शाहजहांपुर, इलाहाबाद, आगरा व खमरिया।*
- *कानपूर का लाल इमली का कारखाना भारत का प्रमुख ऊनी वस्त्र कारखाना है।*
- ***जूट उद्योग***
- *कानपुर व सहजनवा (गोरखपुर)*

- ***कांच उद्योग*** *कांच की चूड़ियाँ- नैंनी (इलाहाबाद), बहजोई (मुरादाबाद), सासनी (अलीगढ़), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), बाला बली (बिजनौर), फिरोजाबाद, गाजियाबाद, रामनगर (वाराणसी) व हिरनगांव (फिरोजाबाद)।*
  (चूड़ियों के उत्पादन में फिरोजाबाद का देश में अग्रणी स्थान है।)
- ***चमड़ा उद्योग*** *कानपुर, आगरा, व सहारनपुर।*
  जूता निर्माण में आगरा का अग्रणी स्थान है।
- ***दियासलाई उद्योग*** *बरेली, इलाहाबाद व लखनऊ।*
- ***साइकिल उद्योग*** *आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर।*
- *यहां पर रॉयल, प्रिंस, पापुलर हंसा, जयहिंद, एशिया साइब्रो आदि साइकिलें बनाई जाती है।*
- ***वनस्पति घी उद्योग*** *कानपुर, मोदीनगर (गाजियाबाद), व अलीगढ़।*

- ***कागज उद्योग*** *सहारनपुर व लखनऊ।*

- ***एल्यूमीनियम*** *रेनकूट मिर्जापुर।*

- ***सीमेंट उद्योग*** *चुर्क, डल्ला, व कजराहट।*

- ***इंजीनियरिंग उद्योग*** *कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़ तथा बरेली।*

- ***सिगरेट उद्योग*** *सहारनपुर व गाजियाबाद*

कुटीर उद्योग

- **हथकरघा उद्योग (सूती उद्योग)** — देवबंद (सहारनपुर), सिकंदराबाद (बुलंदशहर), पिलखुवा (गाजियाबाद), टाँडा (फैजाबाद) मरुनाथभंजन, व मुबारिकपुर (आजमगढ़), मगहर (गोरखपुर)।
- **हथकरघा उद्योग रेशीम वस्त्र** — वाराणसी, मिर्जापुर, संडीला, (हरदोई), मरुनाथभंजन (आजमगढ़)।
- **पीतल व कलई के बर्तन** — मुरादाबाद, वाराणसी, हाथरस, हापुड़, फर्रुखाबाद ।
- **कालीन** — मिर्जापुर, आगरा।
- **इत्र व तेल** — कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर
- **लकड़ी व नक्काशी** — नगीना (बिजनौर),सहारनपुर।
- **ताले, चाकू व कैंची** — अलीगढ, मेरठ, मथुरा।
- **प्रेस व प्रकाशन** — आगरा,अलीगढ, मेरठ, मथुरा।

अन्य उद्योग

शहर	उद्योग
अलीगढ़	ताला
मुरादाबाद	पीतल के बर्तन
खुर्जा	चीनी मिट्टी
बरेली	फर्नीचर
मेरठ	खेल का सामान
आगरा, सहारनपुर	लोहे के बाँट
मेरठ, कानपुर, लखनऊ	बैंडबाजे, हारमोनियम, तबला
लखनऊ	टॉर्च
बनारस	सिल्क की साड़ी
लखनऊ	चिकन
भदोही	कारपेट

विशेष आर्थिक क्षेत्र

- नोएडा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र देश के 8 विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में उत्तर भारत का एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन है।
- भदोही, वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद,और आगरा में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।

परिवहन तंत्र –

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के अनुसार स्थलमार्ग और वायुमार्ग की पर्याप्त व्यवस्था है । स्थलमार्ग के दोनों अंग सड़क मार्ग और रेलमार्ग की सर्वाधिक लम्बाई उत्तर प्रदेश में ही है । देश के 18 रेलवे जों में 5 जोन की लाइनें उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है ।
देश का राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या -1 प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है । लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, स्थित हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा दिया गया है ।

सड़क परिवहन –
उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग - 19 है । दिल्ली से कोलकाता तक जाने वाला यह राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व में NH-2 के नाम से जाना जाता है ।
उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा नई 'शताब्दी बस सेवा' एवं 'जनरथ सेवा' लखनऊ और अन्य मुख्यालयों से प्रारम्भ की गई है ।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन वर्ष 1993 से प्रारम्भ हुआ था ।
नगर निगम वाले शहरों में 22 नवम्बर 2013 से राज्य सरकार द्वारा लोगों की सुरक्षा सुविधा व्यक्तिगत नागरिक / लोक परिवहन सेवा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रेडियो टैक्सी योजना का प्रारम्भ किया गया है ।

निगम द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती एवं सुलभ यात्रा के उद्देश्य से फरवरी 2015 में लोहिया ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ की गई थी ।

केन्द्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 8711 किलोमीटर है । इस मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति प्रथम स्थान पर है ।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परिवहन का प्रारम्भ 15 मई 1947 से हुआ ।

रेल परिवहन –
भारतीय रेल व्यवस्था के रेलपथ नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है ।
रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय – लखनऊ में है ।
देश के तीसरे कोच कारखाने की स्थापना रायबरेली के लालगंज में की गई ।
देश के 9 रेलवे जोन में से 2 जोन के मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है ।
पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है ।
उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है ।
उत्तर प्रदेश में रेलमार्ग की लम्बाई लगभग 9077 किमी. है । (2015-16)
भारत में पहली रेल 1853 में मुम्बई से थाने के बीच (34 किमी.) तक चली ।
भारत के पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का परिचालन लखनऊ से दिल्ली के मध्य किया गया था ।
उत्तर प्रदेश में लोको कारखाना लखनऊ और इज्जतनगर (बरेली) के अन्दर स्थित है ।
एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड मुगलसराय में स्थित है ।
मुगलसराय उत्तर प्रदेश का सबसे लम्बा रेलवे यार्ड है ।
1950 में देश में कुल 8 रेलवे जोन थे ।
वर्तमान वर्ष (2019) में देश में कुल 18 रेलवे जोन हैं ।

वायु परिवहन –

भारत सरकार द्वारा 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसमें एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स नाम के दो निगम स्थापित किए गए ।

प्रदेश के आगरा जनपद में नेशनल ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है ।

भारतीय वायु सेना का एयरपोर्ट लखनऊ में बक्शी का बांध स्थित है ।

जल परिवहन –

देश की सबसे लम्बी नदी गंगा में भारत सरकार ने प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) से हल्दिया पश्चिम बंगाल के बीच 1620 किमी.के मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है । यह जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग - 1 कहलाता है ।

वाराणसी में वर्ष 2018 में मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना की गई है ।

उत्तर प्रदेश मिनी GK

- आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस- वे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव एवं लखनऊ जिलों से गुजरता है।
- इस एक्सप्रेस- वे से आगरा एवं लखनऊ के मध्य सड़क मार्ग से लगने वाला यात्रा समय आधा हो जाएगा।

देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मार्च, 2018 को गाजियाबाद जिले में एलिवेटेड रोड (6 लेन) का उद्घाटन किया।
- यह देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है।
- यह एलिवेटेड रोड यूपी गेट से करहेड़ा (राजनगर एक्सटेंशन) तक निर्मित है।
- यह इस रोड की औसत गति 80 किमी/घंटा से वाहन चलाने की अनुमति है।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे

- ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का पीएम मोदी द्वारा 27 मई, 2018 को उद्घाटन किया गया। उद्घाटन दिल्ली - मेरठ एक्सप्रेस-वे पर 9 किमी के पहले खंड पर किया।
- यह एक्सप्रेस-वे सोनीपत, बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और पलवल को जोड़ता है।
- यह सोलर पावर से लैस देश का पहला एक्सप्रेस-वे है।
- यह नेशनल हाईवे-2 के अंतर्गत है।
- ₹ 11000 करोड़ों में बना एक्सप्रेस-वे 6 लेन का है, दोनों तरफ 4 लेन हाईवे है ।14 लेन का पहला एक्सप्रेस-वे है।
- 500 रिकॉर्ड दिनों में बनाया गया।
- सबसे तेज एक्सप्रेस-वे है, 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने की अनुमति

विविध

महत्वपूर्ण दिन

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021

जनवरी	समारोह की तिथि
प्रवासी भारतीय दिवस	09 जनवरी
राष्ट्रीय युवा दिवस	12 जनवरी
सड़क सुरक्षा सप्ताह	11 - 17 जनवरी
सेना दिवस	15 जनवरी
राष्ट्रीय बालिका दिवस	24 जनवरी
सुभाष चन्द्र का जन्मदिन	23 जनवरी
गणतंत्र दिवस - 26 जनवरी	26 जनवरी
शहीद दिवस	30 जनवरी
फरवरी	**समारोह की तिथि**
विश्व कैंसर दिवस	4 फरवरी
वेलेंटाइन्स डे	14 फरवरी
संत रविदास जयंती	27 फरवरी
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	28 फरवरी
मार्च	**समारोह की तिथि**
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस	4 मार्च
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	8 मार्च
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे	18 मार्च
विश्व जल दिवस	22 मार्च
शहीद दिवस	23 मार्च and 30 जनवरी
अप्रैल	**समारोह की तिथि**
विश्व स्वास्थ्य दिवस	7 अप्रैल
जलियांवाला बाग नरसंहार	13 अप्रैल
अम्बेडकर जयंती	14 अप्रैल
विश्व पृथ्वी दिवस	22 अप्रैल
विश्व पुस्तक दिवस	23 अप्रैल
मई	**समारोह की तिथि**
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस	1 मई
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस	3 मई
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस	11 मई
मातृ दिवस	09 मई
अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस	15 मई
विश्व तम्बाकू निषेध दिवस	31 मई
जून	**समारोह की तिथि**
विश्व दुग्ध दिवस	1 जून
विश्व पर्यावरण दिवस	5 जून
विश्व रक्त दाता दिवस	14 जून
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	21 जून
दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय दिवस	26 जून
जुलाई	**समारोह की तिथि**
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस	1 जुलाई
विश्व जनसंख्या दिवस	11 जुलाई
अगस्त	**समारोह की तिथि**
अंगदान दिवस	13 अगस्त

स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त
अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस	19 अगस्त
सद्भावना दिवस	20 अगस्त
अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस	21 अगस्त
राष्ट्रीय खेल दिवस	29 अगस्त
सितंबर	**समारोह की तिथि**
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह	1-7 सितंबर
शिक्षक दिवस	5 सितंबर
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस	8 सितंबर
हिन्दी दिवस	14 सितंबर
विश्व ओज़ोन दिवस	16 सितंबर
विश्व पर्यटन दिवस	27 सितंबर
अक्टूबर	**समारोह की तिथि**
राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस	1 अक्टूबर
छुआछूत विरोधी सप्ताह	2 अक्टूबर
गांधी जयंती	2 अक्टूबर
अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस	4 अक्टूबर
अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस	14 अक्टूबर (2nd गुरुवार)
प्राकृतिक आपदा निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस	13 अक्टूबर
विश्व विद्यार्थी दिवस	15 अक्टूबर
विश्व खाद्य दिवस	16 अक्टूबर
विश्व बचत दिवस	31 अक्टूबर
नवंबर	**समारोह की तिथि**

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस	5 नवंबर
बाल अधिकार दिवस	20 नवंबर
बाल दिवस	14 नवंबर
राष्ट्रीय एकता दिवस	19 नवंबर
विश्व शौचालय दिवस	19 नवंबर
कौमी एकता सप्ताह	19-25 नवंबर
विश्व धरोहर सप्ताह	19-25 नवंबर
अंतर्राष्ट्रीय मांसहीन दिवस	25 नवंबर
संविधान दिवस	26 नवंबर
दिसंबर	**समारोह की तिथि**
विश्व एड्स दिवस	1 दिसंबर
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस	2 दिसंबर
विश्व विकलांग दिवस	3 दिसंबर
डॉ. अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस	6 दिसंबर
अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह	8-14 दिसंबर
मानव अधिकार दिवस	10 दिसंबर
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस	14 दिसंबर
अल्पसंख्यको का अधिकार दिवस	18 दिसंबर
राष्ट्रीय गणित दिवस	22 दिसंबर
राष्ट्रीय किसान दिवस	23 दिसंबर
सुशासन दिवस	25 दिसंबर

विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची:

देश	राजधानी	मुद्राएं (मुद्रा कोड)
एशिया महाद्वीप के देश		
भारत	नई दिल्ली	रुपया
पाकिस्तान	इस्लामाबाद	पाकिस्तानी रुपया
नेपाल	काठमांडू	नेपाली रुपया
श्रीलंका	कोलंबो/श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी	श्रीलंकाई रुपया
बांग्लादेश	ढाका	टका
भूटान	थिम्पू	गुलत्रुम
म्यांमार	नेपीडॉ	क्यात
अफ़ग़ानिस्तान	काबुल	अफगानी
चीन	बीजिंग	युआन
मंगोलिया	उलानबटोर	तुगरिक
जापान	टोक्यो	येन
ताइवान	ताइपे	डॉलर
थाईलैंड	बैंकॉक	थाईबेहत
वियतनाम	हनोई	डाँग
कंबोडिया	नाम पेन्ह	रिएल
उत्तर कोरिया	प्योंगयांग	वॉन
दक्षिण कोरिया	सियोल	वॉन
हाँग कांग	विक्टोरिया	डॉलर
फिलीपींस	मनीला	पेसो
सिंगापुर	सिंगापुर	सिंगापुरी डॉलर
इंडोनेशिया	जकार्ता	रुपया
मलेशिया	क्वालालम्पुर	रिन्गिट
ईरान	तेहरान	रियाल
इराक	बगदाद	इराकी दिनार
तुर्की	अंकारा	लीरा
संयुक्त अरब अमीरात	आबूधाबी	दिरहम
सऊदी अरब	रियाद	सऊदी रियाल
कुवैत	कुवैत सिटी	कुवैती दिनार
सीरिया	दमिश्क	सीरियन पॉउण्ड
लेबनान	बेरुत	पाउंड
कजाकिस्तान	अलमाटा	टेंगे
जॉर्डन	अम्मान	जॉर्डन दिनार

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

इजरायल	जेरुसलम	न्यू गेकेल
क़तर	दोहा	रियाल
मिस्र	काहिरा	पाउंड
दक्षिण अफ्रीका	प्रिटोरिया	रैंड
लीबिया	हूँ त्रिपोली	दिनार
मोरक्को	रबात	दरहम
नाइजीरिया	लागोस	नेरा
अंगोला	लुआंडा	क्वांज़ा
नामीबिया	विंडहॉक	रैंड
सूडान	खारतूम	पाउंड
दक्षिणी सूडान	जुबा	पाउंड
पूर्वी कांगो	किंशासा	जैरे
सोमालिया	मोगादिश	शिलिंग
सेशेल्स	विक्टोरिया	रुपया
इथोपिया	अदिस अबाबा	बिर्र
युगांडा	कम्पाला	शिलिंग
बोत्सवाना	गेबोरोन	पुला
केन्या	नैरोबी	शिलिंग
मॉरीशस	पोर्ट लुइस	रुपया
तंजानिया	दारेस्सलाम	शिलिंग
जाम्बिया	लुसाका	क्वाचा

अल्जीरिया	अल्जीयर्स	दिनार
रवांडा	केगाली	फ्रैंक
जिम्बाब्वे	हरारे	डॉलर
सेनेगल	डकार	फ्रैंक
बुर्किना फासो	औगाडोगू	फ्रैंक
पश्चिम कांगो	किन्शासा	फ्रैंक
माली	बमाको	फ्रैंक
मोजाम्बिक	मपूतो	मेटिकल
यूरोपीय देश		
ग्रीस	एथेंस	यूरो
बेल्जियम	ब्रुसेल्स	यूरो
डेनमार्क	कोपेनहेगन	क्रोन
फ्रांस	पेरिस	यूरो
स्पेन	मद्रिद	यूरो
पुर्तगाल	लिस्बन	यूरो
इटली	रोम	यूरो
बुल्गारिया	सोफिया	लेवा
ग्रेट ब्रिटेन	लन्दन	पाउंड स्टर्लिंग
रूस	मास्को	रूबल
पोलैंड	वॉरसॉ	जिलोटी

हंगरी	बुडापेस्ट	फ्लोरिंट
नॉर्वे	ओस्लो	क्रोन
जर्मनी	बर्लिन	यूरो
नीदरलैंड	एम्स्टरडम	यूरो
चेक गणराज्य	प्राग (Prague)	कोरुना
स्वीडन	स्टॉकहोम (Stockholm)	क्रोना
स्विट्ज़रलैंड	बर्न	फ्रैंक
यूक्रेन	कीव	हिरविनिया
जॉर्जिया	तिब्लिसी	रूबल
साइप्रस	निकोसिया	यूरो
ऑस्ट्रिया	वियना	स्चिल्लिंग्स
स्लोवाकिया	ब्रातिस्लावा	यूरो
रोमानिया	बुखारेस्ट	ल्यू
आयरलैंड	डबलिन	यूरो
कैस्पियन सागर और उत्तरी अमेरिका के देश		
संयुक्त राज्य अमेरिका	वॉशिंगटन डी.सी	डॉलर
कनाडा	ओटावा	डॉलर
मेक्सिको	मेक्सिको सिटी	पीसो
क्यूबा	हवाना	पीसो
ग्रीनलैंड	नुक (गड्याव)	क्रोन

पनामा	पनामा सिटी	वाल्बोआ
बारबाडोस	ब्रिजटाउन	डॉलर
अलसल्वाडोर	सान सल्वाडोर	कोलन
हैती	पोटओ प्रिंस	गॉर्ड
जमैका	किंग्स्टन	डॉलर
त्रिनिदाद एंड टोबैगो	पोर्ट ऑफ़ स्पेन	डॉलर
दक्षिण अमेरिकी देश		
अर्जेंटीना	ब्यूनस आयर्स	पेसो
ब्राजील	ब्रासीलिया	क्रुजादो
चिली	सेंटियागो	पीसो
कोलम्बिया	बोगोटा	पीसो
फ्रेंच गुयाना	कोयेन्ने	यूरो
पैराग्वे	असुन्सियोन	गुआरानी
पेरू	लीमा	न्यवोसोल
उरुग्वे	मोंटेवीडियो	पीसो
वेनेजुएला	कराकस	बोलिवर
ओशिआनिया क्षेत्र के देश		
ऑस्ट्रेलिया	कैनबरा	डॉलर
फिजी	सूवा	डॉलर
न्यूजीलैंड	वेलिंग्टन	डॉलर

पुस्तक एवं लेखक

क्र.स.	पुस्तक	लेखक
1.	रामायण	वाल्मीकि
2.	महाभारत	वेदव्यास
3.	अष्टाध्यायी	पाणिनी
4.	अर्थशास्त्र	कौटिल्य
5.	बुद्धचरित	अश्वघोष
6.	सौन्दरानन्द	अश्वघोष
7.	मुद्राराक्षस	विशाखदत्त
8.	देवीचन्द्रगुप्तम्	विशाखदत्त
9.	महाभाष्य	पतंजलि
10.	ऋतुसंहार	कालिदास
11.	रघुवंशम्	कालिदास
12.	राजतरंगिणी	कल्हण
13.	विक्रमांकदेव चरित	विल्हण
14.	विक्रमोर्वशीयम्	कालिदास
15.	कुमारसम्भवम्	कालिदास
16.	मालविकाग्निमित्रम्	कालिदास
17.	अभिज्ञानशाकुन्तलम	कालिदास
18.	स्वप्नवासवदत्ता	भास
19.	हर्षचरित	बाणभट्ट
20.	रत्नावली	हर्षवर्धन
21.	कादम्बरी	बाणभट्ट
22.	प्रियदर्शिका	हर्षवर्धन
23.	नागानन्द	हर्षवर्धन
24.	मृच्छकटीकम	शूद्रक
25.	पृथ्वीराज रासो	चन्द्रबरदाई
26.	कर्पूरमंजरी	राजशेखर
27.	इण्डिका	मेगास्थनीज
28.	पंचतंत्र	विष्णु शर्मा
29.	प्रबंध कोष	राजशेखर
30.	रसमाला	सोमेश्वर
31.	किरातार्जुनीयम	भवभूति
32.	न्याय भाष्य	वात्स्यायन
33.	कामसूत्र	वात्स्यायन
34.	मालती माधव	भवभूति
35.	कीर्ति कौमुदी	सोमेश्वर
36.	उत्तर रामचरित	भवभूति
37.	कोकशास्त्र	कोका पंडित
38.	नीतिसार	कमण्डक
39.	काव्य मीमांसा	राजशेखर
40.	न्याय मंजरी	जयन्त
41.	श्रृंगार शतक	भर्तृहरि
42.	काव्य प्रकाश	मम्मट
43.	रसरत्नाकर	नागार्जुन
44.	अमरकोष	अमर सिंह
45.	शिशुपाल वध	माघ
46.	चरक सहिंता	चरक
47.	सतसई	हाला
48.	नाट्यशास्त्र	भरत
49.	मिलिन्दपन्हो	नागसेन
50.	मिताक्षरा	विज्ञानेश्वर
51.	सूर्य सिद्धांत	आर्यभट्ट
52.	सुश्रुत सहिंता	सुश्रुत
53.	माध्यमिका सूत्र	नागार्जुन
54.	गीत संग्रह	यमुनाचार्य
55.	इलाहाबाद स्तम्भ प्रशस्ति	हरिषेण
56.	अग्नि परीक्षा	आचार्य तुलसी
57.	आदि ग्रंथ	गुरु अर्जुनदेव
58.	भोर का तारा	जगदीश चन्द्र माथुर
59.	मुक्ति बोध	जैनेंद्र
60.	तुगलकनामा	अमीर खुसरो
61.	हुमायूँनामा	गुलबदन बेगम
62.	तारीख-ए -यामिनी	उतबी
63.	तहकीक हिन्द	अलबरुनी
64.	तारीख-ए - मुबारकशाही	अहमद सरहिन्दी
65.	किताब-उल-रहला	इब्नबतूता
66.	तारीख-ए-फिरोजशाही	जियाउद्दीन बरनी
67.	तारीख-ए-अलाई	अमीर खुसरो
68.	आवारा मसीहा	विष्णु प्रभाकर
69.	अकबरनामा	अबुल फजल
70.	तुजुक-ए-बाबरी	बाबर
71.	शाहजहाँनामा	इनायत खान
72.	आइन-ए-अकबरी	अबुल फजल

73.	आलमगीरनामा	मिर्जा मुहम्मद काजिम
74.	पादशाहनामा	अमिनई कज्विनी
75.	मुंतखब-उत-तवारीख	बदायूँनी
76.	द लाइफ डिवाइन	अरविंद घोष
77.	इंडिया विंस फ्रीडम	मौलाना अबुल कलाम आजाद
78.	पॉवर्टी एण्ड अनब्रिटिश रुल इन इंडिया	दादाभाई नौरोजी
79.	माई ट्रुथ	इंदिरा गाँधी
80.	द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ	मोहन दास करमचंद गाँधी
81.	माई अर्ली लाइफ	मोहन दास करमचंद गाँधी
82.	ऑटोबायोग्राफी	जवाहर लाल नेहरू
83.	द डिस्कवरी ऑफ इंडिया	जवाहर लाल नेहरू
84.	माई स्टोरी	कमला दास
85.	अनहैप्पी इंडिया	लाला लाजपत राय
86.	प्रिजन डायरी	जय प्रकाश नारायण
87.	ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री	जवाहर लाल नेहरू
88.	अनटचेबल	मुल्कराज आनंद
89.	द बिग हर्ट	मुल्कराज आनंद
90.	द रिलिजन ऑफ मेंन	रवीन्द्रनाथ टैगोर
91.	इंडियन फिलॉसफी	डॉ.एस. राधाकृष्णन
92.	ईस्ट एण्ड वेस्ट इन रिलिजन	डॉ.एस.राधाकृष्णन
93.	द गोल्डन थ्रेसहोल्ड	सरोजिनी नायडू
94.	द बर्ड ऑफ टाइम	सरोजिनी नायडू
95.	द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस	वी.डी. सावरकर
96.	द इंडियन स्ट्रगल	सुभाषचन्द्र बोस
97.	आईडल्स	सुनील गावस्कर
98.	द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स	अरुन्धती राय

99.	इंडिया हाउस	कुलदीप नैयर
100.	डाउन द मेमोरी लेन	मदर टेरेसा
101.	द डेथ ऑफ ए हीरो	मुल्कराज आनंद
102.	अनटोल्ड स्टोरी	बी.एम.कौल
103.	बियोंड कश्मीर	सलमान खुर्शीद
104.	टर्निंग पॉइंट	सी. सुब्रह्मणयम
105.	माई वर्ल्ड	तबिश खैर
106.	हेड्स एण्ड टेल्स	मेनका गाँधी
107.	आई फालो द महात्मा	के.एम.मुंशी
108.	सर्कल ऑफ रिजन	अमिताभ घोष
109.	शैडो लाइन्स	अमिताभ घोष
110.	आवर फिल्म्स	सत्यजीत रे
111.	देयर फिल्म्स	सत्यजीत रे
112.	द ग्रेट इंडियन नॉवल	शशि थरूर
113.	सिंगल वूमन	तारा पटेल
114.	द गोल्डन गेट्स	विक्रम सेठ
115.	द इन्साइडर	पी.वी.नरसिम्हा राव
116.	साकेत, व यशोधरा	मैथिलीशरण गुप्त
117.	देवदास	शरत चन्द्र चटर्जी
118.	रंगभूमि, कफन, गोदान, निर्मला	मुंशी प्रेमचन्द
119.	स्वर्णलता, प्रथम प्रतिभूति	आशापूर्णा देवी
120.	यामा	महादेवी वर्मा
121.	चित्रा, गीतांजली, गोरा, द होम एण्ड द वर्ल्ड, काबुलीवाला	रवीन्द्रनाथ टैगोर
122.	रश्मिरथी, संस्कृति के चार अध्याय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी	रामधारी सिंह दिनकर
123.	सत्यार्थ प्रकाश	स्वामी दयानन्द
124.	देवी चौधरानी, आनंद मठ	बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय
125.	माय म्यूजिक माय लाइफ	रवि शंकर
126.	टू द लास्ट बुलेट	विनीता कॉम्टे
127.	सींग लाइक ए फेमिनिस्ट	निवेदिता मेनन
128.	कोरा कागज, द रेवेन्यू स्टैम्प, डेथ ऑफ ए	अमृता प्रीतम

	सिटी, कागज की केनवास	
129.	रिटर्न टू इण्डिया	शोभा नारायण
130.	माई कंट्री माई लाइफ	लालकृष्ण आडवाणी
131.	आई फॉलो द महात्मा	के एम मुंशी

साहित्य अकादमी पुरस्कार

पुस्तकें	**लेखक**	**वर्ष**
हजार चौरासी की माँ	महाश्वेता देवी	1996
इन्हीं हथियारों से	अमरकान्त	2007
कोहरे में कैद रंग	गोविन्द मिश्रा	2008
मोहनदास	उदय प्रकाश	2010
मिजुलमन	मृदुलागर्ग	2013
हवा में हस्ताक्षर	कैलाश वाजपेयी	2009
रेहान पर एग्घु	काशीनाथ सिंह	2011
विनायक	डॉ.रमेशचन्द्र शाह	2014
पत्थर फेंक रहा हूँ	चन्द्रकान्त देवताले	2012

सरस्वती सम्मान

पुस्तकें	**लेखक**	**वर्ष**
कायाकल्प	लक्ष्मीनन्दन बोरा	2008
लफ्जों की दरगाह	सुरजीत पातार	2009
सुगाया कुमारी	मनालेजुथु	2012
फूल पौधों पर	गोविन्द मिश्रा	2013
इरामा कथाइयुम इरामा याकालु	ए ए मानावलन	2011
रामायण महान्वेषणम	एम.वीरप्पा मोइली	2014
मन्द्रा	एस एल भयरप्पा	2010

प्रथम महिला रोजगार कार्यालय –	जयपुर
प्रथम भारतीय उपग्रह -	आर्यभट्ट
हिन्दी भाषा का प्रथम समाचार-पत्र	उदित मार्तंड (साप्ताहिक]
प्रथम जल-विद्युत् परियोजना -	शिवसमुद्रम
प्रथम सौर सरोवर –	भुज
पूर्ण साक्षर घोषित किया गया पहला जनजातीय जनसंख्या बहुल जिला -	डूंगरपुर (राजस्थान)
प्रथम केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला राज्य -	मणिपुर
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य –	केरल 1982 में

भारत में सर्वाधिक बड़ा, लम्बा एवं ऊँचा	
सबसे ऊँचा टी० वी० टॉवर	पीतमपुरा (नई दिल्ली)
सबसे ऊँचा हवाई पत्तन	लेह (लद्दाख)
सबसे लम्बी नदी (भारत में बहने के अनुसार)	गंगा नदी
सबसे लम्बी यात्रा वाली ट्रेन (विद्युत)	राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से कोलकाता
सबसे लम्बी नहर	इंदिरा गाँधी नहर राजस्थान
"सबसे ऊँचा पर्वत शिखर -	गोडविन आस्टिन K-2
सबसे ऊँचा झरना	कुंचीकल (455 मी), कर्नाटक
सबसे ऊँचा दरवाजा	बुलन्द दरवाजा, फतेहपुर सीकरी (आगरा)
सबसे ऊँची मीनार	कुतुबमीनार, दिल्ली
सबसे ऊँचा बाँध	भाखड़ा बाँध (सतलज नदी पर)
सबसे ऊँची मूर्ति	देवताल झील (गढ़वाल)
पर ऊँची झील	ऋषभ देव की मूर्ति (खरगोन, मध्य प्रदेश)
सबसे लम्बा रेलवे प्लेटफॉर्म	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
सबसे लम्बा रेल मार्ग	जम्मू से कन्याकुमारी तक

सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग	7 (वाराणसी से कन्याकुमारी)
सबसे लम्बी तटरेखा वाला राज्य	गुजरात
सबसे लम्बी सहायक नदी	यमुना नदी
सबसे लम्बा पुल	बांद्रा-वर्ली सी-लिंक (5,600)मी. मुम्बई महाराष्ट्र
सबसे लम्बी सुरंग	पीर पंजाल सुरंग (जम्मू-कश्मीर)
सबसे लम्बी सड़क	ग्रांड ट्रंक रोड़ (g.t. रोड़)
सबसे बड़ा चिड़ियाघर	जजूलोजिकल गार्डन्स, कोलकाता
सबसे बड़ा डेल्टा	सुन्दरवन डेल्टा
सबसे बड़ा गुम्बद	गोल गुम्बद, बीजापुर
सबसे बड़ी मस्जिद	जामा मस्जिद, दिल्ली वेम्बानाद
सबसे बड़ा रेलवे पुल	(4.62 किमी), केरल
सबसे बड़ा लीवर पुल	हावड़ा ब्रिज, कोलकाता
सबसे बड़ी कृत्रिम झील	गोविन्द सागर, भाखड़ा
सबसे बड़ा रेगिस्तान	थार (राजस्थान)
सबसे लम्बी नदी दक्षिण भारत की -	गोदावरी नदी
सबसे लम्बा बाँध	हीराकुड बाँध (ओडिशा)
सबसे लम्बी तटरेखा वाला राज्य (दक्षिण भारत)	आंध्र प्रदेश
सबसे लम्बा समुद्र तट	मॅरिना बीच (चेन्नई)
सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल के अनुसार)	राजस्थान
सबसे बड़ा राज्य (जनसंख्या के अनुसार)	उत्तर प्रदेश
सबसे बड़ा अजायबघर -	कोलकाता अजायबघर
सबसे बड़ा गुफा मंदिर -	कैलाश मंदिर, एलोरा (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

सबसे बड़ा कोरीडोर -	रामेश्वरम् मंदिर (तमिलनाडु)
सबसे बड़ा गुरुद्वारा -	स्वर्ण मंदिर, अमृतसर स्वर्ण मंदिर, अमृतसर
सबसे बड़ा गिरिजाघर -	स्वर्ण मंदिर, अमृतसर
सबसे बड़ी नदी (डेल्टा न बनाने वाली)	नर्मदा व ताप्ती
सबसे बड़ा नदी द्वीप -	माजुली (ब्रह्मपुत्र नदी, असोम)
सबसे बड़ा तारामंडल -	बिड़ला प्लॅनेटोरियम (कोलकाता)
सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर	- मुम्बई
सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य	पश्चिम बंगाल
सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान -	मॉसिनराम (मेघालय)
सबसे सबसे बड़ा पशुमेला -	सोनपुर मेला (बिहार)
सबसे बड़ा स्टेडियम -	युवा भारती (साल्ट लेक), कोलकाता
सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह -	मुम्बई (महाराष्ट्र)
सबसे बड़ी झील (खारे पानी की) -	चिल्का झील (ओडिशा)
सबसे बड़ी झील (मीठे पानी की) -	वूलर झील (जम्मू-कश्मीर)
अधिक वनों वाला राज्य -	मिजोरम
सबसे अधिक खनिज उत्पादक राज्य -	झारखण्ड
सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य	महाराष्ट्र
सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी	कोसी नदी
सबसे गहरी नदी घाटी -	भागीरथी व अलकनंदा

विश्व में सबसे बड़ा छोटा, लम्बा तथा ऊँचा

सबसे बड़ा महाद्वीप	एशिया
सबसे बड़ा महासागर	प्रशांत महासागर
सबसे बड़ा प्रायद्वीप	अरब प्रायद्वीप
सबसे बड़ी नदी (लम्बाई में)	नील नदी
सबसे बड़ी कृत्रिम झील	वोल्गा झील (घाना)
सबसे बड़ा महाकाव्य	महाभारत
सबसे बड़ा महल	ब्रूनेई का शाही महल
सबसे बड़ा द्वीप	ग्रीनलैंड
सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में	रूस
सबसे बड़ा टापुओं का समुदाय	इंडोनेशिया
सबसे बड़ी मूर्ति	स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में
सबसे बड़ी दीवार	चीन की दीवार
सबसे बड़ा चिड़िया घर	क्रूगर नेशनल पार्क (दक्षिण अफ्रीका)
सबसे बड़ी नदी अपवाह क्षेत्र में	अमेजन नदी
सबसे बड़ा रेगिस्तान	सहारा मरुस्थल
सबसे बड़ा अंतस्थलीय सागर	भूमध्य सागर
सबसे बड़ी ताजे जल की झील	सुपीरियर झील
सबसे बड़ी खारे जल की झील	कैस्पियन सागर झील
सबसे बड़ा डेल्टा	सुंदरवन का डेल्टा (भारत में)
सबसे बड़ा पार्क	वुड बुफेलो नेशनल पार्क कनाडा
सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना	वोल्गा बाल्टिक कैनाल
सबसे बड़ा अजायबघर	अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क
सबसे बड़ा गुम्बद	एस्ट्रो डोम टेक्सास (यू.एस.ए.)
सबसे बड़ा पक्षी	ऑस्ट्रिच (शुतुरमुर्ग)
सबसे छोटा पक्षी	हमिंग बर्ड

सबसे बड़ी खाड़ी	मेक्सिको की खाड़ी
सबसे बड़ा गिरजाघर	वेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन (इटली)
सबसे ऊँची मीनार	कुतुबमीनार (भारत)
सबसे बड़ा संग्रहालय	ब्रिटिश संग्रहालय (लंदन)
सबसे बड़ा हवाई अड्डा	खालिद हवाई अड्डा, रियाद (सऊदी)
सबसे बड़ी जलसंधि	टार्टार जलसंधि
सबसे बड़ा सड़क पुल	महात्मा गाँधी सेतु (भारत)
सबसे बड़ा पठार	तिब्बत का पठार
सबसे बड़ा ग्रह	बृहस्पति गृह
सबसे बड़ा उपसागर	हडसन उप सागर
सबसे बड़ा व भारी जानवर	ब्लू ह्वेल
सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्द्ध में	21 जून
सबसे बड़ा ज्वालामुखी	मोनालिया (हवाई द्वीप)
सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान	ग्रेट बेरियर रीफ (ऑस्ट्रेलिया)
सबसे बड़ा जलप्रपात	ग्वायरा (एल्टो पराना नदी)
सबसे बड़ा जलडमरुमध्य	डेविस जलडमरूमध्य
सबसे बड़ा सागर	दक्षिणी चीन सागर
सबसे बड़ा लेंगून	लेंगोआ डॉस पेंटोस (ब्राजील)
सबसे बड़ा घंटाघर	द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को
सबसे बड़ा पुस्तकालय	कांग्रेस पुस्तकालय (लंदन)
सबसे ऊँची मस्जिद	सुल्तान हसन मस्जिद, काहिरा (मिस्र)
सबसे बड़ी मस्जिद	जामा मस्जिद (भारत)
सबसे बड़ा राजमार्ग	राजमार्ग 1 (ऑस्ट्रेलिया) लम्बाई-14500 किमी.
सबसे ऊँचा पठार	पामीर का पठार (तिब्बत)
सबसे ऊँचा झरना	एंजिल (वेनेजुएला)
सबसे अधिक गहराई में स्थित पहाड़ी	बुकिट टामसन (ब्रुनेई)

सबसे अधिक वर्षा का स्थान	मॉसिनराम (भारत)
सबसे अधिक ठण्डा प्रदेश	बर्खोयांनस्क (रूस)
सबसे अधिक व्यस्त नहर	कील नहर
सबसे अधिक चौड़ा जलप्रपात	खोन जलप्रपात (लाओस)
सबसे ऊँची सड़क	लेह-मनाली मार्ग (भारत)
सबसे ऊँची ईमारत	बुर्ज खलीफा (दुबई)828 मीटर
सबसे ऊँचा नगर	वेन चुआन (चीन)
सबसे ऊँची पर्वत चोटी	माउन्ट एवरेस्ट
सबसे ऊँचा बाँध	रोगुन्स्की बाँध (तजाकिस्तान)
सबसे ऊँची पहाड़ों की श्रेणी	हिमालय पर्वत श्रेणी
सबसे ऊँची राजधानी	लापाज बोलिविया
सबसे अधिक दूर ग्रह सूर्य से	वरुण (नेप्च्यून)
सबसे अधिक चौड़ी जलसंधि	डेविस जलसंधि
सबसे ऊँचा बाँध (कंक्रीट)	ग्रांड कूली बाँध (अमेरिका)
सबसे अधिक सूखा प्रदेश	डैथ वेली (अमेरिका)
सबसे अधिक संकरा जलडमरूमध्य	यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य (एंजिल सागर)
सबसे अधिक निर्वाचन संख्या वाला देश	भारत
सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन	सोंदोर (बोलिविया)
सबसे ऊँचा बौद्ध स्तूप	देहरादून (भारत)
सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित झील	टिटिकाका
सबसे ऊँचा ज्वालामुखी (क्रियाशील)	ओजेस डेल सलादो (चिली-अर्जेंटीना)
सबसे अधिक ऊँचाई पर सड़क	खलेब-हिस्न चिन्फु रोड़

भारत में प्रथम पुरुष	
भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति	- डॉ.राजेन्द्र प्रसाद
प्रथम व अन्तिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे	- सी. राजगोपालाचारी
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है।	- जवाहरलाल नेहरू
भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे।	- डॉ.जाकिर हुसैन
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे	- सरदार वल्लभ भाई पटेल
मुग़ल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था।	- बहादुर शाह जफर द्वितीय
मुग़ल साम्राज्य का प्रथम बादशाह -	जहीरुद्दीन बाबर
विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय	- गौतम काजी
व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति -	डॉ० रामविलास शर्मा
पद्म भूषण' पुरस्कार से सम्मानित प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे।	- सी० के० नायडू
टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय -	के०एस० रणजीत सिंह (इंग्लैण्ड की ओर से)
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला व्यक्ति कौन है।	- लॉर्ड इरविन
ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त किये जाने वाले प्रथम-भारतीय कौन	- वी०के० कृष्ण मेनन
प्रथम भारतीय एफ०आर०एस०	- ए० कर्सेटजी
प्रथम भारतीय आई०सी०एस०	- सत्येन्द्रनाथ टैगोर
स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कमाण्डर-इन-चीफ	- जनरल के०एम० करिअप्पा

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय	- रवीन्द्रनाथ टैगोर
इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम सभापति	- व्योमेश चन्द्र बनर्जी
भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था ।	- लॉर्ड वारेन हेस्टिंग
भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय	- लॉर्ड केनिंग
भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था ।	- लॉर्ड माउन्टबेटन
परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम वायुसेना अधिकारी	- निर्मल जीत सेखो (मरणोपरान्त)
प्रशासन पर विशेष ध्यान देने वाला प्रथम मुस्लिम बादशाह कौन था	शेहशाह सूरी
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे	लॉर्ड माउण्टबेटन
वायसराय की एक्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रथम भारतीय सदस्य	ए०पी० सिन्हा
भारत का प्रथम फील्ड मार्शल	एस०एच० एफ०जे० मानेकशा
भारतीय जल सेना का प्रथम भारतीय नौसेनाध्यक्ष कौन थे ।	वाइस एडमिरल आर०डी० कटारी
स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
भारत के प्रथम पूर्णतः गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री	अटल बिहारी वाजपेयी
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं	जी० वी० मावलंकर
प्रथम उपप्रधानमंत्री कौन थे ।	सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे ।	सुकुमार सेन
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक	खान अब्दुल गफ्फार खाँ

प्रथम भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल के नेतृत्वकर्ता	डॉ० सैय्यद जहूर कासिम
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक	चंद्रशेखर वेंकटरमण
सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश	न्यायमूर्ति हीरालाल जे० कानिया
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय	डॉ० एस० राधाकृष्णन,सी० राजगोपालाचारी एवं डॉ० सी० वी० रमण
मरणोपरांत 'भारत रत्न' से सम्मानित प्रथम व्यक्ति	लालबहादुर शास्त्री
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति	जी० शंकर कुरूप (मलयालम)
हृदय प्रत्यारोपण का पहला सफल ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक कौन है ।	डॉ० पी० वेणुगोपाल
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश एवं उसका अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय	डॉ० नगेन्द्र सिंह
अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय	स्क्वा० लीडर राकेश शर्मा (3 अप्रैल, 1984 को)
एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाला प्रथम भारतीय	तेनसिंग नारे (23 मई, 1953 को)
बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाला प्रथम भारतीय	शेरपा अंग दोरजी (1987)
इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम पुरुष	मिहिर सेन
शतरंज में प्रथम भारतीय विश्व चैम्पियन कौन है	विश्वनाथन आनन्द
एक दिवसीय क्रिकेट में 40.000 से अधिक रन	सचिन तेंदुलकर

बनाने वाला प्रथम भारतीय	
क्रिकेट खिलाड़ी कौन है ।	जी० एम० सी० बालयोगी
भारतीय लोकसभा का प्रथम दलित स्पीकर कौन थे	न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष	सुमित्रानंदन पंत
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिन्दी साहित्यकार कौन है	पंडित रविशंकर
ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किये जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे ।	प्रभाकर आर० आर० नार्बेकर
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के उप-प्रबंधक नियुक्त किये जाने वाले प्रथम भारतीय	डॉ. मेघनाथ साहा
प्रथम वैज्ञानिक	लाल मोहन घोष
ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय	दिलीप सिंह संड
अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय	डॉ. सैफुद्दीन किचलू
लेलिन शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय	अरविंद पनगढ़िया
निति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष	डॉ.राजेन्द्र प्रसाद

भारत में प्रथम महिला	
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी ।	श्रीमती इंदिरा गांधी
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी ।	श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित
इण्डियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला सभापति कौन थी ।	श्रीमती एनीबेसेंट
मुख्य सूचना आयुक्त का पद भार सँभालने वाली पहली महिला	दीपक संधू
मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला	जीनत अमान
संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष	श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित
ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी ।	कर्णम मल्लेश्वरी
एशियाड में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी ।	कमलजीत संधू
उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश	लीला सेठ (हिमाचल उच्च न्यायालय)
एवरेस्ट की चोटी पर दो बार पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला	संतोष यादव
एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी	डिक्की डोल्मा
इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है ।	आरती गुप्ता
संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त होने वाली भारत एवं विश्व की प्रथम महिला	किरण बेदी
प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जिसने दोहरा शतक बनाया है ।	मितालीराज (214 रन, अगस्त, 2000 को इंग्लैण्ड के विरुद्ध)
भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला कौन थी ।	किरण बेदी
राज्य विधायिका की प्रथम महिला विधायिका	डॉ० एस० मुथ्थु लक्ष्मी रेड्डी (चेन्नई)
संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी	रोज मिलियन बैथ्यूज

शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम नागरिक कौन है	मदर टेरेसा
राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव	वी०एस० रमा देवी
भारत के किसी शहर की प्रथम महिला मेयर	तारा चेरियन (चेन्नई)
केन्द्रीय व्यवस्थापिका की प्रथम महिला सांसद	राधाबाई सुबारायन
भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश (सेशन जज) कौन थी।	अन्ना चांडी (केरल
किसी विश्वविद्यालय के छात्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष	अंजू सचदेवा (दिल्ली विश्वविद्यालय)
नार्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है	डॉ० अमृता पटेल
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला	अमृता प्रीतम
"भारत रत्न" से सम्मानित प्रथम महिला	श्रीमती इंदिरा गांधी
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला	आशापूर्णा देवी
अंटार्कटिका पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला	डॉ.सुदीप्तिसेन गुप्ता एवं डॉ. पंत
उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला	प्रीतिसेन गुप्ता
नोका द्वारा सम्पूर्ण विश्व का भ्रमण करने वाली प्रथम भारतीय महिला	उज्वला पाटिल
भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री	श्रीमती सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश)
भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल	श्रीमती सरोजनी नायडू
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की प्रथम महिला मंत्री	राजकुमारी अमृतकोंर
भारतीय विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर	श्रीमती शन्नोदेवी

भारत की प्रथम महिला राजदूत	कु० सी० बी० मुथम्मा
मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला	कु० रीता फारिया
मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है।	सुष्मिता सेन
एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला	बछेन्द्रीपाल (23 मई, 1984
सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश	मीरा साहिब फातिमा बीबी
भारत की प्रथम महिला चिकित्सक है।	कादंबिनी गांगुली
भारत की प्रथम महिला चीफ इंजीनियर	पी० के० त्रेसिया नांगुली
भारत की प्रथम महिला पायलट	सुषमा
इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट	केप्टन दूर्बा बनर्जी
भारत की प्रथम महिला रेल चालिका	सुरेखा शंकर यादव
"बोइंग-737" विमान की प्रथम महिला कमांडर	केप्टन सोंदामिनी देशमुख
भारतीय सेना की प्रथम महिला जनरल	मेजर जनरल जी० ए० एम०
भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनने वाली प्रथम महिला	अन्ना जार्ज (मल्होत्रा)
प्रथम महिला पत्रिका की प्रथम महिला सम्पादिका	कमला स्वामीनाथन (इंडियन लेडीज मैंगजीन)
प्रथम महिला कस्टम्स एण्ड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर	कोंशल्या नारायण
प्रथम महिला बैंक मैंनेजर	शांता कुमार (सिंडिकेट बैंक, शेषाद्रिपुरम् बंगलुरू)
प्रथम दूरदर्शन समाचार वाचिका	प्रतिमा पुरी

शतरंज में अंतरष्ट्रीय रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम महिला	भाग्य श्री थिप्से
अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला	एन० लम्सडेन
अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला	ग्लोरिया बेरी (मरणोपरांत)
एम०बी०बी०एस० की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला	विधुमुखी बोस एवं विर्जिनिया मितर
प्रथम महिला बैरिस्टर कौन थी	कार्नीलिया सोराबजी
राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी	श्रीमती जयंती पटनायक
प्रथम टेस्टट्यूब बेबी	हर्षा
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की महानिदेशक नियुक्त होने वाली प्रथम महिला	जी. वी. सत्यवती
आयात-निर्यात बैंक की प्रथम अध्यक्षा	तर्जनी वकील
भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री	श्रीमती देविका रानी रोरिक
शान्तिस्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला	- असीमा चटर्जी
भारतीय वायुसेना के विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली महिला पायलट	हरित देओल राष्ट्रपति भवन में इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व करने वाली
'पहली महिला अधिकारी	पूजा ठाकुर (विंग कमाण्डर, भारतीय वायुसेना)
माउण्ट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम विकलांग महिला पर्वतारोही	अरुणिमा सिम्झ-
मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला	रीटा फारिया
मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी ।	निकोल फारिया
दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली पहली भारतीय महिला	रीना कौसल धर्मशक्तु
भारतीय विज्ञान कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा	डॉ० आशिमा चटर्जी
संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला	'एम० एस० सुब्बुलक्ष्मी
ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला	मेरी लीला रो
ओलम्पिक खेलों के सेमीफाइनल में पहुँचने वाली प्रथम महिला	शाइनी अब्राहम
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला	कमलजीत संधु
राष्ट्रमंडल खेलों में पदक (कांस्य पदक) जीतने वाली प्रथम महिला	अमीथिया एवं कंवल ठाकुर सिंह

भारत किन किन क्षेत्रों में प्रथम स्थान रखता है।

दुनिया में सरकार समर्थित परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश ।
विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में है ।
सर्वाधिक पशुधन आबादी भारत में है ।
जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है ।
अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है ।
केले का सबसे बड़ा उत्पादक ।
अरंडी के बीजों का सबसे बड़ा उत्पादक ।
आमों का सबसे बड़ा उत्पादक ।
दूध का सबसे बड़ा उत्पादक ।
दुनिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक
सोने के आभूषण का सबसे बड़ा उपभोक्ता।
कुसुम तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश भारत है ।
पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक ।

लहसुन *का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, पहला स्थान* ***चीन*** *का है ।*
चावल *का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, पहला स्थान* ***चीन*** *का है ।*
बिनौला *का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, पहला स्थान* ***चीन*** *का है ।*
आलू *का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, आलू उत्पादन मे पहला स्थान* ***चीन*** *का है ।*
रेशम *का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, पहला स्थान चीन का है ।*
बिनौला *का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, पहला स्थान* ***चीन*** *का है ।*
चाय *का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चाय उत्पादन मे पहला स्थान* ***चीन*** *का है ।*
गन्ने *का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, गन्ना उत्पादन मे पहला स्थान* ***ब्राज़िल*** *का है ।*
गेहूँ *का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, गेहुँ उत्पादन मे पहला स्थान* ***चीन*** *का है ।*
प्याज़ *का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक,प्याज उत्पादन मे पहला स्थान* ***चीन*** *का है ।*
विश्व मे सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका में है जिसके बाद भारत का स्थान है ।
भारत ***उर्वरक*** *का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है ।*
भारत में ***थोरियम*** *का सबसे बड़ा भंडार हैं । यह भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है।*

भारत रत्न

भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे कला, साहित्य, विज्ञान एवं सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण एवं अत्युत्तम कोटि की उपलब्धि हेतु दिया जाता है। जाति, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के योग्य है। इस पुरस्कार की शुरूआत 2 जनवरी, 1954 में हुई थी। भारत रत्न देने की अनुशंसा स्वयं प्रधानमन्त्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है।

भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति

सम्मानित व्यक्ति	***वर्ष***
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. चन्द्रशेखर वेंकट रमन	*1954*
डॉ. भगवान दास, डॉ. मोक्षागुण्डम विश्वेश्वरैया, 'पण्डित जवाहरलाल नेहरू	*1955*
'पण्डित गोविन्द बललभ पन्त	*1957*
डॉ.घोण्डो केशव कर्वे	*1958*
डॉ. विधान चन्द्र राय, पुरुषोत्तमदास ठण्डन	*1961*
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	*1962*
डॉ. जाकिर हुसैन, डॉ. , पाण्डुरंग वामन काणे	*1963*
लाल बहादुर शास्त्री (मरणोपरान्त)	*1966*
इन्दिरा गाँधी	*1971*
वराहगिरि वेंकट गिरि	*1975*
कुमारास्वामी कामराज (मरणोपरान्त)	*1976*
मदर मेरी टेरेसा बोजाक्सिऊ (मदर टेरेसा)	*1980*
आचार्य विनोबा भावे (मरणोपरान्त)	*1983*
खान अब्दुल गफ्फार खाँ (प्रथम विदेशी नागरिक)	*1987*

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

मरुदुर गोपालन रामचन्द्रन (मरणोपरान्त)	1988
डॉ. भीमराव अम्बेडकर (मरणोपरान्त), डॉ. नेल्सन, रोहिल हलाहला मण्डेला	1990
राजीव गाँधी (मरणोपरान्त), सरदार वल्लभभाई पटेल (मरणोपरान्त), मोरारजी रणछोड़जी देसाई	1991
मौलाना अबुल कलाम आजाद (मरणोपरान्त), जहाँगीर रतनजी दादाभाई टाटा, सत्यजीत रे	1992
गुलजारी लाल नन्दा, अरुणा आसफ अली (मरणोपरान्त), डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम	1997
एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी, चिदम्बरम सुब्रह्मण्यम लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मरणोपरान्त)	1998
प्रोफेसर अमर्त्य सेन, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (मरणोपरान्त) पण्डित रविशंकर	1999
लता दीनानाथ मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ	2001
पं. भीमसेन गुरुराज जोशी	2008
सचिन रमेश तेन्दुलकर, सी एन आर राव पा	2014
मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी	2015

पद्म पुरस्कार

पद्म विभूषण

पद्म विभूषण सम्मान 'भारत रत्न के बाद द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी, 1954 को की गई थी। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय सेवा हेतु प्रदान किया जाता है, इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएँ भी सम्मिलित हैं। प्रथम बार पद्म विभूषण सत्येन्द्रनाथ बोस, नन्दलाल बोस, जाकिर हुसैन एवं वी के कृष्णमेनन को दिया गया था। वर्ष 2015 में यह पुरस्कार लाल कृष्ण अडवाणी एवं अमिताभ बच्चन, प्रकाश सिंह बादल, दिलीप कुमार आदि को दिया गया ।

पद्म भूषण

पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इनका वितरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा "राष्ट्रपति भवन" में आयोजित एक समारोह में मार्चयह अप्रैल माह में किया जाता है।/ सम्मान 2 जनवरी 1954 से प्रदान किया जाता है। **शिवम सेट्टी मनोहर** इस सम्मान को प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में देश की उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। शान्ति स्वरूप भटनागर एवं **एम.एस. सुब्बालक्ष्मी** को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2015 में यह पुरस्कार एन. गोपालस्वामी, डॉ.सुभास सी कश्यप सुधा रघुनाथन इत्यादि को दिया गया है ।

पद्मश्री

भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम में यह चौथा पुरस्कार है, इससे पहले क्रमशः भारत रत्न पद्म विभूषण और पद्म भूषण का स्थान है। इसके अग्रभाग पर "पद्म" और "श्री" शब्द देवनागरी लिपि में अंकित रहते हैं। यह भारत सरकार द्वारा सामान्यतयाः केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाने वाला सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे : कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, समाजसेवा, चिकित्सा आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है।

वीरता पुरस्कार

परमवीर चक्र

यह देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। यह सम्मान युद्ध क्षेत्र में असाधारण वीरता एवं अदम्य साहस या आत्मबलिदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 1947 में हुई थी। परमवीर चक्र का पदक कॉस्य का गोल आकार में बना होता है। इसके अग्रभाग में इन्द्र पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर बैंगनी रंग के रिबन से लगाता है। इसके मध्य में राष्ट्रीय चिह्न बना होता है तथा इसके चारों ओर इन्द्र के वज्र की चार प्रतिकृति बनी होती हैं तथा पार्श्व में हिन्दी व अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। परमवीर चक्र 26 जनवरी, 1950 को भारत के

राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया, परन्तु यह 15 अगस्त, 1947 से ही प्रभावी था।

महावीर चक्र

युद्धक्षेत्र जल, थल एवं नभ में दुश्मन के प्रति असाधारण शौर्य एवं अदम्य साहस को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला यह द्वितीय सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। इसमें दिया जाने वाला पदक कॉंस्य का बना होता है तथा आकार में गोल होता है। इसमें दिए जाने वाले पदक में सामने की ओर पाँच चक्र तथा पीछे की ओर हिन्दी व अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है तथा इसमें कमल बना होता है। पदक सफेद तथा केसरी रिबन से पहना जाता है। पहली बार यह पुरस्कार वर्ष 1947 में छलोगों को दिया गया था। :

वीर चक्र

युद्धक्षेत्र या जल, थल एवं नभ में दुश्मन के प्रति असाधारण शौर्य एवं अदम्य साहस प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला यह तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें दिए जाने वाले पदक में सामने की ओर अशोक चक्र बना होता है तथा पीछे की ओर हिन्दी एवं अंग्रेजी में वीर चक्र लिखा होता है। पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है।

परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता

सम्मानित व्यक्ति	**कार्यक्षेत्र**	**वर्ष**
मेजर सोमनाथ शर्मा, कुमाऊँ रेजीमेण्ट (मरणोपरान्त)_	कश्मीर में सैन्य कार्यवाही	1947
सेकेण्ड लेफ्टिनेण्ट आर आर राणे, कोर ऑफ इन्जीनियर्स	कश्मीर में सैन्य कार्यवाही	1948
कम्पनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, राजपूताना राइफल्स (मरणोपरान्त)	कश्मीर में सैन्य कार्यवाही	1948
लांस नायक करम सिंह, सिख रेजीमेण्ट	कश्मीर में सैन्य कार्यवाही	1948
नायक जदुनाथ सिंह, राजपूत रेजीमेण्ट (मरणोपरान्त)	कश्मीर में सैन्य कार्यवाही	1948
कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, गोरखा राइफल्स (मरणोपरान्त)	काँगो में	1961
मेजर धन सिंह थापा, गोरखा राइफल्स	लद्दाख	1962
सूबेदार जोगिन्दर सिंह, सिख रेजीमेण्ट (मरणोपरान्त)	नेफा	1962
मेजर शैतान सिंह, कुमाऊँ रेजीमेण्ट (मरणोपरान्त)	लद्दाख	1962
कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, ग्रेडियर्स (मरणोपरान्त)	पाकिस्तान के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही	1965
लेफ्टिनेण्ट कर्नल ए बी तारापोर, पूना हॉर्स (मरणोपरान्त)	पाकिस्तान के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही	1965
मेजर होशियार सिंह, ग्रेनेडियर्स	भारत-पाक युद्ध	1971
सेकेण्ड लेफ्टिनेण्ट अरुण खेत्रपाल, 17 पूना हॉर्स (मरणोपरान्त)	भारत-पाक युद्ध	1971
लांस नायक अल्बर्ट एक्का, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स (मरणोपरान्त)	भारत-पाक युद्ध	1971
फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो, फ्लाइंग बान्च (पायलट) (मरणोपरान्त)	भारत-पाक युद्ध	1971
नायब सूबेदार बाना सिंह, जे एण्ड के लाइट इन्फेण्ट्री	सियाचिन ग्लेशियर पर सैन्य कार्यवाही।	1987
मेजर रामस्वामी परमेश्वरन, महार रेजीमेण्ट (मरणोपरान्त)	श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेना कार्यवाही	1987
कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 जम्मू-कश्मीर राइफल्स (मरणोपरान्त)	कारगिल संघर्ष में ऑपरेशन विजय	1999

कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, 1/11 गोरखा राइफल्स (मरणोपरान्त) विजय	कारगिल संघर्ष में ऑपरेशन	1999
ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव, 18वीं ग्रेनेडियर्स	विजय कारगिल संघर्ष में ऑपरेशन	1999
राइफलमैन संजय कुमार, 3वीं जम्मू-कश्मीर राइफल्स	कारगिल संघर्ष में ऑपरेशन विजय	1999

शौर्य पुरस्कार

अशोक चक्र जनवरी 4, को स्थापित यह पुरस्कार 1952 देश का सर्वोच्च शान्तिकालीन शौर्यपुरस्कार है। यह पुरस्कार असाधारण शौर्य एवं अदम्य साहस प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र गिल्ट गोल्ड का बना हुआ होता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मेजर मुकुन्द वरदराजन और नायक नीजर कुमार सिंह को जनवरी 26, को मरणोपरान्त शान्ति के समय 2015 दियाजाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान अशोक चक्र" प्रदान किया।

कीर्ति चक्र यह पुरस्कार असाधारण शौर्य एवं अदम्य साहस प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। यह स्टैण्डर्ड रजत का बना होता है।

शौर्य चक्र यह पुरस्कार असाधारण शौर्य एवं अदम्य साहस प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। यह कॉस्य का बना होता है।

परम विशिष्ट सेवा मेडल यह सेवा मेडल भारतीय सेना के तीनों अंगों जल थल व वायु सेना के कर्मियों को क्रमशः उनकी अत्यधिक असाधारण" एवं उच्चकोटि की सेवा समर्पण के अनुरुप प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी । यह शांति कालीन सेवा मेडल है ।

राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार

प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस पर देश के बहादुर बच्चों को भारतीय बाल कल्याण परिषद् के तत्त्वावधान में वर्ष 1975 राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, इसके अन्तर्गत भारत अवार्ड, गीता चोपड़ा, संजय चोपड़ा अवार्ड, बापू गैंधानी अवार्ड भी प्रदान किए जाते हैं।

फिल्म पुरस्कार

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

वर्ष 1954 में स्थापित यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा भारतीय फिल्मों में उच्च स्तरीय सौन्दर्य बोध, तकनीकी कुशलता तथा शिक्षाप्रद एवं सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं (वर्ष 2012) में उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए। यह पुरस्कार 'फीचर तथा गैर-फीचर दोनों तरह की फिल्मों के लिए प्रदान किया जाता है। फीचर फिल्म खण्ड में 31 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, जबकि गैर-फीचर खण्ड में 22 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों का चयन एक जूरी के द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा की जाती है।

वर्ष 1953 में प्रदर्शित फिल्म श्यामचि आई(मराठी) को अक्टूबर, 1954 में प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार डॉ.राजेन्द्र प्रसाद दिया गया। राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2011 में देवुल बयारी (मराठी) व वर्ष 2012 में बयारी (कन्नड़) वर्ष 2013 में सिप ऑफ थिसियस (अंग्रेजी) तथा वर्ष 2014 में कोर्ट (अंग्रेजी)
को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया।

फिल्म फेयर पुरस्कार

वर्ष 1954 में स्थापित यह पुरस्कार टाइम्स ग्रुप की पत्रिका फिल्मफेयर द्वारा वर्ष में प्रदर्शित भारतीय फिल्मों की प्रत्येक विधा में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है। प्रारम्भ में यह क्लेयर पुरस्कार (clare award) के नाम से जाना जाता था।

फिल्म फेयर का पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति

विमल राय - फिल्म 'दो बीघा जमीन' के निर्देशन के लिए।

दिलीप कुमार - फिल्म दाग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए।

मीना कुमार - फिल्म "बैजू बावरा' में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए।

नौशाद - फिल्म "बैजू बावरा' में संगीत योगदान के लिए।

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की 100वीं जयन्ती के अवसर पर की गई थी। यह भारतीय

सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, जो भारत सरकार के **सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय** द्वारा भारतीय सिनेमा के संवर्द्धन और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति की सिफारिश पर वर्ष के अन्त में इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ दिया जाता है। वर्ष 1969 में पहला पुरस्कार अभिनेत्री **देविका रानी** को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार मरणोपरान्त **पृथ्वीराज कपूर** को वर्ष 1971 में प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत् भारत सरकार एक स्वर्ण कमल, एक प्रशस्ति-पत्र तथा ₹ 10 लाख एवं एक शॉल प्रदान करती है। दादा साहेब फाल्के अकेडमी के द्वारा भी दादा साहेब के नाम पर तीन पुरस्कार दिए जाते हैं--फाल्के रत्न अवार्ड, फाल्के कल्पतरु अवार्ड और दादा साहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड।

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति

सम्मानित व्यक्ति	**विशिष्टता**	**वर्ष**
देविका रानी	अभिनेत्री	1969
बी एन सरकार	निर्माता	1970
पृथ्वीराज कपूर	अभिनेता	1971
पंकज मलिक	संगीतकार	1972
रुबी मेयर्स	अभिनेत्री	1973
बी एन रेड्डी	निर्देशक	1974
धीरेन गांगुली	अभिनेता, निर्देशक	1975
कानन देवी	अभिनेत्री	1976
नितिन बोस	सिनेमेंटोग्राफर, निर्देशक	1977
आर सी बोराल	संगीतकार, निर्देशक	1978
सोहराब मोदी	अभिनेता, निर्माता, निर्देशक	1979
पीजयराज .	अभिनेता, निर्देशक	1980
नौशाद अली	संगीतकार	1981
एल वी प्रसाद	अभिनेता, निर्माता, निर्देशक	1982
दुर्गा खोटे	अभिनेत्री	1983
सत्यजीत रे	निर्देशक	1984
वीशान्ताराम .	अभिनेता, निर्माता, निर्देशक	1985
बीनागी रेड्डी .	निर्माता	1986
राजकपूर	अभिनेता, निर्माता, निर्देशक	1987
अशोक कुमार	अभिनेता	1988
लता मंगेशकर	पार्श्व गायिका	1989
एनागेश्वर राव .	अभिनेता	1990
भालजी पंढारकर	निर्माता, निर्देशक	1991
भूपेन हजारिका	निर्देशक	1992
मजरूह सुल्तानपुरी	गीतकार	1993
दिलीप कुमार	अभिनेता	1994
डॉराजकुमार .	अभिनेता	1995
शिवाजी गणेशन	अभिनेता	1996
कवि प्रदीप	गीतकार	1997
बीआर चोपड़ा	निर्माता, निर्देशक	1998
हृषिकेश मुखर्जी	निर्देशक	1999
आशा भोसले	पार्श्व गायिका	2000
यश चोपडा	निर्देशक, निर्माता	2001
देव आनन्द	अभिनेता, निर्देशक, निर्माता	2002
मृणाल सेन	निर्देशक	2003
अडूर गोपालकृष्णन	निर्देशक	2004
श्याम बेनेगल	निर्देशक	2005
तपन सिन्हा	निर्देशक	2006
मन्ना डे	पार्श्व गायक	2007
वी के मूर्ति	सिनेमेंटोग्राफर	2008
डीरामानायडू .	निर्माता	2009
केबालचन्द्र .	अभिनेता	2010
सौमित्र चटर्जी	अभिनेता	2011
प्राण	अभिनेता	2012
गुलजार	गीतकार एवं निर्माता	2013
शशि कपूर	अभिनेता	2014

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पुरस्कार

भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार

देश की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के साहित्यकार को सृजनात्मक योगदान हेतु भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट (संस्थापक श्रीमती रमा जैन और श्री साहू शान्ति प्रसाद जैन, 1944) द्वारा दिया जाता है।

इस पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरुप (मलयालम साहित्य, ओडाक्कुझाल, 1965) थे। यह साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार के तहत् पुरस्कार राशि, स्मृति चिह्न, प्रशस्ति-पत्र व वाग्देवी की काँस्य प्रतिमा जो मूलतः राजा भोज के द्वारा
धार (मालवा) के सरस्वती मन्दिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति है, दिए जाते हैं।

हाथ में कमण्डल, पुस्तक और अक्षमाल ज्ञान तथा आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि के प्रतीक हैं। वर्ष 1965 में ₹ 1 लाख की पुरस्कार राशि से प्रारम्भ हुए इस पुरस्कार को वर्ष 2005 में ₹ 7 लाख कर दिया गया। वर्तमान में इस पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली राशि को ₹ 7 लाख से बढ़ाकर ₹ 11 लाख कर दिया गया है। वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कुँवर नारायण पहले व्यक्ति थे, जिन्हें ₹ 7 लाख का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ।

ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे अधिक 7 बार हिन्दी व कननड़ भाषा में दिया गया है। यह पुरस्कार बंगला को 5 बार, मलयालम को 4 बार, उड़िया, उर्दू और गुजराती को तीन-तीन बार, असमिया, मराठी, तेलुगू , पंजाबी व तमिल को दो बार मिल चुका है।
पिछले 20 वर्ष की अवधि में प्रकाशित कृतियों के आधार पर लेखक का मूल्यांकन प्रवर परिषद् (Select council) के सदस्य करते हैं।

भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति

ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता	**कृति**	**वर्ष**
जी शंकर कुरुप	ऑडा कुज्जल (मलयालम)	1965
ताराशंकर बन्धोपाध्याय	गणदेवता (बंगला)	1966
के वी पुटप्पा व उमाशंकर जोशी	रामायण दर्शनम् (कन्नड़), निशीथ (गुजराती)	1967
सुमित्रानन्दन पन्त	चिदम्बरा (हिन्दी)	1968
फिराक गोरखपुरी	गुल-ए-नगमा (उर्दू)	1969
विश्वनाथ सत्यनारायण	श्रीमद् रामायण कल्पवृक्षम् (तेलुगू)	1970
विष्णु डे	स्मृति सत्ता भविष्यत् (बंगला)	1971
रामधारी सिंह 'दिनकर'	उर्वशी (हिन्दी)	1972
गोपीनाथ मोहन्ती एवं डी आर बेन्द्रे	पराजा (उड़िया), चार तार (कन्नड़)	1973
विष्णु सखा खाण्डेकर	ययाति (मराठी)	1974
पी वी अकिलन्दम	चित्तपावन (तमिल)	1975
श्रीमती आशापूर्णा देवी (प्रथम महिला)	प्रथम प्रतिश्रुति (बंगला)	1976
डॉ. के शिवराम कारन्थ	मूकज्जिया कनसुगुल (कन्नड़)	1977
डॉ.सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय	कितनी नावों में कितनी बार (हिन्दी)	1978
डॉ.वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य	मृत्युडजय (असमिया)	1979
एस के पोट्टकट	ओरू देसातिने कथा (मलयालम)	1980
अमृता प्रीतत	कागज ते कैनवास (पंजाबी)	1981
महादेवी वर्मा	यामा (हिन्दी)	1982
उकस्श अकसर	चिकवीर राजेन्द्र (तेलुगू)	1983
तक्षी शिवशंकर पिल्लई	कायर (मलयालम)	1984
पन्नालाल पटेल	मानवीनी भवाई (गुजराती)	1985

सच्चिदानन्द राउतराय	उड़िया साहित्य	1986
विष्णु वामन शिरवाडकर	मराठी साहित्य	1987
डॉ. सी नारायण रेड्डी	तेलुगू साहित्य	1988
कुर्तुल एन हैदर	उर्दू साहित्य	1989
विनायक कृष्ण गोकाक	कन्नड़ साहित्य	1990
सुभाष मुखोपाध्याय	बांग्ला साहित्य	1991
नरेश मेहता	हिन्दी-साहित्य	1992
डॉ. सीताकान्त महापात्र	उड़िया साहित्य	1993
प्रो.यू आर अनन्तमूर्ति	कन्नड़ साहित्य	1994
एम टी वासुदेवन नायर	मलयालम साहित्य	1995
श्रीमती महाश्वेता देवी	बांग्ला साहित्य	1996
अली सरदार जाफरी	उर्दू साहित्य	1997
गिरीश कर्नाड	कन्नड़ साहित्य	1998
निर्मल वर्मा एवं गुरदयाल सिंह	हिन्दी एवं पंजाबी साहित्य	1999
इन्दिरा गोस्वामी	असमिया साहित्य	2000
राजेन्द्र केशव लाल शाह	गुजराती साहित्य	2001
डी.जयकानतन	तमिल साहित्य	2002
विन्दा करन्दीकर	मराठी साहित्य	2003
रहमान राही	कश्मीरी साहित्य	2004
कुँवर नारायण	हिन्दी साहित्य	2005
रवीन्द्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री	कोंकणी एवं संस्कृत साहित्य	2006
ए बी एन कुरूप	मलयालम साहित्य	2007
ए एम खान शहरयार	उर्दू साहित्य	2008
अमरकान्त व श्रीलाल शुक्ल	हिन्दी साहित्य	2009
चंद्रशेखर खम्बर	कन्नड़ साहित्य	2010
प्रतिभा रे	उड़िया साहित्य	2011
रावूरी भरद्वाज	तेलुगू साहित्य	2012
केदारनाथ सिंह	हिन्दी साहित्य	2013
बालचन्द्र नेमाडे	मराठी साहित्य	2014

महत्वपूर्ण पुरस्कार

पुरस्कार सम्मान/	स्थापना	संस्था	क्षेत्र में विशिष्टता
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1) लाख ताम्रपत्र + (अंगवस्त्र +	1952	संगीत नाटक अकादमी भारत) सरकार(	नृत्य, नाटक एवं संगीत (वाद्य एवं गायन) के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को
साहित्य अकादमी पुरस्कार)रु1 लाख + कॉस्य स्मृति (फलक	1954	साहित्य अकादमीभारत) सरकार(	अंग्रेजी सहित भारतीय 22 भाषाओं में गत पाँच वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचना के लिए

ललित कला अकादमी पुरस्कार)₹ + 25000 प्रशस्ति(पत्र मूर्ति-	1955	ललित कला अकादमीभारत) सरकार(	प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में मूर्तिकला, चित्रकारी एवं रेखाचित्रों की उत्कृष्ट 10 कृतियों पर
वी डी गोयनका) ₹ 1 लाख(	1979	इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप ऑफ़ न्यूजपेपर्स	पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए
कालिदास सम्मान)₹ (लाख 2	1980	मध्य प्रदेश सरकार	रूपांकन कलाओं के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता पर
तानसेन सम्मान)₹ (लाख 2	1980	मध्य प्रदेश सरकार	शास्त्रीय संगीत (गायन एवं वाद्य) के क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं निष्ठा के लिए
सरला सम्मान)₹ 50, (000	1980	ओड़िसा साहित्य अकादमी	ओड़िया साहित्य के विकास में उच्च योगदान पर
तुलसी सम्मान)₹ (लाख 2	1983	मध्य प्रदेश सरकार	राष्ट्रिय स्तर पर जनजातीय लोककला के विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु
मूर्ति देवी पुरस्कार	1983	भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा	भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी साहित्य को यह दिया जाता है।
फिरोज गाँधी पुरस्कार)₹1 लाख(	1984	नेशनल प्रेस ऑफ़ इण्डिया	पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए
भारतभारती -) सम्मान₹ 2.5 (लाख	1986	उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्था	साहित्य सृजन एवं हिन्दी की अनवरत सेवा हेतु
शान्ति एवं निशस्त्रीकरण के लिए इन्दिरा गाँधी. पुरस्कार)₹ 25 लाख की नकद (राशि	1986	इन्दिरा गाँधी स्मृति न्यास	अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, निरस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान - केलिए
इकबाल सम्मान)₹लाख + 4 पत्र + -प्रशस्ति (प्रतीक चिह्न	1990	मध्य प्रदेश साहित्य परिषद्	उर्दू भाषा में उत्कृष्ट रचनात्मक लेखन हेतु

व्यास सम्मान)₹ लाख + 2.5 (पत्र-प्रशस्ति	1991	के के बिड़ला फाउण्डेशन	हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु
स्त्री शक्ति पुरस्कार	1991	भारत सरकार द्वारा	पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साहित्य सृजन एवं हिन्दी की अनवरत सेवा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, निरस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान -केलिए उर्दू भाषा में उत्कृष्ट रचनात्मक लेखन हेतु हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु
सरस्वती सम्मान	1991	के के बिड़ला फाउण्डेशन द्वारा	भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ठ साहित्यिक कृति हेतु प्रदान किया जाता है। इसके तहत् ₹ लाख.नकद दिए 7.5 जाते हैं।
राजीव गाँधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार)₹5 लाख + -प्रशस्तिपत्र(	1992	राजीव गाँधी स्मारक निधि अखिल)भारतीय कांग्रेस(	देश में शान्ति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में योगदान के लिए
शंकर पुरस्कार)₹ 1.(लाख 50	1992	के के बिड़ला फाउण्डेशन	गत वर्षों में प्रकाशित 10 भारतीय दर्शन,कला एवं संस्कृति पर उत्कृष्ट रचना हेतु
वाचस्पति पुरस्कार)प्रशस्तिपत्र-, ₹ 1.(लाख 5	1992	के के बिड़ला फाउण्डेशन	संस्कृत साहित्य में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान पर
गोविन्द बल्लभ पनत पुरस्कार)₹ (लाख 7	1993	गोविन्द बलल्लभ पन्त फाउण्डेशन एवं संवैधानिक व संसदीय अध्ययन सोसायटी	सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए
ग्रियर्सन पुरस्कार	1994	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय मानव संसाधन मन्त्रालय	विश्व के दूसरे देशों में हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अहिन्दी भाषी को
राजीव गाँधी मानव सेवा पुरस्कार)₹ 1 लाख(	1994	भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय	मन्द बुद्धि बच्चों के लिए कार्य पर

अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार	1995	भारत सरकार	सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विशेषकर दलितों के उद्धार में विशिष्ट भूमिका के लिए
चमेली देवी पुरस्कार)स्लाख न स्वर्ण 3 (पदक	1996	मीडिया फाउण्डेशन	पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धि के लिए
श्रमरत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर पुरस्कार)₹ से 20000 (तक 50000	2002	श्रम मन्त्रालय भारत सरकार	श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाला देशका सर्वोच्च श्रम - पुरस्कार
वयोश्रेष्ठ सम्मान	2013	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय (भारत सरकार)	वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने तथा जागरूकता सृजन हेतु विशेषकर) निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए यह (सम्मान अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1)अक्टूबरको (दिया जाता है।

विज्ञान पुरस्कार

पुरस्कार सम्मान/	**स्थापना**	**संस्था**	**क्षेत्र में विशिष्टता**
कृषि पंडित पुरस्कार	1949	भारतीय कृषि विभाग	यह पुरस्कार जैविक कृषि, कलम कृषि, कृषि उपकरण एवं कृषि में सिंचाई प्रभावी उपचार में नवाचार के लिए दिया जाता है।
गोपाल रत्न	1956	भारत सरकार	देश में सबसे अधिक दूध देने _वाली गायों एवं भैंसों के स्वामी को
शान्तिस्वरूप भटनागर पुरस्कार)स्लाख + 5 (पत्र-प्रशस्ति	1958	भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद् (CSIR)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले भारतीय
डॉराय शय -बी सी. पुरस्कार	1962	भारतीय चिकित्सा परिषद्	चिकित्सा एवं सम्बन्धित समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु। जुलाई (डॉक्टर्स डे) को नई दिल्ली में दिया जाता है।
बोरलॉग पुरस्कार	1972	कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु
धन्वन्तरि पुरस्कार	1972	धन्वन्तरि फाउण्डेशन द्वारा	चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु
हरिओम आश्रम पुरस्कार	1974	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में

जमनालाल बजाज पुरस्कार	1978	जमनालाल बजाज फाउण्डेशन	रचनात्मक सामाजिक कार्य क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान, ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं
आंर डी बिड़ला विज्ञान पुरस्कार 5)लाख	1979	आर डी बिड़ला फाउण्डेशन	चिकित्सा एवं सम्बन्धित क्षेत्र में विशिष्ट योगदान पर
नायदुम्मा पुरस्कार	1986	नय्म्बदुर मेमोरियल ट्रस्ट	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में विशिष्ट योगदान हेतु
गूजरमल मोदी विज्ञान पुरस्कार	1988	गुजरमल मोदी विज्ञान परिषद्	भारतीय 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सराहनीय योगदान हेतु
होमी भाभा पुरस्कार	1990	भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग	परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु
विक्रम साराभाई पुरस्कार	1990	भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन	अन्तरिक्ष अनुसन्धान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु
करियन पुरस्कार)₹1 लाख + पत्र + -प्रशस्ति (मोमेण्टो	1990	राष्ट्रीय डेयरी अनुसन्धान संस्थान	भारतीय डेयरी के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए
जी डी बिड़ला . विज्ञान पुरस्कार 1.5)लाख +-प्रशस्ति(पत्र-	1991	के के बिड़ला फाउण्डेशन	भारतीय वैज्ञानिकों को उच्चस्तरीय शोध कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए
प्रेरित शोध के लिए वैज्ञानिक खोज में नवाचार (इन्स्पायर) पुरस्कार	2008	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (भारत सरकार)	रचनात्मक वैज्ञानिक खोज के लिए देश के युवाओं को प्रोत्साहित करना एवं विज्ञा
कृषि कर्मण पुरस्कार	2010-11	कृषि मन्त्रालय (भारत सरकार)	देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में विशेष योगदान के लिए राज्यों को दिया जाता है।

पर्यावरण पुरस्कार

पुरस्कार सम्मान/	**स्थापना**	**संस्था**	**क्षेत्र में विशिष्टता**
इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार)₹लाख 2.5, मेडल (पत्र-प्रशस्ति +	1986	वन मन्त्रालय भारत) (सरकार	वन लगाने एवं परती भूमि के विकास में योगदान हेतु
इन्दिरागाँधी -पर्यावरण पुरस्कार)₹+लाख 5 प्रशस्ति-	1987	पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, (भारत सरकार.(	पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पर

-पत्र + चाँदी की (ट्रॉफी			
राजीव गाँधी गुणवत्ता पुरस्कार	1991	भारतीय मानक ब्यूरो	उद्योगों में गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए.
राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम पुरस्कार)₹ 7लाखएक + (पत्र-ट्रॉफी + प्रशस्ति	1992	पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय	प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम पुरस्कार उद्योगों को 23 बड़े + 5 18)लघु उद्योगप्रदान किए गए हैं (, जिन्होंने प्रदूषण की रोकथाम करने वाली प्रौद्योगिकियों, उत्पादों अथवा पद्धतियों के विकास, उपयोग या पर्यावरणीय समस्या का हल निकालने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई हो।
राजीव गाँधी पर्यावरण पुरस्कार) ₹लाख 2 -ट्रॉफी + प्रशस्ति + (पत्र	1993	पर्यावरण मन्त्रालय	स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान पर औद्योगिक संस्थानों द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने पर
राजीव गाँधी वन्यजीव संरक्षण अवार्ड) ₹ 1 लाख (पत्र- प्रशस्ति +	1998	पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय	वन्यजीव संरक्षण में योगदान देने वाले व्यक्ति या संस्था को
मेदिनी पुरस्कार)₹ (से 31000 15000	2007	पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय	पर्यावरण एवं इससे जुड़े विभिन्न विषयों; जैसेवन -, वन्यजीव, प्रदूषण, जल संसाधन आदि पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन पर दिया जाता है
अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार (₹1 लाख (	-	राजस्थान सरकार का वन्य विभाग	वन्यजीव सुरक्षा हेतु कार्य करने वाले

विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय-

क्रमांक	विश्व के प्रमुख संगठन	मुख्यालय
1.	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी)IAEA)	वियना, ऑस्ट्रिया
2.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष)IMF)	वाशिंगटन डी.सी ., अमेरिका
3.	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय	हेग, नीदरलैंड
4.	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन)ILO)	जेनेवा, स्विट्जरलैंड
5.	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन)OECD)	पेरिस, फ्रांस
6.	अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति)IOC)	लुसाने, स्विट्जरलैंड
7.	अफ्रीकी आर्थिक आयोग)ECA)	आदिस - अबाबा, इथोपिया
8.	अफ्रीकी एकता संगठन)OAU)	आदिस - अबाबा, इथोपिया
9.	अरब लीग	काहिरा, मिस्र
10.	अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन)ISA)	हरियाणा, भारत
11.	उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) नाटो NATO)	ब्रुसेल्स, बेल्जियम
12.	दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ)ASEAN)	जकार्ता, इंडोनेशिया
13.	यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय)EURATON)	ब्रुसेल्स, बेल्जियम
14.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय)EEC)	जेनेवा, स्विट्जरलैंड
15.	यूरोपियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन)ESRO)	पेरिस, फ्रांस

16.	यूनेस्को)UNESCO)	पेरिस, फ्रांस
17.	यूनिसेफ)UNICEF)	न्यूयॉर्क, अमेरिका
18.	यूरोपीय कॉमन मार्केट)ECM)	जेनेवा, स्विट्जरलैंड
19.	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ)ECTA)	जेनेवा, स्विट्जरलैंड
20.	यूरोपीय संसद	लक्ज़मबर्ग
21.	यूरोपीय ऊर्जा आयोग)EEC)	जेनेवा, स्विट्जरलैंड
22.	रेडक्रॉस	जेनेवा, स्विट्जरलैंड
23.	राष्ट्रमंडल)COMMONWEALTH)	लंदन, इंग्लैंड
24.	राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मलेन)CHOGM)	स्ट्रांसबर्ग
25.	विश्व बैंक	वाशिंगटन डी.सी ., अमेरिका
26.	विश्व स्वास्थ्य संगठन)WHO)	जेनेवा, स्विट्जरलैंड
27.	विश्व व्यापार संगठन)WTO)	जेनेवा, स्विट्जरलैंड
28.	विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष)WWF)	ग्लांड, स्विटजरलैंड
29.	वर्ल्ड काउंसिल ऑफ़ चर्चेज)WCC)	जेनेवा, स्विट्जरलैंड
30.	संयुक्त राष्ट्र संघ)UNO / UN)	न्यूयॉर्क, अमेरिका
31.	संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन)FAO)	रोम, इटली
32.	संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग)UNHCR)	जेनेवा, स्विट्जरलैंड
33.	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम)UNEP)	नैरोबी, केन्या
34.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मलेन)UNCTAD)	जेनेवा, स्विट्जरलैंड
35.	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन)UNIDO)	वियना, ऑस्ट्रिया
36.	सार्क)SAARC)	काठमांडू, नेपाल
37.	अमरीकी राज्यों का संगठन)OAS)	वाशिंगटन डी.सी ., अमेरिका
38.	एमनेस्टी इंटरनेशनल	लंदन, इंग्लैंड
39.	एशियाई विकास बैंक)ADB)	मनीला, फिलीपींस
40.	एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग	बैंकाक, थाईलैंड
41.	इंटरपोल)INTERPOL)	ल्योन, फ्रांस
42.	इंडियन ओशन कमीशन)IOC)	पोर्ट लुइस, मॉरीशस
43.	जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड) गैट /GATT)	जेनेवा, स्विट्जरलैंड
44.	परस्पर आर्थिक सहायता परिषद)COMECON)	मास्को, रूस
45.	पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन)OPEC)	वियना, ऑस्ट्रिया
46.	पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग)ECWA)	बगदाद, इराक़
47.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(UNDP)	न्यूयार्क
48.	संयुक्त राष्ट्र बालकोष (UNICEF)	न्यूयार्क
49.	मानव अधिवासन हेतु संयुक्त राष्ट्र केंद्र(UNCHS)	नैरोबी
50.	शान्ति हेतु विश्वविद्यालय(UFP)	कोस्टारिका
51.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	वाशिंगटन

आविष्कार-आविष्कारक

उपकरण	आविष्कारक	देश	वर्ष
बैरोमीटर	ई. टॉरसेली	इटली	1644
विद्युत बैटरी	अलेसांड्रो वोल्टा	इटली	1800
बाइसिकल	के. मैकमिलन	स्कॉटलैण्ड	1839
बाइसिकल टायर	जॉन डनलप	ब्रिटेन	1888
फाउण्टेन पेन	लेविस वाटरमैन	सं.रा.अमेरिका	1884
ए.सी. मोटर	निकोला टेसला	सं.रा.अमेरिका	1888
डी.सी. मोटर	जेनोबे ग्रामे	बेल्जियम	1873
डायनेमो	हाइपोलाइट पिक्सी	फ्रांस	1832
लाउडस्पीकर	होरेस शार्ट	ब्रिटेन	1900
ट्रैक्टर	राबर्ट फॉरमिच	सं.रा. अमेरिका	1892
डीजल इंजन	रुडोल्फ डीजल	जर्मनी	1895
नायलॉन	डॉ. वालेस कैरोपर्स	अमेरिका	1937
कार (पेट्रोल)	कार्ल बेन्ज	जर्मनी	1885
कार (वाष्प)	रॉबर्ट बुन्सन	फ्रांस	1769
कार (आन्तरिक दहन)	सैमुअल ब्राउन	ब्रिटेन	1826
घड़ी (यांत्रिक)	आई सिंग व लियांग सैन	चीन	1725
घड़ी (पेण्डुलम)	क्रिश्चियन ह्यूगेस	नीदरलैण्ड्स	1656
माइक्रोमीटर	विलियम कोजीन	ब्रिटेन	1636
ग्रहों की खोज	केपलर	जर्मनी	1600
सौर मण्डल	कॉपरनिकस	पोलैण्ड	1540

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

हेलिकॉप्टर	एटीन ओहमिसेन	फ्रांस	1924
प्लास्टिक	अलेक्जेण्डर पार्कस	ब्रिटेन	1862
पेपर	मलबेरी(फाइबर)	चीन	105AD
पैराशूट	जीन पियरे क्लानचार्ड	फ्रांस	1795
बाई-फोकल लेन्स	बेंजामिन फ्रेंकलिन	सं.रा. अमेरिका	1780
बुन्सन बर्नर	निकोलस कुगनाट	जर्मनी	1855
मोटर साइकिल	जी. डेमलर	जर्मनी	1885
मशीन गन	सर जेम्स पकल	ब्रिटेन	1718
माइक्रोफोन	ग्राहम बेल	सं.रा. अमेरिका	1876
माइक्रोस्कोप	जेड. जानसेन	नीदरलैण्ड्स	1590
माइक्रोप्रोसेसर	एम.इ.हॉफ	सं.रा. अमेरिका	1971
होवर क्रफ्ट	सर क्रिस्टोफर कॉकरेल	ब्रिटेन	1955
प्रोपलर(जलयान)	फ्रांसेस स्मिथ	ब्रिटेन	1837
डेण्टल प्लेट	ऐन्थीली प्लेटसन	सं.रा. अमेरिका	1817
डिस्क ब्रेक	एफ.लेचेस्टर	ब्रिटेन	1902
फिल्म (संगीतयुक्त)	ली.डी. फॉरेस्ट	सं.रा. अमेरिका	1923
फिल्म (मूक चलचित्र)	लुई लि प्रिंस	सं.रा. अमेरिका	1855
फिल्म (वाक् चलचित्र)	जे. मुसौली व हैन्स वागट	जर्मनी	1922
विद्युत पंखे	ह्वीलर	सं.रा. अमेरिका	1886
इलेक्ट्रो-मैग्नेट	विलियम स्टरजन	ब्रिटेन	1824
कॉब्यूरिटर	जी. डेमलर	जर्मनी	1876
गाइरो कम्पास	सर अल्पर स्पेरी	सं.रा. अमेरिका	1911

कताई मशीन	सैमुअल क्रॉम्प्टन	ब्रिटेन	1779
गैस लाइटिंग	विलियम मरडॉक	ब्रिटेन	1792
कारपेट स्वीपर	मेलविल विसेल	सं.रा. अमेरिका	1876
ग्रामोफोन	थॉमस अल्वा एडीसन	सं.रा. अमेरिका	1878
क्रोनोमीटर	जॉन हैरीसन	जर्मनी	1735
गैल्वेनोमीटर	एण्ड्रे-मेरी ऐम्पियर	फ्रांस	1834
ग्लाइडर	जॉर्ज कैले	ब्रिटेन	1853
स्कूटर	जी. ब्राडशा	ब्रिटेन	1919
लोकोरिथम	जॉन नेपियर	स्कॉटलैण्ड्स	1614
साइक्लोट्रॉन	लारेन्स	सं.रा. अमेरिका	1931
लिफ्ट(यान्त्रिक)	इलीसा ओटिस	सं.रा. अमेरिका	1852
लिनोलियम	फ्रेडिक वाल्टन	ब्रिटेन	1860
भेड़ का क्लोन	लास विल्मट	स्कॉटलैण्ड	1997
गीगर काउण्टर	हैन्स गीगर	जर्मनी	1913
थर्मस फ्लास्क	डेवार	सं.रा. अमेरिका	1714
प्रिंटिंग प्रेस	जॉन गुटेनबर्ग	जर्मनी	1455
नीऑन-लैम्प	जॉर्न क्लाड	फ्रांस	1910
जेट इंजन	फ्रैंक व्हीटल	ब्रिटेन	1937
लेसर	डॉ. चार्ल्स टाउन्स	सं.रा. अमेरिका	1960
लोकोमोटिव(रेल)	रिचर्ड ट्रेकिथिक	ब्रिटेन	1804
पनडुब्बी	डेविड बुसनेल	सं.रा. अमेरिका	1776
लाइटिंग-कंडक्टर	बेंजामिन फ्रेंकलिन	सं.रा. अमेरिका	1752

लांड्रेट	जॉर्न केन्ट्रेल	सं.रा. अमेरिका	1934
सिनेमा	लाउस निकोलस व लाउस लुमियारी	फ्रांस	1895
ट्रांजिस्टर	जॉन वरडीन, विलियम शाकले व वाल्टर बर्टेन	सं.रा. अमेरिका	1948
सिलाई मशीन	बर्थलेमी थिमोनियर	फ्रांस	1829
थर्मामीटर	गैलिलियो गेलीली	इटली	1593
वायुयान	ओरविले तथा विल्बर राइट	सं.रा. अमेरिका	1903
ट्रान्सफॉर्मर	माइकल फैराडे	ब्रिटेन	1831
स्टीम इंजन (कण्डेंसर)	जेम्स वाट	स्कॉटलैण्ड्स	1769
स्टीम इंजन (पिस्टन)	थॉम न्यूकोमेन	ब्रिटेन	1712
टैंक	सर अर्नेस्ट स्विंटन	ब्रिटेन	1914
वाशिंग मशीन	हार्ले मशीन कंपनी	सं.रा. अमेरिका	1907
टाइपराइटर	पेलेग्रीन टैरी	इटली	1808
स्टील	हेनरी बेसेमर	ब्रिटेन	1855
वेल्डिंग मशीन (विद्युत)	एलीसा थॉमसन	सं.रा. अमेरिका	1877
टेरीलीन	विनफील्ड व डिक्सन	ब्रिटेन	1941
रेजर (सैफ्टी)	किंग जिलेट	सं.रा. अमेरिका	1895
रेजर (विद्युत)	जैकेब शिक	सं.रा. अमेरिका	1931
सैफ्टी पिन	वाल्टर हण्ट	सं.रा. अमेरिका	1849
स्काच टेप	रिचर्ड डू	सं.रा.अमेरिका	1930
स्वतः चालक	चार्ल्स केटरिंग	सं.रा. अमेरिका	1911
टेलीफोन	ग्राहम बेल	सं.रा. अमेरिका	1876
टेलीविजन (इलेक्ट्रॉनिक)	टेलर फारंवर्थ	सं.रा. अमेरिका	1927

टेलीविजन (यांत्रिकी)	जे.एल. बेयर्ड	ब्रिटेन	1926
टेलीस्कोप	हैन्स लैपरसी	नीदरलैण्ड्स	1608
टेलीग्राफ कोड	सैमुअल मोर्स	सं.रा. अमेरिका	1837
टेलीग्राफ (यान्त्रिक)	एम. लैमाण्ड	फ्रांस	1787
सुपर कंडक्टिविटी	एच.के. ओनेस	नीदरलैण्ड्स	1911
रिवाल्वर	सैमुअल कोल्ट	सं.रा. अमेरिका	1935
रिकार्ड (लांग-प्लेइंग)	डॉ. पीटर गोल्डमार्क	सं.रा. अमेरिका	1948
पार्किंग मीटर	कार्लटन मैगी	सं.रा. अमेरिका	1935
स्लाइड पैमाना	विलियम ओफट्रेड	ब्रिटेन	1621
सेलुलाइट	अलेक्जेण्डर पार्कस	ब्रिटेन	1861
रेडार	डॉ. अल्बर्ट टेलर व लियो यंग	सं.रा. अमेरिका	1922
रबड़ (वल्कनीकृत)	चार्ल्स गुडइयर	सं.रा. अमेरिका	1841
रबड़ (टायर)	थॉमस हॉनकाक	ब्रिटेन	1846
रबड़ (जलरोधी)	चार्ल्स मैकिनटोस	ब्रिटेन	1823
रबड़ (पौधों का दूध)	डनलप रबड़ कंपनी	ब्रिटेन	1928
स्काईस्क्रेपर	विलियम जेनी	सं.रा. अमेरिका	1882
सीमेण्ट (पोर्टलैण्ड)	जोसेफ ऐस्पडीन	ब्रिटेन	1824
पाश्चुरीकरण	लुई पाश्चर	फ्रांस	1867
रेडियो टेलीग्राफी	डेविड एडवर्ड ह्यूज	ब्रिटेन	1879
रेडियो टेलीग्राफी	जी. मार्कोनी	इटली	1901
सेफ्टी मैच	जॉन बाकर	ब्रिटेन	1826

आविष्कार	आविष्कारक

रेखागणित की स्थापना	यूक्लिड
बॉयल का नियम	बॉयल
न्युट्रॉन की खोज	चेंडविक
आर्किमिडीज का सिद्धांत, आपेक्षित घनत्व, लीवर का सिद्धांत	आर्किमिडीज
विद्युत चालक	बेंजामिन फ्रेंकलिन
आवोगाद्रो की परिकल्पना	आवोगाद्रो
फारेनहाइट थर्मामीटर	फारेनहाइट
कॉस्मिक किरणें	आर.ए. मिलीकन
टेलीविजन	जे.एल. बेयर्ड
ऑक्सीजन	जे. प्रीस्टले
यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी	हेनरी बेंकुरल
इस्पात गलाने की प्रक्रिया	बेसेमर
अमोनिया	एफ. जी. हेबर
गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम	न्यूटन
लोगेरिथ्म	जॉन नेपियर
आर्गन, नियॉन, हीलियम जेसी निष्क्रिय गैस	W. रेमजे
बुद्धि परीक्षा पद्धति	विनेट
द्रवों में प्रकाश का बिखरना	रामनाथन
रमन इफेक्ट, थ्योरी ऑफ क्रिस्टल्स	सी.वी. रमन
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी	ए. आइंस्टीन
इलेक्ट्रॉन थ्योरी, परमाणु की संरचना	बोहर
द्रव ऑक्सीजन की खोज, थर्मस फ्लास्क	डेवर
हाइड्रोजन, पानी की संरचना	केवेन्डिश
अंतरिक्ष की उड़ान	बर्नर वॉन ब्राउन
वनस्पति विज्ञान पर अनुसंधान(केस्कोग्राफ)	जे.सी. बोस

स्पेक्ट्रोस्कोप	बुन्सेन
इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी	मोर्स
विकास का सिद्धांत	चार्ल्स डार्विन
नायलॉन प्लास्टिक्स	कारोथर्स
इलेक्ट्रोलिसिस के नियम	माइकल फैराडे
पीरियोडिक टेबिल	मेंडलीफ
जलयानों में माल लादने की रेखा	प्लिमसोल
रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राफी	जी. मारकोनी
परमाणु का सिद्धांत, रासायनिक समन्वय के नियम	डॉल्टन
गन पाउडर	रोजर बेकन
विद्युत तरंगे	हर्टज
डायनामाइट	एल्फ्रेड नोबेल
स्टीम टरबाइन	पारसंस
क्वांटम थ्योरी	मेक्स प्लांक
रेडियम की खोज	मेडम क्यूरी, पियरे व मेरी
रसायन विज्ञान की खोजें	रे.पी.सी.
हीलियम गैस	लोकियर
आनुवंशिकता के नियम	ग्रेगर जॉन मेण्डल
शोर्ट हेंड की स्थापना	पिटमेन
पदार्थ के भौतिक गुण और उनका ताप से संबंध	रोनाल्ट
मानसिक विश्लेषण	फ्राइड
एक्स किरणों की खोज	W.C. रोंटजन
गैसों के नियम	गे-लुसाक
विकिरण पर दबाव का प्रभाव	मेघनाथ शाह
कण्डीशन्स रिफ्लेक्स	पावलोव
प्रकाश का इलेक्ट्रोमेग्नेट सिद्धांत	मेक्सवेल
अंधों के लिखने-पढ़ने की विधि	लुई ब्रेल

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

परमाणु विखण्डन	रदरफोर्ड
इलेक्ट्रॉन की खोज	जे.जे. थॉमसन
ताप का गतिवादी सिद्धान्त	कैल्विन
इण्डक्शन कोइल	रोमकोर्फ
हैवी हाइड्रोजन की खोज	एच.सी. यूरे
साइक्लोट्रोन	लारेंस
यूरेनियम का विखण्डन (एटम बम)	ओटोहान
सेल्यूलाइट	ह्यात
पैराशूट	लुई सिबेस्टिन लियोमीण्ड
फिल्म तथा फोटोग्राफी का सामान	कोडक
लोकोमोटिव इंजन	जेम्स वाट
रंग या पेंट्स	शालीमार
मैशन	येकावा हिडेकी
जेनेटिक कोड तथा कृत्रिम जीन	हरगोविन्द खुराना
विद्युत धारा तथा बैटरी	वोल्टा
यूरेनियम	मार्टिन क्लापरोथ
एण्टीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा	लॉर्ड जोसेफ लिस्टर
सीमेंट(पोर्टलैंड)	जोसेफ ऐस्पडीन
हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा	लुई पाश्चर
टी.बी. की चिकित्सा	रॉबर्ट कोच
ऐस्पिरिन	ड्रेसर
स्टेथोस्कोप	लेनेक
टायफॉइड के जीवाणु	रो बर्थ
नाइट्रोजन	डेनियल रदरफोर्ड
बैक्टीरिया	ल्यूवेनहॉक
मलेरिया की चिकित्सा	डॉ. रोनेल्ड रॉस
चेचक का टीका	एडवर्ड जेनर

विटामिन	फंक
विटामिन 'A'	मैकुलन
विटामिन 'B'	मैकुलन
विटामिन 'C'	यूजोव्ट होल्कट
विटामिन 'D'	एफ.जी. हॉपकिन्स
हैजा का टीका	रॉबर्ट कोच
डी.डी.टी.	डॉ. पाल मुलर
आर.एन.ए.	आर्थर बर्ग तथा जेम्स वाटसन
डी.एन.ए.	जेम्स वाटसन तथा क्रिक
फॉस्फोरस	ब्रांड
एण्टी पोलियो वैक्सीन	डॉ. जोन्स ई. साल्क
कालाजार	यू.एन. ब्रह्मचारी
होम्योपैथी की स्थापना	हैनीमैन
क्लोरोफार्म की खोज	सर जेम्स हैरीसन
क्लोरीन	शीले
इन्सुलिन	एफ. बैंटिंग
रक्त परिवर्तन	कार्ल लैंडस्टीनर
रक्त परिवहन (संचरण)	विलियम हार्वे
पेनिसिलिन	सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एण्ड फ्लोरे
हृदय प्रत्यारोपण	क्रिश्चियन बर्नार्ड
इलेक्ट्रॉन	जे.जे. थॉमसन
ओजोन	क्रिस्पियन स्कोनबैन
प्रोटॉन	गोल्डस्टीन
स्ट्रेप्टोमाइसिन	वैक्समैन

राष्ट्रमंडल खेल

- ❖ राष्ट्रमंडल खेल की कल्पना सन् 1891 में एक अंग्रेज "जे. एस्ले कपूर" ने की थी|
- ❖ राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930ई. में हेमिल्टन(बरमूडा) में हुई थी|
- ❖ राष्ट्रमंडल खेल का नाम ब्रिटिश साम्राज्य तथा सन् 1954 राष्ट्रमंडल खेल रखा गया |
- ❖ सन् 1908 के ओलम्पिक के बाद रिचर्ड कूम्बस नामक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के द्वारा उसके सुझाव को मंजूरी दे दी गई |
- ❖ 1934ई. में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था |
- ❖ राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक चार वर्षों पर दो ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलों के बीच में होता है |
- ❖ राष्ट्रमंडल खेल कभी भी लगातार एक ही देश में नहीं होते हैं |
- ❖ राष्ट्रमंडल खेल में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की टीम में भाग ले सकते हैं|

एशियाई खेल

- ❖ सन् 1947 में नई दिल्ली में एशियाई देशों के सम्मलेन में एशियाई देशों की अन्तर्राष्ट्रीय खेलों की स्पर्द्धा हर चार वर्ष पर आयोजित करने की योजना बनायी गई| प्रो. जी.डी. सोढी को इस प्रस्ताव का श्रेय जाता है, जिनका उद्देश्य खेलों के माध्यम से एशियाई देशों को एक-साथ करना था|
- ❖ एशियाई खेल संघ ने चमकते सूर्य को अपना प्रतीक चिह्न घोषित किया |
- ❖ पहले एशियाई खेलों की प्रतियोगिता का उद्घाटन 4 मार्च, 1951 को नई दिल्ली में हुआ था |

क्रिकेट

- ❖ क्रिकेट खेल की उत्पत्ति दक्षिण-पूर्वी इंग्लैण्ड में हुई मानी जाती है |
- ❖ इंग्लैण्ड मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 ई. में हुई |
- ❖ भारत में कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना 1792 ई. में हुई |
- ❖ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस के रूप में 1909 ई. में हुई थी, जिसे बाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया |
- ❖ खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है |
- ❖ **राष्ट्रीय खेल-** 1. इंग्लैण्ड , 2. ऑस्ट्रेलिया |
- ❖ **माप-** 1. बॉल- 155.9 ग्राम से 163 ग्राम, 2. बल्ला- लम्बाई 96.5 सेमी. , चौड़ाई अधिकतम 10.8 सेमी. , 3. पिच- 20.12 मीटर
- ❖ **स्टेडियम**
  - • **राष्ट्रीय-** 1. नरेन्द्र मोदी स्टेडियम- अहमदाबाद, 2. वानखेड़े स्टेडियम-मुम्बई, 3. ईडेन गार्डन-कोलकाता, 4. नेहरू स्टेडियम-चेन्नई, 5. चेपक ग्राउंड- चेन्नई, 6. फिरोजशाह कोटला-नई दिल्ली, 7. नेहरू स्टेडियम- नई दिल्ली, 8. ग्रीन पार्क- कानपुर, 9. ब्रेवोर्न स्टेडियम- मुम्बई, 10. सवाई मानसिंह स्टेडियम- जयपुर, 11. बारावती- कटक |
  - • **अन्तर्राष्ट्रीय-** 1. लार्ड्स- इंग्लैण्ड, 2. लीड्स- इंग्लैण्ड, 3. ओवल- इंग्लैण्ड, 4. हमाड्स- ब्रिटेन, 5. इडनपार्क- आकलैण्ड, 6. मेलबॉर्न- ऑस्ट्रेलिया, 7. क्राइस्ट चर्च- न्यूजीलैण्ड , 8. ओल्ड ट्रेफर्ड- मैनचेस्टर, 9. शारजाह स्टेडियम- शारजाह, 10. ट्रेंट ब्रिज- इंग्लैण्ड |
- ❖ **शब्दावली-** एशेज, रबर वेल्स, बैट, डेड बॉल, फाइन लेग, विकेट, विकेट कीपर, स्क्वायर लेग, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, स्लिप्स, कवर, एक्स्ट्रा कवर, थर्डमैन, ऑफ स्पिन, गुगली, चायनामैन, फ्लाइट, स्विंग, बंपर, बीमर, फुल टॉस, वाइड, ओवर , मेडेन, बोल्ड, कैच, कॉट, थ्रो, पैड, प्रोटेक्शन गार्ड, हेलमेट, पिच, क्रीज, सीम, शूटर, स्लाग, इनिंग्स, ग्लब्स,
  - ○ **विश्व कप क्रिकेट-**

क्र. सं.	वर्ष	मेजबान देश	विजेता	उपविजेता
1.	1975	इंग्लैण्ड	वेस्टइंडीज	ऑस्ट्रेलिया
2.	1979	इंग्लैण्ड	वेस्टइंडीज	इंग्लैण्ड
3.	1983	इंग्लैण्ड	भारत	वेस्टइंडीज
4.	1987	भारत-पाकिस्तान	ऑस्ट्रेलिया	इंग्लैण्ड
5.	1992	ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैण्ड	पाकिस्तान	इंग्लैण्ड
6.	1996	भारत-पाकिस्तान-श्रीलंका	श्रीलंका	ऑस्ट्रेलिया
7.	1999	इंग्लैण्ड	ऑस्ट्रेलिया	पाकिस्तान
8.	2003	दक्षिण अफ्रीका	ऑस्ट्रेलिया	भारत
9.	2007	वेस्टइंडीज	ऑस्ट्रेलिया	श्रीलंका

10.	2011	भारत-श्रीलंका-बांग्लादेश	भारत	श्रीलंका
11.	2015	न्यूजीलैंड-ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलिया	न्यूजीलैण्ड
12.	2019	इंग्लैण्ड	इंग्लैण्ड	न्यूजीलैण्ड

हॉकी

- ❖ हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म इंग्लैण्ड में 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था।
- ❖ हॉकी क्लब की स्थापना 'ब्लैकहीथ' के नाम से पहले हुई थी, 1861 ई. में।
- ❖ हॉकी खेल के नियम विम्बल्डन हॉकी क्लब द्वारा बनाए गए, जिसे 1886 में हॉकी एसोसिएशन ने अपना लिया।
- ❖ हॉकी का पहला अन्तर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड तथा आयरलैण्ड के बीच 1895 ई. में खेला गया।
- ❖ हॉकी को ओलम्पिक खेल में 1908 में शामिल किया गया।
- ❖ भारत में हॉकी का पहला क्लब 1885-86 में बना।
- ❖ भारत ने पहला ओलम्पिक हॉकी मैच 1928 में खेला था।
- ❖ खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है।
- ❖ **राष्ट्रीय खेल-** 1. भारत, 2. पाकिस्तान।
- ❖ **माप-** 1. मैदान- 100 गज × 60 गज, 2. बॉल- 5.5 औंस से 5.75 औंस तक (भार)।
- ❖ **शब्दावली-** गोली, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, आउट साइड राइट, इनसाइड राइट, सेंटर फॉरवर्ड, सनसाइड लेफ्ट, आउटसाइड लेफ्ट, सेंटर ऑफ, सेंटर लाइन, कार्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, फ्लिक, स्कूप, स्टिक, अम्पायर, लाइंसमैन, हाफ वाली, इनफ्रिंजमेंट, साइड लाइन, टाई ब्रेकर, सडेन डेथ, हैटट्रिक स्टिक, अंडर कटिंग, रोल, सर्किल, बुली, ऑन, पुश इन, शूटिंग सर्किल।

- ○ **विश्व कप हॉकी-**

क्र. सं.	आयोजन वर्ष	आयोजन स्थल	विजेता	उपविजेता
1.	1971	बार्सीलोना	पाकिस्तान	स्पेन
2.	1973	एम्सटर्डम	हॉलैण्ड	भारत
3.	1975	कुआलालम्पुर	भारत	पाकिस्तान
4.	1978	ब्यूनस आयर्स	पाकिस्तान	हॉलैण्ड
5.	1982	मुम्बई	पाकिस्तान	प. जर्मनी
6.	1986	लंदन	ऑस्ट्रेलिया	इंग्लैण्ड
7.	1990	लाहौर	हॉलैण्ड	पाकिस्तान
8.	1994	सिडनी	पाकिस्तान	हॉलैण्ड
9.	1998	यूट्रेक्ट	नीदरलैण्ड	स्पेन
10.	2002	कुआलालम्पुर	जर्मनी	ऑस्ट्रेलिया
11.	2006	जर्मनी	जर्मनी	ऑस्ट्रेलिया
12.	2010	नई दिल्ली	ऑस्ट्रेलिया	जर्मनी
13.	2014	द हेग	ऑस्ट्रेलिया	नीदरलैंड
14.	2018	भुवनेश्वर	बेल्जियम	नीदरलैंड
15.	2023	भुवनेश्वर और राउरकेला	-	-

फुटबॉल

- ❖ ब्रिटेन में फुटबॉल की शुरुआत रोमोनों ने की थी।
- ❖ प्राचीन रोमोनों ने फुटबॉल के खेल को अपनी सेना में शामिल किया था।
- ❖ फुटबॉल पहली सदी के आसपास चीन में खेला जाता था।
- ❖ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) की स्थापना 1904 ई. में सात यूरोपीय देशों ने मिलकर की।
- ❖ 1846 में फुटबॉल खेल के नियमों को परिभाषित करने के लिए एक आदर्श संहिता इंग्लैण्ड में बनाई गई।
- ❖ फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है।
- ❖ फीफा प्रत्येक चार वर्षों में फुटबॉल के विश्व कप का आयोजन करवाती है।
- ❖ फुटबॉल खेल के नियम इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड (आई.एफ.ए.बी.) बनाती है, जिसमें फीफा के सदस्य भी रहते हैं।

❖ **माप-** 1. मैदान का माप- 100 मीटर × 64 मीटर से 110 मीटर × 75 मीटर तक
2. गेंद का वजन- 396 ग्राम से 453 ग्राम,
3. गेंद का आंतरिक दाब- 60 ग्राम/सेमी² से 110 ग्राम/सेमी²
4. गेंद की परिधि- 68 से 71 सेमी. ।

❖ खिलाड़ियों की संख्या- 11

❖ **स्टेडियम**

- **राष्ट्रीय-** 1. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम- नई दिल्ली, 2. कॉरपोरेशन स्टेडियम- कोलकाता, 3. अम्बेडकर स्टेडियम- नई दिल्ली, 4. साल्ट लेक स्टेडियम- कोलकाता, 5. मनुथी वेटेनरी कॉलेज ग्राउंड- त्रिचूर, 6. महाराजा कॉलेज स्टेडियम- कोचीन, 7. नेहरू स्टेडियम- चेन्नई, 8. लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम- हैदराबाद, 9. बारावती स्टेडियम- कटक ।
- **अन्तर्राष्ट्रीय-** 1. रासुंडा स्टेडियम- स्टॉकहोम, 2. वेम्बले स्टेडियम- इंग्लैण्ड, 3. बुकलैंड स्टेडियम- इंग्लैण्ड ।

❖ **शब्दावली-** मिड फील्ड, सेंटर, स्ट्राइकर, पास, बैक पास, गोली, कॉर्नर, फॉरवर्ड, डायरेक्ट किक, पेनल्टी किक, इनडायरेक्ट किक, फ्री किक, ड्रिबल, एक्स्ट्रा टाइम फाउल, गोल, रेफरी, लाइंसमैन, ऑफ साइड, सीजर्स किक, बनाना किक, बिंगर, स्वीपर, बैक, थ्रो इन, वाली, टच लाइन, सेंड ऑफ, नेट, बार्स, टाई ब्रेकर, सडेन डेथ, कॉर्नर फ्लैग, कॉर्नर किक, फिस्ट, हाफ, विंगर, लॉब, टैकेल, चिप, फेयर चार्ज, फॉर पोस्ट, बुकिंग, क्रॉस, बॉल पास ।

○ **विश्व कप फुटबॉल**

क्र. सं.	आयोजन वर्ष	स्थान	विजेता	उपविजेता
1.	1930	उरुग्वे	उरुग्वे	अर्जेंटीना
2.	1934	इटली(रोम)	इटली	चेकोस्लोवाकिया
3.	1938	पेरिस(फ्रांस)	इटली	हंगरी
4.	1950	ब्राज़ील	उरुग्वे	ब्राज़ील
5.	1954	स्विट्जरलैंड	प. जर्मनी	हंगरी
6.	1958	स्वीडन	ब्राज़ील	स्वीडन
7.	1962	चिली	ब्राज़ील	चेकोस्लोवाकिया
8.	1966	इंग्लैण्ड	इंग्लैण्ड	प. जर्मनी
9.	1970	मैक्सिको	ब्राज़ील	इटली
10.	1974	प. जर्मनी	प. जर्मनी	नीदरलैंड
11.	1978	अर्जेंटीना	अर्जेंटीना	नीदरलैंड
12.	1982	स्पेन	इटली	प. जर्मनी
13.	1986	मैक्सिको	अर्जेंटीना	प. जर्मनी
14.	1990	इटली	प. जर्मनी	अर्जेंटीना
15.	1994	सं.रा. अमेरिका	ब्राज़ील	इटली
16.	1998	फ्रांस	फ्रांस	ब्राज़ील
17.	2002	द.कोरिया व जापान	ब्राज़ील	जर्मनी
18.	2006	जर्मनी	इटली	फ्रांस
19.	2010	द. अफ्रीका	स्पेन	नीदरलैंड
20.	2014	ब्राज़ील	जर्मनी	अर्जेंटीना
21.	2018	रूस	फ्रांस	क्रोएशिया
22.	2022	कतर	-	-

वॉलीबॉल

❖ अमेरिकी विलियम जी. मॉरगन ने वॉलीबॉल खेल को 1895 में शुरू किया था ।

❖ वॉलीबॉल को ओलम्पिक में 1964 ई. में शामिल किया गया ।

❖ इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन वॉलीबॉल खेल की सर्वोच्च संस्था है ।

❖ वॉलीबॉल खेल इंडोर ही खेला जाता है ।

❖ **माप-** 1. मैदान का माप- 18मी. × 9मी.
2. नेट (पुरुषों के लिए)- ल.×चौ.×ऊ. = 9.50 मी. × 1 मी. × 3 मी.
3. नेट (महिलाओं के लिए)- ल.×चौ.×ऊ. = 9.50 मी. × 1 मी. × 2.24 मी.
4. बॉल- 66 सेमी. (1 सेमी. कम/अधिक परिधि)
5. बॉल का भार- 270 (10 ग्राम कम/अधिक) ।

❖ **खिलाड़ियों की संख्या-** 6

❖ **शब्दावली-** रोटेशन, वॉलीपास, ब्लाकिंग, स्मैश (स्पाइक), डबल हिट, वॉली, डिगपास, स्विच, ओवरलैपिंग, बूस्टर, लव, डिग, नेट फाल्ट, नेट बॉल,

फ्लोटर, सर्विस, पीयर सर्व, हुक सर्व, टेनिस सर्व, सेट अप, एरियल, फोरआर्म पास ।

बास्केटबॉल

- बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जेम्स नेस्मिथ ने सन् 1891 में अमेरिका में किया था ।
- जेम्स नेस्मिथ ने 13 नियम बनाए, जो सन् 1892 में प्रकाशित हुए ।
- 1930 में भारत में पहला बास्केटबॉल खेल खेला गया ।
- 1932 ई. में फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एसोसिएशन (FIBA) की स्थापना हुई ।

- **खिलाड़ियों की संख्या-** 5
- **माप** - 1. कोर्ट- 26 मी. ×14 मी.
- **शब्दावली-** गार्ड, गोल, प्वाइंट, एण्ड लाइन, सेंटर लाइन, ड्रिबल, डबल फाउल, फ्रंट कोर्ट, फ्री थ्रो, फील्ड गोल, हैल्ड गोल, पर्सनल कॉन्टेक्ट, जंपवाल, प्लेइंग टाइम, रिंग, आउट ऑफ बाउंड्स, मल्टीपल थ्रोस, इंटरमिशन, टाइमकीपर, स्कोरर, वायोलेशन, कैरिइंग, शिफ्टिंग जोन, डेड बॉल, बैक बोर्ड, हैल्डबॉल, लीड पास, फ्लोटिंग साइडवेज, फाउल आउट, हुक पास, पिक, पिवोट, टिप ऑफ, थ्री सेकंड रुल, सबस्टीट्यूट, लाइव बॉल, गेम वाच, टाइम वाच, की होल, रेफरी ।

कराटे

- ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में भारत में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आत्मरक्षा में विकसित एक कला का ही आधुनिक रूप कराटे है ।
- छठी सदी में वर्तमान कोरिया का वारांग समुदाय कराटे का प्रयोग किया करता था ।
- 17वीं सदी में कराटे का विकास ओकिनावा प्रायद्वीप में हुआ था ।
- **शब्दावली-** शेबु सवबोन हाजिमे, यामे, बजा-अरी, इप्पोन, त्सुजेकेते हजिमे, हान्तेई, गी, एंकी-सेन, कराटे-गी, जानशीन, की कोकू, हैन्सोकू-चुई, सनब्रोन, शिक्काकू ।

बेसबॉल

- इस खेल के आधुनिक स्वरूप का जन्म अमेरिका में हुआ था ।
- इस खेल के नियम अलेक्जेंडर कार्टराइट द्वारा 1845 ई. में बनाए गए ।
- प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय बेलबॉल मैच का आयोजन जून, 1938 में हुआ था, जो कनाडा के बीचविले नामक स्थान पर खेला गया था ।
- वर्ष 1992 में इसे ओलम्पिक में शामिल किया गया।

सॉफ्टबॉल

- इसका प्रारंभ जॉर्ज डब्ल्यू हैनकूक ने 1887 ई. में अमेरिका में एक इण्डोर खेल के रूप में किया गया । बाद में इसे लेविस रोबर द्वारा आउटडोर खेल बनाया गया ।
- प्रथम मैच 1887 ई. में अमेरिका में खेला गया ।
- इसका खेल मैदान डायमण्ड कहलाता है ।
- अन्तर्राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल फेडरेशन एण्ड स्नूकर एसोसिएशन इसकी सर्वोच्च संस्था है, इसका मुख्यालय फ्लोरिडा में है ।

भारोत्तोलन

- अन्तर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ की स्थापना वर्ष 1905 में बुडापेस्ट में हुई ।
- प्रथम विश्व चैम्पियनशिप का आरम्भ 1891 ई. में लंदन में किया गया ।
- इसे 1896 ई. में हुए प्रथम ओलम्पिक प्रतिस्पर्द्धा में ही शामिल किया गया था ।
- इसमें दो वर्ग होते हैं – स्नैच तथा क्लीन व जर्क ।

रग्बी फुटबॉल

- इस खेल का विकास इंग्लैण्ड में हुआ, बाद में अमेरिका द्वारा और भी विकसित किया गया ।
- रग्बी यूनियन इस खेल की सर्वोच्च संस्था है । इसका गठन इंग्लैण्ड के रग्बी नामक स्थान हुआ ।
- इंटरनेशनल रग्बी बोर्ड की स्थापना 1886 ई. में हुई थी ।

गोल्फ

- गोल्फ खेल के नियम 1744 ई. में स्कॉटलैंड की हानेरबल कंपनी ऑफ एडिनबर्ग गोल्फर्स ने बनाए।
- दिल्ली एशियाड, 1982 में इसे शामिल किया गया।
- द मास्टर सबसे प्रसिद्ध गोल्फ टूर्नामेंट है, जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जॉर्जिया में खेला जाता है ।
- टाइगर वुड्स (USA) प्रसिद्ध खिलाड़ी ।

निशानेबाजी

- इस खेल का पूर्णतः विकास अमेरिका में हुआ, जिसमें महत्त्वपूर्ण योगदान कर्नल विलियम सी चर्च एवं जनरल जॉर्ज विंगेट का है ।
- राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन की स्थापना 1871 ई. में हुई ।
- 1896 ई. में इसे ओलम्पिक खेलों में शामिल किया गया ।
- 1897 ई. में प्रथम विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई ।
- अन्तर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसकी सर्वोच्च संस्था है, इसका मुख्यालय म्यूनिख (जर्मनी) में है।

खो-खो

- ❖ इसका विकास भारत में हुआ ।
- ❖ इस खेल को 7 मिनट में खेला जाता है ।
- ❖ जिमखाना क्लब, मुम्बई का इसके विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है ।

घुड़सवारी

- ❖ घुड़सवारी को वर्ष 1900 के ओलम्पिक में शामिल किया गया ।
- ❖ इस खेल का पूर्ण विकास 19वीं शताब्दी में आरम्भ हुआ ।
- ❖ इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्ट्रीयन इसका गवर्निंग बॉडी है ।

साइक्लिंग

- ❖ अन्तर्राष्ट्रीय साइकिल यूनियन की स्थापना अप्रैल, 1900 में पेरिस में की गई ।
- ❖ इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के एगल में है ।
- ❖ 1896 ई. के ओलम्पिक में साइकिल प्रतिस्पर्द्धा को भी शामिल किया गया ।

कबड्डी

- ❖ कबड्डी खेल का आरम्भ भारत देश में हुआ ।
- ❖ कबड्डी को विभिन्न नामों से जाना जाता है; जैसे- हू तू तू , ता ता ता इत्यादि ।
- ❖ वर्ष 1920 में कबड्डी का नया रूप निर्धारित किया गया ।
- ❖ वर्ष 1938 में कबड्डी की प्रथम अखिल भारतीय प्रतियोगिता प्रारंभ हुई ।
- ❖ वर्ष 1950 में राष्ट्रीय कबड्डी संघ का गठन किया गया ।
- ❖ वर्ष 1982 के एशियाई खेलों में इसे शामिल किया गया ।

पोलो

- ❖ पोलो का प्रारंभ भारत के मणिपुर राज्य में माना जाता है ।
- ❖ 1834 ई. में असम के प्रथम क्लब-कदार क्लब की स्थापना हुई थी ।
- ❖ यह 1869 ई. में इंग्लैण्ड पहुँचा ।
- ❖ इसका प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मैच 1886 ई. में यू एस तथा इंग्लैंड के मध्य खेला गया ।
- ❖ अन्तर्राष्ट्रीय पोलो संघ की स्थापना वर्ष 1930 में हुई तथा अन्तर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय ब्रवली हिल्स में है ।

स्क्वैश

- ❖ 1830 ई. में पहली बार स्क्वैश खेला गया ।
- ❖ विश्व स्क्वैश फेडरेशन इसकी सर्वोच्च संस्था है ।
- ❖ स्क्वैश का विकास इंग्लैण्ड के हैरो स्कूल द्वारा किया गया ।

स्नूकर

- ❖ इसका प्रारंभ 1875 ई. में भारत के जबलपुर शहर में हुआ ।
- ❖ सर नेबिले फ्रांसिस फ्टिजगेराल्ड चेम्बरलेन द्वारा बनाये गए 'ब्लैक पुल' के रूप में हुआ ।
- ❖ वर्ष 1927 में इसकी पहली विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई ।
- ❖ वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड एण्ड स्नूकर एसोसिएशन इस खेल की सर्वोच्च संस्था है ।
- ❖ इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई तथा इसका मुख्यालय ब्रिस्टल, इंग्लैण्ड में है ।

तीरन्दाजी

- ❖ अन्तर्राष्ट्रीय तीरन्दाजी संघ की स्थापना सितम्बर, 1931 को पोलैण्ड में सात देशों ने मिलकर की थी ।
- ❖ वर्ष 1931 से ही इसकी विश्व चैंपियनशिप का आरम्भ हुआ ।
- ❖ वर्ष 1959 से विश्व फील्ड चैंपियनशिप आयोजित की जाने लगी ।
- ❖ वर्ष 1972 में इसे ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलों में शामिल किया गया ।

मुक्केबाजी

- ❖ मुक्केबाजी की प्रथम प्रतियोगिता 1719 ई. में आयोजित की गई ।
- ❖ इसके नियम जेक ब्राटन द्वारा 1743 ई. में बनाए गए ।
- ❖ वर्ष 1904 में इसे ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में शामिल किया गया ।
- ❖ इस खेल की चार प्रमुख संस्थाएँ हैं- विश्व बॉक्सिंग एसोसिएशन, विश्व बॉक्सिंग काउन्सिल, अन्तर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन, विश्व बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन । विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार आदि प्रमुख भारतीय मुक्केबाज है ।

अन्य चर्चित खेल

बिलियड्र्स

बिलियड्र्स के विस्तार में ब्रिटेन का मुख्य योगदान है। 19वीं सदी में इस खेल के आधुनिक स्वरूप का जन्म हुआ। भारतीय खिलाड़ियों का इसमें उल्लेखनीय योगदान है। विलियम जोंस, माइकल फरेरा, सुभाष अग्रवाल तथा गीत सेठी इत्यादि इस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। बिलियड्स दो प्रकार का होता है - 8 बॉल बिलियडर्स व 9 बॉल बिलिपदर्प)

टेबल टेनिस

टेबल टेनिस खेल का उदय 19वों सदी में इंग्लैण्ड में हुआ। प्रारम्भ में इसे गोस्सीमा (gossima) के नाम से भी जाना जाता था। बाद में इसका नाम पिंग पोंग रख

दिया गया। वर्ष 1926 में अन्तर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन हुआ।

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट वर्ष 1926 में बर्लिन में हुआ। वर्ष 1988 में ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में इसे शामिल किया गया। एशिया में टेबल टेनिस का प्रथम टूनामेण्ट वर्ष 1952 में मुम्बई में हुआ। वर्ष 1926 में कलकत्ता में भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना की गई

ताइक्वाण्डो

ताइक्वाण्डो एक कोरियाई मार्शल आर्ट है। यह शरीर रक्षण से प्रेरित अन्य खेलों-कुंग फू, जूडो,कराटे इत्यादि से मिलता-जुलता गेम है। वर्ष 1988 के ओलम्पिक खेलों में प्रदर्शन खेलों के रूप में इसे सम्मिलित किया गया था। इस खेल में उम्र 14 से 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है

जिम्नास्टिक

जिम्नास्टिक शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के GYMNOS शब्द से हुआ। 18वीं सदी के प्रारम्भ में अनेक यूरोपीय देशों में इसका प्रचलन हुआ। इसको नया स्वरूप प्रदान करने में जॉन बेसेडो ने प्रमुख भूमिका निभाई। जिम्तास्टिक का पितामह **जॉन फिडरिच गट्स मुथ** को कहा जाता है। विश्व में जिम्नास्टिक खेल संघ की स्थापना 1881 ई. में हुई। वर्ष 1903 में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंम्पियनशिप का आरम्भ एण्टवर्थ, बेल्जियम में हुआ। वर्ष 1934 में महिलाओं तथा पुरुषों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धाओं का प्रारम्भ हुआ।

जूडो

जूडो का जन्म **जापान** में हुआ था। जूडो का जन्मदाता **जिगोरो कानों** को माना जाता है। Je<e& 1964 में टोकियो ओलम्पिक में पुरुष जूडो स्पर्द्धा को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली। वर्ष 1988 में महिला जूडो एक प्रदर्शन खेल के रूप में ओलम्पिक में शामिल हुआ। वर्ष 1992 में यह आधिकारिक रूप से ओलम्पिक में शामिल हुआ। इसमें विधिनन बेल्टें प्रदान को जाती हैं, जिनमें ब्लैक बेल्ट सबसे श्रेष्ठ होती है।

मैराथन

मैराथन चैंम्पियनशिप का आरम्भ सर्वप्रथम 1897 ई. में नॉबें में हुआ था। मैराथन में 42.195 किमी की दूरी तय की जाती है। इसका ओलम्पिक में प्रवेश 1896 ई. में हुआ था।

फार्मूला-1 रेस

फार्मूला-1 रेस विश्व कप फुटबॉल तथा ओलम्पिक के पश्चात् सबसे अधिक देखा जाने वाला तृतीय गेम है। इस रेस की प्रमुख टीमें--फरारी रेनाल्ट, विलियम्स, बार मैक लोंटने, साउबेर रेड बुल, टोयोटा, जॉर्डन ब मिनार्डी हैं। फार्मूला--1 अथवा एफ-1 का आधिकारिक नाम एफ आईए फार्मूला वन वर्ल्ड चैंम्पियनशिप है।

फार्मूला का तात्पर्य उन नियमों से है, जिनका अनुपालन प्रतिभागी ड्राइवरों को करना होता है यह विश्व की सर्वोच्च श्रेणी की सिंगल सीटर ऑटो रेसिंग है। इसमें कई रेसों आयोजन होता है | जिन्हें ग्राण्ड-प्री कहा जाता है। नवीन स्वरुप में एफ-1 की पहली रेस वर्ष 1950 में सिल्वर स्टोन (इलैण्ड) में हुई, जिसे इटली के गियूसेप्पे फरीना ने जीता। जर्मनी के **माइकल शूमाकर** सर्वाधिक 7 बार 7-1 विश्व चैंम्पियन रहे हैं |

भारत और फार्मूला- रेस

भारत में वर्ष 2011 से ग्रेटर नोएडा स्थित **बुद्ध इण्टरनेशनल** सर्किट में f-1 रेसिंग का आयोजन प्रारम्भ हुआ। इस सर्किट के आर्किटेक्ट हरमन तिल्के हैं तथा सर्किट की लम्बाई 5.141 किमी है। वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2013 की रेसों के विजेता रेड बुल्स की रेनाल्ट के ड्राइवर सेबेस्टियन बेट्टल (जर्मनी) रहे हैं। वर्ष 2014 से यह प्रतियोगिता भारत में स्थगित है। नारायण कार्तिकेयन भारत के पहले एफ-1 ड्राइवर हैं |

फार्मूला- से सम्बन्धित झण्डे

चेक फ्लैग - गेम की समाप्ति का प्रतीक.
पीला फ्लैग - डेंजर (स्लोडाउन)
ग्रीन फ्लैग - रास्ता क्लियर
ब्लूफ्लैग - चालक से ओवर टेक करने के.
ब्लैक फ्लैग - ड्राइवर को पिट में आने का निर्देश देना
उजला फ्लैग - धीरे चलने के लिए चेतावनी देना

टेनिस

टेनिस का उद्भव कैसे और कहाँ हुआ यह स्पष्ट नहीं है, परन्तु मेजर हैरी जैम तथा आग्यूरो पिरेशा ने इस खेल के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लैण्ड के मेजर डब्ल्यू सी बिंगफील्ड ने 1873 ई. में आधुनिक टेनिस का स्वरूप निश्चित किया और उसे 'लॉन टेनिस' का नाम दिया।

इस खेल के चार प्रतिष्ठित टूनामेण्ट-फ्रेंच ओपन, विम्बलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यू एस ओपन को मिलाकर ग्रैण्ड स्लैम कहा जाता है। टेनिस में ग्रैण्ड स्लैम" शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक जॉन कीरन ने किया था। विम्बलडन का प्रारम्भ 1877 ई. में ऑल इंग्लैण्ड चैंम्पियनशिप के नाम

से हुआ था। इस खेल की सर्वोच्च संस्था 'इण्टरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन' की स्थापना वर्ष 1978 में पेरिस में की गई। सानिया मिर्जा, लिएण्डर पेस, महेश भूपति आदि प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं।

एथलेटिक्स

एथलेटिक्स शब्द ग्रीक शब्द एथलोस से निकला है, जिसका तात्पर्य है-प्रतिस्पर्द्धा हे | -प्रतिस्पर्द्धा 1896 ई. में एथेन्स के बरेन पियरे डी-कुबर्तिन के प्रयासों से एथेन्स के नवीन स्टेडियम में एथलेटिक्स का आरम्भ हुआ। एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले खेल हैं-दौड़, ऊँची कूद, बाँस कूद, त्रिकूद, लम्बी कूद, पैदल चाल, गोला फेंक, भाला फेंक, तार गोला फेंक इत्यादि।

बैडमिण्टन

बैडमिण्टन का स्वरूप 1873 ई. में ब्लूस्टशायर के बैडमिण्टन हाउस से आया। 1895 ई. में बैडमिण्टन संघ की स्थापना इंग्लैण्ड में हुई। वर्ष 1934 में विश्व बैडमिण्टन संघ की स्थापना हुई। वर्ष 1948 में पुरुष विश्व चैम्पियनशिप थॉमस कप का प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1986 से महिला चैम्पियनशिप के लिए उबेर कप का प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1992 के बार्सिलोना ओलम्पिक में इसे शामिल किया गया। भारतीय बैडमिण्टन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1934 में हुई। मई, 2013 में बैडमिण्टन में प्रथम बार सुदीरमन कप के दौरान लाइन कॉल प्रणाली का उपयोग किया गया। सायना नेहावाल, ज्वाला गुट्टा आदि प्रसिद्ध भारतीय बैडमिण्टन खिलाड़ी हैं।

वाटरपोलो

वाटरपोलो को वर्ष 1900 के ग्रीष्पकालीन ओलम्पिक में शामिल किया गया। वर्ष 1978 से पुरुषों की वाटरपोलो विश्व चैम्पियनशिप तथा वर्ष 1986 से महिलाओं की वाटरपोलो विश्व चैम्पियनशिप आयोजित की जाती है

तैराकी

तैराकी के मुकाबले चार स्ट्रोक्स में आयोजित किए जाते हैं- 1 फ्री-स्टाइल 2. बैक स्ट्रोक 3. ब्रेस्ट स्टोक 4. बटरफ्लाई तैराकी। 1896 ई. की तैराकी प्रथम ओलम्पिक खेलों का हिस्सा था। वर्ष 1908 में विश्व तैराकी संघ की स्थापना हुई।

गोताखोरी (डाइविंग)

वर्ष 1904 में ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में इसे प्रारम्भ किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय तैराकी संघ इसकी सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन वर्ष 1908 में लन्दन में किया गया था। इसका मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैण्ड में है।

कुश्ती

सर्वप्रथम कुश्ती 1896 ई. के ओलम्पिक खेलों में एक 'शोपीस' स्पर्द्धा के रूप में शामिल हुई। कुश्ती के दो प्रकार हैं- ग्रीको रोमन और फ्री-स्टाइल। 1896 ई. में ग्रीको रोमन कुश्ती हुई थी, जबकि वर्ष 1904 के ओलम्पिक में फ्री-स्टाइल कुश्ती को अपनाया गया। महिला कुश्ती को वर्ष 2004 में एथेन्स ओलम्पिक खेलों में शामिल किया गया। इण्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएटेड रेसलिंग स्टाइल (फिला), कुश्ती की सर्वोच्च संस्था का गठन वर्ष 1912 में हुआ। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैण्ड के **लॉजेन** शहर में है।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार

द्रोणाचार्य पुरस्कार

द्रोणाचार्य पुरस्कार उन सफल प्रशिक्षकों (coaches) को दिया जाता है, जिनकी टीम या उनके शिष्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। इसके तहत् प्रशिक्षक को ₹5 लाख नकद, द्रोणाचार्य की काँस्य प्रतिमा, एक प्रशस्ति-पत्र एवं समारोह का परिधान प्रदान किया जाता है।

अर्जुन पुरस्कार

यह पुरस्कार उन प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसका प्रारम्भ वर्ष 1984 से किया गया था। इसके. तहत् ₹ 5 लाख अर्जुन की काँस्य प्रतिमा, एक प्रशस्ति-पत्र एवं समारोह का परिधान प्रदान किया जाता है।

राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार

इसका प्रारम्भ वर्ष 1991-92 में किया गया। यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को एक वर्ष मेंउत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत् खिलाड़ी को ₹ 7.5 लाख का नकद पुरस्कार, एक पदक तथा प्रशस्ति -पत्र दिया जाता है। प्रथम राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार **विश्वनाथन आनन्द** (शतरंज में) को दिया गया था।

मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी

यह ट्रॉफी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। प्रथम पुरस्कार विजेता को ट्रॉफी के साथ ₹ 10 लाख दिए जाते हैं। द्वितीय पुरस्कार ₹ 1 लाख तथा तृतीय पुरस्कार ₹ 50 हजार का है।

ध्यानचन्द पुरस्कार

यह पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। ये उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं तथा खेल से निवृत्ति के पश्चात् भी उसके विकास कार्यों में लगे हुए हैं। इस पुरस्कार के तहत् ₹5 लाख नकद, एक पट्टिका तथा एक प्रशस्ति - पत्र प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार

यह पुरस्कार उन उद्यमियों अथवा कम्पनियों को प्रदान किया जाता है, जो किसी वित्तीय वर्ष में अपनी सकल आय का 5% अथवा कम-से-कम ₹ 2 करोड़ की राशि खेलों को बढ़ावा देने के लिए खर्च करती हों। इसके अन्तर्गत पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जाता है

1. सामुदायिक खेल विकास।
2. खेल अकादमी की स्थापना।
3. पूर्व खिलाड़ियों की सहायता।
4. वर्तमान खिलाड़ियों को रोजगार।

इस पुरस्कार को राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) को केन्द्रीय खेल तथा युवा मामले के मन्त्रालय द्वारा दिया जाता है। इसके तहत् प्रशस्ति-पत्र तथा हॉकी प्रदान की जाती है। कोई नकद पुरस्कार नहीं दिया जाता। प्रथम बार वर्ष 2009 में यह पुरस्कार **टाटा स्टील** को प्रदान या गया।

तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार

वर्ष 1993 में केन्द्रीय खेल तथा युवा मन्त्रालय द्वारा इसका आरम्भ किया गया था। यह पुरस्कार जमीन, हवा तथा समुद्र में साहसिक खेलों के लिए प्रदान किया जाता है। इसके तहत् तेनजिंग नॉर्गे की प्रतिमा तथा ₹ 5 लाख की नकद राशि प्रदान की जाती है।

राज्यों के खेल पुरस्कार

काशीराम खेल पुरस्कार

यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चयनित खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसमें ₹10 लाख की नकद राशि तथा काँस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है।

महाराणा प्रताप पुरस्कार

यह पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके तहत् ₹ 1 लाख तथा महाराणा प्रताप की कॉस्य प्रतिमा व प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।

गुरु वशिष्ठ पुरस्कार

राजस्थान की सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। इसके तहत् गुरु वशिष्ठ की प्रतिमा तथा ₹ 50 हजार नकद प्रदान किए जाते हैं।

महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार

इस पुरस्कार का प्रारम्भ वर्ष 1978 में पंजाब सरकार द्वारा किया गया। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इसके तहत् ₹1 लाख नकद तथा रणजीत सिंह की प्रतिमा प्रदान की जाती है।

एकलव्य पुरस्कार

गुजरात सरकार द्वारा खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके तहत् ₹ 1 लाख का चेक तथा एकलव्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। इसे कर्नाटक सरकार द्वारा भी प्रदान किया जाता है। इसके तहत् ₹ 10 लाख की धनराशि चयनित खिलाड़ी को प्रदान की जाती है।

रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार

उत्तर प्रदेश महिला एथलीटों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके तहत् ₹ 50 हजार तथा रानी लक्ष्मीबाई की काँस्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है।

लक्ष्मण पुरस्कार

यह पुरुष एथलीटों को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसके तहत् ₹ 50. हजार की राशि तथा लक्ष्मण की काँस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है।

विश्व में प्रथम

1. विश्व का पहला धर्म कौनसा है - सनातन धर्म
2. पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश - चीन
3. कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है - चीन
4. सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश है - चीन
5. शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश है - प्रशा
6. प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौनसा है - उरुग्वे
7. संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश - सं.रा. अमेरिका
8. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के प्रथम सम्मलेन का आयोजन स्थल - बेलग्रेड
9. चन्द्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश - सं.रा. अमेरिका
10. कृत्रिम उपग्रह को अन्तरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला देश - रूस
11. आधुनिक ओलम्पिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश - यूनान

12. प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा(जापान)
13. सबसे अधिक पशुओं वाला देश - भारत
14. विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय - तक्षशिला विश्वविद्यालय(भारत)
15. अन्तरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल - कोलम्बिया
16. मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान - वाइकिंग-1

भारत में विश्व धरोहर स्थल

मूर्त विरासतें			अमूर्त संस्कृतिक विरासतें
संस्कृतिक	**प्राकृतिक**	**मिश्रित**	
1. ताजमहल , आगरा	1. ग्रेट हिमालयन राष्ट्रिय उद्यान हिमाचल प्रदेश	1. कंचनजंगा राष्ट्रिय उद्यान , सिक्किम	1. वैदिक जप की परंपरा
2. खजुराहो , मध्य प्रदेश	2. काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण , असम		2. रामलीला , रामायण का पारम्परिक प्रदर्शन
3. हम्पी कर्नाटक	3. केवलादेव राष्ट्रिय उद्यान , भरतपुर , राजस्थान		3. कुटियाट्टम, संस्कृतिक थिएटर
4. अजंता की गुफाएँ , महाराष्ट्र	4. मानस वन्यजीव अभ्यारण , असम		4. राममन , गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान भारत
5. एलोरा की गुफाएँ , महाराष्ट्र	5. नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रिय उद्यान उतराखंड		5. मुदियेट्टु , अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक
6. बोधगया , बिहार		6.पश्चिम घाट	6. कालबेलिया लोक गीत और राजस्थान के नृत्य
7. सूर्य मंदिर , कोकार्क , ओड़िसा		7. सुन्दरबन राष्ट्रिय उद्यान , पश्चिम बंगाल	8. छऊ नृत्य
8. लाल किला परिसर , दिल्ली			9. लद्दाख का बौद्ध जप : 10. हिमालय के लद्दाख क्षेत्र ,जम्मू और कश्मीर , भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ ।
9. सांची मध्य प्रदेश			11. मणिपुर का संकीर्तन , पारंपरिक गायन , नगाड़े और नृत्य

10. चोल मंदिर, तमिलनाडु			12. पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाये जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन
11. महाबलीपुरम, तमिलनाडु में स्मारकों का समूह			13. योग
12. हुमांयू का मकबरा , नई दिल्ली			14. नवरोज
13. जंतर मंतर, जयपुर, राजस्थान			15. कुंभ मेला
14. आगरा किला, उत्तर प्रदेश			
15. फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश			
16. रानी की वाव, पाटन, गुजरात			
17. कर्नाटक के पट्टडकल में स्मारकों का समूह			
18. एलीफेंटा गुफाएँ, महाराष्ट्र			
19. नालंदा महाविहार (नालंदा विश्वविद्यालय) , बिहार			
20. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस), महाराष्ट्र			
21. भारत का पर्वतीय रेलवे			
22. कुतुब मीनार और उसके स्मारक, नई			
23. चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्त्व पार्क, गुजरात			
24. राजस्थान के पहाड़ी किले			
25. गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट			

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

26. भीमबेटका के रॉक शेल्टर, मध्य प्रदेश			
27. ली कार्बूजियर के महत्त्वपूर्ण स्थापत्य कार्य			
28. ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद			
29. मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेंबल			
30. जयपुर शहर , राजस्थान			

भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल

हम इस पेज पर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल की सूची प्रदान कर रहें हैं जिससे आप एक ही जगह पर आसानी से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (chief minister) का नाम एवं उस राज्य के लिए नियुक्त किये गए राज्यपाल (governor) का नाम जान सकते हैं। नीचे दी गयी टेबल में पहले 28 पूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल एवं अंतिम 2 केंद्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम दिए गए हैं।

राज्य	**मुख्यमंत्री**	**राज्यपाल**
1. अरुणांचल प्रदेश	श्री पेमा खांडू	डॉ बीडी मिश्रा
2. असम	श्री हिमंत बिस्व सरमा	प्रोफेसर जगदीश मुखी
3. आंध्र प्रदेश	श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी	श्री बिश्वा भूषण हरिचंदन
4. उत्तर प्रदेश	श्री योगी आदित्यनाथ	श्रीमती आनन्दीबेन पटेल
5. उत्तराखंड	श्री पुष्कर सिंह धामी	पूर्व ले. जनरल गुरमीत सिंह
6. ओडिशा	श्री नवीन पटनायक	प्रोफ़ेसर गणेशी लाल
7. कर्नाटक	श्री बसवराज बोम्मई	श्री थावर चंद गहलोत
8. केरल	श्री पिनराई विजयन	श्री आरिफ मोहम्मद खान
9. गुजरात	श्री भूपेंद्र पटेल	श्री आचार्य देवव्रत सिंह
10. गोवा	श्री प्रमोद सावंत	श्री श्रीधरन पिल्लई
11. छत्तीसगढ़	श्री भूपेश बघेल	सुश्री अनुसुइया उइके
12. झारखंड	श्री हेमंत सोरेन	श्रीमती रमेश बैंस

13. तमिलनाडु	एमके स्टालिन	श्री आर. एन. रवि
14. तेलंगाना	श्री के. चंद्रशेखर राव	तमिलसाई सुंदरराजन
15. नागालैंड	श्री नेफियू रियो	श्री जगदीश मुखी
16. पंजाब	श्री चरणजीत सिंह चन्नी	श्री बनवारी लाल पुरोहित
17. पश्चिम बंगाल	कु. ममता बनर्जी	श्री जगदीप धनखड़
18. बिहार	श्री नीतीश कुमार	श्री फागु चौहान
19. मणिपुर	श्री एन बीरेन सिंह	श्री ला गणेशन
20. मध्य प्रदेश	श्री शिवराज सिंह चौहान	श्री मंगूभाई पटेल
21. महाराष्ट्र	श्री उद्धव ठाकरे	श्री भगत सिंह कोश्यारी
22. मिजोरम	श्री जोरमथांगा	श्री हरिबाबू कम्भमपति
23. मेघालय	श्री कॉनराड संगमा	श्री सत्यपाल मलिक
24. राजस्थान	श्री अशोक गहलोत	श्री कलराज मिश्र
25. सिक्किम	श्री पीएस गोले	श्री गंगा प्रसाद
26. हरियाणा	श्री मनोहर लाल	श्री बंडारू दत्तात्रेय
27. हिमाचल प्रदेश	श्री जयराम ठाकुर	श्री राजेंद्र आरलेकर
28. त्रिपुरा	श्री बिप्लब कुमार देव	सत्यदेव आर्य
29. दिल्ली (एनसीटी)	श्री अरविन्द केजरीवाल	-
30. पांडिचेरी (यूटी)	एन. रंगास्वामी	-

केंद्र शासित प्रदेश

केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के चुनाव नहीं कराये जाते हैं और न ही राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। राज्य की देखरेख के लिए देश के राष्ट्रपति उस राज्य में उपराज्यपाल या सरकारी प्रशासक को नियुक्त करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/ सरकारी प्रशासक की सूची आप नीचे से प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासक

राज्य	उपराज्यपाल
1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	देवेंद्र कुमार जोशी

2. जम्मू और कश्मीर	मनोज सिन्हा
3. दिल्ली	अनिल बैंजल
4. पांडिचेरी	तमिलसाई सुंदरराजन
5. लद्दाख	राधाकृष्ण माथुर
–	**प्रशासक**
6. चंडीगढ़	श्री बनवारी लाल पुरोहित
7. दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव	प्रफुल खोदा पटेल
8. लक्षदीप	दिनेश्वर शर्मा

भारत के राजकीय पशुपक्षी-, वृक्ष और फूल की सूची

भारत विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों एवं भौगोलिक विविधताओं का देश है। जिस तरह भारत का एक राष्ट्रीय पशु, एक पक्षी, एक वृक्ष और एक पुष्प है उसी तरह प्रत्येक राज्य के भी राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष और पुष्प हैं। किसी राज्य का राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष एवं पुष्प कौन-सा होगा, यह प्रमुख रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। पहला यह कि वह वन्य जीव उस राज्य में बहुतायत में पाया जाता हो और दूसरा उसका उस राज्य से सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव हो।

भारत के राज्यों के राजकीय पशु-पक्षियों की सूची-

राज्य	**पशु**	**पक्षी**
आंध्र प्रदेश	काला हिरन	तोता
अरुणाचल प्रदेश	मिथुन या गयाल	हार्नबिल
असम	भारतीय गैण्डा	सफेद पंखों वाला बत्तख
बिहार	गौर या भारतीय बाइसन	घरेलू गौरैया
छत्तीसगढ़	जंगली भैंसा	पहाड़ी मैंना
गोवा	गौर या भारतीय बाइसन	बुलबुल
गुजरात	एशियाई सिंह	राजहंस
हरियाणा	काला हिरन	काला तीतर
हिमाचल प्रदेश	हिम तेन्दुआ	जेवर
झारखण्ड	भारतीय हाथी	काली गर्दन वाला सारस
कर्नाटक	भारतीय हाथी	नीलकंठ
केरल	भारतीय हाथी	हॉर्नबिल
मध्य प्रदेश	बारहसिंगा	दूधराज
महाराष्ट्र	भारतीय विशाल गिलहरी	हरियाल

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

मणिपुर	संगें	धारीदार पूँछ वाला तीतर
मेघालय	धूमिल तेंदुआ	पहाड़ी मैंना
मिजोरम	हिमालयन सीरो	धारीदार पूँछ वाला तीतर
नागालैंण्ड	मिथुन या गयाल	ब्लाइद ट्रैगोपॅन
ओडिशा	साम्भर हिरण	नीलकंठ
पंजाब	काला हिरन	उत्तरी बाज
राजस्थान	ऊँट और चिंकारा	गोडावण
सिक्किम	लाल पांडा	चिल्मिआ
तमिलनाडु	नीलगिरि तहर	पन्ना कबूतर
तेलंगाना	चीतल	नीलकंठ
त्रिपुरा	फयरे का लंगूर	शाही कबूतर
उत्तराखंड	अल्पाइन कस्तूरी मृग	हिमालयी मोनाल
उत्तर प्रदेश	बारहसिंघा	सारस क्रेन
पश्चिम बंगाल	मछली पकड़ने वाली बिल्ली	श्वेतकण्ठ कौड़िल्ला
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	डूगोंग	अंडमानी कबूतर
चण्डीगढ़	नेवला	ग्रे हॉर्नबिल
दादरा तथा नगर हवेली	अभी तक नामित नहीं किया गया हैं।	अभी तक नामित नहीं किया गया हैं।
दमन एवं दीव	अभी तक नामित नहीं किया गया हैं।	अभी तक नामित नहीं किया गया हैं।
दिल्ली	नीलगाय	घरेलू गौरैया
जम्मू एवं कश्मीर	कश्मीरी हंगुल	अभी तक नामित नहीं किया गया हैं।
लद्दाख	घरेलू याक	काली गर्दन वाला सारस
लक्षद्वीप	आवारा तितली	सूती टर्न
पुडुचेरी	गिलहरी	एशियाई कोयल

भारत के राज्यों के राजकीय वृक्ष और फूलों की सूची-

राज्य	**वृक्ष**	**फूल**
आंध्र प्रदेश	नीम	चमेली
अरुणाचल प्रदेश	हॉलोंग	लेडी स्लिपर ऑर्किड
असम	हॉलोंग	द्रौपदी माला
बिहार	पीपल	कचनार
छत्तीसगढ़	शाल या साखू	लेडी स्लिपर ऑर्किड
गोवा	नारियल	लाल चमेली
गुजरात	बरगद	गेंदे का फूल
हरियाणा	पीपल	कमल

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

हिमाचल प्रदेश	देवदार	बुरांस
झारखण्ड	शाल या साखू	पलाश
कर्नाटक	चन्दन	कमल
केरल	नारियल	अमलतास
मध्य प्रदेश	बरगद	पलाश
महाराष्ट्र	आम	जरुल
मणिपुर	तूना	सिरोय कुमुदिनी
मेघालय	गम्हार	लेडी स्लिपर ऑर्किड
मिजोरम	अंजनी	लाल वांडा
नागालैण्ड	आल्डर वृक्ष	बुरांस
ओडिशा	गूलर	अशोक
पंजाब	शीशम	ग्लेडियोलस
राजस्थान	खेजड़ी	रोहेड़ा
सिक्किम	बुरांस	येरूम लेथी
तमिलनाडु	ताड़	करी हरी
तेलंगाना	खेजड़ी	रानवारा
त्रिपुरा	अगरवुड	नाग केसर
उत्तराखंड	अशोक	ब्रह्म कमल
उत्तर प्रदेश	बुरांस	पलाश
पश्चिम बंगाल	चितौन	शेफाली
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान रेडवुड	अंडमान पाइनामा
चण्डीगढ़	आम	पलाश
दादरा तथा नगर हवेली	अभी तक नामित नहीं किया गया है	अभी तक नामित नहीं किया गया है
दमन एवं दीव	अभी तक नामित नहीं किया गया है	अभी तक नामित नहीं किया गया है
दिल्ली	गुलमोहर	अल्फाल्फा
जम्मू एवं कश्मीर	चिनार	रोडोडेंड्रोन
लद्दाख	अभी तक नामित नहीं किया गया है	अभी तक नामित नहीं किया गया है
लक्षद्वीप	नागदामिनी	नेलाकुरिनजी
पुडुचेरी	बिल्व	नागकेसर

भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य

सुंदरबन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल :- पश्चिम बंगाल में सुंदरवन एक घना मैंग्रोव जंगल है जो घूमने के लिए एक अनोखी और शानदार जगह है। इसमें 54 द्वीप शामिल हैं और पास के देश, बांग्लादेश तक फैले हुए हैं।

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश :- यह मध्य प्रदेश में स्थित है, और अपने प्राकृतिक परिवेश के लिए सबसे अच्छा है और भारत में किसी भी अन्य पार्क की तुलना में बाघों की सबसे अधिक आबादी है।

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश :- मध्य प्रदेश राज्य में स्थित, कान्हा नेशनल पार्क खूबसूरत झीलों, चलने वाली नदियों और विस्तृत घास के मैदानों के साथ बांस के जंगलों का एक घना और समृद्ध क्षेत्र है।

रणथम्भौर नेशनल पार्क, राजस्थान :- यह अरावली पहाड़ी श्रृंखलाओं और विंध्यन पठार के बीच जंक्शन पर पूर्वी राजस्थान में स्थित है।

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था। आज, भारत 166 से अधिक अधिकृत राष्ट्रीय उद्यानों का घर है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने राइनो के लिए बेहद प्रसिद्ध है। वन और वन्य जीवन अभयारण्य क्षेत्र, जो राज्यों की सीमाओं पर आते हैं, सुरक्षा कारणों से संरक्षित हैं।

जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड :- बाघों के लिए भारत के पहले और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है।

भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की सूची (national park **and wildlife sanctuary in india)**

राजस्थान

- केवला देवी नेशनल पार्क (साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल)
- रणथम्भोर नेशनल पार्क
- सरिस्का नेशनल पार्क
- मरुस्थलीय नेशनल पार्क
- मुकिंद्रा हिल्स नेशनल पार्क
- घना पक्षी नेशनल पार्क
- माउंट आबू Wildlife Sanctuary

मध्य प्रदेश

- संजय नेशनल पार्क
- माधव नेशनल पार्क
- पालपुर कुनो नेशनल पार्क
- मण्डला फौसिल नेशनल पार्क
- रातापानी Sanctuary
- राष्ट्रीय चंबल Sanctuary
- कान्हा नेशनल पार्क
- पेंच नेशनल पार्क
- पन्ना नेशनल पार्क (यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल)
- सतपुड़ा नेशनल पार्क
- वन विहार नेशनल पार्क
- बांधवगढ नेशनल पार्क (सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है)

Note –

- गुजरात के गिर नेशनल पार्क से कुछ एशियाई शेरों को मध्यप्रदेश के पालपुर कूनो अभ्यारण में बसाने को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दे दी है ।
- सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क मध्यप्रदेश में हैं ।

अरुणाचल प्रदेश

- नामदफा नेशनल पार्क
- पखुई Sanctuary

हरियाणा

- सुलतानपुर नेशनल पार्क
- कलेशर नेशनल पार्क

उत्तर प्रदेश

- दुधवा नेशनल पार्क
- चन्द्रप्रभा वन्यजीव विहार

झारखंड

- बेतला नेशनल पार्क
- हजारीबाग Sanctuary
- धीमा नेशनल पार्क

मणिपुर

- केबुल – लामजाओ नेशनल पार्क (विश्व का एक्मात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क)
- सिरोही नेशनल पार्क

सिक्किम

- कंचनजंगा नेशनल पार्क

त्रिपुरा

- क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क

तमिलनाडु

- मुकुर्थी नेशनल पार्क
- गुंडी नेशनल पार्क
- नेल्लई Sanctuary
- इन्दिरा गांधी (अन्नामलाई) नेशनल पार्क
- मुदुमलाई नेशनल पार्क
- प्लानी हिल्स नेशनल पार्क
- प्वाइंट कैलीमर Sanctuary
- गल्फ आफ मनार नेशनल पार्क

ओडिसा

- नन्दनकानन राष्ट्रीय चिड़ीयाघर

- चिल्का झील Sanctuary
- भीतरकनिका नेशनल पार्क
- सिंमली पाल नेशनल पार्क

मिजोरम

- मुरलेन नेशनल पार्क
- फ़वंगपुई नेशनल पार्क
- डाम्फा Sanctuary

जम्मू-कश्मीर

- सलीम अली नेशनल पार्क
- किस्तवार नेशनल पार्क
- हेमिश हाई नेशनल पार्क (भारत का सबसे बडा नेशनल पार्क)
- दाचीग्राम नेशनल पार्क (एक्मात्र नेशनल पार्क जहां कश्मीरी महामृग – हंगुल पाए जाते हैं)

पश्चिम बंगाल

- सुन्दरवन नेशनल पार्क
- गोरूमारा नेशनल पार्क
- बुक्सा नेशनल पार्क
- जलदापारा नेशनल पार्क
- सिंगलीला नेशनल पार्क
- नेओरा वैली नेशनल पार्क

असम

- मानस नेशनल पार्क (एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध)
- काजीरंगा नेशनल पार्क (एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध)
- नामेरी नेशनल पार्क
- राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क
- डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क

आंध्र प्रदेश

- इन्दिरा गाँधी प्राणी विज्ञान पार्क
- राजीवगांधी (रामेश्वरम) नेशनल पार्क
- पापीकोंडा नेशनल पार्क
- श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क
- नागार्जुन सागर – श्रीशैलम नेशनल पार्क (यह भारत का सबसे बडा Project Tiger है)
- पुलिकट झील Sanctuary

तेलंगाना

- कासुब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क
- मृग्रावनी नेशनल पार्क

महाराष्ट्र

- बोरीवली (संजय गांधी) नेशनल पार्क
- चांदोली नेशनल पार्क
- तदोबा नेशनल पार्क
- गुगामल नेशनल पार्क
- नवागांव नेशनल पार्क
- मेलघाट राष्ट्रिय अभ्यारण्य

अण्डमान-निकोबार

- सैडिल पीक नेशनल पार्क
- माऊंट हैरियट नेशनल पार्क
- रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क
- महात्मा गाँधी मैरीन (वंदूर) नेशनल पार्क
- कैंपबैल नेशनल पार्क
- साउथ बटन नेशनल पार्क (भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क)

Note – अण्डमान-निकोबार में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण हैं !

हिमाचल प्रदेश

- पिन वैली नेशनल पार्क
- ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क
- इन्द्रकिला नेशनल पार्क
- शिकरी देवी अभ्यारण्य
- रोहल्ला नेशनल पार्क
- खिरगंगा नेशनल पार्क

गुजरात

- गिर नेशनल पार्क
- मैरीन (कच्छ की खाडी) नेशनल पार्क
- ब्लेकबक नेशनल पार्क
- वंसदा नेशनल पार्क
- जंगली गधा अभ्यारण

उत्तराखण्ड

- जिम कार्बेट नेशनल पार्क (1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क , इसका पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क था)
- राजाजी नेशनल पार्क
- गंगोत्री नेशनल पार्क
- फूलों की घाटी नेशनल पार्क
- नन्दा देवी नेशनल पार्क

छत्तीसगढ

- कांगेर घाटी (कांगेर वैली) नेशनल पार्क
- इन्द्रावती नेशनल पार्क
- गुरु घासीदास (संजय) नेशनल पार्क

केरल

- साइलेंट वैली नेशनल पार्क
- एर्नाकुलम नेशनल पार्क
- परांबिकुलम अभ्यारण

- पेरियार नेशनल पार्क (**जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध**)
- अन्नामुदाई नेशनल पार्क
- इडुक्की अभ्यारण

कर्नाटक

- बांदीपुर नेशनल पार्क
- नागरहोल (राजीव गांधी) नेशनल पार्क
- कुद्रेमुख नेशनल पार्क
- अंसी नेशनल पार्क
- बन्नेर्घट्टा नेशनल पार्क
- तुंगभद्रा नेशनल पार्क

पंजाब

- हरिके झील वेटलैण्ड नेशनल पार्क

गोआ

- सलीम अली पक्षी अभ्यारण
- भगवान महावीर (मोल्लेम) नेशनल पार्क

Note –

- **सलीम अली पक्षी अभ्यारण गोआ में है जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जमूकश्मीर में स्थित है !**
- भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को **बर्डमैन ऑफ इंडिया** कहा जाता है !

बिहार

- वाल्मिकी नेशनल पार्क
- विक्रमसिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण
- गौतम बुद्ध अभ्यारण

मेघालय

- नोक्रेक नेशनल पार्क

केन्द्रीय मंत्रियों की सूची इस प्रकार है:

S.N.	**नाम**	**मंत्रालय**
1.	श्री नरेन्द्र मोदी	**प्रधानमंत्री** 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 2. अंतरिक्ष विभाग 3. परमाणु ऊर्जा विभाग 4. सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं.
कैबिनेट मंत्री इस प्रकार हैं		
2.	श्री अमित शाह	1. गृह मंत्रालय 2. सहकारिता मंत्रालय
3.	श्री राज नाथ सिंह	रक्षा मंत्रालय
4.	श्री नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
5.	श्री नारायण तातु राणे	सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
6.	श्रीमती निर्मला सीतारमण	1. वित्त मंत्री

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

		2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय
7.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
8.	श्री सर्बानंद सोनोवाल	1. बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय 2. आयुष मंत्रालय
9.	डॉ वीरेंद्र कुमार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
10.	डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर	विदेश मंत्रालय
11.	श्री रामचंद्र प्रसाद	इस्पात मंत्रालय
12.	श्री अर्जुन मुंडा	जनजातीय मंत्रालय
13.	श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी	महिला और बाल विकास मंत्रालय
14.	मनसुख मंडाविया	1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2. रासायनिक उर्वरक मंत्रालय
15.	श्री अश्विनी वैष्णव	1. रेल मंत्रालय 2. संचार मंत्रालय 3. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
16.	श्री पीयूष गोयल	1. कपड़ा मंत्रालय 2. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 3. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
17.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	1. शिक्षा मंत्रालय 2. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
18.	श्री मुख्तार अब्बास नकवी	अल्पसंख्यक मंत्रालय
19.	श्री प्रल्हाद जोशी	1. संसदीय मामलों के मंत्री 2. कोयला मंत्रालय 3. खान मंत्रालय
20.	श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
21.	श्री गिरिराज सिंह	1. ग्रामीण विकास मंत्रालय 2. पंचायती राज मंत्रालय

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

22.	श्री गजेंद्र सिंह शेखावत	जल शक्ति मंत्रालय
23.	श्री पाशु पति कुमार	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
24.	श्री किरेन रिजिजू	कानून और न्याय मंत्रालय
25.	श्री राज कुमार सिंह	1. विद्युत मंत्रालय 2. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
26.	श्री हरदीप सिंह पुरी	1. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
27.	श्री भूपेंद्र यादव	1. मंत्रालय या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन 2. श्रम और रोजगार मंत्रालय
28.	डॉ महेंद्र नाथ पाण्डेय	भारी उद्योग मंत्रालय
29.	श्री पुरुषोत्तम रूपाला	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
30.	श्री जी. किशन रेड्डी	1. संस्कृति मंत्रालय 2. पर्यटन मंत्रालय 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय
31.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1.सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2. युवा मामले और खेल मंत्रालय
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Ministers of State (Independent Charge)		
1.	श्री राव इंद्रजीत सिंह	1. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 2. योजना मंत्रालय 3. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्रालय
2.	डॉ जितेंद्र सिंह	1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 3. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री 4. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री 5. परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री 6. अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री
राज्य मंत्री (Ministers of State)		
1.	श्री श्रीपद येसो नाइक	1. बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

2.	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	1. इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
3.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	1. जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
4.	श्री अश्विनी कुमार चौबे	1. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री
5.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
6.	जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह	1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
7.	श्री कृष्ण पाली	1. विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
8.	श्री दानवे रावसाहेब दादाराव	1. रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री 3. खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
9.	श्री रामदास अठावले	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
10.	साध्वी निरंजन ज्योति	1. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
11.	डॉ. संजीव कुमार बाल्यान	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री
12.	श्री नित्यानंद राय	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
13.	श्री पंकज चौधरी	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
14.	श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
15.	प्रो. एस. पी. सिंह बघेल	कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
16.	श्री राजीव चंद्रशेखर	1. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
17.	सुश्री शोभा करंदलाजे	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
18.	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री

19.	श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोश	1. कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
20.	श्री वी. मुरलीधरनी	1. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
21.	श्रीमती मीनाक्षी लेखी	1. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
22.	श्री सोम प्रकाश	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
23.	श्रीमती रेणुका सिंह सरुता	जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
24.	श्री रामेश्वर तेली	1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
25.	श्री कैलाश चौधरी	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
26.	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
27.	श्री ए. नारायणस्वामी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
28.	श्री कौशल किशोर	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
29.	श्री अजय भट्ट	1. रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री
30.	श्री बी एल वर्मा	1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
31.	श्री अजय कुमार	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
32.	श्री देवुसिंह चौहान	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री
33.	श्री भगवंत खुबा	1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
34.	श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल	पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री
35.	सुश्री प्रतिमा भौमिक	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
36.	डॉ सुभाष सरकार	शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
37.	डॉ भागवत किशनराव कराड	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
38.	डॉ राजकुमार रंजन सिंह	1. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
39.	डॉ भारती प्रवीण पवार	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
40.	श्री बिश्वेश्वर टुडु	1. जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री

41.	श्री शांतनु ठाकुर	बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
42.	डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई	1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री
43.	श्री जॉन बारला	अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
44.	डॉ. एल. मुरुगनी	1. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
45.	श्री निसिथ प्रमाणिकि	1. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री 2. युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

क्र.सं.	राज्य का नाम	राजधानी	स्थापना दिवस
1	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती)	1 नवम्बर 1956
2	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	20 फरवरी 1987
3	असम	दिसपुर	26 जनवरी 1950
4	बिहार	पटना	26 जनवरी 1950
5	छत्तीसगढ़	रायपुर	1 नवम्बर 2000
6	गोवा	पंजी	30 मई 1987
7	गुजरात	गांधीनगर	1 मई 1960
8	हरियाणा	चंडीगढ़	1 नवम्बर 1966
9	हिमाचल प्रदेश	शिमला	25 जनवरी 1971
10	झारखण्ड	रांची	15 नवम्बर 2000
11	कर्नाटक	बेंगलुरु (पहले बैंगलोर)	1 नवम्बर 1956

12	केरल	तिरुवनंतपुरम	1 नवम्बर 1956
13	मध्य प्रदेश	भोपाल	1 नवम्बर 1956
14	महाराष्ट्र	मुंबई	1 मई 1960
15	मणिपुर	इम्फाल	21 जनवरी 1972
16	मेघालय	शिलांग	21 जनवरी 1972
17	मिजोरम	अइज़ोल	20 फरवरी 1987
18	नागालैंड	कोहिमा	1 दिसम्बर 1963
19	ओडिशा	भुवनेश्वर	26 जनवरी 1950
20	पंजाब	चंडीगढ़	1 नवम्बर 1956
21	राजस्थान	जयपुर	1 नवम्बर 1956
22	सिक्किम	गंगटोक	16 मई 1975
23	तमिल नाडू	चेन्नई	26 जनवरी 1950
24	तेलंगाना	हैदराबाद	2 जून 2014
25	त्रिपुरा	अगरतला	21 जनवरी 1972
26	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	26 जनवरी 1950
27	उत्तराखंड	देहरादून (शीतकालीन) गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन)	9 नवम्बर 2000
28	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	1 नवम्बर 1956

केंद्र शासित प्रदेश 2021

केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों की सूची : Union Territories, capital और foundation day

केंद्र शासित प्रदेश	राजधानी	स्थापना दिवस
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	1 नवम्बर 1956
चंडीगढ़	चंडीगढ़	1 नवम्बर 1966
दादरा और नगर हवेली,	दमन	26 जनवरी 2020
दिल्ली	नई दिल्ली	[illegible]
लक्षद्वीप	कवरत्ती	1 नवम्बर 1956
पुडुचेरी	पांडिचेरी	1 नवम्बर 1954
जम्मू कश्मीर	श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू (शीतकालीन)	31 अक्टूबर 2019
लद्दाख	लेह	31 अक्टूबर 2021

अन्य विविध topics

अध्याय - 1

जनसंख्या और पर्यावरण

जनसंख्या

2011 में हुई जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है । विश्व स्तर पर चीन, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया की ही जनसंख्या उत्तरप्रदेश से अधिक है । प्रदेश में 67.7 % जनसंख्या साक्षर है । प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता 80.1% गौतमबुद्ध नगर की है । प्रदेश में लिंगानुपात के मामले में जौनपुर की स्थिति सबसे बेहतर है ।

देश में पहली बार वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ई. में जनगणना हुई थी । सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्य काल में 1881 ई. में हुई थी । तब से प्रत्येक दस वर्ष पर देश में जनगणना की जाती है ।

वर्ष 2011 में हुई जनगणना नियमित जनगणना के क्रम में 15 वें और स्वतंत्र भारत में 7 वें स्थान पर थी । इस जनगणना में पहली बार बायोमैट्रिक आधार जानकारी एकत्रित की गई ।

जनगणना एक वर्ष पहले (जैसे वर्ष 2011 की वर्ष 2010 में) शुरु हो जाती है और इसके अंतिम आँकड़े कई वर्ष बाद (जैसे 2011 के 2013 में जारी होते हैं । 15 वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया 16 मई से 30 जून 2010 तक चली थी ।

उत्तरप्रदेश में 11 जुलाई, 2000 को जनसंख्या निति की घोषणा की गई, जिसमें जनसंख्या को नियंत्रित करने के विभिन्न प्रावधान किये गए ।

जनगणना 2011 के समय उत्तरप्रदेस में 71 जिले थे; जबकि वर्तमान में 75 जिले हैं ।

15 वीं जनगणना का नारा "हमारी जनगणना, हमारा भविष्य" था ।

15 वीं जनगणना के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त सी. चन्द्रमोली थे ।

उत्तरप्रदेश में जनसंख्या एवं विकास आयोग गठित है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है ।

राज्य में अनुसूचित जाती एवं जनजाति

2011 की जनगणना के अनुसार सीतापुर जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या अनुसूचित जाती (एस. सी.) के लोग निवास करते हैं । उसके बाद

इलाहाबाद (प्रयागराज), हरदोई, आजमगढ़ और खीरी का स्थान आता है ।

जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से कौशाम्बी जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाती के लोगों का प्रतिशत प्रदेश में सबसे ज्यादा (34.72%) है । इसके बाद सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली का स्थान है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत 20.69 है ।

अनुसूचित जाति के लोग प्रदेश में संख्या और प्रतिशत, दोनों दृष्टि से बागपत जिले में सबसे कम है ।

पूरे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या में अनुसूचित जाति के लोग उत्तरप्रदेश में ही निवास करते हैं अर्थात एस. सी.की संख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, लेकिन प्रदेश की कुल जनसंख्या में एस. सी. के प्रतिशत (20.69) की दृष्टि से देश में उत्तरप्रदेश का स्थान चौथा है । प्रतिशत के मामले में पंजाब (31.9) पहले स्थान पर है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907 है ।

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत प्रदेश में कुल प्रादेशिक जनसंख्या का केवल 0.56% ही है । सबसे ज्यादा एस. टी. आबादी (संख्या और प्रतिशत, दोनो. में) सोनभद्र जिले में है ।

सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला (संख्या और प्रतिशत, दोनों में) बागपत है ।

अनुसूचित जनजाति का प्रदेश में लिंगानुपात 951 है ।

महत्वपूर्ण तथ्य

2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा शिशु आबादी (0-6 वर्ष) इलाहाबाद जिले में थी; जबकि सबसे कम महोबा जिले में है ।

2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में शिशुओं की हिस्सेदारी 15.41% थी; जबकि पूरे देश की जनसंख्या में शिशुओं की हिस्सेदारी 13.6% है ।

पूरे देश में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 382 व्यक्ति रहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 829 व्यक्ति निवास करते हैं । जनसंख्या घनत्व में देश में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। 2001 में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 690 था, देश का 325 था ।

उत्तर प्रदेश में 0-6 वर्ष आयु की जनसंख्या 15.41 % है ।

वर्ष 2000 में घोषित उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निति का उद्देश्य 2016 तक प्रजनन दर को 2.1% तक लाना था ।

राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर 32.9% आँकी गई है (जनगणना 2011 के अनुसार)

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद (3971) जिले में है । इसके बाद वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपूर नगर का स्थान है । सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर (342) में है । इसके बाद सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, और चित्रकूट का स्थान है ।

2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 902 है ।

उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज (इलाहाबाद) है ।

उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील आबादी में 29% किसान है ।

2011 की जनगणना के धार्मिक आँकड़े, अगस्त 2015 में जारी किये गए । इन आँकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है । हालांकि कुल राज्य जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या के प्रतिशत में लक्ष्यद्वीप पहले स्थान पर है उसके बाद जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश (19.26% मुस्लिम) का स्थान है ।

वर्ष 2000 में जारी जनसंख्या निति का तहत महिलाओं की विवाह आयु को 2016 तक 19.5 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया था ।

2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में सभी धर्मो के लोगों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात ईसाई धर्म (961) की जनसंख्या में था ।

2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्गों में सबसे ज्यादा साक्षर जैन धर्म के लोग हैं ।

प्रदेश का दूसरा बड़ा धार्मिक समुदाय मुस्लिम है । उसके बाद ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और जैन का स्थान है ।

2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा और ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर यह अनुक्रम प्रथम स्थान पर है ।

कुल जनसंख्या 2011,जिलो की स्थिति

क्र. स.	जिलों के नाम	जनसंख्या	जनसंख्या		लिंगानुपात	साक्षरता%	साक्षरता	
			पुरुष	महिला			पुरुष%	महिला %
1	प्रयागराज (इलाहाबाद)	5954391	3131807	2822584	901	72.32	82.55	60.97
2	मुरादाबाद	4772006	2503186	2268820	906	56.77	64.83	47.86
3	गाजियाबाद	4681645	2488834	2192811	881	78.07	85.42	69.79
4	आजमगढ़	4613913	2285004	2328909	1019	70.93	81.34	60.91
5	लखनऊ	4589838	2394476	2195362	917	77.29	82.56	71.54
6	कानपूर नगर	4581268	2459806	2121462	863	79.65	83.62	75.05
7	जोंनपुर	4494204	2220465	2273739	1024	71.55	83.80	59.81
8	सीतापुर	4483992	2375264	2108728	888	61.12	70.31	50.67
9	बरेली	4448359	2357665	2090694	887	58.49	67.50	48.30
10	गोरखपुर	4440895	2277777	2163118	950	70.83	81.80	59.36
11	आगरा	4418797	2364953	2053844	869	71.58	80.62	61.18
12	मुजफ्फर नगर	4143512	2193434	1950078	889	69.12	78.44	58.69
13	हरदोई	4092845	2191442	1901403	868	64.57	74.39	53.19
14	लखीमपुर खीरी	4021243	2123187	1898056	894	60.56	69.57	50.42
15	सुल्तानपुर	3797117	1914586	1882531	983	69.27	80.19	58.28
16	बिजनोंर	3682713	1921215	1761498	917	68.48	76.56	59.72
17	बदायूँ	3681896	1967759	1714137	871	51.29	60.98	40.09
18	वाराणसी	3676841	1921857	1754984	913	75.60	83.78	66.69
19	अलीगढ़	3673889	1951996	1721893	882	67.52	77.97	55.68
20	गाजीपुर	3620268	1855075	1765193	952	71.78	82.80	60.29
21	कुशीनगर	3564544	1818055	1746489	961	65.25	77.71	52.36
22	बुलन्दशहर	3499171	1845260	1653911	896	68.88	80.93	55.57
23	बहराइच	3487731	1843884	1643847	892	49.36	58.34	39.18
24	सहारनपुर	3466382	1834106	1632276	890	70.49	78.28	61.74
25	मेरठ	3443689	1825743	1617946	886	72.84	80.74	63.98

26	गोंडा	3433919	1787146	1646773	922	58.71	69.41	47.09
27	रायबरेली	3405559	1752542	1653017	943	67.25	77.63	56.29
28	बाराबंकी	3260699	1707073	1553626	910	61.75	70.27	52.34
29	बलिया	3239774	1672902	1566872	937	70.94	81.49	59.75
30	प्रतापगढ़	3209141	1606085	1603056	998	70.09	81.88	58.45
31	उन्नाव	3108367	1630087	1478280	907	66.37	75.05	56.76
32	देवरिया	3100946	1537436	1563510	1017	71.13	83.27	59.38
33	शाहजहाँपुर	3006538	1604303	1400135	872	59.54	68.18	49.57
34	महाराजगंज	2684703	1381754	1302949	943	62.76	75.85	48.92
35	फतेहपुर	2632733	1384722	1248011	901	67.43	77.19	56.58
36	सिद्धार्थनगर	2559297	1295095	1264202	976	59.25	70.92	47.41
37	मथुरा	2547184	1367125	1180059	863	70.36	81.97	56.89
38	फिरोजाबाद	2498156	1332046	1166110	875	71.92	80.82	61.75
39	मिर्जापुर	2496970	1312302	1184668	903	68.48	78.97	56.86
40	अयोध्या	2470996	1259628	1211368	962	68.73	78.12	59.03
41	बस्ती	2464464	1255272	1209192	963	67.22	77.88	56.23
42	अम्बेडकर नगर	2397888	1212410	1185478	978	72.23	81.66	62.66
43	रामपुर	2335819	1223889	1111930	909	53.34	61.40	44.44
44	मऊ	2205968	1114709	1091259	979	73.09	82.45	63.63
45	बलरामपुर	2148665	1114721	1033944	928	49.51	59.73	38.43
46	पीलीभीत	2031007	1072002	959005	895	61.47	71.70	50.00
47	झाँसी	1998603	1057436	941167	890	75.05	85.38	63.49
48	चंदौली	1952756	1017905	934851	918	71.48	81.72	60.35
49	फर्रुखाबाद	1885204	1006240	878964	874	69.04	77.40	59.44
50	मैनपुरी	1868529	993377	875152	881	75.99	84.53	66.30
51	सोनभद्र	1862559	971344	891512	918	64.03	74.92	52.14
52	अमरोहा	1840221	963449	876772	910	63.84	74.54	52.10
53	बाँदा	1799410	965876	833534	863	66.67	77.78	53.67
54	कानपुर	1796184	963255	832929	865	75.78	83.45	66.86
55	एटा	1774480	947339	827141	873	70.81	81.28	58.80
56	सन्त कबीर नगर	1715183	869656	845527	972	66.72	78.39	54.80
57	जालौन	1689974	906092	783882	865	73.75	83.48	62.46
58	कन्नौज	1656616	881776	774840	879	72.70	80.91	63.33
59	गौतम बुद्ध नगर	1648115	890214	757901	851	80.12	88.06	70.82
60	कौशाम्बी	1599596	838485	761111	908	61.28	72.78	48.56
61	इटावा	1581810	845856	735954	870	78.41	86.06	69.61

62	भदोही	1578213	807099	771114	955	68.97	81.47	56.03
63	हाथरस	1564708	836127	728581	871	71.59	82.38	59.23
64	कासगंज	1436719	764165	672554	880	61.02	71.56	49.00
65	औरैया	1379545	740040	639505	864	78.95	86.11	70.61
66	बागपत	1303048	700070	602978	861	72.01	82.45	59.95
67	ललितपुर	1221592	641011	580581	906	63.52	74.98	50.84
68	श्रावस्ती	1117361	593897	523464	881	46.74	57.16	34.78
69	हमीरपुर	1104285	593537	510748	861	68.77	79.76	55.95
70	चित्रकूट	991730	527721	464009	879	65.05	75.80	52.74
71	महोबा	875958	466358	409600	878	65.27	75.83	53.22
72	अमेठी	---	---	---	---	---	---	---
73	शामली	---	---	---	---	---	---	---
74	हापुड़	---	---	---	---	---	---	---
75	सम्भल	---	---	---	---	---	---	---

• पर्यावरण

Ecology – पारिस्थितिकी

- **पारिस्थितिकी** विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत जीव- विज्ञान तथा भूगोल के मौलिक सिद्धात की पारस्परिक व्याख्या की जाती है
- Ecology लैटिन भाषा के 2 शब्दो से मिलकर बना हुआ – OIKOS और LOGOS जहाँ OIKOS से आशय है निवास स्थान जबकि LOGOS अध्ययन शब्द को प्रतिबिम्बित करता है
- इकोलॉजी शब्द के जन्मदाता राइटर महोदय है जबकि इस शब्द की सेहद्दान्तिक व्याख्या अर्नेस्ट हैकल ने प्रस्तुत की थी इसलिए पारिस्थितिक विज्ञान या जन्मदाता हैकल को ही समझा जाता है।

Leveles of ecological study [पारिस्थितिक विज्ञान अध्ययन के विभिन्न स्तर]

1. जनसख्या (Population)
2. समस्ती (Cummunity)
3. पारितन्त्र (Eco-System)
4. बायोम (जीबोम)
5. जैवमण्डल (Bio-sphere)

1. **जनसंख्या:-** किसी निश्चित कालखण्ड में स्थान विशेष पर समान प्रजाति मे पाये जाने वाले जीवों की कुल संख्या को परिस्थितिक जनसंख्या कहते है।

यहाँ प्रजाति से आशय है वह जैव-समूह जिसमे स्वरूपगत , आनुवाशिक भिन्नता हो तथा सफल लैंगिंग एवं अलैगिंक प्रजनन पाया जाता है। जनसंख्या पारिस्थितिकी के अध्ययन की सबसे छोटी इकाई है।

2. **समुदाय-** समुदाय निर्धारित स्थान - विशेष मे जीवो का वैसा समूह है जो की एक-दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अंतर्सम्बन्धित होते हैं। अर्थात् समुदाय की आवश्यक शर्त है की इसमे विभिन्न प्रजातियाँ पारिस्थितिक ऊर्जा के लिए एक-दूसरे पर आश्रित होती हैं।

3. **पारिस्थितिक तन्त्र** – पारिस्थितिकी तन्त्र पारिस्थितिकी विज्ञान के अन्तर्गत सूक्ष्म से लेकर ब्रहृद क्रियात्मक इकाई है जिसमे जैविक एवं अजैविक घटको के मध्य अन्तर्सम्बन्धो से उत्पन्न ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन किया जाता हैं।

पारिस्थिति तन्त्र शब्द के जन्मदाता आर्थर टान्सले महादय हैं परन्तु इसकी सैधान्तिक व्याख्या E.P. Odem महोदय ने अपनी पुस्तक Fundamental of Ecology मे की है इसलिए Father of Ecosystem Odem महोदय को कहा जाता हैं।

Types of EcSo-system - क्रियात्मकता के आधार पर पारितन्त्र 2 प्रकार के होते हैं-

1. प्राकृतिक पारितन्त्र 2. क्रत्रिम पारितन्त्र

1. **प्राकृतिक पारितन्त्र-** पारितन्त्र का वह अंग हैं जिसमें मानवीय हस्ताक्षेप नहीं होता इसके 2 महत्वपूर्ण अंग हैं- (अ) स्थलिय पारितन्त्र, घासभूमि पारितन्त्र, मरुभूमि पारितन्त्र etc.

(ब) जलीय पारितन्त्र- जलीय पारितन्त्र स्वभावतः 2 प्रकार का होता हैं-

(1) प्रवाही जल का पारितन्त्र

(2) स्थायी जल का पारितन्त्र

स्थायी जल का पारितन्त्र विभिन्न प्राक्रतिक पारितन्त्र में सर्वाधिक स्थिर पाया जाता हैं। सागरिय पारितन्त्र जलीय पारितन्त्रों में सर्वाधिक स्थिर हैं।

2 **क्रत्रिम पारितन्त्र-** पारितन्त्र का वह अंग जोकि मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनिरूप निर्मित किया जाता है उसे क्रत्रिम पारितन्त्र कहते हैं जैसे - कृषि भूमि का पारितन्त्र।

पारितन्त्र के घटक- क्रियात्मक पारितन्त्र मे मुख्य रूप से 2 प्रकार के घटक पाये जाते हैं जाकि एक-दूसरे से ऊर्जा प्रवाह द्वारा जूडे होते हैं।

(1) अजैविक घटक- पारितन्त्र के अजैविक घटक तीन वर्गो में विभक्त किये जा सकते हैं-

(1) कार्बनिक घटक- कार्बनिक घटकों का निर्माण पारितन्त्र में विभिन्न जैव- रासायनिक प्रकृियाओं द्वारा होता हैं इसलिए इन्हे रासायनिक घटको के नाम से भी जानते हैं जैसे- कार्बोहाइड्रेटस, प्रोटिन, वसा आदि।

(2) भौतिक घटक- इन्हे जलवायुविक घटाकों की भी श्रेणी में रखते हैंजैसे तापमान, आद्रता, वायुमण्डलिय दाब, पवन परिसंचरण आदि के साथ-साथ ऊँचाई।

(3) खनिज घटक- अजैविक घटकों में पारितन्त्र में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान हैं जोकि विभिन्न पोषण स्तरों में चक्रीय प्रवाह के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे- कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, P, fe, Cu, O 2 आदि।

(2) **जैविक स्वपोषि-** वह जैव समुदाय जोकि भौतिक तत्वों से अपने लिए स्वयं भोज्य ऊर्जा उत्पन्न करता हैंउन्हे स्वपोषि कहा जाता हैं। इनके 2 महत्वपूर्ण वर्ग हैं-

1. प्राकाश संश्लेषीत जीव- जोकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा अपना भोजन निर्मित करता हैं इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से पादप समूह आते हैं।

2. रासायनिक संश्लेषीत जीव- वह सूक्ष्म जीव जोकि सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में जैव- रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं।

परपोषी- वह जैव समूह जोकि अपने भोज्य ऊर्जा हेतु स्वपोषियों पर निर्भर करता हैं उसे परपोषी जैव समूह कहते हैं इसे 2 वर्गो में रखा जाता हैं-(1) Marco (2) Micro

Functionality of the Eco-system-

(1) पारितन्त्र में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न पोषण स्तरों में हमेशा एकदिशीय होता हैं-

(2) पारितन्त्र कर सन्तुलन ऊर्जा प्रवाह पर ही निर्भर करता हैं।

(3) एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानान्तरित होती हुई ऊर्जा के अधिकांश मात्रा का ह्यस हो जाता हैं परन्तु ऊर्जा विनिष्ट नही होती।

(4) लिण्डमैन के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानान्तरण केवल 10% होता हैं इसे लिण्डमैन के 10% का नियम कहा जाता हैं।

(5) पारितन्त्र में स्थानान्तरित ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती हैं अर्थात् ऊर्जा न तो उत्पन्न होती हैं और न ही विनष्ट बल्कि प्रत्येक पोषण स्तर में यह भिन्न-भिन्न जैव-रासायनिक पदार्थो के रूप में संचित होती हैं।(10%नियम का कम/अधिक होना परितन्त्र सन्तुलित नही हैं।)

(6) पारितन्त्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्त्रोत सूर्य हैं अर्थात् सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पारितन्त्र में क्रियात्मक उत्पन्न करती हैं।

(7) ऊर्जा स्थानान्तरण को हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं।(90:उष्मा श्वसन और अपघटन में नष्ट हो जाती हैं)

पोषण स्तर [Tropic Level]

उत्पादक →उपभोक्ता→IIउपभोक्ता→IIIउपभोक्ता

लिण्डमैन महोदय के अनुसार पारितन्त्र में ऊर्जा संग्रहण उत्पादक समूह द्वारा की जाती हैं। उत्पादकों से उपभोकताओं में ऊर्जा का स्थानान्तरण चरणबध्य प्रक्रिया से होता हैं इसके प्रत्येक चरणों को ही पोषण स्तर कहा जाता हैं।

पोषण स्तर 4 वर्गो में विभक्त हैं-

(1) पोषण स्तर 1- इसके अन्तर्गत स्वपोषी जैव समूह आता हैं। जिसे उत्पादक भी कहा जाता हैं। जैसे- हरे पौधे या वनस्पतियाँ, वह सूक्ष्म जीव जोकि रासायनिक संश्लेषण करते हैं वह प्रथम पोषण स्तर में आते हैं।

(2) पोषण स्तर 2- यह उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग हैं जिसमे प्रथम श्रृेणी के उपभोक्ता अर्थात् शाकाहारी समूह को सम्मिलित किया जाता हैं। जैसे- गाय, हिरण etc.

(3) पोषण स्तर 3- इसमें द्वितीय श्रृेणी का उपभोक्ता समूह आता हैं जिसे माँसाहारी कहते हैं। जैसे- बाघ, शेर etc.

(4) पोषण स्तर 4- इसमें तृतीय श्रृेणी का उपभोक्ता समूह सम्मिलित किया जाता हैं जिसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे- मानव, कुत्ता, बिल्ली

पारिस्थितिक तन्त्र मे उत्पादकता उत्पादक समूह द्वारा जैव-रासायनिक प्रक्रिया से या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अर्जित की गई या संचित की गई कुल ऊर्जा की माता को ही पारितन्त्र की उत्पादकता कहते हैं यह 2 प्रकार की होती हैं-

(1) प्राथमिक उत्पादकता (2) द्वितीय उत्पादकता

उत्पादक समूहों द्वारा प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण द्वारा संचित ऊर्जा का मात्रा को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं जैसे वनस्पति समूह की उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता 2 प्रकार की होती हैं-

1. **सकल प्राथमिक उत्पादकता (GPP)**- ऊर्जा की कूल संचित मात्रा

2. शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता (NPP)- श्वसन आदि क्रियाओं के उपरान्त उत्पादको में शेष बची हुइ ऊर्जा की मात्रा जिसका प्रयोग जैव-द्रव्यय निर्माण में किया जाता है। जैव द्रव्यमान जैव समूह का शुष्क भार होता हैं जिसे kg cal/cm 2 दिन के आधार पर मापा जाता हैं। विषुक्त रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यातप की मात्रा घटने के साथ-साथ सकल एवं शुद्ध प्राथमिक विषुवतीय वर्षा वनों में प्राप्त होता हैं। उत्पादकों का प्रयोग कर उपभोक्ता समूह में संचित कुल, सकल एवं शुद्ध उत्पादकता ही द्वितीयक उत्पादकता कहलाती हैं।

खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल [Food Chain & Food Web]-

पारितन्त्र में प्रत्येक पोषण स्तर खाद्य ऊर्जा की स्थानान्तरण के माध्यम से एक-दूसरे से जूडे होते हैं इसलिए आहार के उद्देश्य से उत्पादको से उपभोक्ताओं तक की कृमिक श्रृंखला, एक दिशीय श्रृंखला, आहार श्रृंखला कहलाती हैं। जैसे-

खाद्य जाल- पारितन्त्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी बहु-रेखीय होता हैं जोकि एक-दूसरे से अन्तर्ग्रन्थित होती हैं। इसे ही आहार जाल कहते हैं। जिस पारितन्त्र में आहार जाल अत्यधिक समृद्ध होता हैं वह पारितन्त्र उतना ही अधिक स्थायी पाया जाता हैं क्योकि प्रत्येक पोषण स्तर के लिए विभिन्न प्रकार की भोजन सम्बन्धी विकल्पों की उपस्थिति पायी जाती हैं।

आहार श्रृंख्ला- मुख्य रूप् से तीन प्राकर की पायी जाती हैं-

(1) चारण आहार श्रृंखला- वह आहार श्रृंखला जिसका आरम्भ प्रकाश संश्लेषी पादप समूहो से होता हैं उसे चारण आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे - घास →गाय →शेर

(2) Parasitic आहार श्रृंखला- जब कोई बडा उपभोक्ता समूह सूक्ष्म तथा आश्रित उपभोक्ताओ द्वारा आहार के रूप में प्रयोग किया जाता हैं तो इसे पैरासाइटिक आहार श्रृंखला कहते हैं।

(3) Detritus आहार श्रृंखला (अपरदी)- जब आहार-श्रृंखला का आरम्भ जीवित के स्थान पर भ्रत पादप या जन्तु समूहों से आरम्भ हो तो इसे अपरदी आहार श्रृखंला कहा जाता हैं।

पत्ती→Microbs→Taps Warb→Crab

Bio-Geo-Chemical Cycle (जैव भू-रसायनिक चक्र) -

पारितन्त्र में खनिजों का स्थानान्तरण एक-घटक से दूसरे घटक में जैव रसायन के रूप् में होता हैं अन्ततः यह पूनः अपनी आरम्भिक दशा में पहुँच जाता हैं। खनिजों के स्थानान्तरण के इस चक्रीय प्रक्रम को ही जैव-भू-रसायन चक्र कहते हैं।

यह 2 प्रकार का होता हैं-

(1) गैसीय चक्र (2) अवसादी चक्र

गैसीय चक्र- गैसीय चक्र विभिन्न वायुमण्डलीय खनिजों पर आधारित हैं यह वायुमण्डलीय खनिज वास्व में वह गैसीय पदार्थ हैं जोकि म्रदा में व्याप्त खनिजों से संयोग कर ऑक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट आदि का निर्माण करते हैं। इसके अन्तर्गत जल-चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र आदि का अध्ययन करते हैं।

N 2 चक्र- वायुमण्डल में नाइट्रोजन प्रथमतः प्री-कैंबियन काल खण्ड में ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से निष्ग्रित हुईघ प्रथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति के प्रभाव से विभिन्न गैसो के साथ-साथ नाइट्रोजन से युक्त वायुमण्डल का निर्माण हुआ।

वायूमण्डलीय नाइट्रोजन 2 प्रक्रियाओं से स्थलखण्ड में निक्षेपित होती हैं-

(1) प्रत्यक्ष रूप से म्रदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की स्थिरिकरण की प्रक्रिया से जैव- राइजोबियम् द्वारा N 2 का स्थिरीकरण।

(2) अप्रत्यक्ष रूप से वायुमण्डलीय अक्रिया N 2 उच्च तापमान पर जल के साथ संयोग कर नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती हैं। यह अम्ल म्रदा में निक्षेपित होकर पुनः सूक्ष्म जीवों द्वारा अमीनों अम्ल में रूपान्तरित कर दी जाती हैं। जिसका प्रयोग वनस्पतियाँ करती हुई प्रोटिन के रूप में संचित कर लेती हैं। वनस्पतियों में शाकाहारी या माँसाहारी समूहों में उपस्थित प्रोटिन जैव अपघटन प्रक्रिया द्वारा पुनः वायुमण्डलमें उत्सर्जित कर दी जाती हैं।

पारिस्थितिक पिरामिड [Ecological Pyramid]-

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

पारितन्त्र के प्रत्येक पोषण स्तर का तुलनात्मक चित्रण या तुलनात्मक प्रदर्शन से निर्मित संरचना पारिस्थिक पिरामिड कहलाती हैं। इस प्रकार के तुलनात्मक चित्रण का कार्य सर्वप्रथम एल्अन महोदय ने किया था इसलिए इसे eltonenion pyramids भी कहा जाता हैं।

एल्टन महोदय के अनुसार पारिस्थितिक पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं-

(1) संख्या पिरामिड (2)जैवभार/जैव-द्रव्यमान पिरामिड (3) ऊर्जा पिरामिड

संख्या पिरामिड :- जब किसी पारितन्त्र मेंउत्पादक से लेकर उपभोक्ताओं तक का संख्यात्मक तुलना या प्रदर्शन किया जाता हैं। तो शंकुनुमा संरचना निर्मित होती हैं जिन्हे संख्या पिरामिड कहते हैं। संख्या पिरामिड सीधा या तुर्कनुमा प्राप्त हो सकता हैं। जिसे हम निम्नलिखित तीन उदाहरणों के माध्यम से प्रदर्शित करेगें-

स्थलीय पिरामिड- (1) घासभूमि या वन प्रदेशो का पिरामिड → हमेशा सिधा बनता हैं।

(2) किसी वृक्ष का संख्या पिरामिड →यह तर्कनुमा (Spindal) का निर्मित होता हैं।

(3) परजीवियों का पिरामिड → हमेशा उल्टा बनता हैं।

जलीय पिरामिड- जलीय पारितन्त्र का संख्या पिरामिड भी हमेशा सीधा बनता हैपरन्तु जलीय परजीवियों का पिरामिड उल्टा निर्मित होगा।

→ इस प्रकार से स्पष्ट है कि विभिन्न पारितन्त्रों में जीवों का संख्या पिरामिड प्रथक-प्रथक संरचना का प्राप्त होता हैं।

जैव-द्रव्यमान/जैवभार पिरामिड

पारितन्त्र में जैव-द्रव्यमान का तुलनात्मक चित्रण संख्या के आधार पर किये गये चित्रण से अधिक सार्थक होता हैं क्योकि यह केवल 2 प्रकार का प्राप्त होता हैं।

(1)स्थलीय पिरामिड हमेशा सीधा प्राप्त होगा।

(2) जलीय पिरामिड हमेशा उल्टा बनता हैं।

ऊर्जा पिरामिड- पारितन्त्र में संख्या तथा जैव-द्रव्यमान के तुलनात्मक चित्रण से भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र उभरकर आते हैं। इसलिए किसी एक स्पष्ट विचार को प्रकट नहीं किया जा सकता बल्कि ऊर्जा-पिरामिड किसी भी पारितन्त्र का हमेशा सीधा होता हैं। इसलिए ऊर्जा पिरामिड ही पारितन्त्र के चित्रण का सबसे उपयुक्त स्त्रोत हैं।

→ स्पष्ट हो कि प्रत्येक पोषण स्तर में खाद्य ऊर्जा का स्थानान्तरण केवल 10%होता हैं इसलिए ऊर्जा पिरामिड सीधा एवं तीक्ष्र्ण होता हैं।

पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण नियम-

(1) पारिस्थितिक तन्त्र में रुकरूपताबाद का नियम लागू होता हैं अर्थात् पारितन्त्र की प्रत्येक क्रियाएँ विभिन्न बायोम/जीवोम में समान रूप् से पायी जायेगी। सम्भव हैं कि प्रत्येक घटनाओं के कार्यदर में अन्तर हो। जैसे- उष्ण कटिबन्धों में Humification की प्रक्रिया यदि तीव्र हैं तो शीतोष्ण कटिबंधों में मन्द होगी परन्तु दोनो ही प्रदेशों में समान रूप से कार्य करेगी। पारिस्थितिक अनुक्रमण विषुवतीय वर्षा वनों से लेकर टैगा वनों तक समान रूप से पायी जायेगी।

(2) **Every things is connected to the every rhings-** अर्थात् पारितन्त्र में सम्पूर्णता का नियम लागू होता हैं जिसमे प्रत्येक जैविक तथा अजैविक घटक एक-दूसरे से सन्तुलित रूप से अर्न्तसबन्धित रहते हैं। अगर इनके अर्न्तसम्बन्धों के किसी एक कडी को हटा दिया जाएँ तो सम्पूर्ण पारितन्त्र अल्पकाल या दीर्घकाल में विनष्ट हो जायेगा।

(3) **Every thing must go some where+there is no wastage-** पारितन्त्र में प्रत्येक पदार्थ स-उद्देश्य पूर्वक उत्सर्जित होता हैं अर्थात् किसी एक घटक का अवशिष्ट पदार्थ दूसरे घटक के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी होता हैं। जैसे यदि जन्तु समूह C 2 का उत्सर्जन करता हैं तो वही C 2 वनस्पतियों के लिए लाभकारी होती हैं अर्थात् पारितन्त्र में कुछ भी व्यर्थ नही होता।

(4) **There is no such things as a free lunch-** अर्थात् पारितन्त्र में कुछ भी मुफ्त का प्राप्त नही होता अगर पारितन्त्र के घटकों का हमने प्रयोग किया हैं तो उसे कुछ अवश्य लौटाना होता हैं। पारितन्त्र से यदि हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करनी हैं तो प्राप्ति के लिए ऊर्जा खर्च भी करनी होगी।

(5) Nature noses everything's- प्रकृति सबकुछ जानती हैं प्रकृति हमेशा सन्तुलित रहने का प्रयास करती हैं, पारितन्त्र के प्रत्येक घटक एक-दूसरे को सन्तुलन की दिशा में बढने के लिए मदद करती हैं अर्थात् इसमें Self Regulatory Mechanism पाया जाता हैं पारितन्त्र अपने-आप को उस हद तक ही सन्तुलित कर सकता हैं जहाँ तक उसके सन्तुलन की सीमा हैं। प्राकृति के सन्तुलन-सीमा के उपरान्त किया गया हस्ताक्षेप पारितन्त्र का विनष्ट कर देता हैं जिसका प्रभाव प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखने को मिलता हैं।

बायोम (Biome)-

बायोम वह पारिस्थितिक संकल्पना हैं जिसमे विशिष्ट प्रकार के जैव समुदाय के आधार पर किसी विशिष्ट

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

जैव-प्रदेश का निर्धारण किया जाता हैं अर्थात् पारिस्थितिक तन्त्र की क्रियात्मकता से भिन्न जीवोम एक स्थानिक विचार हैं जिसे निश्चित कालखण्ड में देखा जाता हैं।

बायोम का निर्धाण अजैविक कारकों से प्रभावित (जलवायु) जैव समुदाय के मौलिक गुणों में प्रथकता के आधार पर किया जाता हैं। जलवायु तत्वों के गुणों का प्रदर्शन चूँकि स्पष्टतः वनस्पति समूह करते हैं इसलिए बायोम निर्धारण की महत्वपूण इकाई वनस्पतियाँ हैं नाकि जन्तु समूह।

वनस्पतियों के स्वरूप में अन्तर के अभाव पर विश्व को निम्नलिखित जीवोम/वायोम में वर्गीकृत किया जाता हैं-

(I) उष्ण कटिबन्धीय बायोम- इसके तीन उप अंग हैं-

(अ) विषुवतीय वर्षा वन बायोम

(ब) मानसूनी वन बायोम

(स) उष्ण कटिबंधीय मरूभूमि बायोम

विषुवतीय वर्षा वन बायोम- 10 0 N-10 0 S अक्षांश के मध्य सम्पूर्ण गोलार्द्ध में सर्वाधिक विस्तार अमेजन बेसिन जहाँ इन्हे सेल्बास कहा जाता हैं, कांगो बेसिन, इण्डोनेशियाई द्वीप तथा बोर्नियों द्वीपों में।

→तापमान - 25 0 C से हमेशा अधिक

→आर्द्रता – 80% से अधिक वर्षा 250सेमी. से अधिक, सालभर, after noon सावर के रूप में

→म्रदा- लेटेराइट तुल्य म्रदा, उच्च निक्षालित अम्लिय म्रदा

→विश्व के सबसे सघन वन, सदाबहार वनस्पतियाँ जिनमे प्रकाश संश्लेषण क्रिया उच्च, जैव-महोगनी, एबोनी, रोजवुड, सिल्वरवुड etc. यह विश्व के सबसे लम्बे तने वाली वनस्पतियाँ हैं क्योकि सूर्यप्राप्ति की उद्देश्य से इनका लम्बवत विकास सर्वाधिक होता हैं।

यह त्रिक्षत्रक जुमा वनस्पतियाँ होती हैं इसलिए सतह पर सूर्य की किरणें उपलब्ध नही होती। सूर्यातप की सतह पर अनुलब्धता होती हैं जिससे सतही वनस्पतियाँ अनुपथिति होती हैं।

यहाँ वनों की संघनताओ मे तीन प्रकार की वनस्पतियाँ महत्वपूर्ण हैं। मुख्य वृक्ष जोकि विश्व की कठोरतम् लकडी होती हैं।

 अधिपादप (Eliphytes) - यह हमेशा मुख्य वृक्ष की शाखाओं एवं प्रशाखाओं में विकास करते हैं।

 लिन्यास (Lianas) - यह मुख्य वृक्ष के सहारे वनस्पतियों के शीर्ष तक पहुँच जाती हैं।

→सतह मे उच्च नमी के कारण छोटे-छोटे कीडे मकोडे, मक्खी, मकडी आदि के साथ-साथ जल पर रहने वाले शरीस्रप की प्रधानता होती हैं। यहाँ पेडो पर निवास करने वाले जन्तुओं की भी बहुलता पायी जाती हैं जैसे- बन्दर, चिडिया आदि।

मानसूनी बायोम- 10 0 -30 0 अक्षांशो के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में दोनो गोलार्द्धों पर। दक्षिण एशिया आस्ट्रेलिया का उत्तरी किनारा, गिनि तट तथा द0 अमेरिका की गुयाना उच्चभूमिमें विस्तृत।

→तापमान- शीतकालीन औसत 18 0 - ग्रीष्मकालीन औसत 32 0

→ अद्रता – 75% वर्षा - लगभग 150सेमी, केवल 4 महीने की वर्षा

→म्रदा - लैटेराइट

→वनस्पति- शुष्कता एवं आर्द्रता के एकान्तर क्रम के कारण वनस्पवतियाँ पर्णपाती स्वाभाव की पायी जाती हैं। जिनमे सागौन, साल, चन्दन आदि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भुमिका हैं। यह वनस्पति समूह (Gragerious) एक ही स्थान पर प्रचुरता से पाया जाता हैं तथा विश्व की सर्वोत्तम् इमारती लकडीयो से युक्त हैं। इसलिए विश्व में सर्वाधिक दोहन मानसूनी बायोम की वनस्पतियों का हुआ हैं।

→जन्तु इस बायोम में विभिन्न प्रकार के शाकाहारी तथा माँसाहारी जन्तुओं की प्रमुखता हैं जैसे- हाथी, जिराफ, गेंडा, हिरण, बाघ, शेर, भेडिया आदि।

स्वाना घासभूमि बायोम- 10 0 -30 0 के मध्य सम्पूर्ण गोलार्द्ध में महाद्वीपों के मध्य भाग में। उत्तर मध्य अफ्रीका, ब्राजील, गुयाना, उच्चभूमि, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रायद्वीपिय भारत के मध्यवर्ती भागों में विस्तृत।

→तापमान- 18 0 - 32 0 आर्द्रता – 70% वर्षा - 100 सेमी, केवल 100 दिनों की ग्रीष्मकाल में

→म्रदा- सिरोजम । चेरनोजम प्रकार की

→वनस्पति- वर्षा प्रभावित कम होने के कारण यहाँ घास तथा झाडियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए इसे घासभूमि बायोम कहा जाता हैं। यहाँ प्रापत होने वाली घास सूखी तथा पोषण रहित होती हैं जिसकी लम्बाई 10-15 फीट तक पायी जाती हैं इसलिए इसे 'हाथीघास' कहते हैं।

→जन्तु- विश्व का सर्वाधिक शाकाहारी तथा माँसाहारी जन्तु समूह इसी बायोम मे प्राप्त होता हैं। इसलिए सवाना बायोम 'Gingatic Zoo' के नाम से जाना जाता हैं। यहाँ प्रत्येक जीव जीवन को बनाये रखने के लिए एक-दूसरे के क्षेत्र को अधिग्रहण करने के प्रयास के क्रम में संघर्षरत् रहता हैं इसलिए इसे 'Big game country of the world' कहा जाता हैं। ग्रीष्मकाल में जंगल की

अंग तथा वर्षा काल में मृदा अपरदन इस बायोम की महत्वपूर्ण समस्या हैं।

उष्णकटीबन्धीय मरुभूमि बायोम- 10 0 -30 0 के मध्य दोनो गोलार्द्धों में महाद्वीपों के पश्चिम की ओर मुख्य विस्तार- सहारा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, अटाकामा तथा थार मजब में।

→तापमान - 18-35 0 सेन्टीग्रेड परन्तु ग्रीष्मकालीन तापमान 50 0 सेन्टीग्रेड तक भी पहुँच जाता हैं। आर्द्रता - 60% से कम वर्षा - 40 सेमी. से कम, अतिशुष्क दशाओं में 25सेमी से भी कम वर्षा।

→मृदा- Red Desert Soil

→वनस्पति- वर्षा की कमी के कारण यहाँ मरुद्भिद्, वनस्पतिया प्राप्त होती हैं जिनके तने मोयदार, पत्तियाँ- काँटों में रुपान्तरित, जडें-अत्यन्त लम्बी तथा गहराई तक प्रविष्ट, वृक्षों की छाल अत्यन्त मोटी या कठोर प्राप्त होती हैं।

→जन्तु- सर्वोच्च दैनिक तापान्तर के कारण जन्तु समूह मुख्य रुप से बिलों में रहने वाले होते हैं क्योंकि मिट्टी या चट्टानों के आन्तरिक भागों में तापान्तर का प्रभाव निम्न हो जाता हैं।

(2) समशीतोष्ण कटिबन्धीय बायोम- 30 0 - 60 0 के मध्य प्राप्त होने वाला बायोम् जिसे 2 वर्गो में विभक्त किया जाता हैं-

1. गर्म समशीतोष्ण बायोम 2. शीत समशीतोष्ण बायोम

गर्म शीतोष्ण बायोम- 30 0 -45 0 के मध्य दोनो गोलार्द्धों में जिसके अर्न्तगत तीन प्राकर का बायोम क्षेत्र आता हैं-

(अ)भूमध्यसागरीय सदाबहार वन बायोम - 30 0 - 45 0 के मध्य दोनो गोलार्द्धों में महाद्वीपों के पश्चिमि भाग पर

→जलवायु- तापमान 10 0 -18 0 सेन्टीग्रड, आर्द्रता- 70%, वर्षा - 100 सेमी (ग्रीष्मकाल शुष्क जबकि शीतकालीन वर्षा)

→वनस्पति- यहाँ पर प्राप्त होने वाली वनस्पतियाँ मोमदार होती हैं जिनके तने तथा पत्तियाँ मोमी पदार्थो से ढके हुए होते हैं इसलिए यह अपने आर्द्रता को ग्रीष्मकाल में भी संचित रख सकती हैं। यहाँ ओक, चेस्टनट, मैपल, जैसी वनस्पतियों की प्रमुखता पायी जाती हैं। जैतून एक अन्य महत्वपूर्ण वनस्पति हैं। इन वनस्पतियों के अलावा यहाँ छोटी-छोटी झाडियों के झुरमुट प्राप्त होते हैं जिन्हें यूरोप में Maqui, कैलिफोर्निया में चैपरल (Chaperal), ऑस्ट्रेलिया में Mallce तथा Mulga कहा जाता हैं।

वर्तमान में इस बायोम प्रदेश में व्यापारिक फलोद्यान कृषि की जाती हैं। यह खट्टे रसीले एलो के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं।

→जन्तु- हिरण, बारहसिंघा, जेब्रा, घोडा, बाघ etc. पाये जाते हैं।

(ब) शीतोष्ण कटि घासभूमि बायोम - 30 0 -45 0 के मध्य दोनो गोलार्द्धों में महाद्वीपों के आन्तरिक भागों पर इसे यूरोप में स्टेपी, उ0 अमेरिका में प्रेपरी, द0 अमेरिका में पम्पास, द0 अफ्रीका में वल्ड तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। न्यूजीलैण्ड में प्राप्त होने वाला तारानाकी तथा कैन्टरबरी का मैदान भी इसके अन्तर्गत आता हैं।

→जलवायु- तापमान - 10-18 0 सेन्टीग्रेड, आर्द्रता- 70%, वर्षा -लगभग 80सेमी ग्रीष्मकालीन परन्तु शीतकालीन में भी आंशिक वर्षा

→मृदा- विश्व की सर्वोत्तम उर्वरता वाली चेरनोजम् जिसमें ह्यूमस की प्रचुरता के कारण रंग काला

→वनस्पति - यह घासभूमि बायोम हैं जहाँ लगभग 6-10 सेमी लम्बाई वाली मुलायम उच्च पोषकता से युक्त हरी घास सम्पूर्ण सतह को आच्छादित करती हैं इसलिए इसे 'कार्पोट लैण्ड बायोम' भी कहते हैं। यत्र-तत्र बिखरे हुए शंकुधारी बनस्पतियाँ या पॉपलर तथा यू0 के0 लिप्टस प्राप्त होते हैं।

→जन्तु- मुख्य रुप से शाकाहारी परन्तु कुछ मात्रा में भालू, बाघ आदि भी प्राप्त होते हैं। समस्या - उच्च उर्वरता के कारण इस प्रदेश के बायोम का विकास कृषि कार्य हेतु किया गया हैं।

(स) शीतोष्ण कटिमिश्रित वन बायोम- यह बायोम 2 भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्राप्त होता हैं-

1. चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र का बायोम 2. ब्रिटिश तुल्य जलवायु क्षेत्र का बायोम

चीन तुल्य जलवायु बायोम-

30 0 -45 0 के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, तापमान 10 0 -18 0 सेन्टीग्रेड, आर्द्रता- 70% , वर्षा- 100 सेमी, सालभर परन्तु ग्रीष्मकाल में अधिक वनस्पति- यहाँ चौडी पत्तीदार तथा शंकुधारी वनस्पत्तियों का मिश्रण पाया जाता हैं।

ब्रिटिश तुल्य जलवायु बायोम-

यह शीत समशीतोष्ण बायोम का अंग हैं। विस्तार- 45 0 -60 0 के मध्य दोनो गोलार्द्धों में, तापमान - 3 0 - 10 0 सेन्टीग्रेड, आर्द्रता - 70% से अधिक वर्षा - सालभर लगभग 100 सेमी, परन्तु शीतकाल में अधिक मृदा - धूसर-भूरी पॉडबॉल (Ash Gray Podzol) वनस्पति - मिश्रित वन बायोम होने के कारण शंकुधारी

के साथ-साथ कुछ तात्रा तके चौडी पत्तिदार वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ मुख्य रूप से पुर, स्प्रूस, सिडार, एल्ब,देवदार, सिल्वर वुड आदि प्राप्त होती हैं। यहाँ विश्व का विशालतम् वृक्ष जाइन्टशिकोहा प्राप्त होता हैं जिसकी उँचाई लगभग 300 फीट से भी अधिक पायी जाती हैं।

जन्तु (दोना) - यहाँ कम तापमान के कारण जन्तु समूहों की प्रचुरता नही हैं परन्तु पर्याप्त मात्रा में षाकाहारी तथा माँसाहारी जन्तु प्राप्त होते हैं।

(3) टैंगा बायोम-इसे बोरियल वन बायोम भी कहा जाता हैं। विस्तार - 60 0 -70 0 के मध्य केवल उत्तरी गोलार्द्ध में । दक्षिणी गोलार्द्ध में इस कटिबंध के मध्य सागरीय क्षेत्र पाये जाने के कारण बायोम की प्राप्ति नही होती।

तपमान - -3 0 से +30 सेन्टीग्रेड,आर्द्रता – 60%, वर्षा- 60 सेमी सालभर, शीतकाल में हिमवर्षा के रूप में, ग्रीष्मकाल में जलवर्षा के रूप में

मृदा- Brown Podzol वनस्पति – अतिनिम्न तापमान के कारण यहाँ मुलायम तने वाली शंकुधारी वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं।

जन्तु - इस क्षेत्र का मुख्य विस्तार उत्तरी कनाडा तथा साइबेरिया क्षेत्र में प्राप्त होता हैं इसलिए यहाँ प्राप्त मुख्य जन्तुओं ध्रुवी भालू, ध्रूवी भेडिया, रेंडियर, कैरीबाऊ आदि हैं। ध्रुवीय भालू विश्व का एकमात्र जीव हैं जोकि Manogams (एक पत्निवृत्ता हैं)

(4) टुंड्रा बायोम- 70 0 -90 0 के मध्य दोनो गोलार्द्धो में इसे ध्रुवीय बायोम भी कहते हैं।

तपमान - -3 0 सेन्टीग्रेड से हमेशा कम (Averge) , आर्द्रता – 60% से कम, वर्षा - 40सेमी से कम, शीतकाल में हिमवर्षा के रूप में

मृदा पर Parmafrostवनस्पति - सदा हिमाच्छिद क्षेत्रों में केवल मॉस एवं लाइकेन प्राप्त होते हैं परन्तु वसन्त ऋतु में हिम के पिघलने से छोटे-छोटे पुष्पयुक्त पौधे जन्म लेते हैं।

जन्तु- यहाँ 2 प्रकार का जन्तु समूह हैं-

1. स्थायी जन्तु समूह (Resident)
2. प्रवसनकारी जन्तु (Migratory)

स्थायी रूप से यहाँ पेंग्विन, सील, वालरस आदि पाये जाते हैं जबकि साइबेरियाई क्रेन, ध्रुवीय भालू, रेंडियर आदि टुंड्रा एवं टैगा प्रदेशों में प्रवास करते रहते हैं।

मानव पारिस्थितिक अनुकूलन जलवायु कटिबन्ध मानव समूह विशेषताएँ आर्थिक गतिविधियाँ भोजन प्हनावा विषुवतीय क्षेत्र

नीग्रो (पिग्मी,सेमांग,सकाई, बोरो)
कद छोटा, रंग काला, बाल घुंघराले
खाद्य संग्रहक एवं आखेटक
मँस का प्रयोग न्यून्तम वस्त्र
मनसूनी जलवायु
मिश्रित मानव समूह
रंग-श्यामल कद-मध्यम
बाल-काले, लहरदार
कृषि कार्य एवं पशुपालन
शाकाहार व माँसाहार
हल्के वस्त्र सम्पूर्ण शरीर को ढके हुए
उष्ण कटि0 मरुभूमि
च्लवासी पशुचारक
कद-लम्बा
क्षरहरा बदन
रंग - भूरा पशुपालन भुने हुए आनाज तथा माँस मोटे कपडो से ढका हुआ बदन समशीतोष्ण कटिबन्ध
मुख्य रूप से काकेसस प्रजाति
रंग-गोरा,
आँखे नीली,
बाल सुनहरे
मुख्य रूप से कृषि कार्य एवं औधोगिक
मँसाहार एवं शाकाहार मोटे ऊनी कपडे
क्षरहरा बदन क्रिया
टैंगा व टुंड्रा कठोर जलवायु के कारण न्यून्तम जनसंख्या
एस्किमो
रंग-पीला, लम्बा, बाल सुनहरे
आखेट एवं खाद्य संग्रहण, मत्स्यन, कृषि माँसाहार मोटे ऊनी कपडो से बना हुआ लबादा

जैव विविधता

जैव विविधता शब्द पहली बार 1986 में रोसेन महोदय ने Forum of Bio-Divercity में दिया था परन्तु इसकी संकल्पनात्मक व्याख्या O. बिल्सन महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

जैव-विविधता से आशय है विश्व मे पायी जाने वाली कुल प्रजातियों की मात्रा या जीवन की विविधता को ही जैव-विविधता कहा जाता हैं। प्रजातियों की प्रचुरता किसी भी पारितन्त्र के सन्तुलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसी आधार पर जैव-विविधता के कुल तीन प्रकार माने जाते हैं-

(1) पारितन्त्र विविधता- किसी एक बायोम प्रदेश या जैव-मण्डलीय क्षेत्र में पाये जाने वाले कुल पारितन्त्र की प्रचुरता ही पारितन्त्र विविधता कहलाती हैं जैसे-

विषुवतीय वर्षा वन प्रवाल भित्तियाँ तथा मैंग्रोव वनों में पारितन्त्र की विविधता उच्च पायी जाती हैं।

(2) प्रजाति विविधता- किसी एक विशिष्ट पारितन्त्र में पाये जाने वाले कुल प्रजातियों की संख्या ही प्रजाति विविधता कहलाती हैं। चूँकि पारितन्त्र के प्रत्येक जैविक घटक एक-दूसरे से खाद्य ऊर्जा के रूप में अर्न्तसम्बधिंत रहते हैं इसलिए जिस पारितन्त्र में प्रजाति विविधता उच्च पायी जाती हैं वह अधिक स्थायी माना जाता हैं।

(3) अनुवांशिक विविधता- किसी एक प्रजाति विशेष में पायी जाने वाली कुल अनुवांशिक प्रचुरता संख्या को अनुवांशिक विविधता कहते हैं जैसे छत्तीसगढ बेसिन में चावल की सर्वाधिक अनुवांशिक विविधता पायी जाने के कारण ही इसे Rice Bowl of India कहते हैं। आनुवांशिक विविधता के आधार पर उपप्रजातियों की गणना की जाती हैं जैसे यदि बाघ के अनुवांशिक विविधता की गणना की जाती हैं जैसे यदि बाघ के अनुवांशिक विविधता की गणना करना हैं तो हमे तीन महत्वपूर्ण उपप्रजातियाँ प्राप्त होती हैं-

(अ) रॉयल बंगाल टाइगर (ब) अफ्रीकन टाइगर (स) साइबेरियन टाइगर आदि।

जैव विविधता के मापन- जैव विविधता का मापन तीन आधारों पर किया जाता हैं जिसकी गणना हम निम्नलिखित रूपों में करते हैं-

अल्फा Diversity- इसके अन्तर्गत किसी प्रदेश विशेष में पायी जाने वाली प्रजातियों की संख्या का वर्णन करते हैं।

बीटा Diversity- इसमें प्रजातियों की आपसी संरचना या संरचनात्मक विविधता का वर्णन करते हैं।

गामा Diversity- इसके अन्तर्गत पारितन्त्र की विभिन्न प्रजातियों के यह के अर्न्तसम्बन्ध का अध्ययन किया जाता हैं।

Magnitude of Bio-Diversity (जैवविविधता के परिणाम)-

प्रिणाम के अन्तर्गत विश्व तथा भारत में प्राप्त होने वाली कुल जैव विविधता की बात की जाती हैं इसका वर्णन हम 2 वर्गो के अन्तर्गत करते हैं-

(1) वैश्विक जैवविविधता (2) भारतीय जैव-विविधता

वैश्विक जैव- विविधता को उसकी प्रचुरता तथा न्यूनता के आधार पर हम निम्नलिखित वर्गो में विभक्त करते हैं-

Extreme Bio-dirercity Region-

(1) विषुवतीय वर्षा वन- उच्च सूर्यातप तथा उच्च आर्द्रता के कारण प्रथ्वी की सर्वाधिक जैवविविधता यही पायी जाती हैं। यहाँ विश्व का सर्वाधिक पादप एवं जन्तु समूदाय प्रापत होता हैं।

(2) प्रवाल भित्तियाँ- महासागरों में प्रवाल भित्तियों के समीप विश्व की द्वितीय सर्वोच्च जैव-विविधता प्रापत होती हैं। इसलिए इन्हे सागरीय वर्षा वन का दर्जा दिया गया हैं।

(3) मैंग्रोव वन- मैंग्रोव वन क्षेत्रों एक महत्वपूर्ण ecotone हैं जिसे edge-effect के कारण स्थलीय तथा जलीय पादप एवं जन्तु समुदाय की विशेषताएँ प्राप्त हैं यहाँ जन्तुओं में उभयचर वर्ग तथा विभिन्न प्राकर के सरीसृप की प्रचुरता प्राप्त होती हैं।

(4) ज्वरनद मुख- ज्वरनदमुख में स्वच्छ जल एवं लवणीय जल दोनो की उपलब्धता पायी जाती हैं इसलिए इसे भी ecotone का दर्ज प्रापत हैं। High Bio-diversity- इसके अन्तर्गत शीतोष्ण वन तथा घास भूमियाँ आती हैं।

ष्शीतोषण कटिबन्धीय वनों को मिश्रित वनों के अन्तर्गत रखा जाता हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के शाकाहारी एवं मांसाहारी जनतुओं की प्रधानता होती हैं परन्तु छोटे-मोटे सूक्ष्म जीव या अपघटकों की मात्रा सापेक्षिक रूप से कम पायी जाती है। घास भूमियाँ 2 प्रकार की हाती हैं-

सवाना वासभूमि तथा शीतोष्ण कटि0 स्टेपी घास भूमि। इनदोनो क्षेत्रो में पादप समुदाय की विविधता सापेक्षिक रूप से कम हैं परन्तु जंतु समुदाय की संख्या एवं विविधता उच्च पायी जाती हैं।

Medium Bio-diversity- मध्यम विविधता वाले क्षेत्रों में टैगा वन तथा उपध्रुवीय प्रदेशो में प्राप्त वनों को सम्मलित किया जाता हैं। टैगा वनों में मुख्य रूप् से शंकुधारी वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं जबकि जन्तु समूह समरहारी (ferbaring) प्राप्त होते हैं।

How Diversity- उष्ण कटिबंधिय मरुभूमियाँ तथा ध्रुवीय हिमाच्छादित क्षेत्रों में विश्व की न्यूनतम जैव विविधता पायी जाती हैं।

भारतीय जैव विविधता भारतीय जैव विविधता को 4 विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता हैं-

प्रायद्वीपीय जैव विविधता- भारत की सर्वाधिक जैव-विविधता प्रायद्वीपीय पठार तथा पहाडियों के साथ-साथ तटीय मैदानों में प्राप्त होती हैं जैसे पश्चिमी घाट में नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व के अन्तर्गत आने वाली शान्त घाटी (केरल) भारत की सर्वोच्च जैव-विविधता का केन्द्र हैं। यहाँ सदाबहार वनस्पतियों से लेकर सवाना घास भूमि तक प्राप्त होती हैं।

मलायन जैव-विविधता- पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रो तथा घाटी प्रदेशो में प्राप्त होने वाली विविधता इसके अन्तर्गत आती हैं जहाँ पूर्वी हिमालय Hotspot तथा

Indo-Vermin Hotspot के क्षेत्र सम्मिलित किये गये हैं।

लगभग 200सेमी. की वर्षा तथा सालभर उच्च तापमान के कारण इस प्रदेश में लगभग 3,000 प्रकार की स्थानीय पादप प्रजातियाँ प्राप्त होती हैं जहाँ चौडी पत्तीदार सदाबहार वनों से लेकर शंकुधारी वनस्पतियाँ भी प्राप्त होती हैं।

यूरोपियन जैव-विविधता- पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली शंकुधारी वनों की विविधता यूरोपियन जैव-विविधता कहलाती हैं। यहाँ गिर-पादीय क्षेत्र में मिश्रित वन प्राप्त होते हैं।

इथोपियन जैव-विविधता- भारत के मरुभूमि प्रदेश में पायी जाने वाली जैव-विविधता इथोपियन जैवविविधता कहलाती हैं यहाँ भारत की न्यूनतम जैव-विविधता प्राप्त हैं।

जैव विविधता के लाभ- जैव-विविधता के लाभें को 2 वर्गो में प्रथक करते हैं-

(1) प्रत्यक्ष लाभ (2) अप्रत्यक्ष लाभ

प्रत्यक्षः- भोजन सामग्री, उद्योग के लिए कच्चा माल, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकडियाँ, ईंधन, रेशा (faber) etc.

अप्रत्यक्षः- पारितन्त्र की क्रियात्मकता को बनाये रखने में, म्रदा उर्वरता को बनाये रखने में, गैसीय चक्र को बनाये रखने के लिए, जलीय चक्र को बनाये रख्खा ने के लिए, सौन्दर्य परक महत्व, नैमिकता को बनाये रखने में, धार्मिक अर्था में etc.

जैवविविधता की हानिः- जैव विविधता की हानि को हम 2 वर्गो में रखकर देखते हैं-

(1)प्राकृतिक कारण- जंगल की आग-जंगल की आग एक प्राक्रतिक परिघटना हैं जिसके कारण कुछ ही समय में हजारों की संख्या में जैवविविधता का विनाश हो जाता हैं। वैज्ञानिको का अनुमान हैं प्रत्येक घण्टे में प्राकृतिक कारणों के प्रभाव से लगीग 600 से अधिक जलैवविविधता का विनाश हो रहा है। वर्तमान में वैश्विक तापमान की परिघटना, जंगल के आग की प्रव्रत्ति को बढा दिया हैं जिसके लिए अप्रेत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाकलापों को जिम्मेदार माना जा रहा हैं।

(2) चक्रवात- तटीय प्रदेशों में उष्ण कटिबन्धीय चक्रवातो द्वारा व्यापक तबाही लायी जाती है जिसमे की व्यापक हानि के साथ तटीय पारितन्त्र भी छिन्न-भिन्न हो जाता हैं।

(3) बाढ एवं सूखा-

(4) भूकम्प एवं भूस्खलन-

(5) विभिन्न प्रकार की महामारियाँ- प्राकृतिक कारणों से वनस्पतियों तथा जन्तुओं में विभिन्न प्रकार के सुक्ष्म कीटों का प्रकोप वनस्पति समुदाय को विनष्ट कर देता हैं जैसे प्रायद्वीपीय भारत में सागो तथा पूर्वोत्तर भारत में बाँस में कीटों के प्रकोप से नये पौधों का विकास अव हो रहा हैं तथा पुराने वृक्षों के तनों में अवांछित छिद्र कर दिया जा रहा हैं।

(6) विदेशी प्रजातियो का आक्रमण/प्रवेश- वैश्विक स्तर पर जैव-विविधता विनाश में विदेशी प्रजातियों का चौथा महत्वपर्ण स्थान हैं। भारतीय पूर्वी हिमालय में स्थानीय पादप प्रजाति के विनष्ट होने में इसके त्रतीय सर्वाधिक भूमिका हैं।

विदेशी पादप तथा जन्तु समुदाय स्थानीय प्रजातियो के साथ प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिक्रिया करता हुआ स्थानीय प्रजातियों का विनष्ट कर देता हैं।

(2) मानव जनित कारक- आवास विनाश- निर्वनीकरण क्रिया, अति पशु चारण, झूम कृषि, मानवीय आग, मानव द्वारा लायी गई विदेशी प्रजातियाँ, अवैध शिकार, आवास विशण्डन, ग्रीन हाउस गैसो का उत्सर्जन।

जैव विविधता संरक्षण-

प्राकृतिक तथा मानवजनित कारकों के प्रभाव से होने वाली जैव विविधता हानि को बचाये जाने के लिए किये गये उपाय जैव विविधता संरक्षण के अन्तर्गत आते हैं।इन उपायों को 2 वर्गो में विभक्त किया जा सकता हैं-

(1) स्व स्थानिक संरक्षण (In-situ Conservation)

(2) परा स्थानिक संरक्षण (Ex-situ Conservation)

स्थानिक संरक्षण में जैव समुदाय का संरक्षण उसके उत्पति क्षेत्र पर ही किया जाता हैं जैसे- वन जीव अभ्यारण, राष्ट्रीय पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व (जैव मण्डल आरक्षण) सामुदायिक आर्थिक क्षेत्र, पवित्र वन/उपवन।

जबकि परा स्थानिक संरक्षण के अर्न्तगत जैव-विविधता को जन्तु या पादप के उत्पति क्षेत्र से प्रथक स्थान पर संरक्षित करने का प्रयास किया जाता हैं। जैसे- Zoological Park, Botanical Gardn, सीड बैंक, जीन बैंक

Wild life century (600) National Park (105) Bio-sphere Reserve (18)

किसी प्राणि या पादप प्रजातिके संरक्षण के लिए बनाये जाते हैं। राष्ट्रीय पार्क में साम्पूर्ण पादप एवं जन्तु समुदाय का संरक्षण किया जाता हैं।

ठसमें सम्पूर्ण पारितन्त्र का संरक्षण किया जाता हैं। यह संरक्षित वनो के अर्न्तगत आते हैं जिनमे वन अधिकारी

की अनुमति से सीमित मानवीय हस्तक्षेप सम्भव हैं। यह पूर्ण आरक्षित हैं अर्थात् मानवीय हस्ताक्षेप सम्भव नही इनमें भी मानवीय हस्ताक्षेप पूर्णतः वर्जित हैं। इसका मण्डलीकरण नहीं किया जाता। यह 2 मण्डलों में विभक्त रहता हैं।

यह तीन मण्डालो में विभक्त होगा- कोर, कर Transinal Zone

इसका क्षेत्र विस्तृत होता हैं। समित एवं विस्तृत दो हो सकता हैं। यह सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल पर होते हैं।इनके निर्माण की घोषणा प्रकाशन राज्य राजपत्र में की जाती हैं। इसकी घोषणा राज्य व केन्द्र दोनो कर सकती हैं किन्तु प्रकाशन राज्य गजट में होता हैं। केन्द्र सरकार द्वारा घोषणा व प्रकाशन किया जाता हैं। इनका संरक्षण राज्य वन अधिकारी द्वारा किया जाता हैं। राज्य वन अधिकारी द्वारा केन्द्रीय वन अधिकारी द्वारा। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता या पारितन्त्र के संरक्षण हेतु निम्नलिखित तीन विवियों का प्रयोग किया जाता हैं-

(1) बायोस्फेर रिजर्व (2) Hot-Spot (3) Waitland Conservation

(1) **बायोस्फेर रिजर्व-** पारितन्त्र के संरक्षण के उद्देश्य से 1971-72 में यूनेस्को द्वारा बायों-स्फेयर रिजर्व की स्थापना की गई। जिसे 1974 में Man and Bio-sphere Reserve कर दिया गया।

→ **Critarial Of B.S.R.-**

1 सम्बन्धित क्षेत्र उच्च जैव विविधता से युक्त होना चाहिए।

2 सम्बन्धित क्षेत्र को जैव विविधता के संरक्षण की व्यपक आवश्यकता हो।

3 सम्बन्धित क्षेत्र विशिष्ट मानव संस्कृति का केन्द्र हो।

4 सागर के सन्दर्भ में सम्बन्धित क्षेत्र प्रवाल भित्तियों से युक्त होना चाहिए।

→**उद्देश्य-**

1 सम्बन्धित क्षेत्र के पारितन्त्र का संरक्षण या किसी दुर्लभ पादप या जन्तु समुदाय का संरक्षण।

2 विशिष्ट मानव संस्कृति प्रदेश का संरक्षण।

3 मानव एवं पर्यावरण के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बनध की स्थापना।

4 पर्यावरण के प्रति मानवीय चेतना की जाग्रति।

5 पर्यावरण शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण-कार्यो को बढावा देना।

→Zoning Of B.S.R.-जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र तीन संकेन्द्रय पेटियों में विभक्त होता हैं-

(1) Core Zone- यहाँ किसी भी प्रकार का मानवीय हस्ताक्षेप निषिद्ध होते हैं केवल अधिकारी की मदद से संकटग्रस्त प्राणि या पादप के संरक्षण कया रक्षा के लिए चिकित्सकों या वैज्ञानिको का समूह प्रवेश कर सकता हैं।

(2) Buffer Zone- यह कोर जोन का बाहरी भाग होता हैं जहाँ पर्यटन शिक्षण, प्रशिक्षण तथा विभिन्न प्रकार के शोध कार्य किये जा सकते हैं परन्तु स्थायी आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नही हैं।

(3) Transitional Zone - यह BSR का सबसे बाहरी भाग हैं जहाँ पर्यटकों के लिए आवासीय ग्रह, जलपान ग्रह तथा शिक्षार्थीयों के लिए विभिन्न प्रकार के आवास निर्मित किये जा सकते हैं। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाता हैं कि पारितन्त्र संरक्षित रह सके। इस क्षेत्र में कृषि कार्य भी संभव हैं परन्तु वाणिज्यिक कृषि या व्यापारी पशुपालन क्रिया संभव नही हैं। उधोगो की स्थापना नही की जा सकती केवल वेसे उद्योग ही स्थापित या संचालित किये जा सकते हैं जोकि वनो के गोड अत्पादों पर आधारित हो तथा कुटीर उद्योगो के अर्न्तगत आते हो।

भारत में वर्तमान में 18 BSR घोषित हैं जिसमें से मन्नार की खाडी BSR सागरीय हैं।

जैव विविधता तप्त स्थल-

यह संकल्पना Noyman Mayer महोदय द्वारा दी गई थी परन्तु 2004 में Mitterland महोदय ने इस संकल्पना में संशोधन किया। इनके अनुसार जैवविविधता तप्तस्थल उन क्षेत्रो को निर्धारित किया जायेगा जोकि निम्नलिखित मानकों को पूरा करता हैं-

(1) सम्बन्धित क्षेत्र में विश्व में ज्ञात कुल 3,00,000 प्रजातियों में से 0.5% प्रजाति स्थानीय हो या स्थानीय प्रजाति की कुल संख्या कम से कम 1500 पायी जाती हैं।

(2) कुल उपलब्ध स्थानीय प्रजातियों में से 70% या इससे अधिक का विनाश हो चुका हो।

(3) शेष बची हुई प्रजातियों में से अत्यन्त संकटापन्न अवस्था में हो या दुर्लभ श्रेणी में आती हो।

डपर्युक्त दशाओं से युक्त क्षेत्र को Hotspot का दर्जा दिया जाता हैं। भारत में विश्व के कुल 34 Hotspot में से 4 Hotspot पाये जाते हैं-

(1) हिमालयन हॉटस्पोट (2) इण्डो-वर्मा हॉटस्पोट (3) पश्चिमी घार-श्रीलंका हॉटस्पोट (4) लक्ष्यद्वीप सुण्डा हॉटस्पोट

(1) **हिमालयन हॉटस्पोट-** पूर्वी तथा पश्चिमी हिमालय में लगभग 4,000 प्रकार की स्थानीय पादप प्रजातियाँ

प्राप्त होती हैं तथा उष्ण कटि0 जलवायु से लेकर ध्रुवीय टुंड्राजलवायु की विशेषताओं वाली वनस्पतियाँ एवं जन्तु समूह की उपलब्धता हैं परन्तु-

1 लगभग 10 मिलियन लोगो का आवासा

2 पशु पालन व झुम कृषि

3 सूक्ष्म से लेकर ब्रहद औधोगिक अवस्थिति

4 विदेशी प्रजातियों का प्रवेश

5 स्थानीय आधारभूत संरचना निर्माण

6 भूकम्प तथा भूस्खलन

7 श्रोपण कृषि के प्रभाव से जैव विविधता का व्यापक विनाश हुआ हैं।

(2) इण्डो-वर्मा हॉटस्पोट- यह हॉटस्पोट पूर्वोत्तर भारत में किनम्नवर्ती असम घाटी, पूर्वांचल पहाडियों, मेघालय पढार तथा त्रिपुरा मैदान में विस्तृत हैं यहाँ 2,500 से अधिक प्रकार की स्थानीय पादप प्रजातियाँ

प्राप्त होती हैं परन्तु-

1 मानसून काल में उच्च वर्षा से उत्पन्न बाढ

2 अन्तरामानसून काल में सूखा

3 झूम कृषि तथा अत्यधिक निर्वनीकरण के कारण स्थानीय जैवविविधता का अत्यधिक विनाश हुआ हैं।

(3) पश्चिमी घार हॉटस्पोट- प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर के तट पर अवस्थित होने के कारण पश्चिमी घाट भारत की सर्वाधिक वर्षा करती हैं। सालभर उच्च तापमान के कारण यहाँ सदाबहार वनस्पतियों से लेकर आर्द्र एवं शुष्क मानसुनी वन प्राप्त होते हैं इसलिए 3,000 से अधिक प्रकार की पादप प्रजातियाँ प्राप्त होती हैं परन्तु-

1 सम्पूर्ण पश्चिमी घास तमिलनाडु तम विभिन्न भागों में लौह-अयस्क, मैंग्नीज, बॉक्साइट, चूना-पत्थर,ग्रेनाइट पत्थर, संगमरमर की प्राप्ति के कारण सैंकडो की सख्या में खनन केन्द्र अवस्थित हैं।

2 धात्विक तथा अधात्विक खनिजों पर आधारित उद्योगों के साथ-साथ वन उत्पाद आधारित उद्योगों का भी संकन्द्रेण पाया जाता हैं।

3 विभिन्न जनजातियों द्वारा उच्च मात्रा में प्शुचारण कार्य किया जाता हैं।

4 विभिन्न प्रकार की इमारती लकडियों तथा औषधि प्रयोग के पादपों का अवैध निर्वनीकरण कियचा जारहा हैं।

5 कॉफी, चाय, काजू तथा विभिन्न प्रकार के मसालों के उत्पादन के उद्देश्य से की जा रही रोपण कृषि के कारणध भी जैव विविधता का प्रचुर विनाश हुआ हैं।

पश्चिमी घास के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 2010 में किया इसने अपनी सिफारिशें 2012 में प्रस्तुत की जिसमें पश्चिमी घाट में स्थापित उद्योगो को हटाये जाने तथा क्रमिक रूप से खनन क्रिया बन्द किये जाने से सम्बन्धित सुझाव थे। सुझाव पर व्यपक विरोध के कारण पुनः कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई इसने अपने सुझाव 2014 में प्रस्तुत किये जिसपर भी व्यापक जन-विरोध किया गया हैं।

(4) लक्ष्यद्वीप सुण्डा हॉटस्पोट- लक्ष्यद्वीप को कुछ समय पूर्व ही हॉटस्पोट की श्रेणी में सम्मिलित किया हैं यहाँ सागरीय तथा मानसूनी जलवायु के कारण प्रचुर कात्रा में वर्षा-वनों की प्राप्ति होती हैं जोकि सदाबहार तथा अर्द्ध-सदाबहार प्रकृति के हैं।

वैश्विक तापमान के प्रभाव से सागर जल-तल परिवर्तन, चक्रवातीय वर्षा, सुनामी आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से स्थानीय वनस्पतियाँ विनष्ट हो रही हैं तथा यहाँ कई दुर्लभ किस्म की वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं इसलिए इसे हॉटस्पोट की श्रेणी में रखा गया हैं।

भारत का पश्चिमी घाट भारत में ही नही बल्कि विश्व के सर्वाधिक जैवविविधता का केन्द्र हैं जहाँ

विभिन्न प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियाँ एवं सूक्ष्म जीव पाये जाते हैं जिनके अस्तित्व पर संकट छाया हुआ हैं इसलिए इसे हॉटेस्ट हॉटस्पोट की श्रेणी में रखा हैं।

भारत में 15,000 से अधिक प्रकारा के पादप एवं जन्तु प्रजातियाँ प्राप्त होते हैं इसलिए भारत Mega Bio-diversity nation भी कहलाता हैं।

आर्द्रभूमि संरक्षण- 1971 में यूनाइटु नेशन के तत्वाधान में ईरान के रामसर नामक स्थान पर किया गया सम्मेलन में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु प्रतिबध्यता जतायी गई भारत इसका संस्थापक राष्ट्र हैं। सचिवालय स्विटजरलैण्ड के ग्लाण्ड (glande) नामक नगर में हैं। प्रत्येक तीन वर्षा में सदस्य राष्ट्रों द्वारा भिन्न-भिन्न देशा में सम्मेलन किया जाता हैं प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को 'International Conservation Day' के रूप में मनाया जाता हैं।

इसके अर्न्तगत आर्द्रभूमियों के निर्धारण के निम्नलिखित मानदण्ड सुनिश्चित किये गये-(1) सम्बन्धित जल क्षेत्र, स्थिर, गतिशील, स्वच्छ, लवणीय हो सकता हैं।

(2) जल आवरण क्षेत्र विस्तार कम से कम तीन हेक्टेयर होना चाहिए।

(3) वर्ष के 6 महिनों में कम से कम 6 सेमी जलतल प्राप्त होना चाहिए।

(4) सागर के सन्दर्भ में जल की गहराई निम्न ज्वार के समय अधिक से अधिक 6 मी0 होनी चाहिए।
(5) वह जल क्षेत्र जो किसी विशिष्ट या दुर्लभ पादप या जन्तु समुदाय का संरक्षण करता हो।
(6) वह जल क्षेत्र जोकि भूमिगत जलतल तथा वायुमण्डलीय आर्द्रता बनाये रखने में मदद करता हो।
(7) वह जल क्षेत्र जो प्रवासी पक्षियों के मार्ग में अवस्थित हो या विश्व के कुल पक्षी प्रजातियों में से 1% प्रजाति को आश्रय प्रदान करता हो या दुर्लभ, विशिष्ट प्रकार की स्थानीय या प्रवासी पक्षियों के प्रजनन का केन्द्र हो।
(8) मतस्य विकास की प्रचुर सम्भावना से युक्त हो।
(9) म्रदा संरक्षण तथा बाढ की विभीषका को कम करने में मदद करता हो इन्हे आर्द्र भूमियों के रूप् में चिन्हित किया जा सकता हैं।

भारत में वर्तमान में कुल 26 आर्द्रभूमियाँ निर्धारित की गई है जिनमें से पर्वतीय झीले, मेदानी झीलें, दलदलीय ग्रदेश तथा लैगून झीलों को सम्मिलिति किया गया है।

भारत में जैव-विविधता संरक्षण के लिए किये गये प्रयास- वन तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए भिन्न-भिन्न प्रयास किये गये-

वन्य जीव संरक्षण-(1) प्रोजेक्ट टाइगर- 1972 भारत में अबतक कुल 50 टाइगर रिजर्व,

अध्याय – 2
मानव अधिकार

मानवाधिकार क्या है:-

प्राकृतिक अधिकार जो मानव को जन्म लेते ही प्राप्त होता है उसे हम मानव अधिकार कहते है. दुसरे शब्दों में एसे अधिकार जो प्रतेक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते है उसे हम मानव अधिकार कहते है. जैसे;

भोजन, वस्त्र, आवास आदि. मनवा अधिकार में आमलोगों को बेहतर और सुरक्षित जीवन के लिए कुछ मुलभुत अधिकार दिए गए है. पुलिसकर्मी आपने कर्तव्य के कर्म में प्राय: एसी गलतिय कर बैठते है जिससे लोगो के मानवाधिकार का हनन हो जाता है

मानवाधिकार (What are Human Rights)

- मानवाधिकार की स्थापना 2 अक्तूबर 1993 में हुई। जिसके उद्देश्य नोंकरशाही पर रोक लगाना, मानव अधिकारों के हनन को रोकना तथा लोक सेवक द्वारा उनका शोषण करने में अंकुश लगाना।
- मानवाधिकार की सुरक्षा के बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी खोखली है मानवाधिकार की लड़ाई हम सभी की लड़ाई है। विश्वभर में नस्ल, धर्म, जाति के नाम मानव द्वारा मानव का शोषण हो रहा है। अत्याचार एवम जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं।
- हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात् धर्म एवम जाति के नाम पर भारतवासियों को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। आदमी गौर हो या काला, हिन्दू हो या मुस्लमान, सिख हो या ईसाई, हिंदी बोले या कोई अन्य भाषा सभी केवल इंसान हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानवाधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है।
- मानव अधिकार का मतलब ऐसे हक़ जो हमारे जीवन और मान-सम्मान से जुड़े हैं। ये हक़ हमें जन्म से मिलते हैं, हम सब आज़ाद हैं। साफ़ सुथरे माहौल में रहना हमारा हक़ है । हमें इलाज़ की अच्छी सहूलियत मिले। हमें और हमारे बच्चों को पढाई-लिखाई की अच्छी सहूलियत मिले। पीने का पानी साफ मिले। जाति, धर्म, भाषा-बोली के कारण हमारे साथ भेदभाव न हो।
- हमें हक़ है की हम सम्मान के साथ रहें। कोई हमें अपना दस या गुलाम नहीं बना सके। प्रदेश में हम कहीं भी बेरोकटोक आना-जाना कर सकते हैं। हम

बेरोकटोक बोल सकते हैं, लेकिन हमारे बोलने से किसी के मान-सम्मान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें आराम करने का अधिकार है। हमें यह तय करने का अधिकार है की हमारे बच्चे को किस तरह की शिक्षा मिले।

- हर बच्चे को जीने का अधिकार है, उसे अच्छी तरह की शिक्षा मिले। यदि हमें हमारा हक़ दिलाने में सरकारी महकमा हमारी मदद नहीं कर रहा है तो हम मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। आयोग में सीधे अर्जी देकर शिकायत कर सकते हैं।
- इसके लिए वकील की जरूरत नहीं है। शिकायत किसी भी भाषा या बोली में कर सकते हैं हिंदी में हो तो अच्छा है। शिकायत लिखने के लिए कैसे भी कागज़ का इस्तेमाल करें, स्टैंप पेपर की कोई जरूरत नहीं होती। आयोग के दफ्तर में टेलीफोन नम्बर पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं

मानव अधिकार की टीम के द्वारा किये गये लगातार समाज से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य -

1. सभी गरीब बच्चों, महिला, बुजुर्ग व विक्लांग व्यक्तियों के लिऐ समान शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य जांच कैम्प लगाना और दवाईयां तथा उपकरण उपलब्ध कराना।
2. सामाजिक बुराई के खिलाफ पहल करना और बुलंद आवाज उठाना तथा पीड़ितों को बुराई से निज़ात दिलाना।
3. बाल व बन्धुआ मजदूरी के अत्याचार से मुक्ति दिलाना।
4. बच्चों, महिलाओं तथा बुजुर्गो की रक्षा के लिये काम करना।
5. समाज के लिये योगदान करने वाली हस्तियों को समय-समय पर पुरुस्कृत करके उनका सम्मान करना।
6. समाज व हर वर्ग के लोगो के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।
7. जनता तथा पुलिस के बीच में सहयोग का पुल बनाना तथा पीड़ितों को न्याय दिलाना।
8. नए शिक्षा संस्थान, अस्पताल व अनाथ आश्रम खोलना और अन्य आश्रमों की देख-रेख करना।
9. भ्रूण हत्या पर हर सम्भव रोक लगाना व उनके खिलाफ आवाज उठाना।
10. हर वर्ग के कमज़ोर व्यक्ति को समाज में न्याय दिलाना।

मानवाधिकार की जरुरत क्या है

1. शारीरिक स्वतंत्रता के लिए.
2. गिरफ्तारी व अन्य वेवजह रोककर रखने के प्रविर्ती में मुक्ति के लिए.
3. मनुष्य के आत्म सम्मान को बचाकर रखने के लिए.
4. न्याय के रक्षा के लिए.
5. मनुष्य के मौलिक अधिकारों को बचके रखने के लिए.
6. जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए.
7. अधिकारों के अतिकर्मन को रोकने के लिए.
8. रास्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय गौरव एवं शांति बनाने के लिए,
9. मानव के सर्वांगीण विकाश के लिए,

मानवाधिकार को बचाए रखने के लिए पुलिस को को क्या नहीं करना चाहिए

गिरफ्तारी के समय -

i. अनावश्यक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए.
ii. गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त तथा उसके परिवारजनों के साथ गली गलौज नहीं करना चाहिए.
iii. मारपीट व अन्य अमन्वीय व्यवहार नहीं करना चाहिए.
iv गलत गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए.
v. अनावश्यक रोक कर नहीं रखना चाहिए.
vi. गिरफ्तार व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुचने का प्रयास नहीं करना चाहिए.
vii. व्यक्तिगत फायदे के लिए गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध अनावश्यक करवाई नहीं करनी चाहिए.

तलाशी के समय -

i. तलाशी के समय स्थान के मालिक या व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चैये.
ii. सामान्य स्तिथियों में रात्रि कल में तलाशी नहीं लेना चाहिए.
iii. किसी भी जगह अनधिकृत प्रवेश नहीं करना चाहिए.
iv. महिला एवं बच्चो के साथ दुर्व्यहर नहीं करना चाहिए.
v. किसी भी संदिग्ध या वांछित वास्तु के आलावा उस जगह की अन्य वस्तुओ के साथ छेड़ छड या उठाने की कोसिस नहीं करना चाहिए.- जप्ती सूचि में दर्ज किये वैगर सामग्रियों को नहीं उठाना चाहिए.

गिरफ्तारी एवं तलाशी के दौरान पुलिस को क्या क्या करना चाहिए(to protect human right police should do following while search and arrest)

गिरफ्तारी के दौरान:

i. गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को गिरफ्तारी

का कारन बताना चाहिए.
ii. उसको जमानत सम्बन्धी सुचना देना चाहिए.
iii. गिरफ्तारी के बाद अपराधी का डाक्टरी जाँच करना चाहिए.
iv. 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायलय में पेश करना चाहिए.
v. महिला, बच्चो, बीमार तथा वृद्ध व्यक्तियों का ध्यान रखना चाहिए.
vi. गिरफ्तारी एवं विरोध के सम्बन्ध में अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन करना चाहिये.
vii. न्यायालयों द्वारा जरी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए.

तलाशी के दौरान:
i. कानूनी प्रावधानों का पालन करना चाहिए.
ii. तलाशी के समय मकान मालिक को तलाशी का कारण बताना चाहिए.
iii. जप्त किये गए सामानों की सही सही सूचि बनाकर उसकी एक प्रति मकान मालिक को देनी चाहिए.
iv. घर या बंद स्थान की तलाशी के क्रम में किसी महिला की तलाशी महिला पुलिस या दुसरी महिला के द्वारा ही होनी चाहिए
v. अन्य स्तिथि में महिला की शालीनता का पूर्ण ख्याल करना चाहिए.

रोजगार व्यवस्था करवाना व् क़ानूनी मदत देना:- एक बार रोटी देकर किसी की भूख केवल एकबार मिटाई जा सकती है इस लिए संगठन मानव कल्याण हेतु सभी को रोजगार उपलब्ध करवाना हमारा मकसद है ताकि व्यक्ति किसी की मदत का मोहताज ना हो वह सक्षम हो खुद की मदत करने में ओर कानून की जानकारी हर व्यक्ति को हो इसके लिए संगठन समय समय पर केंडर कैम्प लगाता है लोगों को कानून के प्रति जागरूक करने के लिए व् समय समय पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए युवाओ को खेल जगत, मिडिया जगत,शिक्षा एवं टेक्नोलॉजी इत्यादि विभागों में मंच उपलब्ध करवाता है व् संगठन के द्वारा समय समय पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है जिस से मानव जाति को नशे से दूर रखा जा सके इसलिए लिए मेडिकल चेकप कैम्प भी लगाये जाते है लोगों को फ्री मेडिकल चेकप की सुविधा दी जाती है व् बहुत कम कीमतों पर बड़ी से बड़ी बीमारी की दवाइयां व् इलाज उपलब्ध करवाया जाता है संगठन लोगों को् देश भक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को प्रेरित भी करता है

क्या नहीं करना चाहिए;(to protect human right police should avoid following while search and arrest)
i. आम आदमी के साथ अभद्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए.
ii. गिरफ्तारी के समय अनावश्यक बल प्रयोग नहीं करना चाहिए.
iii. गिरफ्तारी के समय आपराधि एवं उसके परिवार के लोगो के साथ गली गलौज नहीं करना चाहिए.
iv. गलत आदमी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए..
v. गिरफ्तार व्यक्ति का प्रतिष्ठा का ठेस नहीं पहुचना चाहिए.
vi. व्यक्तिगत दुश्मनी या किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए.
vii. पद या वर्दी का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए.
viii. सामान्य स्तिथि में रात्रि कल में तलाशी नहीं लेना चाहिए.
ix. किसी जगह में अनाधिकार प्रवेश नहीं करना चाहिए.
x. किसी व्यक्ति को लाकअप में हथकड़ी नहीं लगनी चाहिये

मानवाधिकार संबंधी पूछताछ और शिकायत

Enquiries and Complaints - Hindi translation

भेदभाव और उत्पीड़न

मानवाधिकार आयोग भेदभाव तथा नस्लवादी और यौन-उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक निःशुल्क, अनौपचारिक पूछताछ व शिकायत सेवा उपलब्ध कराता है।

भेदभाव की घटना तब मानी जाती है जब समान परिस्थितियों के तहत किसी व्यक्ति के साथ अन्य लोगों की तुलना में अन्यायपूर्ण या कम स्वीकारात्मक तरीके से व्यवहार किया जाता है।

अगर आपको ऐसा लगे कि आपके साथ भेदभाव-पूर्ण व्यवहार किया गया है, तो आप इसके बारे में मानवाधिकार आयोग से शिकायत कर सकते हैं। यह आयोग परामर्श और सूचना प्रदान कर, और यदि जरुरी हो तो आपकी शिकायत में मध्यस्थता प्रदान कर के सहायता उपलब्ध करा सकता है।

मानवाधिकार नियम के तहत निम्नलिखित कारणों के आधार पर भेदभाव करना गैर-कानूनी माना जाता है:

- लिंग - जिसमें गर्भधारण और शिशु-जन्म शामिल है; तथा यौनान्तरण-लिंगी (transgender) और अन्तर्लिंगी (intersex) व्यक्तियों के प्रति उनके लिंग या लैंगिक-पहचान के कारण भेदभाव शामिल है
- वैवाहिक स्थिति – जिसमें विच्छेदित विवाह और सिविल यूनियन शामिल है
- धार्मिक विचारणा – परंपरागत या मुख्य-धारा धर्मों तक सीमित नहीं है
- नैतिक विचारणा – किसी प्रकार का धार्मिक विश्वास न रखना
- त्वचा का रंग, नस्ल, या प्रजातीय या राष्ट्रीय मूल – जिसमें राष्ट्रीयता या नागरिकता शामिल है
- विकलाँगता – जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक विकलाँगता या बीमारी शामिल है
- आयु – 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आयु के आधार पर भेदभाव से संरक्षण प्राप्त है
- राजनैतिक विचारणा – जिसमें कोई भी राजनैतिक विचारणा न रखना शामिल है
- रोज़गार की स्थिति – बेरोज़गार होना, कोई लाभ प्राप्त करना या ACC पर निर्भर होना। इसमें कार्यरत होना या राष्ट्रीय पेंशन प्राप्त करना शामिल नहीं है
- परिवारिक स्थिति – जिसमें बच्चों या अन्य आश्रितों के लिए जिम्मेदार न होना शामिल है
- लैंगिक रुझान – विषमलिंगी, समलिंगी, स्त्री-समलिंगी (lesbian) या उभयलिंगी (bisexual) होना।

ये आधार किसी व्यक्ति के पहले के समय, वर्तमान समय या मान्य परिस्थितियों में लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के साथ वर्तमान में हुए, पहले कभी हुए या किसी अन्य के द्वारा अभिकल्पित मानसिक रोग के आधार पर भेदभाव-पूर्ण व्यवहार करना गैर-कानूनी होता है।

सभी प्रकार के भेदभाव-पूर्ण प्रकरण गैर-कानूनी नहीं होते हैं। मानवाधिकार नियम के तहत इन्हें गैर-कानूनी तब माना जा सकता है, जब वे निम्नलिखित क्षेत्रों में घटित हों:

- सरकारी या सरकारी-क्षेत्र की गतिविधियाँ
- रोज़गार
- व्यावसायिक साझेदारी
- शिक्षा
- सार्वजनिक स्थानों, यातायात के साधनों व अन्य सुविधाओं की सुलब्धता
- मालगुज़ारी व सेवाएँ
- ज़मीन, आवास व रहने के लिए उपयुक्त सेवाएँ
- औद्योगिक व व्यावसायिक संगठन, योग्यता निर्धारित करने वाली संस्थाएँ और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं।

यौन या नस्लवादी उत्पीड़न

यौन और नस्लवादी उत्पीड़न विशेष प्रकार के भेदभाव होते हैं।

- ऐसे किसी अवाँछित या आक्रामक यौन व्यवहार को यौन-उत्पीड़न कहा जाता है जोकि बार-बार दुहराया जाए या जो इतनी गंभीर प्रवृत्ति का हो कि किसी व्यक्ति पर इसका बहुत खराब प्रभाव पड़े।
- ऐसे किसी नस्लवादी, मानसिक संताप पहुँचाने वाले या अवाँछित व्यवहार को नस्लवादी उत्पीड़न कहते हैं जोकि बार-बार दुहराया जाए या जो इतनी गंभीर प्रवृत्ति का हो कि किसी व्यक्ति पर इसका बहुत खराब प्रभाव पड़े।

अप्रत्यक्ष भेदभाव

ऐसे किसी भेदभाव को अप्रत्यक्ष भेदभाव कहते हैं जबकि सभी के लिए समान रूप से लागू होने वाले कोई कार्य या नीति के तहत किसी व्यक्ति के प्रति वास्तव में भेदभाव का व्यवहार किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी दुकान में प्रवेश करने के लिए बस ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी ही उपलब्ध हो, तो यह व्हीलचेयर का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के प्रति अप्रत्यक्ष भेदभाव होगा।

मानवाधिकार की अन्य शिकायतें

अगर आपकी शिकायतें किन्हीं अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दों के बारे में हो, तो आप मानवाधिकार आयोग से संपर्क कर सकते/ सकती हैं। पूछ-ताछ और शिकायत सेवा आपको परामर्श और सूचना उपलब्ध करा के और अपने मुद्दे का सबसे बेहतर तरीके से समाधान निकालने के बारे में सलाह दे कर आपको सहायता प्रदान कर सकती है।

अन्य एजेंसियाँ

इस नियम के तहत गैर-कानूनी व्यवहार बहुत बार अन्य नियमों के तहत भी गैर-कानूनी होता है। इसका मतलब यह है कि मानवाधिकार आयोग या अन्य किसी संस्थान के पास शिकायत कर के भी मुद्दों का समाधान किया जा सकता है।

आपको शुरु में इसके बीच कोई चुनाव नहीं करना होगा कि आप मानवाधिकार आयोग के पास जाएँ या अन्य किसी संस्थान के पास जाएँ।

कोर्ट और पुलिस

इस नियम के तहत कुछ गैर-कानूनी व्यवहार अपराध भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछेक प्रकार का यौन-उत्पीड़न यौन-आक्रमण भी हो सकता है। नस्लवादी दंगे भड़काने के कुछ प्रकरण आपराधिक व्यवहार भी हो सकते हैं।

इस नियम के तहत लोग शिकायत कर सकते हैं और पुलिस के पास आपराधिक जुर्म दर्ज करा सकते हैं। इस मुद्दे के बारे में कोर्ट की कार्यवाही भी शुरु की जा सकती है। आपको इन विकल्पों के बीच चुनाव नहीं करना होता है।

बदला निकालना

अगर किसी ने आयोग से शिकायत करने के लिए संपर्क किया हो या किसी दूसरे व्यक्ति को शिकायत करने के लिए सहयोग दिया हो, तो मानवाधिकार आयोग किसी प्रकार का बदला लेने की स्थिति में उस व्यक्ति को संरक्षण भी प्रदान करता है। ◦

क्या आप कोई मानवाधिकार शिकायत दर्ज कराना चाहते/ चाहती हैं?

हमें संपर्क करें

पहला कदम हमारे इंफ़ोलाइन दल से संपर्क करना है। बस हमें केवल फोन या ईमेल करें या फैक्स भेजें या फिर हमारी वेबसाइट देखें।

अनौपचारिक मध्यस्थता

यह निःशुल्क व गोपनीय है और आपको किसी वकील की जरूरत भी नहीं होगी। हमारा कर्मीदल आपकी शिकायत का समाधान करने के लिए आपको जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह नियम ये निर्धारित करता है कि क्या मानवाधिकार आयोग आपकी शिकायत स्वीकार कर सकता है। अगर ऐसा लगे कि यह गैर-कानूनी भेदभाव का मुद्दा है, तो आपको हमारे मध्यवर्तक के पास निर्दिष्ट किया जाएगा।

मध्यस्थता

यह निःशुल्क, गोपनीय और निष्पक्ष है। शिकायत में जो मुद्दे सामने आएँ, उनका निपटारा करने के लिए एक मध्यवर्तक दोनों पक्षों की सहायता करेगा। मध्यस्थता में मानवाधिकार आयोग के बारे में समझाना और संभावित समाधानों पर काम करना शामिल है।

समाधान

अधिकाँश शिकायतों का समाधान अनौपचारिक मध्यस्थता या मध्यवर्तन से किया जाता है। अंतिम समाधान में यह शामिल हो सकते हैं: क्षमा-प्रार्थना, आगे भविष्य में ऐसा काम फिर से न करने का समझौता, शिक्षा या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, या मुआवजा।

कानूनी कार्यवाही

अगर मध्यस्थता के दौरान भेदभाव के बारे में आपकी शिकायत का निपटारा न किया जा सके, तो आप कानूनी कार्यवाही कर सकते/ सकती हैं। इस स्थिति में मानवाधिकार संबंधी शिकायतों की सुनवाई मानवाधिकार ट्राइब्यूनल के सामने की जाती है। यह एक कोर्ट की तरह है। आप निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए आवेदन कर सकते/ सकती हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को की गई थी।
- मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और 12 अक्टूबर, 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किये।
- यह संविधान द्वारा दिये गए मानवाधिकारों जैसे - जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

NHRC की संरचना

- NHRC एक बहु-सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं।
- यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में कम-से-कम 3 पदेन (Ex-officio) सदस्य हों।
- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, तक होता है।
- इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जाँच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाएं।
- इसके अतिरिक्त आयोग में पाँच विशिष्ट विभाग (विधि विभाग, जाँच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम

विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग) भी होते हैं।

- राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है।
- **वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस एच.एल. दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं।**

NHRC के कार्य और शक्तियाँ

- मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो NHRC को उसकी जाँच करने का अधिकार है।
- इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।
- आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमे सुधार के लिये सुझाव दे सकता है।
- NHRC संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिये प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलावों की सिफारिश भी कर सकता है।
- NHRC मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है।
- आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिये प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है।
- आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है।
- इसके पास मुआवज़े या हर्जाने के भुगतान की सिफ़ारिश करने का भी अधिकार है।
- NHRC की विश्वसनीयता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज़ होती हैं।
- यह राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाने की सिफ़ारिश भी कर सकता है।
- आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।

NHRC की सीमाएँ

- NHRC के पास जाँच करने के लिये कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जाँच करने का आदेश देता है।
- पीड़ित पक्ष को व्यावहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने इसे 'India's teasing illusion' की संज्ञा दी है।
- NHRC के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है, वह किसी को निर्णय लागू करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।
- कई बार धन की अपर्याप्ता भी NHRC के कार्य में बाधा डालती है।
- NHRC उन शिकायतों की जाँच नहीं कर सकता जो घटना होने के एक साल बाद दर्ज कराई जाती हैं और इसीलिए कई शिकायतें बिना जाँच के ही रह जाती हैं।
- अक्सर सरकार या तो NHRC की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर देती है या उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है।
- राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जाँच करने से रोका जाता है।
- केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को भी काफी सीमित कर दिया गया है।

अध्याय - 3

उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था

- **उत्तर प्रदेश पुलिस** भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में 236,286 वर्ग कि.मी के क्षेत्र में 20 करोड़ जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार) में न्याय एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उत्तरदायी पुलिस सेवा है।
- ये पुलिस सेवा न केवल भारत वरन विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा है। सेवा के महानिदेशक-पुलिस की कमान की शक्ति 1.70 लाख के लगभग है जो 75 जिलों में 33 सशस्त्र बटालियनों एवं अन्य विशिष्ट स्कंधों में बंटी व्यवस्था का नियामन करती है।
- इन स्कंधों में प्रमुख हैं: इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, एंटी-करप्शन, तकनीकी, प्रशिक्षण एवं अपराध-विज्ञान, आदि
- भारत की वर्तमान पुलिस प्रणाली 1861 के पुलिस अधिनियम के परिणामस्वरूप बनी थी। ये एक्ट 1860 में एच.एम. कोर्ट की अगुवाई में गठित पुलिस आयोग की अनुशंसाओं के बाद अधिनियमित हुआ था। यही कोर्ट उत्तर-पश्चिम प्रांत और अवध प्रान्त के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बने।

पुलिस महकमे का ढांचा निम्नलिखित आठ संगठनों के रूप में खड़ा किया गया था :

1. प्रांतीय पुलिस
2. राजकीय रेलवे पुलिस
3. शहर पुलिस
4. छावनी पुलिस
5. नगर पुलिस
6. ग्रामीण एवं सड़क मार्ग पुलिस
7. नहर पुलिस
8. बर्कन्दाज गार्ड (अदालतों की सुरक्षा के लिए)

- समय के साथ सिविल पुलिस का विकास होता गया और भारत की स्वतन्त्रता के बाद श्री बी. एन. लाहिरी उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक बने। अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने में प्रदेश पुलिस के कार्य प्रदर्शन को बहुत सराहा गया और इसे देश के पहले पुलिस बल के रूप में 13 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 'कलर्स' प्राप्त करने का गौरवपूर्ण सौभाग्य हासिल है।
- तभी से इस पुलिस बल ने सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द और विधि-व्यवस्था बनाए रखने, और अपराध पर नियंत्रण रखने की अपनी गौरवशाली परंपरा को कायम रखा हुआ है ताकि जनमानस के बीच सुरक्षा की भावना समाहित करने और राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके
- संगठित अपराध, आर्थिक अपराध इत्यादि से निपटने के लिए प्रदेश पुलिस बल में विशेषज्ञता प्राप्त विभिन्न प्रकोष्ठ अस्तित्व में आए हैं।
- अपराध विज्ञान, प्रशिक्षण, कम्प्यूटर, दूर संचार, नवीनतम उपकरण, आधुनिक शस्त्र और नए वाहन जैसे तकनीकी साधनों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण पर उचित बल दिया जा रहा है।

सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था

जिला कलेक्टर : जिला अधिकारीयों में सर्वाधिक शक्तिशाली पद जिलाधीश या कलेक्टर का है ! उसे जिले का शीषस्थ अधिकारी माना जाता है ! उसे जिले में विकास का प्रतीक माना जाता है ! वह जिले में बहुमुखी गतिविधियों का संचालन करता है!

सहायक कलेक्टर : राजस्व प्रशासन में सहायक कलेक्टर का पद पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यों के निष्पादन हेतु बनाया गया है ! इसका मुख्य कार्य राजस्व प्रकरणों को सुनना, निर्णित करने के लिए शुद्ग रूप से अदालती कार्य करना है ! सहायक कलेक्टर वरिष्ठ अदालत के रूप में कार्य करता है !

उपखण्ड अधिकारी : जिला अनेक उपजिलो में बंटा होता है ! उप जिले के मुखिया को एस. डी. ओ. अथवा उपजिलाधीश कहते है ! यह एस. डी ओ. जिला और तहशील प्रशासन के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी होता है ! इसका प्रमुख कार्य तहसीलों का निरिक्षण करना होता है ! प्रत्येक उप जिलाधीश के पास प्राय : एक या दो तहसील अधीन होती है और उपखण्ड अधिकारी इनके सफल प्रशासन के लिए वह जिलाधीश के प्रति उत्तरदायी होता है ! तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध उपजिलाधीश के यहाँ अपील की जा सकती है !

तहसील प्रशासन : भू- राजस्व प्रशासन की आधारभुत इकाई तहसील प्रशासन है जो गाव व जिले एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है ! तहसील प्रशासन भू - राजस्व , न्याय व विकास कार्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है ! राज्य के भोगोलिक विभाजन के आधार पर बनी अंतिम प्रशासनिक इकाई तहसील है ! तहसील विशुद्ध रूप से राजस्व प्रशासन के लिए बनाई गई है ! मुग़ल काल से ही राजस्व प्रशासन में तहसील का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है !तहसील को कुछ अन्य राज्यों

में दुसरे नामों से जाना जाता है, जेसे – तमिलनाडु में इसे 'तालुक' एवम् महाराष्ट्र में 'तालुक' कहा जाता है !

पटवारी प्रशासन का अंतिम प्रशासनिक कर्मचारी होता है ! भारत में मुगलकाल से ही पटवारी का पद राजस्व प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग रहा है ! पटवारी किसानों से सम्बन्धित व्यक्ति था जो किसानों के व्यक्तिगत लगान लेना व लेनदेन का हिसाब रखना उसका प्रमुख कर्तव्य था !

राज्य एवम् केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले निति – निर्देशों को जिला प्रशासन क्रियान्वित करता है किन्तु दूसरी ओर राजनितिक दृष्टि अपना आधार एवम् प्रभाव जिला स्तर से ही ग्रहण करते है ! पंचायती राज ने इस स्तर को ओर सशक्त किया है ओर जन प्रतिनिधियों की राजनितिक के कारण जिला प्रशासन की नोकरशाही का लोकतंत्रीकरण हुआ है ! जिला ही वह स्तर है जहा साधारण व्यक्ति प्रशासन के प्रायः सीधे सम्पर्क में आता है ! शांति ओर कानून व्यवस्था की स्थापना तथा विकास योजना के कार्यान्वियन के लिए राज्य में जिले को ही आधारभूत प्रशासनिक इकाई माना गया है !

कुंजी शब्द : राजस्व प्रशासन , भू – राजस्व, जिलाधीश, सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार आक्सफोर्ड कन्साइज ने जिले को विशेष प्रशासनिक उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशा के रूप में परिभाषित किया है ! इसका अंग्रेज पर्यार्वाची शब्द डिस्ट्रिक्ट सर्वप्रथम 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया था ! पूले तथा ब्रेल के शब्दों में जिला उन प्रशासनिक डिस्ट्रिक्टस का तकनीकी नाम था जिनमें ब्रिटिश भारत विभाजित था ! शब्द व्युप्ति के अनुसार यह एक फांसीसी शब्द डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है जो स्वंय मध्यकालीन लेटिन शब्द डिस्ट्रिक्टस से निकला है ! इसका अर्थ न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया प्रदेश है ! सन 1894 में सर जार्ज जेस्त्री ने लिखा था, ' फ्रांस में डिपार्टमेंट की भांति जिला एक प्रशासनिक इकाई होती है ! डा. के. एन.वी. शास्त्री के अनुसार ' अंग्रेजो ने यह शब्द फ्रांसीसी प्रीफेक्ट व्यवस्था से ग्रहण किया तथा इसे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रीय प्रशासन पर लागू किया !'

भारत में जिला प्रशासन 'एक ऐतिहासिक निरन्तरता' है ! यहाँ ' जिला ' सदा से ही प्रशासन की आधारभूत इकाई रहा है जिला प्रशासन का उल्लेख मनुस्मृति जेसे प्राचीन ग्रन्थ से लेकर कोटिल्य के अर्थशात्र , मोर्य साम्राज्य, मध्यकाल, मुगलकाल ओर ब्रिटिश इंडिया की प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से मिलता है ! मोर्यकाल में इसे ' राजूका' मुगलकाल में 'सरकार' तथा ब्रिटिश इंडिया में पहले सरकार तथा बाद में जिला / डिस्ट्रिक्ट कहना प्रारम्भ किया !

जिला प्रशासन की संरचना (राजस्व):

भारत में जिला प्रशासन की सम्पूर्ण संरचना एक पद सोपान युक्त व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है ! राजस्थान के राजस्व प्रशासन में जिला प्रशासन की संरचना निम्न प्रकार है –

1. जिला मुख्यालय – प्रमुख नगर में तथा कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला
   प्रशासक – जिलाधीश
2. उपखण्ड मुख्यालय – कार्यक्षेत्र उपखण्ड 1 – 2 तहसील
   प्रशासक – उपखण्ड अधिकारी
3. तहसील मुख्यालय – कार्यक्षेत्र तहसील
   प्रशासक – तहसीलदार / उप तहसीलदार
4. पटवार क्षेत्र – कार्यक्षेत्र पटवार वृत , 1 – 2 ग्राम पंचायत
   मुख्य कर्मचारी – पटवारी

इस प्रकार राजस्थान में जिला प्रशासन में जिला प्रशासन ग्राम स्तर पर पटवारी से आरम्भ होकर तहसील, उपखण्ड तथा जिला मुख्यालय स्तर पर विधमान है !

जिला कलेक्टर :

जिला अधिकारियो में सर्वाधिक शक्तिशाली पद जिलाधीश या कलेक्टर का है ! उसे जिले का शीषस्थ अधिकारी माना जाता है ! उसे जिले में विकास का प्रतिक माना जाता है ! वह जिले में बहुमुखी गतिविधियों का संचालन करता है !

मोर्यकाल में कलेक्टर को राजूका, मुगलकाल में मनसबदार या फोजदार तथा अंग्रेजो ने जिला निरीक्षक कहना प्रारम्भ किया ! 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम जिला निरिक्षण के स्थान पर कलेक्टर के पद का प्रारम्भ किया तथा 1781 में फोजदार का पद समाप्त कर उसका कार्यभार कलेक्टर को सोंप दिये ! 1812 में होल्ड मेकेंजी ने तथा 1833 में विलियम बेटिक ने कलेक्टर को काफी शक्तिशाली बना दिया !

1935 के अधिनियम के द्वारा कलेक्टर को शक्तिशाली बनाये जाने की सिफारिश की गई ! 1944 में रोलेट्स कमेटी द्वारा इस पद को ओर प्रतिष्ठावान बनाने की सिफारिश की गई ! सम्पूर्ण अंग्रजी शासनकाल में जिला स्तर पर कलेक्टर केन्द्रीय शक्ति के रूप में कार्य करता रहा जो कि जिले की समस्त प्रशासनिक क्रियाओं को समन्वित करता था ! उसकी महता में लाखो शब्द वासरयो , गर्वनरों तथा शोधकर्ता द्वारा लिखे गए है !

ब्रिटिश शासनकाल में कलेक्टर का पद सता, सम्मान और गोरवमय पद था ! जिला स्तर पर यह सरकार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता था !

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कलेक्टर के पद के महत्व तथा स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है ! लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में कलेक्टर जनता का सेवक बन गया है ! ऐसी स्थिति में कलेक्टर के कार्यों की प्राथमिकताओं को पूर्णरूपेण बदल गई है ! पहले भू – राजस्व प्रबन्धन, कानून और व्यवस्था की स्थापना करना उसका प्रमुख कार्य था किन्तु अब उसके लिए जन कल्याण तथा विकास से सम्बन्धित कार्य महत्वपूर्ण बन गए है !

साधारणतः कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है ! वह या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति अधिकारी होता है ! इसका चयन एवम् भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है तथा यह राज्य सरकार के लिए कार्य करता है ! 6 से 10 वर्ष की सेवा कर चुके अधिकारी को कलेक्टर बनाया जाता है ! उसका वेतन, सेवा शर्ते, आचरण, नियमन आदि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते है ! भारतीय संविधान के अनुछेद 311 के अनुसार उसके कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान की गई है ! इसके अनुसार केंद्र की अनुमति के बिना निलम्बित , हटाया, पदावनत नही किया जा सकता !

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा कलेक्टर को जिले का भू-अभिलेख अधिकारी बनाया गया है !

मुख्य कार्य :

1. राजस्व एकत्रित करना
2. भूमि सुधार
3. कानून व्यवस्था की स्थापना
4. कल्याणकारी कार्य
5. आपदा राहत
6. निर्वाचन संचालन
7. प्रोटोकॉल कार्य
8. निरिक्षण व निगरानी
9. विकास एवम् पंचायती राज सम्बन्धी कार्य
10. ओपचारिक बेठेके
11. सामान्य प्रशासन
12. अन्य कार्य

राजस्व प्रशासन के अध्ययन में जिला कलेक्टर के कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है –

I **प्रशासनिक कार्य (राजस्व)**

(1) भू – अभिलेख सम्बन्धी कार्य
(2) भूमि आरक्षण
(3) भूमि आवंटन
(4) सामान्य निरिक्षण व नियन्त्रण
(5) पटवारियों से सम्बन्धित मामलो
(6) सामयिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

3. राजस्व न्यायिक कार्य

a) नामान्तरण
b) खातेदारी अधिकार
c) भू – आवंटन
d) भूमि रूपांतरण
e) उतराधिकारी
f) सीलिंग कानून
g) भूमि आवप्ति
h) मुआवजा
i) बंटवारा
j) सीमा विवाद

इस प्रकार राजस्व प्रशासन में जिला कलेक्टर के प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों की विभिन्नता एवम् विशालता के कारण ही उसे कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट या जिलाधीश कहा जाता है !

सहायक कलेक्टर :

राजस्व प्रशासन में सहायक कलेक्टर का पद पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यों के निष्पादन हेतु बनाया गया है ! राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 20 ख 3 के अनुसार प्रत्येक जिले में सहायक कलेक्टर के पद की स्थापना की गई है ! इसका मुख्य कार्य राजस्व प्रकरणों को सुनना, निर्णित करने के लिए शुद्ध रूप से अदालती कार्य करना है !

सहायक कलेक्टर शुद्ध रूप से न्यायिक कार्य सपादित करता है ! वेसे तो यह राजस्व अधिकारी है लेकिन उसे दावे सुनने एवम् निर्णित करने के सिवाय अन्य कोई राजस्व कार्य सामान्यत : आवंटित नही किया जाता है !

सहायक कलेक्टर कि नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित अधिकारी की जाती है ! राजस्व कानूनों का बुनियादी ज्ञान देने की दृष्टि से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के नये अधिकारियो की साधारणतः प्रथम नियुक्ति सहायक कलेक्टर के रूप में की जाती है ! राजस्थान सरकार जिले में कार्यों की अधिकता के कारण सहायक कलेक्टर को निर्वाचन या अन्य विभागों के मुख्यतः प्रशासनिक कार्य भी सोंप सकती है !

1. यह काश्तकारी वाद सुनता व निर्णित करता है
2. उसे राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम की धारा 27 (घ) के अंतर्गत तहसील की समस्त शक्तिया प्राप्त है !
3. वह राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर आदेशित कार्यों को निष्पादित करता है !
4. वह भू - राजस्व तथा भू -अभिलेख के समस्त वादों की सुनवाई करता है !

उपखण्ड प्रशासन :

जिला अनेक उपजिलो में बंटा होता है ! उप जिले के मुखिया को एस. डी. ओं. अथवा उपजिलाधीश कहते है ! यह एस. डी. ओं. जिला और तहसील प्रशासन के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी होता है ! उपखण्ड अधिकारी प्राय: आर. ए . एस. अधिकारी होता है ! कभी - कभी आई. ए. एस. को भी लगा दिया जाता है ! इसका प्रमुख कार्य तहसीलों का निरिक्षण करना होता है ! प्रत्येक उप जिलाधीश के पास प्राय: एक या दो तहसील अधीन होती है और उपखण्ड अधिकारी इनके सफल प्रशासन के लिए वह जिलाधीश के प्रति उतरदायी होता है ! वह माह में एक बार अवश्य ही किसी न किसी तहसील का निरिक्षण करता है ! उसे तहसील में भूमि आवंटन का अधिकार होता है ! वस्तुतः भूमि आवंटन का कार्य एक समिति करती है ! जिसमें सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरपंच , बी. डी. ओं. तहसीलदार , भू - अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी होता है ! उपखण्ड अधिकारी इस समिति को परामर्श के उपरांत अपने निर्णय देता है ! तहसीलदार के निर्णयों के विरुद्ध उपजिलाधीश के यहाँ अपील की जा सकती है ! जहा तहसीलदार किसी कार्य को सम्पादित करने में असमर्थ रहता है, तो वह ऐसे मामलो में उपखण्ड अधिकारी की सहायता मांग सकता है ! उपखण्ड अधिकारी को प्राय: तहसील समबन्धी कार्यों एवम् शक्तियों को प्रदत्त कर देता है इसके अतिरिक्त उसे भू - राजस्व अधिनियम तथा काश्तकारी कानून के अंतर्गत अधिकार प्राप्त होते है ! वह तहसील के लोगों के अभाव अभियोगों को सुनता है ! वह तहसील स्टाफ के पद स्थापन तथा उसमें हल्का परिवर्तन करता है ! संक्षेप में उपखण्ड अधिकारी जिला प्रशासन से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अधिकारी है !

तहसील प्रशासन :-

राज्य के भोगोलिक विभाजन के आधार पर बनी अंतिम प्रशासनिक इकाई तहसील है ! तहसील विशुद्ध रूप से राजस्व प्रशासन के लिय बनाई गई है ! मुग़ल काल से ही राजस्व प्रशासन में तहसील का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है ! तहसील को कुछ अन्य राज्यों में दुसरे नामों से जाना जाता है, जेसे - तमिलनाडु में इसे 'तालुक' एवम् महाराष्ट्र में तालुका' कहा जाता है !

अरबी शब्द तहसील का अर्थ है - वसूल करने की क्रिया , माल गुजारी वसूल करना ! राजस्थान के राजस्व प्रशासन में इस शब्द का उल्लेख सन 1791 में अलवर राज्य में, सन 1872 में बीकानेर व अजमेर के राजस्व अभिलेखों में मिलता है ! सन 1949 से यह शब्द राजस्थान में सर्वत्र प्रचलित हो गया ! क्यों की राजस्थान टेरिटोरियल डिविजन आर्डिनेंस 1949 के द्वारा समस्त राजस्थान में तहसीलदार पद का गठन किया गया !

तहसीलदार भू - राजस्व प्रशासन की आधारभूत इकाई तहसील प्रशासन है जो गाव व जिले के बीच एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है ! तहसील प्रशासन भू - राजस्व , न्याय व विकास कार्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है ! तहसील प्रशासन का मुख्य अधिकारी तहसीलदार होता है !

मुख्य रूप से तहसीलदार एवम् नायब तहसीलदार के भूमि अभिलेखों के बारे में मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित है -

1. निरीक्षक भूमि अभिलेख का कार्य !
2. आफिस कानूनगो के आफिस की देखरेख (सुपरविजन)
3. पटवार स्कुल की, यदि कोई हो, देखरेख !
4. नामांतरण रिपोर्टो का निपटारा !
5. पटवारियों और कानूनगो से प्राप्त अन्य रिपोर्टो का निपटारा !
6. पटवारियों का वेतन विवरण !
7. खुलासा करने वाले पूरक और आकड़ो सम्बन्धित विवरण तेयार करना !
8. पटवारी और कानूनगो के प्रपत्रों का इंडेंट तेयार करना !
9. (नियम 24 - क के खंड ; अपप - क) के अधीन यथापेक्षित निरिक्षण और भोतिक सत्यापन और आवंटन अधिकारी को रिपोर्ट करना !

भू -अभिलेखों निरीक्षक :

पटवारियों के कार्यों के निरिक्षण , पर्यवेक्षण तथा उसके कर्तव्यो का पालन करवाने के लिए प्रत्येक तहसील को कुछ भू - अभिलेख निरिक्षण वृतो में बंटा गया है ! प्रत्येक वृत में 6 - 10 पटवार हलके होते है ! भू- अभिलेख वृत का गठन भू - अभिलेख निदेशक राज्य सरकार की पूर्व अनुमति द्वारा करता है ! प्रत्येक भू - अभिलेख निरिक्षण वृत के लिए एक भू - अभिलेख निरीक्षक की नियुक्ति की जाता है जो भू - अभिलेख निरीक्षक की जिले में

नियुक्ति राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 33 के अंतर्गत जिला द्वारा की जाती है !

पटवारी :

राज्य प्रशासन / राजस्व प्रशासन में अंतिम प्रशासनिक इकाई तहसील होती है ! प्रत्येक तहसील विभिन्न पटवार क्षेत्रो में विभाजित होती हैं ! एक तहसील में 30 - 60 पटवार क्षेत्र होते है ! पटवार क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी पटवारी होता है ! इसका मुख्यालय पटवार क्षेत्र के एक बड़े गाव में होता है ! पटवारी प्रशासन का अंतिम प्रशासनिक कर्मचारी होता है !

भारत में मुग़ल काल से ही पटवारी का पद राजस्व प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग रहा है ! पटवारी किसानो से सम्बन्धित व्यक्ति था ! जो किसानो के व्यक्तिगत लगान लेना व लेंन देन का हिसाब रखना उसका प्रमुख कर्तव्य था !

सन 1873 इ के राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पटवारी को राजस्व प्रशासन के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी बनाया गया है ! स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 30 के अंतर्गत पटवार हलके बनाया व उसमें परिवर्तन किया जाता है तथा इसी की धारा पटवारी की नियुक्ति की जाती है !

पटवारी को विभिन्न राज्यों में अलग - अलग नामों से भी पुकारा जाता है जैसे तमिलनाडु ,एम् ' कारनाम', महाराष्ट्र में ' तलेटी' व उत्तरप्रदेश में ' लेखपाल ' कहा जाता है ! वर्तमान में राजस्थान में कुल 10040 पटवारी के पद है जो विभिन्न तहसीलों में कार्यरत है !

अध्याय - 4

साइबर क्राइम

साइबर अपराध

साइबर अपराध शब्द सामान्यत : ऐसे आपराधिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है, जिन्हें कम्प्यूटर या इन्टरनेट के माध्यम से गैर - कानूनी तरीके से अंजाम दिया जाता है वह अपराध साइबर अपराध के श्रेणी में आते है / वर्तमान आपराधिक गतिविधियों के साथ कम्प्यूटर के आविष्कार के साथ साइबर अपराध भी जुड़ गए है, जिनमें स्पैमिंग और बौध्दिक चोरी तथा कॉपीराइट संबंधी अपराध को सम्मिलित किया गया है /

विशेष रूप से ऐसे अपराध जिन्हें परस्पर जुड़े नेटवर्क द्वारा सुगमता से किया जा सकता है

साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में सरकार के प्रयास

भारत में 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' पारित किया गया जिसके प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिये पर्याप्त हैं।

भारत में 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' आईटी संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा संशोधित साइबर कानून के रूप में जाना जाता है /

विशेष नोट –

सूचना तकनीकी अधिनियम संसोधन बिल, 2008 में राज्य सभा व लोक सभा से पास हुआ तथा 5 फरवरी 2009 में संशोधित के रूप में लागू हुआ / इसी संशोधन के द्वारा धारा 66। को जोड़ा गया था / बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्रेया सिंघल केस में अवैध मानकर रद्द कर दिया गया /

साइबर अपराध का वर्गीकरण

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, अपराध की श्रेणी को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

वे अपराध जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है। इस तरह के अपराधों के उदाहरण हैकिंग, वायरस हमले आदि हैं।

वे अपराध जिनमे कंप्यूटर को एक हथियार/उपकरण/ के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों में साइबर आतंकवाद, आईपीआर उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी आदि।

साइबर अपराध की श्रेणियाँ

साइबर अपराध के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष, संपत्ति और सरकार के विरुद्ध अपराध शामिल हैं।

व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध –

ऐसे अपराध, ऑनलाइन होते हैं, परंतु वे वास्तविक लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ अपराधों में साइबर उत्पीड़न और साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वितरण, विभिन्न प्रकार के स्पूफिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, मानव तस्करी, पहचान की चोरी और ऑनलाइन बदनाम किया जाना शामिल हैं। साइबर अपराध की इस श्रेणी में किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या अवैध जानकारी को ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है।

संपत्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध- कुछ ऑनलाइन अपराध संपत्ति के खिलाफ होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ या उसे ज़रिया बनाकर किये जाते हैं। इन अपराधों में हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, साइबर और टाइपो स्क्वाटिंग, कॉपीराइट उल्लंघन, आईपीआर उल्लंघन आदि शामिल हैं।

सरकार विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध: यह सबसे गंभीर साइबर अपराध माना जाता है। सरकार के खिलाफ किये गए ऐसे अपराध को साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। सरकारी साइबर अपराध में सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक किया जाना शामिल हैं। जब सरकार के खिलाफ एक साइबर अपराध किया जाता है, तो इसे उस राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला और युद्ध की कार्रवाई माना जाता है। ये अपराधी आमतौर पर आतंकवादी या अन्य शत्रु देशों की सरकार द्वारा करवाई जाती हैं। इस प्रकार के साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिये प्रत्येक देश की सरकार द्वारा कठोर साइबर कानून बनाए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा

धारा – 1

सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000

17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया है /

संपूर्ण देश में इसका विस्तार है /

धारा – 2

परिभाषा – ऐसे अपराध जिन्हें कम्प्यूटर या नेटवर्क के माध्यम से अंजाम दिया जाता है,(जैसे – हैंकिंग, स्पैम आदि)

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी – प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उसे कहते है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस दिया गया है /

कंप्यूटर - कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय या अन्य डाटा संसाधन से युक्त प्रणाली है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के काम लिए जाते हैं।

कंप्यूटर नेटवर्क - कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक या अधिक कंप्यूटरों या कंप्यूटर प्रणालियों या संसूचना युक्ति का अंतःसंबंध अभिप्रेत है।

कंप्यूटर साधन - से कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय या सॉफ्टवेयर अभिप्रेत है।

साइबर कैफे - साइबर कैफे से ऐसी कोई सुविधा अभिप्रेत है, जहां से किसी व्यक्ति द्वारा जनता को कारबार के साधारण अनुक्रम में इंटरनेट तक पहुंच प्रदान की जाती है। [संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा अंतःस्थापित]

अंकीय चिह्नक - किसी हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रमाणन अंकीय चिह्नक कहलाता है।

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख – इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या माइक्रोफिल्म या तकनीक के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रमाणन है और इसके अंतर्गत अंकीय चिह्नक भी

आता है।

उपयोगकर्ता - उपयोगकर्ता से ऐसा व्यक्ति जाना जाता है, जिसके नाम से इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को अपने डिजिटल हस्ताक्षर करने होते हैं।

धारा – 3

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अधिप्रमाणीकरण –

कोई उपयोगकर्ता किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने अंकीय चिन्हक लगाकर अधिप्रमाणित कर सकेगा।

धारा – 3A

यह विश्वसनीय है /

इसके बारे में दूसरी अनुसूची में लिखा गया है /

धारा – 4

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की कानून मान्यता /

धारा – 5

इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों को कानून मान्यता /

धारा – 40

कुंजी – युग्म का उत्पादन करना /

धारा – 42

प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण

दंड / जुर्माना व अधिनिर्णय

धारा – 43

इस धारा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति की जो कम्प्यूटर या नेटवर्कप्रणाली का भारसाधक है, उसकी अनुमति के बिना निम्न में से कोई काम करेगा तो वह प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर देने के लिए दायी होगा, जो 1 करोड़ से अधिक नहीं होगा /

1. ऐसे कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर नेटवर्क या कम्प्यूटर संसाधन प्रणाली में पहुंचता है /
2. ऐसे कम्प्यूटर में संचित कोई सूचना या आकडे निकालता है या प्रतिलिपि करता है /
3. ऐसे किसी कम्प्यूटर में वायरस प्रवेश करवाता है /

धारा – 44

यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की रिपोर्ट देने के लिए अभिप्रेत है अगर ऐसा नहीं करता है तो वह एक लाख पचास हजार रुपए तक की शास्ति का दायी होगा /

यदि कोई व्यक्ति जो फ़ाइल या अन्य दस्तावेज निश्चित समय के भीतर देने के लिए अपेक्षित हैं, लेकिन वह नहीं दे पाता हैं तो प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार तक की शास्ति का दायी होगा /

व्यक्ति जो अभिलेख बनाएं रखने के लिए अभिप्रेत है लेकिन वह नहीं रख सका, तो प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए तक की शास्ति का दायी होगा /

धारा – 48 साइबर अपील अधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 4 के अधीन स्थापित दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण, वित्त अधिनियम, 2007 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से ही इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण होगा और उक्त अधिकरण इस अधिनियम द्वारा अदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करेगा

[संशोधन अधिनियम, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित] |

धारा – 58 अपील अधिकरण की शक्तियाँ –

इसे सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ प्राप्त है /

उच्च न्यायालय द्वारा इसके फैलने में विरोधी अपीलें सुनी जाती है /

जो कोई जानबूझकर किसी अन्य कम्प्यूटर स्रोत्र, कम्प्यूटर प्रोग्राम का कम्प्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी कम्प्यूटर स्रोत्र कोड को छिपाने, नष्ट करने या बदलने का कारण बनता है / उसे तीन साल तक के कारावास या दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है /

धारा – 66

यदि कोई भी व्यक्ति बेईमानी से या, धोखे से, धारा 43 में उल्लिखित किसी भी कृत्य को करता है, तो उसे तीन साल तक कारावास की सजा या पांच लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है /

धारा – 66 B बेईमानी से चोरी कम्प्यूटर संसाधन या संचार उपकरण प्राप्त करने के लिए सजा –

इस अधिनियम के अनुसार, यह जानते हुए भी कम्प्यूटर संसाधन या संचार युक्ति चोरी का है या बेईमानी से प्राप्त करता है / वह 3 वर्ष तक कारावास या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है /

धारा – 66 C पहचान की चोरी के लिए सजा –

यदि कोई व्यक्ति धोखे से इलेक्ट्रॉनिक आईडी, पासकोड, उसकी इलेक्ट्रॉनिक पहचान से संबंधित सुविधा का दुरुपयोग करता हैं तो उसे 3 वर्ष के के लिए कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है /

धारा – 66 D कम्प्यूटर संसाधन का प्रयोग करके द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा –

जो कोई व्यक्ति कम्प्यूटर या संचार साधन के माध्यम से किसी भी प्रकार का छल करेगा / वह 3 साल तक के कारावास या 1 लाख रुपए से दंडित किया जाएँगा /

धारा – 66 E निजता के उल्लंघन के लिए सजा

जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति सहमति के बिना उसके गुप्तांग का चित्र प्रकाशित करेगा तो वह 3 साल तक ले लिए कारावास या दो लाख रुपए तक से या दोनों से दंडित किया जाएगा /

धारा – 66 F साइबर आतंकवाद के लिए सजा

(ए) भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को अंग करने या इसके निवासियों को आतंकित करने के लिए-

क. किसी अधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर के इस्तेमाल से रोकता है या रोकने का कारण बनता है।

ख. बिना अधिकार के या अपने अधिकार का अतिक्रमण कर जबरन किसी कंप्यूटर के इस्तेमाल की कोशिश करता है।

ग. कंप्यूटर में वायरस जैसी कोई ऐसी चीज डालता है या डालने की कोशिश करता है, जिससे लोगों की जान को खतरा पैदा होने की आशंका हो या संपत्ति के नुकसान का ख़तरा हो या जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं में जानबूझ कर बाधा डालने की कोशिश करता हो या धारा 70 के तहत संवेदनशील जानकारियों पर बुरा असर पड़ने की आशंका हो या-

(बी) अनाधिकार या अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए जानबूझ कर किसी कंप्यूटर से ऐसी सूचनाएं हासिल करने में कामयाब होता है, जो देश की सुरक्षा या अन्य देशों के साथ उसके संबंधों के नज़रिए से संवेदनशील हैं या कोई भी गोपनीय सूचना इस इरादे के साथ हासिल करता है,जिससे भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं संप्रभुता, अन्य देशों के साथ इसके संबंध, सार्वजनिक जीवन या नैतिकता पर बुरा असर पड़ता हो या ऐसा होने की आशंका हो, देश की अदालतों की अवमानना अथवा मानहानि होती हो या ऐसा होने की आशंका हो, किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो या इसकी आशंका हो, किसी विदेशी राष्ट्र अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा किसी अन्य को ऐसी सूचना से फायदा पहुंचता हो, तो उसे साइबर आतंकवाद का आरोपी माना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति साइबर आतंकवाद फैलाता है या ऐसा करने की किसी साजिश में शामिल होता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।

धारा – 67 इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए सजा –

धारा – 67 A

धारा 67 में प्रावधान किया गया कि यदि व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक कुछ भी पोस्ट या शेयर करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है या सोशल प्लेटफार्म पर नफरत फ़ैलाने का प्रयास करता हैं उनके खिलाफ धारा 67 के तहत कार्रवाई किया जा सकता है /

यदि वह दोषी सिध्द पाया जाता है तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष तक के लिए कारावास या 5 लाख रूपए से दंडित किया जाएगा /

धारा – 67 B

कामवासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि मे बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या भेजने के लिए दण्ड –

अगर पुन इस अपराध के लिए दोषी पाया जाता है तो 5 वर्ष तक के लिए कारावास या 10 रूपए से दंडित किया जाएगा /

संरक्षित प्रणाली –

धारा – 70 समुचित सरकार –

किसी ऐसे कम्प्यूटर संसाधन को जो प्रत्यक्षतः नाजुक अवसंरचना की सुविधाओं को प्रभावित करता है, उसे संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित कर सकता है /

जब कोई व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन संरक्षित प्रणाली को हानि पहुँचाता है तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जो दस वर्ष तक का हो सकता है /

धारा – 70 A

अधिनियम के धारा 77A के अधीन नयायालय 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित अपराध को शमन कर सकते है /

नोट - शमन का अर्थ

वाद के दोनों पक्षकार मिल – बैठकर वाद को समाप्त कर सकते है /

न्यायालय ऐसे अपराध का शमन नहीं करेगा, जहाँ अपराधी देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है /

धारा – 77 B

न्यायालय ऐसे अपराध का शमन नहीं करेगा, जो 18 वर्ष के कम उम्र के किसी स्त्री के संबंध में किया गया है /

प्रावधान – 3 वर्ष या तीन वर्ष से अधिक के कारावास के लिए दंडनीय होगा /

धारा – 80 (1) बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा –

इस धारा के तहत किसी संदिग्ध व्यक्ति या अपराध कर रहा है या करने वाला है निरीक्षक उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है /

तलाशी या गिरफ्तारी के संबंध में दंड संहिता के उपबंध लागू होंगे /

धारा - 88 सलाहकार समिति का गठन –

भारत सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, साइबर विनियम सलाहकार समिति नामक एक समिति का गठन किया /

विविध –

सूचना तकनीक कानून, 2000 के अंतर्गत साइबर में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान –

- कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश-धारा 65
- कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश-धारा 66
- संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 A
- कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को ग़लत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 B
- किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 C

- अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान- धारा 66 D
- किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 E
- साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 F
- आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान-धारा 67
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 67 A
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण, जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो-धारा 67 B
- मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 67 C
- सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान-धारा 70
- डाटा या आंकड़ों को ग़लत तरीक़े से पेश करना-धारा 71
- आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान-धारा 72 A
- कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित प्रावधान-धारा 72 A
- फ़र्ज़ी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन-धारा 73

सूचना तकनीक कानून की धारा 78 में इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन मामलों में जांच का अधिकार हासिल है।

- भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान
- ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना-आईपीसी की धारा 503
- ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना, जिससे मानहानि होती हो-आईपीसी की धारा 499
- फ़र्ज़ी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल-आईपीसी की धारा 463
- फ़र्ज़ी वेबसाइट्स या साइबर फ्रॉड-आईपीसी की धारा 420
- चोरी-छुपे किसी के ईमेल पर नज़र रखना-आईपीसी की धारा 463
- वेब जैकिंग-आईपीसी की धारा 383
- ईमेल का ग़लत इस्तेमाल-आईपीसी की धारा 500
- दवाओं को ऑनलाइन बेचना-एनडीपीएस एक्ट
- हथियारों की ऑनलाइन ख़रीद-बिक्री-आर्म्स एक्ट

अध्याय - 5
विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव

- 8 नवंबर,2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नोटबंदी या विमुद्रीकरण (Demonetisation) की थी काले धन को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम के कारण उस समय प्रचलित तकरीबन 86 प्रतिशत मुद्रा अमान्य हो गई थी यानी उसका कोई मूल्य नहीं रह गया था।

- **विमुद्रीकरण को लागू किये जाने के पीछे मुख्यतः तीन उद्देश्य थे-**
  - काले धन को समाप्त करना।
  - नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना।
  - डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देकर कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना।
- विमुद्रीकरण का अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है, जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है।
- विमुद्रीकरण को प्रायः कर प्रशासन के एक उपाय के रूप में देखा जाता है, जहाँ काला धन छिपाने वाले लोगों को न चाहते हुए भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है और उस पर कर भी देता पड़ता है।

काला धन

- सरकार की मानें तो काले धन को समाप्त करना विमुद्रीकरण का प्राथमिक लक्ष्य था, हालाँकि कई लोगों ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आँकड़ों के आधार पर नोटबंदी के इस उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लगाया है।
  - **काला धन** असल में वह आय है जिसे कर अधिकारियों से छुपाने का प्रयास किया जाता है यानी इस प्रकार की नकदी का देश की बैंकिंग प्रणाली में कोई हिसाब नहीं होता है और न ही इस पर किसी प्रकार का कर दिया जाता है।
- वर्ष 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि विमुद्रीकरण के दौरान अवैध घोषित किये गए कुल नोटों का तकरीबन 99.3 प्रतिशत यानी लगभग पूरा हिस्सा बैंकों के पास वापस आ गया था।
  - आँकड़ों के मुताबिक, अमान्य घोषित किये गए 15.41 लाख करोड़ रुपए में से 15.31 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए थे।

- फरवरी 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया था कि विमुद्रीकरण समेत सभी प्रकार के काले धन को समाप्त करने के लिये उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण 1.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन बरामद किया गया था, जबकि सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा करते हुए इस संबंध में तकरीबन 3-4 लाख करोड़ रुपए बरामद करने की बात कही थी।
  - अतः आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था से काले की समस्या को समाप्त करने में कुछ हद तक विफल रही है।

नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना

- नकली नोट या नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना सरकार द्वारा लागू किये गए विमुद्रीकरण का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य था।
- आँकड़ों के अनुसार, जहाँ एक ओर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6.32 लाख नकली नोट ज़ब्त किये गए थे, वहीं दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.62 लाख नकली नोट ज़ब्त किये गए थे। नोटबंदी लागू होने के चार वर्ष बाद अब तक 18. 87 लाख नकली नोट ज़ब्त किये गए थे।
- रिज़र्व बैंक की वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट की मानें तो विमुद्रीकरण के बाद के वर्ष में ज़ब्त किये गए अधिकांश नोटों में 100 रुपए मूल्यवर्ग की संख्या सबसे अधिक है।
  - वर्ष 2019-20 में 1.7 लाख नकली नोट, वर्ष 2018-19 में 2.2 लाख नकली नोट और वर्ष 2017-18 में 2.4 लाख नकली नोट ज़ब्त किये गए थे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 10, 50, 200 और 500 रुपए मूल्यवर्ग में ज़ब्त किये गए नकली नोटों की संख्या में क्रमशः 144.6 प्रतिशत, 28.7 प्रतिशत, 151.2 प्रतिशत और 37.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
  - इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण जैसे कठोर कदम के बावजूद अभी भी अर्थव्यवस्था में नकली नोटों का प्रसार हो रहा है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण करना

- सरकार द्वारा नोटबंदी को दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के एक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि रिज़र्व बैंक के आँकड़ों की मानें तो नोटबंदी लागू होने से अब तक अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों के कुल मूल्य और मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है।
- आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में अर्थव्यवस्था में प्रचलित कुल नोटों की संख्या तकरीबन 16.4 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़कर 24.2 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों के मूल्य में तुलनात्मक रूप से वृद्धि देखने को मिली है।
- इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नोटबंदी लागू किये जाने के बाद भी अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों की संख्या और मात्रा में वृद्धि हुई है, हालाँकि नोटों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ डिजिटल लेन-देन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
  - कोरोना वायरस महामारी ने भी लोगों के बीच नकदी के प्रचलन को और बढ़ावा दिया है। जब मार्च माह में सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी तो आम लोगों ने किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिये नकदी को एकत्र करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हाल के कुछ दिनों में अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रचलन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी

- इसी वर्ष अक्तूबर माह में प्रकाशित रिज़र्व बैंक के आँकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में डिजिटल भुगतान की मात्रा में 3,434.56 करोड़ की भारी वृद्धि हुई है।
- आँकड़ों के अनुसार, बीते पाँच वर्षों में डिजिटल भुगतान की मात्रा में 55.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है, वहीं डिजिटल भुगतान के मूल्य के मामले में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
- अक्तूबर 2020 में एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) आधारित भुगतान ने 207 करोड़ लेन-देन के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

विमुद्रीकरण: दीर्घकाल के लिये लाभदायक

- कई जानकार मानते हैं कि विमुद्रीकरण का अल्प काल में अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा प्रभाव हो सकता है, किंतु दीर्घकाल में यह भारत और संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- चूँकि विमुद्रीकरण के निर्णय ने कुछ हद तक भारत में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिये भारत डिजिटल आधार पर होने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित कर सकता है।
- इसके अलावा विमुद्रीकरण के कारण प्रत्यक्ष कर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिये अच्छा संकेतक है।

अध्याय – 6
सूचना एवं संचार, सोशल मीडिया

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारतीय संविधान देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है अर्थात् देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार है, लेकिन कहीं स्वतंत्र विचारकों का सदैव मानना रहा है कि सूचना और पारदर्शिता के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। सूचना का अधिकार भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों को मज़बूत करने और उनके नागरिक केंद्रित विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया गया। तब वैश्विक स्तर पर सूचना के अधिकार को एक नई पहचान मिली /
- इसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।
- अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के अनुसार, "सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।"

भारत में सूचना के अधिकार -

भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्य -

सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 का अधिनयम क्रमांक 22 है।

इस अधिनियम को दिनांक 11 मई, 2005 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।

इस अधिनियम को दिनांक 12 मई, 2005 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।

इस अधिनियम को दिनांक 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई।

इस अधिनियम की धाराएँ 4 (1), 5 (1), 12, 13, 15, 16, 24, 27, तथा 28 दिनांक 15 जून, 2005 से प्रवृत्त हुए एवं शेष प्रावधन दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रवृत्त हुए।

यह अधिनियम भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में अधिनियमित किया गया।

इस अधिनियम में कुल 6 अध्याय, 31 धाराएँ एवं 2 अनुसूचियाँ हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधन के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत आता है।

धारा – 1

धारा – 1 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का नाम, विस्तार और प्रारम्भ को संक्षिप्त किया गया है /

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधाराएं (2), धारा 12, धारा 13, धारा 16, धारा 24, और धारा 28 के उपबन्ध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध इसके अधिनियम के एक सौ बीसवें दिन प्रवृत्त होंगे /

धारा – 2

परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "समुचित सरकार" से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो –

(i) भारत सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वमित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गयी निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, भारत सरकार अभिप्रेत है /

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वमित्वाधीन, नियंत्रणाधीन प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गयी निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अपेक्षित है /

(ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अपेक्षित है /

(ग) "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(घ) "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है –

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमे ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद की दशा में सभापति

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल ;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक

(च)सूचना – सूचना से किसी रूप में कोई ऐसी सामग्री अपेक्षित है जिसके अंतर्गत किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ई – मेल, प्रेस – विज्ञप्ति, आदेश, लागबूक, परिपत्र, संविदा, प्रतिवेदन, कागज – पत्र, नमूने, आंकड़े संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी कोई सूचना सम्मिलित हैं, जिस तक किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है ।

(छ) "विहित" से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

सूचना - "सूचना" से किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है

(ज) सूचना का अधिकार - इस अधिनियम के अधीन सुलभ पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्राधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमे निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है –

I. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण
II. दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिया लेना ।
III. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ।

(झ) लोक प्राधिकारी –

लोक प्राधिकारी से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन ;
(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;
(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;
(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किये गए आदेश द्वारा, कोई प्राधिकारी ।

"अभिलेख" में निम्लिखित शामिल हैं –

I. कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल ।
II. कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोचिप और प्रतिकृति प्रति ।
III. ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का कम्प्यूटर द्वारा
IV. या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री

धारा – 3

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को किसी जानकारी के लिए सूचना का अधिकार होगा ।

धारा – 4

सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से किए जाने के लिए मदें

1. संगठन, कार्यों तथा कर्तव्यों का विवरण
2. उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों तथा कर्तव्य
3. पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया
4. उसके कार्यो के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड
5. कार्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित या उवके नियंत्रणाधीन अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल एवं रिकॉर्ड
6. उसके द्वारा रखे जाने वाले या उसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

7. नीति तैयार करने अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के परामर्श के लिए अथवा उनके अभ्यावेदन हेतु किसी व्यवस्था का विवरण
8. विभाग द्वारा गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा दो या अधिक व्यक्तियों वाले अन्य निकायों का विवरण। इसके अतिरिक्त, इस आशय की सूचना कि क्या ये बैठकें जनता के लिए खुली हैं अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत जनता के लिए उपलब्ध हैं अथवा नहीं
9. उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मार्गदर्शिका
10. उसके विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रतिपूर्ति की प्रणाली सहित उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक पारिश्रमिक
11. उसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा किए गए संवितरणों संबंधी रिपोर्टों को दर्शाया गया हो।
12. सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि तथा विवरण एवं लाभार्थियों सहित ऐसे कार्यक्रमों के निष्पादन का
13. रियायत प्राप्त करने वालों का विवरण, उसके द्वारा प्रदत्त परमिट एवं प्राधिकार
14. उसके पास उपलब्ध या रखी गयी सूचना जो इलेक्ट्रानिक रूप में हो
15. विवेकाधीन तथा गैर-विवेकाधीन अनुदान
16. आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील और उनके उत्तर
17. सार्वजनिक निजी भागीदारी
18. यथानिर्धारित कोई अन्य सूचना
19. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण
20. यदि सार्वजनिक प्रयोग के लिए कोई पुस्ताकालय या अध्ययन कक्ष हो तो उसके प्रयोग के समय सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

धारा – 5

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम –

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रसाशनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारिओं को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक अधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा / किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी।

(3) प्रत्येक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता मांगी गयी है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जायेगा।

धारा – 6

सूचना अभिप्रात करने ले लिए अनुरोध –

1. जब कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से किसी भी भाषा में हिंदी, अंग्रेजी या अपने स्थानीय भाषा जिससे आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में ऐसी के साथ विहित की जाएँ /

क. सबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक राज्य अधिकारी /

ख. केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी, को उसके द्वारा मांगी गई सूचना विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट करते हुए, अनुरोध करेगा /

धारा – 7

अनुरोध के निपटान

(I) सूचना 30 दिनों के अन्दर या जितनी जल्दी हो प्रदान की जाएँगी /

किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वंत्रता से संबंधित जानकारी 2 दिनों में प्रदान की जाएँगी /

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा /

धारा – 8

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट-

(I) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी–

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो /

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है /

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा /

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है /

(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है /

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना /

(छ) सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा /

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी /

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं /

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री, जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए ना परन्तु यह और कि वे विषय, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं. प्रकट नहीं किए जाएंगे।

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है:

परन्तु ऐसी सूचना के लिए. जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी राज्य विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा ।

धारा – 9

कॉपीराइट मुद्दे के आधार पर सूचना के अनुरोध की अस्वीकृति

धारा – 10

इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त सूचना के उस भाग को दिया जाना जो छूट के अंतगर्त नहीं होता है /

धारा – 11

पर व्यक्ति सूचना –

किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है,

जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां. यथास्थिति, केन्द्रीय लोक

सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा ।

सोशल मीडिया

Social Media को Social Media Service के नाम से भी जाना जाता है. इसका मतलब है की Internet का इस्तमाल कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जुड़ना. जहाँ आप एक दुसरे के साथ friendship, relationship, education, interests का आदान प्रदान करते हैं.

इससे हम देश विदेश में घट रहे घटनाओं के विषय में जान सकते हैं. इसके साथ हम एक दूसरों के interests के बारे में जान सकते हैं और उन्हें explore भी कर सकते हैं.

सोशल मीडिया की परिभाषा -

सोशल मीडिया उन websites और applications की सुविधा को समझा जाता है जो की हम आप जैसे users को ये व्यवस्था प्रदान करती है जिससे की हम और आप आसानी से अपने और दूसरों के कांटेंट create और share कर पाएँ। वहीं साथ में हम एक दूसरे के साथ जुड़ें और participate करें social networking चैनल के माध्यम से।

सोशल मीडिया के प्रकार

अब चलिए समझते हैं की आख़िर में सोशल मीडिया के प्रकार क्या क्या हैं :-

Business applications

Social Media का सही रूप से इस्तमाल कर entrepreneurs और छोटे business के लिए बहुत लाभदायक है. इससे वो बहुत लोगों के साथ मिलकर अपने business को बड़ा कर सकते हैं. Social Media का इस्तमाल वो अपने products की advertisement भी कर सकते हैं ।

क्यूंकि Social Medias पुरे दुनिया में operate होते हैं इसलिए इसके मदद से हम दुनिया के किसी भी देश में स्थित लोगों के साथ contact कर सकते हैं और अपना business बढ़ा सकते हैं ।

Medical applications

बहुत से health professionals के द्वारा Social Medias का इस्तमाल अपने institutional knowledge को manage करने में लगाते हैं. इससे वो उनके doctors और institutions को लोगों के सामने highlight कर सकते हैं. इसके साथ वो अपने knowledge को भी दुसरे लोगों के साथ share कर सकते हैं ।

Research

Social Mediaing services का इस्तमाल criminal और legal investigations के लिए अब किया जाने लगा है. Information जो की sites जैसे की MySpace और Facebook में स्तिथ होते हैं उन्हें police के द्वारा investigation में किया जाता है ।

Social Medias **का इस्तमाल** social good **के लिए**

बहुत से Social Service सही तरीके से Social Media का इस्तमाल करते हैं क्यूंकि वो ये भली भांति जानते हैं की Social Media पर बहुत ही ज्यादा लोग आते हैं और अच्छे post की तलाश करते हैं. इससे अगर वो अपने Social Service के बारे में उनसे बात करें तब हो सकता है कुछ लोग उनसे इस अच्छे काम में जुड़ने के लिए राजी हो जाएँ ।

इससे उनकी audience की संख्या और भी बढ़ जाती है और उनके followers भी एक साथ ज्यादा like minded लोग (समान सोच के लोग) काम करने से वो बहुत से नामुमकिन लगने वाले लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. और इस समाज के लिए कुछ अलग और बेहतर काम कर सकते हैं ।

सोशल मीडिया के फायदा -

- Social Media का इस्तमाल कोई चीज़ की advertise करने के लिए किया जा सकता है ।
- School activities को भी आसानी से किया जा सकता है, जहाँ की सभी members अगर अलग अलग प्रान्त के हों तब भी ।
- यदि हमारे रिश्तेदार या दोस्त अगर कहीं दूर में रह रहे हों तब भी हम Social Media के मदद से उनसे आसानी से contact कर सकते हैं और वो भी बहुत ही कम खर्चे में ।
- यहाँ तक की हम दुसरे शहरों, राज्यों या देशों में स्तिथ लोगों के साथ भी Interaction कर सकते हैं ।
- उन्हें हम diverse files (जैसे की photographs, documents, इत्यदि) आसानी से भेज और पा सकते हैं ।
- नए दोस्त बना सकते हैं जो की किसी दुसरे culture का हो ।

- ये हमें real time में interact करने में मदद करता है ।
- Social Medias की मदद से आजकल political parties अपना online campaingn चला रही हैं.
- यहाँ पर हम Discussion और debate forums तैयार कर सकते हैं और आपस में बातचीत कर सकते हैं
- ये हमें collaborative learning करने के लिए मदद करती है ।
- ये commercial networks को मदद करती है लोगों तक अपने products को पहुँचाने के लिए ।
- इससे police को भी अपने investigation को सुचारू रूप से करने के लिए मदद मिलती है ।

सोशल मीडिया के नुकसान -

- Privacy एक बहुत बड़ा मुद्दा है Social Medias का.
- यहाँ कोई भी unknown और dangerous व्यक्ति आपके सारे personal information की access प्राप्त कर सकता है और जिनका वो बाद में गलत इस्तमाल भी कर सकता है ।
- इसके इस्तमाल से आप अपने को अपने परिवार और दोस्तों से अलग करने लगते हो क्युन्किन आप अपना बहुत सारा समय online में व्यक्त करते हो ।
- Social Media में enter करने के लिए आप अपने आयु को गलत भी बता सकते हो जिससे आपके अनजाने में ही सही आप खुद को online molester के करीब ले जाते हो. क्यूंकि आपको इस छोटी उम्र में उतनी समझ नहीं होती है और जिनका गलत इस्तमाल वो लोग उठा सकते हैं ।
- Fake Account बनाने की Possibility ज्यादा बढ़ जाती है ।
- ये आपके अनजाने में सही आपको अपने तरफ खींचती रहती है और बाद में आप इसके गुलाम बन जाते हो.
- Real relation को इससे बहुत हानी पहुँचती है ।
- Computer और Gadgets के ज्यादा इस्तमाल से आपके health पर भी ख़राब असर पड़ता है ।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO